सूचना प्रौद्योगिकी में महिलाओं की भूमिका
(एक समाजशास्त्रीय अध्ययन)

Role of Women in Information Technology
(A Sociological Study)

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

की

पी-एच० डी० (समाजशास्त्र) उपाधि

हेतु प्रस्तुत

2009

शोध निर्देशक

डॉ. जे.पी. नाग
एम.ए., पी-एच.डी.
प्राचार्य, जिला परिषद कृषि महाविद्यालय,
बाँदा (उ०प्र०)

शोधार्थिनी

श्रीमती विनीता तायल

शोध केन्द्र :

पं. जवाहर लाल नेहरू परास्नातक महाविद्यालय, बाँदा, उ.प्र.

Jila Parishad Agriculture College, Banda (U.P)
जिला परिषद कृषि महाविद्यालय, बाँदा (उ.प्र.)
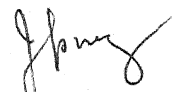
डॉ. जे.पी. नाग
एम.ए. (समाजशास्त्र), पी-एच.डी.
प्राचार्य

आवास
डी.एम. कालोनी
सिविल लाइन्स
बाँदा (उ०प्र०) - 210001
फोन नं०-05192-221539
मो० नं०-09450170844

CERTIFICATE

It is certified that Smt. Vineeta Tayal has worked for Ph.D. Thesis on the Topic- **सूचना प्रौद्योगिकी में महिलाओं की भूमिका (एक समाजशास्त्रीय अध्ययन) Role of Women in Information Technology (A Sociology Study)** under my supervision with her attendance for two hundred days (under ord. 7). This research study is her original work.

Date:

Dr. J.P. Nag
Supervisor

घोषणा-पत्र

मैं **श्रीमती विनीता तायल** घोषणा करती हूँ कि समाजशास्त्र विषय के अन्तर्गत औरैया जनपद में **''सूचना प्रौद्योगिकी में महिलाओं की भूमिका (एक समाजशास्त्रीय अध्ययन)''** विद्या-वाचस्पति (पी-एच.डी.) उपाधि हेतु यह शोध-प्रबन्ध मेरी स्वयं की मौलिक कृति (रचना) है। इसके पूर्व यह शोध कार्य किसी अन्य के द्वारा कहीं भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अपना यह शोध कार्य मैने परमपूज्यनीय गाँधीवादी विचारक एवं शोध निदेशक **डॉ. जसवन्त प्रसाद नाग**, जिला परिषद कृषि महाविद्यालय, बाँदा के प्राचार्य एवं बुन्देलखण्ड समाजशास्त्र परिषद के अध्यक्ष के निर्देशन में पूर्ण किया है। विश्वविद्यालय परिनियमावली के अनुसार अपने शोध केन्द्र में दो सौ से अधिक मानव-दिवसों में उपस्थित रहकर निदेशक महोदय के निर्देशानुसार मैने कार्य किया है।

दिनांक:

विनीता तायल
श्रीमती (विनीता तायल)
एम.ए. (समाजशास्त्र, हिन्दी)
आयुर्वेद रत्न

आभार प्रदर्शन

वर्तमान परिदृश्य में सूचना प्रौद्योगिकी के पदार्पण ने उन विचारों और मान्यताओं को पूर्णतः खारिज़ कर दिया है कि महिलाएं केवल पुरूषों की जीवन संगनी है उनका अपना कोई निजी अस्तित्व नहीं है। असंतुलित अधिकार और असमानता बोध की जो भावना महिलाओं में थी, वह सूचना प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक विचारों ने बदल दी है। भू–मण्डलीकरण के अर्न्तगत सूचना प्रौद्योगिक रचनाएं एक क्रान्तिकारी परिवर्तन हैं और महिला सशक्तीकरण का आधार है।

हमारा यह अध्ययन प्रकार्यात्मक प्रारूप द्वारा प्रेरित महिलाओं और पुरूषों की सामाजिक स्थिति, राजनैतिक सत्ता और आर्थिक शक्ति और भूमिका में प्रचलित उस प्रवृत्ति की वैधता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, जो यह मानती है कि भारत में स्त्री और पुरूष की स्थिति और भूमिक का निर्धारण कर्मकाण्डीय स्थिति और सत्ता के कारण हुआ है।

प्रस्तुत शोध–कार्य को पूरा कराने का सम्पूर्ण श्रेय जिला परिषद कृषि महाविद्यालय, बाँदा (उ0प्र0) के प्राचार्य, पूर्व रीडर एवं विभागाध्यक्ष पं0 जवाहर लाल नेहरू पी0जी0 कालेज, बाँदा तथा मेरे शोध निदेशक पूज्य **श्री डॉ0 जसवन्त प्रसाद नाग** को है, जिनकी मैं आजीवन ऋणी रहूँगी। डॉ0 नाग ने सूचना प्रौद्योगिकी जैसे अत्याधुनिक विषय को महिलाओं की भूमिका के साथ जोड़कर जो परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया वह मेरे शोध कार्य में सामने आया है। आदरणीय डॉ0 नाग की मैं ह्रदय से आभारी हूँ जिन्होंने निरन्तर मेरा पथ प्रदर्शन किया।

डॉ0 एस.एस. गुप्ता, रीडर एवं विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग, पं0 जे0एन0 (पी0जी0) कालेज, बाँदा के निरन्तर सहयोग, शोध केन्द्र की समस्याओं के निदान एवं निराकरण के प्रति मैं आभारी हूँ।

शोध केन्द्र : पं0 जवाहर लाल नेहरू (पी0जी0) कालेज, बाँदा के प्राचार्य के प्रति मैं ह्रदय से आभारी रहूँगी, उन्होंने बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय के इस ख्यातिलब्ध शोध केन्द्र में मुझे शोध करने का न केवल अवसर प्रदान किया बल्कि पुस्तकालय स्तर पर समस्त सुविधाएं भी प्रदान की।

समाजशास्त्रीय अनुसंधान एवं सर्वेक्षण विभाग, विवेकानन्द ग्रामोद्योग (पी0जी0) कालेज, दिबियापुर के परमादरणीय प्राचार्य **डॉ0 अजब सिंह जी यादव** एवं शोध–निदेशक डॉ0 प्रफुल्ल चन्द्र तायल की भी मैं सदैव आभारी रहूँगी, जिन्होंने मेरी रूचि के अनुरूप अनुसंधान के शीर्षक प्रणयन से लेकर क्षेत्रीय समस्याओं के निराकरण एवं औरैया जनपद के आँकड़ों, सूचनाओं और अध्ययन पूर्व सर्वेक्षण में मेरी निरन्तर सहायता की।

औरैया जनपद के विभिन्न कार्यालयों एवं प्रतिष्ठानों में कार्यरत महिलाओं एवं क्षेत्र की जनता के प्रति भी मैं आभारी हूँ विशेषतः अपनी उत्तरदाताओं के प्रति जिन्होंने शोध कार्य की गम्भीरता को समझा और मुझे पूर्ण सहयोग दिया।

मेरे परिजन, पति, बेटे विकल्प राज एवं संकल्प राज भी साधुवाद् के पात्र हैं जिनके सक्रीय भौतिक एवं अभौतिक सहयोग एवं ईश्वर की सदइच्छा के बिना यह शोध कार्य पूर्ण नहीं हो सकता था।

विनीता तायल
(श्रीमती) विनीता तायल

अनुक्रमणिका

सारणी-सूची

सूचना प्रौद्योगिकी में महिलाओं की भूमिका
(एक समाजशास्त्रीय अध्ययन)

Role of Women in Information Technology
(A Sociological Study)

प्रथम अध्याय

प्रस्तावना

- ऐतिहासिक परिप्रेक्ष
- अध्ययन का उद्देश्य
- सैद्धान्तिक मान्यताएं
- प्रकल्पनाएं (उपकल्पनाएं)
- शोध में प्रयुक्त प्रत्यय एवं शब्दावली

प्रथम अध्याय

प्रस्तावना (Introduction)

महिलाओं को शताब्दियों से पुरूष की केवल जीवन संगनी माना गया है। उनका अपना कोई निजी अस्तित्व नहीं। ऐसा केवल भारत में ही नहीं पश्चिमी देशों में भी देखा जाता रहा है। यूरोप में 18वीं शताब्दी में हुई प्रौद्योगिकी क्रान्ति के बाद भी स्थिति एवं विचारधारा में कोई अन्तर नहीं आया। विज्ञान एवं इंजीनियरिंग जैसे विषयों में कुछ प्रतिशत लड़कियां ही प्रवेश लेती थी, यांत्रिकी एवं इंजीनियरिंग की शिक्षा महिलाओं के लिए सदैव कठिन कार्य माना गया, क्योंकि इनके लिये महिलाओं को घर के बाहर जाकर कार्य करना पड़ता है, क्योंकि 'स्त्री को घर की शोभा' माना जाता था इसलिए उनके लिए यह कार्य बेहद मुश्किल मान लिया गया।

वर्तमान संदर्भ में सूचना प्रौद्योगिकी के पदार्पण ने यह परिदृश्य बदल दिया है। सूचना प्रौद्योगिकी के शैशव काल में अन्य क्षेत्रों की भाँति इस क्षेत्र में भी पुरूषों ने अपना वर्चस्व बनाये रखा था, किन्तु पर्सनल कम्प्यूटर (पी0सी0) के विकास ने धीरे–धीरे स्थिति को बदलना प्रारम्भ कर दिया अब बहुत अधिक संख्या में महिलाएँ केवल कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग क्षेत्र में ही नहीं अपितु डी.टी.पी., नेटवर्किंग तथा अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रही हैं। 1990 के दशक के अन्तिम वर्षों से महिलाओं ने बहुत तेजी से सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपने कदम आगे बढ़ाएं है। एक व्यक्तिगत सर्वेक्षण के अनुसार 'ऑन लाइन कार्य करने वाले कुल भारतीयों में 51

प्रतिशत महिलाएं हैं। जबकि अमेरिका में यह प्रतिशत 28.3 है। अतः हम यह कह सकते है कि भारत का सूचना प्रौद्योगिकी परिदृश्य महिला मण्डित हो रहा है। अभी हाल में एक जापानी पत्रिका में प्रकाशित समाचार के अनुसार जापान में बाहर से आकर काम करने वाली महिलाओं में भारतीय महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है। भारत में कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग में लगभग 38 प्रतिशत महिलाएं कार्यरत है। विभिन्न कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों में बहुत अधिक संख्या में महिलाएं प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है।

अमेरिका तथा यूरोपीय देशों का कम्प्यूटर सम्बन्धी कार्य बहुत अधिक मात्रा में भारत जैसे देशो में 'आउट सोर्स' से किया जा रहा है, इसमें मुख्य कार्य आई.टी. इनेबल्ड सर्विस सम्बन्धी है। इस कार्य के लिए भारत में अनेक स्थानों पर 'काल सेन्टर' स्थापित किये गए है। इनमें कार्य करने वालों को देर रात तक कार्य करना पड़ता है। यह कार्य भी अधिकतर वे महिलाएं कर रही हैं जो कल तक शाम सात बजे के बाद घर से बाहर रहने में डरती थी अब वे ही महिलाएं रात 2 या 3 बजे भी निडर होकर कार्य करती है।

20वीं शताब्दी के आरम्भिक वर्षों में पुरूषों का भी विदेश जाना वर्जित था और उन्हें इसके लिये प्रायश्चित करना पड़ता था, किन्तु आज भारतीय महिलाएं भी विश्व के प्रत्येक कोने में कार्य करती मिल जाती है। इतना ही नहीं वे अपने कार्यो को बहुत मेहनत और लगन के साथ करती हैं। अपना और देश का गौरव बढ़ा रही है, कल्पना चावला इसका ज्वलंत उदाहरण है। एक समय था जब 99 प्रतिशत महिलाएं रसोई घर तक ही सीमित रहती थी, उन्हें 'गृहस्थन' (House wife) 'गृहणी' सम्बोधन दिया जाता था। गृहणी शब्द बहुत सम्मान सूचक लगता था और उन्हें रसोई घर से बाहर आने में

लज्जा एवं भय का अहसास होता था। बाहर आती भी थीं तो साहित्य, कला जैसे क्षेत्रों तक ही सीमित रहती थी। साठ के दशक में विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्त्री और पुरूष का अनुपात 1:30 का था किन्तु संचार क्रान्ति, कम्प्यूटर तथा सूचना प्रौद्योगिकी की शिक्षा प्रारम्भ होते ही महिलाओं की रूचि अचानक इनमें दिख रही है। महिला अध्ययन के क्षेत्र में कार्यरत समाजशास्त्रियों के लिए यह प्रश्न विचारणीय हैं–

1. सूचना प्रौद्योगिकी में ऐसी क्या बात है जो अधिक से अधिक महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है?

2. क्या भारतीय महिलाओं में ऐसी कोई विशेष दक्षता है अथवा योग्यता है जिसके कारण वह सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अपना अच्छा भविष्य बना पाने में सफल हो पा रही है?

3. क्या महिलाओं की आर्थिक आवश्यकताएं उन्हें इस क्षेत्र में आगे बढ़ने में मजबूर कर रही है?

इन विचारणीय प्रश्नों का सम्मिलित निष्कर्ष भारतीय महिलाओं को विदेशों में तथा देश में सूचना प्रौद्योगिकी की ओर खींच रहे है। विदेशी महिलाओं की कम्प्यूटर तथा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अधिक उपलब्धता न होने के कारण भारतीय महिलाओं के लिए वरदान सिद्ध हो रहा है। एक आमरीकी कम्पनी के अनुसार उनकी कम्पनी में नौकरी के लए प्राप्त प्रत्येक पाँच प्रार्थना पत्रों में दो प्रार्थना पत्र भारतीय महिलाओं के होते हैं क्योंकि–

❖ सूचना प्रौद्योगिकी के कार्य महिलाओं को अन्य कार्यो की अपेक्षा अधिक रूचिकर लगते है।

- ❖ वे सूचना प्रौद्योगिकी के कार्यो को अपने घर में रहकर भी सरलता से सम्पादित कर सकती है।

- ❖ सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बद्ध कार्यो में अन्य कार्यो की अपेक्षा धन अधिक मिलता है।

- ❖ भारतीय एवं विदेशों में बसे अनेक भारतीय (N.R.I.) युवक ऐसी पत्नियाँ चाहते है जो कम्प्यूटर प्रशिक्षित हो जिससे वे अपने पतियों की आर्थिक स्थिति सुधार सके।

- ❖ सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिक से जुड़ी महिलायें आर्थिक स्वतन्त्रता के साथ–साथ एक कुशल गृहणी की भूमिका का निर्वाहन सरलता से कर सकती है।

- ❖ कम्प्यूटर तथा आई.टी. प्रशिक्षित महिलाओं द्वारा सम्मानजनक नौकरी करने के कारण उनमें आत्मविश्वास अधिक आया है।

- ❖ कम्प्यूटर तथा सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी महिलाओं में स्वयं अपने और अपने परिवार के विषय में निर्णय लेने की क्षमता अन्य कार्यशील भारतीय महिलाओं की अपेक्षा अधिक है।

अब परिवार में कोई अप्रत्याशित दुर्घटना हो जाने पर भी महिलाओं को दूसरों पर आश्रित नहीं होना पड़ता। अनेक ऐसे परिवार हैं, जहाँ कम्प्यूटर प्रशिक्षित महिलाएं अपने बूते अपने परिवार का पालन–पोषण कर रही हैं। लेकिन आई.टी. उद्योग में अभी भी अनेक विसंगतियां हैं। यद्यपि नौकरी में भर्ती के समय कोई लिंग भेद नहीं किया जाता, किन्तु एक ही प्रकार के कार्य के लिये, प्रायः उनकी मासिक आमदनी पुरूषों से कम होती

है। इस अवधारणा का सीधा अर्थ यह है कि महिलाओं की परेशानियों को ध्यान में रखकर यदि आई.सी.टी. प्रोफेशन उनके लिए अनुकूल परिस्थितियों की सुविधा दिला सके तो निश्चित रूप से अन्य प्रोफेशनों की बजाय इस प्रौद्योगिकी में उनकी बेहतर भागीदारी के पर्याप्त अवसर बन सकते है।

मारहन मार्टिन : 1998 ने कहा था इन्टरनेट के प्रारम्भिक समय से ही उस पर पुरूषों का प्रभुत्व रहा परन्तु हाल के वर्षो के दौरान इसमें लड़कियों और महिलाओं की संख्या बढ़ी है। यह स्वागत योग्य है क्योंकि पुरूषों की अपेक्षा महिलाएं अधिक कुशलता से इन्टरनेट का प्रयोग करती हैं। उनकी संख्या में और अधिक बढ़त अपेक्षित है, अन्यथा समाज के आर्थिक एवं शैक्षणिक वातावरण दुष्प्रभावित होगा।

रिकेर और साशरो : 2000 के अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि अमेरिका में इन्टरनेट का उपयोग करने वालों में पुरूषों को पीछे छोड़ते हुए महिलाओं की संख्या अधिक हो चुकी है जो कि आशावादी भविष्य का प्रतीक है। चूँकि इन्टरनेट का श्रीगणेश अमेरिका से ही हुआ था, इसलिए इसकी सम्भावनाएं प्रबल है कि शीघ्र ही अन्य देशों में भी अमेरिका की ही भाँति आई.टी. क्षेत्र में महिलाएं अपनी कामयाबी पुरूषों की अपेक्षा अधिक कुशलता से अर्जित कर लेंगी।

आई.बी.एम. द्वारा चलाए गए एक सर्वेक्षण अध्ययन में इसकी पुष्टि की गयी कि विभिन्न व्यवसायों में लगे आई.सी.टी. के उपयोगकर्ताओं में महिलाओं की संख्या निश्चित रूप से पुरूषों से अधिक तो है ही साथ ही महिलाओं के कुशलतापूर्ण तौर–तरीकों से उद्यम भी अधिक लाभान्वित हो रहे है।

असंतुलित अधिकार और असमानता बोध की जो गहरी पैठ महिलाओं में बनी हुई है, उससे इस नई प्रौद्योगिकी के बाद भी महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए समय तो लगेगा ही उन्हें उपयुक्त सामाजिक समर्थन भी मिलना चाहिए। इन विसंगतियों के बने रहने से प्रौद्योगिकी के साथ महिलाओं के सम्बन्धों में व्याप्त दोहरी मानसिकता की विडंबना को दूर कर पाना सम्भवतः कठिन होगा।

बैनर्जी एवं मित्तर : 1998 के प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि महिलाओं के कामकाज के अवसर सबसे पहले सिमटते है क्योंकि उनमें उन सरल कार्यो को करने की अधिक रूचि होती है जिनको आसानी से मशीनों द्वारा किया जा सकता है। महिलाओं में लचीलेपन का परम्परागत अभाव होता है परन्तु वस्तुतः इसका मूल कारण तो समाज में व्याप्त पितृसत्तात्मक परम्परा ही है। महिलाओं को केवल 'यह' या 'वह' करना सिखाया जाता है पर 'क्यों' किया जाना है, यह सिखाने का कोई प्रयास नहीं किया जाता। उनको प्रेशर कूकर जैसे श्रम बचत में सहायक उपकरण इसलिए नहीं दिए जाते थे क्योंकि समाज में यह आम धारणा थी कि महिलाओं में टेक्नालॉजी की समुचित समझ का अभाव होता है।

परन्तु **वेडलीः 2000** ने अपने अध्ययन के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश के करीमपुर के एक ब्राह्मण परिवार को काफी नजदीक से देखने–समझने का प्रयास किया उसने यह अनुभव किया कि इस परिवार में चार पीढ़ियों की महिलाओं की जीवन शैली, आर्थिक स्थिति, शिक्षा और आवश्यकताओं में बहुत अधिक विभिन्नता है। उसने तुलनात्मक रूप से यह अनुभव किया कि दादी–नानी की अपेक्षा नई पीढ़ी की महिलाओं के पास अधिक समय की

गुंजाइश है, क्योंकि अब उनकी जीवन शैली परिष्कृत वैज्ञानिक उपकरणों से जुड़ गयी है। वाशिंग मशीन, फ्रिज, टी.वी., मिक्सी आदि के उपयोग के कारण बचे हुये समय का सदुपयोग आज की पीढ़ी अपने परिवार के हितार्थ इन्टरनेट–वर्किंग में करना चाहती है।

सुश्री गोठोस्कर : 2000 ने मुम्बई में टेलीवर्किंग महिलाओं के एक समूह का अध्ययन किया जो हाई टेक्नोलॉजी वाला कार्य कर रही थी किन्तु इसके बाद भी वे अपने प्रोफेशन के निचले पायदान पर ही थीं। घरेलू कार्य उनके पास लगभग नहीं के बराबर था टेक्नोलॉजी ने उनको नॉन स्टाप वर्कर बना रखा था किन्तु अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा उनमें नहीं के बराबर थी। भारतीय महिलाओं में सम्भावनाओं की धारणाएं सीमाबद्ध हुआ करती हैं और उनके इन विचारों में परिवर्तन लाने की पर्याप्त सम्भावनायें है। आवश्यकता इस बात की है कि महिलाओं को सहयोग देने वाले संगठनों की भूमिका उनके प्रति कैसी है। उच्च स्तर पर कार्य कर रही महिलाओं के पास स्वाधीनता भी है और अपनी जीवन शैली को अपने अनुसार ढालने के अधिकार भी हैं, कुछ संस्थाओं ने जैसे– अहमदाबाद स्थित सेल्फ इम्प्लाइड वुमेन्स एसोसियशन (सेवा) और पश्चिम बंगाल के ग्रामीण बैंक ने अपने नीचे की श्रेणी में कार्य करने वाली सदस्यों को कुछ अधिक स्वाधीनता का लाभ दिया है और ऐसे ही संगठनों की आवश्यकता भी है। एक ऐसा ही उदाहरण लेटिन अमेरिकी देश गुयाना की ग्रामीण महिलाओं का है जिन्होंने अपने यहां एक कम्प्यूटर ऐडेड रिटेल चेन का सफलतापूर्वक स्वामित्व प्राप्त कर लिया क्योंकि इस संगठन में महिलाओं को जानबूझकर निचले स्तर पर रोके रखने के प्रयास किए जा रहे थे।

इन सर्वेक्षणों और अध्ययनों से यह तथ्य सामने आ रहे हैं कि इन्टरनेट के उपयोगकर्ताओं में पुरूषों की अपेक्षा महिलाओं का अनुपात अधिक है इससे यह स्पष्ट है कि महिलाओं के पास एक्सेस की सुविधाएं अधिक है, औसतन सम्पन्न परिवारों की गृहणियों के पास इसका विकल्प होता है कि वे अपने घरेलू कार्यों में से समय बचाकर उसे कम्प्यूटर और इन्टरनेट सुविधाओं पर लगाए। विशेष रूप से तब जब घर के सदस्य किसी न किसी कार्य से घर के बाहर गए हुए हों। उनकी सुविधा के लिए ऐसी कई साइट भी हैं जो शिशुओं या नन्हे बच्चों के लिए को–आपरेटिव चाइल्ड केयरिंग की सुविधाएं उपलब्ध कराती है। इनकी सहायता से माताएं निश्चिंत होकर कम्प्यूटर पर समय दे सकती है। विकसित देशों में तो ऐसे टेली सेन्टर और नेट बेस्ड कम्प्यूनिटी सेन्टर काफी प्रचलित हो चुके हैं किन्तु महिलाओं की सक्रीय भूमिका सुनिश्चित कराने के लिए यह आवश्यक है कि उनका ऐसा कार्य समय निरापद और सुरक्षित बना रहे। यू.एन.डी.पी. ने इजिप्ट में ऐ ऐसे ही अभिनव पायलट प्रोजेक्ट को सहयोग दिया है। कम विकसित देशों में साइबर कैफे और किआस्को की संख्या में पय्राप्त वृद्धि हुई है। दक्षिण भारत में इन्टरनेट उपयोगी दक्षताओं का प्रसार कम लागत में किया जा रहा है। इसमें टेली वर्किंग का उज्ज्वल भविष्य पनप रहा है। आठ भारतीय नगरों में किए गये सर्वेक्षण में यह स्पष्ट हुआ कि बिना कामकाज वाली महिलाओं का 63 प्रतिशत इन कैफे के माध्यम से और 32 प्रतिशत महिलाएं अपने घरों से इन्टरनेट का उपयोग करती है इसके लिए विशेष रूप से कम आय, भाषा और साक्षरता की बाधाओं को समाप्त करने की आवश्यकता है। यह सर्वेक्षण स्पष्ट करते हैं कि कम्प्यूटरों के प्रसार से भारतीय ग्रामीण जनजीवन निश्चित रूप से उन्नत हुआ है। भारत के एम.

एस. स्वामीनाथ रिसर्च फाउडेशन के एक नालेज सेन्टर प्रोजेक्ट ने पांडिचेरी के चार ग्रामों को कनेक्ट किया है जो तमिल भाषा में स्थानीय सूचना प्रणाली से आबद्ध है। इससे कृषि जनित कार्य और उनकी मार्केटिंग को उन्नत स्वरूप मिला है। मेडिकल सुविधाओं तक पहुँचने में सुविधा हुई है। महिलाएं ही इन कम्प्यूटर केन्द्रों को आपरेट करती है। इसका एक और लाभ साक्षरता है जिससे इसके और अधिक प्रसार की सम्भावनाएं बढ़ रही है।

आन्ध्र प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं के स्वःसहायता समूहों (एस.एच.जी.) के गठन से उनके उत्पादों की देश विदेश में इन्टरनेट के माध्यम से की जा रही मार्केटिंग को इतनी सफलता मिलती है कि अब बहुराष्ट्रीय कम्पनियां भी अपनी विक्रय क्षमताओं का अपने हितों में उपयोग किए जाने की पक्षधर बन गयी है। वहाँ की लगभग 60 लाख महिलाएं इन समूहों की सदस्य हैं जो निरन्तर लाभ अर्जित कर रही हैं। इसके साथ ही वे अनुकरणींय कर्जदार भी हैं जिन्होंने अब तक लिए 20 करोड़ रुपयों के ऋणों का 98 प्रतिशत निश्चित समय अवधि में भुगतान कर उदाहरण प्रस्तुत किया है। ऐसा अन्यत्र सम्भव नहीं हो पाता परिणाम स्वरूप वहाँ कर्ज देने वाले बैंकों में प्रतिस्पर्धा है। क्योंकि बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों की इस प्रकार वापसी अन्यत्र सम्भव नहीं है। इंग्लैण्ड के वर्मिघम शहर में हाईस्पीड इन्टरनेट एक्सेस सुविधा से अनेक गरीब महिलाओं के जीवन में सम्पन्नता आई है।

महिलाओं के लिए स्वरोजगार की अवधारणा अत्यधिक लाभप्रद है क्योंकि इससे एक तो उनको मातृत्व का दायित्व निभा पाने में परेशानी नहीं होती और दूसरा यह कि वे अपने घरों में ही रहकर काम–काज के समय में

से अपनी सुविधानुसार परिवर्तन कर सकती है। इस सम्बन्ध में किए गए अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि अमेरिका, कैनेडा, मैक्सिको और अर्जेन्टीना की महिलाओं में घर बैठे ऐसे स्वरोजगार की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई है। अतः महिलाओं की आर्थिक स्थिति और सशक्तीकरण में सुधार लाने के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें स्वरोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराये जाएं और ऐसा तभी सम्भव है जब विभिन्न संगठन अपने हित में महिलाओं की दक्षता का सार्थक सदुपयोग करे।

भू–मण्डलीकरण के अन्तर्गत सूचना प्रौद्योगिकी की रचना एक क्रान्तिकारी परिवर्तन है। इसके कारण केवल कारखाना उत्पादन का क्षेत्र ही नहीं बल्कि सेवा–क्षेत्र में राष्ट्र एवं पर–राष्ट्र स्तर पर क्रान्तिकारी परिवर्तन घटित हुए है। अमेरिका की एक निर्माता–विक्रेता कम्पनी से चेन्नई स्थित एक परिधान फैक्ट्री भी सम्बन्धित है। श्रमिक संख्या पाँच सौ है जिसमें साढ़े चार सौ महिलाएं है। इन महिलाओं की औसत आयु 18 से 30 वर्ष है, फैक्स, ई–मेल और कम्प्यूटर पर आधारित उत्पादन व्यवस्था के कारण अमेरिका में बैठा व्यवसायी एक साथ मिस्र, श्रीलंका, बंगलूर, तमिलनाडु, बांग्लादेश, चीन, ताईवान और वियतनाम की कुल 190 फैक्ट्रियों को नियंत्रित करता है। डिजाइन अमेरिका की महिलायें बनाती है, ग्वाटेमाल और कोरिया की फैक्ट्रियों में सैम्पल बनाया जाता है और मुख्य कम्पनी को अमेरिकी स्टोर से आर्डर मिल जाता है। अकेले चेन्नई और बंगलूर में 40 फैक्ट्रियों मे इसी अमेरिकी कम्पनी के लिए वस्त्र बनाए जाते हैं। सस्ते श्रम के संसाधन के रूप में बड़ी संख्या में स्त्रियां नियुक्त की जाती है। नारीवाद श्रम के संदर्भ में सैद्धान्तिक स्पष्टता और नारीवादी दृष्टिकोण की अलग से आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जब तक श्रमजीवी महिलाएं इसे प्राप्त नहीं

कर लेती तब तक शोषण का विरोध महज व्यक्तिगत प्रलाप माना जाएगा। नारीवादी विचार और चिंतन को न केवल स्थानीय बल्कि भू-मण्डलीय स्तर पर अपनी प्रौद्योगिकी भूमिका स्थापित करना चाहिए और अन्य देशों की महिलाओं की समस्याओं के संदर्भ में इन्टरनेट और ई-मेल के माध्यम से स्थानीय समस्याओं को समझने का प्रयास भी करना चाहिए। जरूरत है जमीनी स्तर के ज्ञान के आधार पर शोध और विश्लेषण की, ताकि लाभ उठाकर कानून बनाने वालों के साथ स्त्री की सत्ता मोल-भाव करने में समर्थ हो। आवश्यकता है महिला श्रम को प्रारम्भिक स्तर पर प्रौद्योगिकीय ज्ञान के विकास और परिमार्जन की। महिला को आर्थिक और सामाजिक स्तर पर श्रम के विश्लेषण का लाभ भी मिलना चाहिए तभी प्रावधान बनाने वालो के साथ स्त्री सत्ता अपने हित में सीधे-सीधे मोलभाव करने में समर्थ होगी।

टेली वर्क का अर्थ है किसी दूर के स्थान से किया जाने वाला कार्य जो कि उभरती प्रौद्योगिकी के कारण सम्भव हो सका है। ऐसे कार्यो के लिए अधिकांशतः महिलाएं ही आगे आती हैं। इस सम्बन्ध में कुछ समाजशास्त्रीयों के विचार हैं कि वह लगभग शिशु पालन से मिलता जुलता कार्य है, जबकि कुछ समाज वैज्ञानिकों की धारणा है कि टेली वर्क एक क्रम पारिश्रमिक वाला कार्य है, जिसमें पेंशन और अन्य लाभ का नितान्त अभाव है और इसके द्वारा महिलाओं का सहजता से शोषण सम्भव है। साफ्टवेयर एवं सर्विस कम्पनियों के राष्ट्रीय संगठन (नेसकॉम) द्वारा तैयार भारत के लिए रोजगार प्रेक्षपणों के अनुसार वर्ष 2001-02 के दौरान आई.टी.ई.एस.-बी.पी.ओ. सेक्टर में ही 59 प्रतिशत की वृद्धि सम्भव हो सकी है और इसमें

रोजगार पाने वालो की संख्या 1,06,000 तक पहुँच चुकी है। (नेसकॉम, 2003)।

एक अन्य साफ्टवेयर कम्पनी डॉटामेटिक्स के घर बैठे कार्य करने वाले 600 लोगों में 98 प्रतिशत महिलाएं हैं। इस कम्पनी ने अपने प्रयास से उन कुशल और दक्ष महिलाओं के पते ढूढ़ निकाले जिनको घरेलू जिम्मेवारियों और परेशानियों के कारण अपनी जमीं–जमाई नौकरी छोड़ने को बाध्य होना पड़ा था। इसी तरह नॉवेल और विप्रो जैसी अनेक फर्मे भी टेली कम्प्यूटिंग के लिए घर बैठी दक्ष महिलाओं की सेवाएं ले रही है।

श्रीलंका की ट्रेड यूनियन शोधकर्ता रोहिणी हैं। समेन स्त्री श्रम और उनकी भूमिका के संदर्भ में लिखती हैं ''इसमें संदेह नहीं कि नई प्रौद्योगिकी ने महिलाओं के लिए नई नौकरियां निर्मित की हैं। विशेषकर कम्प्यूटर के क्षेत्र में। यहाँ पर कुछ बातों में ध्यान देना आवश्यक है। कम्प्यूटर उद्योग में प्रवेश करने वाली महिलाएं आज भी महिलाएं हैं। जो अभी–अभी पढ़–लिखकर निकली है। ये महिलाएं पारम्परिक उद्योगों से निकली हुई नहीं है। दूसरे ये स्त्रियाँ असंगठित कामगार है जबकि मंदी के कारण नौकरियों से निकाली हुई स्त्रियाँ यूनियन की संगठित सदस्य हैं। तीसरे नई प्रौद्योगिकी अपने साथ नई समस्याओं को लाती है। जिसका सामना करने के लिए इस क्षेत्र की महिलाएं रोजगार की असुरक्षा के कारण प्रबन्धन को चुनौती देने में असमर्थ होती है। बहुत सी स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएं, कम्प्यूटर टर्मिनल पर घटों बैठे रहने के कारण कमर दर्द, पीठ–गर्दन दर्द, आँखों की कमजोरी और स्थूलता जनित रोग आते हैं। फिलहाल स्त्री श्रम

को भू–मण्डलीकरण के विधेयक प्रभाव से कहीं अधिक प्रौद्योगिकी का निषेधक प्रभाव उठाना पड़ रहा है।

पर्यावरणवादी नारीवाद ने भी आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण की आलोचना करके सूचना प्रौद्योगिकी के स्थान पर महिलाओं के लिए वैकल्पिक प्रतिमान देने की कोशिश की है। उनके अनुसार समस्या का समाधान बाजार केन्द्रित पश्चिमी प्रौद्योगिकी को स्वीकारना नहीं है, बल्कि स्त्री को वही प्रौद्योगिकी अपनानी चाहिए जिसके माध्यम से प्रकृति के साथ उसका सामंजस्य स्थापित होना सम्भव हो। पर्यावरणवादी नारीवाद अपने इस सारतत्ववादी दृष्टिकोण के कारण आधुनिक प्रगति और सूचना प्रौद्योगिकी में महिलाओं को विभिन्न भूमिकाओं के दावों को अस्वीकार (खारिज़) करता है।

किन्तु ऐसी मिथकीय अपरिवर्तनशील परम्परा से महिला को लाभ के स्थान पर हानि अधिक होती है। आगे बढ़ती हुई स्त्री पुनः प्राचीन गुफाओं में तो नहीं लौट सकती क्योंकि वह अब अबला नहीं है। अतः एक ऐसी व्यावहारिक ढाँचे को विकसित करना होगा जो वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय उपलब्धियों द्वारा स्थानीय समस्याओं को सुलझाने में महिलाओं की मदद करें।

सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं की सक्रीय भूमिका का महत्वपूर्ण उद्देश्य स्त्री की विभिन्न भूमिकाओं का मानव समाज को न केवल परिचित कराना है वरन् महिलाओं को सशक्त बनाना भी है जीवन के उन अंधेरे कोनो पर प्रकाश डालना है जिसकी पीड़ा स्त्रियों ने सदियों से झेली है। 'सेवा' नामक संस्था ने कोर्ट में सुनवाई के लिए महिलाओं को वीडियो

से परिचित कराया। विशेष संदर्भ में नियोजित प्रौद्योगिकी से स्त्री का आत्मविश्वास बढ़ता है घटता नहीं है। मगर व्यक्तिगत रूप से आत्मविश्वास के साथ जिस सामूहिक शक्ति का विकास होना चाहिए जो ठोस परिवर्तन होने चाहिए उसके लिए वृहद तथा आणविक स्तर पर दोनों प्रकार की रणनीतियों की आवश्यकता है।

परिवार आज भी महिलाओं की सबसे मजबूत जमीन है। यह उसका अपना निजी क्षेत्र है। अपनी जमीन पर खड़ी होकर वह जितनी मजबूती से आने वाले समय का सामना कर सकती है उतना अन्य किसी जमीन पर नहीं। किन्तु सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं की सक्रीय भूमिका ने अब यह प्रमाणित कर दिया है कि परिवार का कर्त्ता स्त्री बने या पुरूष ही रहे, पारिवारिक संरचना अधिनायकवादी हो या जनतांत्रिक, यह अलग शोध एवं चिन्तन का विषय है। पर हमारे अपने कुछ विशेष मूल्य हैं जिनकी स्वीकृति के बिना महिलाओं का विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ना सम्भव नहीं है। अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित कार्य जगत में सफलता के साथ स्त्री अपने परिवार का कल्याण अवश्य चाहेगी और अपनी विज्ञान और प्रौद्योगिकी की नई भूमिका में कुशलता के साथ अग्रसर होना चाहेगी। इसमें संदेह नहीं कि नए प्रतिमानों की खोज अर्थात् सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका का सम्बन्ध स्त्री जीवन के निजी और सार्वजनिक स्पेस से सम्बन्धित है। किसी भी तरह का अमूर्त सारतत्ववादी रूझान अवैज्ञानिक और निरर्थक है।

पितृ सत्ता द्वारा आरोपित वर्ग, जाति और वर्ण के आधार पर महिला भी पहचानी जाती है, जबकि वह इन आरोपित प्रतिमानों से मुक्त होना

चाहती है किन्तु आज ये तथ्य उसकी पहचान को प्रभावित करते हैं। यह महिला पर निर्भर है कि वह अपनी सांस्कृतिक और भौतिक भूमिका और अधिकार से किस प्रकार निषेधक प्रभावों को चुनौती देती है। यह सत्य है कि स्त्री की अधीनस्थता केवल उपनिवेशीकरण या भू–मण्डलीकरण का परिणाम नहीं है। प्राक्–औद्योगिक जगत में भी स्त्री अधीनस्थ थी। प्रौद्योगिकी को स्वीकारने की क्षमता अलग–अलग देशों की महिलाओं में अलग–अलग है। इस संरचना को ध्यान में रखते हुए घर–बाहर की मांग को समझना और निजी अनुभवों के परिप्रेक्ष्य में सार्वजनिक क्षेत्रों में अपनी भूमिका को समझना महिलाओं के लिए अनिवार्य है। क्योंकि आर्थिक मंदी के दौरान सार्वजनिक क्षेत्रों का संकुचन महिलाओं को और अधिक असुरक्षित करेगा। समाज जब खुद अन्दर से टूट रहा हो। बेरोजगारी और पुरूषों की नौकरी खतरे में हो तब स्त्री की चिन्ता कौन करेगा किन्तु यह भी सत्य है कि ऐसे अवसरों पर महिलाओं की सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सक्रीय भूमिका और उनका तकनकी ज्ञान पारिवारिक संरचना के लिए संबल प्रदान करता है। श्रम के परिवर्तनशील बाजार में उपेक्षित और प्रौद्योगिकीय ज्ञान से रहित स्त्री श्रम की दुर्दशा का अनुमान लगाना कठिन है। भारत में प्रौद्योगिकी को मिलने वाली चुनौतियों का सामना महिलाएं नवीनतम प्रशिक्षण लेकर कर रही हैं, वे कार्य करती हैं और फुर्सत के समय शिक्षा और ट्रेनिंग भी लेती हैं और इसमें महिला समूहों के अतिरिक्त सरकारी और स्वयंसेवी एजेन्सी तथा सरकार का भी पूरा सहयोग है। मलेशिया में महिलाओं ने इस सारी सोफियाना प्रौद्योगिकी को सीखने का पूर्ण प्रयास किया है। श्रीलंका में स्त्रियों की सामान्य शिक्षा का स्तर उन्नत होते हुये प्रौद्योगिकी शिक्षा का स्तर निम्न है। किन्तु भारत जैसे विकासशील देश में शिल्प उद्योग, फैशन

टेक्नोलॉजी, बैंकिंग आदि क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी शिक्षा के माध्यम से महिलायें आगे बढ़ रही हैं इसका लाभ बहुमुखी रूप में देश और देशवासियों को मिल रहा है। हमारे देश की कला और संस्कृति का सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रवेश के परिणामस्वरूप अर्न्तराष्ट्रीय बाजार में उसकी मांग बढ़ने से विदेशी मुद्रा के भण्डार बढ़ने के साथ–साथ देश की आर्थिक विकास की दर भी बढ़ रहा है अर्न्तराष्ट्रीय मुद्राओं के अनुपात में भारतीय मुद्रा मजबूत हो रही है। सूचना प्रौद्योगिकी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को प्रमाणित करते हुए अर्न्तराष्ट्रीय उद्योग को प्रभावित किया है, शिक्षा, चिकित्सा, व्यापार, राजनीति, धर्म और सामाजिक जीवन से जुड़े प्रत्येक क्षेत्र में भारत की महिलाएं अलग कीर्तिमान स्थापित करने के साथ–साथ गृहणी की भूमिका भी बखूबी निभा रही है।

हमारे देश में नगरीय मध्यमवर्गीय परिवारों में अभिभावक यह समझने लगे हैं कि स्त्रियों के लिए स्वतन्त्र कैरियर होना अब अनिवार्य है अतः वे बेटियों की शिक्षा में भी पर्याप्त ध्यान दे रहे हैं। इससे पितृ सत्तात्मक भाव भूमि कमजोर हो रही हैं और स्त्री श्रम और उसकी यौनिकता पर पुरूष नियंत्रण घट रहा है। किन्तु यह परिवर्तन स्पष्ट रूप से स्त्री के व्यक्तित्व में मुख्य भूमिका की तरह नहीं दिख रहा। सूचना प्रौद्योगिकी और विज्ञान–शिक्षा के द्वारा हम कौन सा परिवर्तन लाना चाहते हैं इस पर ध्यान देना होगा। सरकार, प्रबन्धक, नौकरशाही, यूनियन के कार्यकर्ता और पार्टी के सदस्य, पितृसत्ता को चुनौती दिये बिना सामाजिक परिवर्तन लाना चाहते हैं। सौ करोड़ से अधिक के देश में मेधा पाटकर, शबाना आज़मी, अरूंधति राय या वृदा करात या फिर वंदना शिवा, उर्वशी बुटालिया, सुभाषनी अली, ममता कालिया, मृणाल गोरे जैसे लोग यदि बोल भी रहे हैं तो मानव अधिकार या

महिला सशक्तीकरण की इस लड़ाई में राजनीति पर कोई असर आता हुआ नहीं दिखता महिलाओं के समर्थन में ऐसा तो नहीं हुआ कि लोक सभा, राज्य सभा की महिला सदस्याएँ चाहे सोनिया गाँधी हो, या सुषमा स्वराज या रेणुका चौधरी, नजमा हेपतुल्ला, ममता बनर्जी, उमा भारतीय, जय ललिता, शीला दीक्षित, मायावती या फिर अंबिका सोनी, हेमा मालनी, जयाप्रदा या फिर जया बच्चन स्त्री के हक में अलग से बोलने लगे। आखिर महिला के हित में महिला राजनेता क्यों एक जुट नहीं, यह तथ्य समझ में नहीं आता परन्तु सूचना प्रौद्योगिकी यथा मीडिया ने सामान्य महिलाओं को इन तथ्यों से अवगत अवश्य करा दिया है। परिणामस्वरूप स्त्रियों के दृष्टिकोण में आमूल रूप से परिवर्तन आ रहा है। काम करने वाली स्त्री भी अब यह समझने लगी है कि अतीत में जहाँ वह अपनी अज्ञानतावश भूखो मरती थी, आत्म हत्या करती थी या जलाई जाती थी वहीं आज वह सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अपने होने और जीने के नए–नए रास्ते खोजती जा रही है। महिला ने यह तो सिद्ध कर दिया कि गुलामो की जिन्दगी वह नहीं जिएगी और चुनौतियों के सामने पितृसत्ता को आज नहीं तो कल भविष्य में सिर झुकाना होगा।

गोठोस्कर (2000) ने मुम्बई में टेली वर्कर के रूप में कार्य कर रही महिलाओं से साक्षात्कार के मध्य यह अनुभव किया कि महिलायें घरेलू दायित्वों से मिली मुक्ति से खुश है किन्तु सार्वजनिक और सामाजिक क्रियाकलापों से कटे–छँटे रहने के कारण न खुश भी हैं। महिलाओं के हृदय में यह मनोभाव स्पष्ट परिलक्षित हुये कि घर में भी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होनी चाहिये। **निग और जिन : 2000** ने भी मलेशिया में ऐसे ही अनुभवों को सुना पर यह पाया कि उच्च पदो पर कार्य करने वाली महिलाओं को तो

घरेलू कार्यो से मिली मुक्ति से बेहद प्रसन्नता थी किन्तु नीचे के पदो पर कार्य कर रही महिलाओं को इसका दुःख था कि कार्य से लौटने पर उन्हें घर के कार्यो को सम्पादित करना पड़ता है। निग और जिन यह तर्क देते है कि टेली सेन्टर द्वारा अपने काम–काजों के साथ घरेलू कार्यो की सम्भावनायें होनी चाहिए साथ ही साथ निम्न पदों पर कान्ट्रेक्ट वर्करों की दक्षताओं को उन्नत करने के प्रयास भी किए जाने चाहिए जिससे उनका पारिश्रमिक और फलस्वरूप उनकी मानसिक सन्तुष्टि दोनों बढ़े और उनमें संकीर्णता का जन्म न हो।

सूचना प्रौद्योगिकी के संसाधन इन्टरनेट के माध्यम से महिलाओं की उद्यमशीलता विकसित हो रही है। अपने घर में कार्य कर रही महिलायें सहजता से सम्बन्धित लिंक, कनेक्शन, रिसोर्स और इन्फार्मेशन को एक्सेस कर सकती है। इसका एक और महत्वपूर्ण लाभ यह भी है कि इन्टरनेट के माध्यम से न केवल अपनी सर्विसों के लिए बल्कि फाइनेंसिगं, मेण्टरिंग और बिजनेस कोचिंग के लिए भी महिलाएं पार्टनरशिप डेवलप कर सकती है। इसमे सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पूँजी तक अपनी पहुँच बना पाने में आने वाली बाधाओं को भी महिलाएं सहजता से पार कर सकती हैं। इलेक्ट्रानिक बुलेटिन बोर्ड के माध्यम से सपोर्ट ग्रुप गठित किए जा सकते हैं। इस प्रकार अपने होम आफिस से कार्य कर रहे व्यक्तियों के साथ और उनके बीच संगठन और एकता बनाय रखने में इन्टरनेट की भूमिका महत्वपूर्ण बन सकती है। साथ ही इन्टरनेट महिला टेलीवर्करों के अलगाव को समाप्त कर सकता है, जॉब से जुड़े संगठित एक्शनों में सहायक हो सकता है या फिर साधारण तौर पर इन्फर्मेशन अवसर और अपनी सहयोगिता को बढ़ा सकता है। इस प्रकार कुल मिलाकर विकासशील देश और उनकी ग्रामीण महिलाए

दोनों ही मिलकर विचौलियों की सहायता के बिना ही सीधे इन्टरनेट के द्वारा अपने प्रोजेक्ट और सर्विस की सेल कर सकते है।

डा0 विजय कुमार उपाध्याय (2004) इतिहास के विभिन्न युगों को उस युग में उपयोग में लाये जाने वाले प्रमुख पदार्थो के नाम से जाना जाता है, जेसे पाषाण युग, कॉस्य युग, लौह युग, काष्ट युग इत्यादि। इसी प्रकार आधुनिक युग को यदि सूचना प्रौद्योगिकी युग कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। सूचना प्रौद्योगिकी ने आज समाज के प्रत्येक वर्ग को प्रभावित किया है तथा समाज का प्रत्येक घटक इससे काफी लाभान्वित हुआ है। हमारे समाज की लगभग आधी जनसंख्या को समेटे महिला वर्ग इस प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने में सबसे आगे है। सूचना प्रौद्योगिकी महिलाओं के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में गहरा प्रभाव डाल रही है। महिलाओं का सबसे महत्वपूर्ण और रूचिकर क्षेत्र है पाक–कला यदि हम गौर करें तो पायेंगे कि आज दूरदर्शन तथा रेडियो पर देश–विदेश के विभिन्न प्रकार के पकवानों, सब्जियों तथा आमिष आहारों को पकाने की विधि पाक–कला के विशेषज्ञों द्वारा बतायी जाती है। परिणाम स्वरूप महिलायें घर बैठे इन सूचनाओं और विधियों से लाभान्वित होती हैं। किसी जमाने में किसी क्षेत्र विशेष में बनाये जाने वाले पकवान या मिष्ठान को अब देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने वाली गृहणी सहजता से बना सकती है।

खान–पान के समान ही वस्त्र तथा फैशन के क्षेत्र में भी देश के सभी भागों में समानता और एकरूपता आती जा रही है। इसका श्रेय भी सूचना प्रौद्योगिकी को ही जाता है। आज से कुछ वर्षो पूर्व तक महाराष्ट्र या गुजरात की महिलयें जिस शैली में साड़ी पहनती थी या केश विन्यास

बनाती थी वह बिहार या उत्तर प्रदेश की महिलाओं द्वारा अपनायी जाने वाली शैली से भिन्न था, परन्तु आज प्रत्येक क्षेत्र में निवास करने वाली महिलायें एक ही प्रकार की वस्त्र सज्जा और केश विन्यास प्रयोग कर सकती है। सूचना प्रौद्योगिकी का सबसे सशक्त माध्यम टेलीवीज़न अपना स्थान महलो से झोपड़ी तक बना चुका है और अब सबसे अधिक इसका प्रभाव महिलाओं की भूमिका में दिखाई देता है। टी0वी0 पर विशेषज्ञों द्वारा नयी–नयी तकनीक एवं नये–नये फैशन की सूचनायें प्रदान की जाती है। फैशन विशेषज्ञों और सौन्दर्य विशेषज्ञो से सम्पर्क साधने के लिए महिलाये आजकल टेलीफोन अैर मोबाइल फोन की भी अत्यधिक सहायता ले रही हैं। केवल विशेषज्ञो से ही नहीं अपितु सुदूर स्थानों पर स्थित अपने सम्बन्धियों और सहेलियों से भी वे मोबाइल फोन के द्वारा फैशन के नये–नये गुर सीख रही है।

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी की क्रान्ति ने सर्वाधिक महिलाओं की जीवन शैली को प्रभावित किया है, पारिवारिक सम्बन्धों पारम्परिक मान्यताओं और देश–विदेश में कार्यरत पारिवारिक नातेदारों से सम्बन्ध बनाने में इस प्रौद्योगिकी ने महिलाओं को संबल प्रदान किया है। इतना ही नहीं जो महिलायें पढ़–लिखकर अपना जीवन संवारना चाहती है, उन्हे भी सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न माध्यमों से काफी सहायता प्राप्त हो रही है। आजकल रेडियो दूरदर्शन द्वारा विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों के व्याख्यान प्रायोजित किये जाते हैं जो अत्यधिक सारगर्भित होते हैं तथा सामान्य जीवन के लिये उपयोगी भी होते है। यदि महिलायें नियमित रूप से इन्हें देखती और सुनती है तो उन्हें घर बैठे बहुमूल्य ज्ञान प्राप्त हो सकता है तथा उन्हे स्कूल या कॉलेज जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

सामान्य ज्ञान अर्थात जनरल नॉलेज, आई.क्यू. आदि के दृष्टिकोण से भी सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न माध्यम महिलाओं के लिए अत्यधिक उपयोगी हैं। टेलीवीज़न और रेडियो शिक्षित और सामान्य शिक्षित सभी महिलाओं की ज्ञान पिपासा का समन करने में सक्षम हैं राजनैतिक, धार्मिक, वैज्ञानिक, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, आर्थिक या खेल सम्बन्धी सूचनाओं का श्रोत बन चुका टी0वी0 ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र की महिलाओं का सबसे बढ़ा मित्र बन चुका है।

व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में प्रशासनिक दृष्टि से डाउन साइजिंग अपने कर्मियों की संख्या कम की जा रही है। इसलिए अब अनेक लोग अपने गृह कार्यालयों से ही (स्पेशलाइन्ड सर्विसों) विशेषीकृत सेवाओं का कार्य करना उचित समझते हैं। इसमें सामान्यतः पति–पत्नी मिलकर काम कर रहे हैं। अब कम से कम यह पुरानी कहावत अर्थहीन हो गयी है कि "घर की महिला जब घर पर ही रहे तो घर का काम ही करेगी।" आज इन नवीनतम परिस्थितियों में सूचना प्रौद्योगिकी ने पत्नी को पति का साथ देने के लिए प्रोत्साहित किया है।

रिकेट एवं **साशारों** अध्ययन (2000) में 55,000 अमेरिकी इन्टरनेट प्रयोग करने वालों का सामाजिक अध्ययन किया गया इस अध्ययन का यह तथ्य सामने आया कि विशेष रूप से महिलाएं ही इन्टरनेट का अच्छा व्यवहारिक प्रयोग करती हैं। उनका ध्यान हमेशा उन सुविधाओं पर केन्द्रित होता है जिससे उनके और परिवार का जीवन उन्नत हो सके। इन्टरनेट प्रयोग करने वालों में 25–44 आयु वर्ग की महिलाओं का प्रतिशत सर्वाधिक पाया गया साथ ही साथ सर्वोच्च दस बेबसाइट में घरेलू उद्यमशीलता की

साइट भी सम्मिलित हैं। चूंकि वेव का उपयोग मूलतः आयु के औसत पर ही निर्भर करता है, इसलिए अमेरिका और पूरे यूरोप की वेव यूजर्स महिलाओं की पसंद ट्रेवल रिटेल और फैमली केयर की वेबसाइट है। परन्तु भारत में उच्च आय वर्ग के 24,848 भारतीय यूजर्स के सर्वेक्षण में यह तथ्य प्रकाश में आया कि भारतीय महिलायें सर्वाधिक जॉब से सम्बन्धित वेबसाइट को विजिट करती हैं।

भारतीय सामाजिक व्यवस्था में सामाजिक संरचना के मूल्यांकन में स्त्री एवं पुरूष का लैंगिक आधार एक परम्परागत कारक अवश्य है किन्तु इसका निर्धारण भी प्राचीनकाल में हिन्दू सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत पुरूष प्रधान पितृसत्ता के उत्पादन के सम्बन्धों के आधार पर ही हुआ।

भारतीय सामाजिक संरचना में हिन्दू समाज में पुरूषों का उच्च स्थान प्राप्त करना या स्तरीकरण में उच्च स्थिति ग्रहण करने का मुख्य कारण यह है कि प्रारम्भ से ही उनके पास आर्थिक अधिकार और उत्पादन के संसाधनों का एकाधिकार था। अतः पुरूषों ने अपने आर्थिक साम्राज्य में अपना वर्चस्व बनाये रखने के लिए महिलाओं को घर के अन्दर ही सीमित करके शारीरिक रूप से कमजोर मान लिया। हिन्दू सामाजिक संरचना इतनी जटिल है कि महिला और पुरूष की समस्या को सामाजिक व्यवस्था से अलग नहीं किया जा सकता फिर भी आर्थिक सम्बन्ध ही अधिकांशतः स्त्री और पुरूष की सामाजिक स्थिति का निर्धारण करते हैं।

यह अध्ययन प्रकार्यात्मक प्रारूप द्वारा प्रेरित महिला और पुरूष की सामाजिक स्थिति और भूमिका में प्रचलित उस प्रवृत्ति की वैधता पर प्रश्न

चिन्ह लगाता है जो यह मानती है कि भारत में स्त्री और पुरूष की स्थिति और भूमिका का निर्धारण कर्मकाण्डीय स्थिति के कारण हुआ है।

सभी प्राचीन एवं वर्तमान समाजों में महिला और पुरूष की स्थिति अधिकार और कर्त्तव्यों में अन्तर मिलते हैं। यह दूसरी बात है कि कहीं ये अधिकार और कर्त्तव्य सुनिश्चित हैं और कहीं यह सुनिश्चित नहीं है। कुछ समाजों में यह अधिकार और भूमिका आवृत्त है और पारम्परिक रूप से महिलाए न तो अपनी भूमिका बदल सकती है अैर न ही अधिकार प्राप्त कर सकती हैं। जहाँ स्त्री–पुरूष की स्तर गतिशीलता सम्भव नहीं है वे समाज पारम्परिक रूप से मलिाओं को पुरूष की गुलाम, भोग्य और इसी प्रकार के अत्याचार पूर्ण सम्बोधनों से सम्बद्ध है।

भारत जैसे कृषि प्रधान देश में भूमि का अत्याधिक महत्व है और भूमि पर जनसंख्या के दबाव तथा निजी स्वामित्व की परिस्थितियों के फलस्वरूप भूमि का न केवल आर्थिक दृष्टि से वरन् सामाजिक एवं प्रतिष्ठा की दृष्टि से भी महत्व है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी प्रतिष्ठा एवं सम्मान का निर्धारण भूमि का स्वामित्व महिलाओं को प्राप्त नहीं है अतः उनके आर्थिक अधिकार भी घरेलू उपभोग की वस्तुओं तक सीमित है। अभिजात्य एवं निम्नवर्गीय दोनों श्रेणियों के पुरूष इस प्रयास में रहे कि महिलाओं को समानता का अधिकार प्राप्त न हो। अभिजात्य वर्ग के पुरूषों ने रेडियो टेलीवीज़न आदि मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराके महिलाओं को घर की चाहरदीवारी में कैद कर दिया, बेटियों को उच्च्व शिक्षा तो प्रदान की परन्तु आर्थिक स्वतन्त्रता प्रदान नहीं की। दूसरी ओर निम्नवर्ग के पुरूषों के सामने मंहगाई और बेरोजगारी ने परिवार के पालन पोषण अैर जीवन यापन के लिए घर की महिलाओं को

आर्थिक उत्पादन की प्रक्रिया से मजबूरन जोड़ दिया। महिलायें अकुशल श्रमिक के रूप में कार्य करने लगी, आर्थिक चेतना ने अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा की उधर संचार और सूचना संसाधनों ने अभिजात्य परिवार की महिलाओं के अन्दर समानता और स्वतन्त्रता के अधिकारों को जागृत किया। आज सूचना प्रौद्योगिकी ने महिलाओं की भूमिका का राजनैतिक एवं आर्थिक महत्व इतना अधिक बढ़ चुका है कि हर स्तर पर वह अपना आरक्षण मांग रही है।

उपर्युक्त मान्यतायें सूचना प्रौद्योगिकी सैद्धान्तिक प्रकृति के आधार पर महिलाओं की भूमिका के निम्नांकित प्रश्नों की परीक्षा करने की ओर अग्रसर करती हैः–

1. क्या सूचना प्रौद्योगिकी ने महिलाओं की पारिवारिक भूमिका को प्रभावित किया है?

2. क्या महिलाओं के लिए उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा का वास्तविक आधार पुरूषों से समानता और स्वतन्त्रता है? या राजनैतिक सत्ता एवं आर्थिक शक्ति।

3. महिला सशक्तीकरण में सूचना प्रौद्योगिकी कितनी सहायक है?

4. समाज में विभिन्न वर्गो की महिलाओं की स्थिति व्यवस्था के निर्धारण में कौन–कौन से तत्व निर्णायक भूमिका अदा करते हैं और किस क्षेत्र में वह निर्णायक तत्व अधिक प्रभावशाली है।

5. क्या भारतीय सामाजिक संरचना में पितृसत्तात्मक व्यवस्था आज भी विद्यमान है या सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभाव से वह टूट रही है? (शिथिल पड़ रही है)

6. क्या महिला सशक्तीकरण का आधार महिलाओं का उत्पादन प्रक्रिया में सक्रीय भूमिका का निर्वाहन है?

7. क्या वैज्ञानिक शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण ने महिलाओं की भूमिका में परिवर्तन किया है?

इन प्रश्नों का उत्तर खोजने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के एक नवनिर्मित जनपद औरैया (Auraiya) जो इटावा जनपद से 2002 में अलग किया गया, को चुना है। यह जनपद औद्योगिक दृष्टि से पूर्ण सम्पन्न और शैक्षिक दृष्टि से उन्नत है। भारत सरकार के दो विशिष्ट प्रतिष्ठान, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन और आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन यहाँ अपने–अपने क्षेत्र के उत्पादन में सफलतापूर्वक लगे हैं और इनका प्रभाव यहाँ की आर्थिक और सामाजिक संरचना के ऊपर स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है।

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य भारतीय सामाजिक संरचना में स्त्री और पुरूष के सामाजिक प्रतिष्ठाक्रम के मुख्य आधारों की खोज करना ही नहीं अपितु आधुनिक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में यह भी है कि सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान और आधुनिक आयाम महिलाओं की प्रतिष्ठा और भूमिका के निर्धारण में किस प्रकार का परिवर्तन ला रहे हैं। किसी महिला की सामाजिक प्रतिष्ठा पुरूषों की तुलना में किस प्रकार परिवर्तित और बेहतर हो सकती है तथा विभिन्न समुदायों के पुरूषों और महिलाओं के मध्य पारिवारिक, सामाजिक,

आर्थिक और राजनैतिक सम्बन्धों और उनकी भूमिका का परिवर्तित स्वरूप क्या है?

डा0 मनमोहन बाला (2001), आशिमा गोयल (2002), कमलेश मुखर्जी (2002), डा0 अरविद मिश्र (2004), दिनेश मणि (2004), डा0 सी0एल0 शर्मा (2005), संजय वर्मा (2001), बी0बी0 गिरी (2005), सुभाषनी अली आदि कुछ विद्वानों के अनुसार भारत में स्त्री और पुरूष की भूमिकाओं का स्वरूप बदल रहा है। महिलाओं ने घर की लक्ष्मण रेखा को लांघना प्रारम्भ कर दिया है और रोजगार में अपनी हिस्सेदारी बनाने लगी है। विषम परिस्थितियों में भी अब भारत की महिलायें आई.टी. के जरिए सशक्त बन चुकी हैं। महिलायें यह विचार करने लगी है कि घर के बाहर और भी हैं राहें। बदलते समय की मांग है कि ग्रामीण महिलायें घूंघट की ओट से बाहर निकलें क्योंकि अभी भी महिलाओं की स्थिति में बदलाव की बड़ी जरूरत है उन्हें हर स्तर पर सशक्त किया जाना चाहिए। महिला सशक्तीकरण आज समय की मांग है, और इस दिशा में सूचना प्रौद्योगिकी बहुत सहयक सिद्ध हो सकती है।

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में संचार माध्यमों के अधिक से अधिक योगदान के फलस्वरूप ही सन् 2020 तक विकसित राष्ट्र बनने का हमारा सपना साकार हो सकता है। ग्रामीण विकास की प्रक्रिया प्रथम दृष्ट्या जितनी सरल प्रतीत होती है वस्तुतः उतनी ही वह कठिन भी है। समग्र और सार्थक ग्रामीण विकास के लिए महिलाओं का साक्षर और तत्पश्चात् वैज्ञानिक रूप से साक्षर होना (जिसमें कम्प्यूटर शिक्षा भी शामिल है) अति आवश्यक है। इसके लिए देश, काल व परिस्थिति तीनों के प्रति उनके सम्पूर्ण आयामों में एक साथ ध्यान रखते हुए प्रयासरत रहना आवश्यक है।

ऐसा तभी सम्भव हो पायेगा जब सूचना की उपलब्धता से लेकर जागरूकता प्रसार और अनुभवों के आदान प्रदान तक को सम्भव बनाने वाले संसाधन प्रचुरता में उपलब्ध हों।

पिछले दशकों में विकसित देशों में महिला रोजगार में वृद्धि के फलस्वरूप विकास को नई गति मिली है। फैशन एवं सौन्दर्य प्रसाधन उद्योग में वृद्धि दर तीव्रतम रही है। वैश्विक जी0डी0पी0 में महिलाओं का सामूहिक योगदान तेजी से बढ़ रहा है। यह तब है जब महिलाओं का पुरूषों की अपेक्षा एक ही कार्य के कम पैसे मिलते हैं और वे कम संख्या में उच्च पदों पर पहुँचती हैं। सामाजिक दृष्टि से महिलायें शोषित मानी जाती हैं, परन्तु एक अर्थशास्त्रीय दृष्टि से वह वर्ग के रूप में एक ऐसी सांधन है जिनका उपयोग क्षमता से कम किया गया है। इसलिए यह माना जा रहा है कि अधिकाधिक महिलाओं के शिक्षित–प्रशिक्षित, आई.टी. क्षेत्र में आगे बढ़ने तथा रोजगार में लगने से आबादी (जनसंख्या) निर्धनता (गरीबी) और बेरोजगारी की समस्याओं को हल करने में मदद मिलेगी। विकसित देशां में जनसंख्या की वृद्धि दर एवं कुल विकासदर में महिलाओं की भूमिका के विश्लेषण से कई महत्वपूर्ण (चौकाने वाले) तथ्य सामने आ रहे हैं। पहला तो यह कि यदि अधिकाधिक महिलाएं कामगार (घर के बाहर) बनती हैं तो जी0डी0पी0 में वृद्धि होती है। जापान एवं इटली जहाँ पर अधिक महिलाएं घर पर ही रहती हैं वहाँ जी0डी0पी0 की विकास दर अपेक्षाकृत कम है। जापान एवं इटली में जन्मदर लगभग नकरात्मक हो गयी है। जबकि विकसित देशों में से अमेरिका एवं स्वीडन में यह दर सर्वाधिक है। इससे यह पता चलता है कि बेरोजगार होने के बाद भी स्त्रियां माँ बनने से परहेज नहीं करती। परहेज के पीछे सामाजिक कारण भी हो सकते हैं। तीसरा तथ्य यह है कि 2003 में

कामकाजी महिलायें बच्चों की देख–भाल पर उतना ही समय व्यतीत करती हैं जितना कि वह 1965 में करती थीं। विचारणीय तथ्य यह है कि जापान, जर्मनी एवं इटली की अर्थव्यवस्थाएं अमेरिका एवं स्वीडन के मुकाबले अधिक संकटग्रस्त है।

यदि विकासशील देशों में महिलाओं की शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी के प्रशिक्षण एवं स्वास्थ्य पर अधिक व्यय किया जाए तो दीर्घकालिक सामाजिक एवं आर्थिक लाभ होंगे। यदि महिलाओं को सुरक्षित रोजगार मिलता है तो व्यक्तिगत व्यय परिवार पर अधिक किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारों में निर्वाचित पदों पर अधिक महिलाओं के होने से शिक्षा स्वास्थ्य एवं गरीबी उन्मूलन पर अधिक व्यय किया जाता है, न कि युद्ध के संसाधन तैयार करने में। 1950 में अमेरिका में महिला श्रमिक मात्र एक तिहाई थे, जबकि आज वे लगभग 50 प्रतिशत है। जबकि इस अवधि में पुरूषों के रोजगार में 12 प्रतिशत की गिरावट आई है। कामकाजी महिलाओं की संख्या में वृद्धि होने से रोजगार परिदृश्य में जो अत्यधिक परिवर्तन आया है वह यह कि निर्माण उद्योग में रोजगार घटे हैं और सेवाओं में रोजगार की वृद्धि हुई है। सूचना प्रौद्योगिकी और मानवीय श्रम के मशीनीकरण के परिणामस्वरूप शारीरिक श्रम की मांग में कटौती से पुरूषों के ही परम्परागत रूप से 'ब्रेड–अर्नर' होने की अवधारणा बदली है। इसी प्रकार विकासशील देशों में भी अधिकाधिक महिलाएं रोजगार में आ रही है। सूचना प्रौद्योगिकी में सक्रीयता का प्रतिफल यह है कि पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में प्रति 100 पुरूषों में 83 महिलाएं हैं। यह विकसित देशों के औसत से अधिक है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन देशों एवं अन्य एशियाई देशों के निर्यातोन्मुखी उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी 60–80 प्रतिशत है। एक

अन्य पहलू यह है कि घरेलू कामकाज के लिए विभिन्न उपकरणों की उपलब्धता ने स्त्रियों के काम को सुविधायुक्त बना दिया है। महिलाओं के अधिक कामकाजी होने से उन महिलाओं को भी रोजगार मिला है जो सहायक या आया का काम कर सकती हैं।

किसी भी देश की जी0डी0पी0 के तीन प्रमुख स्रोत होते है। प्रथम अधिकाधिक लोगों के पास रोजगार हो। द्वितीय प्रति कामगार अधिक पूँजी का निवेश किया जाए और तृतीय नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर पूँजी एवं श्रम की उत्पादकता को बढ़ाया जाए। नई प्रौद्योगिकी विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटर, इन्टरनेट आदि महिलाओं की मददगार साबित हो रही है और महिलाएं उसके माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि का स्रोत बन रही है। इसका अन्दाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वैश्विक विकास में चीन के योगदान से कहीं अधिक योगदान विकसित देशों की महिलाओं का है। सामान्यतः गृहस्थी की वस्तुओं का क्रय महिलायें करती हैं परन्तु अब एक उपभोक्ता के रूप में स्वास्थ्य रक्षा से लेकर फर्नीचर तक की खरीद में उनकी हिस्सेदारी 80 प्रतिशत तक है। महिलाओं की कार्य क्षमता एवं कार्य कुशलता का अधिकाधिक प्रयोग सिर्फ न्याय एवं समानता का विषय नहीं है बल्कि यह शुद्ध रूप से व्यापारिक विषय भी है। विश्व व्यापार संगठन के एक अध्ययन से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि लैंगिक समानता तथा प्रति व्यक्ति जी0डी0पी0 के मध्य घनिष्ठ सम्बन्ध है।

पुरूष एकाधिकार वाले अधिकांश क्षेत्रों में भारतीय महिलाएं निर्णायक भूमिका में पहुँच रही हैं। लड़की के जन्म को आज भी अभिशाप मानने वाला पितृसत्तात्मक भारतीय समाज तब भी चौंका जब दार्जिलिंग की 25 वर्षीय

महिला ताराक्षेत्री ने टैक्सी ड्राइवर के रूप में अपने व्यवसाय का चयन किया था। कार से लेकर अन्तरिक्ष यान तक को संचालित करने का अधिकार अभी तक पुरूषों के पास सुरक्षित था किन्तु अब प्रत्येक वाहन को अपने काबू में करके महिलाओं ने पुरूषों के एकाधिकार को कड़ी चुनौती दी है।

अबला अब सबला बन कर जोखिम और खतरों से खेलने वाले व्यवसायों में धीरे-धीरे ही सही लेकिन पुरूषों के पुरूषार्थ पर आज की महिलाएं भारी पड़ रही हैं। यह बदलते समय के साथ-साथ चलने की महिलाओं की सहज इच्छा का परिणाम है कि वे, वह सब कुछ बहुत अच्छी तरह कर रही हैं जो कल तक उनके लिए वर्जित था। सूचना प्रौद्योगिकी, संचार साधन और समाचार के इलेक्ट्रानिकमाध्यमों ने घर के अन्दर बैठी महिलाओं को भी प्रोत्साहित किया है। अग्निशमन सेवा, सेना, वायु सेना, पुलिस जैसे विशुद्ध पुरूषों के काम में भी महिलाओं की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। कल्पना चावला अन्तरिक्ष में उड़ने के अपने सपने को साकार करने के लिए 'नासा' जा पहुँची तो खतरों से खेलने के अपने उत्साह के कारण पद्‌वावती देश की प्रथम एयर मार्शल बन गयी है। देश की आधी आबादी में आये इस बदलाव से विकास की गति तेज हो रही है। खेत में हल जोतने से लेकर चांद सितारों का तिलस्म तोड़ने तक, सड़क किनारे बैठकर पत्थर तोड़ने से लेकर रोजगार के नये क्षेत्रों की तलाश तक, आंगन में बैठकर चूल्हे चौके के झंझटों से लेकर वैश्विक कूटनीति की गुत्थियाँ सुलझाने तक महिलाएं आज हर क्षेत्र में हैं।

शिक्षा और प्रौद्योगिकी ने अब घर की रानी को हुक्मरानी बना दिया है। अंग्रेजी शासनकाल से भारतीय नौकरशाही की पहचान जनता से कटी

हुई, धौंस–धमकी के सहारे वाली शक्ति की बनी हुई थी। जब इस क्षेत्र में महिलाओं का प्रवेश प्रारम्भ हुआ तो कुछ लोगों ने इसे उनके पौरूष सेमीकरण की दिशा में एक कदम माना। लेकिन आज जब महिलाओं की एक पूरी पीढ़ी नौकरशाही के शीर्ष पदों पर पहुँच गई है तब यह प्रमाणित हो रहा है कि नौकरशाही ने जितना महिलाओं को बदला है उससे कहीं अधिक महिलाओं ने नौकरशाही के रूप और प्रारूप को बदल दिया है। प्रशासन से जुड़ी श्रीमती शशि त्रिपाठी (1970 के बैच की विदेश सेवा अधिकारी), कंचन चौधरी भट्टाचार्य (आई.पी.एस. 2004 में उत्तरांचल की पुलिस महानिदेशक), डा0 पुनीता अरोड़ा (सेना में लेफ्टिनेन्ट जनरल), मीरा बोखणकर (पुलिस अपराध शाखा में आयुक्त), शोभना नारायण (प्रशासनिक अधिकारी एवं कथक नृत्यांगना), नीना रंजन (गृह मंत्रालय में सचिव), विजय लक्ष्मी विश्वनाथन (भारतीय रेलवे की वित्त आयुक्त), आदि कुछ प्रमुख महिला व्यक्तित्वों ने नौकरशाही के कामांतरण का स्वरूप स्पष्ट कर दिया है।

वे दिन समाप्त हो गये जब महानगरीय उच्च स्तर के कार्यक्रमों में स्त्रियों की उपस्थिति किसी की पत्नी, माँ, बहू, बहन या बेटी के रूप में हुआ करती थी। अपनी भूमिका और व्यक्तित्व से अपनी अलग पहचान बनाने वाली कितनी ही महिलाएं आज वह रूतबा प्राप्त कर चुकी हैं कि उनकी मौजूदगी किसी भी आयोजन को सफल बना देती है और उनके न होने का अधूरापन आयोजकों और उपस्थित लोगों को खलता है। ऐसी महिलाओं ने अपनी भूमिका और कला से तो अपनी अलग पहचान बनाई ही है, इन महिलाओं ने अनेक सामाजिक और मानवीय कार्यो में अग्रणी रहकर भी अपनी विशेष उपस्थिति समाज में दर्ज की है। अपने कार्य और

सामाजिक जिम्मेदारी के बीच इन्होंने सुन्दर सामंजस्य बना रखा है और विज्ञान, तकनकी शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी ने उन्हें उनकी भूमिका में सहयोग दिया है।

भारतीय समाज में स्त्री एक मौन उपस्थिति थी। लेकिन आज सूचना प्रौद्योगिकी की अहम भूमिका ने भारतीय संस्कृति की दुनिया में स्त्री को एक बेहद प्रखर उपस्थिति बना दिया है। आज परम्पराओं की जकड़न और पश्चिमीकरण की आंधी के बीच यदि संस्कृति के क्षेत्र में कुछ भी मौलिक हो रहा है तो उसका मौलिक श्रेय महिलाओं को जाता है। देश भर में फैली विविध कला संस्कृति की परम्पराओं को गहराई से परखने और उस पर आलोचनात्मक विमर्श करने में कपिला वात्स्यायन, महाश्वेता देवी, कुर्रतुल ऐन हैदर, अरूंधति राय, कृष्णा सोबती आदि महिलाओं की भूमिका एक समाजशास्त्री की भूमिका है, जिन्होंने अनुसूचित जातियों (आदिवासियों), दलितो, महिलाओं आदि के ज्वलन्त प्रश्नों का हल खोजने के लिए साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से आन्दोलनों को निष्कर्ष तक पहुँचाया।

साहित्य से रंगमंच तक, चित्रकला से लेकर संगीत और नृत्य तक भारतीय स्त्री की रचनात्मक उपस्थिति केवल इन कलाओं में एक और आयाम नहीं जोड़ती वरन् सूचना प्रौद्योगिकी में हमनी भूमिका की उपस्थिति दर्ज कराके बारंबार वह कलाओं का ढांचा बदल रही हैं और तकनकी बदलाव की आंधी में सूखे पत्ते की तरह उड़े जा रहे भारतीय समाज को फिर से धरती पर लाकर उसे जीवन रस से सींचा है।

जिस समाज में स्त्री को सम्पत्ति मानकर दांव पर लगाया जा चुका हो, जहाँ स्त्री की व्यक्तिगत सम्पत्ति आज भी गोलमाल सी अवधारणा हो,

वहाँ स्त्रियों का हजारों करोड़ रुपये की स्वःअर्जित सम्पत्ति की स्वामिनी होना बहुत बड़ी बात है। भारत की दस सबसे धनाढ्य महिलाओं की सूची में केवल एक दो अपवादों को छोड़कर शेष सभी ने अपनी कौड़ी–कौड़ी सम्पदा अपनी बुद्धि, कौशल और परिश्रम से जोड़ी है, अपनी लगन से सूचना प्रौद्योगिकी के हर आयाम को इन्टरनेट, ई–मेल, लैपटाप आदि की उपयोगिता को जॉचा परखा और उपभोग कर के अपने वैभव का विस्तार करने में लगी हैं। दुनिया की सर्वाधिक प्रभावशाली कारोबारी महिला इन्दिरा नूई अपनी कम्पनी पेप्सिको को नई ऊचाईयों तक पहुँचाकर अमेरिका कीराजनीति में प्रवेश करने का मन बना चुकी हैं। पूरी दुनिया को अपना मानकर चलने वाली इन्दिरा नूई समाज सेवा में आगे बढ़ने की इच्छा रखती हैं। सदियों से समाज पुरूष प्रधान रहा है, आज भी अधिकांश समाजों और परिवारों में बेटी के स्थान पर बेटे को वरीयता दी जाती है। धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के आधार पर भी पुत्र को ही पारिवारिक सम्पत्ति का उत्तराधिकारी माना जाता है। प्रकार्यात्मक रूप से एक पुत्र ही अपने पूर्वजों का अन्तिम संस्कार कर सकता है। यहीं नहीं उसे ही अपने वृद्ध अभिभावकों का एक मात्र सहारा समझा जाता है। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। आज पुरूष की भाँति महिला भी न केवल शिक्षित है, अपितु सफल भी है। अधिकांश क्षेत्रों में समाज के प्रत्येक वर्ग की महिलायें न केवल अच्छा काम कर रही हैं बल्कि वह एक पुरूष की भाँति अपने अभिभावकों की देखभाल भी कर रही हैं। यही कारण है कि अनेक महिलाओं ने अपने पारिवारिक व्यवसाय को पूर्णतः सम्भाल लिया है और इसके साथ ही वह परिवार की देखभाल भी कर रहीं है। आधुनिक संसाधनों और सूचना प्रौद्योगिकी ने उनकी भूमिका को सहज और सरल बना दिया है। सूचना

प्रौद्योगिकी के माध्यम से महिलाओं की भूमिका में आने वाले अभिनव परिवर्तनों और संवैधानिक मजबूती को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि अब भारतीय महिलाओं को "इण्डिया शाइनिंग वूमैन" के रूप में देखना होगा। भारत की चमक बढ़ाती ये महिलाएं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरूषों को कड़ी टक्कर दे रही हैं। निर्विवाद रूप से यह तथ्य स्पष्ट है कि 80 के दशक के बाद महिलाओं की भूमिका को सूचना प्रौद्योगिकी ने एक नया आयाम दिया है।

मानवशास्त्रीय दृष्टि से यदि महिलाओं और पुरूषों की भूमिका का वैज्ञानिक विश्लेषण करें तो जैकब्स तथा स्टर्न यह मानते है कि मनुष्य जाति के जन्म से लेकर वर्तमान काल तक मनुष्य के शारीरिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास एवं व्यवहारों के आधार पर महिलाओं और पुरूषों की भूमिकाओं को तुलनात्मक रूप से विभाजित कर उनका वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सकता है।

विश्व की विभिन्न संस्कृतियों और समाजों के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी न किसी रूप में महिलाओं और पुरूषों की स्थिति एवं भूमिका में महत्वपूर्ण अन्तर है। प्राणिशास्त्रीय आधारों पर इस प्रकार के अन्तर को समझा जा सकता है। आदिम समाजा में इस अन्तर का आधार सांस्कृतिक भी माना गया। प्राणिशास्त्रीय आधारों पर स्त्री और पुरूष की भूमिका और स्थिति का विभाजन तो प्राकृतिक और वैज्ञानिक मान सकते हैं, किन्तु सांस्कृतिक विभाजन न तो वैज्ञानिक है और न ही औचित्यपूर्ण।

इलियट एवं मैरिल, मार्शल ई.जोन्स, हर्ष कॉ विट्स ह्याइटमैन पाउडर मेकर, एल. सिम्मन्स आदि के मानवशास्त्रीय अध्ययनों के द्वारा हम इस

निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि प्राणिशास्त्रीय दृष्टिकोण से कुछ कार्यो के लिए पुरूष अधिक उपयुक्त हो सकते हैं और कुछ कार्यो के लिए महिलाएं। यद्यपि इस विभाजन के सांस्कृतिक आधारों पर अनेक रूपान्तरण हो सकते हैं। प्राणिशास्त्रीय सीमाओं के अन्दर संस्कृति स्त्री–पुरूष की भूमिका को बहुत कुछ बदल या पलट देती है। किन्तु हमारी मान्यता यह है कि कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें कुछ प्राणिशास्त्रीय विशिष्टता के कारण केवल स्त्री या पुरूष ही कर सकते हैं और संस्कृति, धर्म या अन्य कोई परम्परावादी मान्यतायें लाख प्रयत्न करने पर भी बदल नहीं सकती।

प्रत्येक समाज में स्त्रियों और पुरूषों की स्थिति उनसे सम्बन्धित आदर्शो और कार्यो के अनुसार निश्चित होती है। ये आदर्श, मूल्य और कार्य प्रत्येक समाज में समान नहीं हुआ करते। अतः प्रत्येक समाज में महिलाओं की स्थिति एक समान नहीं है। वस्तुतः स्त्रियों की स्थिति तब तक पूर्णतः परिभाषित नहीं की जा सकती जब तक उस समाज के सम्पूर्ण सांस्कृतिक प्रतिमानों का ज्ञान न हो। क्योंकि समाज के सदस्यों की स्थिति भी उन प्रतिमानों का एक आवश्यक अंग हुआ करता है।

- ❖ समाज में स्त्रियों के प्रति मनोभाव क्या है?
- ❖ महिलाओं को उस समाज में किस प्रकार के कार्य करने होते हैं?
- ❖ सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों में महिलाओं का कितना और किस रूप में योगदान हैं?
- ❖ महिलाओं के साथ पुरूषों का व्यवहार कैसा है?

आदि प्रश्नों को ध्यान में रखकर महिलाओं की स्थिति और उनकी भूमिका का विवेचन किया जा सकता है। स्पष्टतः महिलाओं की स्थिति एवं भूमिका का निर्धारण समाज विशेष की आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही किया जाना चाहिये। किस समाज में महिलाओं की स्थिति ऊँची है, किस समाज में नीची या किस समाज में पुरूषों के समान इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निष्कर्ष अभी तक नहीं सम्भव। बहुधा यह सोचा जाता है कि आदिम/ग्रामीण समाजों में स्त्रियों को उचित सम्मान और उनकी सम्मानजनक भूमिका का अभाव है, यह धारणा गलत है। इसी प्रकार यह धारणा भी गलत है कि नगरीय या शहरी क्षेत्रों में सभी महिलाओं की स्थिति और भूमिका ऊँची है। संवैधानिक रूप से स्त्री और पुरूष दोनों को ही समान अधिकार प्राप्त हैं और वे एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी–अपनी भूमिकाओं का निर्वाहन कन्धे से कन्धा मिलाकर कर सकते हैं। इसी प्रकार अनेक सम्भावनाएं हो सकती हैं परन्तु यह निर्भर हैं महिलाओं की शिक्षा, प्रशिक्षण, सांस्कृतिक प्रतिमानो और सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा आने वाले सामाजिक मूल्यों, आदर्शों और भावनाओं में परिवर्तन से।

मूलतः सामाजिक पुनर्निमाण में महिलाओं की भूमिका और आधुनिक महिलाओं के निर्माण में समाज की भूमिका दोनों ही विषय एक दूसरे के परिपूरक हैं। जब हम समाज के पुनर्निमाण में महिलाओं की भूमिका की बात करते हैं तो सबसे पहली बात मस्तिष्क में टकराती है वह यह कि ब्रह्म सत्य क्या है? हमारे देश में लिखित रूप में तो संविधान को माना गया है लेकिन जैसे–जैसे वास्तविकता सामने आती हैं संविधान और उसके व्यवहारिक स्वरूप में खाई कम होती रहती है। मूलतः ऐसा लगता है कि भारत जितना प्रोग्रेसिव और उदारवादी संविधान दुनिया में कहीं नहीं है और उसमें

महिलाओं, दलितो व सभी पिछड़े हुए वर्गो को सम्पूर्ण अधिकार दिये गये हैं। ऐसे कानून हैं जो महिलाओं की सुरक्षा उनकी आर्थिक और सामाजिक प्रगति का पूरा का पूरा उत्तरदायित्व राज्य के कन्धों पर देता है किन्तु सामाजिक व्यवहार में राज्य और उसकी विभिन्न एजेन्सियां महिलाओं की भूमिका के प्रति परम्परागत रूप से मौन रहती है। जितनी उदारता से हमारे राजनेता, प्रधानमंत्री, नारी मुक्ति की या दलित मुक्ति की बात करते हैं वह उदारता प्रान्तीय स्तर तक आकर थोड़ी कम होती हैं, नगर प्रशासन तक आकर और कम होती है ओर गांव तक आते–आते सत्य और मिथ्या की खाई बिल्कुल पट जाती है।

सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाएँ अपनी दक्षता एवं रचनात्मकता का परिचय दे रही हैं। फैशन डिजाइनिंग, इन्टीरियर डेकोरेटर, आर्किटेक्चर, एनीमेशन और ग्राफिक डिजाइनिंग में फ्री लांसार के तौर पर महिलाएं अब घर बैठे कार्य कर रही है। क्योंकि टेलीवीज़न, इन्टरनेट, बी.डी.ओ. कॉन्फ्रेसिंग और आधुनिकतम संचार संसाधनों ने उनके लिए सभी आवश्यक सुविधायें और 'बाजार' घर पर ही उलपब्ध करा दिया है। विशेष रूप से ग्राफिक डिजाइनर्स के रूप में महिलाओं को कैरियर के अनेक अवसर उपलब्ध करा दिये हैं। विज्ञापन एजेंसियों, राष्ट्रीय समाचार पत्रों, जन सम्पर्क विभाग तथा फिल्म और टेलीवीज़न के क्षेत्र में ग्राफिक डिजाइनर्स की बहुत आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त साउण्ड एडीटर, इमेज एडीटर, मल्टी मीडिया प्रोग्रामर, कन्टेन्ट डेवलपर आदि के रूप में महिलाएं अच्छा धनोपार्जन कर सकती है। इससे फिल्म एनीमेशन के क्षेत्र में भी उनकी अच्छी सम्भावनाएं उत्पन्न होती है।

अध्ययन के उद्देश्य (Aims of Study)

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य उन क्षेत्रों और सम्भावनाओं की खोज करना है जो महिलाओं को आधुनिक परिप्रेक्ष में आर्थिक रूप से स्वावलम्बी और सशक्त बना सकती है। इतना ही नहीं आज की शिक्षित और स्वावलम्बी महिलाएं सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से नगरीय और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में रहने वाली, अपनी पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वाहन करके भी आर्थिक रूप से ताकतवर बनकर पुरूषों के साम्राज्य में सेंध लगा सकती है। अब परम्परागत रूप से बी.एड. या बी.टी.सी. करके केवल शिक्षिका या शिक्षा मित्र के आवरण से महिलाओं को निकलना अपरिहार्य हो गया है और सूचना प्रौद्योगिकी ने महिलाओं की भूमिका को अत्यन्त व्यापक बना दिया है।

हमारे अध्ययन का उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बद्ध निम्नांकित क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका को तलाश करना हैं–

1. कम्प्यूटर इन ऑफिस मैनेजमेन्ट जैसे पाठ्यक्रम पूर्ण कर कार्यालय प्रबन्धन के क्षेत्र में महिलाएं अपना अच्छा कैरियर बना सकती है। प्रबन्धकीय कार्य के अतिरिक्त कम्प्यूटर परामर्श (कन्सलटेन्सी) तथा कम्प्यूटर काउन्सिलिंग का कार्य भी महिलाएं बखूबी कर सकती हैं। इन कार्यो में मैरिज काउन्सिलिंग महिलाओ को परिवार नियोजन की जानकारी उपलब्ध कराना, उन्हें शिक्षित करना तथा महिलाओं से सम्बन्धित समस्याओं का निदान ढूढ़ने में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है।

2. हार्डवेयर में भी आज–कल व्यापक सम्भावनाएं हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में विशेषज्ञों की कमी है, अतः कम्प्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर के रूप में महिलाएं अपना कौशल दिखा सकती है।

3. पुस्तकालय विज्ञान में भी महिलाएं पुरूषों की अपेक्षा अधिक दक्षता दिखा सकती हैं। इस क्षेत्र में उनके स्वर्णिम भविष्य की अपार सम्भावनाएं हैं। पुस्तकालय से सम्बन्धित प्रबन्धन साफ्टवेयर जैसे– सी.डी.एस. / आई.एस.आई.एस. का प्रशिक्षण प्राप्त कर महिलाओं को रोजगार के अनेक अवसर प्राप्त हो सकते हैं। प्रकाशकों एवं लेखकों के लिए उपयोगी बुक इंडेक्सिंग के काम में भी अनेक अवसर महिलाओं के लिए उपलब्ध है। कम्पनियों के निजी प्रचार के लिए 'ब्रोशर्स' कम्प्यूटर के माध्यम से बनाकर भी महिलाएं अपने लिए रोजगार के अच्छे अवसर प्राप्त कर सकती है।

4. सूचना प्रौद्योगिकी में एक और क्षेत्र डेस्कटॉप पब्लिशिंग का है। कई सर्विस सेन्टर होने के बाद भी इस क्षेत्र में काम की लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। इस क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका की असीमित सम्भावनायें हैं जहाँ वे पुरूषों से आगे निकल सकती हैं।

5. कम्प्यूटर एकाउन्टिंग में महिलायें अपनी सही भूमिका तलाश रही हैं। इसके लिए एकाउन्ट्स और कम्प्यूटर की बुनियादी जानकारी आवश्यक है। ऐसी महिलाएं रेडीमेड पैकेज, देशी और विदेशी साफ्टवेयर उपलब्ध कराकर एकाउन्ट्स बनाने के कार्य में आसानी से भूमिका का निर्वाह कर सकती है।

6. अन्य क्षेत्रों की तरह चिकित्सा विज्ञान भी सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ चुका है। आई.टी. तथा चिकित्सा विज्ञान के तालमेल में ही मेडिकल ट्रान्सक्रिप्शन कैरियर के अच्छे विकल्प के रूप में उभरकर सामने आया है।

7. प्रशिक्षण के लिए सही संस्थान का चयन कर महिलाएं जर्नलिज्म, रिपोर्टर, समाचार वाचक, फोटो रिपोर्टर, आदि पदों की भूमिका प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में बखूबी कर रही है।

सूचना प्रौद्योगिकी पहुँच केवल नगरीय क्षेत्र में नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी है। ग्रामीण महिलाओं के महत्वपूर्ण योगदान के फलस्वरूप ही इन्टरनेट के माध्यम से ग्रामीण उद्योगों, कुटरी उद्योगों को विकसित करने में सफलता मिल सकी है। अनेक पारम्परिक हस्तशिल्प कलाओं, लोक कलाओं को संरक्षण देने तथा लुप्त होने के बचाने में इसने सार्थक हस्तक्षेप किया। हस्तशिल्प विकास की सरकारी योजनाओं की जानकारी, कुटीर उद्योगों के लिए लोन की व्यवस्था कैसे हो, उनका विपणन कैसे हो, आदि अनेक विषयों पर नियमित सूचनायें दी जाती है। ग्रामीण भारत और कृषि या ग्रामीण अर्थव्यवस्था के दूसरे क्षेत्रों में लोगों की आवश्यकताओं को किसी एक चैनल के द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता यह बात नीति निर्धारकों और सूचना प्रसारण से जुड़े लोगों को सोंचनी होगी।

जब हम ग्रामीण महिलाओं और सूचना प्रौद्योगिकी पर विचार करते हैं, तो सम्प्रेषण और संचार के लिए प्रौद्योगिकी की मौजूदगी के अलावा साक्षरता की महत्ता को नजरंदाज करना भी उचित नहीं है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जनता के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और इस प्रौद्योगिकी में

भारतीय भाषाओं के प्रयोग के अलावा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशासन जैसे क्षेत्रों में भी इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने की योजनाएं बनाई हैं। इनका लाभ विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को अधिक मिलेगा। लेकिन सूचना प्रौद्योगिकी की इस विकास यात्रा के लिए देश की दूर संचार व्यवस्था को काफी कुछ करना होगा। सरकार को उम्मीद थी कि वर्ष 2005 तक देश के सभी गांव टेलीफोन से जुड़ जायेंगे, आज अधिकांश घरों और गांवों में संचार सुविधायें उपलब्ध है शहरी क्षेत्रों में इन्टरनेट की सुविधायें ब्राड–बैण्ड के माध्यम से दूर संचार निगम (B.S.N.L.) उपलब्ध करा चुका है। ग्रामीण जन जीवन का लगभग हर पक्ष और ग्रामीण विकास का हर प्रकल्प आने वाले दिनों में इन्टरनेट से न केवल गति पाएगा बल्कि शेष दुनिया के अभवों से लाभान्वित भी हो सकेगा। कृषि सम्बन्धी सूचनाओं से लेकर, जन स्वास्थ्य, स्वच्छता, साक्षरता, फसलों का उचित मूल्य, उत्पादन, विपणन, बाल विकास, महिला विकास, महिला सशक्तीकरण, महिलाओं की बदलती भूमिका, पर्यावरण संरक्षण आदि तमाम परिप्रेक्ष्यों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के द्वारा आशातीत सफलता प्रापत किये जाने की सम्भावना है।

इस प्रकार सूचना प्रौद्योगिकी के अन्तर्गत व्यावसायिक दृष्टिकोण से उपलब्ध 'ई–कामर्स' ने महिलाओं को उनकी आधुनिक भूमिकाओं के साथ और ऊँचे पायदान पर चढ़ा दिया है। जहाँ वह पुरूषों की तरह व्यापक व्यापार क्षेत्र में पेशेवर अंदाज में अपनी नई भूमिका निभा रही है। इसी सुविधा के अन्तर्गत देश में स्थापित मुम्बई, दिल्ली, कलकत्ता जैसे अन्तर्राष्ट्रीय स्टाक एक्सचेंजों में इलेक्ट्रानिक ट्रेडिंग होने से महिलाओं का

प्रतिशत बहुत तेजी से बढ़ रहा है और वे शेयर के धन्धे में भी पूरी तेजी से आगे आ रही है।

हमारा प्रयास निम्नांकित सैद्धान्तिक दिशा में आँकड़ों का विश्लेषण करना है:–

1. समाज के विभिन्न वर्गो में महिलाओं के सामाजिक स्तर का निर्धारण उनकी आर्थिक सत्ता के अनुसार किया जा सकता है।

2. महिलाओं के सशक्तीकरण की अनिवार्यता शिक्षा प्रौद्योगिकी और विज्ञान के क्षेत्र में उनकी भूमिका से सम्बद्ध है।

3. श्रम के मशीनीकरण और श्रमिकों के स्थानान्तरण के फलस्वरूप महिलाओं के प्रति परम्परागत उनके कमजोर और भीरू होने की मान्यताएं परिवर्तित हो रही है।

4. महिलाओं और पुरूषों के मध्य अंतः क्रियात्मक सम्बन्धों का आधार अब केवल सामाजिक पारिवारिक न रहकर राजनैतिक एवं आर्थिक भूमिका पर आधारित है।

5. कर्मकाण्ड, पवित्रता, अपवित्रता, छुआ–छूत, आदि की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अब महिलाओं को प्रभावित नहीं करती अपितु इसके विपरीत उनकी आर्थिक सुविधायें राजनैतिक शक्ति, प्रौद्योगिकी और विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं का पदार्पण उनके लिए वास्तविक संदर्भ समूह है।

6. उत्पादन के साधनों में प्रत्यक्ष रूप से जुड़ने के कारण और अपनी आर्थिक स्थिति और सामाजिक भूमिका के प्रति सजग रहने के कारण महिलाएं अपनी सामाजिक स्थिति को ऊँचा उठा रही है।

नई सूचना क्रान्ति एक नए युग का सृजन है। 21वीं शताब्दी मीडिया सूचना क्रान्ति में महिलाओं की भूमिका की शताब्दी है। इस नई शताब्दी में मानवीय आवश्यकताओं का आधार वैज्ञानिक एवं तकनीकी से होकर नई मान्यताओं को स्थापित कर रहा है।

अब पूरा विश्व जब एक ग्लोबल गांव का स्वरूप धारण कर चुका है, भारत वर्ष में भी इसका प्रभाव चमकदार रंगों में दिखाई देने लगा है। आज रेडियो, टेलीवीजन, फिल्म, इन्टरनेट तथा मीडिया के नए आसमाँ हमसे रू–ब–रू हो रहे हैं, जिन्होंने प्रत्येक भारतीय विशेषतः महिलाओं की दिनचर्या, रहन–सहन, समूचे रस्मो–रिवाजों को प्रभावित किया है। यहाँ तक की हमारी दैनिक प्रयोग की भाषा भी अब ग्लोबल स्वरूप धारण कर रही है। पाश्चात्य प्रभाव हमारी दैनिक जीवन चर्या में समाहित हो गया है।

विश्व की आबादी का आधा भाग महिलाओं का वह भाग है, जो मानव जीवन की विकास यात्रा को एक नया दिशा बोध तथा एक नए आसमाँ तक ले जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभाव महिलाओं की भूमिका परिवर्तन में प्रत्यक्षतः दिखाई देता है। हमारे शहरों में तो महिला विकास, शिक्षा, रोजगार तथा अन्य संसाधन प्राप्त हो रहे हैं। परन्तु देहातों में हरने वाली महिलाओं तक अभी भी शिक्षा तथा रोजगार की सुविधायें नहीं है। कुपोषण से बचने के प्राथमिक संसाधन भी नहीं पहुँच पा रहे। क्या 21वीं शताब्दी की सूचना प्रौद्योगिकी इन्टरनेट सेवा और विकास प्रौद्योगिकी तकनीक से भारत के गांवों में रहने वाली महिलाएं भी विकास की इस मुख्य धारा में शामिल हो सकेगी जो अपने परिवार की दरगुज़र के लिए अभी कालाहांडी का अभिशाप है।

पिछले एक–दो दशकों में आकश से जो आक्रमण हमारे घरों में हो चुका है (इनसेट–एक, इनसेट–दो) और जिसके चलते हमारे पूरे समाज का चेहरा ही बदल गया है उस शक्तिशाली प्रसारण की आँधी तथा सूचना क्रान्ति के माध्यम से महिलाओं की स्थिति तथा उनकी समस्याओं के निदान को किस तरह से हम एक बेहतर खूबसूरत सहज जिन्दगी के लिए और अच्छा बना सकते हैं। प्रस्तुत अध्ययन में सूचना प्रौद्योगिकी की वर्तमान गति और ऊचाई में महिलाओं की भूमिका तलाशने का प्रयास है।

नब्बे के दशक में प्रारम्भ हुई सूचना प्रौद्योगिकी की क्रान्ति जिसने इस नई शताब्दी को मीडिया की सदी बना दिया है। भारतीय महिलाओं के संदर्भ में इस सूचना प्रौद्योगिकी से वे कितना सीख पायी हैं तथा उनके विकास तथा उनके अन्दर नई जागृति पैदा करने में सूचना प्रौद्योगिकी कितनी सफल हुई है? इन समस्याओं पर गहन और गम्भीर अध्ययन तथा इसी प्रकार के अनेक प्रश्नों का अध्ययन प्रस्तुत शोध का उद्देश्य है। सूचना प्रौद्योगिकी में महिलाओं की भूमिका के संदर्भ में अनेक संवेदनशील बिन्दुओं का जन्म हुआ है उन समस्याओं को भी यह अध्ययन स्पष्ट करता है।

आज के भारत में उपभोक्ता संस्कृति के चलते महिला को घर परिवार के साथ–साथ पास–पड़ोस, फैशन, आचार व्यवहार, पहनावे और घर की साज–सज्जा तक का बदलता हुआ स्वरूप दिखाई देता है। आज हमारे देश की महिलायें एक नई भूमिका की ओर अग्रसर हैं, जिसमें उन पर सूचना प्रौद्योगिकी का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। यह सब मीडिया क्रान्ति का ही परिणाम है।

भारतीय महिलायें हर दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ हैं। न केवल स्त्रियोचित गुणों के कारण, बल्कि अपनी जिजीविषा के कारण भी। चाहे व्यक्तिगत स्तर की बात हो या सामाजिक स्तर की उन्होंने अपने उत्तरदायित्वों को सम्पूर्ण रूप से निभाया है। किन्तु महिलायें जब तक मानसिक रूप से स्वतन्त्र नहीं होंगी तब तक वे केवल दायित्व बोध से दबी रहेंगी और आर्थिक रूप से स्वतन्त्र होते हुए भी अपने अधिकारों की बात नहीं करेंगी। नैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों से जकड़ी महिला सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपनी भूमिका का निर्वाहन बखूबी कर रही हैं किन्तु अंततः पुरूष मानसिकता की गुलाम है।

डिसूजा (1981) ने स्त्री और पुरूष के सामाजिक पद सोपान–क्रम पर सर्वथा नवीन और महत्वपूर्ण विचारों का प्रतिपादन किया है। विशद् समीक्षा के पश्चात् डिसूजा सामाजिक विषमताओं की उन विलक्षणताओं को ढूढ़ते है जो स्त्री–पुरूष के पद्सोपान क्रम का सार है। यह विलक्षणतायें हैं– (1) सामाजिक भेद, (2) भेदपूर्ण पुरस्कारों पर आधारित पद् सोपानक्रम, (3) सामाजिक स्थितियों की निरन्तरता हेतु अन्तर उत्पादकता की प्रवृत्ति (4) विषमताओं पर आधारित शक्ति तथा (5) विषमताओं के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाला महिला उत्पीड़न/संघर्ष।

डिसूजा का यह विचार है कि इनमें से तीसरे तत्व की, पद सोपानक्रम की चर्चा करते समय समाजशास्त्रियों ने या तो पूर्णतः उपेक्षा कर दी है या उसे बहुत कम महत्व दिया है। डिसूजा के अनुसार समाज में शोषण और उत्पीड़न का रूप सामाजिक स्थितियों की अन्तर उत्पादनकारी निरन्तरता के कारण ही है। डिसूजा के विचार से समाज में विषमता का

मुख्य आधार है 'पेशा या व्यवसाय' अर्थात् कर्य से प्राप्त प्रतिष्ठा को वे सामाजिक समानता के प्रधान निर्णायक और संकेत के रूप में स्वीकार करते है। पुरूष का कार्य व्यवसाय या पेशा आर्थिक उत्पादकता से जुड़ा हुआ है अतः वह प्रतिष्ठित और सम्मानित है जबकि परम्परागत रूप से महिलाओं का कार्य, व्यवसाय, आर्थिक उत्पादकता से अलग है। अतः अप्रतिष्ठित और उत्पीड़नात्मक है। सूचना प्रौद्योगिकी ने महिलाओं को नवीनतम भूमिकायें उपलब्ध कराके उन्हें परम्परागत कार्यो के साथ–साथ आर्थिक उत्पादकता के कार्यो से जोड़कर जिस नवीन भूमिका से जोड़ा है वह प्रतिष्ठित तो है किन्तु श्रम साध्य नहीं।

योगेन्द्र सिंह (1974–1977) ने आई.सी.एस.एस.आर. के लिए भारत में महिलाओं और पुरूषों के पद्सोपान क्रम की समीक्षा करते हुए अपने अध्ययनों के विभिन्न साहित्यों को निम्नांकित श्रेणियों में विभक्त किया हैं– (1) सांस्कृतिक सार्वभौमिकता, (2) सांस्कृतिक विशिष्टता, (3) संरचनात्मक सार्वभौमिकता, (4) संरचनात्मक विशिष्टता। इस वर्गीकरण का दोष यह है कि इसमें अंतरंगता का अभाव है। यह उस परिप्रेक्ष्य की भी उपेक्षा करता है जिसमें महिलाओं और पुरूषों का व्यवहारिक अध्ययन किया जाता है।

के0एल0 शर्मा यह लिखते है कि महिला और पुरूषों के पद्सोपान क्रम की विवेचना विषमता और पद सोपान के एक स्वरूप से विषमता और पद सोपान के दूसरे स्वरूप तक की जा सकती है। यह तथ्य स्वतः प्रमाणित है कि महिलाओं की प्रतिष्ठा और पुरूषों से विषमता का सैद्धान्तिक आधार बदल रहा है, महिलाओं के द्वारा अपनी भूमिका निर्वाहन में सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ है, उसने अपने

परम्परागत स्त्रियोचित कार्यों को भी अपने पास संजोये रखा है और सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न नवीनतम आयामों के माध्यम से आर्थिक और राजनैतिक क्षेत्र में अनेक चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं को स्वीकारा है।

भारतीय सामाजिक व्यवस्था और संरचना का अध्ययन और विश्लेषण करने से यह संकेत मिलते हैं कि पुरूष वर्ग अपनी आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक स्थिति को निरन्तर बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील है और महिलाओं को इन क्षेत्रों में गतिशीलता की अनुमति नहीं देना चाहते और इस प्रकार स्त्री और पुरूष अपनी भूमिकाओं के आधार पर साथ–साथ चलते हैं, अर्थात! यह अध्ययन इस ओर संकेत करता है कि परम्परागत पवित्रता एवं अपवित्रता (दुर्खीम) की धारणायें ही स्त्री और पुरूष के पद सोपान चरित्र को विकसित या निर्मित नहीं करता वरन् आर्थिक अधिकार और राजनैतिक भूमिकाएं और अधिकार भी परम्परागत पद सोपानक्र के साथ चलते हैं। अतः स्त्री, पुरूष की भूमिकाओं के निर्धारण में रूढ़िगत पवित्रता, अपवित्रता के आधारों के अतिरिक्त अन्य विभिन्न प्रकार के आधार भी उनके सामाजिक स्तर के विश्लेषण में महत्वपूर्ण है।

सैद्धान्तिक मान्यताएं

सामाजिक भूमिकाओं के पद् सोपानक्रम के अस्तित्व का तात्पर्य है कि कुछ भूमिकायें अन्य भूमिकाओं से ऊँचा स्तर रखती हैं। सामाजिक संरचना और व्यवस्था महिलाओं और पुरूषों की भूमिकाओं के आधार पर उच्च या निम्न स्थिति प्रदान करती है, परन्तु प्रथमतः यह निर्धारित करना ही कठिन है कि कुछ सामाजिक भूमिकायें या स्थिति स्तर में अन्य भूमिकाओं या स्थितियों से ऊँची हैं, क्योंकि बहुत सी भूमिकायें सामान्य रूप से पद

सोपानक्रम में समान स्तर की होती हैं। इसके अतिरिक्त यह प्रश्न भी विचारणीय है कि कुछ भूमिकायें/स्थिति किस मात्रा में कितनी ऊँची हैं? हमारा विचार यह है कि भारतीय समाज में स्त्रियों और पुरूषों के कार्य और भूमिका उनके सामाजिक स्तर और प्रतिष्ठा का आधार परम्पागत पवित्रता और अपवित्रता की धारणा नहीं है बल्कि आर्थिक मापदण्ड औरअधिकारों एवं सुविधाओं का असमान वितरण हैं। हमारे प्रस्तुत अध्ययन की सम्भावित प्राकल्पना यह है कि परम्परागत भारतीय सामाजिक संरचना और व्यवस्था में स्त्री और पुरूप के सामाजिक स्तर के मूल्यांकन में परम्परागत कारक आवश्यक है किन्तु इसका निर्धारण भी प्राचीन समय में हिन्दू सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत उत्पादन के सम्बन्धों सुविधाओं के वितरण और अधिकारों के आधार पर होता है। स्त्रियों और पुरूषों के भूमिका निर्धारण में भी पुरूष वर्चश्व की राजनीति सर्वोपरि रही है।

भारत का भविष्य महत्वपूर्ण अर्थो में महिला और पुरूषों के समतुल्य भूमिका संयोजन पर निर्भर करता है। जनगणना वर्ष 2001 में भारत की कुल जनसंख्या 1,02,87,37,436 है इसमें 496514346 महिलायें है। आज राष्ट्रीय स्तर पर पुरूष और महिला का लिंगानुपात प्रत्येक एक हजार पुरूषों में 933 महिलाओं का है जो यह प्रदर्शित करता है कि महिलाओं के प्रति सामाजिक विषमतायें जिन राज्यों में हैं उनका विकास अपेक्षाकृ कम हुआ है (बिहार, हरियाणा) किन्तु केरल जहाँ लिंगानुपात 1000 पुरूषों में, 1058 महिलाओं का है वहाँ साक्षरता दर भी सर्वाधिक 90.9 प्रतिशत है और साक्षरता में स्त्री और पुरूष दोनों का प्रतिशत समान है। केरल में विशेष रूप से आर्थिक उत्पादन की भूमिका में पुरूष और महिलायें समान रूप से लगी हैं अतः उत्पीड़नात्मक घटनायें भी शून्य है। हरियाणा जहाँ स्त्री पुरूष का

लिंगानुपात 1000 पुरूषों में 861 स्त्रियों का है वहाँ साक्षरता दर भी कम है और स्त्रियों को उत्पादन प्रक्रिया और आर्थिक सरंचना से जुड़े होने के बाद भी अधिकार शून्य बना दिया गया है अतः उत्पीड़नात्मक कार्य होते रहते हैं।

हमारी मान्यता यह है कि महिलाओं द्वारा अपने सामाजिक प्रतिमान और स्थिति को बदलने में सबसे अहम भूमिका स्वयं महिलाओं की है, सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान और आधुनिकतम तकनीकी शिक्षा ने महिलाओं को यह स्थितियाँ उपलब्ध करायीं हैं, जिनमें उनकी भूमिका आर्थिक, राजनैतिक और धार्मिक रूप में न केवल पुरूषों के समकक्ष पहुँच चुकी है बल्कि कुछ अर्थो में भारत की महिलायें पुरूषों से आगे भी निकल चुकी है, सूचना प्रौद्योगिकी ने महिलाओं को वह अवसर प्रदान किये हैं, जिनके द्वारा वे अपने स्त्रियोचित गुणों और पारिवारिक उत्तरदायित्वों का भली–भाँति निर्वाहन करने के साथ–साथ आर्थिक रूप से स्वतन्त्र अस्तित्व बना रही हैं।

प्राकल्पनाएं (उपकल्पनाए)

हम भारतीय सामाजिक संरचना के अन्तर्गत महिलाओं और पुरूषों की भूमिकाओं में अन्तर का आधार सामाजिक क्रिया की व्यवस्था और उत्पादन के सम्बन्धों को मानते हैं इनकी भूमिकाओं का निर्धारण बायॅलॉजिकल अन्तर के अनुसार होता रहा है और परम्परागत रूप से इसी कारण पुरूषों की भूमिका में उत्पीड़नात्मक क्रिया व्यवस्था सम्मिलित होती रही। यद्यपि अन्य सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियां भी स्त्री–पुरूष की भूमिकाओं का निर्धारण करती हैं, किन्तु मुख्यतः आर्थिक उत्पादन के संसाधन एवं उनसे उत्पन्न होने वाले सामाजिक सम्बन्ध ही स्त्री और पुरूषों की अलग–अलग भूमिकाओं का निर्धारण करते हैं। उत्पादन के संसाधनों में बदलाव आना

अपरिहार्य है और सूचना प्रौद्योगिकी की क्रान्ति दिन–प्रति–दिन महिलाओं की भूमिकाओं के प्रतिमान बदल रही है, जिससे महिलाओं की सामाजिक स्थिति में तुलनात्मक परिवर्तन स्वतः आ रहा है और महिलाओं के कार्य क्षेत्र में वैज्ञानिक विकास हो रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी में महिलाओं की भूमिका के संदर्भ में हमारी प्राकल्पनाएं यह है कि–

1. पितृ सत्तात्मक व्यवस्था और सामाजिक संरचना को सूचना प्रौद्योगिकी में महिलाओं की सक्रीय भूमिका चुनौती दे रही है।

2. सूचना प्रौद्योगिकी महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक प्रगति को विकसित कर रही है।

3. विज्ञान और प्रौद्योगिकी के द्वारा महिलाओं के घरेलू कार्यों और ज्ञान का विकास हो सकता हैं, और उनकी कार्य क्षमता और भूमिका उन्नयन सम्भव है।

4. अन्य नौकरियों की अपेक्षा सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बद्ध नौकरियां महिलाओं के लिए अधिक महत्वपूर्ण और सुरक्षित है।

5. महिलाओं की उनकी स्वयं की भूमिका के प्रति निरन्तर सजगता और आत्मबोध ने उनको सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नयी–नयी भूमिकायें तलाशने के लिए बाध्य कर दिया है।

6. वैज्ञानिक उपकरणों और इलेक्ट्रानिक वस्तुओं के प्रयोग के कारण महिलायें अपने घरेलू कार्यो से समय बचा रही हैं, इसका सद्पयोग अब वे अपनी राजनैतिक आर्थिक भूमिकाओं को बदलने में कर रही हैं।

7. महिलाओं की अर्जित दक्षता को बेकार होने से बचाने के लिए उनका सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ना आवश्यक है।

8. हमारी प्रमुख प्राकल्पना यह है कि उत्पादन के विभिन्न साधन महिलाओं और पुरूषों के मध्य जिन सम्बन्धों का निर्माण करते हैं वह सम्बन्ध समाज में महिलाओं की भूमिका एवं अधिकारों का निर्धारण करते हैं। महिलाओं की सामाजिक स्थिति और प्रतिष्ठा का वास्तविक आधार पारिवारिक सत्ता और आर्थिक शक्ति हैं जो सम्पत्ति और धन के स्वामित्व और भूमिका के आधार पर ही निर्धारित होती है। सूचना प्रौद्योगिकी महिलाओं की भूमिका और स्थिति में प्रतिमानात्मक बदलाव ला रही है।

शोध में प्रयुक्त प्रत्यय और शब्दावली

प्रस्तुत शोध कार्य में हमें कुछ ऐसे शब्दों और प्रत्यय से युक्त शब्दावली का प्रयोग करना पड़ा जो तकनकी रूप से अनिवार्य थे और जिनका अनुवाद करना सम्भव भी नहीं हैं। मूल रूप से जिन शब्दों को जैसे समाज में प्रयोग किया जाता है उन्हीं शब्दों का प्रयोग हमें उचित प्रतीत हुआ।

आई.टी., आई.सी.टी. कम्प्यूटर, टेक्नोलॉजी, इनसेट, इन्टरनेट, ई–मेल, यूज़र्स नेम, पासवर्ड, साफ्टवेयर, हार्डवेयर, ई–लर्निंग, ई–गवर्नेन्स, साइबर, साइबर कैफे, ऑन लाइन, वेबसाइड, वीडियो कॉन्फ्रेसिंग, वीडियों मीटिंग, इलेक्ट्रानिक–मेल, मल्टीमीडिया, डाटा–ट्रान्समिशन तथा थ्री डाइमेन्शन आदि शब्दों का प्रयोग आज की आधुनिक शब्दावली की अनिवार्यता है।

सूचना प्रौद्योगिकी या तकनीक का बेड़ा जिस तट लगा वह तट है कम्प्यूटर का। जिससे सूचना प्रौद्योगिकी धीरे–धीरे विस्तार पा रही है। सूचना प्रौद्योगिकी के बेड़े में जिन नए शब्द यन्त्रों को गिना जाता है वे– सी.डी. रोम, सी.डी. वार्म, सी.डी. पीवार्म, डी.वी.डी. रोम, ई–मेल, टेलटेक्स, टेली कॉनफ्रेन्सिंग, वीडीओ टेक्स्ट, मैग्नेटिक टेप, माइक्रो फिल्म, माइक्रोफिश, आडियो, वीडियो कैसेट्स, फैक्स, मल्टीमीडिया, हाइपर मीडिया आदि है।

इन्टरनेट सूचना प्रौद्योगिकी का केन्द्र बिन्दु है। अध्ययन से पूर्व इन्टरनेट से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानना हमारे लिए आवश्यक है। इन्टरनेट किन–किन अन्य उपकरणों के गठबन्धन से बना है। इसे इन शब्दों में समझ सकते हैं। माइक्रो प्रोसेसर, डाटा, स्टोरेज़ (आँकड़ा संग्रह) प्रणालिया और डाटा ट्रान्समिशन (आँकड़ा संप्रेक्षण) यह थ्री डाइमेन्शन प्रक्रिया ही पूरे विश्व को एक गाँव के शक्ल में तब्दील करने से जुड़ी हुई है।

जिन आँकड़ों को लिखकर सुरक्षित रखने का कार्य कठिन था, अब उस क्षेत्र को भी साइबर मीडिया प्रक्रिया की सहज बना लिया गया है। हम समय सीमा को लांघकर सूचना प्रधान समाज में प्रवेश कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक कामर्स (ई–कामर्स) ऑन लाइन सरकारी और सार्वजनिक कामकाज (ई–गवर्नेस) ऑन लाइन शिक्षा और ज्ञान (ई–एजूकेशन), ई–मेल, ई–कम्प्युनिटीज़ आदि क्षेत्रों में हम सफल है। इसके साथ–साथ टेली बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, टेली डाक्युमेन्ट ट्रान्सफर और इसके साथ कदम ताल करते हुए आई.टी. की अन्य सुविधाएं ऑन लाइन लाइब्रेरी, प्रकाशन आदि भी साथ–साथ चल रही है।

डी.आई.के.यू. (DIKU), एफ टू एफ (F2F), एल.टी.एम. (LTM) >Smile (:-|) Mad :-O (WOW) I'm surprised ये कुछ तकनीकी शब्दावली और संकेत हैं जिससे आज का आधुनिक समय समाज आपस में संवाद स्थापित करता है। ई–मेल भेजता है और अपनी भावनाएं एक दूसरे तक संप्रेषित करता है। लम्बे–लम्बे मिश्रित संयुक्त वाक्यों को पीछे धकेतलते हुए लघु वाक्य, शब्द समूह संवाद के नए चलन की अगुआई कर रहे हैं। इन्टरनेट ऐसा खुला ज्ञान संसार है जिसके कई प्रवेश द्वार हैं जैसे– समाचार पत्रों की दुनिया से फेस–टू–फेस होने के लिए http://www.samachar.com पर जाना पड़ेगा जहाँ इन्डेक्श ऑफ इण्डियन न्यूज पेपर मौजूद है। फिल्मों में रूचि रखने वाले http:/www.clickticket.com/ क्लिक करें और आपके सामने फिल्मों की तमाम जानकारी होंगी अब हमारी सूचनाएं, ज्ञान और अनेकों आवश्यक सुविधाएं हमे घर बैठे केवल ऊंगलियों को चलाने से उपलब्ध हो जाती हैं। यह सुविधाएं विशेष रूप से महिलाओं के लिए अत्यन्त उपयोगी है।

सूचना प्रौद्योगिकी भारत का भविष्य है। सूचना तकनीक एवं इन्टरनेट के वैश्विक परिदृश्य पर नज़र दौड़ाने के बाद एक बात दर्पण की तरह साफ एवं स्पष्ट होती है कि समाज को गढ़ने संवारेन में इन्टरनेट सूचना तकनीक का बहुत बड़ा हाथ है। इसी के बदौलत जहाँ सूचनाओं का दुरूपयोग हो रहा है साइबर क्राइम, चैटिंग और आतंकी हमले हो रहे हैं। वहीं ज्ञान, सूचना के नए प्रतिमान भी स्थापित हो रहे हैं। क्या बच्चे क्या प्रौढ़, नेट पर अश्लील चित्रों, संवादों, एस.एम.एस. आदि से अपनी अतृप्त इच्छाओं की तुष्टि करते हैं। उपलब्धी के चकाचौंध से सच एवं सामाजिक बुनावट पर भारी पड़ते इस नए तकनीक को भुलाना भविष्य के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है।

हमने अपने शोध कार्य में सहज सरल ग्राह्य भाषा और शब्दों का ही प्रयोग किया है। समाज में प्रचलित शब्दों को मूल रूप में प्रयोग कर अनावश्यक अनुवाद या पाण्डित्य की विधा से दूर हैं। प्रस्तुत अध्ययन में कुछ विशेष प्रत्ययों एवं शब्दों को मूल तकनीकी रूप में प्रयोग करना विषय के तर्कसंगत विश्लेषण के लिए अनिवार्य था।

सूचना प्रौद्योगिकी में महिलाओं की भूमिका (एक समाजशास्त्रीय अध्ययन)

Role of Women in Information Technology
(A Sociological Study)

द्वितीय अध्याय

पद्धतिशास्त्र एवं शोध प्रारूप

- समस्या का चुनाव
- साहित्य का पुनरावलोकन
- अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व
- अध्ययन क्षेत्र
- अध्ययन पद्धति
- शोध प्रारचना
- निदर्शन
- अनुसूची-साक्षात्कार
- निरीक्षण
- उपलब्धियाँ

द्वितीय अध्याय

पद्धतिशास्त्र एवं शोध प्रारूप

प्रस्तुत अध्ययन (सूचना प्रौद्योगिकी में महिलाओं की भूमिका) वर्णनात्मक एवं अन्वेषणात्मक शोध प्रारचना के अन्तर्गत किया गया है। यह कुछ अर्थो में परीक्षणात्मक और व्याख्यात्मक भी है, क्योंकि इसमें सामाजिक स्तर पर महिलाओं की परम्परागत भूमिकाओं, सामाजिक स्थितियों और उत्पादन सम्बन्धों के पूर्ववर्ती सिद्धान्तों और प्रकल्पनाओं का परीक्षण वर्तमान परिप्रेक्ष्य में परिस्थितियों के आधार पर करके उनकी व्याख्या की गयी है।

इस अध्ययन में मुख्य रूप से सहभागी एवं अर्द्धसहभागी परीक्षण द्वारा 'औरैया' जनपद में विभिन्न सरकारी, अर्द्धसरकारी, व्यक्तिगत और स्थानीय निकायों में कार्यरत विभिन्न जातियों, धर्मो और पदों से सम्बद्ध महिलाओं के आपसी, सामाजिक, अन्तःक्रियाओं, आधुनिकता बोध, तकनीकी वस्तुओं के प्रयोग, सूचना प्रौद्योगिकी के प्रतिमान एवं महिलाओं की आर्थिक, राजनैतिक क्रियाकलापों का अध्ययन उनकी बदलती हुई भूमिकाओं की वास्तविक जानकारी हेतु किया गया है।

अध्ययन के सैद्धान्तिक पक्ष को ध्यान में रखते हुए सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से अध्ययन करने और महिलाओं की भूमिका के बदलते प्रतिमान समझने के उद्देश्य से एक संरचित अनुसूची का प्रयोग किया गया है। इस अनुसूची में एक सौ बीस (120) प्रश्न पूछे गए हैं, जिनमें उत्तरदाताओं एवं उनके परिवार की सामान्य पारिवारिक सूचनाओं, आर्थिक,

सामाजिक एवं राजनैतिक प्रश्नों के साथ–साथ आधुनिक उपकरणों, घरेलू वस्तुओं, सूचना प्रौद्योगिकी, महिलाओं की तकनीकी जानकारी, आधुनिकता, उनकी वर्तमान भूमिका, भूमिका में परिवर्तन के आयाम, व्यक्तिगत आर्थिक स्थिति एवं अधिकार आदि से सम्बन्धित प्रश्न मुख्य है।

इसके अतिरिक्त जिन प्रतिष्ठानों, कार्यालयों और स्थानीय निकायों में विभिन्न पदों पर महिलायें अपनी भूमिकाओं का निर्वाहन कर रही हैं उनके अधिकारियों एवं स्वामियों का साक्षात्कार करके सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका का व्यवस्थित विश्लेषण परम्परागत भूमिका और आज की भूमिका के संदर्भ में किया गया है।

प्रत्येक शोध के कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं। उनकी प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक कि योजनाबद्ध रूप से शोध कार्य आरम्भ नहीं किया जाता है। इसी योजना की रूपरेखा को अनुसंधान कहा जाता है। अनुसंधान विश्लेषण के वैज्ञानिक ढंग के प्रयोग की औपचारिक क्रमबद्ध एवं विस्तृत प्रक्रिया है। ग्रीन कुड के अनुसार 'अनुसंधान की परिभाषा ज्ञान की खोज में प्रमाणीकृत कार्य रीतियों के प्रयोग में की जा सकती है।

अनुसंधान ज्ञान की अभिवृद्धि, संशोधन एवं प्रमाणीकरण की दिशा में सामान्यीकरण करने के उद्देश्य से वस्तुओं, अवधारणाओं अथवा संकेतों में परिवर्तन करता है। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में यह कहा जा सकता है कि सामाजिक घटनाओं के विषय में सत्य की खोज करना ही सामाजिक शोध है। इसलिए Karl Pearson ने कहा है कि "सत्य तक पहुँचने के लिए कोई संक्षिप्त पथ नहीं हैं।........... ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें वैज्ञानिक पथ की पद्धति के द्वार से गुजरना ही होगा।"

पद्धति वह प्रणाली है, जिसके द्वारा वैज्ञानिक या एक अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन विषय से सम्बन्धित विवेचना करता है। पद्धति अध्ययन की वैज्ञानिक प्रणाली है। इसके विपरीत प्रविधि वह तरीका है जिसके माध्यम से अध्ययन विषय से सम्बन्धि सूचनाओं था आँकड़ों को प्राप्त किया जाता है। कोई भी वह अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति है जिसके द्वारा एक अनुसंधानकर्ता पक्षपात रहित होकर विभिन्न घटनाओं का व्यवस्थित रूप से अध्ययन करता है। यह एक ऐसी पद्धति है जिसमें व्यक्ति की भावना, दर्शन तथा तत्व ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। वैज्ञानिक पद्धति के अन्तर्गत वस्तुनिष्ठ, अवलोकन, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण की एक व्यवस्थित कार्य प्रणाली को दूसरी श्रेणी में रखा जाता है। अध्ययन को सफल बनाने के लिए वैज्ञानिक पद्धति के प्रमुख चरणों से गुजरना पड़ता है। किसी भी सामाजिक अनुसंधान में अपनाए जाने वाले वैज्ञानिक ढंग या पद्धति के अन्तर्गत सामान्यतः निम्न चरण होते हैं:–

1. अनुसंधान क्षेत्र का चयन।
2. इस क्षेत्र से सम्बन्धित उपलब्ध विचारों की जानकारी की उपलब्धि।
3. शोध विषय एवं शोध क्षेत्र में पूर्व के अनुसंधान कार्यो का विवेचन।
4. अध्ययन के विषय क्षेत्र का विश्लेषण एवं विवेचन।
5. शोध कार्य से सम्बन्धित प्राकल्पनाओं का निरूपण एवं प्रतिपादन।
6. प्रयोग की जाने वाली शोध प्ररचना का चुनाव।
7. आँकड़ों के संग्रह एवं तथ्यों के विवेचन के लिए आवश्यक उपकरणों एवं प्राविधियों का चयन।
8. उत्तरदाताओं के चुनाव हेतु निदर्शन पद्धति का चुनाव तथा विभिन्न समूहों का निर्धारण।

9. आँकड़ों का संग्रह।

10. संग्रहीत सूचनाओं का विश्लेषण, सम्पादन, संकेतीकरण, वर्गीकरण, सारणीयन एवं विवेचन।

11. निष्कर्षो का प्रस्तुतीकरण, प्राकल्पनाओं का सत्यापन और सुझाव।

उपरोक्त वैज्ञानिक पद्धति के चरणों को हमने अपने अध्ययन में निम्न बिन्दुओं के अन्तर्गत सामाहित करने का प्रयास किया है:–

1. समस्या का चुनाव।
2. साहित्य का पुनरावलोकन।
3. अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व।
4. अध्ययन का उद्देश्य एवं उपकल्पनाएं।
5. अध्ययन क्षेत्र।
6. अध्ययन पद्धति।

इस अध्ययन प्रारूप के प्रमुख चरणों की विस्तारपूर्वक व्याख्या करना परमावश्यक है, क्योंकि विस्तृत व्याख्या और वर्णन के अभाव में प्रस्तावित शोध 'सूचना प्रौद्योगिकी में महिलाओं की भूमिका' को न तो समझा जा सकता है और न ही उसके उद्देश्य स्पष्ट हो सकेंगे। अतः प्रस्तुत शोध का प्रमुख चरणों में विवेचन अनिवार्य है–

समस्या का चुनाव

किसी भी शोध के लिए समस्या का चयन सबसे महत्वपूर्ण है। समस्या के चुनाव से ही शोध की प्रक्रिया प्रारम्भ होती है। प्रस्तुत शोध में समस्या के चयन के रूप में "सूचना प्रौद्योगिकी में महिलाओं की भूमिका"

को रखा गया है। अध्ययन क्षेत्र के रूप में कानपुर मण्डल के नवसृजित (1997) औरैया जनपद का चयन किया है, यह जनपद बुन्देलखण्ड मण्डल के जालौन जनपद से न केवल भौगोलिक और भौतिक रूप से जुड़ा है, बल्कि भाषा और संस्कृति के द्वारा भी इन दोनों जनपदों को धनात्मक दृष्टि से देखा जा सकता है। प्रदेश में सर्वाधिक राजस्व प्रदान करने वाला यह नवसृजित जनपद ऐतिहासिक और राजनैतिक महत्व के 'इटावा' जनपद से अलग किया गया, किन्तु लोक–सभा क्षेत्र के रूप में आज भी इटावा में है।

साहित्यिक समीक्षा एवं पुनरावलोकन

शोध की परम्परागत श्रृंखला में साहित्य की समीक्षा एवं पुनरावलोकन एक अपरिहार्य कड़ी है। पूर्व अध्ययनों का अध्ययन किये बिना शोधार्थी आगे नहीं बढ़ सकता उनका विवेचन और विवरण आवश्यक है। इन उपलब्ध समीक्षाओं के आधार पर ही शोध की परिकल्पना एवं संभावित विषयवस्तु का निर्माण किया जाता है, प्रस्तुत शोध के अध्ययन क्षेत्र में महिलाओं की आधुनिक प्रवृत्ति, आधुनिकतम वैज्ञानिक उपकरणों के प्रति उनका रूझान, तकनीकी शिक्षा और महिलाओं और पुरूषों के बदलते सामाजिक सम्बन्धों का विवेचना किया गया है। ऐसे अध्ययन को महिलाओं के समाजशास्त्र के अन्तर्गत ही रखा जा सकता है। महिलाओं के समाजशास्त्र को विकसित करने में विभिन्न अध्ययनों का महत्वपूर्ण योगदान है। महिलाओं के उत्पीड़न और भूमिका के क्षेत्र में व्यवहारवादी अनुसंधानों से महिलाओं के सशक्तीकरण और विकास के परिप्रेक्ष्य में बहुत अधिक सहयोग प्राप्त हुआ है। महिलाओं के विषय में निरन्तर अनुसंधान एवं शोध कार्य हो रहे है। महिला उत्पीड़न, महिला सशक्तीकरण, महिला आन्दोलन, यौन शोषण,

विकास, हिंसा, घरेलू हिंसा आदि क्षेत्रों में निरन्तर शोधार्थी और समाजशास्त्री कार्य कर रहे हैं। महिलाओं से सम्बद्ध विभिन्न क्षेत्रों की अनेको समस्याओं से सम्बन्धित यह सभी अध्ययन सैद्धान्तिक एवं सामान्य प्रकृति के हैं तथा कुछ ही ऐसे अध्ययन हैं जिन्हें प्राथमिक आँकड़ों के आधार पर किया गया है। डॉ0 कमला रत्तू (2006) लिखती हैं कि 'संचार क्रान्ति ने दरअसल महिलाओं के लिए अनेक नए द्वार खोल दिए हैं और उनकी क्षमता से परिचित कराया है।'' बंगलादेशी विवादस्पद लेखिका तस्लीमा नसरीन अपनी कविताओं और लेखन के द्वारा महिलाओं को रूढ़िवादी परम्परागत समाज को पीछे छोड़ने की चुनौती दी है। यह बदलाव प्रक्रिया क्रान्ति का वह अंकुर है जो धीरे–धीरे पनपता है और जो परम्परागत और विरासत में चली आ रही मान्यताओं को पीढ़ी–दर–पीढ़ी अपनी लय में बदलता है, एक मूक परिवर्तन की तरह आज हम सम्पूर्ण विश्व संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के गवाह बन रहे हैं और अब महिलायें भी सूचना प्रौद्योगिकी से अछूती नहीं है। वे भी इस प्रौद्योगिकी में एक नया संसार अपने लिए देख रही हैं, उनकी भूमिका उनके घर–परिवार की देहरी से शुरू होकर नए क्षितिजों तक पहुँच रही है।

वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी क्रान्ति में भारतीय महिलायें भारतीय समाज का एक नया सृजन करती हुई एक नए समाज की सुन्दर संरचना की ओर अग्रसर हैं। वह स्वतन्त्रता, समानता के लिए संघर्षरत हैं। अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए आज महिलायें प्रयासरत है। विशेषज्ञ मोहन सिंह राघव का मानना है कि सूचना का अधिकार सभी को सबसे पहले हैं। फ्रैंकलिन एस. हैमन ने अपनी पुस्तक 'स्पीच एण्ड लॉइन फ्री सोसायटी' में लिखा है ''अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता से वक्ता की अपेक्षा श्रोता अधिक

लाभान्वित होता है। विचारों के आदान–प्रदान पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध, वक्ता और श्रोता दोनों की आत्मिक स्वतन्त्रता का हनन है। यह स्वतन्त्रता सत्य की खोज के लिए अनिवार्य है। न्यायाधीश मैथ्यू ने अपनी पुस्तक 'डेमोक्रेसी, इक्वैलिटी एण्ड फ्रीडम' में लिखा है कि, सुचारू लोकतान्त्रिक प्रणाली के लए अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता अपरिहार्य है। यह संविधान में दिए गए प्रावधानों का आवश्यक निहितार्थ है।'' इसीलिए अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) से मुक्त है।

प्रभा खेतान लिखती हैं महिलाओं की आत्माभिव्यक्ति को और तराशने की जरूरत है। स्त्री अपनी पक्षधरता अवश्य विकसित करें और बोले, मगर उसका वक्तव्य आत्मरति से ग्रस्त न हो। यही कारण है कि स्त्री को आज मानव मूल्यों पर आधारित शिक्षा की वकालत करती है। ताकि उनके चिन्तन का स्तर और विकसित हो, व्यक्ति की सोच स्थानीय सीमाओं से बाहर निकलें वह धार्मिक मतान्धता की शिकार न हो। उस प्रक्रिया में वैकल्पिक जीवन मूल्यों का संकेत अवश्य मिले ताकि बिना किसी दबाव और भय के वह शिवम् की अवधारणा विकसित कर सके।

डॉ0 संजय वर्मा के अनुसार विज्ञान के महत्वपूर्ण कारक सूचना प्रौद्योगिकी के विस्तृत क्षेत्र में शायद ही कोई ऐसा उपक्षेत्र हो जिसमें महिलाओं की भागीदारी कहीं से कम हो क्योंकि मानसिक दृढ़ता, ज्यादा भाग दौड़ से बचाव, एकाग्र एवं शान्त व्यवस्था के तहत महिलाएं पुरूषों की तुलना में कहीं ज्यादा उपयुक्त कहीं जा सकती है। मसलन अगर सूचना प्रौद्योगिकी के अन्तर्गत सिर्फ टेलीफोन की ही बात करें तो पी0सी0ओ0 व्यवसाय को महिलाएं ज्यादा सफलता पूर्वक देखती है।

डॉ0 अरविन्द मिश्र : भारत जैसे लोकतान्त्रिक देश में महिला सशक्तीकरण अभियान को सूचना प्रौद्योगिकी से संयुक्त करने में केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राथमिकता देना होगा और शायद आगामी आम चुनावों में यह भी एक निर्णायक ''फैक्टर'' बनकर उभरेगा।

आशिमा गोयल : महिलाओं में स्वरोगजार और गृह रोजगार चुनने का प्रकृति प्रदत्त गुण होता है, केवल उस स्थिति को छोड़कर जब वे घर के परिवेश से दूर रहना चाहें। महिलाएं प्रारम्भिक अवस्था में पीछे छूट जाने की व्यक्त आशंकाओं के बावजूद अब इस क्षेत्र में पुरूषों से आगे निकल जाने की होड़ में लगी हैं। जिन दक्ष महिलाओं ने घरेलू कारणों से अपनी जमी–जमाई नौकरयां छोड़ी थी, उनको अब कम्पनियां अनेक आग्रह कर अपने घर से ही टेलीवर्किंग के लिए प्रेरित कर रही हैं। इसके साथ ही वे अपनी वर्तमकान महिला कर्मियों की दक्षता को और उन्नत बनाने में लगी है। डा0 मनमोहन बाला लिखते हैं कि ''आखिर सूचना प्रौद्योगिकी में ऐसी क्या बात है जो अधिक से अधिक महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है? क्या भारतीय महिलाओं में ऐसी कोई विशेष दक्षता अथवा योग्यता है जिसके कारण वह सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अपना अच्छा भविष्य बना पाने में सफल हो पा रही है? या फिर क्या उनकी आर्थिक आवश्यकताएं उन्हें इस क्षेत्र में आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही हैं?

संयुक्त राष्ट्र की सद्भावना राजदूत निकोल किडमैन ने महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और हिंसा को रोकने के लिए इन्टरनेट पर एक मुहिम चलाई है। इस अभियान के माध्यम से उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे मानवाधिकारों के हनन को रोकने के लिए आगे आए।

यूनाइटेड नेशन्स डेवलपमेन्ट फण्ड फॉर वूमैन की 'गुडविल अम्बेसडर' निकोल किडमैन के अनुसार 'प्रत्येक तीन में से दो महिलाओं को अपने जीवन काल में अपमानजनक शब्दों और हिंसा से दो चार होना ही पड़ता है। इस समस्या के इतने व्यापक होने के बाद भी से अभी असाध्य नहीं माना जा सकता। यदि समाज चाहे तो इस पर रोक लगा सकता है। किडमैन ने लोगों से अपील की है कि वह इस मुहिम में शामिल हो। यह मुहिम अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस आठ अप्रैल को समाप्त होगी। इसका शुभारम्भ अन्तर्राष्ट्रीय महिला हिंसा विरोध दिवस को हुआ था।

संयुक्त राष्ट्र महिला विकासा कोष के कार्यवाहक निदेशक जो एन सैंडलर ने कहा कि लगभग 90 देशों में घरेलू हिंसा के खिलाफ कानून है और कई देश जिनमें इस विषय में पर्याप्त कानून नहीं हैं, इसके खिलाफ और कड़ी कार्यवाही करने पर विचार कर रहे है। अधिकतर महिलायें अपने ऊपर हुए अत्याचार, उत्पीड़न और हिंसा के विषय में बात करने से डरती है क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ होने वाला नहीं।

स्त्री और पुरूष में जो भिन्नता है वह एक जैविक तथ्य है, किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनैतिक रूप से या धार्मिक रूप से भी यह भिन्नता बनी रहे। यह भिन्नता तो सभ्यता और संस्कृति की ही देन है औरत को औरत होना सिखाया जाता है समाज ने उसके ऊपर यह भूमिका ओढ़ा दी है। वह अपनी माँ की गोद में बैठकर निष्क्रियता का पाठ पढ़ती है, गुलामी सीखती है। यह ठीक है कि महिला हमेशा पुरूष पर ही निर्भर करती आयी है और आज भी वह पुरूष पर ही निर्भर कर रही हैं। संवैधानिक रूप से वह पुरूष के बराबर है फिर भी उसने

अपने ऊपर यह सीमा बना रखी है। संवैधानिक रूप से अधिकार मिल जाने के बावजूद सामाजिक आचार व्यवहार में यह अधिकार व्यक्त नहीं होता। आर्थिक दृष्टि से भी यह दिखता है कि महिला और पुरूष की दो अलग–अलग जातियां है। जहाँ पुरूष को ज्यादा सुविधा मिल रही हैं, वह अधिक महत्वपूर्ण है। महिला अपनी हीन अवस्था में ही बनी रहती है। आर्थिक रूप से स्वतन्त्र होते हुए भी स्त्री को मानसिक रूप से मुक्त होना है। मानसिक रूप से आज भी महिलायें, नैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों से जकड़ी हुई है। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार क्रान्ति अब महिलाओं के अन्दर सांस्कृतिक और व्यवहारिक परितर्वन लाने में तत्पर है। टी0वी0 आदि उपकरणों ने उनकी सोंच, दशा और दिशा में परिवर्तन लाने का सतत् प्रयास किया है किन्तु अभी भी प्रतिमानों को बदलने में समय लगेगा। हम भारतवासी यह सोंचकर प्रसन्त हो लेते हैं कि देश को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, आदि सर्वोच्च पदों पर हमने महिलाओं को बैठा दिया है लेकिन यह कुछ महिलायें देश की आधी के लगभग जनसंख्या का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती।

सुजुध्यां प्रसाद लिखते हैं कि आजादी के लाख दावे किये जाये लेकिन दुनिया भर में आम और खास हर वर्ग की औरत अपनी पूरी आजादी के लिए छटपटा रही हैं। वह अपनी तरह का जीवन जीने के लिए जद्दोजहद करती नज़र आ रही हैं और सफलता न लिने की स्थिति में अवसाद का शिकार हो जाती है। प्रस्तुत अध्ययन में महिलाओं की निम्नलिखित समस्याओं को परीक्षित करने का प्रयास किया गया हैं–

1. भारतीय परिवेश में महिलाओं का चित्रकल्प एवं उनके प्रति समाज की आकांक्षा महिलाओं और पुरूषों की अन्तःक्रिया को निर्धारित एवं प्रभावित करता है।

2. महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि एवं प्रस्थिति उनकी भूमिका निष्पादन एवं व्यवहार को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है।

3. यद्यपि महिलाओं एवं पुरूषों की भूमिका का निष्पादन परम्परागत सामाजिक संरचना से प्रभावित एवं निर्धारित होता है किन्तु आधुनिकता संचार, सूचना प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा पुरूषों की अपेक्षा महिलाओं की भूमिका को अधिक प्रभावित करने का प्रयास करती है।

4. महिलाओं एवं उनके प्रति समाज द्वारा अनुपालित प्रतिमान, सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों, उन्मेषों एवं वैज्ञानिक तार्किकता का समिश्रण एवं उसका प्रतिफल है।

इस प्रकार उपरोक्त अध्ययनों से स्पष्ट है कि भारत वर्ष में महिलाओं और उनकी गतिविधियों बदलाव के विभिन्न प्रतिमानों आदि के क्षेत्र में समाजशास्त्रियों ने अनेकों अध्ययन किये हैं और यह क्रम आज भी जारी है। इन अध्ययनों में अनेक ऐसी समस्याएं एवं क्षेत्र उत्पन्न हुए हैं जिनका अध्ययन आज इक्कसवीं शताब्दी में महिलाओं की दशा और दिशा को निर्धारित करने के लिए किया जाना चाहिए। सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बद्ध ऐसा कोई अध्ययन बुन्देलखण्ड और औद्योगिक रूप से समृद्ध अन्य विश्वविद्यालयों में शोध का विषय बनकर महिलाओं की आर्थिक, राजनैतिक

भूमिका को अभी तक स्पष्ट नहीं कर पाया। अतः प्रस्तुत अध्ययन की तार्किक और समाजशास्त्रीय उपयोगिता है।

अध्ययन क्षेत्र

प्रस्तुत अध्ययन मध्य उत्तर प्रदेश के कानपुर मण्डल में स्थित औरैया जनपद पर आधारित है। इटावा जनपद को विभाजित कर इस जनपद के अस्तित्व को जन्म दिया गया है। भौगोलिक रूप से यह जनपद कानपुर देहात, कन्नौज, इटावा और बुन्देलखण्ड के जालौन जिले से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में आर्थिक महत्व के रूप में घी और अनाज की मण्डी कहा जाने वाला औरैया 1985 में अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण विश्व के मानचित्र में औद्योगिक सितारे के रूप में चमकने लगा। केन्द्र सरकार के दो नवरत्न प्रतिष्ठान नेशनल थर्मिल पावर कारपोरेशन (एन.टी.पी.सी.) एवं ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन (ओ.एन.जी.सी.) की स्थापना के बाद औरैया उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक राजस्व प्रदान करने वाला जिला बन गया। इस औद्योगीकरण ने नगरीयकरण और इन दोनों ने मिलकर सम्पूर्ण सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक स्थितियों को परिवर्तित कर दिया। एन. टी.पी.सी. और ओ.एन.जी.सी. जैसे प्रतिष्ठानों ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की प्रक्रिया प्रारम्भ की जिससे शिक्षा के स्तर, रहन–सहन, निवासियों की क्रय शक्ति और मानसिकता बदलने लगी और प्रशासन की दृष्टि से दो तहसीलों और सात विकास खण्डों में विभाजित औरैया जिला उपनगरीय संस्कृति के रूप में विकसित होने लगा। आज औरैया में 8 उपनगर औद्योगिक और आर्थिक रूप से विकसित हो चुके है। आधुनिकता में दिल्ली और कानपुर महानगरों से होड़ लेने वाला औरैया रेल और सड़क मार्गो से सुसज्जित है।

आधुनिकता के प्रत्येक विधा यहां की सम्पूर्ण सभ्यता और संस्कृत से जुड़ चुकी है। तीव्रता से शिक्षा का विकास महिलाओं और लड़कियों का तकनीकी/वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी के प्रति बढ़ते रूझान ने उनको अपनी आजादी के प्रति जागृत कर दिया है। अध्ययन क्षेत्र में आठो उपनगरों में दिबियापुर नगर अन्य उपनगरों से अधिक विकसित और आधुनिक है नगर में जनपद का प्रसिद्ध रेलवे स्टेशन फॅफूंद (उत्तर मध्य रेलवे) स्थित हैं जहाँ दिल्ली–हाबड़ा रूट की कई एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेने रूकती है।

अध्ययन पद्धति

प्रस्तुत अध्ययन औरैया जनपद में स्थित सभी उप–नगरों के विभिन्न शासकीय, अर्द्धशासकीय, स्वनियोजित प्रतिष्ठानों एवं विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में तकनीकी पदों पर कार्यरत महिलाओं के व्यक्तिगत सर्वेक्षण और ज्ञान पर आधारित है। जनपद के सातो विकास खण्डों में तकनीकी पदों, कम्प्यूटर शिक्षक, इन्टरनेट केन्द्रों और कॉल सेन्टरों में लगभग 1224 विवाहित और अविवाहित महिलायें सेवारत है। इनमें से 306 महिलाओं को हमने अध्ययन के लिए चुना है। इस प्रकार प्रस्तुत अध्ययन की विषय वस्तु तीन सौ छः महिलायें हैं। उनकी सूचनाओं और भूमिकाओं, सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बन्धों को ज्ञात करने के लिए साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है। बहुत से तथ्य और सूचनायें जो उत्तरदाताओं ने नहीं बतायें या छिपाने का प्रयास किया वे अवलोकन के द्वारा ज्ञात किये गये हैं। इस अध्ययन में अन्वेषणात्मक शोध प्रारूप का सहारा लिया गया है। शोध कार्य में हमने साक्षात्कार अनुसूची, अवलोकन, निदर्शन आदि वैज्ञानिक विधियों को अपनाया है। अतः इनका विश्लेषण भी अनिवार्य है। साथ ही साथ यह भी

ध्यान में रखना अनिवार्य है कि उच्च पदस्त प्रथम श्रेणी महिला अधिकारी से लेकर टेलीफोन ऑपरेटर तक की महिला उत्तरदाता हमारे इस अध्ययन की विषयवस्तु की आवश्यक अंग है और सभी के लिए उत्तरदाता 'शब्द' का प्रयोग किया गया है।

शोध प्ररचना

प्रत्येक सामाजिक शोध, अन्वेषण या अनुसंधान के कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं और उन उद्देश्यों को तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक योजनाबद्ध रूप से शोध कार्य को प्रारम्भ नहीं किया जाता। इसी योजना की रूपरेखा को शोध प्रारचना (Research Design) कहते हैं। R.L. Ackoff ने प्रारचना का अर्थ समझाते हुए लिखा है कि "निर्णय क्रियान्वित करने की स्थिति आने से पूर्व ही निर्णय निर्धारित करने की प्रक्रिया को प्रारचना कहते हैं। अर्थात् उद्देश्य की प्राप्ति के पूर्व ही उद्देश्य का निर्धारण करके शोध कार्य की जो रूपरेखा बनायी जाती है उसे शोध प्रारचना कहते है।

समस्त शोध कार्यों का आधारभूत एक ही उद्देश्य होता है नवीनतम् अभिनव तथ्यों का विश्लेषण और ज्ञान की प्राप्ति। किन्तु इस उद्देश्य को देश–काल और परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न प्रकार से कर सकते हैं और उसी के अनुसार शोध प्ररचना का रूप भी अलग–अलग हो सकता है। सामान्यतः चार प्रकार की शोध प्ररचना होती है– अन्वेषणात्मक या निरूपणात्मक, वर्णनात्मक, निदानात्मक और परीक्षणात्मक शोध प्ररचना।

प्रस्तुत शोध में हमने अन्वेषणात्मक शोध प्ररचना के अनुसार कार्य किया है। जब किसी शोध कार्य का उद्देश्य किसी सामाजिक घटना के

अन्तनिर्हित कारणों को ढूढ़ निकालना होता है तो उस शोध कार्य की रूपरेखा को अन्वेषणात्मक शोध प्ररचना कहते हैं इस प्रकार की शोध प्ररचना में शोध कार्य की रूपरेखा इस ढंग से प्रस्तुत की जाती है कि घटना की प्रकृति व धारा प्रवाहों की वास्तविकताओं की खोज की जा सके। समस्या या विषय के चुनाव के पश्चात प्राकल्पना का सफलतापूर्वक निर्माण करने के लिए इस प्रकार की प्ररचना का विशेष महत्व है, क्योंकि इसके माध्यम से हमारे लिए विषय का कार्यकारण सम्बन्ध स्पष्ट हो जाता है।

अन्वेषणात्मक शोध प्ररचना की सफलता के लिए कुछ अनिवार्यताओं का पालन करना अनिवार्य हैं जैसे–

1. विषय के सम्बन्ध में आरम्भिक ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से सम्बद्ध साहित्य का अध्ययन प्रथम अनिवार्यता है।

2. अनुभव सर्वेक्षण इस दिशा में दूसरी अनिवार्यता है। उन सभी व्यक्तियों से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करके उनके अनुभव व ज्ञान को प्राप्त करना जो अपने पर्याप्त अनुभवों को अशिक्षा, समयाभाव या परिस्थितियों के कारण व्यक्त नहीं कर पाते या लिखित रूप से नहीं दे सकते। ऐसे लोगों का व्यवहारिक अनुभव हमें पथ–निर्देशन करा सकता है।

3. अर्न्तदृष्टि प्रेरक घटनाओं का विश्लेषण अन्वेषणात्मक शोध प्ररचना का तीसरा आवश्यक तत्व है। व्यवहारिक अर्न्तदृष्टि प्रकल्पना के निर्माण और वास्तविक शोध कार्य में शोधकर्ता के लिए अत्यधिक सहायक होती है। प्रत्येक समुदाय या समूह के जीवन में कुछ दृष्टि आकर्षण, कुछ उत्पन्न सरल व कुछ स्पष्ट व्याधिकीय तत्व, कुछ व्यक्तिगत

विशिष्ट गुण और उनसे सम्बन्धित घटनाएं होती हैं जो शोधकर्ता की अर्न्तदृष्टि को प्रोत्साहित करने में सहायक होती है।

निदर्शन

अध्ययन के सूक्ष्म परीक्षण एवं निरीक्षण के उद्देश्य से औरैया जनपद के विभिन्न प्रतिष्ठानों, कार्यालयों, विद्यालयों, निकायों और निगमों में कार्यरत, विभिन्न पदों में अपनी सेवायें देने वाली और स्वयं प्रतिष्ठानों की व्यवस्था चलाने वाली एक हजार दो सौ चौबीस (1224) महिला कार्यकर्ताओं में से पच्चीस प्रतिशत 306 महिलाओं को चुना है। इनमें सभी जाति समूहों और धर्मो की महिलाएं सम्मिलित है। जाति समूह के आधार पर विभाजन करने पर सवर्ण जाति समूह की (92) बानवें, अन्य पिछड़ा वर्ग की एक सौ पैतिस (135), अनुसूचित जाति की छाछठ (66) और अन्य धर्मावलम्बी तेरह (13) महिलाएं निदर्शन में चयनित है। कार्यरत महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक गतिविधियों का सूक्ष्म अध्ययन करने के लिए 25 प्रतिशत निदर्शन को अध्ययन का आधार बनाया है, किन्तु जाति समूह के आधार पर गैर आनुपातिक स्तरित निदर्शन है। कुछ ऐसे उत्तरदाता भी है जिनमें माता और बेटी या बहू दोनों, तीनों कार्यरत है और परिवार संयुक्त है और जहाँ परिवार विघटित हो गये हैं वहाँ निदर्शन की एकरूपता विखण्डित हो गयी है। अर्थात् निदर्शन होने के कारण प्रस्तुत अध्ययन गैर अनुपातिक है। हमने अपने निदर्शन को वैज्ञानिक निदर्शन माना है।

प्रत्येक उत्तरदाताओं का चुनाव सम्पूर्ण जनपद के सात विकास खण्डों का सूक्ष्म सर्वेक्षण (सेन्सस सर्वे) के बाद किया है। प्रस्तुत अध्ययन केवल हिन्दू उत्तरदाताओं पर आधारित नहीं हैं किन्तु हिन्दू महिला उत्तरदाताओं की

संख्या दो सौ तिरानबें (95.75 प्रतिशत) और अन्य धर्मावलम्बी ईसाई, मुस्लिम एवं सिख महिला उत्तरदाताओं की संख्या मात्र तेरह (13) (04.25 प्रतिशत) है। अतः इस दृष्टि से भी यह गैर आनुपातिक स्तरित निदर्शन कहा जा सकता है। सामान्यतः किसी जाति या समूह विशेष के लिए किसी कार्यालय या प्रतिष्ठान में कोई विशेष स्थान या सेवायें निश्चित नहीं है और न ही किसी एक कार्यालय में एक ही जाति या जाति समूह की महिलाएं कार्य कर रही हैं। सभी प्रशासनिक कार्यालयों, इण्टर एवं डिग्री कालेजों में संवैधानिक व्यवस्था के अन्तर्गत आरक्षण की व्यवस्था के आधीन सभी जाति समूहों की महिलाओं को नियुक्ति मिली हुई है। प्रादेशिक स्तर पर भी कोई भेद–भाव नहीं दिखता। अधिकांश महिला उत्तरदाताओं की मातृ भाषा हिन्दी है किन्तु लिखने और पढ़ने में हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों का प्रयोग करती है। कन्नड़, तेलगू और पंजाबी भाषा जानने वाली कुछ उत्तरदाता महिलायें हैं किन्तु इन भाषाओं का प्रयोग इनके द्वारा केवल परिवार में किया जाता है।

सारणी–01

विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत महिलाएं और निदर्शन में चुनी गई महिलाओं की संख्या

क्र.सं.	विभाग/कार्यालय	कुल संख्या	निदर्शन में चुनी गई
1.	शिक्षा विभाग	580	145
2.	बैंक	45	11
3.	स्थानीय निकाय	52	13
4.	निगम (कॉरपोरेशन)	52	13
5.	पुलिस विभाग	88	22
6.	रेलवे	12	03
7.	प्रतिष्ठान	192	48
8.	प्रशासनिक कार्यालय	60	15
9.	स्वास्थ्य विभाग	107	27
10.	अन्य (राजनीति/मीडिया)	36	09
	योग	**1224**	**306**

Location Map of Auraiya District

औरैया जनपद में विभिन्न विभागों और कार्यालयों में कार्यरत महिलाओं का विश्लेषण करने पर अलग–अलग विभागों में (सारणी 01) हमने अपने उत्तरदाताओं को दस (10) कार्यालयों और विभागों में आवंटित किया है इनमें सर्वाधिक महिलायें शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं जिनकी संख्या 580 हैं इनमें से 145 महिलाओं को हमने अध्ययन में चुना है। व्यक्तिगत प्रतिष्ठानों में 192 और स्वास्थ्य विभाग में 107 महिलाएं कार्यरत है। पुलिस विभाग में 88 और प्रशासनिक कार्यालयों में 60 महिलाएं कार्यरत है सबसे कम 12 महिलाएं रेलवे विभाग में कार्य करती हैं। 36 महिलाएं मीडिया और राजनैतिक पार्टीयों के कार्यालयों में वैतनिक आधार पर कार्य कर रही हैं।

सारणी–02

जाति समूह के आधार पर विभिन्न विभागों में कार्यरत महिलाओं की संख्या

क्र. सं.	विभाग / कार्यालय	सवर्ण	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनु0 जाति	अन्य धर्म	योग
1.	शिक्षा विभाग	190	232	139	19	580
2.	बैंक	12	26	06	01	45
3.	स्थानीय निकाय	08	30	14	00	52
4.	निगम (कॉरपोरेशन)	22	15	08	07	52
5.	पुलिस विभाग	10	57	20	01	88
6.	रेलवे	01	07	04	00	12
7.	प्रतिष्ठान	85	88	15	04	192
8.	प्रशासनिक कार्यालय	18	26	14	02	60
9.	स्वास्थ्य विभाग	11	40	38	18	107
10.	अन्य (राजनीति / मीडिया)	12	19	04	01	36
	योग	**369**	**540**	**262**	**53**	**1224**

अध्ययन क्षेत्र औरैया जनपद में जाति समूह के आधार पर (सारणी 02) महिला कर्मचारियों एवं अधिकारियों का विभाजन करने पर 369 सवर्ण, 540 अन्य पिछड़ा वर्ग, 262 अनुसूचित जाति/जनजाति और 53 अन्य धर्मावलम्बी ईसाई, मुस्लिम और सिख महिलायें प्राप्त हुई इनमें 92 सवर्ण, 135 पिछड़ा वर्ग, 66 अनुसूचित जाति और 13 अन्य धर्मो की महिला उत्तरदाताओं का चयन हमने स्तरित निदर्शन पद्धति से किया है जो सम्पूर्ण कार्यरत महिलाओं का 25 प्रतिशत है। किन्तु विभिन्न विभागों और कार्यालयों में जाति समूह के आधार पर महिलाओं का प्रतिशत निर्धारित नहीं हैं। अतः विभागीय आधार पर महिलाओं का निदर्शन गैर–आनुपातिक है।

सारणी–03

जाति समूह के आधार पर निदर्शन में चयनित महिलाएं

क्र.सं.	जाति समूह	कुल संख्या	चयनित संख्या
1.	सवर्ण	369	92
2.	अन्य पिछड़ा वर्ग	540	135
3.	अनुसूचित जाति	262	66
4.	अन्य धर्म	53	13
	योग	**1224**	**306**

पूर्वगामी सर्वेक्षण एवं पूर्व परीक्षण

प्रस्तुत शोध कार्य को ध्यान में रखकर और अपने उद्देश्य को केन्द्रित करते हुए विषय का चुनाव करते समय सम्पूर्ण जनपद के विभिन्न कार्यालयों का पूर्वगामी सर्वेक्षण किया जिसमें वहाँ की जातीय संरचना, सामाजिक,

आर्थिक परिस्थितियों महिलाओं की मनोवृत्तियों, कार्य शैली एवं विभिन्न जातियों की महिलाओं के पारस्परिक सम्बन्धों और पुरूष सहकर्मियों के महिलाओं के साथ पारस्परिक सम्बन्धों को सूक्ष्मता से निरीक्षण किया। विशेष रूप से इस पूर्वगामी अध्ययन में हमारी सूक्ष्मदृष्टि महिलाओं की प्रत्याशाओं और कार्य सन्तुष्टि की खोज करने पर थी। इस प्रारम्भिक अध्ययन करने से एक परोक्ष लाभ यह हुआ कि अध्ययन करते समय कार्यालयों में 'रैपर्ड' बनाने में कोई कठिनाई नहीं हुई। अधिकारियों एवं सूचनादाताओं को अध्ययन कार्य के उद्देश्य और लक्ष्यों का ज्ञान हुआ तथा सर्वेक्षण एवं साक्षात्कार के प्रति उनमें जागरूकता और उत्साह उत्पन्न हुआ।

अध्ययन में सर्वेक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाली अनुसूची को अन्तिम रूप देने से पूर्व औरैया जनपद के सूचनादाताओं के मध्य उसका परीक्षण किया और उससे अनुपयोगी प्रश्नों को हटाकर अध्ययन के लिए उपयोगी कुछ प्रश्न और सूचना प्रौद्योगिकी और महिला सशक्तीकरण आदि से सम्बन्धित ऐसे कुछ पैमानों को सम्मिलित कर लिया जिससे अध्ययन की गरिमा और महत्व बढ़ गया और उत्तरदाताओं के विचारों का गहराई से अध्ययन कर ज्ञान प्राप्त किया गया।

प्रयुक्त प्रविधि

प्रस्तुत अध्ययन में आँकड़ों का संकलन अनेक स्तरों पर किया गया है। इस कार्य हेतु निम्नांकित प्रविधियों को जिसका संक्षिप्त विवरण प्रतीकात्मक रूप से अध्ययन के आरम्भ में कर चुके हैं अपनाया गया हैं।

सहगामी परीक्षण

अनेको कार्यालयों की विभिन्न जाति समूहों की महिला उत्तरदाताओं के मध्य अर्न्तक्रियात्मक सम्बन्ध कार्यालयीय गुटबन्दी, जातीय सम्बन्ध, पुरूषों एवं महिलाओं के पारस्परिक सामाजिक सम्बन्ध, अभिरूचि, सूचना एवं अधिकारों के प्रति जागरूकता, पद और भूमिका के प्रति समर्पण आदि की पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए कई कार्यालयों में विभिन्न उत्तरदाताओं के साथ सहभागी परीक्षण किया गया, जिनके माध्यम से महिलाओं की सामाजिक मानसिकता औरैया की सामाजिक संरचना और क्रियात्मक सम्बन्ध स्पष्ट हुए हैं।

सम्पूर्ण सर्वेक्षण

औरैया जनपद में स्थित विभिन्न विभागों जैसे शिक्षा विभाग, बैंक, स्थानीय निकाय, निगम (कॉरपोरेशन), पुलिस विभाग, रेलवे, सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत प्रतिष्ठानों, प्रशासनिक कार्यालयों, स्वास्थ्य विभाग और राजनैतिक दलों या मीडिया कार्यालयों में कार्यरत विभिन्न पदों में अपनी भूमिका का निर्वाहन करने वाली महिलाओं की वास्तविक संख्या, जाति समूह के आधार पर उनका विभाजन, महिला कर्मचारियों की कार्यालयों में कार्यरत कुल कर्मचारियों में प्रतिशत ज्ञात करने के लिए सम्पूर्ण सर्वेक्षण किया। अध्ययन के इस प्रथम चरण में औरैया जनपद के दस विभागों में कार्यरत एक हजार दो सौ चौबीस (1224) महिलाओं से प्राथमिक सूचनायें एकत्र की। इस सर्वेक्षण से साक्षात्कार के लिए निदर्शन का चुनाव करने में अत्यधिक सुविधा हुई और वैज्ञानिक निदर्शन के माध्यम से सम्पूर्ण का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया जा सका। इस सम्पूर्ण सर्वेक्षण से एक आश्चर्यजनक तथ्य और प्रकाश में

आया कि सरकारी आँकड़ों और वास्तविक आँकड़ों में पर्याप्त अन्तर है। जैसे सरकारी आँकड़ों के आधार पर जिस कार्यालय में जितनी महिलायें कार्यरत दिखाई गयी हैं वास्तव में उनकी संख्या उतनी नहीं है। इसी प्रकार अपना और अपने परिवार का आर्थिक, सामाजिक स्तर ऊँचा उठाने के लिए महिलाएं औरैया से बाहर जाकर काम कर रही है। जनपद की युवा महिलाओं में पारम्परिक शिक्षा के स्थान पर तकनीकी शिक्षा के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। अब वे पॉलीटैक्निक, आई.टी.आई., बी.टे. एवं जरर्नलिज्म का कोर्स या एम.बी.ए. की डिग्री प्राप्त करने के लिए या तो अवैतनिक अवकाश ग्रहण कर रही हैं या फिर दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अपने ज्ञान का विकास कर पुरूषों की भूमिका से होड़ लेकर प्रत्येक पुरूषोचित सामाजिक क्रियाकलाप में संलग्न है। अब महिलाओं की आँखों में पानी नहीं अंगारे हैं। वे उत्पीड़न के प्रति सजग है और अपने अधिकारों के प्रति सचेत।

साक्षात्कार

साक्षात्कार सामाजिक अनुसंधान एवं आँकड़े एकत्रित करने की एक प्राचीन एवं बहुचर्चित बहुउपयोगी विधि है। मानवीय मनोवृत्तियों एवं सामाजिक मूल्यों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करके उनको प्रकाश में लाये बिना किसी भी सामाजिक परिस्थिति का समुचित स्पष्टीकरण नहीं किया जा सकता तथा मानवीय मूल्यों और मनोवृत्तियों को तब तक अच्दी प्रकार से नहीं समझा जा सकता, जब तक मनुष्य के अन्दर के अनुभवों, उत्पीड़न, कुण्ठा, संघर्ष, अर्न्तद्वन्द, सम्प्रेरणाओं और अपनी संस्कृति के प्रति लगाव को हम स्पष्ट रूप से न समझ लें। इस दृष्टिकोण से साक्षात्कार विधि अत्यन्त उत्तम और व्यवहारिक हैं क्योंकि इसके द्वारा अध्ययनकर्ता उत्तरदाता के

अनुत्तरित प्रश्नों का उत्तर उसकी भाव भंगिमाओं और उत्तर देने कि विधि से मनोवैज्ञानिक रूप से प्राप्त कर सकता है।

अध्ययन के इस द्वितीय चरण में निदर्शन में चुनी गयी 306 (तीन सौ छः) विभिन्न जाति समूहों की अनेको कार्यालयों में कार्यरत महिला सूचनादाताओं तथा कार्यालय अधिकारियों, राजनैतिक नेताओं और जनपद के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों का साक्षात्कार लिया, जिससे महिलाओं की वर्तमान सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि, जागरूकता, सूचना प्रौद्योगिकी की उनके जीवन में भूमिका और सूचना प्रौद्योगिकी में महिलाओं की भूमिका। महिला सशक्तीकरण, मीडिया की भूमिका और महिला संगठनों की सूचनायें प्राप्त हुई। सामान्य सूचनादाता और महिला नेताओं का साक्षात्कार लेने के लिए अलग–अलग साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है।

अनुसूची

सामाजिक अनुसंधान के अन्तर्गत समस्या के समाधान के लिए इच्छित आँकड़ों को संग्रह करने के उद्देश्य से प्रस्तुत अध्ययन में अनुसूची को एक उपकरण के रूप में प्रयोग किया गया है।

प्रस्तुत अध्ययन में सामान्यतः तीन अनुसूचियों का प्रयोग किया है:–

1. सम्पूर्ण सर्वेक्षण अनुसूची।
2. साक्षात्कार अनुसूची (सूचनादाताओं के साक्षात्कार के लिए)।
3. अधिकारियों एवं नेताओं के साक्षात्कार की अनुसूची।

सम्पूर्ण अनुसूची का प्रयोग जनपद के समस्त विभागों एवं कार्यालयों में कार्यरत 1224 (एक हजार दो सौ चौबीस) महिलाओं की प्रारम्भिक

सूचनायें प्राप्त करने के लिए किया गया है। इस अनुसूची में सामान्य प्रकृति के दस (10) प्रश्न है जिन्हें विभाग के अधिकारी से पूछ कर सूचनायें संकलित की गयी है।

जनपद में कार्यरत सभी महिलाओं को तीन जाति समूह और हिन्दुएत्तर महिलाओं को अलग विभाजित कर (सवर्ण, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य धर्म) एक सौ बीस (120) प्रश्नों की छः पृष्ठों और चार भागों में विभाजित एक साक्षात्कार अनुसूची सूचनादाताओं के साक्षात्कार के समय उपयोग में लायी गयी जिसके माध्यम से परिचयात्मक सूचनायें, भूमिका प्रत्यय, महिला पुरूष की आर्थिक साझेदारी वैज्ञानिक, तकनीकी भूमिका, आधुनिकता, महिला सशक्तीकरण कार्य, आकांक्षायें, कार्य सन्तुष्टि, पारस्परिक सम्बन्ध, महिला स्वतन्त्रता, राजनैतिक स्थिति, महिला आरक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी में उनकी भूमिका आदि से सम्बन्धित सूचनायें एकत्र की गयी है।

इस अनुसूची के द्वारा औरैया जनपद की विभिन्न जातियों एवं धर्मो की महिला उत्तरदाताओं से सूचना एकत्र की है। जिन्हें उन्होंने अपनी सामाजिक स्थिति के अनुसार बताने का प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त परिशिष्ट के रूप में विभिन्न कार्यालयों में स्थित वेतन और कार्य के अनुसार निर्धारित विभिन्न पदों अठारह (18) को उत्तरदाताओं के द्वारा पद सोपान क्रम भी दिलाया गया है। विभिन्न जाति समूह की महिलाओं ने अपने अनुसार इन पदों को वरीयता क्रम दिया है।

विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों के सर्वोच्च अधिकारियों, सेवा योजकों, राजनैतिक जनप्रतिनिधियों के "सूचना प्रौद्योगिकी में महिलाओं की भूमिका"

के विचार जानने के लिए एक अलग से अनुसूची बनाई गयी जिसमें 35 प्रश्न हैं यह सभी प्रश्न पुरूषों की महिलाओं के प्रति विचार एवं सामाजिक प्रतिष्ठा को स्पष्ट करते हैं। इनके आधार पर महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक गतिशीलता राजनैतिक परिवर्तन एवं उनके जीवन में आने वाले नवीन तथ्यों को खोजने का प्रयास किया है। विभिन्न अधिकारी महिला सशक्तीकरण और भूमिका परिवर्तन के लिए किन–किन तत्वों को प्रमुख रूप से स्वीकार करते हैं, इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना इस अनुसूची का मुख्य ध्येय है।

अर्थात् अपने अध्ययन को पूर्णतः वैज्ञानिक बनाने के लिए अध्ययन को अधिक गहन एवं सूक्ष्म बनाने के लिए अवलोकन कार्य को वस्तुनिष्ठ बनाने के लिए और साथ ही साथ अवलोकन का प्रमाणीकरण करने के लिए हमने अनुसूचियों का प्रयोग किया है। अनुसूची के द्वारा आँकड़ों का संग्रह तो होता ही है ऐतिहासिक तथ्यों का मूल्यांकन भी होता है, इस प्रकार हमने अपने अध्ययन को व्यवस्थित बनाने का प्रयास किया है।

अध्ययन में प्रयुक्त विभिन्न आँकड़े एवं प्रालेख

औरैया की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने के उद्देश्य से तथा जनपद में कार्यरत विभिन्न जाति समूहों की महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक स्थिति में सूचना प्राद्योगिकी के द्वारा आने वाले परिवर्तनों एवं विभिन्न वर्गो के स्त्री–पुरूषों के आपसी सम्बन्धों को समझने के लिए विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक तथ्यों का संग्रह निम्नांकित दस्तावेजों एवं स्रोतों के माध्यम से किया है।

ऐतिहासिक आँकड़े

1. डिस्ट्रिक्ट गजेटियर इटावा (औरैया)।
2. सेन्सस रिपोर्ट।
3. जनपद की स्थापना एवं सर्वेक्षण सम्बन्धी रिपोर्ट।
4. तहसील, ब्लाक, कृषि विभाग, सिंचाई विभाग, जनपद मुख्यालय, चुनाव कार्यालय, आदि से प्राप्त अभिलेख।
5. शिक्षा विभाग,. एन.टी.पी.सी., ओ.एन.जी.सी., पेट्रो कैमिकल, जिला सूचना एवं सेवायोजन कार्यालयों से प्राप्त अभिलेख।
6. सांख्यकीय प्रतिवेदन।

पुलिस अभिलेख

विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत महिलाओं एवं अधिकारियों के मध्य हुए आपसी संघर्ष एवं सेवायोजकों की आपराधिक प्रवृत्ति उत्पीड़नात्मक क्रिया–कलापों का अध्ययन करने के उद्देश्य से जनपद औरैया के पुलिस अधीक्षक एवं विभिन्न थानों में उपलब्ध विगत दस वर्षो में पुलिस अभिलेखों का निरीक्षण कर उपयोगी आँकड़ों का संग्रह।

भौगोलिक अभिलेख

जनपद ब्लाकों एवं तहसीलों का भौतिक सत्यापन, जलवायु, वर्षा, कृषि, उत्पादन, नदियों, नहरों एवं सिंचाई के अन्य साधनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए 'जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया' के स्थानीय

कार्यालय से अभिलेखों का संग्रह। पिछले पाँच वर्षो में जनपद में पड़े सूखे, बाढ़, आदि के आँकड़ों का संग्रह भी अनिवार्य था।

<u>मीडिया से सम्बद्ध अभिलेख</u>

दृश्य, श्रव्य एवं प्रकाशन विभाग अर्थात मीडिया से सम्बद्ध विभिन्न कार्यालयों का सर्वेक्षण कर वहाँ प्राप्त आँकड़े, राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय, प्रादेशिक एवं जनपद स्तर पर 'सूचना प्रौद्योगिकी में महिलाओं की भूमिका' से सम्बद्ध समाचारों, लेखों, निबन्धों एवं रिपोर्ट्स की सूचनायें एवं आँकड़े एकत्र किये और शोध विषय के साथ उनका क्रमानुसार विश्लेषण अनिवार्य था।

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवसों, महिला वर्ष, महिला सशक्तीकरण वर्ष एवं विभिन्न अवसरों पर महिलाओं के लिए किये जाने वाले विभिन्न कार्यो, शासकीय नियमों, अन्तर्राष्ट्रीय अयोगों, मानव अधिकार आयोग में महिलाओं के अधिकार, सूचना का अधिकार एवं महिलाओं की स्थिति का गम्भीर निरीक्षण एवं सत्यापन करने के लिए विभिन्न प्रकाशित एवं अप्रकाशित पुस्तकों, योजनाओं, संविधानों का सदपयोग भी इस अध्ययन में तथ्यों का संग्रह करते समय किया है।

प्रस्तुत अध्ययन में महिला स्वतन्त्रता के हिमायती और महिला अधिकारों के लिए लड़ने वालों की मानसिक प्रवृत्ति का भी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है। जिस समस्या को और अधिक गहन गम्भीरता से समझना है, जिसके विषय में महिलाओं और समाज के प्रत्येक वर्ग को सचेत होना अनिवार्य है उन विषयेां को मीडिया या महिला संगठन किस रूप में प्रस्तुत करते हैं अनुसूची के द्वारा हमने उन आँकड़ों का संग्रह भी किया है। महिला संगठनों एवं पुरूषों की मानसिकता स्त्री वादी है या विरोधी? इन

तर्कों और वितर्कों के मध्य समस्या को समझने के लिए महिलाओं की परिस्थिति को समझना अनिवार्य है।

यह ठीक है कि आज परिस्थितियों में बदलाव आया है। स्त्री और पुरूष समान रूप से एक कहे जाते हैं, लेकिन इतना होते हुए भी व्यवहारिक रूप से हम यह देखते हैं कि आज भी अनेक सुविधायें महिलाओं को नहीं मिल रहीं, यह भी नहीं है कि आर्थिक रूप से स्वतन्त्र होने से स्त्री की सारी समस्याएं सुलझ गयी हैं और उनकी भूमिकाओं में अभिनव परिवर्तन आ रहे हैं।

निरीक्षण

निरीक्षण प्रविधि प्राकृतिक एवं सामाजिक दोनों विज्ञानों से सम्बन्धित अध्ययनों में प्रयोग होने वाली पूर्णतः वैज्ञानिक प्रविधि है इसका प्रयोग प्रारम्भ से ही होता आ रहा है। गुड एवं हैट लिखते हैं कि ''विज्ञान निरीक्षण से प्रारम्भ होता है और फिर सत्यापन के लिए अन्तिम रूप से निरीक्षण पर ही लौट कर आना पड़ता है।''

पी0वी0 यंग के अनुसार, निरीक्षण को नेत्रों द्वारा सामूहिक व्यवहार एवं जटिल सामाजिक संस्थाओं के साथ ही साथ सम्पूर्णता की रचना करने वाली पृथक इकाईयों के अध्ययन की विचारपूर्ण पद्धति के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है।

अंततः हम यह कह सकते हैं कि एक निरीक्षण प्रविधि ही प्राथमिक सामग्री के संग्रहण की प्रत्यक्ष प्रविधि है। निरीक्षण का तात्पर्य उस प्रविधि से है जिसमें ज्ञानेन्द्रियों द्वारा नवीन अथवा प्राथमिक तथ्यों का विचार पूर्वक संकलन किया जाता है साथ ही साथ इस प्रविधि में अनुसंधानकर्ता अध्ययन

के अन्तर्गत आए समूह के दैनिक जीवन में भाग लेते हुए अथवा उससे दूर रहकर अपनी ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा उनके सामाजिक एवं व्यक्तिगत व्यवहारों का निरीक्षण करता है।

वैज्ञानिकों ने अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से निरीक्षण को कई भागों में विभाजित किया है। प्रमुख रूप से निरीक्षण का निम्नवत् वर्गीकरण किया जा सकता है।

1. अनियन्त्रित निरीक्षण।
2. नियन्त्रित निरीक्षण।
3. सहभागी निरीक्षण।
4. असहभागी निरीक्षण।
5. अर्द्धसहभागी निरीक्षण।
6. सामूहिक निरीक्षण।

प्रस्तुत अध्ययन में हमने अर्द्धसहभागी निरीक्षण का सहारा लिया है। पूर्ण सहभागी या पूर्ण असहभागी निरीक्षण प्रविधि का प्रयोग कभी–कभी ही सम्भव हो पाता है। इसलिए गुड एवं हैट ने इन दोनों के मध्यवर्ती मार्ग को अपनाने का सुझाव दिया है, जिसको अर्द्ध सहभागी निरीक्षण कहा जाता है। इस प्रकार के निरीक्षण कार्य में अनुसंधानकर्ता अध्ययन किये जाने वाले समुदाय के कुछ साधारण कार्यों में भाग भी लेता है तथा अधिकांशतः तटस्थ भाव से बिना भाग लिये अपनी सम्पूर्ण ज्ञानेन्द्रियों को सजग रखते हुए क्रिया–कलाप, रीति–रिवाज़, सांस्कृतिक मूल्यों, आर्थिक मापदण्ड, रहन–सहन का निरीक्षण भी करता है। प्रो0 विलियम व्हाइट का मानना है

कि हमारे समाज की जटिलता के कारण पूर्ण एकीकरण का दृश्टिकोण अव्यवहारिक रहता है। एक वर्ग के साथ एकीकरण से अध्ययनकर्ता का सम्बन्ध अन्य वर्गो से समाप्त हो जाता है। अतः अर्द्ध तटस्थ नीति ही बनाये रखना अधिक उत्तम होता है।

निरीक्षण प्रविधि के गुण एवं महत्व संदेह रहित होने के कारण, आजकल अनुसंधान कार्यो में इसकी उपयोगिता अत्यधिक बढ़ गयी है क्योंकि–

1. निरीक्षण प्रविधि अत्यन्त सरल है इसमें किसी विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती अतः निरीक्षण करना सहज और आसान होता है।

2. इस प्रविधि से अनुसंधानकर्ता को अत्यधिक यथार्थ एवं विश्वसनीय निष्कर्ष प्राप्त होते है।

3. अध्ययन पूर्व निरीक्षण से प्राकल्पनाओं के निर्माण में अत्यधिक सहायता मिलती है।

4. निरीक्षण प्रविधि से प्राप्त सूचनाओं को आसानी से सत्यापित किया जा सकता है।

5. एक ही सामाजिक घटना को अनेकों बार निरीक्षण करके अनुसंधानकर्ता सत्य एवं वास्तविक निष्कर्ष प्राप्त करता है।

सम्भवतः अन्य प्रविधियों में यह सुविधायें इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होती।

प्रस्तुत अध्ययन में 'सूचना प्रौद्योगिकी में महिलाओं की भूमिका' का वास्तविक संज्ञान प्रापत करने के लिए हमने अपने अध्ययन क्षेत्र औरैया जनपद में स्थित सभी कार्यालयों का निरीक्षण कर उन कार्यालयों में कार्य करने वाली सभी श्रेणियों एवं वर्गो की महिलाओं का निरीक्षण कर वास्तविक संख्या 1224 को सत्यापित किया और अनुसूची एवं साक्षात्कार प्रविधि का प्रयोग करते समय निरीक्षण के उद्देश्य से सम्पूर्ण क्रिया–कलापों, सहकर्मियों के व्यवहार, अधिकारी के उत्तरदाता कर्मी के साथ सम्बन्ध, कार्यालय में उसकी वास्तविक कार्य अवधि, अवकाश के क्षणों में समय का उपयोग, अपने कार्य के प्रति निष्ठा, परिवार में भूमिका का स्वरूप, परिवार की शैक्षिक, आर्थिक स्थिति आदि का मूल्यांकन निरीक्षण के द्वारा किया है।

सामान्यतः महिला को बेहतर जीवन–यापन के लिए कितनी तरह की आजादी चाहिए? इनमें से कितनी आजादी उसने हासिल कर ली है और यदि किसी क्षेत्र में महिलाओं की स्वतन्त्रता बाधित है तो क्यो? उसके अपने क्षेत्र विशेष में स्वतन्त्रता की क्या स्थिति है? महिलाओं की सार्थक और पूर्ण आजादी के लिए अभी क्या कुछ करना शेष है? आजादी के साठ वर्षो में महिलाओं की भूमिका में कहाँ–कहाँ, क्या–क्या, कितनी मात्रा, क्यों और कैसे परिवर्तन आये? इन प्रश्नों का वास्तविक लेखा–जोखा केवल साक्षात्कार से प्राप्त नहीं हो सकता था अतः घूंघट तक पहुँची इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी हमें निरीक्षण के द्वारा ही दिखाई दी। महिलाओं का साक्षर और तत्पश्चात वैज्ञानिक रूप से साक्षर होना (जिसमें कम्प्यूटर शिक्षा भी शामिल हैं) अति आवश्यक है। इसके लिए देश काल व परिस्थिति तीनों के प्रति उनके सम्पूर्ण आयामों में एक साथ ध्यान देते हुए प्रयासरत रहना आवश्यक है। कहना न होगा कि ऐसा तभी सम्भव हो पायेगा, जब सूचना की उपलब्धता

से लेकर जागरूकता प्रसार और अनुभवों के आदान–प्रदान में महिला और पुरूष एक दूसरे के सहयोगी बने और अपनी निरीक्षणात्मक भूमिका के द्वारा महिलायें स्वतः संसाधनों को प्रचुर मात्रा हासिल करें।

अध्ययन क्षेत्र औरैया जनपद के निरीक्षण में हम इस तथ्य को स्वीकार करने में सहमत हुए है कि विज्ञान के महत्वपूर्ण कारक सूचना प्रौद्योगिकी के विस्तृत क्षेत्र में शायद ही कोई ऐसा उप क्षेत्र हो जिसमें महिलाओं की भूमिका कहीं से कम हो क्योंकि मानसिक दृढ़ता, ज्यादा भाग–दौड़ से बचाव, एकाग्र व शान्त व्यवस्था के तहत महिलाएं पुरूषों की तुलना में कहीं अधिक उपयुक्त हैं और उनकी भूमिका का मूल्यांकन प्रशासनिक दृष्टि से किया जा रहा है। कार्यालय की गम्भीर समस्याओं एवं कार्यो का निराकरण, कम्प्यूटर में अधिक जागरूकता के साथ कार्य करना उनकी हॉबी बन रहा है।

1998–1999 के वर्षो से महिलाओं ने बहुत तेजी से सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपने कदम बढ़ाए हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार ऑन लाइन कार्य करने वाले कुल भारतीयों में से 51 प्रतिशत महिलाएं है जबकि अमेरिका में यह प्रतिशत 28.3 है।

प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य बदलती आर्थिक परिस्थितियों के बीच महिलाओं की भूमिका का अध्ययन करना है जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी एवं तकनीक उन्हे आधुनिकता से जोड़ती हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और महिला समानता जैसे सभी पहलू एक–दूसरे से जुड़े हुए हैं। आधुनिकता की चुनौतियों से इन पहलुओं पर पड़ रहे दबाव का प्रतिरोध अंततः महिलाओं को स्वतः करना है और इसके हथियार है चेतना, स्वावलम्बन, आत्मविश्वास

ओर एकता। अतः हमने अपनी अध्ययन पद्धति में अनुसूची प्रणाली के द्वारा इन सभी तत्वों को सम्मिलित किया है। क्या महिलाएं उन्हें उपलब्ध सुविधाओं तथा अधिकारों का पूरा लाभ उठा रही है? क्या वे अपने बल पर नई सुविधायें खडत्री कर रही हैं? उनके ऊपर उपभोक्तावाद और बाजारवाद का कितना प्रभाव पड़ा है? इन समस्याओं का निराकरण वे कैसे करती है? आधुनिक तकनीकी घरेलू उपकरणों का उनके जीवन में क्या महत्व है? उनके ऊपर इन उपकरणों का प्रभाव सकारात्मक है या नकारात्मक? घरेलू कार्यो से अब वे कित-ना समय बचा रही है? बचाय समय का सदपयोग वे कैसे और कहाँ करती है? हमारी विषयवस्तु है।

वैश्वीकरण व डिजीटल तकनीकों के पदार्पण ने आर्थिक विकास के इंजन को मानव व मशीनी ताकत से बौद्धिक दक्षता में बदल दिया है। इसने विकास की प्रक्रिया में बौद्धिक सम्पदा अधिकारों (आई.पी.आर.) के महत्व को काफी बढ़ा दिया है। सामान्य अवधारणा यह है कि आई.पी.आर. केवल वैश्विक औद्योगिक अर्थव्यवस्था में ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ग्रामीण इलाकों में इसका महत्व कम ही है किन्तु महिलाओं और पुरूषों दोनों के लिए वैश्विक बौद्धिक सम्पदा अधिकारों का समान महत्व है, अतः हमारा यह अध्ययन महिलाओं को बौद्धिक अधिकारों के सृजन की भूमिका खोज़ रहा है।

सारणीयन एवं वर्गीकरण

विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं और अनुसूचियों के द्वारा प्राप्त सूचनादाताओं के उत्तरों को सांकेतिक रूप प्रदान करके (कोड डिजाइन के माध्यम से) उनका विवरण विभिन्न सारणीयों में अंकों के रूप में किया है।

सांख्यिकीय सूत्रों का प्रयोग करके आवश्यकतानुसार विभिन आँकड़ों की प्राथमिकता भी परखी गयी है।

अध्ययन एवं अध्ययन क्षेत्र में कुछ अविस्मरणीय अनुभव

राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से औरैया उत्तर प्रदेश का एक अहम नगर रहा है, इटावा से अलग कर बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने औरैया को जनपद का स्थान दिया है। घी की मण्डी के रूप में मशहूर औरैया इस समय प्रदेश में सर्वाधिक राजस्व प्रदान करने वाला जनपद है। दिबियापुर उप नगर में एन.टी.पी.सी. एवं ओ.एन.जी.सी. के अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठान स्थापित होने के पश्चात यहाँ के स्त्री एवं पुरूषों का शैक्षिक और राजनैतिक परिदृश्य बदलने से आर्थिक विकास की गति तेजी से बढ़ रही है। इस विकास में पुरूषों के साथ–साथ महिलाएं भी ताल से ताल मिलाने के लिए उद्यत है। हमें अपने सर्वेक्षण और अध्ययन के मध्य कई रोचक एवं महत्वपूर्ण अनुभव हुए।

जहाँ एक ओर इस जनपद की महिलाएं सूचना प्रौद्योगिकी ओर तकनीकी शिक्षा के माध्यम से महानगरों की महिलाओं से होड़कर रही हैं वहीं प्राइमरी स्कूलों में कार्यरत महिलाओं की भूमिका एक कठपुतली की तरह हैं, अधिसंख्यक शिक्षिकायें कानपुर इटावा आदि नगरों से आकर औरैया जनपद के प्राइमरी एवं परषदीय स्कूलों में पढ़ाती है जिसमें उनका अधिकतर समय ट्रेन से आने और जाने में व्यय हो जाता हैं, उनकी ऊर्जा का क्षरण उनके मन में कुण्ठा उत्पन्न करता है।

सी.बी.एस.सी. बोर्ड के एक प्रतिष्ठित विद्यालय में साक्षात्कार और सर्वेक्षण के मध्य अत्यन्त रोचक और अविस्मरणीय अनुभव हुए जहाँ एक

महिला टीचर कक्षा में पढ़ाने के समय 92.1 एफ.एम. रेडियो से कोई मनोरंजक कार्यक्रम सुन रही थी उससे जब इस विषय में प्रश्न किया, तो बिना झिझक उसने उत्तर दिया सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ हर समय उठाया जा सकता है। नयी–नयी तकनीक ने हमें अध्ययन–अध्यापन के उपकरण उपलब्ध कराये हैं तो इनका प्रयोग कक्षा में क्यों नहीं।

औरैया एवं दिबियापुर नगरों की नगर पंचायत अध्यक्ष दोनों ही महिलाएं हैं दोनों को 'चेयरमैन' शिप अपने–अपने पतियों से विरासत में मिली है किन्तु दोनों की कार्य पद्धति में व्यापक आधारभूत अपने पति के निर्देशानुसार कार्य करती हैं किन्तु दिबियापुर नगर पंचायत अध्यक्ष ने अपने पति के सम्पूर्ण हस्तक्षेपों को दर–किनार करके अपने स्वतन्त्र अस्तित्व को ही नहीं बनाया नगर की महिलाओं को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के लिए अनेक कार्यक्रम संचालित किये हैं। इन महिलाओं के साथ साक्षात्कार में एक जगह निराशा मिली प्रश्नों के उत्तर पति द्वारा बिना सोंचे समझे दिये गये जबकि दूसरे स्थान पर बेबाक पुरूष मानसिकता का न केवल परिचय मिला बल्कि व्यवहारिक रू‌प से देखने को भी प्राप्त हुआ।

एन.टी.पी.सी. और गैल में कार्यरत उच्च वेतनमान प्राप्त महिला उत्तरदाताओं ने शोध कार्य के प्रति उपेक्षा दर्शायी जब अधिक अनुनय विनय किया तो अनुसूची लेकर रख ली और एक सप्ताह बाद लेने का निर्देश दिया।

हमने अपने अध्ययन में कुछ आपराधिक प्रवृत्ति की महिलाओं को भी सम्मिलित किया है जो जुआ, सट्टा, अधिक ब्याज में रुपया उधार देने के आर्थिक कार्यों से जुड़ी हैं। अपेक्षाकृत कम शिक्षित और तकनीकी ज्ञान में

शून्य होने के बाद भी वे सूचना प्रौद्योगिकी का भरपूर लाभ अपने धन्धे में उठा रही हैं उन्होंने शोध कार्य के प्रति उत्सुकता दिखाते हुये प्रत्येक प्रश्न का विस्तार से उत्तर दिया बिना झिझक अपनी कर रहित आर्थिक स्थिति को स्पष्ट किया और अधिकारियों के बिकाऊ होने का दोषारोपण भी किया। एक नामचीन महिला जो डकैतों के साथ कार्य करती रही है, महिला सशक्तीकरण के लिए अपना शेष जीवन समर्पित करने के लिए तत्पर है।

अनेकों जन आन्दोलनो, संवैधानिक व्यवस्थाओं, महिला आयोग, चेतना ओर महिलाओं का पुरूषों से अधिक शिक्षित होने के बाद भी कहीं न कहीं महिलाओं के अन्दर पुरूषों में कमतर होने का दंश उन्हें सालता रहता है भारत का विज्ञान और प्रौद्योगिकी महिलाओं की भूमिका परिवर्तन में तो पूर्णतः सक्षम है और इसमें अमूल–भूत परिवर्तन भी हुये हैं, किन्तु महिला–पुरूष की विषमता को कम करने में भारत की प्रौद्योगिकी को अभी समय लगेगा।

बहुत सी महिलाओं को अपना वेतन आज भी परिवार के पुरूष सदस्यों को सौंपना पड़ता है, या पुरूष महिलाओं की सहृदयता, का अनुचित लाभ उठाते हुए चलाकी से उनकी जमा पूँजी और वेतन पारिवारिक दायित्वों में खर्च करवा लेते हैं। हमारे अध्ययन में एक महिला उत्तरदाता ऐसी भी है जो अपने पति के व्यसनों को पूरा करने के लिए धन देती हैं। तीन उत्तरदाता ऐसी महिलायें हैं जिनके पति उच्च शिक्षित और स्वस्थ होने के बाद भी कोई नौकरी या व्यवसाय नहीं करना चाहते जब हमने इन महिलाओं को उत्तेजित करने के लिए यह प्रश्न किया कि "लगता है आपके

पति बीबी के पैसों पर पल रहा है?'' तो वे क्रोधित हो गयी और इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने से मना कर दिया।

सबसे मर्मान्तक घटना यह है कि जब अध्ययनकर्ता एक महिला पुलिसकर्मी के साथ उसकी ड्यूटी समाप्त होने पर उसके साथ उसके आवास पर गयी तो उसका पति हमें देखते ही चिल्ला–चिल्ला कर डांटने और गाली देने लगा, महिला पुलिस कर्मी के सिसकने की आवाज आने पर जब मैने अन्दर की तरफ झांका तो वह आदमी मुझ पर बिगड़ने लगा और मुझे घर से भगा दिया, अगले दिन जब ड्यूटी के समय मैं जब पुलिस स्टेशन उससे मिलने गयी तब फफक–फफक कर उसने अपनी आपबीती सुनाई और कहा यह तो उसका रोज का व्यवहार है। महिला अधिकारों के प्रति दूसरों को सचेत करने वाली महिलाएं भी जब उत्पीड़न का शिकार होंगी तो हमारे संविधान, और अधिकारों का ढोल पीटना व्यर्थ है।

लेकिन ऐसे परिवार भी हैं जो पति–पत्नी के रूप में आदर्श जीवन साथी की भूमिका निभा रहे हैं, एक सामान्य से पद पर कार्य करने वाली महिला के साथ जब मैं उसके निवास पर गयी तो मेरे साक्षात्कार लेने के दौरान उसके प्रोफेसर पति चाय और स्नेक्स लेकर आ गये। बच्चे उच्च शिक्षा के लिए बाहर है अतः पति–पत्नी दोनों पारस्परिक सहयोग से बिना किसी तनाव या संघर्ष के जीवन–यापन कर रहे हैं।

यह बात दोहराने की आवश्यकता नहीं कि भारतीय समाज में पुरूषों की तुलना में महिलाओं को हीन और दुर्बल माना जाता है अर्थात् हर मामले में महिलाओं के साथ भेद–भाव किया जाता है यह भेद–भाव शहरों की तुलना में गांवों में काफी अधिक दिखाई देता था किन्तु सूचना प्रौद्योगिकी

की सार्थक भूमिका ने इस स्थिति को बदल दिया है। नई नीतियों का लाभ अब मुख्यतः ग्रामीण मध्यम वर्ग उठा रहा है, जबकि इनके नकारात्मक प्रभाव नगरों में हरने वाले मजदूरो और औद्योगीकरण से जूझ रहे नागरिकों में अधिक दिखाई दे रहे है। किसी भी विपरीत प्रभाव की मार महिलाओं पर दोहरी पड़ती है, क्योंकि महिला होने कारण हर कुप्रभाव का ज्यादा बोझ औरतों को उठाना पड़ता है। हमने अपने अध्ययन में विभिन्न क्षेत्रों में नगरीय महिलाओं के सामने पेश आ रही नई चुनौतियों का विश्लेषण भी किया है।

सूचना प्रौद्योगिकी में महिलाओं की भूमिका
(एक समाजशास्त्रीय अध्ययन)

Role of Women in Information Technology
(A Sociological Study)

तृतीय अध्याय

सामाजिक पृष्ठ भूमि और उपलब्ध साहित्य की समीक्षा

- भौगोलिक पृष्ठ भूमि
- सामाजिक पृष्ठ भूमि
- आर्थिक पृष्ठ भूमि
- साहित्यिक समीक्षा
- उत्तरदाताओं का आर्थिक परिवेश

तृतीय अध्याय

सामाजिक पृष्ठभूमि और उपलब्ध साहित्य की समीक्षा

भौगोलिक पृष्ठभूमि

आध्यात्मिक उत्पकर्ष, अतीत के वैभव, गरिमा, सांस्कृतिक शालीनता, विद्वता एवं गौरव गाथाओं के स्वर्णिम इतिहास और वर्तमान में प्रदेश की आर्थिक ऊर्जा और विशिष्ट राजनैतिक चेतना को अपने में संजोये औरैया जनपद की भौगोलिक सीमा/स्थिति बुन्देलखण्ड मण्डल के सहोदर कानपुर मण्डल में मध्य गंगा यमुना दोआब में 26^0 21′ 10″ से 26^0 56′ 25″ उत्तरी अक्षांश तथा 79^0 12′ 10″ से 79^0 45′ 15″ पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। जनपद का क्षेत्रफल 2054 वर्ग किमी0 है, इसकी लम्बाई पूर्व से पश्चिम की ओर 65 किमी0 और चौड़ाई उत्तर से दक्षिण की ओर 47 किमी0 हैं। इसकी समुद्र तट से ऊँचाई 132 से 145 फीट के मध्य है, इसका ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। सितम्बर, 1997 में यह जिला अस्तित्व में आया। इस जिले के दक्षिण में बुन्देलखण्ड क्षेत्र का जालौन उत्तर में कन्नौज पूर्व में कानपुर देहात एवं पश्चिम में इटावा जिला है। इसका आकार लगभग आयताकार है। यह जिला उत्तर से दक्षिण की ओर लम्बाकार रूप में फैला हुआ है।

प्रशासन की दृष्टि से इस जिले को दो तहसीलों में बाँटा गया है औरैया और विधूना तथा सात विकास खण्ड क्रमशः एरवा कटरा, विधूना, अछल्दा, सहार (विधूना तहसील), अजीतमल, भाग्य नगर, औरैया (औरैया

तहसील) है। विधूना बड़ी तहसील है जिसका क्षेत्रफल 112.1 वर्ग किमी0 हैं कुल राजस्व गांव 841 हैं जिनमें 771 गांव आबाद है किन्तु 70 गांव ऐसे हैं जहाँ आबादी नहीं है। जनपद औरैया में एक नगर पालिका परिषद 6 नगर पंचायते (टाउन एरिया) हैं तथा कुल 75 न्याय पंचायते हैं जिनमें 441 ग्राम सभाएं हैं।

जनपद औरैया एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला क्षेत्र है यहाँ लगभग 72 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित हैं यहाँ के किसानों की मुख्य समस्या कृषि की न्यून उत्पादकता है। इस कारण यहाँ का किसान बहुत गरीब है उसके अथक परिश्रम के बावजूद खेती में उतना ही अनाज पैदा होता है जिससे वह अपने परिवार का जैसे–तैसे गुजर–बसर कर सके उसके पास कृषि में लागत लगाकर नयी तकनीक और विधि के लिए बहुत कम धन बचता है।

जनपद में सिंचाई की समस्या बहुत गम्भीर है जो भी साधन उपलब्ध हैं वे अव्यवस्थित हैं।

औरैया में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि एवं उत्तराधिकार के कारण प्रति व्यक्ति भूमि का अनुपात कम होता जा रहा है तथा भू जोतो का आकार भी कम हो रहा है। यमुना एवं सेंगर नदियों के बीहड़ क्षेत्रों में नील गायों, जंगली गायों एवं अन्य जानवरों का प्रकोप काफी अधिक है ये जानवर किसानों द्वारा उगायी जाने वाली फसलों को खा जाते हैं।

जनपद के किसानों की एक प्रमुख समस्या बाजार केन्द्रों और मण्डियों का दूर–दूर स्थित होना है और उन बाजार केन्द्रों पर पहुँचने के लिए यातायात की भी व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। किसानों को अपनी फसल

का उचित मूल्य प्राप्त न होने के कारण उनके मन में कृषि कार्यो के प्रति धीरे–धीरे अरूचि उत्पन्न हो रही है और बच्चों की अच्छी शिक्षा दीक्षा तकनीकी ज्ञान, संचार साधनों के द्वारा कृषिएत्तर कार्यो के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। किसान भी 'आधी दुनिया का सच' समझ गया है और लड़कों के साथ–साथ लड़कियों की शिक्षा के प्रति काफी सचेत है।

हमारा प्रारम्भिक समाजशास्त्रीय अध्ययन एवं शोध कार्य, आँकड़ों के सामान्य विश्लेषण एवं सामान्य मानचित्रात्मक विधियों पर आधारित है। 20वीं शताब्दी के साथ–साथ समाजशास्त्र की अन्य शाखओं के समान कृषि समाजशास्त्र के एक नवीनतम् विधि तन्त्र का क्रान्तिकारी विकास हुआ है। विभिन्न नवीनतम सिद्धान्तों एवं सांख्यिकीय तकनीकों के आधार पर कृषि के गहन और गम्भीर अध्ययन के फलस्वरूप आज कृषि का समाजशास्त्र पृथ्वी धरातल के वास्तविक तथ्यों के ज्ञान का वैज्ञानिक विश्लेषण करने में सक्षम हुआ है।

प्रस्तुत अध्ययन में सूचनाओं एवं आँकड़ों का एकत्रीकरण प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों ही प्रकार के स्रोतों से किया है।

प्राथमिक आँकड़ों को सूचना स्रोत के रूप में विशेष महत्व दिया है। प्राथमिक आँकड़ों का संकलन ब्लाक स्तर पर एवं परिवार स्तर पर अलग–अलग साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से सम्पन्न किया गया है। इस अध्ययन के लिए जनपद औरैया की भौतिक विशिष्टताओं एवं सामाजिक आर्थिक स्वरूपों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक विकास खण्ड (ब्लाक) में कार्यरत महिला उत्तरदाताओं का चयन किया गया है ताकि अध्ययन क्षेत्र की सामान्य विशेषताओं और स्थानीय स्तर पर मिलने वाली विषमताओं को

चिन्हित किया जा सके। इस प्रकार चयनित सभी ब्लाकों में से 306 उत्तरदाताओं का चयन स्तरित यादृच्छिक प्रतिचयन विधि द्वारा किया गया है। क्षेत्र के अधिकारियों एवं राजनेताओं के अनुभव जो कि क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर प्राप्त किये गये हैं, उनका प्रयोग निष्कर्षो के निकालने में किया गया है।

प्रस्तुत अध्ययन में द्वितीय आँकड़ों एवं सूचनाओं का संकलन विधि स्रोतों द्वारा किया गया है। संरचना, उच्चावच एवं अपवाह तन्त्र की सूचनाएं, जनपद के गजेटियर से प्राप्त की गयी है। इसी प्रकार आर्थिक संरचना, जलवायु, प्रकृति, प्राकृतिक संरचना आदि से सम्बन्धित आँकड़े प्रकाशित सांख्यिकीय पत्रिकाओं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, लखनऊ कलेक्ट्रेट, औरैया एवं ऋतु वेधशाला मैनपुरी से प्राप्त किये गये है। भोगोलिक पृष्ठभूमि में सांस्कृतिक पक्ष के अन्तग्रत अधिवास एवं जनसंख्या सम्बन्धी आँकड़े 1991 की जनपद जनगणना पुस्तिका से प्राप्त किये गये हैं तथा सन् 2001 की जनगणना को कानूनगों कार्यालय के स्रोतों द्वारा प्राप्त किया गया है। आर्थिक एवं सामाजिक पक्षों से सम्बन्धित सूचनाएं जनपद के विभिन्न कार्योलयों एवं विकास खण्ड कार्यालयों से प्राप्त किये गये हैं। भूमि उपयोग सम्बन्धी आँकड़े जनपद की वर्ष 1986 की सांख्यिकीय पत्रिका तथा राजस्व विभाग के कार्यालय से प्राप्त किये है। विद्युत सम्बन्धी आँकड़े जिला विद्युत कार्यालय के अप्रकाशित प्रतिवेदनों द्वारा प्राप्त किये गये हैं।

मानचित्र भी सूचना के प्रमुख महत्वपूर्ण स्रोत है, उच्चावच दशाओं विशेषकर उत्पात भू दृश्य एवं अपवाह का विश्लेषण भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून के द्वारा प्रकाशित 1:50,000 मापक वाले भू–पत्रक $54\frac{N}{1}$, $54\frac{N}{2}$,

$54\frac{N}{3}$, $54\frac{N}{4}$, $54\frac{N}{5}$, $54\frac{N}{6}$, $54\frac{N}{7}$ के आधार पर किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य उपयोगी मानचित्र सड़के (लोक निर्माण विभाग) वनों का विवनण वन विभाग आदि विभिन्न विभागों से प्राप्त किये हैं। इनके अतिरिक्त चयनित विकास खण्डों के भू–दृश्य का विश्लेषण करने के लिये चयनित विकास खण्डों के मानचित्र राजस्व विभाग से प्राप्त किये गये हैं। जनपद की जनगणना पुस्तिका के मानचित्रों का भी सहारा लिया गया है।

सभी विकास खण्डों के आधार पर आँकड़े एकत्रित करके महिलाओं में शैक्षिक, सामाजिक, पारिवारिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनैतिक विषमता ज्ञात की गयी है। विभिन्न स्रोतो से प्राप्त आँकड़ों को वर्गीकृत करके क्रमवार सारणीयां तैयार की गयी हैं। जनपद में क्षेत्रीय विषमता ज्ञात करने के लिए नवीनतम सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया है।

जलवायु, तापमान, वर्षा

भौतिक क्षेत्र

प्राकृतिक विषमताओं के आाार पर औरैया जनपद को चार भागों में बाँट सकते हैं–

1. उत्तरी भाग
2. अहनैया सेंगर दोआब
3. सेंगर यमुना दोआब
4. यमुना बीहड़ क्षेत्र

जलवायु

मानव समाज को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारकों में धरातल के बाद जलवायु का ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान हैं, इसके द्वारा मनुष्य की दैनिक क्रिया–कलाप आर्थिक एवं राजनैतिक क्रियायें नियंत्रित होती हैं, उनका सन्तुलन भी बदलता रहता है। आज के वैज्ञानिक, तकनीकी युग में भी जलवायु का विशेष प्रभाव परिलक्षित होता है, अतः मानव समाज की विषमताओं, पारस्परिक सम्बन्धों और व्यवसाय सभी कुछ जलवायु पर निर्भर करते हैं। जलवायु के विभिन्न तत्व जैसे तापमान, वर्षा, आर्द्रता, पवन प्रवाह आदि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से हमारे कार्यो पर अपना प्रभाव डालते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार हमारे सभी कार्यो पर 50 प्रतिशत से अधिक नियंत्रण जलवायु का होता है। सम्पूर्ण भारत की ही तरह औरैया जनपद का व्यापारिक भू–दृश्य भी जलवायु पर निर्भर करता है। वर्षा के अतिरिक्त औरैया जनपद में जलवायु सम्बन्धी अन्य सभी आँकड़े भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला मैनपुरी से प्राप्त किये गये हैं। जनपद की जलवायु को सामान्य भाषा में समशीतोष्ण कहा जा सकता है।

तापक्रम

तापक्रम मनुष्य के उद्‌विकास और परिवर्तन की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। जिस प्रकार बीज के अंकुरण से लेकर पकने तक पौधे को उचित तापमान की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार मानव शिशु को माँ के गर्भ से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक पहुँचने में तापक्रम की अहम भूमिका है। जनपद में मार्च महीने से तापक्रम बढ़ने लगता है तथा जून तक बराबर बढ़ता रहता है। जनपद में मई–जून में नोट किया गया

अधिकतम तापमान क्रमशः 47.9^0 डिग्री सेन्टीग्रेट एवं 47.6^0 डिग्री सेन्टीग्रेट है। जून के महीने का औसत वास्तविक मासिक अधिकतम तापमान 45.7^0 डिग्री सेन्टीग्रेट और न्यूनतम 23.6^0 डिग्री सेन्टीग्रेट है। जून का ही औसत दैनिक अधिकतम तापमान 40.8^0 डिग्री सेन्टीग्रेट और न्यूनतम 28.5^0 डिग्री सेन्टीग्रेट है। यद्यपि जून सबसे गर्म महिना होता है और सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न तकनीकी उपकरण अधिक गर्मी के कारण और विद्युत आपूर्ति बाधित होने के कारण प्रभावित होते हैं, पुरूषों और विशेष रूप से महिलाओं की कार्य क्षमता भी गर्मी के कारण प्रभावित होती है। परन्तु इस महीने के अन्तिम सप्ताह में वर्षा प्रारम्भ हो जाती है, जिससे तापक्रम गिरने लगता है।

वर्षा के कारण जुलाई से तापमान कम होने लगता है जुलाई का औसत वास्तविक मासिक अधिकतम एवं न्यूनतम तापक्रम क्रमशः 40.8^0 डिग्री सेन्टीग्रेट एवं 23.3^0 डिग्री सेन्टीग्रेट है। औसत दैनिक अधिकतम तापक्रम सितम्बर एवं अक्टूबर के महीने में बढ़ जाता है। अक्टूबर में रात्रि प्रायः ठण्डी होने लगती है। जबकि औसत दैनिक न्यूनतम तापक्रम 18.9^0 डिग्री सेन्टीग्रेट तक गिर जाता है। तापक्रम के घटने का यह क्रम नवम्बर–दिसम्बर एवं जनवरी तक जारी रहता है और व्यावसायिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य आदि की दृष्टि से इन महीनों में विकास की गति बढ़ जाती है। जनपद में जनवरी का महीना सबसे ठण्डा होता है जबकि औसत वास्तविक मासिक अधिकतम तापमान 26.3^0 डिग्री सेन्टीग्रेट एवं न्यूनतम तापमान 3.6^0 डिग्री सेन्टीग्रेट होता है। जनवरी महीने का रिकार्ड किया गया न्यूनतम तापक्रम 01.7^0 डिग्री सेन्टीग्रेट है। फरवरी महीने से तापक्रम में धीरे–धीरे वृद्धि होने लगती है। परन्तु यह वृद्धि मार्च महीने तक अधिक स्पष्ट हो जाती है।

वर्षा

जनपद में दो वर्षामापी केन्द्र हैं– औरैया एवं विधूना। औरैया की औसत वार्षिक वर्षा 757.4 मिमी0 एवं विधूना की 819.7 मिमी0 है। जनपद में वर्षा अधिकांशतः जून से सितम्बर तक के चार महीनों में होती है। शीत ऋतु के दिनों में उत्तर पश्चिम से आने वाले चक्रवातों से भी वर्षा की प्राप्ति होती है। यह वर्षा सामान्य रूप से नवम्बर में होती है। जनपद के नवम्बर माह की औसत मासिक वर्षा 21.1 मिमी0 है। जबकि जनवरी व फरवरी की औसत मासिक वर्षा क्रमशः 17.3 मिमी0 एवं 8.8 मिमी0 है। न्यूनतम औसत मासिक वर्षा 5.4 मिमी0 अप्रैल महीने में देखने को मिलती है। जनपद में वार्षिक वर्षा का वितरण असमान है। जनपद के उत्तरी पूर्वी भाग में 600 मिमी0 से अधिक वर्षा होती है जबकि दक्षिणी पश्चिमी भाग में 725 मिमी0 से कम वर्षा होती है। वार्षिक वर्षा के वितरण से ज्ञात होता है कि वर्षा की मात्रा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर क्रमशः कम होती जाती है।

जनपद में तापक्रम और सापेक्षिक आर्द्रता का अन्तर्सम्बन्ध प्रदर्शित करने के लिए ''कलाइमोग्राफ'' तैयार किया जाता है। इसकी सहायता से अध्ययन क्षेत्र की ऋतु सम्बन्धी दशाओं का ज्ञान शीघ्रता एवं सरलता से सम्भव है। जिन महीनों में आर्द्र वायु का तापमान अधिक होता है, उन्हीं महीनों में सापेक्षिक आर्दता भी अधिक होती है। अध्ययन क्षेत्र औरैया जनपद की जलवायु न तो अधिक उष्ण व शुष्क, न उष्ण एवं आर्द्र, न ठण्डी व आर्द्र, न ठण्डी व शुष्क है। अर्थात् अध्ययन क्षेत्र की जलवायु सभी प्रकार से सभी प्रकार के जीवन के अनुकूल है। जनपद में तापमान एवं वर्षा के मध्यमान में अन्तर्सम्बन्ध है। अधिक वर्षा वाले महीनों में तापक्रम भी उच्च

रहता है। एक ओर अप्रैल तथा मई के महीनों में उच्च तापमान न्यून वर्षा तथा दूसरी ओर जून, जुलाई, अगस्त तथा सितम्बर के महीनों में उच्च तापमान एवं उच्च वर्षा देखने को मिलती है (सारणी–04)।

सारणी सं0– 04
अध्ययन क्षेत्र में वर्षा का औसत क्रम

महीने	अधिकतम तापमान (डिग्री से.ग्रे.)	औसत वास्तविक मासिक अधिकतम तापमान	औसत दैनिक अधिकतम तापमान	औसत दैनिक न्यूनतम तापमान	औसत वास्तविक मासिक न्यूनतम तापमान	न्यूनतम तापमान (डिग्री से.ग्रे.)	सापेक्षिक आर्द्रता प्रतिशत में	औसत मासिक वर्षा (मिली. मी.)	औसत वायु की गति प्रति किलो मीटर	औसत मासिक तापमान (डिग्री से.ग्रे.)	आर्द्र वायु का तापमान (डिग्री से.ग्रे.)
जनवरी	30.4	26.3	22.8	07.6	03.6	-1.7	60.5	17.3	2.24	14.95	11.6
फरवरी	34.3	32.4	26.0	10.2	05.3	-0.5	55.6	8.8	2.73	18.85	13.7
मार्च	41.7	39.3	32.4	14.8	09.4	6.0	38.5	11.5	3.75	24.35	10.6
अप्रैल	45.7	43.4	38.4	20.8	15.2	11.2	27.8	5.4	3.66	29.3	11.8
मई	47.9	45.9	42.2	26.1	20.7	15.5	29.7	10.6	4.22	33.3	22.9
जन	47.6	45.7	40.8	28.5	23.6	18.3	44.8	64.2	4.46	34.65	25.4
जुलाई	45.5	40.8	35.0	26.6	23.3	18.2	73.7	196.3	3.04	32.05	26.4
अगस्त	42.3	36.8	33.1	25.8	23.5	21.6	79.4	246.3	2.62	30.15	26.5
सितम्बर	40.7	37.1	33.6	24.6	21.7	16.6	73.4	150.9	2.66	29.40	25.8
अक्टबर	40.7	36.2	34.0	18.8	13.8	10.5	51.2	39.2	1.46	25.00	21.8
नवम्बर	36.2	33.6	30.0	11.6	07.6	2.3	53.5	21.14	0.76	20.60	15.5
दिसम्बर	31.1	28.5	23.8	08.1	04.2	-1.1	62.7	5.6	1.64	16.35	12.4

स्रोतः भारतीय ऋतु वेधशाला, मैनपुर (उ0प्र0)

वायु

प्राणी जगत और वनस्पति जगत दोनों ही वायु के प्रवाह से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं। नमी एवं तापमान दोनों का ही परिवाहन वायु के द्वारा होता है। जिससे वाष्पीकरण एवं वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रियायें सम्पन्न होती है। इसी प्रक्रिया से मनुष्य को जल की आवश्यकता महसूस होती है। शीतल वायु शीतलता को और तेज कर सकती है और गर्म वायु शीतलता को रोक सकती है। अध्ययन क्षेत्र में सबसे तेज हवायें

Auraiya District: Climatic Condition

Normal Annual Rain-fall

Hythergraph (Auraiya)

Temperature Variation (Auraiya)

Climograph (Auraiya)

जून महीनें में चलती हैं जिनकी गति 4.46 किमी0 प्रति घण्टा होती है। इस माह के बाद वायु की गति कम होने लगती है तथा नवम्बर तक इसकी गति मात्र 0.76 किमी0 प्रति घण्टा रह जाती है।

प्राकृतिक कारकों के साथ–साथ सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रवृत्तियां भी मानव स्वभाव को प्रभावित करती है और इनका सम्पूर्ण प्रभाव हमारी भूमिकाओं पर पड़ता है। किस कार्य को हम किस दृष्टि से अपना रहे हैं? हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक मान्यतायें और मूल्य क्या हैं? इन सभी का प्रभाव हमारे पद और उससे सम्बन्धित भूमिका पर पड़ता है। सांस्कृतिक मूल्यांक पर आधारित मानव अधिवास, ग्रामों का आकार, जनसंख्या, जनसंख्या वितरण एवं घनत्व, जनसंख्या वृद्धि, लिंगानुपात, साक्षरता आदि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तत्व है जो हमारी भूमिका को प्रभावित करते हैं वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी संसाधनों ने इन तत्वों को कुछ–कुछ नियंत्रित अवश्य किया है किन्तु इनका प्रभाव बेरोजगारी, आर्थिक विषमता, लैंगिक विषमता, राजनैतिक विषमता और कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अभी भी विद्यमान है।

मानव अधिवास

मानव अधिवास मानवीय भूमिकाओं को प्रभावित करने का एक प्रमुख तत्व है। इसका प्रभाव मानव जगत के समूचे भाग पर पाया जाता है। यह मनुष्य की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक क्रियाओं से प्रभावित होता है। चूंकि अधिवासों का निर्माण मनुष्य के बसने अथवा आद्य भू–दृश्य के मानवीकरण के दौरान होता है, इनके अध्ययन से किसी क्षेत्र में मनुष्य के बसने की समूची प्रक्रिया का बोध हो सकता है। यह अधिवास मनुष्य की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास के स्तर के ठोस प्रमाण है। इनके अध्ययन से किसी क्षेत्र के निवासियों के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं

आर्थिक स्तर तथा इनमें होने वाले परिवर्तनों की प्रवृत्तियों के विषय में जाना जा सकता है। इसी प्रकार बस्तियों के माध्यम से किसी क्षेत्र के लोगों की विभिन्न आवश्यकताओं यथा, सामाजिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं, सांस्कृतिक परम्पराओं, प्राकृतिक पर्यावरण, जनसंख्या घनत्व, कृषि गहनता, भूमि उपयोग के प्रकार सांस्कृतिक संक्रमण आदि के विषय में समुचित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अध्ययन क्षेत्र औरैया जनपद में नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अलग–अलग अधिवासों के वितरण प्रतिरूप के अलग–अलग आकार (Size) अन्तरण (Spacing) तथा प्रकीर्णन की प्रकृति प्राप्त है।

बस्तियों के अध्ययन में उनके आकार का विशेष महत्व है। जनसंख्या घनत्व और उसके वितरण प्रतिरूप को प्रभावित करने में उनके आकार की प्रमुख भूमिका होती है। सामान्यतः बड़ा आकार (किसी निश्चित जनसंख्या घनत्व पर) उच्च अन्तरण एवं कम घनत्व में सहायक होता है। मकानों एवं बस्तियों के के आकार की अभिव्यक्ति उसके द्वारा अधिग्रहीत क्षेत्र तथा उसमें निवास करने वाली जनसंख्या के संदभ्र में की जाती है किन्तु यह कदापि आवश्यक नहीं कि बड़े आकार वाले मकान में रहने वाले लोगों की संख्या भी अधिक हो अथवा उसका जनांक्रकीय आकार भी बड़ा हो, मुम्बई के एक चौबीस मंजली इमारत में केवल चार व्यक्ति ही रहते हैं जबकि मलिन बस्तियों की झुग्गी झोपड़ी में दस वर्ग फुट क्षेत्रफल में चौबीस (24) लोग रहते है।

औरैया में बस्तियों/ग्रामों का औसत क्षेत्रफल 2.59 वर्ग किमी0 है। क्षेत्रफल के आधार पर गांवों और बस्तियों को लघु (2.50 वर्ग किमी0 से कम) मध्यम (2.50 से 2.75 वर्ग किमी0) वृहद (2.75 से अधिक) तीन भागों में विभाजित किया गया है। लघु आकार के गांव जनपद के एरवाकटरा (2.36)

भाग्य नगर (2.33) अजीतमल (2.08) विकास खण्डों में हैं। मध्यम आकार के गांव औरैया (2.69) एवं अछल्दा (2.67) विकास खण्डों में तथा वृहद आकार के गांव जनपद के सहार (3.05) एवं विधूना (3.00) विकास खण्डों में है।

जनसंख्या

विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में प्राकृतिक वातावरण को संशोधित करके सांस्कृतिक भू–दृश्य का सृजन करने वाला मनुष्य समाज शास्त्रीय अध्ययनों का केन्द्र बिन्दु है। मनुष्य भौगोलिक भू–दृश्य को अलग–अलग दृष्टिकोणों से प्रभावित करता है। मुख्यतः अपनी भूमिकाओं के माध्यम से भूमि के उपयोग की दिशा निर्धारित करने वाला सबसे अधिक प्रभावशाली कारक और भूमि उपयोग प्रक्रिया का सबसे बड़ा लाभार्थी भी है। अर्थात् भूमि का उपयोग करने की प्रक्रिया में मनुष्य की भूमिका विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

जनसंख्या वितरण एवं जनसंख्या घनत्व दो परस्पर सम्बन्धित लेकिन भिन्न संकल्पनाएं है। इनको प्रदर्शित करने के बहुत सी विधियां हैं, इन विधियों को ढूँढ़ निकालने में भूगोलविद्, जनसांख्यिकीयविद्, समाजशास्त्री एवं अर्थशास्त्रियों का विशेष योगदान है। जनसंख्या वितरण ज्ञात करने का सर्वगृह सरल विधि है, प्रतिशत वितरण। इसमें किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले मनुष्यों का प्रतिशत अभिकलन किया जाता है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार औरैया जनपद की कुल जनसंख्या 870107 है। इस जनसंख्या का सर्वाधिक 18.05 प्रतिशत भाग (157093) औरैया विकास खण्ड में है। इसके बाद क्रमशः भाग्य नगर (14.75 प्रतिशत), सहार (14.14 प्रतिशत), विधूना (14.19 प्रतिशत), अछल्दा (14.07 प्रतिशत), अजीतमल (13.50 प्रतिशत) विकास खण्डों में निवास करती है। सबसे कम 11 प्रतिशत जनसंख्या एरवाकटरा विकास खण्ड में हैं (सारणी–05)।

सारणी संख्या–05

अध्ययन क्षेत्र में जनसंख्या का वितरण एवं घनत्व

क्र. सं.	विकास खण्ड का नाम	क्षेत्रफल (किमी. में)	कुल जनसंख्या (1991)	जनपद का प्रतिशत	कुल जनसंख्या (2001)	जनपद का प्रतिशत	घनत्व प्रति वर्ग किमी. (1991)	घनत्व प्रति वर्ग किमी. (2001)
1.	एरवाकटरा	224.73	95705	11.00	111937	11.07	425.86	498.09
2.	विधूना	322.70	123473	14.19	144221	14.27	382.62	446.91
3.	अछल्दा	283.05	122395	14.07	143700	14.22	432.41	507.68
4.	सहार	280.30	125676	14.44	148919	14.74	448.36	531.28
5.	अज़ीतमल	225.70	117448	13.50	132436	13.10	520.37	586.77
6.	भाग्य नगर	290.55	128317	14.75	158586	15.69	441.63	545.81
7.	औरैया	429.84	157093	18.05	170859	16.91	365.46	397.49
	कुल योग	**2017.50**	**870107**	**100.00**	**1010658**	**100.00**	**431.27**	**500.94**

सूचना स्रोतः 1. जिला जनगणना हस्तपुस्तिका, 1991
2. कानूनगो कार्यालय, औरैया, 2001

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार औरैया जनपद की कुल जनसंख्या 1010658 व्यक्ति है। इस जनसंख्या का सर्वाधिक 16.91 प्रतिशत भाग औरैया विकास खण्ड में हैं। इसके बाद क्रमशः भाग्य नगर (15.69 प्रतिशत), सहार (14.74 प्रतिशत), विधूना (14.27 प्रतिशत), अछल्दा (14.07 प्रतिशत), अजीतमल (13.10 प्रतिशत) विकास खण्डों का स्थान है। सबसे कम 11.07 प्रतिशत जनसंख्या एरवाकटरा विकास खण्ड में है। 1991 और 2001 की जनगणना के अनुसार औरैया जनपद की कुल जनसंख्या का औसत घनत्व 500.94 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0 है।

Aur٦iya District: Blockwise Population Distribution

Year 1991

1. Auraiya 2. Bhagyanagar 3. Sahar 4. Bidhuna
5. Achhalda 6. Ajitmal 7. Airwakatra

Year 2001

1. Auraiya 2. Bhagyanagar 3. Sahar 4. Bidhuna
5. Achhalda 6. Ajitmal 7. Airwakatra

जनपद में वर्ष 1991–2001 की अवधि के मध्य जनसंख्या में 16.15 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई है। विकास खण्ड स्तर 42.22 प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर के वर्ग में भाग्यनगर विकास खण्ड का स्थान है जहाँ जनसंख्या वृद्धि दर 23.58 प्रतिशत है। सहार विकास खण्ड में जनसंख्या वृद्धि 18.49 प्रतिशत है जबकि अछल्दा 17.40 प्रतिशत, विधूना 16.80 प्रतिशत, एरवाकटरा 16.69 प्रतिशत, अजीतमल 12.76 प्रतिशत और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि 8.76 प्रतिशत औरैया विकास खण्ड में हैं (सारणी–06)

सारणी संख्या–06

अध्ययन क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि दर एवं लिंगानुपात

क्र. सं.	विकास खण्ड का नाम	कुल जनसंख्या (1981)	कुल जनसंख्या (1991)	कुल जनसंख्या (2001)	वृद्धि प्रतिशत (1981–91)	वृद्धि प्रतिशत (1991–01)	पुरूष (2001)	महिला (2001)	लिंगानुपात (2001)
1.	एरवाकटरा	76122	95705	111937	25.72	16.69	60670	51267	845.01
2.	विधूना	101790	123473	144221	21.30	16.80	76924	67297	874.85
3.	अछल्दा	99415	122395	143700	23.11	17.40	77263	66437	859.88
4.	सहार	101689	125676	148919	23.58	18.49	79985	68934	861.83
5.	अजीतमल	97054	117448	132436	21.01	12.76	72087	60349	837.16
6.	भाग्य नगर	105969	128317	158586	21.08	23.58	85994	72592	844.15
7.	औरैया	133887	157093	170859	17.33	8.76	93049	77810	836.22
	कुल योग	**715926**	**870107**	**1010658**	**21.53**	**16.15**	**545972**	**464686**	**851.11**

सूचना स्रोतः 1. जिला जनगणना हस्तपुस्तिका, 1991
2. कानूनगो कार्यालय, औरैया, 2001

Auraiya District: Sex Ratio

No. of female over per 1000 male

> 865

845 - 865

< 845

लिंगानुपात

जनपद औरैया में वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरूषों में 857 महिलायें हैं। महिला एवं पुरूष का यह अनुपात सम्भवतः देश में सबसे कम है क्योंकि हरियाणा राज्य में भी यह अनुपात 1000:863 का है। विकास खण्ड स्तर पर यह अनुपात भिन्न–भिन्न है विधूना में प्रति एक हजार पुरूषों में 875, सहार में 862, अछल्दा में 860 एवं एरवाकटरा में 845 महिलायें हैं। भाग्य नगर, अजीतमल और औरैया विकास खण्डों की स्थिति और भी दयनीय है जहाँ यह प्रति एक हजार पुरूषों में क्रमशः 844, 837 और 836 महिलाओं का है। (सारणी–06)

साक्षरता

संयुक्त राष्ट्र संघ जनसंख्या आयोग ने किसी भी भाषा में साधारण संदेश का समझ के साथ पढ़ने और लिखने की योग्यता को साक्षरता निर्धारण का आधार माना है, भारतीय जनगणना ने इस परिभाषा को स्वीकार किया है। अध्ययन क्षेत्र में 1971 की जनगणना के अनुसार साक्षरता का प्रतिशत 27.91 था। 1981 की जनगणना में साक्षरता बढ़कर 31.64 प्रतिशत हो गयी। साक्षरता, शिक्षा, प्रशिक्षण, तकनीकी ज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति नव उत्थान की प्रवृत्ति ने 1991 की जनगणना में साक्षरता दर बढ़ाकर 41.34 प्रतिशत कर दी। वर्ष 2001 में की गयी जनगणना में साक्षरता 56.85 प्रतिशत हो गयी। यह औरैया तहसील में 58.65 प्रतिशत और विधूना तहसील में 55.35 प्रतिशत थी (सारणी–07)।

सारणी सं0–07

साक्षरता–वृद्धि (दशकीय) 1971–2001

(तहसील स्तर पर)

क्र. सं.	तहसील का नाम	वर्ष			
		1971	1981	1991	2001
1.	विधूना	26.23	33.88	40.24	55.35
2.	औरैया	29.02	36.88	42.52	58.65
	कुल योग	**27.91**	**31.64**	**41.34**	**56.85**

सूचना स्रोतः 1. जिला जनगणना हस्तपुस्तिका, 1971, 1981, 1991
2. कानूनगो कार्यालय, औरैया, 2001

समाजशास्त्रीय शोध एवं अनुसंधान परिषद, दिबियापुर (औरैया) की एक रिपोर्ट के अनुसार औरैया जनपद की कुल साक्षरता 58.76 प्रतिशत है इसमें पुरूष साक्षरता 67.03 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता 49.09 प्रतिशत है। अध्ययन क्षेत्र में ग्रामीण साक्षरता 56.85 प्रतिशत है जिसमें पुरूष साक्षरता 65.67 तथा महिला साक्षरता 46.49 प्रतिशत है। जनपद में नगरीय साक्षरता 70.16 प्रतिशत है जिसमें पुरूष साक्षरता 75.32 प्रतिशत और महिला साक्षरता 64.33 प्रतिशत है (सारणी–08)। अध्ययन क्षेत्र में आनुपातिक रूप से महिलाओं एवं पुरूषों का साक्षरता स्तर दिन–प्रति–दिन बढ़ रहा है जो विशेष रूप से महिलाओं की शिक्षा के प्रति लगन और आगे बढ़ने की प्रेरणा को प्रदर्शित करता है। दैनिक कार्यो को समय निकालकर समाचार–पत्रों और ज्ञान बर्धनक पत्रिकाओं को पढ़ना अब महिलाओं के जीवन का अनिवार्य कार्य बन गया है।

सारणी सं0—08

साक्षरता—प्रतिशत

क्र. सं.	जनपद / तहसील का नाम	कुल / ग्रामीण / नगरीय	वर्ष 2001		
			कुल साक्षरता	पुरूष साक्षरता	महिला साक्षरता
1.	जनपद औरैया	कुल	58.76	67.03	49.09
		ग्रामीण	56.85	65.67	46.49
		नगरीय	70.16	75.32	64.33
2.	तहसील औरैया	कुल	61.12	68.93	51.92
		ग्रामीण	58.64	67.26	48.36
		नगरीय	69.58	74.76	63.73
3.	तहसील विधूना	कुल	56.32	65.05	46.21
		ग्रामीण	55.35	64.31	44.94
		नगरीय	72.52	77.62	66.81

सूचना स्रोतः रजिस्ट्रार, कानूनगो कार्यालय, औरैया, 2001

सामाजिक संरचना

भारतीय सामाजिक व्यवस्था संसार की सर्वोत्तम तथा प्राचीनतम व्यवस्थाओं में से एक है। अपने विकास के प्रारम्भिक काल में ही यह व्यवस्था तरह—तरह के परीक्षणों त्रुटि और सुधार की प्रक्रिया तथा परिवर्तनों के क्रमिक विकास से युक्त रही है। कुछ विद्वानों की यह मान्यता है कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था से सम्बद्ध संस्थाओं का स्वरूप आरम्भ से ही

Auraiya District: Literacy

Decadal Growth of Rural Literacy

Tehsilwise Literacy Rate

अत्यन्त जटिल तथा परिवर्तनशील रहा है, लेकिन यह एक भ्रान्ति है। संस्थाएं वे कार्य विधियाँ है जिनके द्वारा हम समाज द्वारा स्वीकृत प्राप्त लक्ष्यों को नियमबद्ध रूप से प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। इन लक्ष्यों में समय–समय पर परिवर्तन होते रहना बहुत स्वाभाविक है। भारत में भी विभिन्न युगों में जैसे–जैसे हमारी आवश्यकताओं द्वारा सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन होता रहा, सामाजिक संस्थाओं के स्वरूप में उन्हीं के अनुसार परिवर्तन किया जाता रहा है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था और संरचना के वास्तविक रूप को समझने के लिए इससे सम्बन्धित उन सभी महत्वपूर्ण संस्थाओं का सूक्ष्मावलोकन अनिवार्य है, जोकि हजारों वर्ष पूर्व से लेकर आज तक हमारे जीवन की अभिन्न अंग बनी हुई है।

प्रस्तुत अध्ययन में औरैया जनपद के सभी विकास खण्डों की सामाजिक संरचना को अनुभविक अवलोकन व निरीक्षण के आधार पर शोधकर्ता ने अध्ययन किया है कि जिसका विश्लेषण अलग–अलग अध्यायों में किया है। भारतीय समाज में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति के संदर्भ में डॉ0 एस.सी. दुबे का मत है कि भारतीय समाज में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति और सामाजिक संरचना में उनकी भूमिका को समझने के लिए विद्यमान आंतरिक सम्बन्धों, समूहों तथा समुदायों के अन्तर्गत विद्यमान उप समूहों के स्वरूपों को समझना होगा तथा स्त्री को भी एक स्वतन्त्र आर्थिक इकाई के रूप में देख्ना होगा। क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय सामाजिक व्यवस्था में प्रत्येक पुरूष सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक और धार्मिक रूप से अपने आप में पूर्णतः आत्म निर्भर है उसी प्रकार की स्वतन्त्र आत्मनिर्भरता अब भारतीय महिलाओं के लिए अपरिहार्य हैं।

परिवार विवाह एवं नातेदारी

परिवार हमारे सामाजिक जीवन की केन्द्रीय इकाई है यह जीवन सत्य है, पाश्चात्य विचारकों और समाजशास्त्रीयों ने परिवार में यौन सम्बन्धों की पूर्ति तथा बच्चों के पालन–पोषण को सर्वाधिक महत्व देकर इसे एक औपचारिक द्वितीयक और व्यक्तिवादी संगठन का रूप दे दिया है। जबकि भारतीय परिवारों की संरचना इससे बिलकुल भिन्न है। हमारे समाज में परिवार का कार्य विभिन्न पुरूषार्थो अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को पूर्ण करना तथा अनेक पीढ़ियों के रक्त सम्बन्धियों के द्वारा संयुक्त रूप से परिवार के दायित्वों का निर्वाह करना है। यही कारण है कि भारतीय परिवारों को हम संयुक्त परिवार कहते है। अध्ययन क्षेत्र में संयुक्त परिवारों को अभी भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन बढ़ते हुए व्यक्तिवाद के कारण परिवार छोटे हो रहे हैं और परिवार के मुखिया या परिवार द्वारा सदस्यों पर रखा जाने वाला नियंत्रण भी कम हो रहा है किन्तु परिवार का पुराना आदर्श अभी पूरी तरह से कमजोर नहीं पड़ा है।

विवाह हमारे भारतीय समाज की एक सर्वव्यापी संस्था है लेकिन हिन्दू सामाजिक जीवन में विवाह का रूप जितना धार्मिक और स्थायी है वैसा विश्व के किसी दूसरे समाज में देखने को नहीं मिलता है।

अध्ययन क्षेत्र में लड़के–लड़कियों का विवाह 18 से 25 वर्ष के बीच हो जाती है। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लड़के–लड़कियों का विवाह प्राय छोटी उम्र में हो जाती है किन्तु प्राय उच्च्व जातियों (सवर्णों) के लड़के–लड़कियों का विवाह प्राय बड़ी उम्र (25 वर्ष के आयु के बाद) में होता है विवाह में अभिभावकों की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है।

लेकिन अधिक महत्व व्यक्तिगत वित्तीय स्थति शिक्षा तथा लड़की की योग्यता को दिया जाता है। अनेक परिवार विवाह के समय लड़की की तकनीकी शिक्षा, कम्प्यूटर ज्ञान, प्रौद्योगिकी योग्यता को अधिक महत्व दे रहे हैं। विवाह के बाद लड़की को घर के बाहर कार्य कराना अब उनकी निगाह में गलत नहीं है। विवाह के बाद 87 प्रतिशत उत्तरदाता महिलाओं के नौकरी करने या व्यवसाय सम्भालने को गलत नहीं मानते। केवल 13 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार यदि महिला घर के अन्दर ही अपने 'हुनर' से परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारती है तो यह ठीक है।

हिन्दुओं में दहेज की मांग दिन–प्रति–दिन बढ़ती जा रही है और पूरे अध्ययन क्षेत्र में सभी जातियों में दहेज की मांग बढ़ रही है किन्तु दहेज की धनराशि बढ़ने से लड़की की योग्यता के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहते। बरात का आकार और शादी के कार्यक्रम का समय तो कम हो रहा है किन्तु रीति–रिवाजो के आधुनिकीकरण से विवाह के खर्च में बेतहाशा वृद्धि हो रही हैं और कर्ज लेकर भी अधिक खर्च करने की प्रवृत्ति गरीबी को जन्म दे रही है। विवाह सम्बन्ध तय करने में सूचना प्रौद्योगिकी का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है क्योंकि वैवाहिक विज्ञापनों और इन्टरनेट के द्वारा जीवन साथी का चुनाव करना अब युवकों का फैशन बन गया है।

नातेदारी का सामाजिक जीवन में अत्यधिक महत्व है क्योंकि इसमें व्यक्तिगत रक्त सम्बन्धी तथा विवाह सम्बन्धी सदस्य एक–दूसरे से जुड़े रहते हैं। अध्ययन क्षेत्र के अधिकांश निवासी जन्म, मृत्यु, विवाह एवं अन्य संस्कारों के समय अपने नातेदारों के यहाँ आते–जाते हैं और सभी नातेदार एक–दूसरे के सुख–दुख में हाथ बटाते हैं। किन्तु नातेदारी का दायरा बहुत

छोटा होता जा रहा है। सगोत्र और सपिण्ड विवाहों को अब बहुत अधिक हेय दृष्टि से नहीं देखा जाता।

अर्न्तजातीय विवाह (प्रेम विवाह) की संख्या बढ़ रही है। अभिभावक भी थोड़ी बहुत न–नुकुर के बाद प्रेम विवाहों को स्वीकार कर लेते हैं। यह आधुनिकता प्रत्येक जाति समूह में सामान्य रूप से देखी जा सकती है।

<u>जाति</u>

एन.के. दत्ता के अनुसार सम्पूर्ण जाति व्यवस्था की आधारभूत विशेषताओं को निम्नांकित रूप से समझा जा सकता हैं–

1. जाति के सदस्य अपनी जाति के बाहर विवाह नहीं कर सकते।
2. एक जाति के सदस्यों पर दूसरी जातियों के सदस्यों के साथ खान–पान के सम्बन्ध रखने पर प्रतिबन्ध है यद्यपि सभी जातियों के लिए समान नियम नहीं है।
3. अधिकांश जातियों के अपने निश्चित व्यवसाय होते हैं।
4. सभी जातियों में ऊँच–नीच का एक स्तर होता है। लेकिन ब्राह्मणों की स्थिति सर्वोच्च है।
5. व्यक्ति की जाति उसके जन्म से निश्चित होती है।

जातीय आधार पर अध्ययन क्षेत्र की महिलाओं की भूमिका के सम्बन्ध में उनकी राय जानने के लिए जब प्रश्न किये गए तो उनका उत्तर था कि सामान्यतः किसी जाति विशेष की महिलाओं के लिए कोई निश्चित कार्य हनीं हैं, सभी जातियों की महिलाएं उच्च शिक्षा प्राप्त कर स्वतन्त्र रूप से

अपनी भूमिका का निर्वाह करती हैं, किसी प्रकार का व्यावसायिक प्रतिबन्ध नहीं है। शिक्षित और सम्पन्न परिवारों की महिलाओं के द्वारा अपनी मूलभूत भूमिका से पलायन कर जाने के कारण पारिवारिक कार्य जैसे भोजन बनाना, बच्चों का पालन पोषण करना, कपड़े धोना या अन्य इसी प्रकार के कार्य इन परिवारों में उन जातियों की महिलाएं कर रहीं हैं, जिन्हें अभी तक अस्पर्श या अनुसूचित माना जाता था। अत अध्ययन क्षेत्र में खान–पान सम्बन्धी प्रतिबन्ध व्यवहारिक रूप से देखने को नहीं मिलते सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सूचना प्रौद्योगिकी और मीडिया के माध्यम से विवाह सम्बन्ध तय होने के कारण और आधुनिक शिक्षा, सह–शिक्षा और इलेक्ट्रानिक उपकरणों के प्रभाव के कारण अर्न्तजातीय विवाहों की संख्या बढ़ रही है।

किन्तु जातीय तत्व मूलरूप से राजनैतिक रूप ले चुके हैं। चुनाव किसी भी स्तर का क्यों न हो जातीय समीकरण के बिना नहीं लड़ा जाता। मेरी मान्यता यह है कि भारतीय सामाजिक परिवेश में जाति की परम्परागत मान्यतायें मूल्य और आदर्श टूट रहे हैं, किन्तु राजनैतिक, दलगत और संगठनात्मक महत्व बड़ रहा हे राजनैतिक सत्ता के शिखर तक पहुँचाने में जाति एक सीढ़ी का कार्य कर रही है, क्योंकि राजनीति से राष्ट्रीय नीति, सामाजिक मूल्य और आदर्श तिरोहित होते जा रहे हैं और जातिवाद, वर्गवाद, समूहवाद और क्षेत्रीयता के तत्व दिन–प्रति–दिन जुड़ते जा रहे है।

धर्म एवं विश्वास

धर्म व्यापक स्थायी एवं शाश्वत सांस्कृतिक तत्व है, जिससे संस्कृति की उत्कृष्टता का मापन किया जाता है। अध्ययन क्षेत्र में हिन्दू–मुस्लिम, सिक्ख एवं ईसाई धर्म के अनुयायी निवास करते हैं। इनमें से सिक्ख और

इसाई धर्मावलम्बी जनपद के केवल नगरीय क्षेत्र में ही निवास करते हैं और विशेषकर जनपद मुख्यालय औरैया और उप नगर और विकास की प्रक्रिया में सबसे आगे दिबियापुर में। हिन्दू मुख्य और मूलरूप से अध्ययन क्षेत्र के निवासी है। हिन्दू मूर्ति पूजक हैं और ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व के अनेक दर्शनीय मन्दिर जनपद के लगभग प्रत्येक विकास खण्ड में है। प्रत्येक हिन्दू अपने घर में हैसियत और श्रद्धा के अनुसार पूजा का स्थान सुरक्षित किये है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि हिन्दुओं की धार्मिक मान्यतायें भी राजनैतिक रूप लेती जा रही हैं, समाजवादी पार्टी के अनुयायी हिन्दू कृष्ण के प्रति ज्यादा आस्थावान हैं, भारतीय जनता पार्टी में राम भक्तों की संख्या ज्यादा है, बहुजन समाज पार्टी के लोग परम्परागत राम, कृष्ण, दुर्गा, हनुमान जी की पूजा आराधना से विलग नहीं हुए किन्तु अपने आराधना पूजा के स्थान पर गौतम बुद्ध और डॉ0 अम्बेडकर के चित्रों को भी स्थान दे दिया है।

महिलाओं के अन्दर धार्मिक विश्वासों की अधिकता उनकी भूमिका को अन्धविश्वासी बना देती है, विभिन्न टोने–टोटके, साधू, महन्तो के चक्कर, गण्डा ताबीज का प्रयोग के साथ–साथ पारम्परिक अंधविश्वास जेसे– बिल्ली के रस्ता काटने पर आगे न निकलना, छींक आने पर रूक जाना, या कांने व्यक्ति को देखने से अपशकुन की परिकल्पना में शिक्षित–अशिक्षित सभी वर्गो की महिलाओं की भूमिका समान देखी गयी। व्रत–उपवास रख कर अपने पति और परिवार की सुरक्षा की मंगलकामना करना अध्ययन क्षेत्र की महिलाओं का व्यवहारिक सत्य है।

मुस्लिम समाज के कट्टर धर्मावलम्बी स्त्री–पुरूष पाँच वख्त की नमाज़ अदा करते है जुम्मे (शुक्रवार) के दिन दोपहर की नमाज़ पुरूष मस्जिद में अदा करते है जबकि महिलाओं को मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं है। पूरे अध्ययन क्षेत्र में स्थान–स्थान पर सैय्यद बाबा की मज़ार बनी हुई है जहाँ जुम्मेरात (गुरूवार) को सिन्नी/चादर चढ़ती है और इन स्थानों में हिन्दू स्त्री–पुरूष भी जाने में परहेज नहीं करते। सांस्कृतिक सौहार्द के रूप में पूरे जनपद में यह तथ्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि हिन्दू, मुस्लिम सम्प्रदाय के सभी त्योहारों और उत्सवों में तन, मन और कभी–कभी धन से भी सम्मिलित होते हैं, किन्तु मुसलमानों के अन्दर यह प्रकृति कम देखने को मिली।

इसाई धर्मावलम्बी अध्ययन क्षेत्र में अधिकांशत दिबियापुर नगर में सिमटे हुये है। एन.टी.पी.सी. और पेट्रो कैमिकल प्रतिष्ठानों में इनकी संख्या लगभग 50 परिवारों में विभाजित है। सभी इसाई अपने गले में धार्मिक चिन्ह क्रास लटकाये रहते हैं, इनकी प्रार्थना का कोई निश्चित चर्च अभी अध्ययन क्षेत्र में नहीं है अत एक घर को ही चर्च के रूप में प्रयोग करते है और प्रत्येक रविवार (Sunday), क्रिसमस डे और गुड फ्राईडे के अवसर पर सभी इसाई यहीं एकत्र होकर प्रार्थना करते है।

औरैया नगर में सिक्खों का एक गुरूद्वारा है जहाँ सिक्ख धर्म को मानने वाले गुरू ग्रन्थ साहब की पूजा अर्चना के लिए एकत्र होते हैं किन्तु ऐसा कोई भी सिक्ख परिवार सर्वेक्षण के दौरान देखने को नहीं मिला जो हिन्दू देवी–देवताओं की आराधना–पूजा न करता हों।

यातायात एवं संचार सेवायें

यातायात एवं संचार सेवाओं में क्षमता, गति, आवृत्ति तथा व्यय आदि प्रमुख शर्ते हैं। जिनका प्रभाव, समाज, व्यक्ति और व्यक्ति के द्वारा उत्पादित वस्तु पर पड़ता है। शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं (फल, फूल, दूध, अण्डा, हरी सब्जियों आदि) के परिवाहन में गति एवं आवृत्ति का विशेष महत्व है। समाज के विकास में संचार प्रणाली एवं साधनों का विशेष योगदान है।

परिवाहन के साधन

किसी भी क्षेत्र के समुचित विकास और वहाँ के निवासियों की भूमिका परिवाहन के साधनों पर निर्भर करती है और परिवाहन के लिए सड़कों का महत्व प्राचीनकाल से है। किन्तु मुसलमान शासको ने अपने शासनकाल में सड़कों के जाल–बिछाने में अधिक ध्यान दिया। शेरशाह सूरी ने एक सड़क कलकत्ता से पेशावर तक बनवाई थी जिसे अब शेरशाह सूरी मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–2) कहते है जो जनपद के दक्षिणी भाग से गुजरता है। यह जनपद का प्रमुख मार्ग है जो औरैया, अजीतमल, बाबरपुर, महेवा को जोड़ता हुआ दिल्ली तक जाता है। जनपद में प्रान्तीय राजमार्ग संख्या–21 (बिलराया–पनवाड़ी मार्ग) है जो बेला, बिधूना, दिबियापुर, औरैया होते हुए जालौन को जाता है इसके अतिरिक्त जनपद की पक्की सड़के विकास खण्डों के मुख्यालयों एवं अन्य प्रमुख कस्बों मण्डियों एवं बाजार केन्द्रों से जुड़ी हुई है। जनपद की पक्की सड़कों के अतिरिक्त कच्ची सड़कों का संजाल बिछा हुआ है जो यहाँ के बड़े केन्द्रों को जोड़ती हैं।

सड़कों के घनत्व का आंकलन प्रति 100 किमी0 पर सड़कों की लम्बाई के आधार पर किया है। जनपद में प्रति 100 वर्ग किमी0 पर सड़कों

का घनत्व 43.76 है तथा 1,00,000 जनसंख्या पर सडत्रकों की लम्बाई 101.48 है। अध्ययन क्षेत्र में सड़कों का घनत्व सबसे अधिक अजीतमल और भाग्यनगर विकास खण्डों में (63.28) है और सबसे कम सहार और अछल्दा (30.94) विकास खण्डों में है। जनपद में पक्की सड़कों की अभिगम्यता पर्याप्त है। जैसे–जैसे पक्की सड़कों की दूरी बढ़ती जाती है वैसे–वैसे अभिगम्यता कम होती जाती है। जनपद औरैया में 01 किमी0 से 02 किमी0 के मध्य 74.2 प्रतिशत ग्राम आते हैं एवं 02 किमी0 से 04 किमी0 के मध्य 18.3 प्रतिशत गांव आते हैं। इसी प्रकार 04 किमी0 से 07 किमी0 की दूरी के मध्य 7.5 प्रतिशत ग्राम बसे हुये हैं। ऐसे ग्रामों की संख्या बहुत ही कम है जिनकी सड़कों से अभिगम्यता कम है (सारणी–09)।

सारणी–09

अध्ययन क्षेत्र में सड़कों का घनत्व

क्र. सं.	विकास खण्ड का नाम	सड़कों की लम्बाई (किमी. में)	सड़कों की लम्बाई (1,00,000 जनसंख्या पर)	सड़कों का घनत्व (प्रति 100 वर्ग किमी. में)
1.	एरवाकटरा	94	98.22	41.83
2.	विधूना	145	117.43	46.50
3.	अछल्दा	86	78.43	30.94
4.	सहार	91	72.40	32.46
5.	अजीतमल	136	115.80	63.28
6.	भाग्य नगर	159	123.91	56.32
7.	औरैया	172	109.49	40.41
	योग	**883**	**101.48**	**43.76**

Auraiya District: Means of Transport and Accessibility

A Network of Railways & Roads

B Density of Roads

C Level of Accessiability

रेल मार्ग

जनपद औरैया के फॅफूंद, पाता और अछल्दा रेलवे स्टेशन दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग द्वारा उत्तरी पश्चिमी भारत के विभिन्न नगरों से जुड़े हुये है। फॅफूंद अध्ययन क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है जहाँ अधिकांश सुपरफास्ट, एक्सप्रेस और साधारण रेल गाड़िया रूकती है। टूण्डला और कानपुर के मध्य रेल विभाग को सर्वाधिक राजस्व प्रदान करने वाला रेल स्टेशन है। फॅफूंद रेलवे स्टेशन का पूर्णतः कम्प्यूटरीकरण हो चुका है और देश के प्रत्येक रेलवे स्टेशन के लिए आरक्षण की सुविधा है। यह रेलमार्ग उत्तर मध्य रेलवे देश के महत्वपूर्ण रेल मार्गो में होने के कारण जनपद के अधिकांश व्यापारी, विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारी और अधिकारी, शिक्षक–शिक्षिकाएं 125 किमी0 की परिधि में आने वाले प्रमुख नगरों कानपुर, इटावा, आगरा आदि स्थानों में अपनी सेवायें देने के लिए व्यापार का माल आदान प्रदान करने के लिए प्रतिदिन आते–जाते हैं। रेल मार्ग की सुविधा का प्रभाव महिलाओं की भूमिका और सूचना प्रौद्योगिकी पर भी पड़ा है। महिलायें अपनी आर्थिक उन्नति और विकास के लिए सेवायें जनपद के बाहर भी देने के लिए तत्पर है और इसी प्रकार अन्य जनपदों की महिलायें छात्रायें यहाँ उच्च शिक्षा तकनीकी ज्ञान और विभिन्न पदों पर अपने कार्य करने के लिए प्रतिदिन आती–जाती हैं। दिल्ली–आगरा–कानपुर–पटना एवं हाबड़ा से प्रकाशित होने वाले पत्र–पत्रिकाएं एवं समाचार पत्र प्रतिदिन रेल मार्ग से जनता की सेवा करते हैं।

संचार सेवायें

जनपद के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संचार सेवाओं का जाल बिछा है। औरैया जनपद की वर्ष 1999 की सांख्यिकी पत्रिका के अनुसार 154 डाक घर एवं 175 पी0सी0ओ0 थे जिनकी संख्या बढ़कर अब 1000 के आस–पास हो चुकी है इसके अतिरिक्त इन्टरनेट केन्द्र, साइबर कैफे, संचार विभाग की ब्राड–बैण्ड सेवायें जनपद में संचार प्रौद्योगिकी के साथ–साथ सूचना प्रौद्योगिकी का कार्य भी कर रही है। मोबाइल एवं सेल फोनों की संख्या लाखों में पहुँच चुकी है और बी0एस0एन0एल0 के साथ–साथ रिलायन्स, आइडिया, वोडाफोन आदि प्राइवेट कम्पनिया भी अपने संजाल के माध्यम से जनपद के निवासियों को प्रभावित कर रही है। इण्टरमीडिएट और डिग्री कालेज को 65 प्रतिशत से अधिक छात्रायें और विभिन्न पदों पर सेवारत शत–प्रतिशत महिलाएं मोबाइल एवं सेल फोनों का प्रयोग करती है। इनके द्वारा उनकी भूमिका सम्पादन और कार्यालयीय कार्यो में सुविधा मिलती है। वास्तविकता यह है कि अर्नामेन्ट की ही तरह महिलाओं में अच्छे से अच्छे और अनेक कार्यक्रमों से युक्त मोबाइल फोन रखने का फैशन आम बात है।

वित्तीय संस्थायें

वित्तीय संस्थाओं की सूचना प्रौद्योगिकी और महिलाओं की विभिन्न आर्थिक एवं स्वावलम्बी स्वरोजगार योजनाओं में अहम भूमिका है। क्योंकि वित्तीय संस्थायें हमारी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। धन की सुरक्षा, ऋण का निष्पादन करने के साथ–साथ अनेक ऐसे कार्य बैंकों, बीमा

कम्पनियों और डाक घरों के द्वारा किये जाते हैं जो अपेक्षाकृत दुरूह और श्रमसाध्य होते है।

अध्ययन क्षेत्र में वित्तीय संस्थाओं की स्थिति अत्यधिक सुदृढ़ है, क्षेत्र में सौ से अधिक बैंको, बीमा निगमों और ग्रामीण, जिला सहकारी बैंकों का संजाल बिछा हुआ है। सरकारी क्षेत्र के बैक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की 8 शाखायें राजकीय कार्यो और तत्पसम्बन्धी कार्य सम्पन्न करती हैं, राष्ट्रीयकृत बैंकों की 45 शाखायें जिला सहकारी बैंक की 15 शाखायें, ग्रामीण विकास बैंक की 30 शाखायें, भूमि विकास बैंक की 04 शाखाओं के अतिरिक्त, जीवन बीमा निगम से सम्बद्ध भारतीय जीवन बीमा निगम, जनरल इन्योरेन्स, बजाज एलाइन्स आदि की शाखायें भी अध्ययन क्षेत्र में है। यह विवरण क्षेत्र की मजबूत आर्थिक स्थिति का द्योतक है।

विद्युत व्यवस्था

किसी भी क्षेत्र के बहुमुखी विकास ओर तकनीकी संवर्धन के लिए विद्युत का विशेष्ज्ञ महत्व है क्योंकि यदि क्षेत्र का विद्युतीकरण नहीं होगा तो विकास की गति लगभग शून्य हो जायेगी। विद्युतीकरण यो तो साठ के दशक का कार्यक्रम है परन्तु इस क्षेत्र में सत्तर और अस्सी के दशक में तेजी आयी। कृषि यांत्रिकीकरण, यातायात व्यवस्था, घरेलू उपयोग, संचार व्यवस्था, कारखानों का संचालन, अपराध नियंत्रण और विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी में विद्युत का उपयोग विशेष महत्व एवं अनिवार्यता रखता है।

जनपद में ट्रान्समिशन लाइन का संजाल बिछा हुआ है। विद्युत आपूर्ति के लिए जनपद में एक 132 के.बी. उप संस्थान असेनी में है तथा 33 के.बी. उप संस्थान जनपद के विभिन्न स्थानों में कार्यरत है। जनपद में

ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों को मिलाकर 80 प्रतिशत भाग का विद्युतीकरण हो चुका है। एक ओर 500 से अधिक निजी नल–कूप एवं पम्प सेटों से कृषि की उपज को पोषित किया जा रहा है दूसरी ओर लघु उद्योग, राइस मि़ल, कम्प्यूटर संस्थान, दाल मिल आदि विद्युतीकरण का लाभ उठाकर क्षेत्र का औद्योगिक और आर्थिक विकास कर रहे हैं। जनपद में 600 मेगावाट विद्युत उत्पादन नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन द्वारा किया जा रहा है जोकि राष्ट्र का प्रथम एल0पी0जी0 संचालित विद्युत संयत्र है इससे जनपदवासियों को प्रत्यक्ष कोई लाभ नहीं है किन्तु इससे उत्तर मध्य रेलवे और पेट्रो कैमिकल प्रतिष्ठान को सीधे विद्युत आपूर्ति होती है और इन संयत्रों के कारण जनपद में उपनगरीय व्यवस्था और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया विकसित हो रही है।

अध्ययन क्षेत्र के भौगोलिक, सामाजिक, राजनैतिक, प्रौद्योगिक परिभ्रमण से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि यहाँ भारतीय महिलाओं को वे सभी नागरिक सुविधायें सहज उपलब्ध हैं जिनका उपभोग कर वे महानगरीय क्षेत्र की महिलाओं की भाँति अपनी भूमिका में बदलाव लाकर सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुये व्यक्तिगत आर्थिक विकास, सहज पारिवारिक उन्नति और राष्ट्र के उन्नयन में अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकती हैं।

शिक्षा समाज की अन्तर्निहित शक्तियों का विकास करती है, जिससे उसकी ज्ञान एवं कौशल क्षमताओं का विकास होता है। शिक्षा ही वह तत्व है जिसके द्वारा किसी भी समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनैतिक गतिविधियों को देखकर समाज के विकास का अनुमान लगाया जा सकता है। इसलिए शिक्षा समाज की गतिविधियों की मापक भी है। शिक्षा के अभाव में समाज के संतुलित विकास की कल्पना करना असम्भव

है। शिक्षा मनुष्य के मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन का आधार भी है, क्योंकि शिक्षा व्यक्ति को समाज व राष्ट्र के प्रति जागरूक करने की शक्ति प्रदान करती है। शिक्षा व्यक्ति को वर्तमान और भविष्य से जोड़ती है। आज महिला समाज का अभिन्न अंग है, उसका महत्व अब किसी भी दृष्टि से पुरूषों की तुलना में कम नहीं है। ऐसा माना जाता है कि यदि हम राष्ट्र व समाज के विकास का आंकलन करना चाहते हैं तो उस राष्ट्र व समाज में महिलाओं की भूमिका को देखकर लगाया जा सकता है। हमारे अध्ययन क्षेत्र में महिलाए यहां के सामाजिक ताने–बाने एवं आर्थिक व्यवस्था की मेरूदण्ड है इसलिए उनकी भूमिका समाज के किसी अन्य वर्ग की तुलना में कम महत्वपूर्ण नहीं है। अध्ययन क्षेत्र की प्रत्येक उच्च्व शिक्षण संस्था में सह शिक्षा की व्यवस्था है और उल्लेखनीय तथ्य तो यह है कि इण्टरमीडिएट कॉलेज से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजों में भी लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या अधिक हैं। लड़कियां पढ़ाई में योग्य हैं, उनका परीक्षा परिणाम उत्तम है। तकनीकी शिक्षण संस्थाओं और कृषि पाठ्यक्रमों में भी महिलायें अधिक कुशलता के साथ अपना अध्ययन सम्पादित कर रही हैं। कम्प्यूटर से सम्बन्धित शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थानों में महिलाओं और पुरूषों का अनुपात 3:1 का है।

सामाजिक पृष्ठ भूमि

उत्तरदाताओं की आयु

अध्ययन क्षेत्र के सभी सातों विकास खण्डों में विभिन्न पदों पर कार्यरत एक हजार दो सौ चौबीस महिलाओं में जाति समूह के आधार पर उनकी कुल संख्या का 25 प्रतिशत निदर्शन में चुनी गई 306 महिला

उत्तरदाताओं में समग्र निदर्शन (306) में 30 प्रतिशत सवर्ण महिलाए 44 प्रतिशत पिछड़े वर्ग की महिलाएं 22 प्रतिशत अनुसूचित जाति की महिलाएं और 04 प्रतिशत अन्य धर्मावलम्बी (मुस्लिम, इसाई और सिक्ख) महिलाओं को सम्मिलित किया है। हमारा यह मानना है कि महिलाओं की आयु का उनके विचारों और आधुनिक प्रवृत्ति में गहरा प्रभाव पड़ता है। इस तथ्य की पुष्टि के लिए हमने अपनी उत्तरदाताओं को तीन आयु समूहों में वर्गीकृत किया। 18 वर्ष से 25 वर्ष, 25 वर्ष से 35 वर्ष और 35 वर्ष से अधिक आयु की प्रौढ़ महिलाए। जाति समूह के आधार पर उत्तरदाताओं को उनकी आयु के अनुसार वर्गीकृत करने में 18 से 25 वर्ष की 55 (17.97 प्रतिशत) महिलाएं है, इनमें 11 सवर्ण, 24 अन्य पिछड़ा वर्ग, 16 अनुसूचित जाति और 04 अन्य धर्मावलम्बी उत्तरदाता सम्मिलित है। द्वितीय आयु वर्ग में उन महिला उत्तरदाताओं को सम्मिलित किया है जिनकी आयु 25 से 35 वर्ष तक है। सबसे अधिक 161 (52.61 प्रतिशत) महिलाएं इस आयु वर्ग में है इनमें 48 सवर्ण, 75 पिछड़ा वर्ग, 31 अनुसूचित जाति और 07 अन्य धर्मावलम्बी महिला उत्तरदाता सम्मिलित हैं। इस आयु वर्ग की उत्तरदाताओं में सभी जाति समूहों की महिलाओं में समानुपातिक समानता और संख्या की अधिकता है अर्थात कार्यरत महिलाएं अधिकांशतः युवा और प्रौढ़ है। अध्ययन में तृतीय आयु वर्ग 35 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की महिलाओं का है इनकी संख्या 90 अर्थात् समग्र निदर्शन का 29.42 प्रतिशत हैं इनमें 33 सवर्ण, 36 पिछड़े वर्ग, 19 अनुसूचित जातियों और 02 महिलायें अन्य धर्मो की महिलाएं है। आयु वर्ग (समूह) के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण यह दर्शा रहा है कि कार्यरत महिलाओं में 25 से 35 आयु की महिलाओं की संख्या

अन्य आयु समूह से अधिक है और इस आयु समूह में सभी जातियों की महिलाओं का प्रतिशत अधिक है।

सारणी सं0–10

उत्तरदाता महिलाओं की आयु जाति समूह के आधार पर

क्र. सं.	आयु समूह	जाति समूह				योग
		सवर्ण	पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अन्य धर्म के उत्तरदाता	
1.	18–25 वर्ष	11	24	16	04	55
		(11.96)	(17.78)	(24.24)	(30.77)	(17.97)
2.	25–35 वर्ष	48	75	31	07	161
		(52.17)	(55.56)	(46.97)	(53.85)	(52.61)
3.	35 वर्ष से अधिक	33	36	19	02	90
		(35.87)	(22.66)	(28.79)	(15.38)	(29.42)
	योग	**92**	**135**	**66**	**13**	**306**
		(100.00)	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**

वैवाहिक स्थिति

उत्तरदाताओं में विवाहित, अविवाहित, विधवा और परित्यागता या तलाकशुदा, प्रत्येक वैवाहिक स्थिति की महिलाएं सम्मिलित हैं। किन्तु अधिकांशतः उत्तरदाता विवाहित हैं। प्रस्तुत अध्ययन में 306 महिलाओं का उत्तरदाताओं के रूप में साक्षात्कार लिया गया है। इनमें 178 (58.17 प्रतिशत) उत्तरदाता विवाहित हैं। अविवाहित उत्तरदाताओं की संख्या 78

(25.49 प्रतिशत) है, जबकि विधवा उत्तरदाता महिलाओं की संख्या 27 (08.82 प्रतिशत) है। 23 महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने विभिन्न कारणों से अपने पति को या तो तलाक दे दिया है या विभिन्न कारणों से लम्बे समय से परित्यागता के रूप में छोड़ दिया है और पुनः विवाह न करके एकाकी जीवन व्यतीत कर रही है और अपनी संतानों का भरण–पोषण कर रही है। ऐसी उत्तरदाताओं का प्रतिशत 07.52 है। सारणी–11 में जाति समूह के आधार पर उत्तरदाताओं की वैवाहिक स्थिति का मूल्यांकन करने पर यह तथ्य स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है कि परित्यागता/तलाकशुदा महिलाओं की संख्या सवर्ण, पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति की उत्तरदाताओं में आनुपातिक रूप से लगभग समान है। सारणी में यह स्पष्ट है कि वैवाहिक बंधन को हिन्दू–मुस्लिम परम्परा के अनुसार साश्वत रूप से स्वीकार करती हैं। सभी जाति समूहों में वैवाहिक उत्तरदाताओं की संख्या अधिक है। विधवा महिलाओं की संख्या अनुसूचित जाति समूह में अधिक है। अन्य धर्मावलम्बी उत्तरदाताओं में विधवा न होने का कारण यह पता लगा कि पति की मृत्यु के बाद कुछ ही समय में वे पुनः विवाह कर लेती हैं। सवर्ण जाति समूह में विवाह से पूर्व नौकरी कराना या परिवार को आर्थिक सहयोग प्रदान करने का प्रचलन अन्य जाति समूहों की अपेक्षा अधिक है 36.96 प्रतिशत। अविवाहित महिलाएं यदि उच्च शिक्षित और तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त कर लेती हैं, तो उनका विवाह अच्छे और सुयोग्य परिवार में सरलता से हो जाता है। अविवाहित नौकरी शुदा महिलाएं विवाह के लिए पारिवारिक बन्दिशों का जातीय प्रतिबन्धों को भी उचित नहीं मानती और विवाह या जीवन साथी के चुनाव में मानसिक और सामाजिक स्वतन्त्रता की हिमायती है।

सारणी सं0–11

उत्तरदाताओं महिलाओं की वैवाहिक स्थिति

क्र. सं.	वैवाहिक स्थिति	जाति समूह				योग
		सवर्ण	पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अन्य धर्म के उत्तरदाता	
1.	विवाहित	42	92	37	07	178
		(45.65)	(68.15)	(56.07)	(53.85)	(58.17)
2.	अविवाहित	34	24	16	04	78
		(36.96)	(17.78)	(24.24)	(30.77)	(25.49)
3.	विधवा	10	09	08	00	27
		(10.87)	(06.66)	(12.12)	(0.00)	(08.82)
4.	परित्यागता / तलाकशुदा	06	10	05	02	23
		(06.52)	(07.41)	(07.57)	(15.38)	(07.52)
	योग	**92**	**135**	**66**	**13**	**306**
		(100.00)	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**

परिवार का प्रकार

उत्तरदाताओं के परिवारों की सामाजिक पृष्ठभूमि समझने के लिए हमने उनके परिवारों के प्रकार का अध्ययन आवश्यक समझा है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था और परिवार के स्वरूपों में अभिनव परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए सामान्य रूप से परिवारों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया है। एकांगी परिवार, संयुक्त परिवार और विस्तृत परिवार। विस्तृत परिवार से

हमारा अभिप्राय उन परिवारों से है जहाँ दो सहोदर भाईयों के परिवार एक साथ रहते है और उन्होंने अपनी पैतृक सम्पत्ति का बटवारा अभी तक नहीं किया। अधिकांश उत्तरदाता संयुक्त परिवार के सदस्य हैं, कुल तीन सौ छः (306) महिलाओं में एक सौ बासठ (52.94 प्रतिशत) संयुक्त परिवार की सदस्य हैं और एक सौ अट्ठाइस (41.83 प्रतिशत) एकांगी परिवार की सदस्य हैं। सोलह उत्तरदाताओं (05.23 प्रतिशत) के परिवार विस्तृत हैं अर्थात् इनके पति अपने बड़े या छोटे भाईयों के साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से अपने–अपने एकांगी परिवारों के साथ बिना संघर्ष के साथ–साथ रह रहे हैं और पारिवारिक परम्पराएं भी निर्वाहित हो रही हैं। जाति समूह के आधार पर परिवारों के प्रकारों का विश्लेषण करने पर यह तथ्य सामने आया कि अधिकांश उत्तरदाता संयुक्त परिवार में रहना पसन्द करती है क्योंकि संयुक्त परिवार में सुरक्षा और समय दोनों मिलता है, महिलाओं का यह कहना था कि बड़ों के सम्मान और प्रतिष्ठा के प्रतिफल में उनका स्नेह, प्यार, सुरक्षा और अनुभव ज्यादा मूल्यवान है, विशेष रूप से अनुसूचित जाति की उत्तरदाताओं में संयुक्त परिवारों के प्रति आस्था 68.19 प्रतिशत है और वे एकांगी परिवारों में रहना कम पसन्द करती हैं। किन्तु अन्य धर्मावलम्बियों में 76.92 प्रतिशत उत्तरदाता एकांगी परिवारों से सम्बद्ध है। इक्कीसवीं शताब्दी के भारत में जहाँ भौतिकता के हर सामान के लिए बाजार खुला है, संयुक्त परिवारों के प्रति बढ़ते हुए रूझान से एक तथ्य यह स्पष्ट है कि सूचना प्रौद्योगिकी के इस क्रान्तिकारी युग में भारत की महिलाएं अपने परम्परागत स्वरूप को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है इस कार्य को अंजाम देने में छोटे पर्दे की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। कुछ लोकप्रिय सीरियल महिलाओं के अन्दर संयुक्त परिवार और उसके महत्व का प्रकाशन इस रूप

में कर रहे हैं कि उनके बिना भारतीय नारी की कोई पहचान नहीं है। सारगर्भित तथ्य यह है कि इनसे हमारी राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है और पारिवारिक वातावरण विषाक्त होने से बच जाता है। सारणी बारह में उत्तरदाताओं के परिवारों का प्रकार संख्या और कोष्टक में प्रतिशत प्रदर्शित किया गया है।

सारणी सं0–12

उत्तरदाताओं के परिवार का प्रकार

क्र. सं.	परिवार का प्रकार	जाति समूह				योग
		सवर्ण	पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अन्य धर्म के उत्तरदाता	
1.	एकांगी	42	58	18	10	128
		(45.65)	(42.96)	(27.27)	(76.92)	(41.83)
2.	संयुक्त	48	67	45	02	162
		(52.17)	(49.63)	(48.19)	(15.38)	(52.94)
3.	विस्तृत	02	10	03	01	16
		(02.18)	(07.41)	(04.54)	(07.70)	(05.23)
	योग	**92**	**135**	**66**	**13**	**306**
		(100.00)	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**

परिवार का आकार

उत्तरदातओं की परिवार के आकार के प्रति उनकी अभिरूचि, परिवार नियोजन, परिवार कल्याण और आधुनिक अभिवृत्तियों को परखने के लिए अध्ययन में उनके परिवार के सदस्यों को संख्या के आधार पर चार श्रेणियों

में विभाजित किया है। प्रथम श्रेणी में सदस्यों की संख्या चार तक सीमित है (हम दो हमारे दो के सिद्धान्त पर), द्वितीय श्रेणी में परिवार के सदस्यों की संख्या छः तक है। तृतीय श्रेणी में आठ तक सदस्य हैं और अन्तिम चौथी श्रेणी में उन परिवारों की उत्तरदाताओं को सम्मिलित किया जहाँ परिवार में आठ से अधिक सदस्य है। यहाँ यह तथ्य भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि उत्तरदाताओं के परिवार के प्रकार और आकार में एक सह–सम्बन्ध दिखाई दे रहा है जिन परिवारों में सदस्यों की संख्या चार तक सीमित है वे सभी परिवार एकांगी है, जिनमें पति–पत्नी और एक दो बच्चे हैं, ऐसे परिवारों की संख्या 116 (37.90 प्रतिशत) है, इनमें सवर्णो के 40 परिवार, पिछड़े वर्ग के उत्तरदाताओं के 38 (28.15 प्रतिशत) परिवार, अनुसूचित जाति समूह के उत्तरदाताओं के 28 (42.42 प्रतिशत) परिवार और अन्य धर्मो के उत्तरदाताओं के 10 (76.92 प्रतिशत) परिवार सम्मिलित है। एकांगी परिवार का आकार सीमित है क्योंकि अध्ययन में कुल 128 एकांगी परिवार है (सारणी–12)। इनमें से 116 (92.62 प्रतिशत) परिवारों के सदस्यों की संख्या अधिकतम चार या चार से कम है। चार से छः तक सदस्यों की संख्या वाले परिवार के आकार के उत्तरदाताओं की संख्या 137 (44.77 प्रतिशत)। आठ तक सदस्यों की संख्या वाले उत्तरदाताओं की संख्या 35 (11.45 प्रतिशत) और आठ से अधिक सदस्यों वाले महिला उत्तरदाताओं की संख्या मात्र 18 (05.88 प्रतिशत) है। आठ या आठ से अधिक सदस्यों वाले परिवार की उत्तरदाताओं के परिवार का प्रकार संयुक्त है इनमें पिछड़े वर्ग की महिला उत्तरदाताओं की संख्या अधिक है। उत्तरदाताओं के परिवार के प्रकार और आकार में एक निश्चित सह–सम्बन्ध है।

सारणी सं0–13

उत्तरदाताओं के परिवार का आकार

क्र. सं.	परिवार का आकार	जाति समूह				योग
		सवर्ण	पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अन्य धर्म के उत्तरदाता	
1.	दो से चार तक	40	38	28	10	116
		(43.48)	(28.15)	(42.42)	(76.92)	(37.90)
2.	दो से छः तक	38	68	30	01	137
		(41.30)	(50.37)	(45.45)	(07.70)	(44.77)
3.	दो से आठ तक	10	18	05	02	35
		(10.87)	(13.33)	(07.58)	(15.38)	(11.45)
4.	आठ से अधिक	04	11	03	00	18
		(4.35)	(08.15)	(04.55)	(0.00)	(05.88)
	योग	**92**	**135**	**66**	**13**	**306**
		(100.00)	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**

शिक्षा का स्तर और उत्तरदाताओं की भूमिका

प्रस्तुत अध्ययन में शिक्षा और शिक्षा के स्तर और प्रकार को भूमिका और सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक अस्तित्व, सामाजिक स्तरीकरण और सामाजिक प्रतिष्ठा के एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में हमने स्वीकार किया है अतः शिक्षा सम्बन्धी तथ्यात्मक आँकड़ों का विश्लेषण तीन स्तरों में किया है– (1) अध्ययन क्षेत्र में उन सभी महिलाओं का शैक्षिक स्तर जो विभिन्न पदों पर सेवारत हैं (स्वतः के द्वारा किये गये सर्वेक्षण के आधार पर जो आँकड़े विभिन्न कार्यालयों से उपलब्ध हैं), (2) निदर्शन में चुनी गयी उत्तरदाताओं की शिक्षा का स्तर, (3) उत्तरदाताओं के परिवारों में शिक्षित

बच्चों की संख्या। इन सभी तथ्यों का विश्लेषण हमने जाति समूह के आधार पर किया हैं। क्योंकि सभी कार्यरत महिलाओं का जनगणना सर्वेक्षण करना हमारा उद्देश्य था अतः शिक्षा के स्तर को हमने चार श्रेणियों में विभाजित किया— प्राथमिक शिक्षा, इण्टरमीडिएट तक शिक्षित महिलायें, कॉलेज स्तर तक शिक्षा प्राप्त कर सेवारत महिलाएं और तकनीकी शिक्षा जैसे— बी.ई., बी.टेक., एम.बी.ए., एम.सी.ए., पॉलीटेक्निक डिपलोमा या कम्प्यूटर के विभिन्न कोर्सेज, हार्डवेयर/साफ्टवेयर की शिक्षा प्राप्त विभिन्न पदों में कार्यरत महिलाएं। अध्ययन क्षेत्र में कार्यरत समस्त 1224 महिलाओं के जनगणना सर्वेक्षण के अनुसार 268 (21.90 प्रतिशत) महिलायें प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर विभिन्न चतुर्थ श्रेणी के पदो में कार्य कर रही हैं और अपने परिवार का भरण—पोषण करके बच्चों को अच्छी शिक्षा—दीक्षा देने के प्रति सजग है। शिक्षा स्तर की इस श्रेणी में 74 सवर्ण महिलाएं, 160 पिछड़े वर्ग की महिलाएं, 77 अनुसूचित जाति समूह की महिलाएं और केवल 09 अन्य धर्मो की मानने वाली महिलाएं हैं। इण्टरमीडिएट स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या 328 (26.80 प्रतिशत) है इनमें अधिकांशतः बी.टी.सी. का प्रशिक्षण प्राप्त कर प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक के रूप में कार्य कर रही है या मृतक आश्रित होने के कारण पुलिस या सी.आई.एस.एफ. में कॉस्टेबिल (सिपाही) का पद प्राप्त कर चुकी हैं। इण्टर तक शिक्षा प्राप्त कर कुछ महिलाएं शार्टहैण्ड या टाइपिंग सीख कर तृतीय श्रेणी अर्थात समूह 'ग' की सेवा कर रही है। इस शैक्षणिक श्रेणी में 98 (26.56 प्रतिशत) सवर्ण महिलाएं, 122 (22.59 प्रतिशत) पिछड़े वर्ग की महिलाएं, 98 (37.40 प्रतिशत) अनुसूचित जाति की महिलाएं और 10 (18.56 प्रतिशत) अन्य धर्मो की विभिन्न पदों पर कार्यरत महिलाएं सम्मिलित हैं (सारणी—14)। यहाँ यह तथ्य

उल्लेखनीय है कि इस वर्ग में महिलाओं को अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण अपनी शिक्षा को बीच में ही रोक कर आर्थिक संसाधन खोजन के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि परिवार में उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाने के संसाधन उपलब्ध नहीं थे। कार्यरत महिलाओं में सबसे अधिक संख्या कॉलेज स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने वाली महिलाओं की है, इनमें स्नातक, परास्नातक, पी–एच.डी., बी.एड. आदि की उच्च शिक्षा प्राप्त कर विभिन्न उच्च शैक्षणिक एवं प्रशासनिक पदों में कार्य करने वाली महिलाएं, एम.बी.बी.एस., बी.ए.एम.एस. आदि की डिग्री प्राप्त कर स्वतः का दवाखाना चलाने वाली महिलाओं को सम्मिलित किया है। 534 (43.63 प्रतिशत) महिलाओं का शैक्षिक स्तर कॉलेज लेबिल तक यू.जी., पी.जी., एम.फिल., पी–एच.डी. या व्यवसाय परक शिक्षा का है। इनमें 172 (46.61 प्रतिशत) महिलाएं सवर्ण जाति समूह की हैं, 272 (50.37 प्रतिशत) सेवारत महिलाएं पिछड़े वर्ग से, 75 (28.63 प्रतिशत) अनुसूचित जाति से और 15 (28.30 प्रतिशत) अन्य धर्म की महिलाएं है। उच्च शिक्षा स्तर के साथ–साथ इन महिलाओं को उच्च पद प्राप्त हैं और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इनकी भूमिका भी अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं, अधिकांश महिलाएं अपने शिक्षा के स्तर का गुणात्मक मूल्यांकन करती है और परिणामात्मक विकास की ओर अग्रसर है। यहाँ यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि इन महिलाओं ने अपने आर्थिक उन्नयन और पारिवारिक जिम्मेदारियों को शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाया है। शिक्षा के स्तर में सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी शिक्षा का स्तर है। 1224 कार्यरत महिलाओं में 94 महिलाएं बी.ई., बी.टेक., एम.टेक. आदि की तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से जुड़ी हैं। समग्र की 7.67 प्रतिशत महिलाएं विभिन्न प्रतिष्ठानों में इंजीनियर, ओवरंसियर (जे.ई.) आदि के पदों

पर हैं। तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाली महिलाओं में 25 (6.78 प्रतिशत) सवर्ण, 38 (7.04 प्रतिशत) पिछड़े वर्ग की, 12 (4.58 प्रतिशत) अनुसूचित जाति और 19 (35.86 प्रतिशत) अन्य धर्म की महिलाएं हैं।

सारणी सं0–14

अध्ययन क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं का शैक्षिक स्तर

क्र. सं.	शैक्षिक स्तर	जाति समूह				योग
		सवर्ण	पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अन्य धर्म के उत्तरदाता	
1.	प्राथमिक शिक्षा	74	108	77	09	268
		(20.05)	(20.00)	(29.39)	(16.98)	(21.90)
2.	इण्टरमीडिएट	98	122	98	10	328
		(26.56)	(22.59)	(37.40)	(18.56)	(26.80)
3.	कॉलेज स्तर तक	172	272	75	15	534
		(46.61)	(50.37)	(28.63)	(28.30)	(43.63)
4.	तकनीकी शिक्षा	25	38	12	19	94
		(06.78)	(07.84)	(04.58)	(35.86)	(07.67)
	योग	**369**	**540**	**262**	**53**	**1224**
		(100.00)	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**

वर्तमान सामाजिक, राजनैतिक परिस्थितियां शिक्षा के क्षेत्र में परितर्वन ला रही हैं और प्रत्येक जाति समूह की महिलाएं अपने शैक्षिक स्तर को सुधारने के लिए प्रयत्नशील है। कॉलेज स्तर तक की स्थानीय सुविधा उपलब्ध होने के कारण शिक्षा के प्रति प्रत्येक जाति समूह का आकर्षण बढ़ रहा है, निःशुल्क स्त्री शिक्षा, रेलवे के द्वारा निःशुल्क मासिक सीजन टिकट

उपलब्ध होने के कारण महिलायें और उनके अभिभावक शिक्षा के प्रति सजग हैं, साथ ही साथ छात्रवृत्ति भी आकर्षण का केन्द्र है। तकनीकी शिक्षा पड़ोस के महानगरों कानपुर और आगरा में सहज उपलब्ध है, आर्थिक संस्थाओं के द्वारा ऋण की व्यवस्था होने के कारण अधिक शुल्क भी उनके इरादों को नहीं डिगा पाता।

निदर्शन में चुनी गयी 306 सम्पूर्ण का 25 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं की शैक्षिक उपलब्धियों का तुलनात्मक मूल्यांकन पुनः हमने जाति समूह के आधार पर किया है। जनगणना सर्वेक्षण में प्राप्त शैक्षणिक तथ्यों और निदर्शन में चुने गये उत्तरदाताओं के माध्यम से प्राप्त शैक्षणिक आँकड़ों में सैद्धान्तिक रूप से बहुत अधिक साम्य है। सारणी–15 में निदर्शन में चुनी गयी 306 महिला उत्तरदाताओं का जाति समूह के आधार पर शैक्षिक विवरण प्रस्तुत किया है। इनको पाँच शैक्षिक स्तरों में विभाजित किया है, प्राथमिक स्तर, इण्टरमीडिएट स्तर तक, स्नातक स्तर तक, परास्नातक स्तर और अन्तिम तकनीकी शिक्षा का स्तर। निदर्शन में चुनी गई महिलाओं में केवल 10.13 प्रति उत्तरदाता प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त कर विभिन्न पदों में जिनमें अधिकांशतः चतुर्थ श्रेणी की महिलायें कार्यरत हैं। इस शैक्षिक स्तर में सवर्ण और अन्य धर्म की उत्तरदाताओं की संख्या शून्य है। 13.34 प्रतिशत पिछड़े वर्ग की और 19.70 प्रतिशत अनुसूचित जाति की उत्तरदाताओं का शैक्षिक स्तर प्राथमिक स्तर का है। सारणी–15 में हमने उत्तरदाताओं के इण्टरमीडिएट तक की शिक्षा को क्रमांक–2 में दर्शाया है, 51 (16.67 प्रतिशत) महिलाए इस श्रेणी में आती हैं इनें 12 (13.04 प्रतिशत) सवर्ण, 32 (23.70 प्रतिशत) पिछड़े वर्ग की, केवल 5 (07.58 प्रतिशत) अनुसूचित जाति की और 2 (15.38 प्रतिशत) महिलाएं अन्य धर्म को मानने वाली है। स्नातक

स्तर तक की शिक्षा प्राप्त कर विभिन्न नौकरियों में सेवारत उत्तरदाताओं की संख्या 108 (35.30 प्रतिशत) हैं, इस शैक्षिक स्तर पर प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक 44.57 प्रतिशत सवर्ण महिला उत्तरदाता है, जो स्नातक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद बी.एड. या बी.टी.सी. का प्रशिक्षण प्राप्त कर 'विशिष्ट बी. टी.सी.' योजना के अन्तर्गत प्राथमिक/जूनियर विद्यालयों में शिक्षण कार्य कर रही हैं। 34.07 प्रतिशत महिलाएं पिछड़े वर्ग की है जिनका शैक्षिक स्तर स्नातक स्तर का है, इनमें कार्यालयों में तृतीय श्रेणी के लिपिक, स्टैनो, स्टोर इंचार्ज आदि के पदों पर कार्य करने वाली महिलाआं की संख्या अधिक है। अनुसूचित जाति की 30.30 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं ने स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त कर अपने आर्थिक भविष्य को खोजा है, सामान्यतः इनमें, शिक्षिकायें और स्टाफ नर्स अधिक हैं जिन्होंने विज्ञान वर्ग से स्नातक की उपाधि प्राप्त कर इस कार्य को चुना है। अन्य धर्म को मानने वाली केवल 01 (07.70 प्रतिशत) उत्तरदाता स्नातक शिक्षा प्राप्त है। परास्नातक (एम.ए.) या इससे अधिक अनुसंधान की पी–एच.डी., एम.फिल. आदि डिग्री प्राप्त करने वाली उत्तरदाताओं की संख्या 66 (21.57 प्रतिशत) है। इनमें 22 (23. 91 प्रतिशत) सवर्ण, 28 (20.74 प्रतिशत) पिछड़े वर्ग, 12 (18.18 प्रतिशत) अनुसूचित जाति और 04 (30.77 प्रतिशत) अन्य धर्म को मानने वाली उत्तरदाता हैं। यह सभी महिलायें उच्च पदों में कार्यरत हैं यथा समाज कल्याण अधिकारी, सूचना अधिकारी, स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में प्रवक्ता, बैंक अधिकारी, आदि पदों पर कार्य कर रही हैं, कुछ महिलाएं एम.एस–सी., गणित एवं भौतिक विज्ञान विषय में करके स्वयं का कम्प्यूटर प्रतिष्ठान चला रही हैं या कैरियर कोचिंग के महत्वपूर्ण कार्य में लगी हैं यहाँ यह उल्लेख करना भी आवश्यक है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद महिलाएं

विवाह के पश्चात भी अपने स्वतन्त्र अस्तित्व बनाने में तत्पर हैं और उन्हें सफलता भी मिल रही है। सूचना प्रौद्योगिकी की बढ़ती हुई लोकप्रियता और सहजता के कारण युवतियां मेडिकल प्रोफेशन के स्थान पर तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जॉब तलाश रही हैं। मल्टीनेशनल कम्पनियों के द्वारा इन क्षेत्रों में पुरूषों की अपेक्षा महिलाओं को वरीयता देने के कारण हमारे अध्ययन क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा ग्रहण कर चौरानबे महिलाएं कार्यरत हैं, इनमें से हमने अपने निदर्शन में 50 (16.33 प्रतिशत) उत्तरदाताओं को चयनित किया है इनमें 17 (18.48 प्रतिशत) सवर्ण, 11 (08.15 प्रतिशत) पिछड़े वर्ग की, 16 (24.24 प्रतिशत) अनुसूचित जाति समूह की और 06 (46.15 प्रतिशत) अन्य धर्म की महिलायें सम्मिलित हैं। तकनीकी शिक्षा का सम्बन्ध महिलाओं की व्यक्तिगत अभिरूचि से है। अतः वह घर में ही रहकर अपने तकनीकी ज्ञान को आर्थिक संसाधनों से जोड़ रही है। फेशन डिजाइनिंग, कम्प्यूटर डिजाइनिंग, कॉल सेन्टर, नेट एकाउण्ट्स आदि को वह अपने परिवार के साथ जोड़कर पैसा कमाने का साधन बनाना चाहती है।

सारणी सं0–15

उत्तरदाताओं की शिक्षा का स्तर

क्र. सं.	शिक्षा स्तर	जाति समूह				योग
		सवर्ण	पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अन्य धर्म के उत्तरदाता	
1.	प्राथमिक शिक्षा	00	18	13	00	31
		(0.00)	(13.34)	(19.70)	(0.00)	(10.13)
2.	इण्टरमीडिएट	12	32	05	02	51
		(13.04)	(23.70)	(07.58)	(15.38)	(16.67)
3.	स्नातक	41	46	20	01	108
		(44.57)	(34.07)	(30.30)	(07.70)	(35.30)
4.	परास्नातक एवं अधिक	22	28	12	04	66
		(23.91)	(20.74)	(18.18)	(30.77)	(21.57)
5.	तकनीकी शिक्षा	17	11	16	06	50
		(18.48)	(08.15)	(24.24)	(46.15)	(16.33)
	योग	**92**	**135**	**66**	**13**	**306**
		(100.00)	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**

नारी उत्थान, महिला सशक्तीकरण या स्वतन्त्र अभिव्यक्ति का सीधा सम्बन्ध समाज की शिक्षा और मानवीय मूल्यों से हैं तभी राज्य और केन्द्र के द्वारा चलाया जाने वाला सर्वशिक्षा अभियान सार्थक हो सकता है। हमने अपने अध्ययन में उत्तरदाताओं की शैक्षिक अभिरूचि का मूल्यांकन करने के लिए, उनके परिवार में शिक्षित सदस्यों की संख्या का आंकलन किया और आशा के अनुरूप किसी भी जाति समूह की उत्तरदाताओं के परिवार में कोई भी सदस्य अशिक्षित नहीं है। एकांगी परिवारों की माताएं अपने बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में पुरूषों से अधिक सजग हैं और अच्छी से अच्छी शिक्षा

प्रदान कर रही हैं, वे अपने लड़के और लड़कियों को समान स्तर से शिक्षा प्रदान कर रही है। कुछ उत्तरदाता विवाह के बाद अपनी ससुराल में हैं और अपनी शिक्षा का सदुपयोग करते हुए अपनी हम उम्र ननद, जेठानी या देवरानी की रूकी हुई शिक्षा को सम्पादित कर रही हैं। ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या 144 (47.06 प्रतिशत) है जिनके परिवारों में एक से तीन सदस्य शिक्षित हैं इनमें 38 (4.30 प्रतिशत) सवर्ण, 65 (48.15 प्रतिशत) पिछड़े वर्ग, 40 (60.60 प्रतिशत) अनुसूचित जाति और मात्र 01 (07.70 प्रतिशत) अन्य धर्म को मानने वाली उत्तरदाता है। जिन उत्तरदाताओं के परिवारों में सभी सदस्य शिक्षित है उनकी संख्या 162 (52.94 प्रतिशत) है। जिन उत्तरदाताओं के परिवारों में सभी सदस्य शिक्षित है उनमें 58.70 प्रतिशत सवर्ण उत्तरदाता, 51.85 प्रतिशत पिछड़े वर्ग की उत्तरदाता, 39.40 प्रतिशत अनुसूचित जाति की उत्तरदाता और 92.30 प्रतिशत अन्य धर्म को मानने वाली उत्तरदाता के परिवार सम्मिलित है (सारणी–16)। शिक्षा का स्तर और उत्तरदाताओं की भूमिका का सूचना प्रौद्योगिकी से सहज सम्बन्ध है क्योंकि शिक्षित महिलाएं अपने संवैधानिक अधिकारों और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के अर्थ को न केवल समझती है बल्कि इन अधिकारों के प्रति अन्य महिलाओं को भी सचेत करती है।

सारणी सं0–16

उत्तरदाताओं के परिवारों में शिक्षित सदस्यों की संख्या

क्र. सं.	सदस्यों की संख्या	जाति समूह				योग
		सवर्ण	पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अन्य धर्म के उत्तरदाता	
1.	एक से तीन	38	65	40	01	144
		(41.30)	(48.15)	60.60)	(07.70)	(47.06)
2.	सभी सदस्य शिक्षित	54	70	26	12	162
		(58.70)	(51.85)	(39.40)	(92.30)	(52.94)
	योग	**92**	**135**	**66**	**13**	**306**
		(100.00)	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**

उत्तरदाताओं का आर्थिक परिवेश

पृष्ठभूमि

भारत वर्ष युवाओं का देश हैं– यह दुनिया के उन कुछ गिने–चुने देशों में से है जहाँ बड़ी संख्या में युवा आबादी है। यह ऐसा देश है जो भारी उथल–पुथल और परिवर्तनों से गुजर रहा है। युवा आबादी इन परिवर्तनों से अछूती नहीं है।

युवतियों, खासकर अपेक्षाकृत दलित और गरीब वर्ग की महिलाओं जिन्हें कठोर पितृसत्तात्मक व्यवस्था और परम्परा के कारण अवसर नहीं दिए जाते रहे हैं, के लिए नए क्षेत्र खुलने लगे हैं और यदि ये अवसर परिवार की आय में कुछ वृद्धि करते हैं, तो धन अपनी भाषा बोलने लगता है। यहीं कारण हैं कि आज दस वर्ष पहले की तुलना में महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं, लेकिन क्या इससे महिलाएं और अधिक आत्म–निर्भर और

उद्यमी होंगी? यह इस पर निर्भर करेगा कि समाज उनमें आ रहे परिवर्तनों को सही रूप में स्वीकार करें।

भारत में प्राचीन काल में नारी की महिमा का पर्याप्त गुणगान हुआ है– वेद उसे पुरूष के समकक्ष रखते है। उसे प्रकृति कहा गया यानी जीवन का मूल तत्व, उसे देवी, मातृ शक्ति, गृहलक्ष्मी निरूपित किया गया वह ज्ञानवान हैं। इतिहास का थोड़ा सा कालखण्ड छोड़ दें तो भारत में जीवन के लगभग हर क्षेत्र में महिलाओं की सफलता और उनका सम्मान पुरूषों से कहीं कमतर नहीं दिखता और ऐसा नारी के घर की जिम्मेदारी संभालने के बावजूद हुआ लेकिन लैंगिक भेदभाव पनपा तो महिलाओं का दर्जा कई पायदान नीचे कर दिया गया, किन्तु हमारी आजादी के बाद महिला आन्दोलनों, क्रान्तिकारी कदमों और महिला सशक्तीकरण की बयार ने भारतीय महिलाओं को राष्ट्र और परिवार की आर्थिक शक्ति से जोड़ दिया है। अर्थव्यवस्था के उफान में जब अवसरों की बयार किस्मत के दरवाजे पर दस्तक दे रही है तो पढ़ी–लिखी, महत्वाकांक्षी युवा महिलाएं अपने कैरियर को केवल बच्चों को पढ़ाने या रिसेप्सनिस्ट की चौहद्दी तक ही सीमित नहीं कर देना चाहती, वे व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों का रूख कर रही है। शहरों में अकेली समूह में या पुरूष साथी के संग काम कर रही है। नई नौकरियों, कामों अपने हुनर को तलाश रही हैं, इन्टरनेट और नेटवर्किंग के जरिये वेब साइट और ई–मेल के माध्यम से नई–नई सम्भावनाएं उनके कदम चूम रही हैं, आज की भारतीय नारी देश की सीमा लांघ कर परेदश में अपने कदम मजबूती से जमा रही है। अपने जमा खर्च का प्रबन्ध कर रही है, अपने फैसले खुद कर रही है, वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर हो रही हैं, इनमें अनेकों ऐसी स्त्रियां हैं, जिन्होंने छोटे शहरों से निकलकर अपने दम

पर बड़े शहरों में खास मुकाम तय किए हैं। उनकी कहानियाँ भारत की बदलती तस्वीर को बयान कर रही है।

हमारे अध्ययन क्षेत्र के छोटे से जिले औरैया से लेकर बड़े शहरों तक संयुक्त परिवारों से लेकर शहर में अलग रहते परिवारों तक की युवा महिलाएं जीवकोपार्जन और नए कैरियर की खातिर बढ़–चढ़ कर काम कर रही हैं। हकीकत हर किसी के सामने है, अर्थव्यवस्था वार्षिक 9 प्रतिशत से अधिक दर से आगे बढ़ रही हैं, बी.पी.ओ. और बायोटेक्नोलॉजी जैसे नए उद्योगों में 2010 तक 23 लाख लोगों को और 2012 तक 10 करोड़ लोगों के रोजगार पाने की उम्मीद है एनीमेशन और मीडिया तेजी से कैरियर के नए मूल मन्त्र बन रहे है।

पुरूषों की बढ़त से बेफिक्र होकर भारत की महिलाएं सूचना प्रौद्योगिकी के साथ अपनी भूमिका की कदम–ताल मिलाकर व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों, पत्रकारिता स्कूलों, मॉडलिंग पाठ्यक्रमों, यहाँ तक कि एयर होस्टेस अकादमियों की ओर रूख कर रही हैं, क्योंकि देश में रोजगार की सम्भावनाएं पहले कभी इतनी नहीं थी। ये संस्थान महिलाओं में नए जोश और आर्थिक उत्साह भरने के साथ–साथ किताबी ज्ञान और आगे बढ़ने का आत्म विश्वास भी भरते हैं और इस अवधारणा को दूर करते है कि विवाह के पूर्व निर्धारित पथ पर कैरियर एक छोटा सा भटकाव भर है।

जुझारू कार्यकर्ता से लेकर प्रयोगशील डिजाइनर और कुशल प्रबन्धक तक, आज प्रत्येक भूमिका में महिलाए हैं। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने दूसरों को राह दिखाई है कि आजादी अब असम्भव नहीं बल्कि एक जरूरी लक्ष्य है।

भारतीय महिलाओं में नया जज्बा और जोश है युवा भारतीय स्त्रियां ऊचे सपने बुन रही हैं वे अभिनव कैरियर चुन रही है और उन्मुक्त जिन्दगी जी रही है। प्रस्तुत अध्ययन में हमने अपने निदर्शन में 306 विभिन्न कार्यालयों और विभिन्न पदों पर कार्य करने वाली महिलाओं के साक्षात्कार के परिणामों को वर्गीकृत और विश्लेषित किया है। हमारे अध्ययन में विभिन्न कार्यालयों में तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के रूप में 70 (22.88 प्रतिशत) उत्तरदाता है इनमें 18 (19.57 प्रतिशत) सवण्र महिलाएं, 34 (25.19 प्रतिशत) पिछड़े वर्ग की महिलाएं, 16 (24.24 प्रतिशत) अनुसूचित जाति और 02 (15.38 प्रतिशत) अन्य धर्मो को मानने वाली महिलाएं हैं जो लिपिक, स्टोर इन्चार्ज आदि के पदों पर कार्यरत हैं (सारणी–17)। महिलाओं की व्यावसायिक स्थिति का विश्लेषण करने पर उनकी सर्वाधिक संख्या शिक्षक, कम्प्यूटर शिक्षक के रूप में दिखाई दी, प्राथमिक विद्यालय की शिक्षक से लेकर स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में रीडर एवं विभागाध्यक्षों के पदों पर कार्यरत 103 (33.66 प्रतिशत) महिलाओं का साक्षात्कार हमने किया इनमें 28 (30.43 प्रतिशत) सवर्ण महिलाएं, 49 (36.30 प्रतिशत) पिछड़े वर्ग की महिला उत्तरदाता, 22 (33.34 प्रतिशत) अनुसूचित जाति और 04 (30.78 प्रतिशत) अन्य धर्म को मानने वाली महिलाएं हैं ये महिलाओं के लिए शिक्षक/अध्यापक या तकनीकी प्रशिक्षक के जॉब को सरल, सुरक्षित और सहज रूप से स्वीकार करती हैं। हमारे अध्ययन में 37 (12.09 प्रतिशत) विभिन्न राष्ट्रीयकृत और सहकारी बैंकों में कैशियर, मैनेजर, आडिटर और लिपिक वर्ग में कार्य करने वाली महिलाएं भी सम्मिलित हैं जो अपनी स्वच्छ छवि और कार्यकुशलता के माध्यम से अपने कार्य को सरला से सम्पन्न करती हैं– इनमें 15 (16.30 प्रतिशत) सवर्ण, 13 (09.63 प्रतिशत) पिछड़े वर्ग, 07

(10.60 प्रतिशत) अनुसूचित जाति और 02 (15.38 प्रतिशत) अन्य धर्म को मानने वाली उत्तरदाता है। गृहणी के रूप में रहते हुए स्वःरोजगार जैसे– कम्प्यूटर का साफ्टवेयर प्रशिक्षण, खिलौने बनाना, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई सिखाना, दुकानों एवं प्रतिष्ठानों का संचालन करना, कुटीर उद्योग चलाना आदि कार्यो से सम्बद्ध 38 उत्तरदाताओं में (12.42 प्रतिशत), 16 (17.40 प्रतिशत) सवर्ण, 15 (11.11 प्रतिशत) पिछड़े वर्ग, 07 (10.60) अनुसूचित जाति की महिला उत्तरदाता है। अन्य धर्म को मानने वाली कोई भी उत्तरदाता स्वरोजगार के अर्थोपार्जित कार्य में नहीं लगी है। इस अध्ययन में 24 (07.84 प्रतिशत) पुलिस विभाग में कार्यरत उत्तरदाता है जो सब–इन्सपेक्टर रैंक से लेकर महिला पुलिस के पद पर कार्यरत हैं इनमें 03 सवर्ण, 11 (8.15 प्रतिशत) पिछड़े वर्ग और 10 (15.16 प्रतिशत) अनुसूचित जाति की उत्तरदाता है। अन्य धर्मावलम्बी कोई भी उत्तरदाता पुलिस कर्मी नहीं नहीं है (सारणी–17)।

अधिकारी वर्ग की 13 (04.25 प्रतिशत) उत्तरदाता है इनमें 05 (5.43 प्रतिशत) सवर्ण, 04 (02.96 प्रतिशत) पिछड़े वर्ग, 02 (03.03 प्रतिशत) अनुसूचित जाति और 02 (15.38 प्रतिशत) अन्य धर्म को मानने वाली उत्तरदाता हैं। अधिकारी वर्ग में कार्यरत उत्तरदाताओं में हमने केवल प्रशासनिक पदों पर कार्यरत महिलाओं को सम्मिलित किया है जिनमें सत्र न्यायाधीश, समाज कल्याण अधिकारी, डिप्टी डाइरेक्टर ऑफ स्कूल, उप–जिलाधिकारी, जिला विकास अधिकारी और बी0डी0ओ0 के महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत महिला उत्तरदाता है।

सारणी सं0–17

उत्तरदाताओं के जॉब/व्यावसायिक स्थिति

क्र. सं.	जॉब/व्यावसाय	जाति समूह				योग
		सवर्ण	पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अन्य धर्म की उत्तरदाता	
1.	कार्यालय कर्मी	18	34	16	02	70
		(19.57	(25.19)	(24.24)	(15.38)	(22.88)
2.	शिक्षक/ कम्प्यूटर शिक्षक	28	49	22	04	103
		(30.43)	(36.30)	(33.34)	(30.78)	(33.66)
3.	बैंक कर्मी	15	13	07	02	37
		(16.30)	(09.63)	(10.60)	(15.38)	(12.09)
4.	स्वरोजगार/ गृहणी	16	15	07	00	38
		(17.40)	(11.11)	(10.60)	(0.00)	(12.42)
5.	पुलिस कर्मी	03	11	10	00	24
		(03.26)	(08.15)	(15.16)	(0.00)	(07.84)
6.	अधिकारी वर्ग	05	04	02	02	13
		(05.43)	(02.96)	(03.03)	(15.38)	(04.25)
7.	डॉक्टर/ इंजीनियर/ वकील	05	03	02	02	12
		(05.44)	(02.22)	(03.03)	(15.38)	(03.92)
8.	मीडिया / राजनीति	02	06	00	01	09
		(02.17)	(04.44)	(0.00)	(07.70)	(02.94)
	योग	**92**	**135**	**66**	**13**	**306**
		(100.00)	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**

उत्तरदाताओं में 12 (03.92 प्रतिशत) डॉक्टर/इंजीनियर एवं वकील हैं, इनमें 05 सवर्ण, 03 पिछड़े वर्ग, 02 अनुसूचित जाति एवं 02 अन्य धर्म

को मानने वाली उत्तरदाता हैं जो जनपद चिकित्सालय, व्यक्तिगत नर्सिंग होम में सेवायें दे रही हैं। जनपद और सत्र न्यायालय में वकालत करना, एन0टी0पी0सी0 और पेट्रोकैमिकल प्रतिष्ठानों में बी.टेक. और एम.बी.ए. की डिग्री प्राप्त कर जॉब करने वाली महिला उत्तरदाता भी सम्मिलित है।

उत्तरदाताओं में 09 (02.94 प्रतिशंत) उत्तरदाता अनेक समाचार पत्रों की वरिष्ठ संवाददाता और नगर पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका की अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लाक प्रमुख के पदों पर कार्य कर रही हैं। इनमें 02 सवर्ण, 06 पिछड़े वर्ग और 01 अन्य धर्म को मानने वाली उत्तरदाता है।

वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में किसी राष्ट्र का विकास उसके मानवीय संसाधनों के बहुमुखी विकास पर निर्भर करता है, परन्तु इसके लिए यह आवश्यक है कि समाज में सभी लोगों को अवसरों की समानता प्राप्त हो और उन अवसरों में इतनी स्थिरता होकि इनका हस्तान्तरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हो सके एवं लोगों के पास विकासात्मक प्रक्रिया में भाग लेने व उसका लाभ उठाने का अधिकार हो। उत्तरदाताओं की आर्थिक पृष्ठभूमि को हमने सूचना प्रौद्योगिकी में उनकी भूमिका के साथ सम्बन्धित किया है।

मासिक आय एवं आर्थिक भूमिका

उत्तरदाताओं की मासिक आय को हमने चार वर्गो में बॉटा है– (1) दस हजार रुपये मासिक वेतन/ आय से कम, (2) दस हजार रुपये मासिक आय से अधिक किन्तु बीस हजार रुपये मासिक आय से कम, (3) बीस हजार से पचीस हजार रुपये मासिक आय वाली उत्तरदाता और (4) 25 हजार रुपये मासिक आय से अधिक प्राप्त करने वाली महिला उत्तरदाता।

दस हजार रुपये मासिक से कम आय या वेतन प्राप्त करने वाली उत्तरदाताओं की संख्या 99 (32.36 प्रतिशत) है इस वर्ग में विद्यालयों की शिक्षिकायें कार्यालय कर्मी और सिलाई, कढ़ाई आदि सिखाकर आर्थोपार्जन करने वाली उत्तरदाता हैं। इनमें केवल 08 (8.70 प्रतिशत) सवर्ण उत्तरदाता है जबकि पिछड़े वर्ग में 48 (42.96 प्रतिशत) और 32 (48.48 प्रतिशत) अनुसूचित जाति की उत्तरदाता हैं और केवल 01 (07.70 प्रतिशत) अन्य धर्म को मानने वाली उत्तरदाता है। प्राप्त आँकड़े जाति समूह के आधार पर उत्तरदाताओं की आर्थिक अभिरूचि का संकेत देते हैं। मासिक आय के द्वितीय संवर्ग जिसमें दस हजार से बीस हजार रुपये मासिक आय अथवा वेतन अर्जित करने वाली उत्तरदाताओं का जाति समूह के आधार पर विश्लेषण किया है– 111 (36.27 प्रतिशत) उत्तरदाता है इनमें सर्वाधिक 42 (45.65 प्रतिशत) सवर्ण, 40 (29.63 प्रतिशत) पिछड़े वर्ग, 22 (33.33 प्रतिशत) अनुसूचित जाति और 07 (53.84 प्रतिशत) अन्य धर्मो की उत्तरदाता है। इनमें बैंक में काम करने वाली, पुलिस विभाग में कार्यरत, वरिष्ठ प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिकाएं और प्रधान अध्यापिकाओं की संख्या अधिक है कुछ स्वरोजगार संचालित करने वाली महिलायें भी हैं। इस आय वर्ग में 36.27 प्रतिशत उत्तरदाता है जो उनकी मध्यम आय वर्ग को प्रदर्शित करते हैं। उच्च मध्य आय वर्ग जिसमें बीस हजार से पच्चीस हजार रुपये मासिक आय वाली उत्तरदाता आती है उनकी संख्या 66 (21.57 प्रतिशत) है इनमें डिग्री कॉलेज और कॉलेज में पढ़ाने वाली प्रवक्ता, अधिकारी वर्ग और बैंकों में कार्य करने वाली वरिष्ठ महिलाए हैं, इनमें 30 (32.61 प्रतिशत) सवर्ण, 22 (16.30 प्रतिशत) पिछड़े और 10 (15.15 प्रतिशत) अनुसूचित जाति की उत्तरदाता हैं, 04 (30.76 प्रतिशत) अन्य धर्म की महिलाएं भी हैं। उच्च आय

वर्ग जिसमें हमने पचीस हजार रुपये मासिक से अधिक आय कमाने वाली उत्तरदाताओं को रखा है, कि संख्या 30 (09.80 प्रतिशत) है। इनमें से अधिकांशतः डाक्टर, वकील, न्यायाधीश एवं उच्च पदस्थ अधिकारी हैं जो महिलाओं की आर्थिक स्वतन्त्रता और 'हम किसी से कम नहीं' के आदर्शो को प्रदर्शित करती है। इनमें 12 (13.04 प्रतिशत) सवर्ण, 15 (11.11 प्रतिशत) पिछड़े वर्ग, 02 (03.04 प्रतिशत) अनुसूचित जाति और 01 (07.70 प्रतिशत) अन्य धर्म को मानने वाली उत्तरदाता हैं।

उत्तरदाताओं के मासिक आय/वेतन के विश्लेषण से स्पष्ट है कि सवर्ण महिलाएं आर्थिक क्षेत्र में अपनी महत्वाकांक्षा के स्वप्न की उड़ान अन्य दोनों जाति समूहों से अधिक तेजी से भरना चाहती हैं क्योंकि उनके अन्दर जो उमंग है वह अधिक से अधिक धन कमाने की ओर उन्हें उत्प्रेरित करती है।

सारणी सं0–18
उत्तरदाताओं की मासिक आय

क्र. सं.	मासिक आय	जाति समूह				योग
		सवर्ण	पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अन्य धर्म के उत्तरदाता	
1.	दस हजार मासिक से कम	08 (08.70)	48 (42.96)	32 (48.48)	01 (07.70)	99 (32.36)
2.	दस हजार मासिक से बीस हजार मासिक आय	42 (45.65)	40 (29.63)	22 (33.33)	07 (53.84)	111 (36.27)
3.	बीस से पचीस हजार मासिक आय तक	30 (32.61)	22 (16.30)	10 (15.15)	04 (30.76)	66 (21.57)
4.	पचीस हजार मासिक आय से अधिक	12 (13.04)	15 (11.11)	02 (03.04)	01 (07.70)	30 (09.80)
	योग	**92** **(100.00)**	**135** **(100.00)**	**66** **(100.00)**	**13** **(100.00)**	**306** **(100.00)**

अध्ययन क्षेत्र के उत्तरदाता महिलाओं में बचत की एक सुरक्षित और अच्छी आदत है इसका मूल कारण शासन की संवैधानिक और नियमानुसार की जाने वाली व्यवस्था भी है सरकारी और अर्द्धसरकारी कार्यालयों में कार्य करने वाली महिलाओं को उनका वेतन, वेतन संदाय खाते से अथवा बैंक में जमा होकर मिलता है अतः 293 (95.75 प्रतिशत) उत्तरदाताओं को बैंक में खाता खुलवाना अनिवार्य है। केवल 13 (04.25 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के बैंक में खाते नहीं खुले जब ऐसी उत्तरदाताओं से अप्रत्यक्ष प्रश्न पूछा गया तो उनका उत्तर था कि वे स्वरोजगार, कुटीर उद्योग और व्यक्तिगत प्रतिष्ठानों में कार्य करती हैं अतः घर में बचत का पैसा रखने से व्यापार और उद्योग में सुविधा रहती हैं अपने भविष्य के लिए वे भारतीय जीवन बीमा निगम की पालिसी लिए हैं और अपने व्यवसाय का बीमा भी कराये हैं। विभिन्न सरकारी और अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठानों में कार्यरत उत्तरदाता सामूहिक बीमा, ग्रेजुएटी, भविष्य निधि और पेन्शन का लाभ ले रही हैं और इनकी भूमिका बैंकिग के क्षेत्र में पुरूषों से अधिक महत्वपूर्ण है– कोर बैंकिंग के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा प्राप्त कर रही संतानो को पैसा भेजना, क्रय–विक्रय में क्रेडिट कार्ड और ए.टी.एम. कार्ड का प्रयोग करना ये अधिक सुरक्षित समझती हैं। ये विश्वास करती है कि बैंकिगं के क्षेत्र में होने वाले क्रान्तिकारी सुविधाजनक परिवर्तनों में उनके जीवन को सुरक्षित बना दिया है।

जॉब की प्रकृति

सूचना प्रौद्योगिकी में महिलाओं की भूमिका अध्ययन में हमने उत्तरदाताओं के जॉब/नौकरियों के प्रकार अर्थात् नौकरी की प्रकृति क्या

है– सरकारी, अर्द्ध सरकारी, निगम या व्यक्तिगत। अधिकांश उत्तरदाता सरकारी नौकरी (जॉब) में हैं, इनकी संख्या 147 (48.04 प्रतिशत) हैं, सभी जाति समूहों और अन्य धर्म के उत्तरदाताओं में सरकारी नौकरी करने वाली महिलाओं की संख्या अधिक है, 37 (40.22 प्रतिशत) सवर्ण, 67 (49.63 प्रतिशत) पिछड़े वर्ग और 36 (54.55 प्रतिशत) अनुसूचित जाति की उत्तरदाता सरकारी जॉब कर रही हैं इनमें प्रदेश एवं केन्द्र सरकार की सेवा में सेवारत उत्तरदाता सम्मिलित है। अन्य धर्म की उत्तरदाताओं में 07 (53.85 प्रतिशत) सरकारी जॉब में हैं। अर्द्ध सरकारी सेवाओं में 95 (31.05 प्रतिशत) उत्तरदाता है इसी प्रकार राष्ट्रीय निगमों एन0टी0पी0सी0 और पेट्रो कैमिकल प्लान्ट में 41 (13.40 प्रतिशत) उत्तरदाता और व्यक्तिगत जॉब में 23 (07.51 प्रतिशत) उत्तरदाता कार्यरत हैं (सारणी–19)।

सारणी सं0–19

उत्तरदाताओं के जॉब (नौकरी) की प्रकृति

क्र. सं.	जॉब की प्रकृति	जाति समूह				योग
		सवर्ण	पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अन्य धर्म के उत्तरदाता	
1.	सरकारी	37	67	36	07	147
		(40.22)	(49.63)	(54.55)	(53.85)	(48.04)
2.	अर्द्ध सरकारी	41	38	12	04	95
		(44.57)	(28.15)	(18.18)	(30.77)	(31.05)
3.	निगम	11	17	12	01	41
		(11.96)	(12.59)	(18.18)	(07.69)	(13.40)
4.	व्यक्तिगत	03	13	06	01	23
		(03.25)	(09.63)	(09.09)	(07.69)	(07.51)
	योग	**92**	**135**	**66**	**13**	**306**
		(100.00)	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**

अध्ययन क्षेत्र की महिलाओं के व्यापक आर्थिक विश्लेषण के लिए यह अनिवार्य है कि उत्तरदाताओं के परिवार की सम्पूर्ण आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करें उनके परिवार में उनके अतिरिक्त कमाने वाले कितने लोग है इस तथ्य का मूल्यांकन हमने सारणी–20 में किया है। 88 उत्तरदाता ऐसी हैं (निदर्शन का 28.76 प्रतिशत) जिनके परिवार में उनके अतिरिक्त कमाने वाला कोई अन्य सदस्य नहीं हैं इस प्रकार के परिवारों में 15 (16.30 प्रतिशत) सवर्ण, 37 (24.41 प्रतिशत) पिछड़े वर्ग, 32 (48.48 प्रतिशत) अनुसूचित जाति एवं 04 (30.77 प्रतिशत) अन्य धर्मो को मानने वाली उत्तरदाता हैं इन उत्तरदाताओं पर अपने परिवार के भरण पोषण का दायित्व पूर्णतः आ पड़ा है क्योंकि इनके पति की मृत्यु के बाद इन्हें मृतक आश्रित के रूप में नौकरी मिली है या फिर परित्यागता/सम्बन्ध विच्छेद होने के कारण ये अपने पति से अलग रहकर बच्चों का पालन–पोषण करते हुए उनके भविष्य को संवारने के लिए प्रयत्नशील हैं। 140 (45.75 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के परिवारों में केवल एक सदस्य कमाने वाले हैं अर्थात् इन उत्तरदाताओं के परिवारों में पति–पत्नी दोनों जॉब में है और अधिक संख्यक एकांगी परिवार के सदस्य हैं। ऐसे परिवार जिनमें उत्तरदाता के अतिरिक्त केवल एक उत्तरदाता कमाने वाला है अर्थात् पति–पत्नी दोनों कमाने वाले हैं उनमें 47 (51.09 प्रतिशत) उत्तरदाता सवर्ण है, 67 (49.63 प्रतिशत) पिछड़े वर्ग के, 19 (19.79 प्रतिशत) अनुसूचित जाति की और 07 (53.85 प्रतिशत) अन्य धर्मो को मानने वाली उत्तरदाता हैं। इनकी मनःस्थिति और परिवार का मनोविज्ञान समझने के लिए जब हमने यह प्रश्न किया कि आप के पति नौकरी में है फिर आप जॉब क्यों कर रही हैं? तो अधिकांश का यह उत्तर था कि परिवार की बढ़ती आवश्यकताओं एवं बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के

लिए दोनों का आर्थिक उत्पादन से जुड़ना न केवल परिवार के लिए अनिवार्य है अपितु महिला सशक्तीकरण, वैचारिक स्वतन्त्रता और सामाजिक समानता के लिए भी हमारी आर्थिक आजादी आवश्यक है। बढ़ती हुई मंहगाई और भौतिक आवश्यकताओं को केवल एक व्यक्ति कमा कर पूरा नहीं कर सकता।

78 (25.49 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के परिवारों में एक से अधिक नौकरी पेशा अर्थात् कमाने वाले सदस्य है, ये सभी उत्तरदाता संयुक्त परिवार के सदस्य हैं और इन उत्तरदाताओं में पति–पत्नी के अतिरिक्त, ससुर–सास, पिता या बेटा किसी जॉब या नौकरी में हैं। इन संयुक्त परिवारों में उत्तरदाताओं की नौकरी की व्यवस्था स्वयं परिवार के बुजुर्ग सदस्यों ने की है अर्थात् अब परम्परागत संयुक्त परिवारों में भी लड़की या बहू का नौकरी करना हेय दृष्टि से नहीं देखा जाता। कुछ उत्तरदाताओं का विवाह भी इसी शर्त पर हुआ है कि उन्हें कम्प्यूटर कोर्स या बी.एड. की डिग्री दिलाई जाए क्योंकि भविष्य में कब किस प्रकार की आवश्यकता पड़ जाए अतः बहू को आत्म निर्भर होना आवश्यक है। उत्तरदाताओं के इस समूह में 30 (32.61 प्रतिशत) सवर्ण उत्तरदाता महिलाएं हैं, 21 (22.96 प्रतिशत) पिछड़े वर्ग की महिलाएं और 15 (22.73 प्रतिशत) अनुसूचित जाति की उत्तरदाता है। केवल 02 (15.48 प्रतिशत) अन्य धर्मों को मानने वाली उत्तरदाता है (सारणी–20)। उत्तरदाताओं के अतिरिक्त परिवार में कमाने वाले सदस्यों की संख्या के विश्लेषण से इस मिथक और परम्पराओं को टूटने में बल मिलता है कि महिलाओं का कार्य क्षेत्र केवल घर गृहस्थी को सम्भालने तक सीमित है या पुरूष महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त नहीं होने देना चाहते।

सारणी सं0–20

उत्तरदाताओं के अतिरिक्त परिवार में कमाने वाले सदस्यों की संख्या

क्र. सं.	परिवार में कमाने वाले सदस्य	जाति समूह				योग
		सवर्ण	पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अन्य धर्म के उत्तरदाता	
1.	कोई नहीं	15	37	32	04	88
		(16.30)	(27.41)	(48.48)	(30.77)	(28.76)
2.	केवल एक	47	67	19	07	140
		(51.09)	(49.63)	(28.78)	(53.85)	(45.75)
3.	एक से अधिक	30	31	15	02	75
		(32.61)	(22.96)	(22.73)	(15.48)	(25.49)
	योग	**92**	**135**	**66**	**13**	**306**
		(100.00)	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**

जॉब सन्तुष्टि

कामकाजी महिलाएं अपने जॉब (नौकरी) से सन्तुष्ट हैं अथवा नहीं, महिलाओं की भूमिका सम्पादन में उनके जॉब सैटिस्फैक्शन का विशेष महत्व है प्रस्तुत अध्ययन सूचना प्रौद्योगिकी की आधुनिक प्रवृत्तियों से जुड़ा है अतः अधिकारी स्तर से लेकर कार्यालय सहायक तक के पदों पर कार्य करने वाली उत्तरदाताओं के अन्दर अपने कार्य और कार्य लेने वाले अधिकारियों/मालिकों के प्रति कैसा रूख है यह जानना अनिवार्य था। उत्तरदाताओं में 198 (64.71 प्रतिशत) अपने कार्य या जॉब से सन्तुष्ट है। इनमें 65 (70.65 प्रतिशत) सवर्ण, 98 (72.60 प्रतिशत) पिछड़ा वर्ग, और 23 (34.85 प्रतिशत) अनुसूचित जाति की उत्तरदाता हैं अन्य धर्मो को मानने वाली उत्तरदाताओं में एक को छोड़कर सभी 12 (92.30 प्रतिशत) उत्तरदाता अपने कार्य/नौकरी/

जॉब से सन्तुष्ट है। असन्तुष्ट उत्तरदाताओं में कुल 160 (35.29 प्रतिशत) अपने जॉब से विभिन्न कारणों से असन्तुष्ट हैं। इनमें अनुसूचित जाति की उत्तरदाताओं की संख्या सबसे अधिक 43 (65.15 प्रतिशत), 37 (27.40 प्रतिशत) पिछड़े वर्ग और 27 (29.35 प्रतिशत) सवर्ण उत्तरदाता है। अपने जॉब से असन्तुष्ट 160 (35.29 प्रतिशत) उत्तरदाताओं की असन्तुष्टि के कारण जानने के प्रयास में कई महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में आए जो आज की पुरूष प्रधान मनोवृत्ति और पितृात्मक सामाजिक व्यवस्था को आज भी संवैधानिक मान्यताओं के ऊपर प्रदर्शित करती है।

सारणी–21 में हमने उत्तरदाताओं के जॉब असन्तुष्टि के कारणों का वर्गीकरण किया है जिसमें उत्तरदाताओं की मनोवृत्तियों का प्रदर्शन है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि असन्तुष्ट उत्तरदाताओं में सर्वाधिक संख्या अनुसूचित जाति की उत्तरदाताओं की है।

सारणी सं0–21

उत्तरदाताओं का अपने कार्य (जॉब) से असन्तुष्ट होने के कारण

क्र. सं.	असन्तुष्टि के कारण	जाति समूह				योग
		सवर्ण	पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अन्य धर्म के उत्तरदाता	
1.	वेतन कम मिलता है	08 (08.70)	15 (11.11)	18 (27.27)	01 (07.70)	42 (13.73)
2.	बेगार कराते हैं	07 (07.61)	05 (03.70)	09 (13.64)	00 (0.00)	21 (06.86)
3.	शोषण करते हैं	07 (07.61)	07 (05.19)	06 (09.09)	00 (0.00)	20 (06.53)
4.	काम बहुत लेते हैं	05 (05.43)	09 (06.67)	08 (12.12)	00 (0.00)	22 07.19)
5.	अन्य कारण	00 (0.00)	01 (0.74)	02 (03.03)	00 (0.00)	03 (0.98)
6.	सन्तुष्ट हैं	65 (70.65)	98 (72.59)	23 (48.48)	12 (92.30)	198 (64.71)
	योग	**92** **(100.00)**	**135** **(100.00)**	**66** **(100.00)**	**13** **(100.00)**	**306** **(100.00)**

अपनी नौकरी या जॉब की असन्तुष्टि के मूल कारण में वेतन कम मिलना सबसे महत्वपूर्ण हैं। 42 (13.73 प्रतिशत) उत्तरदाता इसलिए असन्तुष्ट थीं क्योंकि उन्हें वेतन कम मिलता है इनमें 27.27 प्रतिशत अनुसूचित जाति की 11.11 प्रतिशत पिछड़े वर्ग की, 08.70 प्रतिशत सवर्ण और 07.70 प्रतिशत अन्य धर्मो को मानने वाली उत्तरदाता है। ये काम की तुलना में वेतन से सन्तुष्ट नहीं है। 21 (06.86 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का आक्षेप है कि निर्धारित कार्यो के अतिरिक्त बेगार भी करनी पड़ती है इन उत्तरदाताओं में 07 (07.61 प्रतिशत) सवर्ण, 05 (03.70 प्रतिशत) पिछड़े वर्ग के और 09 (13.64 प्रतिशत) अनुसूचित जाति के उत्तरदाता है। इनमें प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षकों की संख्या अधिक है जिन्हे शिक्षण कार्य के अतिरिक्त केन्द्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं को बेगार के रूप में संचालित करना पड़ता है और सप्ताह में अवकाश भी न मिलने से परिवार अस्त–व्यस्त हो जाता है। आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक शोषण करने के कारण असन्तुष्ट उत्तरदाता 20 (06.53 प्रतिशत) है, इनमें 07 सवर्ण, 07 पिछड़े वर्ग और 06 अनुसूचित जाति की उत्तरदाता है। काम अधिक लेने के कारण अपने जॉब से असन्तुष्ट 22 (07.19 प्रतिशत) उत्तरदाताओं में 05 सवर्ण, 09 पिछड़े वर्ग की और 08 अनुसूचित जाति की उत्तरदाता है। इनमें व्यक्तिगत प्रतिष्ठानों, अर्द्धशासकीय निगमों और बैंकों में कार्य करने वाली उत्तरदाता हैं, जिन्हें अपने पद के अनुरूप अपनी भूमिका का निर्वाह करने के लिए अधिक मेहनत करना पड़ती है। अन्य कारणों जैसे– आवास की समस्या, आवागमन के साधन या यौन उत्पीड़न के कारण असन्तुष्ट उत्तरदाता केवल तीन है।

समीक्षा -

वर्तमान भारत में महिलाओं की आर्थिक प्रस्थिति और भूमिका को गम्भीरता से समझने के लिए हमें अपने अतीत में देखना होगा। यदि भारत के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का अवलोकन किया जाए तो प्राचीनकाल से ही भारतीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं का योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा है। वैदिक युग में आर्य–पुरूष मुख्यतः सैनिक एवं अर्द्धसैनिक कार्यो में संलग्न रहते थे। फलतः परिस्थितिजन्य आवश्यकताओं एवं जीवन दशाओं के अत्यधिक कठोर होने के कारण महिलाओं के श्रम, कार्य कुशलता, बुद्धि और कौशल का भरपूर उपयोग किया जाता था तथा उन्हें उचित सम्मान भी प्राप्त था। इस काल में उच्च वर्ग की महिलायें भी वस्त्र निर्माण, युद्ध सामग्री आदि के कार्यो में संलग्न थी। उत्तर वैदिक काल में स्मृति युग से लेकर गुप्त काल तक भारतीय सामाजिक संरचना का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका था तथा जीवन के उत्तरोत्तर सरल होने के कारण भौतिक जीवन में श्रम की मात्रा कम होने लगी और उक्त कार्यो में संलग्न महिलाओं को अकुलीन समझा जाने लगा। कुलीन महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर क्रमशः सीमित होते गये। मध्यकाल में भी उत्पादन के साधन घरेलू एवं कुटीर उद्योगों के रूप में परिवार तक ही सीमित थे। परन्तु इसके उपरान्त समाज की सामाजिक, आर्थिक संरचना में महिलाओं की भूमिका को पुरूषों के अधीनस्थ रखा गया एवं उनके निष्क्रमण और कार्यशीलता को प्रतिबन्धित किया गया। (सरोज राय, 199)

औप निवेशिक भारत में औद्योगिक पूँजीवाद के प्रवेश के साथ ही कृषि एवं गृह उद्योगों के बीच परस्पर अन्तः निर्भरता के सम्बन्ध टूटने लगे। ब्रिटिश हस्तक्षेप के कारण जहाँ एक ओर आधुनिकता का प्रार्दुभाव उद्योग धन्धों का विकास हुआ, वहीं दूसरी ओर भारतीय हस्तशिल्प दस्तकारी और

इनसे जुड़े उद्योगों के विनाश की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई। फलस्वरूप देश की घरेलू आर्थिक क्रियाओं में कार्यरत महिला श्रमिकों का पतन पुरूषेां की अपेक्षा अधिक तेजी से हुआ। औद्योगीकरण ने भी द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं की संलग्नता दर से तुलनात्मक रूप से ह्रासमन स्थिति को प्रदर्शित करने का प्रयास किया।

आधुनिक उद्योगों के लिये तकनीकी रूप से अकुशल होने के कारण गृह उद्योगों से विस्थापित श्रमिकों का दबाव कृषि क्षेत्र में पड़ने लगा जिससे कृषि में महिलाओं का योगदान भी उत्तरोत्तर कम होता गया। नगरीयकरण, औद्योगिकीकरण एवं घरेलू उद्योगों के विनाश के कारण महिलायें आर्थिक क्षेत्र और श्रम साध्य कार्यो से विस्थापित होने लगी। 20वीं सदी के पूर्वार्द्ध में चावल प्रसंस्करण उद्योग महिला श्रम का एक प्रमुख संरक्षक था, किन्तु मानव श्रम के मशीनीकरण और नवीन तकनीकों के आगमन से न केवल उनका विस्थापन हुआ अपितु आय क्षमता में भी गिरावट तथा महिलाओं के नियन्त्रण में कमी आयी। नीलम गुप्ता (1998) भारत में औद्योगिक उत्पादन के प्रथम चरण में महिलाओं, बच्चों का अधिकतम नियोजन बागवानी एवं खनन उद्योगों में हुआ। उद्योगों और कारखानों में अधिकांशतः पुरूष श्रमिक रखे गये। भारत में भी लंकाशायर मॉडल के आधार पर महिलाओं और बच्चों का संयोजित शोषण प्रारम्भ हुआ। जी0पी0 सिन्हा (1979) भारत में निरन्तर बढ़ते वर्ग विभेदीकरण एवं ध्रुवीकरण के परिणामस्वरूप विभिन्न वर्गो की महिलाओं के बीच असमानता की खाई और अधिक चौड़ी होती गई। मध्य एवं उच्च वर्ग की महिलाओं ने जहाँ एक ओर विकासात्मक प्रक्रिया के माध्यम से अपेक्षाकृत उत्तम स्थान प्राप्त कर लिया वहीं दूसरी ओर गरीब,

दलित और अशिक्षित महिलाएं संसाधनों के घोर अभाव का सामना कर रही हैं।

भारत में महिलाओं की आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका को प्रभावित करने वाले कारकों से सामाजिक, आर्थिक, संरचनात्मक सांस्कृतिक तत्व, आधुनिक तकनीक, अशिक्षा, असमान वेतन, शोषण आदि प्रमुख रूप से उत्तरदायी हैं। अतः आज के भारतीय संदर्भ में यह अनिवार्य है कि परिवर्तित सामाजिक संरचना एवं नवीन आर्थिक संरचना के विकास के परिणामस्वरूप महिलाओं के जॉब और उनकी बदलती हुई भूमिकाओं पर पुर्नविचार करने की आवश्यकता है। सूचना प्रौद्योगिकी के विकास महिलाओं का तकनीकी शिक्षा के प्रति बढ़ते हुए आकर्षण और भारत सरकार की संवैधानिक व्यवस्थाओं ने महिलाओं की भूमिका में बदलाव लाया है और अब भारत की महिलाएं संगठित, असंगठित, राष्ट्रीय, अर्न्तराष्ट्रीय, नियोजित, स्वनियोजित तकनीकी एवं व्यवहारिक क्षेत्र में अपनी भूमिका का निर्वाह अत्यधिक कुशलता से कर रही हैं और विश्व की महिलाओं को चुनौती दे रही हैं।

सामाजिक न्याय तथा परम्परागत संरचना के दबाव में अब महिलाएं आर्थिक उपेक्षा एवं अपने समाज में निर्वासित जीवन जीने को बाध्य नहीं है। संगठित क्षेत्रों में पर्याप्त कानूनी सुरक्षा का प्रावधान होने के कारण अब वे असंगठित क्षेत्र से इस क्षेत्र में आ रही हैं। इस कार्य में हमारी सूचना प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा निरन्तर उनकी सहायता के लिए तत्पर है।

सूचना प्रौद्योगिकी में महिलाओं की भूमिका
(एक समाजशास्त्रीय अध्ययन)

Role of Women in Information Technology
(A Sociological Study)

चतुर्थ अध्याय

महिला सशक्तीकरणः आधुनिक प्रतिमान

- सशक्तीकरण के आधुनिक प्रतिमान
- मीडिया की भूमिका
- कम्प्यूटर एवं इन्टरनेट की भूमिका

चतुर्थ अध्याय

महिला सशक्तीकरण : आधुनिक प्रतिमान

नारी मुक्ति, नारी स्वतन्त्रता, महिला आन्दोलन, सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता जैसे शब्दों को सार्थक अर्थ प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य हमारे संविधान ने किया है। हमारे प्रयासों को पूर्णता और पुष्टि प्रदान करने के लिये यह आवश्यक था कि फलित इच्छाओं को औपचारिक स्वरूप प्रदान किया जाय। जहाँ कुछ लिखित दस्तावेज हों, कुछ अकाट्य प्रमाण हों तथा न पर रसीदी टिकट लगाकर इनकी पुष्टता को प्रमाणित करने वाले सारगर्भित तथ्य हो। नारी स्वातंत्रय और नारी प्रगति के साथ नारी मुक्ति आन्दोलन प्रारम्भ हुआ। इन्हीं लिखित मान्यताओं और दस्तावेजों के साथ जिसके लिये हमारे संविधान की प्रस्तावना ही स्वतः सक्षम थी, सामाजिक न्याय, समान अवसर, समान श्रेणी दिलाने के लिए। इन संवैधानिक संरक्षणों ने महिला आन्दोलनों को पुष्ट और समृद्ध बनाया। महिलाओं को एक महत्वपूर्ण सशक्त धरातल प्रदान किया। इन संवैधानिक अधिकारों ने उनसे महिला समाज की प्रस्थिति को सामाजिक जगत में एक उच्च निश्चित और अलचीलेपन का दर्जा दिया जिसके परिणामस्वरूप नारी दासता की बेड़ियों के बन्धन कुछ शिथिल हुए जिसके प्रभाव से हिन्दू समाज भी अछूता नहीं रह पाया।

आज महिलाओं की शिक्षा एवं तकनीकी भूमिकाओं, राजनैतिक जागृति एवं अपने अधिकारों के प्रति चेतना ने उस कुल्हाड़ी को तेज कर दिया है, जिसकी सहायता से महिलाओं के सामाजिक जीवन की झाड़ियों को साफ करना सम्भव हो गया है। शोध का विषय यह है कि अपने इन संवैधानिक विशेषाधिकार और संरक्षण के सम्बन्ध में महिलाओं के अन्दर कितनी जागृति है? कितनी महिलाएं इन कानूनों और अधिकारों की जानकारी रखती हैं? कानून यदि शिक्षित वर्ग के पढ़ने और समझने का विषय है तो क्या शिक्षित महिलाओं की स्थिति, अशिक्षित महिलाओं से बेहतर हैं? उच्च शिक्षित महिलाएं अपने मौलिक संवैधानिक अधिकारों के प्रति कितनी सचेत हैं? क्या शिक्षित और विशेषकर उच्च शिक्षित महिलाएं अपने विरूद्ध अन्याय से लड़ने के लिए क्या समुचित रूप से कानून, न्यायालय या पुलिस कार्यवाही का सहारा लेती हैं? अथवा सामाजिक निन्दा के भय से खामोश रहना स्वीकार कर लेती हैं? यह कुछ ऐसे ज्वलन्त गूढ़ प्रश्न है जो महिला सशक्तीकरण की 'दशा और दिशा' को निर्धारित करते हैं और सशक्तीकरण के आधुनिक प्रतिमानों के प्रति संकेत करते हैं।

महिलाओं को आत्मनिर्भर तथा सशक्त बनाने के लिए महिला सशक्तीकरण की बात करना आज सरकार तथा गैर सरकारी संस्थाओं का महत्वपूर्ण विषय बन गया है। महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2001 को "महिला सशक्तीकरण" वर्ष के रूप में घोषित किया गया था तथा 'सशक्त नारी सशक्त समाज' का नारा दिया गया, साथ ही साथ महिला सशक्तीकरण नीति, 2001 का प्रसारण भी किया गया अब आवश्यकता इस बात की है कि सरकार की नीतियों का कड़ाई से पालन

कराया जाय। महिला सशक्तीकरण को पूर्ण मजबूती तभी प्रदान की जा सकती हैं जब उसके विषय में महिलाओं को पर्याप्त जानकारी हो तथा साथ ही इसमें महिलाओं की अहम भूमिका हो। हमने अध्ययन क्षेत्र में निदर्शन के आधार पर चुनी हुई 306 महिला उत्तरदाताओं से जब महिला सशक्तीकरण के अभिज्ञान के विषय में प्रश्न किया तो 174 (56.86 प्रतिशत) उत्तरदाताओं को महिला सशक्तीकरण का अभिज्ञान है और 132 (43.14 प्रतिशत) उत्तरदाता महिला सशक्तीकरण की परिकल्पना से अनभिज्ञ हैं। एक ओर महिला सशक्तीकरण के विषय में परिचित सवर्ण उत्तरदाताओं की संख्या 60 (65.22 प्रतिशत) है तो दूसरी ओर अनुसूचित जाति वर्ग की केवल 30 (45.45 प्रतिशत) उत्तरदाता सशक्तीकरण के विचारों को समझती है और पिछड़े वर्ग की 74 (54.81 प्रतिशत) उत्तरदाता महिला सशक्तीकरण की अवधारणा को समझ रही है। अन्य धर्मो की उत्तरदाताओं में दस (76.92 प्रतिशत) महिला सशक्तीकरण से परिचित है। उत्तरदाताओं में 132 (43.14 प्रतिशत) महिला सशक्तीकरण की विचारधारा से परिचित ही नहीं है। प्रश्नगत तथ्य यह है कि जब शिक्षित और बहुत कुछ उच्च शिक्षित किसी न किसी जॉब में लगी हुई महिलाओं में 43.14 प्रतिशत महिलाएं "महिला सशक्तीकरण" की अवधारणा से ही अनभिज्ञ है तो उनकी स्थिति, शोषण, संवैधानिक जागरूकता, वैचारिक स्वतन्त्रता एवं सामाजिक समानता जैसे प्रश्न महिलाओं के व्यवहारिक जीवन में अर्थहीन हो जाते है।

सारणी सं0—22

महिला सशक्तिकरण का अभिज्ञान

क्र. सं.	महिला सशक्तिकरण का ज्ञान	जाति समूह				योग
		सवर्ण	पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अन्य धर्म के उत्तरदाता	
1.	हाँ	60	74	30	10	174
		(65.22)	(54.81)	(45.45)	(76.92)	(56.86)
2.	नहीं	32	61	36	03	132
		(34.78)	(45.19)	(54.55)	(23.08)	(43.14)
	योग	**92**	**135**	**66**	**13**	**306**
		(100.00)	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**

हमने शिक्षित काम—काजी महिलाओं की संवैधानिक अभिरूचि और इस विषय में उनके सम्यक ज्ञान को समझने के लिए उनसे सम्बन्धित कुछ प्रश्न किए (सारणी—23) और उनकी महिला सशक्तीकरण और जागरूकता का अध्ययन करने का प्रयास किया। प्रथम प्रश्न – भारतीय दण्ड संहिता की धारा—498ए जिसमें ससुराल पक्ष के सम्बन्धियों द्वारा अत्याचार करने पर न्यायालय जाने का अधिकार आपको हैं, इस विषय में आपको क्या जानकारी है? इस सम्बन्ध में केवल 32 प्रतिशत उत्तरदाता जानकारी रखती हैं 68 प्रतिशत उत्तरदाताओं को इस विषय में कोई जानकारी नहीं है। उत्तरदाताओं से हमने द्वितीय प्रश्न किया कि पति द्वारा पत्नी की उपेक्षा करने पर भारतीय दण्ड प्रक्रिया की धारा—125 के अन्तर्गत पत्नी अपने पति से गुजारा भत्ता मांग सकती है क्या इस तथ्य का ज्ञान उन्हें हैं? इस प्रश्न के उत्तर में केवल 95 (31.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने अपना उत्तर 'हाँ' में दिया और 211 (69.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं को इस संवधानिक व्यवस्था की

जानकारी नहीं है। हमारा तृतीय प्रश्न था कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा–304 बी जिसके अन्तर्गत दहेज हत्या का प्रावधान है, आपको क्या जानकारी हैं? उत्तरदाताओं में 86 (28 प्रतिशत) कानून की इस धारा से परिचित हैं और 220 (72 प्रतिशत) अनभिज्ञ है। पारिवारिक न्यायालय के अधिकारों की भूमिकाओं एवं क्षेत्राधिकारों के विषय में आप क्या जानती हैं? हमारे इस चौथे प्रश्न के उत्तर में 188 (42 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने सकारात्मक और 178 (58 प्रतिशत) ने नकारात्मक उत्तर दिया। हमारा अगला प्रश्न था, हिन्दू नाबालिग तथा संरक्षण अधिनियम 1956 जिसके अन्तर्गत बच्चों के पालन पोषण का अधिकार माता को प्राप्त है आप क्या जानकी है? 83 (27 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने भिज्ञता प्रकट की और 223 (73 प्रतिशत) ने अनभिज्ञता प्रदर्शित की। हमने छठा प्रश्न किया कि तलाक के संवैधानिक आधारों की आपको क्या जानकारी हैं? 177 (58 प्रतिशत) का उत्तर था कि वे तलाक के प्रावधानों को जानकी है किन्तु 129 (42 प्रतिशत) इस विषय में कुछ नहीं जानती। महिलाओं के अपने अधिकारों के प्रति क्या पुरूषों के समान अधिकार है इस सम्बन्ध में हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार है, आप परिचित है, 217 (71 प्रतिशत) उत्तरदाता इससे परिचित हैं, 89 (29 प्रतिशत) उत्तरदाता परिचित नहीं है। आठवा प्रश्न था– सार्वजनिक रोजगारों में स्त्री एवं पुरूष को समान अधिकार हैं (संविधान की धारा–16) इस सम्बन्ध में आप क्या जानती है? 187 (61 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने कहा कि वे इस समानता के अधिकार से परिचित हैं 119 (39 प्रतिशत) उत्तरदाताओं को इस विषय कोई जानकारी नहीं है। हमने अपने उत्तरदाताओं से नवां प्रश्न किया कि मातृत्व की सुविधा प्रदान करने के लिए महिलाओं को संविधान के अनुच्छेद 16 में विशेष

अवकाश की सुविधा मिली है इस सुविधा का ज्ञान आपको है? शत–प्रतिशत उत्तरदाता इस सुविधा से न केवल परिचित है बल्कि इसका लाभ भी ले चुकी है। प्रेम विवाह, अर्न्तजातीय विवाह या अर्न्तधर्म विवाह को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने वाले 'हिन्दू विवाह अधिनियम–1956' से सम्बन्धित हमारे दसवें प्रश्न के उत्तर में 287 (94 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने कहा कि वे इस संविधान को जानती हैं, केवल 19 (6 प्रतिशत) उत्तरदाता इस विषय में नहीं जानती। हमने अगला प्रश्न किया कि क्या महिलाओं के द्वारा महिलाओं का शोषण किया जाता है, क्या यह तथ्य सत्य है? इस प्रश्न के उत्तर में 291 (95 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने अपना उत्तर 'हाँ' में दिया केवल 15 (5 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने अपना उत्तर 'नहीं' में दिया।

हमारा अन्तिम बारहवाँ सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न महिलाओं के पक्ष में पारित नवीनतम कानून 'घरेलू हिंसा निषेध कानून' से है। केवल 52 (17 प्रतिशत) उत्तरदाता इस नवीनतम वैधानिक कानून से परिचित है 254 (83 प्रतिशत) इस विषय में कुछ नहीं जानती (सारणी–23)। महिला सशक्तीकरण महिलाओं को अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का आन्दोलन है किन्तु इस को गति और महिलाओं को उनके अधिकार तभी मिल सकते है जब महिलाएं स्वयं अपने प्रति सजग और तकनीकी रूप से शिक्षित हो।

सारणी सं0–23

उत्तरदाताओं की संवैधानिक विधानों के प्रति जानकारी

क्र. सं.	संविधान / कानून	जानकारी है		जानकारी नहीं	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
7.	ससुराल पक्ष के सम्बन्धियों के अत्याचार करने पर न्यायालय जाने का अधिकार भारतीय दण्ड संहिता धारा 498'ए'	98	32	208	68
8.	पत्नी की उपेक्षा पर भरण/पोषण के लिए गुजारे भत्ते की मांग से सम्बद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 125	95	31	211	69
9.	दहेज हत्या से सम्बद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 'बी'	86	28	220	72
10.	पारिवारिक न्यायालय के अधिकारों की भूमिका एवं क्षेत्राधिकार	128	42	178	58
11.	हिन्दू नाबालिग तथा संरक्षता अधिनियम 1956	83	27	223	73
12.	तलाक देने के संवैधानिक अधिकार	177	58	129	42
13.	स्त्री–पुरूष के मध्य संविधान कोई भेद–भाव नहीं करता। अनुच्छेद 14	217	71	89	29
14.	सार्वजनिक रोजगार में समानता सम्बन्धित धारा 16 का अभिज्ञान	187	61	119	39
15.	अनुच्छेद 16 मातृत्व लाभ सुविधा	306	100	00	00
16.	हिन्दू विवाह अधिनियम 1956	287	94	19	06
17.	महिलाओं द्वारा महिलाओं का शोषण	291	95	05	15
18.	घरेलू हिंसा निषेध कानून	52	17	254	83

सारणी–23 भारतीय महिलाओं की अपने अधिकारों और संविधानों के प्रति जानकारी के अभाव और उदासीनता को प्रदर्शित कर रही है ऐसी स्थिति में कुछ महिलाओं का महिला सशक्तीकरण या अनेको महिला आन्दोलन चलाना अर्थहीन हो जाता है।

महिला सशक्तीकरण में मीडिया की भूमिका

अब अश्चर्यजनक ढंग से स्थितियां बदली है। अब पैनी नजर और तीखा लिखने वाली महिलाएं हर जगह बैठी नजर आती हैं। ये महिलायें अपनी योग्यता का उपयोग सामाजिक अपराधों को सामने लाने से लेकर राजनीतिक विवादों और आर्थिक घोटालों का पर्दाफाश करने, जीवन शैली से जुड़ी घटनाओं और विशिष्ट हस्तियों के जीवन में झांकने तक में करती हैं। युद्ध के मोर्चे की रिपोर्टिंग करने में भी अब महिलाओं को कोई भय नहीं है।

सूचना प्रौद्योगिकी हो या मीडिया में भूमिका महिलाओं ने बेशक बहुत तेजी से कदम रखे हैं, फिर भी भारत में छपने वाले 19500 से अधिक अखबार और पत्रिकाएं जिनमें से 1,300 दैनिक हे, में लिखने वाले पत्रकारों की संख्या को अगर जोड़ा जाए तो उसमें औरतों की संख्या मुट्ठी भर है। हलांकि महिला पत्रकारों की युवा पीढ़ी ने स्वयं को निर्धारित विषयों की सीमा से मुक्त कर लिया है। वे अब चुनौतीपर्णू अनुबन्धों को स्वीकारने में झिझकती नहीं है। अमेरिका में करीब तीस वर्ष पहले महिला पत्रकारों का लेखन महिला परिशिष्टों तक ही सीमित था। सत्तर के दशक के शुरू में जब स्त्री आन्दोलनों ने जोर पकड़ा तो उनकी स्थिति में काफी बदलाव आया। पारम्परिक अवरोध जो महिलाओं की लेखनी के साथ जुड़े थे ढीले पड़ने लगे। सत्तर के दशक की पत्रिकाएं जेसे 'इण्डिया टूडे' 'सण्डे' और 'बिजनेस इण्डिया' बिना कोई लिंग भेद किये स्त्रियों को जॉब दे रही हैं।

स्टेट्समैन दिल्ली से निकलने वाला पहला ऐसा अखबार था जिसने पचास के दशक में पूर्णकालिक उप संपादक के रूप में राज चावला को

रखा था जिनकी लेखनी में किसी भी आलेख को संवारेन या बिगाड़ने की क्षमता थी। प्रभा दत्ता, रजिया इस्माइल, कूमी कपूर और उषा राय जैसी पत्रकारों के पत्रकारिता की मुख्य धारा से जुड़ने से पहले अनेक महिला पत्रकार अखबारों में लिख रही थी। अमिता मलिक रेडिया और प्रसारण, रामी छाबड़ा स्त्रियों से जुड़े विषय, और स्वास्थ्य पर लिखने वाली पहली महिलाएं थी। 'हिन्दुस्तान टाइम्स' की सहायक सम्पादक इन्दिराधर चौधरी के अनुसार जब उन्होंने 'पायनियर' में काम करना शुरू किया था तब अनुभव न होने के कारण आरम्भ से दिक्कते आई थी .... लेकिन अब पहले जैसी स्थिति नहीं है। महिलाओं ने सिद्ध कर दिया है कि अपनी कलम की ताकत से वह पुरूषों की दुनिया में स्थापित होने की क्षमता रखती हैं। वह जानती है कि उन्हें क्या करना है। कुछ खास विषयों में उनकी कलम पुरूषों से बेहतर ढंग से चल सकती है।

भारत में नब्बे का दशक सूचना प्रौद्योगिकी के लिए सबसे अधिक घटना प्रद था। कारण मीडिया में स्त्रियों की सबसे अधिक भूमिका और देश में सेटेलाइट, टी0वी0 का आना। इन जगहों में अधिकतर महिलाओं की भूमिका ही दिखाई देती है विशेषतः न्यूज में। इसके बावजूद विडम्बना यह कि पारिवारिक दायित्वों और अन्य सामाजिक अवरोधों के कारण महिला पत्रकार अपनी क्षमताओं के अनुकूल वह मुकाम नहीं बना पाई है जो वह बना सकती हैं। हलांकि ऐसी अनेक महिलाएं है जो शीर्ष पदों पर है और उनके पास निर्णय लेने की ताकत भी है।

इक्कीसवीं शताब्दी की महिला अधिकार सम्पन्न है उसके लिए पंचायतों की एक तिहाई सीटें आरक्षित हैं। संसद, विधान सभाओं और

सरकारी नौकरियों में भी अब शीघ्र उन्हें एक तिहाई आरक्षण मिल जाएगा। भारत सरकार ने सन् 2001 को 'महिला अधिकारिता वर्ष' घोषित किया था। इसमें कोई सन्देह नहीं कि महिलाए अब पहले से कहीं अधिक सशक्त हो रही है या हो चुकी है। महिला सशक्तीकरण के साथ–साथ एक दूसरा तथ्य भी है जो कहीं अधिक भयावह और क्रूर है। स्त्री के विरूद्ध अपराधों और अत्याचारों में कमी आने की बजाए उसमें भारी वृद्धि हो रही है। सन् 1997 के मुकाबले में सन् 1998 में यौन उत्पीड़न की घटनाओं में 40 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी थी। 1999 में भी यह वृद्धि बरकरार रही बलात्कार, दहेज हत्या, छेड़छाड़ और अपहरण का ग्राफ घटत–बढ़त के साथ एक रेखीय गति बनाए हुए है। अपने देश में प्रत्येक दिन 40 से अधिक बलात्कार के मामले दर्ज होते हैं और 25 से अधिक युवतियां दहेज का शिकार होती हैं। यातना, अपहरण, छेड़खानी और यौन उत्पीड़न के 225 से अधिक मामले प्रतिदिन पुलिस थानों में दर्ज होते हैं। महिलाओं के विरूद्ध अपराध अत्याचार के ढेरों मामले प्रकाश में नहीं आ पाते क्योंकि जिस महिला वर्ग को अधिकार सम्पन्न बनाने के लिए ढेरों कानून बनाए जा रहे हैं, वह या तो अपने अधिकारों और संवैधानिक व्यवस्थाओं से अनभिज्ञ है या फिर परम्परागत बेड़िया उस महिला वर्ग को अपनी जुबान बन्द रखने को मजबूर किए है। हमारा समाज आज भी उसकी आवाज सुनने को तैयार नहीं है। या फिर महिलाए स्वयं अभी तक इतनी जागरूक नहीं हो पायी कि अपनी ताकतवर आवाज पुरूष प्रधान समाज के कानों तक पहुँचा सकें (सारणी–23)।

इक्कीसवीं सदी के वर्तमान समय में मीडिया की प्रासंगिकता के नए प्रश्न सामने आ रहे हैं। ये प्रश्न आज मीडिया द्वारा नियंत्रित विश्व समाज

को अर्न्तरमन तक कौंधते है। भारत में पिछले दो दशकों से जिस तरह से मीडिया की आंधी अर्थात् पिछली सदी के अन्तिम दशक में संचार, सूचना एवं नई प्रौद्योगिकी की अनेक संभावनाए इस तकनीकी युग में सामने आयी है। उन्होंने भारतीय जनमानस को भी अपनी जीवन शैली, आचार–व्यवहार और सोंच को बदलने के लिए मजबूर कर दिया है।

इस नई सूचना प्रौद्योगिकी ने भारतीय महिलाओं की भूमिका में एक नई जागृति एवं एक नई स्फूर्ति पैदा की है।

भारतीय महिलाओं एवं समाज में प्रचार प्रसार माध्यमों अर्थात इलेक्ट्रानिक मीडिया या टेलीविजन के सूचना प्रसारण माध्यमों द्वारा एक नई शुरूआत की गई है जिसमें भारतीय महिलाओं की भूमिका में हो रहे बदलाव एवं उनके बदलते हुए सामाजिक सरोकारों को विभिन्न घटनाओं के आइने में देखने का प्रयास किया गया है।

आज भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा इस सूचना संचार क्रान्ति के कारण भारतीय जन जागृति के पटल पर भारतीय महिलाओं का जो स्वरूप दिखाया जाता है, वह मीडिया द्वारा खड़े किए गए अनेक प्रश्नों की ओर भी संकेत करता है। इस बदलाव की तस्वीर में पाश्चात्य सूचना तन्त्र एवं बदलते वैश्वीकरण, उपभोक्तावाद मेंमहिलाओं का देह प्रदर्शन एवं उनकी अन्य आवश्यकताओं को एक उत्पाद की तरह दिखाने की भरसक कोशिश की जा रही है। यह परिदृश्य पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति में रंगे हुए भारतीय महानगरों एवं अन्य बड़े नगरों से चलकर अब छोटे शहरों एवं कस्बों में भी पहुँच गई है। इसमें मध्यमवर्गीय भारतीय महिलाओं को पाश्चात्य जिन्दगी के सपनों के द्वारा एक नई दुनिया का आईना दिखा

सूचना प्रौद्योगिकी (मीडिया) द्वारा एक नया विश्व परिदृश्य दिखाया जा रहा है जिस कारण भारतीय महिला दिग्भ्रमित हो गई है।

अपने इस अध्ययन में हमने इस महिला चित्रण को भारतीय सभ्यता और संस्कृति के दर्शन के आधार पर देखने का प्रयास किया है। जिसमें एक ओर उपरोक्त वर्णित महिलाओं की छवि एवं महिलाओं की इमेज (भूमिका) की प्रस्तुति देखी जा सकती है तथा दूसरी तरफ सुदूर गांवों में जिन्दगी की लड़ाई लड़ रही ग्रामीण महिलाओं का चित्रण मीडिया के द्वारा कभी–कभार देखने को मिल जाता है इसे सूचना प्रौद्योगिकी का ही एक प्रारूप मानना चाहिए अन्यथा ये आवाजें दुःख–दर्द से भरे भारतीय महिलाओं के चेहरे शायद ही दिखाई देते हैं यह सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार माध्यमों की ही तो देन है। वस्तुतः यह इस बात का संकेत है कि हम एक समाज की तरह कहीं बहुत भीतर से टूट चुके हैं। एक दूसरे को सम्भालने की स्थिति में नहीं है। अंग्रेजी उपनिवेशवाद की व्यापक तोड़–फोड़ के बाद ही इस समाज ने अपने सदियों पुराने संस्कारों के सहारे अपनी आर्थिक विपन्नता को सहने योग्य बनाया हुआ था, पर अब लगता है कि ये संस्कार आर्थिक विपन्नता के लगातार बढ़ते बोझ को सह नहीं पा रहे। ऐसी स्थिति में महिलाएं काम के क्षेत्र में आगे आ रही हैं यह उनके अन्दर पनपती व्याकुलता और नाराजगी की अपेक्षाकृत शान्त अभिव्यक्ति है जो उन्हें पुरूषों के समकक्ष लाने में मदद कर रही है।

भारतीय समाज के अंग्रेजी राज के बाद आधुनिक होते जाने के क्रम में ये मान्यताएं और पुरूषों की यह समझ ढीली पढ़ने लगी है कि महिलाओं का घर से बाहर काम करना अपमानजनक है या "बीबी की कमाई खाना"

गाली के समान है। आधुनिक समाजों का लक्ष्य सिर्फ समृद्धि उत्पन्न करना है, मोक्ष, प्रज्ञा और शील जो पारंपरिक समाजों के लक्ष्य रहे हैं वे आधुनिकता के हशिए पर है। एक सूत्रीय लक्ष्य के कारण जो परिवार या व्यक्ति धन कमाने में सफल नहीं हो पाता उसे आज का यह आधुनिक समाज या तो अलग करने की कोशश करता है या वह स्वयं यह सोंचने को मजबूर हो जाता है कि उसका जीवन अर्थहीन विफल है। अर्थव्यवस्था के आधुनिक होते चले जाने के कारण और श्रम के मशीनीकरण के कारण सभी को काम मिलना नामुमकिन है। ऐसे में अपने आत्मसम्मान को दाव पर लगा कर महिलाएं कार्य क्षेत्र में निरन्तर आगे बढ़कर अपने परिवार और बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए स्वनिर्मित रोजगारों की खोज कर रही हैं। ब्यूटीशियन, मेंहदी लगाना, खिलौने बनाना सिखाना, फैशन डिजाइनिंग, बुटीक संचालन, परम्परागत कलाओं का प्रशिक्षण, कुछ ऐसे रोजगारपरक कार्य है जिनको हमारी महिलाओं ने ही इजाद किया है और इन कार्यो को प्रोत्साहन देने का कार्य सूचना प्रौद्योगिकी कर रही है।

सच तो यह है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने महिलाओं की भूमिका का एक विशेष प्रतिरूप गढ़ा है। एक ऐस प्रतिरूप जिसे हमारे देश ने पहले कभी नहीं देखा था। सच पूछा जाए तो इसने एक भ्रम की स्थिति पैदा की है। ऐसा लगने लगा है कि वर्षो से जिस मुक्ति की महिलाओं को तलाश थी वह मानो अब उन्हें मिलने ही वाली है। पर इलेक्ट्रानिक मीडिया या सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा गढ़े गए प्रतिरूप की वास्तविकता क्या है? क्या यह छवि हमारे देश की महिलाओं की वास्तविक सामाजिक छवि को प्रतिबिम्बित करती है। या फिर यह वह नकली छवि है, जो अपनी पूरी चकाचौंध के साथ समाज में आरोपित की जा रही है?

सूचना प्रौद्योगिकी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन टी0वी0 संस्कृति हमारे जीवन का अंग बन रह गई है। जो उपकरण वैज्ञानिकों ने घरेलू या कामकाजी महिलाओं की रिक्तता को भरने के लिए इजाद किये थे वे हमें जोड़ने के बदले कहीं अधिक एक दूसरे से अलग करने का काम कर रहे हैं। जब हमने अपने अध्ययन क्षेत्र की उत्तरदाताओं से उनकी आधुनिक प्रवृत्ति और अभिरूचि समझने के लिए यह प्रश्न किया कि आप किन–किन विद्युत उपकरणों का प्रयोग अपने समय, धन और मेहनत बचाने या मनोरंजन के लिए करती हैं तो शत–प्रतिशत उत्तरदाताओं ने टी0वी0 के प्रयोग की बात बेहिचक स्वीकारी और मनोरंजन के साथ–साथ आधुनिकता, शिक्षा, ज्ञान और अनेकों प्रकार से उपयोगी सिद्ध करने का प्रयास किया। आधुनिक प्रयोग की वस्तुओं के उपभोग के आधार पर सारणी–24 में हमने उत्तरदाताओं को पाँच श्रेणियों में विभक्त किया है। प्रथम श्रेणी में केवल टी0वी0 प्रयोग करने वाले उत्तरदाता है। इनकी संख्या 290 (94.77 प्रतिशत) हैं, इनमें जाति समूह के आधार पर 97.83 प्रतिशत सवर्ण, 94.81 प्रतिशत पिछड़े वर्ग, 90.90 प्रतिशत अनुसूचित जाति और 92.30 प्रतिशत अन्य धर्मो को मानने वाली महिला उत्तरदाता हैं। द्वितीय श्रेणी में हमने टी0वी0 एवं फ्रिज (रेफ्रीजरेटर) दोनेां का प्रयोग करने वाली उत्तरदाताओं को शामिल किया है इनकी संख्या 257 (83.91 प्रतिशत) है इनमें जाति समूह की उत्तरदाताओं की संख्या के आधार पर 92.40 प्रतिशत सवर्ण, 91.11 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग, 63.64 प्रतिशत अनुसूचित जाति और 53.85 प्रतिशत अन्य धर्म को मानने वाली उत्तरदाता हैं जिन्होंने मनोरंजन के साथ–साथ फ्रिज को जीवनोपयोगी और समय की बचत करने वाला उपकरण माना हे। तृतीय श्रेणी उन उत्तरदाता महिलाओं की है जो टी0वी0, फ्रिज के साथ–साथ

वाशिंग मशीन को भी अनिवार्य मानती हें उनका कहना है कि कार्यालय जाने या वहाँ से आने के बाद कपड़ा धोना सबसे थकाने वाला कार्य है अतः कामकाजी महिला के लिए वाशिंग मशीन एक आदर्श विद्युत उपकरण है। 126 (41.18 प्रतिशत) उत्तरदाता इस श्रेणी में हैं इनमें 66.30 प्रतिशत सवर्ण, 39.25 प्रतिशत पिछड़े वर्ग, 13.64 प्रतिशत अनुसूचित जाति वर्ग और 23.77 प्रतिशत अन्य धर्मो को मानने वाली उत्तरदाता है। यह सभी उत्तरदाता मध्य आय वर्ग की है। विद्युत उपकरणों के उपभोग के आधार पर हमारे उत्तरदाताओं की चतुर्थ श्रेणी में हमने टी0वी0, फ्रिज, वाशिंग मशीन के साथ–साथ ए0सी0 का भी उपभोग करने वाले उत्तरदाताओं को शामिल किया है। इस श्रेणी के उत्तरदाताओं की संख्या 50 (16.34 प्रतिशत) है इनमें सर्वाधिक 25.00 प्रतिशत उत्तरदाता सवर्ण जाति समूह के, 14.00 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग के और 10.61 प्रतिशत अनुसूचित जाति के हैं केवल 01 (07.70 प्रतिशत) अन्य धर्म को मानने वाली उत्तरदाता हैं। पाँचवीं श्रेणी में टी0वी0, फ्रिज, वाशिंग मशीन, ए0सी0 एवं कम्प्यूटर का प्रयोग करने वाले उत्तरदाता आते हैं इनकी संख्या 30 (09.80 प्रतिशत) है। इनमें 15.22 प्रतिशत सवर्ण, 08.15 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग, 06.00 प्रतिशत अनुसूचित जाति और 07.70 प्रतिशत अन्य धम्रे का मानने वाले उत्तरदाता है चतुर्थ और पाँचवीं श्रेणी के अधिसंख्यक उत्तरदाता उच्च मध्य या उच्च आय वर्ग के वे उत्तरदाता है जिनकी मसिक आय पच्चीस हजार रुपये महीने से अधिक है और पति एवं पत्नी दोनों या तो सेवारत है या कोई एक व्यापार करता है।

सारणी सं0–24

उत्तरदाताओं के द्वारा आधुनिक विद्युत उपकरणों के प्रयोग का विवरण

क्र. सं.	विद्युत उपकरण	जाति समूह				योग
		सवर्ण	पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अन्य धर्म के उत्तरदाता	
1.	केवल टी0वी0	90	128	60	12	290
		(97.83)	94.81)	(90.90)	(92.30)	(94.77)
2.	टी0वी0 एवं फ्रिज (रेफ्रिजरेटर)	85	123	42	07	257
		(92.40)	(91.11)	(6.64)	(53.85)	(83.91)
3.	टी0वी0, फ्रिज एवं वाशिंग मशीन	61	53	09	03	126
		(66.30)	(39.25)	(13.64)	(23.77)	(41.18)
4.	टी0वी0, फ्रिज, वाशिंग मशीन एवं ए0सी0	23	19	07	01	50
		(25.00)	(14.00)	(10.61)	(07.70)	(16.34)
5.	टी0वी0, फ्रिज, वाशिंग मशीन, ए0सी0 एवं कम्प्यूटर	14	11	04	01	30
		(15.22)	(08.15)	(06.00)	(07.70)	(09.80)

सारणी–25 में हमने टी0वी0 के साथ जुड़े सूचना प्रौद्योगिकी के एक अन्य महत्वपूर्ण कारक केबल कनेक्शन', डिश टी0वी0 या टाटा स्काई के माध्यम से आधुनिकतम मनोरंजन या सूचना प्रौद्योगिकी के उपभोक्ता के रूप में उत्तरदाताओं की अभिरूचि को प्रदर्शित किया है। हमारे उत्तरदाताओं में 205 (66.99 प्रतिशत) केवल कनेक्शन डिश टी0वी0 या टाटा स्काई का कनेक्शन लिए हुए हैं इनमें 68 (73.91 प्रतिशत) सवर्ण, 86 (63.70) पिछड़ा वर्ग, 41 (62.12 प्रतिशत) अनुसूचित जाति और 10 (76.92 प्रतिशत) अन्य धर्मो को मानने वाली उत्तरदाता है।

सारणी सं0–25

उत्तरदाताओं के द्वारा केबल कनेक्शन उपभोग की स्थिति

क्र. सं.	उपभोग स्थिति	जाति समूह				योग
		सवर्ण	पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अन्य धर्म के उत्तरदाता	
1.	हाँ	68	86	41	10	205
		(73.91)	(63.70)	(62.12)	(76.92)	(66.99)
2.	नहीं	24	59	25	03	101
		(26.09)	(37.88)	(37.88)	(23.08)	(33.01)
	योग	**92**	**135**	**66**	**13**	**306**
		(100.00)	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**

केबल कनेक्शन का उपभोग न करने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 101 (33.01 प्रतिशत) है इनमें 24 (26.09 प्रतिशत) सवर्ण, 59 (37.88 प्रशित) पिछड़े वर्ग, 25 (37.88 प्रतिशत) अनुसूचित जाति और 03 (23.08 प्रतिशत) अय धर्म को मानने वाली उत्तरदाता हैं। जिन उत्तरदाताओं ने केबल कनेक्शन नहीं लिया वे भी इसकी उपयोगिता और आवश्यकता को महसूस करते हैं।

अर्न्तराष्ट्रीय सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, आर्थिक गतिविधियों, खेल जगत के कार्यक्रमों, आपराधिक गतिविधियों और विश्व स्तर के समाचारों से रूबरू होने के लिए या विभिन्न घटनाओं की वास्तविक तस्वीर देखने के लिए केबल कनेक्शन अपरिहार्य है। इस तकनीक को उत्तरदाता सूचना प्रौद्योगिकी का वरदान समझती है। कुछ महत्वपूर्ण चैनलों का उल्लेख करते हुए हमारे उत्तरदाताओं का कहना था कि तथ्यपरक दृश्य–श्रव्य जानकारियों से बच्चों का ज्ञान वर्धन एवं सामान्य ज्ञान का क्षेत्र

विकसित होता है। प्राथमिक कक्षाओं से लेकर उच्च कक्षाओं तक के बच्चे अपने विषय पर आधारित कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। हमारा मानना यह है कि महिलाओं को भारत के विभिन्न प्रान्तों और क्षेत्रों की वेशभूषा, खान–पान, रीति–रिवाज, तीज–त्यौहार और भाषा शैली का सम्यक ज्ञान कराने में केबल कनेक्शन आधारभूत भूमिका का निर्वाहन कर रहे है और यह पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।

आज मीडिया में मात्र 10 से 15 प्रतिशत महिलाए कार्यरत हैं और मीडिया या सूचना तकनीक विश्व की 57 प्रतिशत औरतों के घटना विन्यास का प्रतिनिधित्व करता है किन्तु इसका प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष प्रभाव लगभग 90 प्रतिशत महिलाओं के क्रियाकलाप पर पड़ता है।

महिलाए ज्ञानार्जन, मनोरंजन या सूचना समाचारों में कितना समय (अवधि) खर्च कर अपनी बौद्धिक ऊर्जा का संवर्धन करती है और अपने सशक्तीकरण के विभिन्न आयामों को समझने में कितना समय देती है इसका विश्लेषण उत्तरदाताओं के द्वारा बतायी गयी सूचनाओं के आधार पर हमने सारणी–26 में किया है।

उत्तरदाता नौकरी पेश या व्यावसायी स्तर की है अतः नियमित एवं निश्चित समय अवधि में टेलीविजन/केबल देखना बहुत कम उत्तरदाताओं के लिए सम्भव हो पाता है। अधिकाशंतः जब खाली समय होता है तब इच्छानुसार टेलीवीजन देखती हैं या जब कोई विशेष कार्यक्रम आता है तब देखती है किन्तु समाचार चैनलों से सुबह–शाम समाचार अवश्य देखती–सुनती हैं।

एक घण्टे से तीन घण्टे तक नियमित टेलीवीजन देखने वाली उत्तरदाताओं की संख्या 24 (07.84 प्रतिशत) हैं इनमें 09 (9.78 प्रतिशत) सवर्ण, 08 (05.93 प्रतिशत) पिछड़े वर्ग, 07 (10.61 प्रतिशत) अनुसूचित जाति और अन्य धर्मो की मानने वाली एक भी उत्तरदाता नहीं है। ये सभी महिलाए शाम को अपने कार्यालयों या प्रतिष्ठानों से आने के बाद गृह कार्यो से निवृत्त हो आठ से दस बजे रात्रि तक या जब तक नींद नहीं आती तब तक टी0वी0 कार्यक्रम देखती हैं, इनका कहना है कि जब तक हम जगते रहते है बच्चे अध्ययन एवं 'होम–वर्क' में लगे रहते हैं।

तीन से छः घण्टे टी0वी0 कार्यक्रम देखने वाली उत्तरदाताओं की संख्या केवल 18 (05.88 प्रतिशत) हैं, इनमें 06 (06.52 प्रतिशत) सवर्ण, 09 (06.67 प्रतिशत) पिछड़े वर्ग, 03 (04.55 प्रतिशत) अनुसूचित जाति की उत्तरदाता हैं अन्य धर्म को मानने वाली उत्तरदाता शून्य है। यह सभी उत्तरदाता उच्च आय वर्ग की हैं और अधिकारी वर्ग में सेवा करने के कारण इनका सामान्य गृह कार्य दूसरे लोग करते हैं, अतः घरेलू काम की झंझट और परेशानी से मुक्त होने के कारण इनके पास समय की कोई कमी नहीं है। इसी प्रकार सवर्ण वर्ग की दो उत्तरदाता अपने व्यवसाय को फैशन डिजाइनिंग और गृह सज्जा से जोड़े है और वे व्यावसायिक दृष्टि से अधिक टी0वी0 देखती हैं। जब कभी गृह कार्यो या सामाजिक कार्यो से खाली समय मिलता है अर्थात अवकाश के क्षणों में टेलीवीजन देखने वाली उत्तरदाताओं की संख्या 158 (51.63 प्रतिशत) है इनमें 42 (45.65 प्रतिशत) सवर्ण, 73 (54.07 प्रतिशत) पिछड़े वर्ग की, 35 (53.03 प्रतिशत) अनुसूचित जाति की और 08 (61.54 प्रतिशत) अन्य धर्मो को मानने वाली उत्तरदाता है इन्हें

नियमित टेलीविजन देखने का समय नहीं मिलता। अधिकांशतः अवकाश के दिनों में टेलीविजन देखती है।

सारणी सं0–26

उत्तरदाताओं के द्वारा टेलीविजन देखने की समय अवधि

क्र. सं.	समय अवधि	जाति समूह				योग
		सवर्ण	पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अन्य धर्म के उत्तरदाता	
1.	एक से तीन घण्टे	09	08	07	00	24
		(09.78)	(05.93)	(10.61)	(0.00)	(07.84)
2.	तीन से छः घण्टे	06	09	03	00	18
		(06.52)	(06.67)	(04.55)	(0.00)	(05.88)
3.	खाली समय में	42	73	35	08	158
		(45.65)	(54.07)	(53.03)	(61.54)	(51.63)
4.	इच्छानुसार	21	27	13	03	64
		(22.83)	(20.00)	(19.70)	(23.08)	(20.92)
5.	जब कोई विशेष कार्यक्रम आता है	14	18	08	02	42
		(15.22)	(13.33)	(12.11)	(15.38)	(13.73)
	योग	**92**	**135**	**66**	**13**	**306**
		(100.00)	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**

अपनी ''इच्छानुसार '' टेलीविजन देखने वाली उत्तरदाताओं की संख्या 64 (20.92 प्रतिशत) है जो 'इच्छित' कार्यक्रमों को अपने समय के अनुसार देखती हैं। इनमें 21 सवर्ण, 27 पिछड़े वर्ग, 13 अनुसूचित जाति और 03 अन्य धर्मावलम्बी उत्तरदाता है।

विशेष–विशेष कार्यक्रमों को देखने वाली उत्तरदाताओं की संख्या 42 (13.73 प्रतिशत) है इनमें 14 सवर्ण जाति की उत्तरदाता, 18 पिछड़े वर्ग की उत्तरदाता, 08 अनुसूचित जाति की उत्तरदाता और 02 अन्य धर्म को मानने वाली उत्तरदाता है। सम्बन्धों के आर–पार झांकता हुआ यह सूचना तन्त्र

आज के इस वर्तमान दौर में आम आदमी को किस सीमा तक प्रभावित करता है इसका उदाहरण हाल के दिनों में विश्व में घटित वे घटनाएं हैं जिन्होंने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया है।

वर्तमान बदलते हुए परिवेश में सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न माध्यमों की भूमिका एक महत्वपूर्ण बहस को जन्म दे रही है। क्योंकि आज इन्होंने आधुनिक औरत को समाज से काटकर नितान्त अकेला होने पर मजबूर कर दिया है। अब हमारा सामाजिक परिवष दिन–प्रति–दिन सिकुड़ता जा रहा है, और इन परिस्थितियों ने पूरे विश्व में मीडिया और सूचना प्रौद्योगिकी के प्रति नई बहस को जन्म दिया है।

सन् 1960 के दशक के बाद आई तकनीकी क्रान्ति और अर्न्तराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी ने केवल पच्चीस तीस वर्षो से पूरी रूप रेखा तथा संवेदनाओं के आधार पर सभी प्रसार माध्यमों को आम आदमी के साथ मजबूती से जोड़ा है। आज आदमी विशेषतः महिलाएं इन प्रसार और सूचना माध्यमों की गुलाम बन चुकी है। अब प्रचार–प्रसार माध्यम उसकी सोंच, जिन्दगी या भूमिका का एक हिस्सा बन गए हैं।

ज्ञान–विज्ञान, सूचना, मनोरंजन, समाचार, व्यापार या संवैधानिक अधिकारों की जानकारी हमें प्रचार प्रसार के इलेक्ट्रानिक माध्यमों विशेषतः टेलीवीजन से ही मिलती है अतः आज की शिक्षित/अशिक्षित सभी महिलाओं की पहली पसन्द टी0वी0 है। हमने अपने अध्ययन में टेलीवीजन की उपयोगिता का मूल्यांकन मनोरंजन के अतिरिक्त उत्तरदाताओं के लिए टेलीवीजन किन–किन रूपों में उपयोगी या मूल्यवान है तो उन्होंने विभिन्न विचार प्रस्तुत किये। 101 (33.00 प्रतिशत) उत्तरदाता ने टेलीवीजन के

कार्यक्रमों को मनोरंजक के साथ–साथ "ज्ञान–बर्धक" माना है। इन उत्तरदाताओं में 27 (29.35 प्रतिशत) सवर्ण, 51 (37.78 प्रतिशत) पिछड़े वर्ग, 21 (31.82 प्रतिशत) अनुसूचित जाति और 02 (15.38 प्रतिशत) हिन्दुएत्तर उत्तरदाता है। टेलीवीजन को आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, पारिवारिक, सांस्कृतिक या धार्मिक सूचनाओं का श्रोत मानने वाली उत्तरदाताओं की संख्या 71 (23.20 प्रतिशत) है। इनमें 22 (23.91 प्रतिशत) सवर्ण, 27 (20.00 प्रतिशत) पिछड़े वर्ग, 20 (30.30 प्रतिशत) अनुसूचित जाति और 02 (15.38 प्रतिशत) अन्य धर्मो को मानने वाली उत्तरदाता है। देश–विदेश के समाचारों को जानने समझने और अन्तर्राष्ट्रीय समाचारों को परखने का अवसर टेलीवीजन से मिलता है अर्थात् हमारे मनोरंजन के साथ–साथ देश–विदेश के समाचार मिलते हैं यह मूल्यांकन है, 76 (24.85 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का इनमें 26 (28.26 प्रतिशत) उत्तरदाता सवर्ण, 34 (25.19 प्रतिशत) पिछड़े वर्ग की, 11 (16.67 प्रतिशत) अनुसूचित जाति की, और 05 (38.48 प्रतिशत) अन्य धर्म को मानने वाली उत्तरदाता हैं।

सारणी सं0–27

टेलीवीजन की उपयोगिता का मूल्यांकन (मनोरंजन के अतिरिक्त)

क्र. सं.	टेलीवीजन की उपयोगिता का मूल्यांकन	जाति समूह				योग
		सवर्ण	पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अन्य धर्म के उत्तरदाता	
1.	ज्ञान वर्धनक हैं	27 (29.35)	51 (37.78)	21 (31.82)	02 (15.38)	101 (33.00)
2.	सूचनाओं का स्रोत	22 (23.91)	27 (20.00)	20 (30.30)	02 (15.38)	71 (23.20)
3.	देश विदेश के समाचार मिलते हैं	26 (28.26)	34 (25.79)	11 (16.67)	05 (38.48)	76 (24.85)
4.	व्यापारिक जानकारियां मिलती हैं	13 (14.13)	15 (11.11)	10 (15.15)	02 (15.38)	40 (13.07)
5.	संवैधानिक अधिकारों की जानकारी मिलती हैं	04 (04.35)	08 (05.92)	04 (06.06)	02 (15.38)	18 (13.73)
	योग	**92** **(100.00)**	**135** **(100.00)**	**66** **(100.00)**	**13** **(100.00)**	**306** **(100.00)**

व्यापारिक जानकारियों, बाजार की स्थिति, शेयर मार्केट का विवरण, वस्तुओं के मूल्य घटने बढ़ने की सूचनायें टेलीवीजन से मिलती हैं यह मूल्यांकन है 40 (13.07 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का इनमें 13 सवर्ण, 15 पिछड़े वर्ग, 10 अनुसूचित जाति और 02 अन्य धर्म को मानने वाली उत्तरदाता हैं। संवैधानिक अधिकारों की जानकारी मिलती है।'' यह मूल्यांकन है, 18 (05.88 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का इनमें 04 सवर्ण, 08 पिछड़े वर्ग, 04 अनुसूचित जाति और 02 अन्य धर्मावलम्बी उत्तरदाता हैं।

एक नए भारत तथा विश्व के विकासशील एवं सुन्दर सृजन के लिए आज सूचना प्रौद्योगिकी के तकनीकी माध्यमों का जितना भी उपयोग इस समाज की अच्छाई के लिए हो सके, यह मीडिया की प्रतिबद्ध भूमिका का संकल्प होना चाहिए तथा इसे आधुनिक भारत की महिलाओं की भारतीय पहचान का केन्द्र बिन्दु भी बनना होगा।

आवश्यकता है कि आज समूचा प्रसारण तन्त्र अपनी इस सूचना प्रौद्योगिकी ताकत को महिलाओं की भूमिका और तस्वीर को बदलने में लगा दें। क्योंकि यदि यह तस्वीर और उनकी भूमिका में परिवर्तन आयेगा तभी भारतीय माँ एक नए भारत का सृजन का उदय कर पायेगी।

आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी ने जहाँ महिलाओं को उनकी भूमिका परिवर्तन के माध्यम से एक नये आसमा को देने का सपना दिखाया है, वहीं पर अभी भी अनेक ऐसे अनुत्तरित प्रश्न शेष हैं जिनसे इस सूचना क्रान्ति में महिला छवि की बदलती इमेज कई ऐसे प्रश्नों को भी जन्म दे रही हैं, जो मीडिया की इस परिवर्तनशील दुनिया में हमारा ध्यान आकर्षित करती है।

भारतीय दूरदर्शन का विस्तार उसका प्रतियोगी चरित्र, सेटेलाइट चैनल की भीड़ और केबल प्रसारण सुविधा का विस्तार, हमारे चारों ओर मोहक वातावरण का सृजन कर रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी की तस्वीर इतनी तेजी से बदल रही है कि हम किसी तरह का संवाद या वाद-विवाद करने में असमर्थ हो रहे हैं। आम जनता को बाध्य कर दिया गया है कि इन मोहक तस्वीरों को ठीक उसी रूप में स्वीकार करें जिस रूप में वे पेश की जा रही हैं। एक नहीं तो दूसरी, दूसरी नहीं तो तीसरी कोई न कोई निर्मित तस्वीर अपनानी ही होगी, उन्हें हम अस्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि वे हमारे अस्तित्व के साथ इस कदर जोड़कर पेश की जा रही है कि उनके बगैर हमारी भारतीय महिला को अपना अस्तित्व नजर नहीं आता।

अब हमें टेलीवीजन के विभिन्न चैनलों में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को देखने से पहले अपने ड्राईगं रूप की सामाजिक पृष्ठ भूमि को समझना होता है कि किस कार्यक्रम को परिवार या पड़ोस के किस व्यक्ति के साथ देखे या न देखे उसका प्रभाव बच्चों पर क्या पड़ने वाला है, बच्चे भी मनोवैज्ञानिक रूप से प्रबुद्ध हो रहे है हमारे भारतीय परम्परागत संस्कारों और आधुनिक प्रवृत्तियों ने 'जनरेशन-गैप' के माध्यम से सांस्कृतिक विडम्बना की स्थिति पैदा कर दी है।

टेलीवीजन कार्यक्रमों और सीरियल्स में कुछ ऐसी विकृतियां पैदा हो गयी है कि कुछ माताएं कार्यक्रमों को अकेले ही देखना पसन्द करती है हमने अपने उत्तरदाताओं से टेलीवीजन/केबल कार्यक्रमों को देखने की सामाजिक पृष्ठभूमि का मूल्यांकन सारणी-28 में किया है जो यह प्रदर्शित करती है कि उत्तरदाताओं के टी0वी0 कार्यक्रम देखने के सामाजिक पृष्ठभूमि में विचलन बहुत अधिक है।

सारणी सं0–28

टेलीवीजन/केबल देखने की सामाजिक पृष्ठभूमि

क्र. सं.	टी0वी0 देखने की सामाजिक पृष्ठभूमि	जाति समूह				योग
		सवर्ण	पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अन्य धर्म के उत्तरदाता	
1.	अकेले देखती हैं	15	25	06	04	50
		(16.30)	(18.52)	(09.09)	(30.77)	(16.34)
2.	बच्चों के साथ देखती हैं	40	51	42	03	136
		(43.48)	(37.78)	(63.64)	(23.08)	(44.44)
3.	पति के साथ देखती हैं	32	46	08	05	91
		(34.78)	(34.07)	(12.12)	(38.46)	(29.74)
4.	पड़ोसियों–सहेलियों के साथ	05	08	10	01	24
		(05.44)	(05.93)	(15.15)	(07.69)	(07.84)
5.	अन्य	00	05	00	00	05
		(0.00)	(03.70)	(0.00)	(0.00)	(01.64)
	योग	**92**	**135**	**66**	**13**	**306**
		(100.00)	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**

अकेले टी0वी0 कार्यक्रम देखने वाली उत्तरदाताओं की कुल संख्या 50 (16.34 प्रतिशत) है, इनमें 15 (16.30 प्रतिशत) सवर्ण, 25 (18.52 प्रतिशत) पिछड़े वर्ग, 06 (09.09 प्रतिशत) अनुसूचित जाति और 04 (30.77 प्रतिशत) अन्य धर्मो को मानने वाली उत्तरदाता हैं इनका कहना है कि व्यक्तिगत क्षणों का उपभोग करने के लिए इन्हें किसी अन्य की साझेदारी पसन्द नहीं है अतः अपने टी0वी0 सेट को अलग रखती है बच्चों उनके मित्रों या परिवार के बड़े–बूढ़ों के लिए अलग टी0वी0 है।

136 (44.44 प्रतिशत) उत्तरदाता अपने बच्चों के साथ टी0वी0 कार्यक्रम देखती है। इनमें 40 (43.48 प्रतिशत) सवर्ण, 51 (37.78 प्रतिशत) पिछड़े वर्ग, 42 (63.64 प्रतिशत) अनुसूचित जाति और 03 (23.08 प्रतिशत) अन्य धर्मो को मानने वाली उत्तरदाता हैं। बच्चों के साथ टी0वी0 कार्यक्रम देखने की मुख्य वजह मध्यम आय वर्ग का होना है और दूसरे टी0वी0 का खर्च वहन नहीं कर सकती।

अपने पति के साथ टेलीवीजन देखने वाली उत्तरदाताओं की संख्या 91 (29.74 प्रतिशत) है। वस्तुतः ये उत्तरदाता पति–पत्नी दोनों काम करते हैं और अपने कार्यालयों या कार्यो के तनाव में और एक–दूसरे के मानसिक तनाव को आपस में साथ–साथ बैठकर हल करने का टी0वी0 कार्यक्रम देखने को सबसे अच्छा अवसर मानते हैं। पति के साथ टेलीवीजन देखने वाली महिलाओं में 32 (34.78 प्रतिशत) सवर्ण, 46 (34.07 प्रतिशत) पिछड़े वर्ग, 08 (12.12 प्रतिशत) अनुसूचित जाति और 05 (38.46 प्रतिशत) अन्य धर्मो को मानने वाली उत्तरदाता है।

पड़ोसियों और मित्रों के साथ टेलीवीजन देखने वाली उत्तरदाताओं की संख्या 24 (07.84 प्रतिशत) तथा अन्य व्यक्तियों के साथ कार्यक्रम देखने वाली केवल 05 (01.64 प्रतिशत) उत्तरदाता हैं। उत्तरदाताओं के टी0वी0 कार्यक्रम देखने की सामाजिक पृष्ठभूमि से उनकी अभिरूचि और सांस्कृतिक तत्वों को परखा जा सकता है।

कम्प्यूटर एवं इन्टरनेट की भूमिका

इन्टरनेट अब हमारे बेडरूम से लेकर खेतों तक, खेल के मैदान, कारोबार, साहित्य, संस्कृति, स्वास्थ्य, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र तक पहुँच

चुका है। सन् 1995 में भारत में मात्र 703 इन्टरनेट व्यवस्था के उपभोक्ता थे, नई शताब्दी में प्रवेश करते हुए यह संख्या लगभग ढाई लाख पहुँच गई और आज इन्टरनेट के माध्यम से व्यापार, चिकित्सा, शिक्षा आदि ग्रहण करने वालों की संख्या लगभग एक करोड़ पहुँच चुकी है इसमें महिला उपभोक्ताओं की संख्या भी कम नहीं है। भारतीय मनोवैज्ञानिकों का विश्वास है कि इन्टरनेट कनेक्टविटी की क्षमता महिलाओं में पुरूषों की अपेक्षा अधिक है।

महिला सशक्तीकरण के आधुनिक प्रतिमानों में हमने अपने अध्ययन में कम्प्यूटर और नेटवर्क को भी जोड़ा है क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय दशा और दिशा को समझने के लिए कम्प्यूटर और इन्टरनेट अनिवार्य है, शिक्षा के बदलते प्रारूपों में यह अपरिहार्य तत्व है इनके अभाव में महिलाओं में जागरूकता और अधिकारों के प्रति संचेता जाग्रत करने की बात काल्पनिक है। अतः उत्तरदाताओं से इनके सम्बन्ध में प्रश्न पूछना अनिवार्य था। सभी उत्तरदाता आर्थिक रूप से सम्पन्न हैं और किसी न किसी रूप में धनार्जन कर रही हैं, शिक्षित है और अपने बच्चों को तकनीकी और आधुनिक शिक्षा वैज्ञानिक विधि से देना चाहती है। हमारे उत्तरदाताओं में 150 (49.02 प्रतिशत) के पास कम्प्यूअर या लैपटाप है इनमें 55 (59.78 प्रतिशत) सवर्ण, 68 (49.63 प्रतिशत) पिछड़े वर्ग, 22 (33.33 प्रतिशत) अनुसूचित जाति और 06 (46.15 प्रतिशत) अन्य धर्मो को मानने वाली महिलाएं हैं (सारणी–29)।

सारणी सं0—29

उत्तरदाताओं के कम्प्यूटर स्वामित्व की स्थिति

क्र. सं.	लैपटाप / कम्प्यूटर	जाति समूह				योग
		सवर्ण	पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अन्य धर्म के उत्तरदाता	
1.	हैं	55	67	22	06	150
		(59.78)	(49.63)	(33.33)	(46.15)	(49.02)
2.	नहीं है	37	68	44	07	156
		(40.22)	(5037)	(66.67)	(53.85)	(50.98)
	योग	**92**	**135**	**66**	**13**	**306**
		(100.00)	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**

जिन उत्तरदाताओं के पास कम्प्यूटर हैं उनमें सबसे अधिक संख्या 59.78 प्रतिशत सवर्ण हैं और जिनके पास कम्प्यूटर या लैपटाप नहीं हैं उनमें सबसे अधिक संख्या अनुसूचित जाति के उत्तरदाताओं की है। यह आँकड़े इस तथ्य का विश्लेषण करते हैं कि अब भी जातीय आधार पर महिलाओं की पसन्द और आवश्यकतायें अलग अलग है आज 21वीं शताब्दी में भी प्रो0 एम0एन0 श्रीनिवास की संस्कृतीकरण की अवधारणा अनुसूचित जाति की महिलाओं को वस्त्र आभूषणों के प्रति आकर्षित किए हैं, जब कि सवर्ण महिलाएं आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से जुड़ी है और उनका आकर्षण कम्प्यूटर/लैपटाप जैसे इलेक्ट्रानिक उपकरणों के प्रति है।

महिलाओं से सम्बन्धित बहुत से स्टीरियों टाइप आज टूट रहे है। कल तक 'महिला' को केवल 'कोख' माना जाता था। आज वह समाज को चलाने वाली शक्तिशाली महिला बन चुकी है। यह बात सही है कि रास्ते बहुत अधिक आसान नहीं है, लेकिन परिवार की चाहरदीवारी को लांघकर

जिस तरह से आगे बढ़ी है, अब लौट नहीं सकती। उसे लौटना नहीं है, वैसे भी वह उस अतीत में क्यों लौटे जहाँ उसके लिए कभी भी कुछ लुभावना नहीं रहा है?

भारत में महिलाओं के संरक्षण हेतु जो कानून और विधान बने हैं, उनमें अनेक विसंगतियों के कारण महिलाओं के विरूद्ध अपराध करने वाले आसानी से बच जाते हैं साथ ही इन विधानों के प्रभावी क्रियान्वयन में भी इच्छाशक्ति की कमी देखने में आती है। इसके अतिरिक्त महिला सम्बन्धी कल्याण कार्यक्रम भी भ्रष्टाचार की समस्या से पीड़ित देखे जा सकते है।

आज आवश्यकता है कि महिलाओं को कम्प्यूटर ज्ञान, इन्टरनेट जैसे तकनीकी संसाधनों के द्वारा शिक्षित और जागरूक बनाया जाए। भारत में महिला साक्षरता का प्रतिशत पुरूषों की तुलना में आज भी बहुत कम हैं अध्ययन क्षेत्र औरैया जनपद में यह अन्तर ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में अलग–अलग है (सारणी–08)। यहाँ पुरूष साक्षरता 75.32 प्रतिशत है और महिला साक्षरता 64.33 प्रतिशत नगरीय क्षेत्र में और 46.49 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में हैं अतः महिलाओं को शिक्षित करना अपने आप में एक लक्ष्य है तथा महिलाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से सुदृढ़ और सशक्त बनाने की दीर्घकालीन रणनीति का हिस्सा है। तकनीकी शिक्षा का विकास महिलाओं को स्वयं और परिवार के स्वास्थ्य सम्बन्धी वैज्ञानिक ज्ञान के प्रति जागरूक करने में सहायक होगी।

समाज में व्याप्त कुरीतियों व अन्धविश्वासों जैसे बाल–विवाह, विधवा विवाह प्रतिबन्ध, बेमेल विवाह, पर्दा प्रथा इत्यादि को समाप्त करने हेतु वैज्ञानिक आधार पर सामाजिक जागरूकता हेतु प्रयास करने चाहिए।

वर्तमान में लागू महिला सम्बन्धी कानून विशेषज्ञों का मत है कि भारत में महिला कानूनों व नीतियों में सुधार करने के साथ उन्हें समन्वित करके एक कोड के रूप में विकसित करना आवश्यक है। यदि महिलाओं को पारम्परिक शिक्षा के साथ कम्प्यूटर शिक्षा और तकनीकी ज्ञान प्रदान करने की प्रशासनिक व्यवस्था सस्ती और सुलभ कर दी जाये तो इसमें सन्देह नहीं कि हम महिलाओं को विभिन्न प्रकार के रोजगारों की मुख्य धारा से जोड़ सकते है। उनकी आय बढ़ाने वाले कार्यो एवं रोजगार वृद्धि कार्यक्रमों को विकसित व व्यवस्थित करना महिलाओं का स्वास्थ्य सुनिश्चित करने में सहायक होगा।

डॉ0 के0सी0 मलैया व डॉ0 रमा शर्मा (योजना मार्च, 2004) के अनुसार महिलाओं की भूमिका के प्रति समाज में जागरूकता विकसित कर सभी को इस ओर आकर्षित करना आवश्यक है इस हेतु शिविर नुक्कड़ नाटक, सिनेमा, टी0वी0 पोस्टर, पुस्तके, समाचार पत्र, प्रदर्शनी आदि को सहायता ली जानी चाहिए। वर्तमान में भारत में महिलाओं के कल्याण हेतु लागू विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों का वैज्ञानिक तरीको से मूल्यांकन करके उनकी कमियों को दूर करना अनिवार्य है।

अध्ययन में हमने उत्तरदाताओं के कम्प्यूटर ज्ञान का मूल्यांकन उनकी जागरूकता और अपने तथा अपने परिवार के प्रति बढ़ते हुए उत्तरदायित्व के को ध्यान में रखकर किया है सारणी–30 में उनकी कम्प्यूटर ज्ञान की स्थिति को चार भागों में बांटा हैं– कम्प्यूटर चलाना जानती है, कम्प्यूटर का अच्छा ज्ञान है, कम्प्यूटर का थोड़ा–थोड़ा ज्ञान है और कम्प्यूटर चलाना नहीं जानती।

सारणी सं0–30

उत्तरदाताओं के कम्प्यूटर ज्ञान की स्थिति

क्र. सं.	कम्प्यूटर ज्ञान	जाति समूह				योग
		सवर्ण	पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अन्य धर्म के उत्तरदाता	
1.	कम्प्यूटर चलाना जानती हैं	45	67	22	08	142
		(48.91)	(49.63)	(33.33)	(61.54)	(46.41)
2.	कम्प्यूटर का अच्छा ज्ञान है	08	15	07	02	32
		(08.70)	(11.11)	(10.61)	(15.38)	(10.46)
3.	कम्प्यूटर का थोड़ा–थोड़ा ज्ञान	09	17	09	01	36
		(09.78)	(12.59)	(13.64)	(07.70)	(11.76)
4.	कम्प्यूटर चलाना नहीं आता	30	36	28	02	96
		(32.61)	(26.67)	(42.42)	(15.38)	(31.37)
	योग	**92**	**135**	**66**	**13**	**306**
		(100.00)	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**

कम्प्यूटर चलाना जानने वाली उत्तरदाताओं की संख्या 142 (46.41 प्रतिशत) है, इनमें 45 (48.91 प्रतिशत) सवर्ण, 67 (49.63 प्रतिशत) पिछड़े वर्ग, 22 (33.33 प्रतिशत) अनुसूचित जाति और 08 (61.54 प्रतिशत) अन्य धर्मो को मानने वाली उत्तरदाता हैं। कम्प्यूटर का अच्छा ज्ञान रखने वाली 32 (10.46 प्रतिशत) उत्तरदाता है, इनमें 08सवर्ण, 15 पिछड़े वर्ग, 07 अनुसूचित जाति और 02 अन्य धर्मो की उत्तरदाता है। कम्प्यूटर का थोड़ा–थोड़ा ज्ञान रखने वाली 36 (11.76 प्रतिशत) उत्तरदाता हैं जिनमें 09 सवर्ण, 17 पिछड़े वर्ग, 09 अनुसूचित जाति और 01 अन्य धर्म को मानने वाली। वे उत्तरदाता जो कम्प्यूटर चलाना नहीं जानती उनकी संख्या 96

(31.37 प्रतिशत) है। इनमें 30 (32.61 प्रतिशत) सवर्ण, 36 (26.67 प्रतिशत) पिछड़े वर्ग, 28 (42.42 प्रतिशत) अनुसूचित जाति और 02 (15.38 प्रतिशत) अन्य धर्मो को मानने वाली उत्तरदाता है। इस प्रकार सारणी–30 के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि कम्प्यूटर ज्ञान के क्षेत्र में सवर्णो की अपेक्षा पिछड़े वर्ग की उत्तरदाताओं की संख्या अधिक है और मध्यम वर्ग की महिलाओं में अत्याधुनिक ज्ञान के प्रति आकर्षण अधिक है।

विश्व का इतिहास साक्षी है कि प्रत्येक महत्वपूर्ण घटनाओं के पीछे नारी की प्रत्यक्ष भूमिका रही है। व्यक्ति विश्व है और विश्व व्यक्ति। व्यक्तिगत स्तर पर किए गए प्रयास ही वैश्विक परिवर्तन के आधार हैं। नारी ज्ञान और शान्ति की विधात्री पोषिका, संरक्षिका और सार्वभौमिक स्तर पर संवाहिका बनने की क्षमता प्रकृति से लेकर आयी है तकनीकी ज्ञान कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी और इन्टरनेट के क्षेत्र में महिलाओं को जितनी जल्दी और आसानी से प्रशिक्षित किया जा सकता हैं, पुरूषों को नहीं।

हमारे उत्तरदाताओं में 195 (63.73 प्रतिशत) उत्तरदाता किसी न किसी कम्प्यूटर कोर्स की तकनीकी शिक्षा लिए हुए हैं केवल 111 (36.27 प्रतिशत) कम्प्यूटर कोर्स नहीं किए हुए हैं (सारणी–31)। कम्प्यूटर कोर्स करने वाली उत्तरदाताओं में 99 (73.33 प्रतिशत) पिछड़े वर्ग की उत्तरदाता, 62 (67.39 प्रतिशत) सवर्ण उत्तरदाता, 28 (42.42 प्रतिशत) अनुसूचित जाति की उत्तरदाता और 06 (46.15 प्रतिशत) अन्य धर्मो को मानने वाली उत्तरदाता है। 122 (39.87 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने डी0सी0पी0ए0 का कम्प्यूटर डिप्लोमा किया है। 30 (09.80 प्रतिशत) के पास सी0सी0ओ0ए0 का कोर्स किए हुए है। 19 (06.21 प्रतिशत) पी0जी0डी0सी0ए0 की तकनीकी शिक्षा

प्राप्त है। 18 (05.88 प्रतिशत) के पास बी0सी0ए0 की डिग्री है और 08 (02.61 प्रतिशत) के पास एम0सी0ए0 की अत्याधुनिक पी0जी0 स्तर की डिग्री है (सारणी–31)।

यह आँकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका में क्रान्तिकारी परिवर्तन आ रहे हैं। यह सच है कि अब महिलाओं ने अपने आपको मुख्य धारा में शामिल कर लिया है परन्तु उनके इस विकास में उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ मीडिया और भारतीय टेलीवीजन का भी अत्यन्त योगदान है, जिसने मानसिक तौर पर नारी को निरन्तर विकास की ओर गतिशील किया है।

लेकिन अब महिलाओं की स्थिति न तो बहुत अधिक नकारात्मक है, न ऐसी की चारो ओर अंधकार छाया हुआ है और रास्ता दिखाई नहीं देता। मीडिया और सूचना संयत्रों में चारों ओर घूंघट वालियो के मुकाबले अब एक आधुनिक आत्मनिर्भर, स्मार्ट जीवन शैली, स्त्री की बढ़ती दृश्य मानता ने पूरी की पूरी सभी छवि को बदल दिया है। उच्च स्तर की तकनीकी शिक्षा पी0जी0डी0सी0ए0, एम0सी0ए0, बी0सी0ए0 आदि के ज्ञान ने आज की महिला को विशेष ताकत प्रदान की है।

सारणी सं0–31

उत्तरदाताओं के कम्प्यूटर कोर्स का स्तर

क्र. सं.	कम्प्यूटर कोर्स	जाति समूह				योग
		सवर्ण	पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अन्य धर्म के उत्तरदाता	
1.	कोई कोर्स नहीं	30	36	38	07	111
		(32.61)	(26.67)	(57.58)	(53.86)	(36.27)
2.	डी0सी0पी0ए0	32	69	18	03	122
		(34.78)	(51.11)	(27.27)	(23.07)	(39.87)
3.	सी0सी0ओ0ए0	12	15	03	00	30
		(13.04)	(11.11)	(04.55)	(0.00)	(09.80)
4.	पी0जी0डी0सी0ए0	07	08	04	00	19
		(07.61)	(05.93)	(06.05)	(0.00)	(06.21)
5.	बी0सी0ए0	07	05	03	03	18
		(07.61)	(03.70)	(04.55)	(23.07)	(05.88)
6.	एम0सी0ए0	04	04	00	00	08
		(04.35)	(02.98)	(0.00)	(0.00)	(02.61)
	योग	**92**	**135**	**66**	**13**	**306**
		(100.00)	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**

प्रौद्योगिकी और नई–नई तकनीकों से लिने वाली चुनौतियों का सामना महिलाए बखूबी कर रही हैं, नई ट्रेनिगं लेकर के काम करती हैं तो फुर्सत के समय शिक्षा और नई ट्रेनिंग लेना चाहती है प्रकृति प्रदत्त रचनात्मकता और कोमलता को अब वे केवल पुरूषों के लिए खर्च नहीं करना चाहती, उनकी रचनाशीलता उनके सृजन को नवीनतम् आयाम दे रही हैं, उनकी रचना में कोमलता का पुट हैं, साफ्ट ट्व्याज, पेन्टिंग, बुटिक

आदि की उनकी स्नेह प्रकृति के सहज प्रतिबिम्ब है। हमने अपनी उत्तरदाताओं के कम्प्यूटर प्रयोग के प्रकारों का विश्लेषण उनकी सहज मनोवृत्तियों को ध्यान में रखकर किया है। कम्प्यूटर का प्रयोग करने वाली 150 उत्तरदाताओं में 65 (21.24 प्रतिशत) इसका प्रयोग बच्चों की पढ़ाई के रूप में करती है। इनमें 22 (23.91 प्रतिशत) सवर्ण उत्तरदाता है। 27 (20.00 प्रतिशत) पिछड़े वर्ग के उत्तरदाता है। 12 (18.13 प्रतिशत) अनुसूचित जाति के और 04 (30.77 प्रतिशत) अन्य धर्मो को मानने वाली उत्तरदाता है (सारणी–32) सूचना और कार्यालय कार्यो के लिए कम्प्यूटर का प्रयोग करने वाली उत्तरदाताओं की संख्या 42 (13.73 प्रतिशत) है इनमें 15 सवर्ण, 18 पिछड़े वर्ग, 07 अनुसूचित जाति और 02 अन्य धर्मो को मानने वाली उत्तरदाता है। मनोरंजन के लिए कम्प्यूटर का प्रयोग पच्चीस (08.17 प्रतिशत) उत्तरदाता करती है, इनमकें 10 सवर्ण, 12 पिछड़े वर्ग, 03 अनुसूचित जाति के है। अन्य कार्यो जैसे टाइपिंग प्रशिक्षण और सिखाने के लिए 18 (05.88 प्रतिशत) उत्तरदाता कम्प्यूटर का प्रयोग करती हैं, इनमें 08 सवर्ण, 10 पिछड़े वर्ग की उत्तरदाता है।

सारणी सं0–32
उत्तरदाताओं के कम्प्यूटर प्रयोग के प्रकार

क्र. सं.	कम्प्यूटर प्रयोग के प्रयोग	जाति समूह				योग
		सवर्ण	पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अन्य धर्म के उत्तरदाता	
1.	बच्चों की पढ़ाई में	22 (23.91)	27 (20.00)	12 (18.18)	04 (30.77)	65 (21.24)
2.	सूचना और कार्यालय में	15 (16.30)	18 (13.33)	07 (10.61)	02 (15.38)	42 (13.73)
3.	मनोरंजन के लिए	10 (10.87)	12 (08.90)	03 (04.54)	00 (0.00)	25 (08.17)
4.	अन्य कार्यो के लिए	08 (08.70)	10 (07.40)	00 (0.00)	00 (0.00)	18 (05.88)
5.	कम्प्यूटर नहीं हैं	37 (44.22)	68 (50.37)	44 (66.67)	07 (53.85)	156 (50.98)
	योग	**92 (100.00)**	**135 (100.00)**	**66 (100.00)**	**13 (100.00)**	**306 (100.00)**

महिला सशक्तीकरण के आधुनिक प्रतिमानों को गति देने के लिए समाज में व्याप्त लिंग भेदभाव को दूर करने हेतु प्रयासों को गति देना आवश्यक है। इस बात का समाज में अधिकाधिक प्रचार किया जाना चाहिए कि लड़का या लड़की में भेद का कोई आधार नहीं है। दोनों को काम, में महिलाओं की प्रतिष्ठा को ऊपर उठाना आवश्यक है। शिक्षा, विकास आदि की समान सुविधाएं होनी चाहिए तथा माध्यम दोनों को प्रत्येक दृष्टि से समान ही माना जाना चाहिए। यह प्रचार आधुनिक संचार माध्यमों, पुस्तकों व समाचार पत्रों के माध्यम से समाज में महिलाओं की प्रतिष्ठा को ऊपर उठाना आवश्यक है।

मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा ने भेदभाव को न करने के सिद्धान्त की अतिपुष्टि की थी और घोषित किया था कि सभी मानव स्वतन्त्र पैदा हुए हैं और गरिमा एवं अधिकारों में समान है तथा सभी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के, जिसमें महिला और पुरूष का लिंग पर आधारित भेदभाव भी शामिल है, सभी अधिकारों एवं स्वतन्त्रताओं के हकदार है। फिर भी महिलाओं के विरूद्ध अत्यधिक भेदभाव रहा है।

यह यह कहना उचित होगा कि जबसे मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ है और मानव अधिकारों के संरक्षण का कानून बना है नारी की स्थिति समाज में और अधिक सुदृढ़ होने लगी है। अब महिला उत्पीड़न की घटनाओं में भी अपेक्षाकृत कमी आयी है। हमारी न्यायिक व्यवस्था ने भी नारी विषयक मानवधिकारों की समुचित सुरक्षा की है।

आधुनिक भारतीय महिलाएं कर्मक्षेत्र में निरन्तर आगे आ रही हैं। वे विभिन्न सेवाओं और जॉब सम्बन्धित व्यवसायों में कदम रखने लगी है,

कामकाजी महिलाओं का प्रतिशत बढ़ने लगा है लेकिन जब कामकाजी महिलाओं के साथ उत्पीड़न की घटनाएं होने लगी तो न्याय पालिका ने उसमें हस्तक्षेप पर अंकुश लगाना अपना दायित्व समझा और महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की घटनाओं की रोकथाम के लिए सुझाव एवं दिशा निर्देश जारी किए। उल्लेखनीय है कि महिलाओं के प्रति निर्दयता को उच्चतम न्यायालय ने एक निरन्तर अपराध माना है।

संविधान के अनुच्छेद 15 में यह प्रावधान किया गया है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी नागरिक के साथ विभेद नहीं किया जायेगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में महिलाओं को भी समान अवसर प्रदान करता है। समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है। महिलाओं को मात्र महिला होने के नाते समान कार्य के लिए पुरूषों के समान वेतन देने से इंकार नहीं किया जा सकता है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा–18 महिलाओं को सम्पत्ति में मालिकाना हक प्रदान करती है। श्रम कानून महिलाओं के लिए संकटापन्न यन्त्रों तथा रात्रि में कार्य का निषेध करते हैं। मातृत्व लाभ अधिनियम कामकाजी महिलाओं को प्रसूति लाभ की सुविधाएं प्रदान करता है। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 में उपेक्षित महिलाओं के लिए भरण–पोषण का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार कुल मिलाकर नारी विषयक मानवाधिकारों को विभिन्न विधियों एवं न्यायिक निर्णयों में पर्याप्त संरक्षण प्रदान किया गया है। बदलते परिवेश में संविधान में 12वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51क (ड.) के अन्तर्गत नारी सम्मान को स्थान दिया गया और नारी सम्मान के विरूद्ध प्रथाओं का त्याग करने का आदर्श स्वीकार किया

गया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तथा राष्ट्रीय महिला आयोग नारी सम्मान की रक्षार्थ सजग एवं सतत् प्रयासरत है।

आज भारतीय महिलाएं हर दृष्टि से मजबूत और शक्तिशाली हैं। ये सभी बाते जिन्हें हम आज महिलाओं की तरक्की के लिए सोंचते या आवश्यक समझते हैं पिछले तीस–पैतिस वर्ष के सतत् आन्दोलनों और सुधारों का परिणाम हैं। 1975 में जब अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया था संयुक्त राष्ट्र के द्वारा तब किसी को उसकी प्रासंगिकता का अहसास तक नहीं था न ही 08 मार्च या महिला दिवस के बारे में किसी को जानकारी थी। लेकिन सूचना प्रौद्योगिकी के तेजी से प्रसार और महिलाओं की समस्याओं के प्रति मीडिया के बड़े हिस्से के सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार ने बदलाव का रास्ता प्रशस्त किया। महिला दशक, बालिका दशक, समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं, संसद और पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला समर्थक चलायी जाने वाली विभिन्न योजनाओं, महिला आयेागों का गठन, सरकारी नारों से लेकर विज्ञापनों तक में स्त्री पुरूषों के बराबरी की बातों ने परिदृश्य में काफी बदलाव किया है।

सत्य तो यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष की घोषणा के बाद बहुत से राजनैतिक दलों को यह समझ में आ गया था कि आने वाला समय औरतों का होगा। वे एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरेंगी इसलिए दलों ने अपने–अपने घोषणा पत्रों में स्त्रियों की बात करना शुरू किया। हर दल अपने आपको महिला अधिकारों और महिला हितों का सबसे बड़ा समर्थक समझने लगा लेकिन जब तक बात कागजों पर रही सारे शेर दहाड़ते रहे।

जैसे ही व्यवहार में आयी सब महिलाओं से मुंह चुराने लगे। अतीत गवाह है शाहबानों, सती, लोकसभा में स्त्रियों का 33 प्रतिशत आरक्षण आदि अनेक मामले ऐसे हैं जहाँ कभी किसी दल ने तो कभी किसी दल ने स्त्री अधिकारों पर कुठाराघात किया। उम्मीद की जाती थी कि सभी महिला सांसद स्त्री आरक्षण के मसले पर अपनी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक मत हो काम करेंगी लेकिन ऐसा नहीं हो सका।

अब कोई महिला दयनीय बनकर समाज में उदाहरण नहीं पेश कर सकती वह आज की लड़की का रोल मॉडल नहीं हो सकती वह स्त्री जिसे तमाम धारावाहिकों, फिल्मों आदि में बोल्ड एण्ड ब्यूटीफुल तथा षड़यन्त्रकारी के रूप में दिखाया जाता है उसे शायद ही कोई स्त्री अपना आदर्श मानती है। ऐसी षड़यन्त्रकारी स्त्रियों का किरदार रचने वाले यह क्यों नहीं समझते कि इस तरह वे किसी स्त्री का भला नहीं कर रहे है। बल्कि सामाजिक सम्बन्धों जैसे सास–बहू, देवरानी–जिठानी को आपस में लड़ाकर चाहे वे अपने कार्यक्रमों को हिट कर लें, वे पहले से पिछड़े परम्परागत समाज में स्त्री की विश्वसनीयता घटा रहे हैं। वे नकारात्मक छवियों को दिखाकर उस विश्वास को पुष्ट कर रहे हैं कि यदि महिलाओं को पढ़ाओं लिखाओंगे, उन्हें आत्मनिर्भर और स्वनिर्णय का अधिकार दोगे तो वे ऐसी ही हो जायेगी जैसी इन धारावाहिकों में दिखाई जाती हैं।

विज्ञापनदाताओं के इशारे पर बनने वाले इन धारावाहिकों में आखिर गरीब फटेहाल स्त्री को स्थान मिले भी तो क्यों? वह उनके बनाये माल का 'प्रोमो' नहीं कर सकती। जहाँ हर चीज को बेचने के लिए फिल्मी कलाकार मौजूद हैं, वहाँ साधारण स्त्री की बिसात ही क्या है? लेकिन हमारी सूचना

प्रौद्योगिकी का एक सबसे महत्वपूर्ण आयाम टी0वी0 सिर्फ इन औरतों को ही नहीं दिखाता, वह अरूणाराय, अरूंधती राय, मेधा पाटेकर, किरण बेदी, शबाना आजमी, सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, सुधा चन्द्रन को भी दिखाता है।

यह सच है कि उपलब्ध कानूनों की मदद से वे ही स्त्रियां पूरा लाभ उठा पाती हैं जो पहले से साधन सम्पन्न और जागरूक हैं। गरीब और दलित स्त्रियों तक वे कानून पहुँच ही नहीं पाते। महिला अधिकारों और जागरूकता के साथ महिला सशक्तीकरण का हल्ला–गुल्ला केवल मध्यम वर्ग की स्त्रियों तक ही सीमित हैं– उच्च वर्ग की महिलाओं को इससे कोई सरोकार नहीं और निम्न वर्ग की औरतें इससे बहुत दूर हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि बदलाव के छोटे–छोटे अंकुर हर जगह फूटते दिखाई देते हैं।

महिलाओं की प्रगति और उनके सपने यह जाहिर करते हैं कि स्त्रियां यदि आज दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी क्षेत्र से अपने अधिकारेां के लिए संघर्ष कर रही हैं, जीवन की खुशहाली और तरक्की के लिए आगे बढ़ रही है, तो यह मजबूत लोकतन्त्र का सबसे बड़ा प्रमाण है। यह इस बात का भी प्रमाण है कि गांव, खेत, किसान, मजदूर और महिलाओं को केन्द्र में रखकर सरकार अब योजनाएं बना रही है। पंचायती राज में गांव का आर्थिक चेहरा पहले से कहीं ज्यादा परिवर्तित हुआ है। शहर और गांव में आर्थिक विकास के सन्तुलित प्रयास परिणाम मूलक हैं। महिलाएं विकास के रास्ते में मील का पत्थर गढ़ रही हैं। यह उनके नेतृत्व देने की क्षमता का परिचायक है। महिलाओं ने आगे बढ़ने के ऊँचे लक्ष्य निर्धारित किये हैं। नये उत्पादों को विकसित किया, जरूरी खतरे भी उठाए, एक–दूसरे को सहयोग भी दिया।

हमारे संविधान निर्माता डॉ0 बी0आर0 अम्बेडकर ने ठीक ही कहा कि आदर्श समाज को गतिशील होना चाहिये। उसमें दुनिया में हो रहे परिवर्तनों को पहचानने के साथ–साथ आगे बढ़ने की ताक होनी चाहिये। इस लिहाज से विश्व के आर्थिक परिदृश्य में भारत के गांव अब करोड़ो महिलाओं के सहयोग से देश की आधी आबादी को सबलीकरण का मन्त्र याद करा रहे हैं।

कम्प्यूटर, इन्टरनेट जैसे सूचना प्रौद्योगिकी के संसाधनों ने क्या आपके जीवन को सुधारा है, 75 प्रतिशत सवर्ण और पिछड़े वर्ग की उत्तरदाता मानती है कि सुधार आया है जबकि अनुसूचित जाति की 57 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसी राय रखती है।

धन सम्पत्ति और पैसा सुखमय जीवन बीताने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है क्या आप इससे सहमत हैं? 45 प्रतिशत पूर्णतः सहमत हैं, 39 प्रतिशत कुछ–कुछ सहमत हैं, 08 प्रतिशत कुछ–कुछ असहमत हैं, और 07 प्रतिशत पूरी तरह असहमत हैं।

युवा भारतीय महिलाएं विशेषकर छोटे शहरों की अर्थव्यवस्था को लेकर खासी उत्साहित हैं, उनमें उद्यमी बनने की चाहत बढ़ने लगी है और नौकरशाही में दिलचस्पी घटने से, दरअसल वे अपनी किस्मत की मालिक खुद बनना चाहती है। अपना सपना मनी–मनी ने मानो हर कार्यशील महिला को मदहोश कर रखा है, जाहिर है भारत असमंजस में नहीं है बल्कि आगे बढ़ रहा है। उसे पूरा भरोसा है कि वह कामयाब होगा।

भारतीय महिलाओं के पास आज सबकुछ है, यदि कुछ नहीं है तो वह समय, वे अब अपने मोबाइल फोन, लैपटाप, कम्प्यूटर और टी0वी0

स्क्रीनों से तकनीक को साध रही हैं तथा इनकी उपयोगिता को पुनः परिभाषित कर रही हैं।

अब यह कतई बहस का मुद्दा नहीं बन सकता कि कोट–पैन्ट या जीन्स, टी–शर्ट पहनने वाली कोई महिला या लड़की ही आधुनिक कहलायेगी जबकि परम्परागत भारतीय परिधान साड़ी या सलवार–कमीज़ में लिपटी नारी 'बहन जी' टाइप मानी जाएगी। आधुनिक समय ने तो भारतीय महिलाओं को यह सुअवसर उपलब्ध कराया हुआ है कि अत्याधुनिक रहते हुए परम्परागत भारतीय जीवन शैली में जीवन यापन किया जा सकता है।

70 प्रतिशत आधुनिक भारतीय महिलाओं का मानना है कि वे अपनी शर्तो पर जीना चाहती है। युवती चाहे नगर में रहने वाली हो या ग्रामीण क्षेत्र की अपने ऊपर के अनावश्यक प्रतिबन्धों को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है। युवतियों खासकर अपेक्षाकृत गरीब वर्ग की महिलाओं, जिन्हें कठोर पितृसत्तात्मक व्यवस्था और परम्परा के कारण मौके नहीं दिए जाते रहे हैं, के लिए नए–नए क्षेत्र खुलने लगे हैं और यदि वे अवसर परिवार की आय में इजाफा करते हैं तो पैसा स्वयं अपनी भाषा बोलने लगता है। महिलाएं जिनमें निश्चित रूप से क्षमता की कमी नहीं है, और आत्मनिर्भर और उद्यमी होती जा रही हैं। लेकिन यह सब इस पर निर्भर करता है कि समाज उनमें आ रहे परिवर्तनों और मानसिक बदलावों की नकारता नहीं बल्कि स्वीकार करता है।

69 प्रतिशत महिलाएं मानती है कि "अपने पैरों पर खड़ा होना" न केवल आत्म विश्वास जगाता है, बेहतर मनुष्य भी बनाता है। महिलाए कैरियर से ज्यादा परिवार को तरजीह देती है किन्तु दो आय एक से बेहतर

होती है, अपने आस–पास के वातावरण को हमें कैसा बनाना है यह स्वयं की प्रकृति पर निर्भर करता है।

88 प्रतिशत महिलाओं का विश्वास है कि भारत में उनका भविष्य बहुत उज्ज्वल है क्योंकि उनके बच्चे उनके मुकाबले अधिक तेज और आधुनिक होते हुए भी सम्मान और संस्कार में लिपटे हुए हैं, वे वक्त की जरूरत के मुताबिक लड़के और लड़कियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा दिला रहीं हैं उनमें एकदम नया सोंच और रवैया विकसित करना चाहती हैं और बच्चे आधुनिकता की परिपाटी को भारतीय संदर्भो में स्वीकार करते हैं और इस 'टू इन वन' संस्कृति को हमारी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी ने बहुत बल दिया है। छोटे और बढ़े सभी शहरों में युवा महिलाओं की सोंच पुनः संयुक्त परिवारों की ओर लौट रही है।

42 प्रतिशत महिलाएं मानती है कि अच्छी तरक्की और जॉब के लिए इन्टरनेट से महिलाओं का जुड़ना अनिवार्य है जबकि 58 प्रतिशत इस सुविधा से महरूम हैं, 53 प्रतिशत उच्च वर्ग की महिलाएं इन्टरनेट सेवा से जुड़ी हैं किन्तु अनुसूचित जाति की केवल 27.27 प्रतिशत इन्टरनेट की उपभोक्ता हैं। सारणी–33 में उत्तरदाताओं की इन्टरनेट उपभोक्ता की स्थिति प्रदर्शित की गयी है।

सारणी सं0–33

उत्तरदाताओं के इन्टरनेट उपभोग की स्थिति

क्र. सं.	इन्टरनेट कनेक्शन	जाति समूह				योग
		सवर्ण	पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अन्य धर्म के उत्तरदाता	
1.	हैं	48	58	18	04	128
		(52.17)	(42.96)	(27.27)	(30.77)	(41.83)
2.	नहीं	44	77	48	09	178
		(47.83)	(57.04)	(72.73)	(69.23)	(58.17)
	योग	**92**	**135**	**66**	**13**	**306**
		(100.00)	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**

58 प्रतिशत उत्तरदाताओं के द्वारा इन्टरनेट की सेवा से विमुक्त होने का कारण यह बताया कि दूर संचार निगम की यह सुविधा उनके नगर में अभी उपलब्ध नहीं हैं।

ऐसी युवतियों की कमी नहीं है जिन्हें राष्ट्र के बतौर खुद पर गर्व है। बहुत से ऐसी भी सिरफिरी महिलाएं है जो भारतीय संस्कारों और भारतीयों को दकियानूसी मानती है और देश की बढ़ती आबादी को आर्थिक विकास की राह में बाधक मानती हैं। एकता में अखण्डता को बनाय रखने के सरकार प्रायोजित प्रयासों के नतीजें सामने आए हैं। सर्वेक्षण में शामिल तकरीबन 70 फीसदी हिन्दी–अंग्रेजी दोनों भाषाएं जानती हैं यह बृहत जुड़ाव का प्रतीक है जबकि अधिकांश (83 प्रतिशत) महसूस करती हैं कि सभी धर्मो के लिए समान नागरिक संहिता लागू होना चाहिए जबकि सर्वेक्षण में शामिल आधे से कुछ अधिक लोग इससे सहमत हैं कि शैक्षणिक संस्थाओं में अन्य पिछड़े वर्ग (ओ.बी.सी.) के लिए आरक्षण होना चाहिए।

नई जीवन शैली के उभार, बदलती पारिवारिक संरचना और काम एवं पूजा के प्रति बदलते नजरिएं से साबित हो रहा है कि भारत की महिलाएं विशेषकर युवतियां अब धर्म को संशय से नहीं देखती बल्कि वह धर्म की शरण में जाना चाहती हैं जिन लोगों का साक्षात्कार लिया गया उनसे से सप्ताह में दो बार पूजा स्थलों में 3ः 2 के अनुपात में पहुंचती है। 22 प्रतिशत पूजास्थलों में रोज जाकर प्रार्थना या पूजा–पाठ करती है। 43 प्रतिशत सप्ताह में एक बार मंदिर जाती है। 16 प्रतिशत दो या तीन माह में एक बार और 12 प्रतिशत शायद ही कमी धार्मिक स्थान पर जाती हैं। जुझारू कार्यकर्ता से लेकर प्रयोगशील डिजाइनर और कुशल प्रबंधक तक, आज हर भूमिका में महिलाए हैं, ये वो महिलाए है जिन्होनें दूसरों को राह दिखाई है। इनके लिए आजादी असंभव नहीं बल्मि एक जरूरी लक्ष्य है।

92 प्रतिशत को महिला होने का गौरव है, यह कोई सवाल नही है कि पुरूष या महिला एक दूसरे से बेहतर या क्रम हैं। वे जो भी हैं उस पर उन्हें गर्व है। उनका कहना है कि महिलाओं के पक्ष में जो कानून या संस्थाएं बनी है, उन्हें पुरूषों ने बनाया है और पुरूष दृष्टिकोण उन पर हावी हैं। आज महिलाओं के लिए एक सम्पूर्ण कानून की जरूरत है जो महिला पर हर तरह के अत्याचार को समग्रता में रखकर देख सके। महिला –सुरक्षा कानून में महिलाओं के लिए बनी गालियों से लेकर कार्य स्थल पर उत्पीड़न और पति पत्नी का उत्पीड़न सभी मामलों को इसमें समाहित करने की जरूरत है। सामूहिक बलात्कार, हिरासत में बलात्कार आदि के मामले में सबसे सख्त सजा मानी मृत्युदण्ड की बात महिला कार्यशालाओं में उठी है।

पूर्ण जागरूकता को तभी हासिल किया जा सकता हैं, जब महिलाए शिक्षित हो। महिलाओं को शिक्षा के साथ ही शारीरिक रूप से तंदुरूस्त रहने को भी जरूरत है, जिसमें परिजनों द्वारा ही कोताही बरती जाती है। एक लड़की या महिला के लिए अपनी पहचान बना पाना आसान नहीं है।

राजनैतिक टिप्पणी करती हुई जनवादी महिला समिति को अध्यक्ष ने यह कहा था इस मीडिया क्रांति से हुए परिवर्तन की लड़ाई लड़ने के लिए सब को सामने आना होगा। आज महिलाएँ पुरूषों के बराबर हर क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रही है, लेकिन ज्यों–ज्यों वह जागरूक हो रही है, उनके प्रति अपराधों में वृद्धि हो रही है। अपराध वह चाहे कार्यस्थल पर हो या फिर घरेलू स्तर पर, इसमें यह तय करना मुश्किल है कि किस तरह के मामलों में ज्यादा वृद्धि हुई हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ने के कई कारण है। इसमें सब से प्रमुख हैं उदारीकरण की आर्थिक नीति। इन नीतियों का जो सामाजिक असर पड़ रहा है, उस पर गहन अध्ययन की जरूरत है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी ने महिलाओं की भूमिका और छवि को एक 'प्रोडक्ट' बना दिया है। जब हम एक ही छवि को बार–बार एक ही रूप में दिखाएँगे तो उसका असर लोगों के दिमाग पर जरूर पड़ेगा। बाजारीकरण और उपभोक्तावाद का प्रभाव महिलाओं के ऊपर अधिक पड़ रहा है। नैतिक मूल्यों को ताक पर रखा जा रहा है।

इसमें कोई दो राय नहीं कि आज महिलाए अपने अधिकारों के प्रति सचेत हुई है, लेकिन उनके साथ–साथ पुरूष जागृत नहीं हुआ समाज जागृत नहीं हुआ। समाज और राजनीति में आज भी महिलाओं के कार्यों के मूल्याकंन का कोई पैमाना तय नहीं हुआ। महिलाओं के काम का सही

मूल्याकंन इसलिए भी नही होता क्योंकि उन्हे एक बोझ समझा जाता हैं। इस बोझ को एक परिवार से दूसरे परिवार में ट्रांसफर करने के लिए मुआवजा चाहिए यह मुआवजा दहेज के रूप में लिया जाता है जब कि महिला के बिना तो कोई घर नहीं चल सकता। अपराध करने वालों की कोई जाति नहीं होती कोई वर्ग नहीं होता वह चाहे गरीब हो या अमीर लेकिन अधिकतर महिलाएं जो हिंसा का शिकार बनाई जाती है। वे गरीब तब के की ही होती हैं।

जॉन स्टुअर्ट मिल (1889) के अनुसार ''वह सिद्धान्त जो सभी पुरूष के बीच पाए जाने वाले सामाजिक सम्बन्धों को नियंत्रित कररता है एक लिंग को दूसरे से छोटा या हीन मानने की वैध ठहराने वाला, अपने आप में गलत है और मानवीय प्रगति में सब से बड़ी बाधा है। इसे पूर्ण समानता के सिद्धान्त से ही दूर किया जा सकता है, जहाँ एक पक्ष के हाथ में सत्ता और विशेषधिकार न हो और न ही दूसरा अयोग्य घोषित हो। (एसेज ऑफ सब्जेक्शन ऑफ वीमन)

भारत के प्रसिद्ध समानशास्त्री और चिंतक श्यामाचरण दुबे ने महिलाओं की भूमिका संदर्भ को विकास के समाजशास्त्र से जोड़ा है। उन्होंने महिलाओं, ने महिला समाजशास्त्र को आधुनिकीकरण तथा संचार के विभिन्न आयामों को दृष्टिगोचर करते हुए लिखा है कि–

आधुनिकीकरण की अवधारणा के मूल तीन आयाम है।

1. मानव समस्याओं के समाधान ओर जीवन–स्तर के न्यूनतम स्वीकार्य स्तर को बनाये रखने के लिए ऊर्जा के जड़ संसाधनों का अधिकाधिक दोहन, जिसकी ऊपरी सीमा क्रमशः ऊपर उठेगी।

2. लक्ष्य की दिशा में वैयक्तिक और सामूहिक दोनों ही प्रकार के प्रयास आवश्यक है। सामूहिक प्रयास इस लिए महत्वपूर्ण हैं कि साथ में काम करने की क्षमता ऐसे जटिल संगठतों के संचालन के लिए आवश्यक है, जो आधुनिकीकरण के मध्य और उच्च स्तर तक पहुचने के लिए अनिवार्य हैं।

3. जटिल संगठनों के निर्माण और संचालन के लिए क्रातिकारी व्यक्तित्व परिवर्तन और तदानुरूप संरचना तथा मूल्यों में परिवर्तन अनिवार्य है।

कुछ समाजशास्त्रियों और चिंतकों का मानना है कि महिलाओं के परम्परागत सम्बन्धों और भूमिकाओं में क्रांतिकारी बदलाव यह सब कुछ कुछ तकनीकी खुलेपन तथा उपभोक्तावादी संस्कृति का नतीजा है कि महिलाओं से जुड़े कुछ इस तरह के मुद्दे सामने आ रहे है, जिनसे सामाजिक रिश्तों को टूटने से नही बचाया जा सकता ।

महिलाओं की भूमिका के स्तर पर डॉ0 श्यामाचरण दुबे के मॉडल (पैराडाइम) के परिप्रेक्ष में औरतों में तार्किक क्षमता, परानुभूति, गतिशीलता ओर उच्च सहभांगिता आधुनिकता के सन्निहित है। समाजशास्त्रीय भाषा में सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश क्रमशः उपलब्धि, सार्वभौमिकता और विशिष्टता के दिशा में आगे बढ़ता है। आधुनिकीकृत समाज अधिकाधिक नवाचारों को उत्पन्न और अंगीकर करते है, साहचर्य की क्षमता बढ़ाते हैं और समाज के समाधान की क्षमता को प्रखर बनाते हैं। आधुनिकीकृत महिलाओं की भूमिका और आज के सामाजिक परिवेश के बीच तालमेल की कमी से कठिन असंतुलन उत्पन्न हो सकता है। अतः व्यक्तित्व, संस्कृति और सामाजिक व्यवस्थाओं के परिवर्तनों में सामंजस्य और अतः संबंध

अनिवार्य है। महिलाओं की भूमिका में आधुनिकीकरण के संदर्भ में इन परिवर्तनों को ऐसे जटिल संगठनों के विकास को पूर्व स्थिति के रूप में देखा जाना चाहिए, जो जड़ संसाधनों से मानव–कल्याण और समृद्धि के लिए प्रभावी रूप से ऊर्जा को दोहन करते हैं।

प्रारूप की दृष्टि से आधुनिकीकरण की सर्वाधिक अनिवार्य, विशेषता तर्किक विचरा की क्षमता है। हमारे प्रसारण–माध्यमों द्वारा जो कुछ महिलाओं के प्रति दिखाया जा रहा है, वह छवि भारतीय ओर विशेषकर इस महाद्वीप में रहने वाली औरत की स्थिति को किस तरह से दिखाती है तथा उसका प्रभाव बदलते हुए सामाजिक परिवेशों और आज के जनमानस पर पड़ता है, यह चिंता का विषय है। प्रेस काउंसिल एक्ट द्वारा जारी पोर्टेयल ऑफ वीमेन इन इण्डिया सन् 1946 में कहा गया है कि मीडिया में महिलाओं को तो हिंसा और लिप्सा का निरीह शिकार दिखाया जाता है या फिर सजी धजी एक गुड़िया के रूप में। रिपोर्ट में कहा गया है, आज का परिदृश्य यह है कि मीडिया और सूचना प्रोद्योगिकी के अन्य संसाधनों में महिलाओं का चित्रण या उनकी भूमिका का प्रदर्शन मुख्यतः विज्ञापनों या छेड़छाड़ मानसिक प्रताड़ना पर केन्द्रित होता है। महिलाओं की उपलब्ध्यिों पर जो रिर्पोट दिखाई जाती है, वह खास तरह के पूर्वाग्रह से ग्रस्त होती है। महिलाओं को यो तो बुद्धिहीन, दिग्क्रामित और प्रभावहनी दिखाया जाता है या सत्त की भूंखी–हिंसक। रिपोर्ट में एक महत्वपूर्ण बात कही गई है कि मीडिया में महिलाओं का चित्रण ऐसा इस लिए है कि मीडिया में नीति–निर्धारण में महिलाए शामिल नहीं है।

इस संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र द्वारा कराया गया मार्ग रेट गैलेधर का शोध महत्वपूर्ण है। वर्ष 1993–1994 में यूरोप और लैटिन अमरीका के कुछ चुने हुए देशों में अध्ययन करने से पता चला कि वहाँ मीडिया एवं सूचना प्रौद्योगिकी में महिलाओं की संख्या 50 प्रतिशत भी नहीं है। यूरोप के बाहर तो यह प्रतिशत 30 भी नहीं है। जहाँ तक मीडिया में उच्च पदों पर महिलाओं को भूमिका का प्रश्न है लैटिन अमरीका में यह संख्या 16 प्रतिशत, यूरोप में 15 प्रतिशत अफ्रीका में 12 प्रतिशत और भारत में सिर्फ 4 प्रतिशत है।

आज सूचना प्रौद्याकिगी ने महिलाओं की भूमिका का एक खास प्रतिरूप गढ़ा है। एक ऐसा प्रतिरूप, जिसे हमारे देश ने पहले कभी नहीं देखा था। इसने एक बारगी सकको चौंका दिया है। और समाज में एक हद तक उथल–पुथल भी मचाई है।

सच पूछा जाए तो इसने एक सुखद भ्रम की स्थिति पैदा की है। ऐसा लगने लगात है कि वर्षों से जिस स्वयन्ता और मुक्ति की महिलाओं को तलाश थी, वह मानों अब मिलने ही वाली है। पर सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर गढ़े गए प्रतिरूप की असलियत क्या है? फिर यह वह नकली छवि है, जो अपनी पूरी चका चौंध के साथ समाज पर आरोपित की जा रही है।

सूचना प्रौद्योगिकी में महिलाओं की भूमिका (एक समाजशास्त्रीय अध्ययन)

Role of Women in Information Technology
(A Sociological Study)

पंचम् अध्याय

महिला अधिकारिता में सरकार की भूमिका

- ❖ सूचना प्रौद्योगिकी और शिक्षित महिलाएं
- ❖ सामाजिक पुनर्निमाण में महिलाओं की भूमिका
- ❖ महिला अधिकारिता और सरकार

पंचम अध्याय

महिला अधिकारिता में सरकार की भूमिका

आधुनिक भारतीय समाज के पुनर्निमाण में महिलाओं की भूमिका (सूचना प्रौद्योगिकी और शिक्षित महिलाएं)

समाज के पुनर्निमाण में महिलाओं की भूमिका एक ऐसा ज्वलन्त और शाश्वत तत्व है जिस पर विचार करने पर समाज के अस्तित्व और उसकी गुणवत्ता पर ही स्वाभाविक प्रश्न यह उठता है कि कहीं इससे यह ध्वनि तो नहीं आती कि समाज के अत्यधिक प्रदूषित होने के कारण पुनर्निमाण से ही समाज को सुरक्षित किया जा सकता है। हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि समाज अकेले महिलाओं से नहीं बनता है, समाज में पुरूष भी शामिल होते हैं हमारा मीडिया और आधुनिक प्रौद्योगिकी गवाह है कि महिलाओं की अपेक्षा पुरूष ज्यादा ही शामिल होते हैं, अतः महिलाओं की भूमिका सापेक्ष रहती है। सापेक्ष इस अर्थ में कि पुरूष इस भूमिका का निर्वाह करने में उनकी कितनी सहायता करते हैं या बाधा पहुँचाते हैं। इसी प्रकार यह बात महिलाओं पर लागू होती है।

समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में प्रतुत विषय को उलटकर देखना भी उपयुक्त है कि आधुनिक महिलाओं के निर्माण में समाज की क्या भूमिका है? क्या समाज इतना पुराना और दकियानूसी था जो समाज और लोकतत्र की प्रगति को रोकता है और तकनीकी प्रौद्योगिक रूप से उसे आधुनिक बनाना आवश्यक है? किन्तु कुछ तत्व साफ दिखने लगे हैं– साम्प्रदायिकता के जो तत्व पहले थे वे आज भी हैं, जातीय विद्वेष पहले भी था आज भी हैं, लिंग

व जाति पर आधारित सामाजिक और आर्थिक विषमताएं जस–की–तस हैं। इनको हटाये बगैर लोकतान्त्रिक समाज जिसमें सबको समान पद एवं भूमिकाएं मिलें, वह बनाया नहीं जा सकता है। इसलिए हमारे समाज का ब्रह्म सत्य क्या है? कौन सा वह लक्ष्य है जिसकी ओर समाज या महिलाओं को रचनात्मक रूप से आगे बढ़ना है। हमारा मानना है कि एक ब्रह्म सत्य या ध्रुव सत्य अथवा साश्वत सत्य जिसकी कसौटी पर प्रगति या अवनति को परख सकते हैं वह है लोकतन्त्र। हमारे यहाँ लोकतन्त्र का प्रारूप या मॉडल पूर्णतः भारतीय नहीं है। देश की स्वतन्त्रता के पश्चात संविधान निर्माताओं ने लोकतन्त्र के उत्तमोत्तम तत्व बाहर से आयात किये और उनके आधार पर हमारे संविधान की रचना हुई। जैसे कि यह स्थापना दी गयी कि भारतीय संविधान में सारे नागरिक समान हैं, लिंग, जाति, धर्म पर आधारित विषमताओं को समाप्त किया जायेगा और सभी नागरिकों को समान रूप से जीवन–यापन और संचरण की सुविधाएं मिलेगी यह तत्व हमारे समाज में उस समय गैर हाजिर थे। सामन्ती भारती समाज ऐसा था जोकि पुरूषों को हर विषय में अन्तिम निर्णय व पहली स्थापना दोनों का ही अधिकार था।

इस दृष्टि से जब हम समाज के पुनर्निमाण में महिलाओं की भूमिका की बात करते हैं तो सबसे पहले यह विचार आता है कि हकीकत क्या है? हमने लिखित रूप में तो संविधान को मान लिया है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। दूर से ऐसा लगता है कि हमारे जितना प्रगतिशील और उदारवादी संविधान दुनिया में कहीं नहीं है और उसमें महिलाओं, दलितों व सभी पिछड़े वर्गों को सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। ऐसे कानून और नियम हैं जो महिलाओं को सुरक्षा, उनकी आर्थिक और सामाजिक प्रगति की पूरी की पूरी जिम्मेदारी राज्य को सौंपे हुए हैं। जितनी उदारता से देश के प्रधानमंत्री,

अन्य शीर्षस्थ नेता नारी मुक्ति लैंगिक समानता की बात करते रहते हैं, वह उदारता और बयानबाजी प्रान्तीय स्तर पर थोड़ी कम होती है, नगर प्रशासन तक आकर और कम और गांव तक आते-आते समाप्त हो जाती है और एक दूसरी वास्तविकता जो हमारे चारों ओर है दिखाई देने लगती है।

यदि हम किसी भी वर्ग की प्रगति और विकास के चार मुख्य आधारभूत मापदण्ड माने तो सर्वप्रथम शिक्षा को रखना होगा। शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी हमारे देश में लगभग 45 प्रतिशत महिलाएं ही साक्षर हो पायी हैं, जिनमें साक्षर महिलाए केवल हस्ताक्षर कर सकती हैं।

दूसरी बात आती है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। इस क्षेत्र में जो तथ्य मिलते हैं वे यह गवाही देते हैं कि आयुष्य दर भी महिलाओं की कम हैं, कन्या शिशुओं की मृत्यु दर, अधिक है और दुनिया में गर्भवती और नव प्रसूता महिलाओं/माताओं की मृत्यु दर जिन दो देशों में सबसे अधिक है उनमें हमारा भारत देश भी है। जो रिपोर्टे आ रही हैं उनमें उल्लिखित है कि कन्या शिशुओं की जन्म लेते ही कई गांवों में कई इलाकों में मारा जा रहा है। बिहार की एक संस्था 'अदिति' ने बिहार के चार ब्लाक में जहाँ पर पिछली जनगणना में कन्याओं की तादाद लड़कों की तुलना में सबसे कम पायी गयी वहाँ पर सर्वेक्षण किया था। उसके आँकड़ों से यह बात सामने आयी कि प्रत्येक गांव में कम से कम एक महीने में 20 कन्या शिशुओं के जन्म लेते ही हत्या कर दी जाती हैं। इसका तात्पर्य तो यह है कि हमारे देश में प्रगति के नाम पर जो आइना दिखाया जाता है वह सच्ची प्रगति नहीं है।

प्रगति का तीसरा इण्डीकेटर है रोजगार। इस सम्बन्ध में कुछ वर्ष पूर्व एक सामाजिक सर्वेक्षण से यह तथ्य सामने आया था कि 1992 तक हमारे देश में काम करने वाली महिलाओं में से 90 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र में काम कर रही थी जिसमें किसी भी प्रकार की कानूनी सुविधा और सुरक्षा महिलाओं को उपलब्ध नहीं है। खेतिहर मजदूरी, सड़कों पर निर्माण कार्य, बुनकरी, मछली पालन, जैसे घरेलू उद्योग–धन्धे या सड़कों के किनारे समान बेचना, ठेलागाड़ी खीचना, और सिलाई–कढ़ाई का काम आदि महिलाओं का रोजगार है जिसमें उनकी दैनिक मजदूरी अन्य क्षेत्रों से कम है। हास्यास्पद तथ्य यह है कि राज्य प्रशासन भी जब रिलीफ वर्क्स कराती है तो उन्होंने भी कानून में एक ऐसा पेंच ढूढ़ रखा है जिसके तहत दैनिक मजदूरी यूनतम दर से कम दी जा सकती है। अतः रोजगार के क्षेत्र में भी औरतों की हालत बहुत सन्तोषजनक नजर नहीं आती है।

आर्थिक पुर्नरचना और मानवीय श्रम के मशीनीकरण का सबसे नकारात्मक प्रभाव महिलाओं में पड़ा है। क्योंकि ऐसे रोजगार जो अभी तक हाथ से होते थे उनकी जगह अब मशीने लग गयी है।

प्रगति का चौथा इण्डीकेटर है आत्म छवि। अगर महिलाओं को शिक्षा कम मिल रही है, स्वास्थ्य कमजोर है और रोजगार के क्षेत्र में उनके साथ भेद–भाव हो रहा है तो जाहिर है कि उनकी आत्मछवि बहुत सकारातम्क हनीं होगी। वास्तविकता यह है कि अभी तक भारतीय स्त्री के मन में एक प्रकार का दब्बूपन, डर व अपनी बात न कह पाने की आदत बनी हुई है। यही कारण है कि आधुनिक भारतीय समाज के पुनर्निमाण में महिलाओं की भूमिका रेखांकित करने योग्य नहीं बन पायी। अगर एक नियोक्ता एक

लिपिक भी रखता है तो कई बार उसकी योग्यता, अर्हता की जॉच की जाती हैं, लेकिन जिस स्त्री को हम पूरे परिवार की अगली पीढ़ी सौंप रहे हैं उसकी योग्यता, अर्हता, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, आत्मछवि किसी की भी चिन्ता नहीं की जा रही है। यह अपने आपमें प्रदर्शित करता है कि समाज राष्ट्र या देश के पुनर्निमाण की बात केवल भावुक शाब्दिक स्तर पर हो रही है, लेकिन उसके ठोस आयाम व व्यवहारिक स्तर की बात केवल राजनैतिक स्तर पर हो रही है।

देश की सच्ची जरूरतें व सच्चे मुद्दे कौन से हैं, जिन पर कार्य करने से महिलाएं समाज के निर्माण में सचमुच योगदान दे सकती हैं? पहला तो यह कि मूलभूत भौतिकी संसाधनों तक समाज के सर्वाधिक गरीब वर्ग की सहज पहुँच हो। पीने का पानी, जानवरों का चारा, ईंधन, चारागाह, भूमि इन सब तक जब तक मनुष्य की पहुँच नहीं होगी तब तक वह क्या लोकतंत्र क्या समाज, किसके विषय में सोंच सकेगा? चारा, ईंधन, पानी लाना, भोजन बनना और पशुओं की सानी–पानी उन्हें चराना, ये काम पारम्परिक रूप से महिलएं भी करती आयी हैं। सामाजिक पुनर्निमाण में ग्रामीण महिलाओं की भूमिका को निभाने के लिए सबसे पहली जयरत वह सभी बुनियादी संसाधन उपलब्ध कराना है जो उनकी भौतिक सुविधायें उपलब्ध कराना है ताकि उनके पास सामाजिक रचनात्मक काम के लिए समय बचे। औसत ग्रामीण महिला तीन से चार घण्टे गांवों में भटकती हैं ईंधन और चारे के लिए फिर वह घर का काम करती है, फिर वह सानी–पानी करती है और फिर हम उससे यह कहें कि बहन जी आप आइये और सामाजिक पुर्नरचना कीजिये तो यह कैसे सम्भव हैं? हम लोग बहुत ऊँची दार्शनिक जरूरतों की चर्चा करते हैं कि महिलाओं का मानसिक स्तर ऊँचा उठें, जरूरत है अगली पीढ़ी

के उन्नयन में उनकी भूमिका हो। वे तो महिलाएं करती ही हैं कयोंकि अपने बच्चों के लिए वे नहीं करेंगी तो और किनके लिये करेंगी। लेकिन प्रश्न यह है कि इसके लिए हम उनको कितना समय दे रहें हैं?

मृणाल पाण्डे (1997) महिलाओं की सामाजिक पुनर्निमाण में भूमिका के लिए बचत और गृह उपयोगी वस्तुओं के भण्डारण की ओर संकेत करती है। बचत और भण्डारण हमारी जरूरत से जुड़ा प्राचीन किन्तु महत्वपूर्ण मुद्दा है। ग्रामीण स्तर पर विशेष रूप से यह कार्य हमेशा महिलाएं करती है। यह दोनों ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर हमारे देश में बड़ी–बड़ी आर्थिक नीतियां बन रही हैं। जिनके तहत हमारे यहां बड़ी–बड़ी क्रान्तियां लाने की बात की जाती है। बचत और भण्डारण एक महिला के लिए परिवार की मानसिक और भौतिक स्थायित्व की बुनियाद है एवं भारत का पारम्परिक आर्शीवाद है। हमारा यह मानना है कि यह बहुत सोंच समझ कर बनाया गया है कि तुम्हारा घर भी रहे तुमहारा भण्डार भरा रहे। जब भण्डार भरा रहता है तब लोगों के मन में चैन रहता है और परिवार में झगड़े एवं तनाव कम होते हैं, समाज में सुख शान्ति आती है और लोगों के पास इतना समय होता है कि वे आपस में बैठ कर साझी समस्याओं व न्याय प्रक्रिया पर विचार कर सकें। अन्यथा आपस में खींचा–तान मची रहने से समाज, राष्ट्र और देशहित के विचार आना तो सम्भव है नहीं।

हमारे योजनाकारों और अर्थशास्त्रियों ने अपनी नीतियों और योजनाओं में बचत और भण्डारण का कोई प्रावधान नहीं रखा। उनका पूरा का पूरा इम्फेसिस खर्च पर है। कभी बाजार से पूंजी गायब हो जाती है कभी पूँजी की इफरात हो जाती है। यह सरल और सीधा तर्क है जो कि पूरे देश की

महिलएं देख सकती हैं क्योंकि वे घर चलाती हैं। लेकिन भारत में आर्थिक योजनाएं बनाते समय औरतों की राय गम्भीरता से नहीं ली जाती। केवल प्रतीकात्मक रूप से ग्राम स्तरीय कार्यशालाओं में उन्हें बुला लिया जाता है। अतः महिलाओं से उनकी सामाजिक पुनर्निमाण में भूमिका की अपेक्षा से पूर्व इन बुनियादी बातों पर ध्यान रखना बहुत आवश्यक है जिनसे समाज बनता और टूटता है।

देश के सामाजिक पुनर्निमाण में महिलाओं की भूमिका निर्धारण से पूर्व लघु उद्योग, विशेषकर गैर कृषि आधारित लघु उद्योगों को बढ़ावा मिलना आवश्यक है। भारत का कुटीर उद्योग विश्व स्तर पर अपनी छाप अंकित कर रहा है। एक ओर कुटीर उद्योग हमारी संस्कृति को दर्शाता है वहीं यह आय का प्रमुख स्रोत भी बनता जा रहा है। 21वीं सदी में देश के तेज गति से विकास के लिए कुटीर उद्योग जैसे हैण्डलूम, प्राचीन कलाएं, कशीदाकारी, आदि की ओर विशेष ध्यान देना होगा। क्योंकि बड़े उद्योगों से हमारे संसाधन तेजी से समाप्त हो रहे हैं। इसलिए कुटीर उद्योगों और सामूहिक भागीदारी की ओर विशेष ध्यान देना होगा।

सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से कुटीर उद्योग ग्रामीण महिलाओं की भूमिका को बदल सकते हैं। कपड़े के ऊपर ब्लाक छपाई, टाई एण्ड डाई, एप्लीक वर्क, मधुबनी पेन्टिंग, मिट्टी के बर्तनों की रंगाई, मशरूम की खेती, मोम उद्योग एवं किचन गार्डनिंग जेसे कार्य आधुनिक समय की मांग है और इन कार्यों को साकार रूप देने में महिलाएं सबसे अधिक सशक्त हैं। उनकी कल्पनाशीलता फैशन बन कर उभरती है जो कम्प्यूटर डिजाइनिंग के रूप में मूर्त रूप ले लेती है।

भारतीय समाज में अभी तक यह माना जाता था कि महिलाएं सामूहिक रूप से कोई स्वरोजगार का कार्य नहीं कर सकतीं किन्तु अब अनेकों महिला स्वयं सहायता समूह एवं परम्परा को तोड़ते हुए समूह के रूप में बखूबी काम कर रही हैं। इनके द्वारा तैयार की गई सामग्री का भी स्थानीय स्तर पर विपणन और सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी पैठ बना चुकी है। लिज्जत पापड़ महिला गृह उद्योग इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है।

महिला स्वंय सहायता समूहों की विशेषकर ग्रामीण सदस्याएं अपनी घर–गृहस्थी का काम निपटाने के बाद अपने खेत पर पहुँचती थीं अब वे समय निकालकर अपने समूह की अन्य सदस्यों के साथ बैठकर भविष्य के ताने बाने बुनकर उन्हें मूर्त रूप देने का कार्य करती हैं साथ ही अपनी बचत को समूह के माध्यम से बैंकों में जमा कराने का कार्य भी कर रही है। इससे बचत की भावना भी मजबूत हुई है।

महिलायें समूह से मिले ऋण को अपने परिवार के अन्य आकस्मिकण खर्चो, उत्पाद गतिविधियों के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने, पारिवारिक पुराने कर्जे चुकाने, बेहतर शिक्षा दिलाने में लगाती है।

महिला स्वयं सहायता समूह न केवल आर्थिक समृद्धि में सहायक हैं बल्कि इनके माध्यम से परिवार कल्याण, साक्षरता, बाल विवाह, अल्प बचत, वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भी योगदान करते हैं।

मूलतः महिलाओं को राष्ट्र की मुख्य धारा और सामाजिक पुनर्निमाण के कार्यक्रमों से जोड़ने के लिए जरूरी है उनके अन्दर शिक्षा और तकनीकी ज्ञान की अलख जलाना।

वर्तमान शताब्दी को 'ज्ञान की सदी' माना गया हैं, में ऐसे विचार के साथ क्या भारत विकसित राष्ट्र बनने का स्वप्न देख सकता है? जहाँ 50 प्रतिशत जनसंख्या अनपढ़ हो, निकाय और प्रगति के सपने देखना मूर्खता है।

स्त्री–शिक्षा समय की मांग हैं, समाज की आवश्यकता है। शासन ने शिक्षा के प्रसार के लिए अनेक योजनाएं प्रचारित की, अनेक प्रकार की छात्रवृत्तियां बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदान की गयी, परन्तु परिणाम वही ढाक के तीन पात। भारत में महिला साक्षरता दर 45.5 प्रतिशत है वहीं उत्तर प्रदेश में केवल 42.02 प्रतिशत ही है। उत्तर प्रदेश के स्तर पर ही अवलोकन करें, तो इलाहाबाद, बनारस और अलीगढ़ में केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं। तीनों ही उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी हैं। किन्तु महिला साक्षरता दर यहाँ भी दयनीय है। इलाहाबाद में यह साक्षरता दर 46.4 प्रतिशत हे, तो अलीगढ़ में यह घटकर 43 प्रतिशत रह गयी। उ0प्र0 में कानपुर नगर में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर 67.5 प्रतिशत है अध्ययन क्षेत्र औरैया जनपद में साक्षरता दर 49.09 प्रतिशत है (सारणी–08)।

स्त्री शिक्षा के प्रति उदासीनता के पीछे भी पितृसत्ता की विशिष्ट सोंच काम कर रही है। ऐसी पितृसत्ता जो यह मानती है कि स्त्री सिर विहीन धड़ मात्र है, यदि महिला के सर होगा तो वह बेकार के प्रश्न पूछेगी। ऐसी सोंच रखने वाला पुरूष समाज यह मानता है कि स्त्री उनकी सम्पत्ति है। उसका

जब, जैसे, जहाँ प्रयोग उनके लिए सुलभ है। स्त्री की जरा सी आजादी उन्हें उसका दुश्मन बना देती है। राजेन्द्र यादव इस पुरूष मानसिकता पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं– 'जब तक स्त्री सम्पत्ति हैं, तभी तक वह प्रिय है। जैसे ही वह स्वतन्त्र होना चाहती है पुरूष की सत्ता को चुनौती देती है वह पुरूष की दुश्मन हो जाती है।

संविधान में 73वाँ तथा 74वाँ संविधान संशोधन कर पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गयी। जमीनी स्तर पर होने वाले इन चुनावों में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण को भी लागू किया गया अपने आप में यह अत्यन्त क्रान्तिकारी कदम था। इससे ग्रामीण सामाजिक, राजनैतिक जीवन में महिलाओं की स्थिति और भूमिका आमूल–चूल परिवर्तन होना चाहिए था किन्तुऐसा नहीं हुआ और महिलाओं के स्तर पर स्थिति और दुखद हो गयी। ग्रामीण अनपढ़ महिलाएं जिन्होंने चूल्हे चौके के सिवा कुछ नहीं देखा, उनसे यह अपेक्षा किया जाना कि अचानक एक कानून पारित हुआ और वे चुनाव जीती, एक गांव की सिरमौर बनाकर शासन व्यवस्था में निपुण मान ली गयीं बुद्धिमानी नहीं। घर से बाहर निकलकर भी महिलाएं पुरूषों की कठपुतली मात्र बन गयी। पहले वे चूल्हे चौके, जेठ–देवर, ससा–ससुर मवेशी और हर माल पैदा होनेवाली अपनी संतान की देखभाल में ही लिप्त थीं, अब उन्हें जाने–अनजाने में तमाम उल्टे–सीधे कागजों पर अंगूठा भी लगाना होता है। पति या ससुर जिन्होंने उसे कठपुतली की तरह प्रधान/सरपंच का चुनाव जितवाया है उसी तर्ज पर उसे रबड़ स्टाप की तरह इस्तेमाल करने लगे है। इससे पुरूष सत्ता को सीधे दो लभ हुए अब वे सीधे जवाबदेही से बच सकते हैं और दूसरे घर की इज्जत की दुहाई दे कर प्रधान/सरपंच को देहरी के भीतर कैद करने में भी कामयाब रहे हैं।

और जब महिलाएं अपने अधिकारों का प्रयोग करने का प्रयास करती हैं तो उनके साथ वहीं होता है, जो राजस्थान के एक गांव की प्रधान के साथ हुआ, जब भरी पंचायत में उसे निर्वस्त्र कर दिया गया। जिन गांवों में महिला प्रधान है वहां की महिलाओं की परिस्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं है। जब स्वयं प्रधान ही असुरक्षित, निर्बल है, तो वह दूसरों को क्या सुरक्षित करेगी।

राजनीतिक स्तर पर महिलाएं अपने लिए निराशाजनक माहौल पाती हैं। यह भी सत्य है कि राजनीति के प्रति उनका सहज आकर्षण बढ़ रहा है, पर उसमे प्रवेश उन्हें आसान नहीं दिखता। विभिन्न राजनैतिक दल महिलाओं को टिकट देकर चुनावों उतारते हैं लेकिन यहाँ भी पितृसत्ता अपना जाल फेंकने में सफल हो जाती है। जिस सीट से राजनीतिक दल को जीतने की उम्मीद होती है वहाँ से महिलाओं को टिकट नहीं दिया जाता, निष्कर्ष यह निकलता है कि चुनाव में टिकट तो बहुत सी महिलाओं को मिलता है, प्रत्येक पार्टी ने महिलाओं के उत्थान के वायदे किये, लेकिन अन्तिम परिणाम महिला सांसद ओर विधायक न के बराबर।

महिलाओं की यही सोंच हैं कि 'उनकी एवं पुरूष वर्ग की आवश्यकतायें अलग–अलग हैं और पुरूष अपनी जरूरतों के आगे महिलाओं की जरूरतों को महत्व नहीं देने वाला।' भ्रमित करने वाला है। यदि आँकड़ों का अवलोकन करें तो यह प्रतीत होता है कि महिलाओं के सांसद या विधायक बन जाने से उनके क्षेत्र की महिलाओं की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में आठ महिला सांसद है किन्तु इन सभी संसदीय क्षेत्रों में लिंगानुपात 920 से लेकर 940 तक है, महिला साक्षरता दर

27.9 प्रतिशत से 32.0 प्रतिशत के बीच है महिला कार्य–शक्ति दर केवल 5. 6 से 7.0 प्रतिशत है।

संसद में स्त्रियों के लिए 33.0 प्रतिशत आरक्षण की मांग वर्तमान में ज्वलन्त मुद्दा है। महिलाएं "अब मांग नहीं अधिकार है, संविधान के अनुसार है।" के नारों के साथ महिला–आरक्षण विधेयक संसद में पारित कराने की मांग पर जोर देने के लिए सड़कों पर उतर आयी हैं। किसी भी राजनैतिक दल के पुरूष नेता अपने संख्या बल के कारण महिलाओं की इस मांग को पारित कराने के लिए तैयार नहीं।

महिला आरक्षण संविधान सम्मत है या संविधान विरूद्ध प्रश्न इसका नहीं है, प्रश्न है केवल यह कि इससे महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन हो सकता है या नहीं। आवश्यक है कि महिलाओं को केवल साक्षर नहीं उनकी उच्च शिक्षा का प्रबन्ध किया जाए उनकी कार्य–शक्ति को विकसित करें। उनमें राजनीतिक चेतना उत्पन्न की जाए और प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।

महिला की स्थिति से महिला द्रवित हो सकती है, पुरूष नहीं, यह भी आवश्यक नहीं। 'इमराना–केस' में महिला आयोग की अध्यक्ष का ढूलमुल रवैया यही प्रमाणित करता है। महिला और पुरूष के बीच की खाई को पाटना इतना सरल प्रतीत नहीं होता, नारी दुर्बल है, नारी के सतीत्व में सब कुछ है। पुरूष का अधिकार, दंभ, सम्पत्तिर पर एकाधिकार ये सारे मिथक, ये सभी धारणाएं तोड़ने से ही कुछ परिवर्तन आ सकता है। आवश्यकता है महिलाओं को स्वयं अपनी मानसिकता में परिवर्तन लाने की। इस समबन्ध में प्रत्येक व्यक्ति की जागरूकता समाज के लिए महतवपूर्ण हो जाती है, केलव इसलिए नहीं कि नारी की स्वतन्त्रता या उसके अस्तित्व का

प्रश्न है, अपितु इसलिए भी कि यह एक स्वास्थ्य और सभ्य समाज के निर्माण के लिए आवश्यक ही नहीं भारत की तरक्की के लिए भी अनिवार्य है।

बदले हुए विश्व परिवेश में सत्ता राजनीति से नहीं अपितु अर्थशास्त्र से जन्म लेती है। जरूरी यह है कि महिलाओं के लिए आपेक्षित आर्थिक नियति को केन्द्र बनाकर उनकी राष्ट्रीय पहचान गढ़ी जाए। हमें महिला स्वावलम्बन और स्वतन्त्रता के इसी रूप को प्राप्प करने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। संयुक्त राष्ट्र समझौते पर हस्ताक्षरी के नाते भारत ने 'महिलाओं का पूर्ण विकास और प्रगति सुनिश्चित करने के लिए उन्हें पुरूषों से समानता के आधार पर मानवाधिकारों और मूलभूत स्वतन्त्रता के अधिकार तथा सुख की गारण्टी देने के लिए कानून बनाने सहित अनेक उपाय किए है। महिलाओं को अधिकार प्रदान करने में महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए कार्यक्रमों के रचनात्मक परिणाम सामने आए हैं किन्तु अभी भी इस दिशा में बहुत कुछ करना शेष है। अध्ययन क्षेत्र की महिलाएं अपने सामाजिक, आर्थिक अधिकारों के प्रति सेचते हैं सत्ता की राजनीति को अर्थ के माध्यम से पकड़ने के लिए चल–अचल सम्पत्ति को अपने नाम से बनाना पुरूषों के एकाधिकार को समाप्त करने की दिशा में वे सजग है। सारणी–34 में हमने उत्तरदाताओं के आवास के स्वामित्व की स्थिति का मूल्यांकन किया है। 55 (17.97 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के पास पैतृक मकान है अतः उनमें महिलाओं के स्वामित्व का प्रश्न ही नहीं है, किन्तु 99 (32.35 प्रतिशत) महिलाओं ने नौकरी या जॉब करने के बाद मकान बनवाये हैं अतः मकान का स्वामित्व अर्थात मकान उनके स्वयं के नाम है। जिन महिला उत्तरदाताओं के स्वयं के स्वामित्व में मकान है उनमें 35 (38.04 प्रतिशत)

सवर्ण, 40 (29.63 प्रतिशत) पिछड़े वर्ग, 22 (33.33 प्रतिशत) अनुसूचित जाति और 02 (15.38 प्रतिशत) अन्य धर्मावलम्बी महिला उत्तरदाता हैं।

सारणी सं0–34

उत्तरदाताओं के मकान के स्वामित्व का अधिकार

क्र. सं.	मकान का स्वामित्व	जाति समूह				योग
		सवर्ण	पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अन्य धर्म के उत्तरदाता	
19.	पैतृक मकान	12	32	11	00	55
		(13.04)	(23.70)	(16.67)	(0.00)	(17.97)
20.	स्वयं के नाम	35	40	22	02	99
		(38.04)	(29.63)	(33.33)	(15.38)	(32.35)
21.	पति के नाम	13	24	12	00	49
		(14.13)	(17.78)	(18.18)	(0.00)	(16.02)
22.	किराये का मकान	28	30	15	11	84
		(30.43)	(22.22)	(22.73)	(84.62)	(27.45)
23.	पति–पत्नी दोनों	04	09	06	00	19
		(04.35)	(06.67)	(09.09)	(0.00)	(06.21)
	योग	**92**	**135**	**66**	**13**	**306**
		(100.00)	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**

49 (16.02 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के मकान उनके पतियों के नाम है। इन सभी उत्तरदाताओं के पास विवाह के पूर्व/समय स्वयं का मकान था अतः पुनः मकान बनवाने का कोई औचित्य नहीं था। 84 (27.45 प्रतिशत) उत्तरदाता किराये के मकान में रह रहीं हैं। इनमें 88 (30.43 प्रतिशत) सवर्ण, 30 (22.22 प्रतिशत) पिछड़े वर्ग और 15 (22.73 प्रतिशत) अनुसूचित जाति के उत्तरदाता हैं। 19 (06.21 प्रतिशत) उत्तरदाता ऐसी भी हैं जिनके मकान

का स्वामित्व पति–पत्नी दोनों के नाम है। इनमें 04 सवर्ण, 09 पिछड़े वर्ग और 06 अनुसूचित जाति की उत्तरदाता है। सारणी–34 के विश्लेषण से यह तथ्य स्पष्ट है कि कम से कम नौकरी पेशा महिलाएं तो अपने आर्थिक अधिकारों के प्रति शनैः शनैः सजग हो रहीं है। उनकी इस सजगता और सम्पत्ति के स्वामित्व को प्रशासनिक व्यवस्थाएं और मजबूत बना रहीं है यह एक शुभ संकेत है।

डॉ0 जे0 भाग्यलक्ष्मी (2004) लिखती हैं कि महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने के अलावा नीति के अन्तर्गत महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक अधिकारिता के साधनों को भी रेखांकित किया जाना चाहिए।

अक्सर यह देखा गया है कि महिलाओं को घोर गरीबी और विपन्नता की स्थितियों का सामना करना पड़ता है, जो पारिवारिक और सामाजिक भेद–भाव के कारण और भी बदतर हो जाती है। अतः यह आवश्यक है कि वृहत आर्थिक नीतियों और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में ऐसी महिलाओं की आवश्यकताओं और समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। पहले से चलाए जा रहे महिला उन्मुखी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में भी सुधार लाया जाए।

उपभोग और उत्पादन के लिए ऋण तक महिलाओं की पहुँच बढ़ाने के लिए नए लघु ऋण तन्त्र और लघु वित्त संस्थानों की स्थापना की जाए तथा ऐसे मौजूदा संस्थानों को सुदृढ़ किया जाए।

कृषि और अनुषंगी क्षेत्रों में महिलाएं प्रमुख भूमिका अदा करती है किन्तु उनके योगदान को कोई मान्यता नहीं दी जाती। यह सुनिश्चित करने के संगठित प्रयास किए जायें कि प्रशिक्षण, विस्तार और विभिन्न कार्यक्रमों

का लाभ महिलाओं तक पहुँचे ताकि वे अपने कार्य क्षेत्र में अधिक प्रभावशाली ढंग से काम कर सकें।

महिलाओं में अपने हक और हिस्सा हासिल करने के लिए अब आँखों में पानी नहीं, ज्वाला है और बदलाव की गवाह है उनके अपने अधिकारों की प्रति बढ़ती चेतना। अचल सम्पत्ति को बनाने के लिए उनके अन्दर एक उत्साह है। मकान बनाना या अपने सपने के आशियाने को पाने के लिए वे बचत भी करती हैं, लोन भी लेती है और खेत जमीन भी बेंच देती है। अपने और परिवार के लिए सुरक्षित मकान बनवाकर निश्चिन्त होना वह आवश्यक समझती है।

सारणी–35 में हमने उनके मकान बनवाने के संसाधनों का विश्लेषण किया और यह तथ्य सामने आये कि 95 (31.05 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने अपने मकानों का निर्माण अर्जित धन जिन्हें उन्होंने समय–समय पर बचत करके अर्जित किया है बनवाया है। इस प्रकार की उत्तरदाताओं में 42 (45.65 प्रतिशत) सवर्ण, 32 (23.70 प्रतिशत) पिछड़े वर्ग, 21 (31.82 प्रतिशत) अनुसूचित जाति की महिला उत्तरदाता हैं। ऋण लेकर मकान बनवाने वाली उत्तरदाताओं की संख्या 68 (22.22 प्रतिशत) हैं, जिन्होंने भविष्य निधि, सहकारी समितियों अथवा राष्ट्रीयकृत बैंकों से कर्ज लेकर मकानों का निर्माण करवाया है, इसके पीछे एक और महत्वपूर्ण तथ्य आयकर में छूट मिलने की भी छिपी है। हाउसिंग सोसाइटी से किस्तों में मकान खरीदने वाली उत्तरदाताओं की संख्या 38 (12.42 प्रतिशत) हैं, इनमें 12 (13.04 प्रतिशत) सवर्ण, 15 (11.11 प्रतिशत) पिछड़े वर्ग, 11 (16.67 प्रतिशत) अनुसूचित जाति वर्ग की उत्तरदाता हैं अन्य धर्मो को मानने वाली

उत्तरदाताओं की संख्या शून्य है। उत्तरदाताओं में 19 (06.21 प्रतिशत) ऐसे भी है जिन्होंने मकान बनवाने के लिए अपने खेत/जमीन बेची हैं इन उत्तरदाताओं में 14 पिछड़े वर्ग के उत्तरदाता है और 05 उत्तरदाता अनुसूचित जाति वर्ग की है। उत्तरदाताओं में 86 (28.10 प्रतिशत) किराये के मकान में रहती हैं या जिन्हें पैतृक मकान मिले हुए है। प्रस्तुत विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि बिना किसी भी प्रकार के जातीय अन्तर के कार्यरत और शिक्षित महिलाओं की प्राथमिकता स्थायी सम्पत्ति के रूप में मकान बनवाना या उसका स्वामित्व ग्रहण करना है।

सारणी सं0–35

उत्तरदाताओं के मकान बनवाने की व्यवस्था का आधार

क्र. सं.	मकान बनवाने की व्यवस्था का आधार	जाति समूह				योग
		सवर्ण	पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अन्य धर्म के उत्तरदाता	
1.	अर्जित धन	42	32	21	00	95
		(45.65)	(16.30)	(31.82)	(0.00)	(31.05)
2.	ऋण/लोन	20	35	11	02	68
		(21.74)		(16.67)	(15.38)	(22.22)
3.	हाउसिंग सोसाइटी से किस्तों पर	12	15	11	00	38
		(13.04)	(11.11)	(16.67)	(0.00)	(12.42)
4.	खेत/जमीन बेच कर	00	14	05	00	19
		(0.00)	(10.37)	(07.58)	(0.00)	(06.21)
5.	किराये का मकान पैतृक मकान	18	39	18	11	86
		(19.57)	(28.89)	(27.27)	(84.62)	(28.10)
	योग	**92**	**135**	**66**	**13**	**306**
		(100.00)	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**

उत्तरदाताओं के लिए जितना महत्वपूर्ण आवास का स्वामित्व है उतना ही महत्वपूर्ण आवास का स्थान भी है क्योंकि यदि उनका आवास मुख्य मार्ग

के किनारे या अभिजात्य वर्ग की कालोनियों में है तो वे अपने मकान का उपयोग व्यावसायिक क्रिया–कलापों के रूप में भी आसानी से कर सकती हैं। कम्प्यूटर सेन्टर, पी0सी0ओ0, बुटिक, सिलाई–कढ़ाई केन्द्र आदि के माध्यम से धनोपार्जन एवं परिवार का आथ्रिक संवर्धन तभी हो सकता है जब आवास अच्छे स्थान पर हो। 97 (31.70 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के आवास नगर के मुख्य मार्ग पर हैं इनमें 38 (41.30 प्रतिशत) सवर्ण उत्तरदाता, 45 (33.33 प्रतिशत) पिछड़े वर्ग की उत्तरदाता, 13 (19.70 प्रतिशत) अनुसूचित जाति की उत्तरदाता और केलव 01 (07.70 प्रतिशत) अन्य धर्म को मानने वाली उत्तरदाता हैं (सारणी–36)। मुख्य मार्ग में रहने वाली सभी उत्तरदाताओं ने अपने मकान में दुकान इत्यादि बनवायी हुई है जिसमें उनके परिवार के सदस्य दुकान व्यापार करते हैं या फिर किराए में उठाए हैं, मूलतः इनका उद्देश्य वेतन के अतिरिक्त अन्य आय के संसाधन उपलब्ध करना है।

79 (25.82 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के आवास मुख्य मार्ग से हटकर 'गली' में हैं इन उत्तरदाताओं में 15 (16.30 प्रतिशत) सवर्ण, 39 (28.89 प्रतिशत) पिछड़े वर्ग, 23 (34.80 प्रतिशत) अनुसूचित जाति वर्ग और 02 (15.38 प्रतिशत) अन्य धर्म को मानने वाली उत्तरदाता हैं। इन उत्तरदाताओं के आवास सामान्यतः पेतृक हैं या किन्हीं विषम परिस्थितियों में जहाँ इन्हें अच्छी लोकेशन मिली है इन्होंने अपने मकान बनवाये हैं।

आवास विकास कालोनी, स्वैच्छिक संस्थाओं या 'बिल्डर्स' के द्वारा बनवायी गयी कॉलोनी या किसी विशिष्ठ कार्यालयों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के द्वारा विकसित की गयी कालोनियों में 89 (29.08 प्रतिशत)

उत्तरदाता रहती हैं इनमें 22 (23.91 प्रतिशत) सवर्ण, 32 (23.70 प्रतिशत) पिछड़े वर्ग, 25 (37.88 प्रतिशत) अनुसूचित जाति की और 10 (76.92 प्रतिशत) अन्य धर्मो को मानने वाली उत्तरदाता है। इन्होंने भी बुटिक, सिलाई–कढ़ाई, खिलौने बनाने और कम्प्यूटर आदि सीखाने का कार्य घर में ही प्रारम्भ किया है।

41 (13.40 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के आवास अन्य स्थानों पर जैसे– प्रतिष्ठानों, विद्यालयों या कार्यालयों के परिसर में अधिकारी आवास या कर्मचारी आवास में हैं (सारणी–36)।

सारणी सं0–36

उत्तरदाताओं के आवास का स्थान

क्र. सं.	आवास का स्थान	जाति समूह				योग
		सवर्ण	पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अन्य धर्म के उत्तरदाता	
1.	मुख्य मार्ग के किनारे	38	45	13	01	97
		(41.30)	(33.33)	(19.70)	(07.70)	(31.70)
2.	गली में	15	39	23	02	79
		(16.30)	(28.89)	(34.80)	(15.38)	(25.82)
3.	कालोनियों में	22	32	25	10	89
		(23.91)	(23.70)	(37.88)	(76.92)	(29.08)
4.	अन्य	17	19	05	00	41
		(18.49)	(14.08)	(07.58)	(0.00)	(13.40)
	योग	**92**	**135**	**66**	**13**	**306**
		(100.00)	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**

यह सारणी उत्तरदाताओं के आवास के स्थान पर आधार पर स्पष्ट करती है कि अन्य जाति समूहों की तुलना में सवर्ण जाति समूह की महिलाएं अपने आवास के स्थान के चुनाव में अधिक जागरूक हैं क्योंकि वे

यदि किसी जॉब में नहीं हैं तो अपनी शिक्षा और प्रशिक्षण का सद्उपयोग अन्य तरीकों से कर रही हैं।

सभी क्षेत्रों में प्रगति सुनिश्चित करने के लिए लिंग की समानता और महिलाओं को अधिकार प्रदान करने के सिद्धान्त को विश्वभर में एक महत्वपूर्ण पहलू स्वीकार किया गया है। यह सहस्त्राब्दी विकास के उन आठ लक्ष्यों में से एक है जिन पर न्यूयार्क में 2000 से सहस्त्राब्दी शिखर सम्मेलन में सहमति बनी थी। 1945 में हस्ताक्षरित संयुक्त राष्ट्र चार्टर पहला अन्तर्राष्ट्रीय समझौता था, जिसमें लिंग की समानता को मूलभूत अधिकार घोषित किया गया था। उसके बाद में मानव मात्र को मानव अधिकार प्रदान करने में सहायता के लिए अनेक समझौते, कार्यक्रम और लक्ष्य सामने आए जो 'सार्वभौमिक, अविभाज्य, परस्पर निर्भर और परस्पर सम्बद्ध थे।'

महिलाओं के विकास और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 दिसम्बर, 1979 को ''महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेद–भाव समाप्त करने के विषय में प्रस्ताव (कनवेन्शन) पारित' किया, जो 3 सितम्बर, 1981 से प्रभावी हुआ।

प्रस्ताव में महिलाओं की विशेष समस्याओं और अपने परिवारों का अस्तित्व बनास रखने में उनके महत्वपूर्ण योगदान को भी रेखांकित किया गया। अतः समझौते से सम्बद्ध सभी सदस्य राष्ट्रों ने महिलाओं के लिए समुचित उपय करने पर सहमति जतायी, ताकि वे सामाजिक विकास में सहयोग कर उसका लाभ उठा सके।

अनेकों समझौतों और समयबद्ध लक्ष्यों के संकल्पों के बाद भी दुनियाभर से प्राप्त आँकड़ों से पता चलता है कि आज भी महिलाओं की स्थिति दयनीय है जो चिन्ता का विषय है। विचारणीय तथ्य हैं–

- प्रौढ़ निरक्षरों में दो–तिहाई महिलाएं हैं।
- विश्व के निर्धनों में 70 प्रतिशत महिलाएं हैं। भारत में भी अनेक क्षेत्रों में संगठित प्रयासों की आवश्यकता है।
- लिंग अनुपात में तेजी से गिरावट आयी है।
- मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर अत्यन्त ऊँची है।
- शिक्षा और प्रशिक्षण के सभी स्तरों पर स्त्री पुरूष सम्बन्धी अन्तराल बहुत अधिक है।
- लड़कियों में लड़ों की अपेक्षा स्कूली शिक्षा बीच में छोड़ने का ड्राप रेट बहुत गहरा है।
- महिलाओं के विरूद्ध अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रहीं है।
- प्रत्येक स्तर की महिलाओं को घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है।
- अधिकतर 'वर्किंग वूमेन' अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करतीं।
- महिलाओं में अधिकारिता के अभाव का लाभ पुरूष उठाते हैं।

महिला किसी भी देश की जनसंख्या का आधा हिस्सा है, और उनकी उपेक्षा करके वास्तविक विकास को मूर्तरूप नहीं दिया जा सकता। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने महिलाओं को संविधान में प्रदत्त

समानता का दर्जा देने के लिए विभिन्न प्रकार के लिंग सम्बन्धी भेद–भाव दूर करने की दिशा में प्रयास प्रारम्भ किए है।

भारत की प्रत्येक योजना में महिला उन्मुखी और महिला सम्बन्धित नीतियां घोषित की गयी हैं। महिलाओं से सम्बन्धित मुद्दों में उनके कल्याण के लिए वातावरण भी निर्मित हुआ है और पाँचवी पंचवर्षीय योजना में (1974–78) महिलाओं की चिन्ताओं को रेखांकित भी किया गया है। 1976 में बनी राष्ट्रीय कार्य योजना उनके लिए एक मार्ग दर्शक दस्तावेज बन गयी है। महिलाओं के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर बल देने के लिए एक राष्ट्रीय संदर्श योजना (1998–2000) तैयार की गई। महिलाओं को अधिकार प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय पोषण नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए है। इनमें से कुछ नीतियां इस प्रकार हैं–

- विधायिका में महिलाओं के लिए संसद और राज्य विधान सभाओं में कम से कम एक तिहाई सीटें आरक्षित करना, ताकि निर्णय करने की प्रक्रिया में महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके।
- महिला उन्मुखी और महिला सम्बन्धित, दोनों ही क्षेत्रों में वर्तमान सेवाओं, संसाधनों, बुनियादी सुविधाओं और जनशक्ति के प्रभावकारी अभिसरण के माध्यम के माध्यम से महिलाओं को अधिकार प्रदान करने के विषय में एक समेकित दृष्टिकोण अपनाना।
- महिला घटक योजना की विशेष नीति अपनाना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अन्य सभी विकासात्मक क्षेत्रों में 30 प्रतिशत धन/लाभ महिलाओं को मिल सके।

- महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के रूप में संगठित करना और उनके अन्दर अधिकार प्राप्त करने की प्रक्रिया की शुरूआत करना।
- महिलाओं और लड़कियों को शिक्षा के आसान और सरल अवसर सुनिश्चित करना।
- महिलाओं को आधुनिक व्यवसायों का तकनीकी प्रशिक्षण और अवसर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना जिससे वे आर्थिक रूप से आत्म निर्भर बन सके।
- लघु एवं कुटीर उद्योगों के क्षेत्र में महिला उद्यमियों के लिए विकास बैंक की स्थापना करके ऋण तक उनकी पहुँच सरल बनाना।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2001 को महिला अधिकारिता वर्ष के रूप में मनाया गया और महिलाओं को अधिकार प्रदान करने की राष्ट्रीय नीति विकसित की गई इस नीति में यह स्वीकार किया गया कि लिंग सम्बन्धी असमानता के कारण सामाजिक और आर्थिक ढॉचा प्रभावित है। अतः विकास की प्रक्रिया में लिंग के परिप्रेक्ष्य को मुख्यधारा के साथ जोड़ना होगा। महिलाओं के अधिकारों के बारे में भारत की राष्ट्रीय नीति के लक्ष्य इस प्रकार हैं–

- महिलाओं के पूर्ण विकास के लिए रचनात्मक और सामाजिक नीतियों के माध्यम से एक वातावरण का सृजन करना जिससे महिलाएं अपनी पूर्ण क्षमता को हासिल कर सके।
- महिलाओं को राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और नागरिक सभी क्षेत्रों में पुरूषों के समान कानूनी और वास्तविक रूप में सभी मानव अधिकार प्राप्त हों।

- राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की समान भागीदारी हो।
- महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल, सभी स्तरों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा व्यवसाय और व्यावसायिक मार्ग, दर्शन, रोजगार तथा समान पारिश्रमिक सुनिश्चित करना।
- कानून व्यवस्था को मजबूत बनाना जिससे महिलाओं के विरूद्ध सभी प्रकार के भेदभाव समाप्त किए जा सके।
- महिलाओं के उत्पीड़न और उनके विरूद्ध सभी प्रकार की हिंसा समाप्त करना।
- महिला संगठनों का निर्माण और उन्हें बढ़ावा देने के लिए रचनात्मक समाज की संरचना में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना।

जहाँ तक महिलाओं को सामाजिक अधिकारिता का प्रश्न है, इसमें शिक्षा स्वास्थ्य, पोषण, पेयजल, स्वच्छता, आवास और पर्यावरण ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर ध्यान दिया जाना अनिवार्य है। महिलाओं के विरूद्ध हिंसा की रोकथाम और बालिकाओं के अधिकारों की रक्षा को भी नीति योजना के न्द्र में रखना होगा।

भारत ने संयुक्त राष्ट्र समझौते पर हस्ताक्षर करने के कारण अनेक कानून बनाने के साथ–साथ अनेक कदम उठाए हैं ताकि महिलाओं का पूर्ण विकास और प्रगति सुनिश्चित करते हुए उन्हें पुरूषों के समान मानवाधिकार और मौलिक स्वतन्त्रताएं प्रदान करने की गारण्टी दी जा सके। महिलाओं को अधिकार प्रदान करने में महिला उन्मुखी कार्यक्रमों के रचनात्मक नतीजे

सामने आए हैं, फिर भी अभी बहुत कुछ करना है और सरकार को वायदे निभाने हैं।

मात्र कानून पारित करने से सामाजिक प्रगति नहीं हो सकती। उसके पीछे कठोर दण्ड पद्धति को दृढ़तापूर्वक कार्यान्वित करना चाहिए यदि इसका भय न हो तो कानून की वास्तविकता निरर्थक हो जाती है। आधुनिक भारतीय समाज के पुनर्निमाण में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को निर्विवाद रूप से स्वीकारना होगा।

महर्षि दयानन्द सरस्वती, स्वामी विवेकानन्द, महात्मा गांधी ने शिक्षा और समानाधिकार के द्वारा महिलाओं के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए तथा अथक परिश्रम के द्वारा कन्या गुरूकुलों की स्थापना की गई। परिणामस्वरूप आज के स्वतन्त्र भारत में महिलाओं को पुरूषों के समान अधिकार प्राप्त करने की व्यवस्था संविधान में की गई है। इसी के परिणाम स्वरूप महिलाओं की अग्रग्रण्य, श्रीमती सरोजनी नायडू गवर्नर बनी, श्रीमती विजय लक्ष्मी पण्डित विशेष राजदूत के पद पर आसीन हुई, श्रीमती इन्द्रा गांधी ने प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित किया, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, धर्म के क्षेत्र में माँ आनन्द मई, मदर टेरेसा। राजनीति के क्षेत्र में श्रीमती सोनिया गांधी, सुश्री मायावती, उमा भारती, श्रीमती शीला दीक्षित, वृन्दा करात, सुषमा स्वराज जैसी महिलाओं के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। हमारी राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल के द्वारा भारत की सभ्यता और संस्कृति का संवाहन हमारी मजबूत परम्परागत आदर्श और मूल्यों का द्योतक है।

आधुनिक भारतीय समाज में महिलाओं की सामाजिक स्थिति और भूमिका में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए है जिनके परिणाम स्वरूप उनके अन्दर

एक नया अंदाज और अपने अधिकारों के प्रति चेतना जागृत हुई है। शिक्षा, औद्योगिकीकरण, नगरीयकरण, जातीय गतिशीलता, संचार एवं सूचना प्रौद्यासेगिकी के साधनों के विकास, यातायात के साधनों में वृद्धि आदि सभी ने महिलाओं को आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी है। भारत के संवैधानिक प्रयासों ने एक ऐसा सामाजिक वातावरण तैयार किया है, जिसके परिणाम स्वरूप महिलाएं असमानता, शोषण, अन्याय, बाल विवाह, दहेज जैसी समस्याओं से मुक्त हो रही हैं। पं0 जवाहर लाल नेहरू ने अपनी एक कृति 'वूमन ऑफ इण्डिया' के पुरोवाक में लिखा है कि किसी देश की स्थिति को समझने का सबसे श्रेष्ठ उपाय उस देश की महिलाओं की स्थिति का पता लगाना है। यह प्रसन्नता की बात है कि हमारी संसद ने हाल ही में कुछ ऐसे विधान पारित किए हैं जिन्होंने महिलाओं को कानूनी रूप से कई बन्धनों से मुक्त कर दिया है, तथा उन्हें अपनी सामाजिक, आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद पहुँचायी है। किन्तु अभी भी कई बाधाएं हैं जिन्हें दूर करना आवश्यक है।

आधुनिक भारत के पुनर्निमाण और महिलाओं की शैक्षिक गुणवत्ता के आशातीत परिणाम को देखकर के0एम0 पणिक्कर ने लिखा कि "स्त्री शिक्षा ने विद्रोह की उस कुल्हाड़ी की धार तेज कर दी है जिससे हिन्दू सामाजिक जीवन की जंगली झाड़ीयों को साफ करना सम्भव हो गया है।"

स्वतन्त्र रूप से जीविका उपार्जित करने वाली महिलाएं आज अन्य महिलाओं के लिए आकर्षण और आदर्श हैं, जो उन्हें आर्थिक जीवन में प्रवेश कर राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रोत्साहित कर रही है। वस्तुतः स्त्रियों को आर्थिक स्वतन्त्रता मिल जाने के कारण उनके अन्दर आत्मविश्वास, अभिनव कार्य क्षमता और मानसिक स्तर में इतनी प्रगति हुई है कि उनके व्यक्तित्व

की तुलना परम्परावादी, रूढ़ीगत, घूंघट की ओट में घर की चाहरदीवारी के अन्दर पुरूषों के शोषण को सहन करती हुई महिला से कदापि नहीं की जा सकती।

वर्तमान सामाजिक परिप्रेक्ष में भारतीय महिलाओं का भविष्य जानने की जिज्ञासा होना स्वाभाविक है। भारतीय महिलाओं के मुक्त विकास में मूलभूत दो बाधाएं हैं– प्रतिक्रियावादी सामाजिक संस्थाएं तथा रूढ़िगत रीति–रिवाज। कानून की दृष्टि से महिलाओं की स्थिति पुरूष के समकक्ष है, किन्तु दैनिक व्यवहार में जाति, पितृसत्तात्मक परिवार, धार्मिक परम्पराएं तथा सत्तावादी सामाजिक मूल्यों का प्रभाव अभी भी बहुत व्यापक है। सभी ओर पुरूषों का प्रभुत्व दिखाई देता है। अतः जागरूक ओर अपने अधिकारों के प्रति सतर्क महिलाओं का यह कर्तव्य है कि वे प्रतिक्रियावादी तत्वों के कारणों को ढूढ़कर उन्हें निर्मल करने का प्रयास करें, स्वयं अर्जित स्वतन्त्रता को सामाजिक संस्थात्मक, प्रतिक्रियावादी शक्तियां बेकार न बना दें इसके लिए भी सतर्क रहना है।

सूचना प्रौद्योगिकी में महिलाओं की भूमिका
(एक समाजशास्त्रीय अध्ययन)

Role of Women in Information Technology
(A Sociological Study)

षष्टम् अध्याय

नव संस्कृतिवाद और महिलाओं की भूमिका

- नव संस्कृतिवाद और महिलाएं
- सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठ भूमि
- महिला अधिकारों के प्रति जागरूकता
- महिलाओं की प्राथमिकता

षष्ठ अध्याय

नव-संस्कृतिवाद और महिलाओं की भूमिका

उत्तरदाताओं की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि

महिलाओं के मानस को अनुकूलित करने वाली संस्कृति से जनित घोषित और अघोषित मूल्य बोध, संस्कृति के प्रति उनका दृष्टिकोण और समाज में स्त्री का प्रस्तुतीकरण, पुरूष के पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण का एक अभिन्न अंग है। इस नव औपनिवेशिक काल में संस्कृतिवाद महिलाओं पर नियंत्रण बनाए रखने का प्राचीनतम माध्यम है।

महिला को अधीनस्थ स्थिति में बनाए रखने में पुरूषों की पितृसत्ता संस्कृति का इस्तेमाल करती है। ऐसा नहीं है कि स्त्री के जीवन में संस्कृति महत्वपूर्ण नहीं है या फिर महिला आन्दोलन और नारी मुक्ति से जुड़े लोग या समर्थक संस्कृति की अवज्ञा करना चाहते हैं। महिला केवल उस संस्कृति को नहीं चाहती जहाँ संस्कृति दमनकर्ता के हाथ में एक हथियार की तरह हो। संस्कृति हमारी सचेत क्रिया–प्रक्रिया का फल है। शासित भी अपनी मुक्ति का प्रसंग संस्कृति में खोजता है। संस्कृति खुद को सामाजिक सम्बन्धों में व्यक्त करती है। महिला इसलिए इन सांस्कृतिक मूल्यों को अपनाना चाहती है क्योंकि इन प्रतीकों और चिन्हों के माध्यम से विश्व में उसका होना प्रतिफलित होता है।

मानव समुदाय का अर्थ स्त्री पुरूष दोनों को ही समझा जाता है केवल पुरूष नहीं। वर्ग या जाति के आधार पर स्त्री पुरूष की भिन्नता बनती

है यही कारण है कि सांस्कृतिक परम्परा में स्त्री को अलग से सम्बोधित किया गया है। जैविक और दैहिक रूप से स्त्री और पुरूष दोनों एक दूसरे से भिन्न है और इस भिन्नता को नकारा नहीं जा सकता। किन्तु नव सांस्कृतिक परिकल्पना में इतिहास में ऐसा क्या घटा और क्यों घटा कि सांस्कृतिक धरातल पर महिला, पुरूष के संदर्भ में ही परिभाषित होकर रह गयी है। संस्कृति एक शक्ति है, अर्थात उत्पादन के सामाजिक सम्बन्धों का जिसे हम समाज कहते हैं एक विशिष्ट स्वरूप। संस्कृति में ही लोगों के मूल्यों का समावेश होता है। अतः संस्कृति एक ऐसी चीज है जिसमें किसी समुदाय विशेष के मूल्यों का उसके वैश्विक दृष्टिकोण का और अन्य समुदायों के साथ उसके सम्बन्ध का परिचय अन्तर्निहित है। कुल मिलाकर समुदाय की समग्र गतिविधियों की वैचारिक अभिव्यक्ति का नाम ही संस्कृति है।

सांस्कृतिक मूल्य सतत हैं, किन्तु सातत्व को शाश्वत का पर्याय नहीं माना जा सकता। कारण सातत्व भी इतिहास में हैं सातत्व एक द्वन्दात्मक प्रक्रिया है जो इतिहास से परे समाज की हर चीज को प्रभावित कर रही है। अतः सतत होते हुए भी संस्कृति शाश्वत नहीं है।

पितृसत्ता परम शक्तिशाली है, उसके पास वह क्षमता है जिसके आधार पर वह उत्पादन का नियमन और वितरण करता है, ईश्वर ने नहीं बल्कि मनु जैसे कुछेक पुरूषों ने निश्चय किया कि महिलाओं की स्थिति कैसी होनी चाहिए, उसे कब और कितना मिलना चाहिए। सत्ता के इस वर्ग के पास जर्बदस्त भौतिक आधार हे। यह वर्ग समस्त बौद्धिक और वैचारिक शक्तियों, शिक्षा, भाषा, साहित्य आदि को विकसित और नियंत्रित कर सकता

है और इस प्रकार यह विशिष्ट पुरूष वर्ग समाज को शेष हिस्सों, जिसमें महिला भी शामिल है, एक विश्व दृष्टिकोण दे सकता है। किन्तु इसी कारण संस्कृति की चर्चा उस प्रभुत्वशाली वर्ग की चर्चा तक सीमित होकर रह जाती है। पितृसत्ता के विचारों और मूल्यों ने स्त्री को सीमित कर दिया है। ईमानदारी तो तब होती कि दो अलग–अलग संस्कृतियों की चर्चा की जाती। सत्तारूढ़ और शासित की। दो भिन्न संस्कृतियों का जायजा लिया जाता ताकि शासित ने अपने आपको जहाँ और जिस भाष में अभिव्यक्त किया है, जिन अनुभवों के आधार पर उसने अपनी संस्कृति को निर्मित किया है, उन्हें महत्व दिया जाता। शासित अपने मूल्यों को प्राथमिकता देता पाता। अतः सत्ता की संस्कृति अल्पमत की संस्कृति है। शोषित की संस्कृति बहुमत में हैं किन्तु शोषितों के समुदाय में भी जाति, वर्ग एवं नागरिकता के स्तर पर महिलाएं सबसे अधिक शोषित हैं क्या इससे इंकार किया जा सकता है बुर्जआ होते हुए भी महिला किसी भी रूप में बुर्जआ नहीं है। सत्ता के करीब रहते हुये भी सत्ताधारी नहीं है। महिला को इस प्रभुत्वशाली पुरूष ने वह स्वीकृति प्रदान नहीं की। किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय का अधिकार नहीं। यह बात दो विपरीत संस्कृतियों के देश चीन और अमेरिका दोनों देशो में समान रूप से लागू है। हमारे देश में तो यह दोनों परस्पर विरोधी संस्कृतियाँ मौजूद हैं। हालांकि यह भी सत्य है कि महिलाओं के सांस्कृतिक मूल्य शोषित वर्ग के संघर्ष से उत्पन्न हुए हैं और इसलिए आज स्त्री संघर्ष की चर्चा की जा रही है, ताकि एक भावी समाज का निर्माण किया जा सके। स्त्री पुरूष की इस सांस्कृतिक भिन्नता की अभिव्यक्ति कोई आज की घटना नहीं है। यह भेद हमेशा विद्यमान रहा है।

महिलाएं जिस विभेद की राजनीति के विरूद्ध अपना संघर्ष शुरू करंती हैं, अंततः वह उसी की गिरफ्त में आ जाती है और महिलाएं ही महिलाओं के विरूद्ध मोर्चा खोल देती हैं। स्त्री समुदाय को स्वयं उसे झेलना सबसे अधिक पीड़ादायक होता है। नव संस्कृतिवाद की यह त्रासदी है कि अधिकतर स्थापित एवं विशिष्ट महिलाएं, महिला मुक्ति के प्रति उतनी संवेदनशील नहीं रह जाती, मुख्य धारा से जुड़ने वाली महिला अन्य महिलाओं के साथ तादात्म बोध भी नहीं करती। किसी भी संघर्ष की अनुभूति के स्तर तक झेलने और दूर से निर्णय देने में आधारभूत अन्तर होता है।

नव संस्कृतिवाद के इस दौर में इक्कीसवीं सदी के इन दिनों में अब स्थिति यह हो गई कि मीडिया से नई तरह की सूचनाएं तथा विशेष महिला चैनलों का प्रसार होने लगा है।

ट्रैड्स, फैशन चैनल, लाइफ एण्ड टूरिज्म, लाइफ स्टाइल, किड्स चैनल इत्यादि कुछ ऐसे चैनल भारतीय भाषाओं में शुरू हो गए हैं, जिनमें केवल महिलाओं की समस्याओं तथा उनसे जुड़े सांस्कृतिक मुद्दों को ही प्राथमिकता दी जाती है, इनसे कार्यशील महिलाओं में नये जज्बात और बदलाव के मुद्दे आ रहे हैं। अब किसी भी आयु वर्ग की महिला अपने को फैशन और सौंदर्य प्रसाधनों से दूर नहीं रखना चाहती।

समाचार पत्र, पत्रिकाओं को नियमित रूप से पढ़ना, राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र की प्रत्येक सूचनाओं का संकलन। टी0वी0 का मनोरंजन के साथ–साथ अन्य सम्यक उपयोग महिलाओं की आधुनिकता को प्रदर्शित करता है।

अध्ययन क्षेत्र औरैया जनपद की उत्तरदाता महिलाओं में विभिन्न पत्र पत्रिकाओं और समाचार पत्रों के पढ़ने की एक स्वस्थ और अच्छी आदत है। जब हमने उनसे यह प्रश्न किया कि क्या आप प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ती है? (सारणी–37) 294 (96.08 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने अपना उत्तर 'हाँ' में दिया और केवल 12 (03.92 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के पास प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ने का समय नहीं है। अन्य धर्मो को मानने वाली शत–प्रतिशत उत्तरदाता प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ती हैं। वहीं दूसरी ओर अनुसूचित जाति की उत्तरदाताओं का प्रतिशत सबसे कम किन्तु फिर भी 92.42 प्रतिशत है। महिलाओं के द्वारा इतनी बड़ी मात्रा में प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ना। वस्तुतः सांस्कृतिक परिवर्तन की दिशा को सपष्ट करता है, वस्तुतः औरैया जैसे एक छोटे जनपद में जहाँ नव–सांस्कृतिक मूल्य अपने शैशव काल में है 'मीडिया' एवं सूचना प्रौद्योगिकी के प्रति महिलाओं का आकर्षण नव संस्कृतिवादी परिप्रेक्ष्य में महिलाओं की भूमिका का शुभ संकेत है।

सारणी सं0–37

उत्तरदाताओं के प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ने की स्थिति

क्र. सं.	उत्तर	जाति समूह				योग
		सवर्ण	पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अन्य धर्म के उत्तरदाता	
5.	हाँ	90	130	61	13	294
		(97.83)	(96.30)	(92.42)	(100.00)	(96.08)
6.	नहीं	02	05	05	00	12
		(02.17)	(03.70)	(07.58)	(0.00)	(03.92)
	योग	**92**	**135**	**66**	**13**	**306**
		(100.00)	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**

सारणी–38 यह प्रदर्शित करती है कि उत्तरदाताओं में किस प्रकार के समाचार पढ़ने में रूचि अधिक है। 163 (53.26 प्रतिशत) महिला उत्तरदाता अद्योपान्त पूरे सूाचार पत्र के सभी प्रकार के समाचारों को पढ़ती हैं क्योंकि समाचार पत्र पढ़ने मसे उनका मानसिक तनाव और शारीरिक थकान कम हो जाती है।

सारणी सं0–38

उत्तरदाताओं के द्वारा पढ़े जाने वाले समाचारों के प्रकार

क्र. सं.	समाचारों के प्रकार	जाति समूह				योग
		सवर्ण	पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अन्य धर्म के उत्तरदाता	
1.	विशेष / राजनैतिक	15	35	13	04	67
		(16.30)	(25.93)	(19.70)	(30.77)	(21.90)
2.	आर्थिक	10	15	08	00	33
		(10.87)	(11.11)	(12.12)	(0.00)	(10.78)
3.	खेल / मनोरंजन	12	18	11	02	43
		(13.04)	(13.33)	(16.67)	(15.38)	(14.06)
4.	पूरे सभी प्रकार के	55	67	34	07	163
		(59.79)	(49.63)	(51.51)	(53.85)	(53.26)
	योग	**92**	**135**	**66**	**13**	**306**
		(100.00)	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**

किन्तु अधिक व्यस्त उत्तरदाताओं में अपनी कुछ विशेष अभिरूचि के समाचार पढ़ने की आदत है। विशेष और राजनैतिक समाचार पढ़ने वाली उत्तरदाताओं की संख्या 67 (21.90 प्रतिशत) है, इनमें 15 (16.30 प्रतिशत) सवर्ण, 35 (25.93 प्रतिशत) पिछड़े वर्ग, 13 (19.70 प्रतिशत) अनुसूचित जाति

और 04 (30.77 प्रतिशत) अन्य धर्मो को मानने वाली उत्तरदाता है। जनपद के पिछड़े वर्ग के लोग अन्य की अपेक्षा राजनैतिक रूप से अधिक जागरूक हैं, महिलाएं भी इस दिशा में पुरूषों से पीछे नहीं हैं यही कारण हैं कि 25.93 प्रतिशत अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाएं समयाभाव में भी राजनैतिक सुर्खियों को जरूर पढ़ती है। आर्थक समाचारों के प्रति 33 (10.78 प्रतिशत) उत्तरदाताओं की अभिरूचि है इनमें 10 सवर्ण, 15 पिछड़े वर्ग और 08 अनुसूचित जाति की उत्तरदाता है। खेल और मनोरंजन सम्बन्धी पृष्ठों को 43 (14.06 प्रतिशत) उत्तरदाता महत्व देती हैं इनमें 12 सवर्ण, 18 पिछड़े वर्ग, 11 अनुसूचित जाति और 02 अन्य धर्मो को मानने वाली उत्तरदाता है।

समाचार पत्रों के द्वारा आकपेा किस प्रकार की सूचनाएं और समाचार मिलते हैं इस प्रश्न के उत्तर में महिलाओं ने ''सभी प्रकार के समचार और सूचनाएं'' मिलती ह यह बताते हुए नौकरी व्यापार, शिक्षा प्रतियोगिता, मनोरंजन, स्पोर्ट्स और फिल्म सम्बन्धी सूचनाएं और समाचार मिलने की बात स्वीकार की और यह कहा कि समाचार और मीडिया से जुड़ा प्रत्येक उपकरण महिलाओं के लिए नव संस्कृति का यन्त्र है जिनके माध्यम से महिलाओं के अन्दर जागरूकता और चेतना संचारित होती है।

नव सांस्कृतिक चेतना ने महिलाओं को प्रत्येक क्षेत्र में प्रभावित किया है दैनिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वे सूचना प्रौद्योगिकी समाचार पत्र–पत्रिकाओं, टेलीवीजन, रेडियो और कम्प्यूटर से प्रभावित और संचालित हो रही हैं। परम्परागत मान्यताएं और विश्वास समाप्त हो रहे हैं अथवा कमजोर पड़ते जा रहे हैं और नवीन सांस्कृतिक मूल्य गरिमा मण्डित हो रहे हैं।

समसामयिक परिस्थितियों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष अर्थात् सम्पूर्ण साधन चतुष्ठ्य अर्थात् हमारा पुरूषार्थ सूचना प्रौद्योगिकी और मीडिया पर निर्भर है। सांस्कृतिक मूल्यों और परम्पराओं में परिवर्तन आने से अब नव संस्कृतिवाद का दौर चल रहा है और महिलाओं की भूमिकाओं में परिवर्तन स्पष्ट रूप से सामने आ रहे हैं। नारी की भूमिका अब 'क्रान्ति–चेतना' के रूप में दिखाई देने लगी है।

आज कल 'नारी–वाद' शबद का भूण्डलीकरण हो चुका है। औरत की आजादी, उसकी जागरूकता अपने अधिकारों के प्रति 'हक' की लड़ाई उसकी सांस्कृतिक पहचान बनती जा रही है, इसके लिए अब वह अपनों से जुडे परम्परागत मूल्यों को बदलने के लिए मजबूर हो रही है। महान चिन्तकों के विचारों को महिलाएं जब कार्यरूप में परिणत करना चाहती हैं तो उस दौरान उसे अपने जीवन के प्रसंग में इन विचारें की सीमा, उनकी अन्तर्निहित पुरूष केन्द्रीयता और महिला द्वेष भी समझ में आता है।

अनेकों महिलाओं के अनुसार नारीवादी विचार धारा और महिलाओं से जुड़ी नव–संस्कृतिवादी चेतना का आधार और उनकी भूमिका का स्रोत पश्चिम रहा है अर्थात् नव संस्कृतिवाद भारतीय संदर्भ में एक आयातित विचार धारा है और इस विचारधारा की पैरोकार पश्चिमी मध्यम वर्गीय स्त्रियां है।

आधी दुनिया होने के कारण महिलाओं की मुक्ति बहुसंख्यक जनता की मुक्ति की पर्याय समझी जानी चाहिए। किन्तु होता यह है कि वैचारिक स्तर पर मानवमुक्ति की चर्चा में चिन्तक, विचारक, दार्शनिक और सामाजिक शोधकर्ता मान लेते हैं कि सबसकी जागरूकता भी सम्मिलित है।

महिलाओं की दैनिक मनोवृत्तियों में परिवर्तन आ रहा है अब वे पुरूषों की मुखापेक्षी नहीं है उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में बदलाव आ रहे हैं, गृह उपयोगी वस्तुओं को क्रय करने में अब वे स्वतन्त्र निर्णय लेने में विश्वास करती हैं। जब उत्तरदाताओं से गृह उपयोगी वस्तुओं को क्रय करते समय उनकी मनोवृत्ति के सम्बन्ध में प्रश्न किया तो सारणी–39 के अनुसार उत्तर प्राप्त हुये।

सारणी सं0–39

वस्तुओं को क्रय करते समय उत्तरदाताओं की मनोवृत्ति

क्र. सं.	मनोवृत्ति	जाति समूह				योग
		सवर्ण	पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अन्य धर्म के उत्तरदाता	
1.	आई.एस.आई., एगमार्क या स्टैण्डर्ड के0 की वस्तु	42	61	12	07	122
		(45.65)	(45.18)	(18.18)	(53.85)	(39.87)
2.	वस्तु अच्छी और सस्ती हो	19	42	33	03	97
		(20.65)	(31.11)	(50.00)	(23.08)	(31.70)
3.	वस्तु सुन्दर होनी चाहिए	22	22	08	02	54
		(23.92)	(16.30)	(12.12)	(15.38)	(17.65)
4.	जो मिल गया वहीं क्रय कर लिया	09	10	13	01	33
		(09.75)	(07.41)	(16.70)	(07.69)	(10.78)
	योग	**92**	**135**	**66**	**13**	**306**
		(100.00)	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**

आई.एस.आई., एगमार्क और स्टैण्डर्ड कम्पनियों की वस्तुओं को खरीदने में 122 (39.87 प्रतिशत) महिला उत्तरदाताओं का विश्वास है, जबकि

अच्छी और सस्ती वस्तुयें खरीदना 97 (31.70 प्रतिशत) उत्तरदाताओं की हॉबी है इनमें 20.65 प्रतिशत सवर्ण, 31.11 प्रतिशत पिछड़े वर्ग, 50.00 प्रतिशत अनुसूचित जाति और 23.08 प्रतिशत अन्य धर्मो की उत्तरदाता हैं। वस्तुओं के भोतिक आकर्षण के प्रति आकर्षित होने वाली उत्तरदाताओं की संख्या 54 (17.65 प्रतिशत) है। इन उत्तरदातओं का मानना है कि वस्तु का सुन्दर होना उनकी प्राथमिकता है। इस मनोवृत्ति की उत्तरदाताओं में 23.92 प्रतिशत उत्तरदाता सवर्ण है, 16.30 प्रतिशत उत्तरदाता पिछड़े वर्ग की हैं, 12.12 प्रतिशत उत्तरदाता अनुसूचित जाति वर्ग की हैं और 15.38 प्रतिशत उत्तरदाता अन्य धर्मो को मानने वाली है। जो भी जैसी भी वस्तु मिल जाए उसको खरीद लेने की आदत 33 (10.78 प्रतिशत) उत्तरदाताओं की हैं। इनमें 09.78 प्रतिशत सवर्ण, 07.41 प्रतिशत पिछड़े वर्ग, 16.70 प्रतिशत अनुसूचित जाति और 07.69 प्रतिशत अन्य धर्मो को मानने वाली उत्तरदाता सम्मिलित है।

नव सांस्कृतिक परिपेक्ष्य में इलेक्ट्रानिक और प्रिन्ट मीडिया ने महिला वर्ग की भूमिका को प्रभावित किया है वस्तुओं को खरीदने में टी0वी0, समाचार पत्र–पत्रिकाओं के विज्ञापन बहुत सहायता करते हैं। वस्तुओं को क्रय करने में गुणवत्ता, कम्पनी, सस्ता होना और कमशीन या गिफ्ट भी उन्हें आकर्षित करते हैं। वस्तुओं को क्रय करने में उत्तरदाताओं को प्रभावित करने वाले कारकों में टी0वी0/समाचार पत्र एवं विज्ञापन 78 (25.49 प्रतिशत) उत्तरदाताओं को प्रभावित करते हैं (सारणी–40)। उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुये 105 (34.31 प्रतिशत) महिला उत्तरदाताओं को प्रभावित करती हैं जबकि बड़ी और प्रसिद्ध कम्पनियों की वस्तुएं 66 (21.57 प्रतिशत) उत्तरदाताओं को प्रभावित करती हैं इनमें 27.17 प्रतिशत सवर्ण, 22.96 प्रतिशत पिछड़े वर्ग,

12.12 प्रतिशत अनुसूचित जाति और 15.38 प्रतिशत अन्य धर्मो को मानने वाली उत्तरदाता हैं। वस्तुओं का सस्ता और कम मूल्य का होना 27 (07.19 प्रतिशत) उत्तरदाताओं को प्रभावित करता है और वस्तुओं को खरीदने में छूट, कमीशन या गिफ्ट 30 (09.80 प्रतिशत) उत्तरदाताओं को प्रभावित कर रहा है। इन उत्तरों से यह तथ्य तो स्पष्ट है कि महिलाओं की भूमिका प्रतिमान बदल रहे हैं और दैनिक जीवन में उनकी सांस्कृतिक भूमिका नये परिप्रेक्ष में सामने आ रही है। भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता के अधिकार के अतिरिक्त विभिन्न अनुच्छेदों मं ऐसे कई प्रावधान किए गए हैं जो महिलाओं की सांस्कृतिक चेतना को विकसित करते हैं।

सारणी सं0–40

वस्तुओं को क्रय करने में उत्तरदाताओं को प्रभावित करने वाले कारक

क्र. सं.	प्रभावित करने वाले कारक	जाति समूह				योग
		सवर्ण	पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अन्य धर्म के उत्तरदाता	
1.	टी0वी0 / समाचार पत्र एवं विज्ञापन	15	33	28	02	78
		(16.30)	(24.44)	(42.42)	(15.38)	(25.49)
2.	उच्च गुणवत्ता	38	42	17	08	105
		(41.30)	(31.11)	(25.76)	(61.54)	(34.31)
3.	बड़ी और प्रसिद्ध कम्पनी	25	31	08	02	66
		(27.17)	(22.96)	(12.12)	(15.38)	(21.57)
4.	कम मूल्य (सस्तापन)	08	13	06	00	27
		(08.70)	(09.63)	(09.09)	(0.00)	(07.19)
5.	कमीशन (गिफ्ट)	06	16	07	01	30
		(06.53)	(11.85)	(10.61)	(07.70)	(09.80)
	योग	**92**	**135**	**66**	**13**	**306**
		(100.00)	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**

आई. सपरा (1967) किसी भी आर्थिक व्यवस्था का प्रमुख कार्य होता है विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाकलापों के मध्य समुचित परिमाणात्मक सन्तुलन बनाये रख्ना। यह तभी सम्भव है जब पुरूषों और महिलाओं को समाज में समान स्वतन्त्रता प्राप्त हो। महिलाओं की समान सहभागिता न केवल उनके विकास वरन् सम्पूर्ण देश के विकास की एक आवश्यक पूर्व शर्त है। अतः स्पष्ट है कि मानवीय संसाधनों का विकास राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक विकास के लिए नितान्त आवश्यक है। यह कार्य तभी सम्भव है जब महिलाओं को आर्थिक जीवन में भाग लेने का पूर्ण अवसर प्राप्त है। परम्परागत भारतीय समाज महिलाओं को आर्थिक स्वतन्त्रता के समान अवसर प्रदान कर नव संस्कृतिवाद की आधारशिला रख चुका है। सूचना प्रौद्योगिकी के संसाधन निरन्तर महिलाओं को कार्य क्षमता का विस्तार कर उनकी रचनाशीलता को प्रभावित कर रहे हैं। हमारी उत्तरदाताओं में 278 (90.85 प्रतिशत) उत्तरदाता ऐसी हैं जो टेलीवीजन/रेडियों, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं आदि से गृह उपयोगी वस्तुओं को बनाना सीखती है और प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूप से अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बना रही हैं। 88 (09.15 प्रतिशत) उत्तरदाता ऐसा करने में रूचि नहीं रखती। सारणी–41 में हमने स्पष्ट किया है कि उत्तरदाता समाचार पत्र, वीकली मैग्जीन, मासिक पत्रिकाओं एवं टेलीवीजन के विभिन्न कार्यक्रमों से किस–किस प्रकार की वस्तुओं और सूचनाओं का संग्रह कर अपने ज्ञान–विज्ञान और आर्थिक, सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ बना रही है।

सारणी सं0–41

टी0वी0 एवं समाचार पत्रों के द्वारा उत्तरदाताओं के सीखने का प्रकार

क्र. सं.	प्रकार	जाति समूह				योग
		सवर्ण	पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अन्य धर्म के उत्तरदाता	
1.	गृह उपयोगी वस्तुएं	20	43	22	04	89
		(21.74)	(31.85)	(33.33)	(30.77)	(29.00)
2.	आर्थिक विकास एवं उन्नति की वस्तुएं	35	32	24	05	96
		(38.00)	(23.70)	(36.36)	(38.47)	(31.37)
3.	बागवानी एवं गृह वाटिका	08	30	07	02	47
		(08.70)	(22.23)	(10.61)	(15.38)	(15.37)
4.	स्वास्थ्य सम्बन्धी	07	25	07	02	41
		(07.61)	(18.52)	(10.61)	(15.36)	(13.40)
5.	सभी प्रकार की वस्तुएं	22	05	06	00	33
		(23.90)	(03.70)	(09.09)	(0.00)	(10.78)
	योग	**92**	**135**	**66**	**13**	**306**
		(100.00)	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**

उत्तरदाताओं की मानसिक स्थिति और भूमिका संघर्ष में सूचना प्रौद्योगिकी विशेष रूप से टेलीवीजन और समाचार पत्र पत्रिकायें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं जब महिलाएं परम्परागत विधियों से वस्तुओं को बनाना अथवा, आर्थिक विकास स्वास्थ्य सम्बन्धी नुक्शे या बागवानी आदि सीखना पसन्द नहीं करती बल्कि अपने सीखने के शौक को सूचना संसाधनों से पूरा करती हैं। हमारी उत्तरदाताओं में 89 (29.00 प्रतिशत) महिलाएं ऐसी है जो गृह उपयोगी वस्तुओं को बनाना या परिमार्जित करना टी0वी0 और समाचार पत्र अथवा मैगजीन से सीख रही हैं क्योंकि परम्परागत तरीके अब फैशन से

बाहर हो गए है। आर्थिक विकास और उन्नति से सम्बन्धित वस्तुएं जैसे सिलाई–कढ़ाई, बुनाई, बुटिक, फैशन डिजाइनिंग, खिलौने बनाना आदि 96 (31.37 प्रतिशत) उत्तरदाता टी0वी0 और मैगजीन से सीखती हैं। बागवानी और गृह वाटिका 47 (15.37 प्रतिशत) महिला उत्तरदाताओं की हॉबी है अतः वे इनकी नयी–नयी विधियां और हुनर सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सीखती हैं और गृह वाटिका का आनन्द उठाती है जो पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी उपयोगी है। स्वास्थ्य और सेहत के प्रति आकर्षण या सोन्दर्य प्रसाधन की नई–नई तकनीक, नुख्शे जानना सीखना और प्रयोग में लाने के लिए टी0वी0 इन्टरनेट और मैगजीन का प्रयोग करने वाली 41 (13.40 प्रतिशत) उत्तरदाता हैं। इनके अतिरिक्त 33 (10.78 प्रतिशत) उत्तरदाता ऐसी हैं जो सभी प्रकार के हुनर और वस्तुओं को बनाना और अपने कैरियर को सुधारने में सूचना प्रौद्योगिकी के संसाधन निरन्तर सहायता करते हैं। जन संचार, सम्प्रेषण और सूचना प्रौद्योगिकी का सामाजिक परिवर्तन नव सांस्कृतिक चेतना, प्रगति, स्थिरता एवं निरन्तरता एवं सांस्कृतिक मूल्यो को समझने की दृष्टि से बहुत महत्व है।

महिलाओं की आर्थिक पराधीनता और आश्रित स्थिति समाज में पुरूष और स्त्रियों के मध्य कार्यो के विभाजन का प्रमुख आधार है और इन्हीं सांस्कृतिक मूल्यों के कारण महिलाओं का शोषण होता जारहा है। सामान्यतः यह आदर्श और मूल्य स्थापित हैं कि महिलाओं का कार्य क्षेत्र पारिवारिक कार्यो तक ही केन्द्रीत होना चाहिए और उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक उत्पादन के कार्यो से विरत रहना चाहिए। मार्क्स के अनुसार नारी मुक्ति और पुरूषों के बराबर उनकी समानता तब तक सम्भव नहीं है, जब तक महिलाओं को केवल गृहस्थी के कार्य जो कि निजी कार्य है, तक केन्द्रीत

रखा जाए तथा उन्हें सामाजिक रूप से उत्पादक कार्यो में संलग्न न किया जाए। 21वीं शताब्दी के नव सांस्कृतिक मूल्य महिलाओं को नई कार्य दिशा और दशा प्रदान कर रहे हैं।

हमारे अध्ययन क्षेत्र में महिलाएं निरन्तर परम्परावादी रूढ़िगत सांस्कृतिक मूल्यों को अस्वीकार कर रही हैं और सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा उनकी दैनिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक भूमिकाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तित किया जा रहा है। टेलीवीजन और मैगजीन के विज्ञापन और प्रचार महिलाओं को निरन्तर प्रभावित कर रहे हैं। 290 (94.77 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने यह स्वीकारा कि प्रत्यक्ष रूप से टेलीवीजन और सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न आयाम महिलाओं की भूमिकाओं को प्रभावित कर रहे है। केवल 16 (05.23 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के द्वारा इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया गया। जब हमने अपने उत्तरदाताओं से यह प्रश्न किया कि सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न आयाम और साधन आपको किन–किन क्षेत्रों में प्रभावित करते हैं और आपकी भूमिका में क्या परिवर्तन आ रहा है। तो सात प्रकार के उत्तर प्राप्त हुए।

सारणी सं0–42

सूचना प्रौद्योगिकी के विज्ञापनो का उत्तरदाताओं पर प्रभाव

क्र. सं.	प्रभाव क्षेत्र	जाति समूह				योग
		सवर्ण	पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अन्य धर्म के उत्तरदाता	
1.	राजनीति	09	22	23	04	68
		(09.78)	(16.30)	(34.85)	(30.77)	(22.22)
2.	आर्थिक / व्यापारिक	32	48	21	03	104
		(34.78)	(35.56)	(31.82)	(23.08)	(33.99)
3.	नौकरी / जॉब	05	12	04	03	24
		(05.43)	(08.89)	(06.06)	(23.08)	(07.84)
4.	धार्मिक / पारिवारिक एवं सामाजिक	12	15	08	01	36
		(13.06)	(11.11)	(12.12)	(07.70)	(11.76)
5.	संस्कृति / फैशन	19	20	08	0	47
		(20.65)	(14.81)	(12.12)	(0.00)	(15.36)
6.	स्वास्थ्य / सूचना एवं ज्ञान	15	18	02	02	37
		(16.30)	(13.33)	(03.03)	(15.38)	(12.09)
	योग	**92**	**135**	**66**	**13**	**306**
		(100.00)	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**

1.	जीवन के सभी क्षेत्र	89	105	56	12	262
		(96.74)	(77.78)	(84.85)	(92.31)	(85.62)
2.	पता नहीं	03	30	10	01	44
		(03.26)	(22.22)	(15.15)	(07.69)	(14.38)
	योग	**92**	**135**	**66**	**13**	**306**
		(100.00)	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**

उत्तरदाताओं को सूचना प्रौद्योगिकी के विज्ञापन और प्रचार सर्वाधिक आर्थिक और व्यापारिक क्षेत्र में प्रभावित करते हैं 104 (33.99 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने यह स्पष्टतः स्वीकार किया कि उनके आर्थिक और व्यापारिक जीवन पर सूचना प्रौद्योगिकी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। किन्तु नौकरी और जॉब के क्षेत्र में इसके प्रभाव एवसं सहायता को केवल 24 (07.84 प्रतिशत) महिला उत्तरदाताओं ने ही स्वीकार है 68 (22.22 प्रतिशत) महिला उत्तरदाताओं ने अपने राजनैतिक मनोवृत्तिर पर सूचना संसाधनों के प्रभाव को स्वीकारा है। धार्मिक, सामाजिक एवं पारिवारिक क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से 36 (11.76 प्रतिशत) महिला उत्तरदाताओं की भूमिका में परिवर्तन आया है। 47 (15.36 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि हमारे सांस्कृतिक प्रतिमान, रहन–सहन, रीति–रिवाज, खान–पान और फैशन के नवीनतम आयामों के ऊपर सूचना प्रौद्योगिकी का स्पष्ट और काफी प्रभाव पड़ता है। और हमारे सांस्कृतिक मूल्यों में परिवर्तन आ रहा है। स्वास्थ्य, सूचना एवं ज्ञान के क्षेत्र में 37 (12.09 प्रतिशत) उत्तरदाता सूचना प्रौद्योगिकी में प्रभावित हैं (सारणी–42)। डिस्कवरी, योगा, नियो, आस्था आदि टी0वी0 चैनल और कम्प्यूटर की इण्टरनेट सुविधा इन्हें इन क्षेत्रों में प्रभावित करते हैं।

अपने प्रश्नों की श्रृंखला के औचित्य के परीक्षण के लिए जब हमने परिशिष्ट मूलक प्रश्न किया कि क्या जीवन के सभी क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है? तो आशातीत उत्तर प्राप्त हुआ। हमारे 306 उत्तरदाताओं में से 262 (85.62 प्रतिशत) महिला उत्तरदाताओं ने सकारात्मक उत्तर देते हुए इसकी अपने जीवन में भूमिका को महत्वपूर्ण रूप में स्वीकारा और नव सांस्कृतिक चेतना का संवाहक माना है।

44 (14.38 प्रतिशत) उत्तरदाताओं को स्पष्टतः यह नहीं पता कि सूचना प्रौद्यो!गिकी के संसाधन उन्हें कैसे और कितना प्रभावित कर रहे हैं या उनके जीवन के किन–किन क्षेत्रों में किन कारणों से परिवर्तन आ रहा है।

संसार प्रगतिशील है। अतः महिलाओं के कार्यक्षेत्रों में भी प्रगतिशीलता है। अब वह समय नहीं है कि महिलाओं को घर की चाहरदीवारी में बन्द रखा जाए। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने (1948–49) ने स्पष्ट रूप से अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा ''घर की देखभाल करना महिलाओं का मुख्य कार्य है और आगे भी रहेगा। फिर भी उनकी भूमिका सीमित नहीं रहनी चाहिए। विभिन्न परिस्थितियों के कारण उन्हें जीवन के अनेक क्षेत्रों में कार्य करने की आवश्यकता हो सकती है। स्ि्यों को भी समान अवसर मिलने चाहिए। महिलाओं को सामाजिक बन्धनों से मुक्त होकर अपने उद्देश्यों को प्रापत करने के लिए स्वयं निश्चित करने का अवसर मिलना चाहिए।'' आज सूचना प्रौद्योगिकी ने महिलाओं की तरक्की के द्वार खोल दिये है अब उनको परम्परागत कार्यो के साथ–साथ अनेको ऐसे अवसर प्राप्त हो रहे हैं जो उनके और परिवार के आर्थिक विकास को सांस्कृतिक मूल्यों के सापेक्ष बनाए हुये है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनौपचारिक शिक्षा योजना के आधीन ऐसे अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों को, जो केवल बालिकाओं के लिए हैं, 90 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। महिलाओं के अनौपचारिक केन्द्रों का संचित योग 01.18 लाख है केन्द्रों की कुल संख्या 2.41 लाख है। संचेतन कार्यवाही से नवोदय विद्यालयों में बालिकाओं का 30.91 प्रतिशत तक प्रवेश सुनिश्चित हो गया है।

पूर्ण साक्षरता अभियानों में महिलाओं को पूर्ण अधिकार देने के उद्देश्य पर विशेष ध्यान दिया गया है। चूंकि भारत में महिला साक्षरता दर पुरूषों से काफी कम हैं, अतः ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्ण साक्षरता अभियानों के अन्तर्गत महिला अध्येता पुरूष अध्येताओं को पीछे छोड़ जाएगी। अब तक वंचित वर्गो को उनके अधिकार प्रदान करने के सम्बन्ध में सामाजिक जागरूकता महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से महिलाओं की जागरूकता ने उनमें नव सांस्कृतिक चेतना का प्रादुर्भाव किया है। यह मुख्यतः महिलाओं की शिक्षा की वजह से हुआ है।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सामान्य और तकनीकी दोनों दृष्टियों से महिलाओं के लिए शैक्षिक अवसरों में असाधारण/अद्‌भुत विस्तार हुआ है। विश्वविद्यालय और कॉलेज स्तरों पर महिला शिक्षा में विविधता आयी है और समाज प्रौद्योगिकी, उद्योग और व्यापार की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार उनका प्रबोधन किया गया है। उच्च और तकनीकी शिक्षा संस्थानों में महिलाओं के नामांकन की संख्या 1950–51 से 2007–08 तक बढ़कर 65 गुणा से भी अधिक हो गयी है। कुल नामांकन की प्रतिशत के रूप में महिलाओं का नामांकन का प्रतिशत 1981–82 से 27.7 प्रतिशत से बढ़कर 2007–08 में 42.8 प्रतिशत हो गया।

भारतीय सभ्यता और संस्कृति के संवाहक के रूप में धर्म को निरन्तर स्वीकार किया जाता रहा है अतः सांस्कृतिक चेतना के उत्प्रेरक के रूप में धर्म की भूमिका को महिलाओं के लिए अस्वीकार नहीं किया जा सकता। आज की नारी में नव चेतना जागृत हुई है। वह अपने अधिकारों के प्रति पूर्णरूप से जागरूक हो गयी है। मनुवादी सांस्कृतिक मूल्य और प्रतिमान

अब महिलाओं को किसी भी प्रकार के धार्मिक कृत्यों में अपनी भूमिका निर्वाहन से नहीं रोक पाते केवल पति को ही ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश मान लेना या समस्त देवताओं और तीर्थो का दर्शन पति में ही कर लेना, आधुनिक सुसंस्कृत महिलाओं को स्वीकार नहीं है। महिलाओं की भूमिका धर्म और संस्कृति के क्षेत्र में भी निरन्तर प्रगति पर है और सूचना प्रौद्योगिकी उनकी भूमिका को निरन्तर नवीनतम आयाम दे रही है। प्रत्येक धार्मिक संस्कार और कार्य जिन पर केवल पुरूष वर्ग का एकाधिपत्य सदियों से चला आ रहा था उन पर महिलाओं ने अपनी भूमिका सुनिश्चित कर ली है। भागवत कथा पाठ, अन्तिम संस्कार कराना, यज्ञ अनुष्ठानों का सम्पादन सभी पर महिलाएं अधिकार करती जा रही हैं।

हमारी उत्तरदाताओं में 255 (83.33 प्रतिशत) महिलाएं किसी न किसी धार्मिक संगठन की सदस्य है, केवल 51 (16.67 प्रतिशत) उत्तरदाता धार्मिक संगठनों की सदस्य नहीं है किन्तु दूरदर्शन के आस्था, संस्कार एवं अन्य धार्मिक चैनलों का प्रयोग दैनिक जीवन की मंगलमाय शुरूआत के लिए करती है। आज नारी ने समाज में अपना अलग ही वजूद बना लिया है। आज की महिलाएं किसी भी क्षेत्र या मामले में पुरूषों से पीछे नहीं हैं। आज की महिलाएं अब अपने को पुरूषों पर आश्रित या निर्भर नहीं मानती। इस क्षेत्र में एक नव संस्कृतिवाद ने महिलाओं की खास और आम भूमिकाओं को प्रभावित किया है। वे स्वंय अपनी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठ भूमि में बदलाव ला रही हैं और सूचना प्रौद्योगिकी इसमें उनकी भरपूर मदद कर रही है। अब महिलाएं स्वयं कमाकर अपने एवं अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है। संवैधानिक अधिकार और व्यवस्था महिलाओं की 'हक' की लड़ाई में उनके साथ है। आधुनिक महिलाओं ने शालीनता के साथ सामाजिक,

राजनैतिक, धार्मिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी एवं अन्रू विभिन्न क्षेत्रों में अपनी बहुमूल्य भूमिका के द्वारा अच्छी पैठ बना ली है। उन्हें उचित सम्मान भी मिल रहा है।

उपभौकता मूल्यों को समझना, अपने अधिकारों को पहचानना, उत्पादकों के द्वारा उपभोकता और ग्राहकों को ठगा जाना अब महिलाओं को पसन्द नहीं है वे सूचना प्रौद्योगिकी के विज्ञापनों से निरन्तर सजग हो रही है। 248 (77.77 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने टी0वी0 में ''जागो ग्राहक जागों' राष्ट्रीय कार्यक्रम का प्रचार देखा है किन्तु 68 (22.23 प्रतिशत) इससे अनभिज्ञ है। जिन महिला उत्तरदाताओं ने इस प्रचार एवं राष्ट्रीय जागरूकता के प्रति अपनी सहमति व्यक्त की उनका यह कहना था कि अखबारों और पत्र–पत्रिकाओं में भी इस प्रकार के विज्ञापन आता हैं इनसे महिलाओं में जागरूकता आती है क्योंकि आज की व्यस्त जिन्दगी में पुरूषों की अपेक्षा बाजार में क्रय विक्रय का कार्य महिलाएं अधिक करती हैं अतः उनका सजग रहना अनिवार्य है।

202 (66.01 प्रतिशत) उत्तरदाता यह जानती है कि इस विज्ञापन का सम्बन्ध 'उपभोक्ताओं के अधिकारों' से है। 30 (09.80 प्रतिशत) उत्तरदाता ने इसे 'नागरिक अधिकारों' से जोड़ा, केवल 04 (01.31 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने इसे 'महिलाओं के हितों' की रक्षा करने वाला बताया, जबकि 02 (0.65 प्रतिशत) उत्तरदाताओं को 'पता नहीं' कि यह विज्ञापन/प्रचार क्यों किया जाता है।

आज हमारे देश की कुछ महिलाएं जो आधुनिक शिक्षा और नव संस्कृतिवाद से दीक्षित हैं व्यापक सोच और चिन्तन रखती हैं वे स्त्री दमन

को अभिव्यक्त करने में अधिक समर्थ हैं। भाषा, सत्ता, अर्थ सभी कुछ उनके पास है। वे अपने अधिकारों कर्त्तव्यों और भूमिकाओं के प्रति सजग है और सूचना प्रौद्योगिकी के स्रोत निरन्तर उन्हें जागरूक नागरिक बना रहे हैं, उनके अन्दर स्वयं के स्त्री होने का कोई मलाल या हीनत्व की भावना नहीं है। वे गर्व और फक्र से अपने को 'महिला' मानती है और महिलाओं के अधिकारों के प्रति सचेत है। हमारी उत्तरदाताओं में अपने अधिकारों के प्रति सचेत महिलाओं की संख्या 292 (95.42 प्रतिशत) है, केवल 14 (04.58 प्रतिशत) उत्तरदाता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है।

सारणी सं0–43

उत्तरदाताओं की महिला अधिकारों के प्रति जागरूकता

क्र. सं.	जागरूकता	जाति समूह				योग
		सवर्ण	पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अन्य धर्म के उत्तरदाता	
1.	है	90	128	62	12	292
		(97.83)	(94.81)	(93.94)	(92.30)	(95.42)
2.	नहीं	02	07	04	01	14
		(02.17)	(03.19)	(06.06)	(07.70)	(04.58)
	योग	**92**	**135**	**66**	**13**	**306**
		(100.00)	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**

जाति समूह के आधार पर विभाजित करने पर 90 (97.83 प्रतिशत) सवर्ण, 188 (94.81 प्रतिशत) पिछड़े वर्ग, 62 (93.94 प्रतिशत) अनुसूचित जाति, 12 (92.30 प्रतिशत) अन्य धर्मो को मानने वाली उत्तरदाता है। बहुत कम अन्तराल से ही सही सवर्ण और अनुसूचित जाति के उत्तरदाताओं में अधिकारों के प्रति जागरूकता के प्रतिशत में अन्तर यह स्पष्ट करता है कि

सवर्णो की अपेक्षा अनुसूचित जाति की महिलाओं में सामाजिक चेतना और अधिकारों के प्रति जागरूकता का अभाव है।

उत्तरदाताओं में अपने अधिकारों और भूमिकाओं के प्रति जागरूकता कैसे आई कौन से मध्यम/साधन उनको प्रभावित और जागरूक बनाते हैं इस तथ्य का विश्लेषण सारणी–44 में किया है।

शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और महिला आन्दोलनों, संगठनों के माध्यम से 162 (35.29 प्रतिशत) उत्तरदाताओं में अपने धिकार और स्वाभिमान के प्रति चेतना और जागरूकता का संचार हुआ। इनमें सवर्ण उत्तरदाताओं की संख्या 55 (59.78 प्रतिशत), पिछड़े वर्गो की उत्तरदाताओं की संख्या 36 (26.67 प्रतिशत) अनुसूचित जाति के उत्तरदाता 15 (22.73 प्रतिशत) और अन्य धर्मो की उत्तरदाता केवल 02 (15.38 प्रतिशत) अर्थात शिक्षा एवं प्रशिक्षण का वास्तविक लाभ सवर्ण महिलाओं के द्वारा लिया जा रहा है जबकि अन्य समूहों की महिलाएं शिक्षा को नौकरी प्राप्त का माध्यम मानती है।

सारणी सं0–44

उत्तरदाताओं में महिला अधिकारों के प्रति जागरूकता (चेतना) का माध्यम

क्र. सं.	जागरूकता का माध्यम	जाति समूह				योग
		सवर्ण	पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अन्य धर्म के उत्तरदाता	
1.	शिक्षा, प्रशिक्षण एवं महिला आन्दोलन	55	36	15	02	108
		(59.78)	(26.67)	(22.73)	(15.38)	(35.29)
2.	टेलीवीजन	22	40	28	02	92
		(23.91)	(29.63)	(42.42)	(15.38)	(30.07)
3.	समाचार पत्र एवं मैगजीन्स	05	32	11	04	52
		(05.43)	(23.70)	(16.67)	(30.77)	(16.99)
4.	अन्यच– सहकर्मी एवं शिक्षक	08	20	08	04	40
		(08.70)	(14.81)	(12.12)	(30.77)	(13.07)
5.	अधिकारों का ज्ञान नहीं	02	07	04	01	14
		(02.17)	(03.19)	(06.06)	(07.70)	(04.58)
	योग	**92**	**135**	**66**	**13**	**306**
		(100.00)	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**

टेलीवीजन और इलेक्ट्रानिक मीडिया के द्वारा अपने अधिकारों के प्रति सचेत होने वाली महिला उत्तरदाताओं की संख्या 92 (30.07 प्रतिशत) है। इनमें अपने अधिकारों के प्रति रूझान और आकर्षण टेलीवीजन और रेडियो आदि के माध्यम से पैदा हुई। इन उत्तरदाताओं में 22 (23.91 प्रतिशत) सवर्ण जातियों के उत्तरदाता, 40 (29.63 प्रतिशत) पिछड़े वर्ग की जातियों की उत्तरदाता, 28 (42.42 प्रतिशत) अनुसूचित जातियों की उत्तरदाता और 02 (15.38 प्रतिशत) अन्य धर्मो की उत्तरदाता है।

समाचार पत्र एवं मैगजीन को महिला अधिकारों के प्रति जागरूक करने का माध्यम बताने वाली उत्तरदाताओं की संख्या 52 (16.99 प्रतिशत) है। इनमें 05 (05.43 प्रतिशत) सवर्ण, 32 (23.70 प्रतिशत) पिछड़े वर्ग, 11 (16.67 प्रतिशत) अनुसूचित जाति और 04 (30.77 प्रतिशत) अन्य धर्मो को मानने वाली उत्तरदाता है।

अपने सहकर्मियों, शिक्षक और नेताओं को महिला अधिकारों की उत्प्रेरक मानने वाली उत्तरदाताओं की संख्या 40 (13.07 प्रतिशत) है। इनमें सर्वाधिक संख्या 20 (14.81 प्रतिशत) अन्य पिछड़े वर्ग की उत्तरदाता है। 08 (08.70 प्रतिशत) सवर्ण, 08 (12.12 प्रतिशत) अनुसूचित जातियों और 04 (30.77 प्रतिशत) अन्य धर्मो की उत्तरदाता है।

नव सांस्कृतिक चेतना का प्रादुर्भाव महिलाओं के अन्दर आर्थिक और व्यावसायिक स्वतन्त्रता और जागरूकता के द्वारा किया जा सकता है। हमारे अध्ययन में 281 (91.83 प्रतिशत) उत्तरदाता महिलाओं के लिए आर्थिक स्वतन्त्रता आवश्यक मानती है। आर्थिक स्वतन्त्रता से महिलाओं के अन्दर आत्म सम्मन और समानता का भाव पैदा होगा जो 'नारी चेतना' के लिए अनिवार्य है। केवल 25 (08.17 प्रतिशत) उत्तरदाता महिलाओं को आर्थिक स्वतन्त्रता प्रदान करने के पक्ष में नहीं है।

शत–प्रतिशत उत्तरदाता किसी न किसी नौकरी, जॉब या व्यवसाय में लगी है किन्तु उनके व्यवसाय करने से नौकरी/जॉब करने की अवधि अलग–अलग है। सारणी–45 में हमने अपनी उत्तरदाताओं की व्यवसाय/ नौकरी/जॉब करने की अवधि को पाँच भागों में बॉटा है। विवाह से पूर्व से, विवाह के बाद से पिछले पाँच वर्षो से, पिछले तीन वर्षो से और अन्य के

अन्तर्गत विशेष कारणों से जैसे पति की मृत्यु, अपंगता आदि के बाद को विश्लेषित किया है।

सारणी सं0–45

उत्तरदाताओं के द्वारा व्यवसाय/नौकरी/जॉब करने की अवधि

क्र. सं.	व्यवसाय/नौकरी/ जॉब करने की अवधि	जाति समूह				योग
		सवर्ण	पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अन्य धर्म के उत्तरदाता	
1.	विवाह पूर्व से	22	41	16	08	87
		(23.91)	(30.37)	(24.24)	(61.54)	(28.43)
2.	विवाह के बाद से	38	65	34	04	141
		(41.30)	(48.15)	(51.52)	(30.77)	(46.08)
3.	पिछले 5 वर्ष से	13	16	05	00	34
		(14.13)	(11.85)	(07.58)	(0.00)	(11.11)
4.	पिछले 3 वर्ष से	12	08	04	00	24
		(13.04)	(05.93)	(06.06)	(0.00)	(07.84)
5.	अन्य/पति की मृत्यु, अपंगता के बाद से	07	05	07	01	20
		(07.61)	(03.70)	(10.61)	(07.69)	(06.54)
	योग	**92**	**135**	**66**	**13**	**306**
		(100.00)	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**

उत्तरदाताओं की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में निरन्तर और महत्वपूर्ण बदलाव का इससे अधिक सटीक प्रमाण और क्या हो सकता है कि महिलाओं की आर्थिक भूमिका में निरन्तर परिवर्तन आ रहा है। 87 (28. 43 प्रतिशत) विवाह पूर्व जॉब में लगी हुई हैं, इनमें 22 (23.91 प्रतिशत) सवर्ण है, 41 (30.37 प्रतिशत) अन्य पिछड़े वर्ग की उत्तरदाता है, 16 (24.24

प्रतिशत) अनुसूचित और 08 (61.54 प्रतिशत) अन्य धर्मो को मानने वाली उत्तरदाता हैं। यहाँ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि इन महिलाओं के ससुराल वालों ने इनके जॉब करने में कोई आपत्ति नहीं की बल्कि इनके जॉब/नौकरी को निरन्तर बनाए रखा, सम्भवतः यह नव सांस्कृतिक चेतना ही है।

141 (46.08 प्रतिशत) उत्तरदाता विवाह के पश्चात नौकरी और जॉब में आयी है। विवाह क बाद पति और ससुराल वालो ने उनके टेलेण्ट को स्वीकार किया और उन्हें नौकरी करने की इजाजत दे दी। इन उत्तरदाताओं में जाति समूह के आधार पर विश्लेषिण करने पर 48 (41.30 प्रतिशत) सवर्ण, 65 (48.15 प्रतिशत) पिछड़े वर्ग की, 34 (51.52 प्रतिशत) अनुसूचित जाति और 04 (30.77 प्रतिशत) अन्य धर्मो को मानने वाली है। मूलतः हम इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि भारतीय पितृसत्तात्मक सांस्कृतिक व्यवस्था करवट ले चुकी है और महिलाओं के अहं की तुष्टि के लिए पति, पिता या ससुर उनकी आर्थिक स्वतन्त्रता को स्वीकार कर रहे हैं।

34 (11.11 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने पिछले पाँच वर्षो में और 24 (07.84 प्रतिशत) ने पिछले तीन वर्षो में अपने परिवार की आर्थिक मदद और बच्चों के विकास के लिए नौकरी करना प्रारम्भ किया है।

सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि हमारी उत्तरदाताओं में 20 (06.54 प्रतिशत) ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने पति की मृत्यु के पश्चात मृतक आश्रित के रूप में अथवा पति की बीमारी, अपंगता या अन्य कारणों से परिवार का दायित्व अपने कन्धों पर उठाया है और पूर्ण कुशलता के साथ उसका निर्वाहन भी कर रही हैं।

भारत की महिलाओं को अपनी आत्माभिव्यक्ति और तराशने की जरूरत है। महिलाएं अपनी पक्षधरता विकसित कर रही हैं और पुरूषों के द्वारा उसे स्वीकार भी किया जा रहा है, किन्तु दोनों का वक्तव्य आत्मरति से ग्रस्त है। स्त्री को अब मानव, मूल्यों पर आधारित शिक्षा की वकालत करनी हैं, ताकि चिन्तन का स्तर और विकसित हो उसकी सोंच स्थानीय सीमाओं से बाहर निकलें, वह धार्मिक मतान्धता की शिकार न हो। हाँ, इस प्रक्रिया में वैकल्पिक जीवन मूल्यों का संकेत अवश्य मिले ताकि बिना किसी भय और दबाव के वह 'शिवम्' की अवधारणा विकसित कर सके।

महिलाओं की स्वतन्त्रता पर कुछ लिखना या कहना खतरे से खाली नहीं। बहुत कुछ लिखा जा चुका है और आज भी स्त्री समस्या उसकी स्वतन्त्रता पढ़े–लिखे लोगों विशेषकर पुरूषों के लिए बातचीत का खास मुद्दा है। प्रश्न उठता है कि क्या महिलाओं की कोई समस्या है? यदि हाँ तो कैसी? प्रायः यह कहा जाता है कि औरत तो औरत है। अक्सर पुरूष आपस में भी कह देते हैं आखिर कर दी न औरतों जैसी बातें। इन सब का एक ही अर्थ है कि समाज में आज भी स्त्री एक–दूसरे दर्जे की नागरिक है। समाज में उनकी स्वतन्त्रता के हिमायती इस बात को लेकर कुछ शोर गुल करते रहते हैं, संस्थाएं बनाते रहते हें, कानून बदल जाते हैं, वहीं दूसरी ओर परम्परावादी ठेकेदार यह कहने से नहीं थकते कि कैसा अनाचार फैल रहा है और क्या इससे समाज टिकेगा। वे कहते हैं कि आज औरत, औरत ही नहीं रही।

मेरा विचार है कि पुरूष प्रधान समाज से पहले यह पूछा जाए कि स्त्री की परिभाषा क्या है? वे स्त्री होने से क्या समझते हैं? इस बात से तो

सभी सहमत होंगे कि दुनिया की आधी नागरिक औरतें ही हैं। फिर उन्हें हम उनकी सामान्य इच्छाओं से भी क्यों रोकते हैं? उनके बाजार जाने में अपनी इच्छा से वस्तुओं को क्रय करने में रोकना कहां की मानवता हैं?

आज बढ़ती मंहगाई में गृहस्थी का बोझ उठाना केवल एक के बस की बात नहीं रही। पत्नी को भी पति के इस बोझ को उठाने के लिए बराबर की हिस्सेदारी निभानी होगी और ऐसे में यदि महिला कहीं स्थायी जॉब न भी कर रही हों पर उसके पास यदि हुनर हैं, परिवार के 'मैनेजमेन्ट' भी कला है तो वह अपने परिवार को आर्थिक सहयोग देकर समृद्ध बना सकती है।

महिलाओं के द्वारा वस्तुओं को क्रय करना, परिवार की स्थिति और आर्थिक दशा के अनुरूप आचरण करना। आधुनिकता के साथ–साथ परम्पराओं को भी सम्मान देना अनिवार्य है। क्योंकि काम–काजी महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतन्त्र होते हुए भी मानसिक रूप से परतन्त्र हैं स्वयं वस्तुओं को क्रय करते समय उनकी मनोदशा का परीक्षण करने पर अभी भी महिलाएं सस्ती और कम मूल्य की वस्तुओं के प्रति अधिक और शीघ्रता से आकर्षित होती हैं वस्तु की गुणवत्ता और टिकाऊपन उन्हें कम प्रभावित करता है।

सारणी सं0–46

महिलाओं द्वारा वस्तुओं को क्रय करने की मनोदशा

क्र. सं.	वस्तुओं को क्रय करने की मनोदशा	जाति समूह				योग
		सवर्ण	पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अन्य धर्म के उत्तरदाता	
1.	नई–नई वस्तुएं	28	29	09	05	71
		(30.43)	(21.48)	(13.64)	(38.46)	(23.20)
2.	मंहगी वस्तुएं	13	16	07	01	37
		(14.13)	(11.85)	(10.61)	(07.69)	(12.09)
3.	सस्ती वस्तुएं	35	75	32	04	146
		(38.04)	(55.56)	(48.48)	(30.77)	(47.71)
4.	टिकाऊ मजबूत वस्तुएं	16	15	18	03	52
		(17.40)	(11.11)	(27.27)	(23.08)	(17.00)
	योग	**92**	**135**	**66**	**13**	**306**
		(100.00)	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**

महिलाओं के द्वारा वस्तुओं को क्रय करने की मनोदशा सारणी–46 से प्रदर्शित होती है। अध्ययन में 71 (23.20 प्रतिशत) उत्तरदाता नई–नई वस्तुओं के प्रति आकर्षित होकर उन्हें क्रय करती हैं, इनमें 28 (30.43 प्रतिशत) सवर्ण, 29 (21.48 प्रतिशत) पिछड़े वर्ग, 09 (13.64 प्रतिशत) अनुसूचित जाति और 05 (38.46 प्रतिशत) अन्य धर्मो को मानने वाली हैं। मंहगी वस्तुओं को अच्छा समझ कर उन्हें क्रय करने की मनोवृत्ति 37 (12.09 प्रतिशत) उत्तरदाताओं की है इन उत्तरदाताओं में 13 (14.13 प्रतिशत) सवर्ण, 16 (11.85 प्रतिशत) पिछड़े वर्ग, 07 (10.60 प्रतिशत) अनुसूचित जाति और 01 (07.69 प्रतिशत) हिन्दुएत्तर उत्तरदाता है। उत्तरदाताओं में सर्वाधिक मनोवृत्ति सस्ती वस्तुओं को क्रय करने की है। 146 (47.71 प्रतिशत)

उत्तरदाता सस्ती वस्तुओं को क्रय करती हैं इनमें 35 (38.04 प्रतिशत) सवर्ण, 75 (55.56 प्रतिशत) पिछड़े वर्ग की, 32 (48.48 प्रतिशत) अनुसूचित जाति और 04 (30.77 प्रतिशत) अन्य धर्मो की उत्तरदाता है। टिकाऊ और मजबूत अच्दी वस्तुएं लेने की मनोवृत्ति 52 (17.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं की हैं, इनमें 16 (17.40 प्रतिशत) सवर्ण, 15 (11.11 प्रतिशत) पिछड़ी जातियों, 18 (27.27 प्रतिशत) अनुसूचित जाति और 03 (23.08 प्रतिशत) अन्य धर्मो की उत्तरदाता हैं। यह आँकड़े महिलाओं की सांस्कृतिक मनोवृत्ति और जातिगत अभिरूचियों को प्रदर्शित करते हैं। नई और मंहगी वस्तुओं के प्रति सवर्ण वर्ग की उत्तरदाताओं का आकर्षण है। सस्ती वस्तुओं को क्रय करने में पिछड़े वर्ग की उत्तरदाताओं को अधिक अभिरूचि है और टिकाऊ मजबूत सामान क्रय करना अनुसूचित जाति की उत्तरदाताओं की हॉबी है।

21वीं सदी के इन दिनों में मीडिया की प्रासंगिता के नए प्रश्न सामने आ रहे हैं। ये प्रश्न आज मीडिया द्वारा नियत्रित विश्व समाज को अन्तरमन तक प्रभावित करते हैं। भारत में पिछले डेढ़ दशक से जिस तरह से मीडिया की ऑधी, संचार, सूचना एवं नई प्रौद्योगिकी की अनेक सम्भावनाएं इस तकनीकी युग में प्रस्तुत हुई हैं, उन्होंने भारतीय जनमानस को भी अपनी जीवन–शैली एवं आचार–व्यवहार तथा सोंच के नए पटल को भी प्रभावित किया है।

इस नई मीडिया क्रान्ति ने भारतीय महिलाओं में एक नई जागृति एवं एक नई स्फूर्ति पैदा की है।

उत्तरदाताओं में केवल 62 (20.26 प्रतिशत) ही परम्परागत सभ्यता और संस्कृति को उचित मानती हैं और उसकी पक्षधर हैं शेष 244 (79.74

प्रतिशत) रूढ़िवादी परम्परागत सभ्यता और संस्कृति को अनुचित, बकवास और महिलाओं का शोषण करने वाली मानती है। इनका विचार है कि हमारे सांस्कृतिक मूल्य और विचार इतने अधिक 'दकियानूसी' है कि ये महिलाओं को उनके मूलभूत अधिकारों से भी वंचित कर देते हैं, अतः इन्हें बदलकर ही स्त्री अपने स्वाभिमान के साथ जी सकती है।

नव संस्कृतिवाद के वर्तमान समय में पुरूषों को स्त्री से आर्थिक आपेक्षाएं बढ़ती जा रही हैं किन्तु वह औरत को अपने तरीके से प्रयोग करना चाहता है। उचित और अनुचित की परिभाषा स्वयं औरत को करने की स्वतन्त्रता वह नहीं देना चाहता, जैसा वह उचित समझता है या जिसमें उसे लाभ दिखाई देता है वह उसी का पक्षधर बन जाता है।

सारणी सं0–47

परम्परागत सभ्यता और संस्कृति के प्रति उत्तरदाताओं के विचार

क्र. सं.	सभ्यता / संस्कृति के प्रति विचार	जाति समूह				योग
		सवर्ण	पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अन्य धर्म के उत्तरदाता	
1.	उचित	16	34	11	01	62
		(17.39)	(25.19)	(16.67)	(07.69)	(20.26)
2.	अनुचित	28	48	40	03	119
		(30.44)	(35.56)	(60.61)	(23.08)	(38.89)
3.	बकवास	32	35	06	05	78
		(34.78)	(25.93)	(09.09)	(38.46)	(25.49)
4.	महिलाओं का शोषण करती हैं	16	18	09	04	47
		(17.39)	(13.33)	(13.63)	(30.08)	(15.36)
	योग	**92**	**135**	**66**	**13**	**306**
		(100.00)	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**

सारणी–47 में उत्तरदाताओं के परम्परागत सभ्यता और संस्कृति के प्रति विचारों को प्रदर्शित किया है। 62 (20.26 प्रतिशत) इसे उचित मानती है। 119 (38.89 प्रतिशत) परम्परागत सभ्यता और संस्कृति को अनुचित मानती है। इनमें 28 (30.44 प्रतिशत) सवर्ण, 48 (35.56 प्रतिशत) पिछड़े वर्ग, 40 (60.61 प्रतिशत) अनुसूचित जाति और 03 (23.08 प्रतिशत) अन्य धर्मो

को मानने वाली उत्तरदाता है। दकियानूसी परम्परागत सभ्यता और संस्कृति को मनुवादी अमानवीय मानने वालों में अनुसूचित जाति की उत्तरदाताओं की संख्या और प्रतिशत सबसे अधिक हैं, क्योंकि उनका मानना है कि प्रथम तो यह अनुसूचित जाति को हेय और अस्पृश्य मानती है और उसमें भी हम स्त्रीयाँ इस संस्कृति में सर्वाधिक उपेक्षित तिरस्कृत हैं।

मनुवादी पौराणिक भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अतार्किक और बकवास मानने वाली उत्तरदाताओं की संख्या 78 (25.49 प्रतिशत) है इनमें 32 (34.78 प्रतिशत) सवर्ण, 35 (25.93 प्रतिशत) पिछड़े वर्ग, 06 (09.09 प्रतिशत) अनुसूचित जाति और 05 (38.46 प्रतिशत) अन्य धर्मो को मानने वाली उत्तरदाता हैं। उन्होंने प्रति प्रश्न किया कि इस संस्कृति में है क्या कि हम इसको उचित माने यह समाज को सीधे–सीधे दो भागों में बांट कर हमारे अधिकारों को कम कर देती है।

परम्परागत सभ्यता और संस्कृति को महिलाओं का शोषण करने वाली, अनुदार और अन्यायपूर्ण निर्णय देने वाली मानकर उसका तिरस्कार करने वाली 47 (15.36 प्रतिशत) उत्तरदाता हैं, इनमें 16 (17.39 प्रतिशत) सवर्ण, 18 (13.33 प्रतिशत) पिछड़े वर्ग, 09 (13.63 प्रतिशत) अनुसूचित जाति और 04 (30.08 प्रतिशत) अन्य धर्मो को मानने वाली उत्तरदाता है।

उपरोक्त संदर्भ में हमने यह जाना है कि आज सूचना प्रौद्योगिकी विशेषतः दूरदर्शन पूरे विश्व के जनमत की एक नई चुनौती बन कर इसके पूरे परिदृश्य के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक सरोकारों को बदल रहा है। आज सूचना प्रौद्योगिकी पूरे विश्व के जनमत को प्रभावीकरण की दृष्टि से नई चुनौती देती है। पिछले दशकों से पश्चिम ने

उपभोक्ता संस्कृति को फैलाने में जिस तरह से नई सीमाओं को लांघा है वह महिला संस्कृति को भी प्रभावित करती है।

भारतीय परिवेश में टेलीवीजन माध्यम ने महिलाओं को प्रभावित कर एक नई दिशा दी है और नयी संस्कृति के जरिए प्रभावित भी किया है। आज भारतीय उप महाद्वपी में टेलीवीजन माध्यम की भूमिका इस तरह बढ़ चुकी है कि वह जनमानस को सीधे तौर पर प्रभावित कर रही है। अब इन सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यमों को विशेषकर टेलीवीजन का उपयोग महिलाओं की भूमिका को प्रभावित कर रहा है।

उत्तरदाता अपना जीवन किस प्रकार जीती हैं, उनके ऊपर परिवार और समाज का क्या और कितना प्रभाव पड़ा है। महिलाओं की सांस्कृतिक स्थिति और सोंच में क्या बदलाव आया है। इसका मूल्यांकन सारणी–48 में किया है।

सारणी सं0–48

उत्तरदाताओं के द्वारा जीवन जीने का प्रकार (तरीका)

क्र. सं.	जीवन जीने का प्रकार (तरीका)	जाति समूह				योग
		सवर्ण	पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अन्य धर्म के उत्तरदाता	
1.	माता–पिता और बुजुर्गो के अनुसार	08	17	05	01	31
		(08.70)	(12.59)	(07.58)	(07.69)	(10.13)
2.	अपनी इच्छा के अनुसार	62	85	46	09	202
		(67.39)	(62.96)	(69.70)	(69.23)	(66.01)
3.	पति और बच्चों की इच्छानुसार	09	15	07	02	33
		(09.78)	(11.11)	(10.60)	(15.39)	(10.78)
4.	सामाजिक मान्यताओं के अनुसार	13	18	08	01	40
		(14.13)	(13.34)	(12.12)	(07.69)	(13.09)
	योग	**92**	**135**	**66**	**13**	**306**
		(100.00)	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**

माता–पिता, परिवार के बुर्जुगो और अभिभावकों की इच्छानुसार अपना जीवन जीने वाली उत्तरदाताओं की संख्या कुल 31 (10.13 प्रतिशत) है इनमें

08 (08.70 प्रतिशत) सवर्ण, 17 (12.59 प्रतिशत) अन्य पिछड़े वर्ग, 05 (07.58 प्रतिशत) अनुसूचित जाति और 01 (07.69 प्रतिशत) अन्य धर्मो को मानने वाली उत्तरदाता हैं। इन उत्तरदाताओं का यह मानना है कि बड़ों के आर्शीवाद के बिना हम तरक्की नहीं कर सकते अतः अभिभावकों की इच्छानुसार जीने से परेशानिया कम आती है और सुख अधिक मिलता है।

'अपनी इच्छानुसार' जीवन जीने की इच्छा रखने वाली उत्तरदाताओं की संख्या 202 (66.01 प्रतिशत) है। इन पर आधुनिक सभ्यता और संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। इस वर्ग की उत्तरदाताओं में सर्वाधिक 46 (69.70 प्रतिशत) अनुसूचित जाति की उत्तरदाता है। 62 (67.39 प्रतिशत) सवर्ण, 85 (62.96 प्रतिशत) पिछड़े वर्ग और 09 (69.23 प्रतिशत) अन्य धर्मो को मानने वाली उत्तरदाता है। इनका विश्वास है कि हमें अपना जीवन अपने तरीके से जीने की आजादी होना चाहिए। यदि हम जागरूक है तो अपने औचित्य, अनौचित्य का परीक्षण स्वयं कर सकती है।

पति और बच्चों की इच्छानुसार जीवन जीने वाली उत्तरदाताओं की संख्या 33 (10.78 प्रतिशत) है इनमें 09 (09.78 प्रतिशत) सवर्ण, 15 (11.11 प्रतिशत) पिछड़े वर्ग, 07 (10.60 प्रतिशत) अनुसूचित जाति और 02 (15.39 प्रतिशत) अन्य धर्मो की उत्तरदाता है। इनका यह कहना कि यदि हमें बच्चों को अच्छे संस्कार देना है तो हमारा भी यह दायित्व है कि हम उनकी इच्छाओं का सम्मान करें।

सामाजिक मान्यताओं और परम्राओं को तरजीह देने वाली उत्तरदाताओं की संख्या 40 (13.08 प्रतिशत) है। इस वर्ग में 13 (14.13 प्रतिशत) उत्तरदाता सवर्ण है, 18 (13.34 प्रतिशत) पिछड़े वर्ग की, 08 (12.12

प्रतिशत) अनुसूचित जाति के और 01 (07.69 प्रतिशत) अन्य धर्मो को मानने वाली उत्तरदाता है।

अर्थात् अधिकांश महिलाएं अब अपनी इच्छानुसार जिन्दगी जीना चाहती है, क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी ने उनकी भूमिकाओं में अभिनव परिवर्तन किए हैं। केवल घर की चाहरदीवारी में बंधकर जागरूकता और स्वतन्त्रता की परिभाषा अब भारतीय महिलाओं को समझ में नहीं आती। वे चाहती हैं कि उनका भी सार्वजनिक जीवन हो, उनके लिए कोई भी किसी भी प्रकार की भूमिकाएं निषिद्ध न हो। उन्हें आरक्षण दे देन भर से महिलाओं के सशक्तीकरण का काम पूरा हो जाएगा यह एक मिथक है।

जन संचार और समाज विज्ञान के शोधकर्ता डॉ0 एन0 भास्कर राव टी0वी0 को पारिवारिक जीवन के लिए अभिशाप बताते हुए मांग कि है "हमारी मौलिक सांस्कृतिक विरासत, मूल्यों और पारिवारिक परम्पराओं के साथ होने वाले खिलवाड़ को रोका जाए।" अपना जीवन इच्छानुसार जीना तो हमारा अधिकार है किन्तु अपनी सभ्यता और संस्कृति को बकवास की संज्ञा देना तो महिलाआं पर मीडिया के प्रभाव को प्रदर्शित करता है।

महिला उत्तरदाताओं के द्वारा अपने कैरियर (भविष्य) परिवार अथवा समाज में से किसे प्राथमिकता के आधार पर महत्व दिया जाता है इस तथ्यात्मक विचार का विश्लेषण हमने सारणी–49 में किया है।

सारणी सं0–49

उत्तरदाताओं के द्वारा प्राथमिकता देने की स्थिति

क्र. सं.	प्राथमिकता / तरजीह	जाति समूह				योग
		सवर्ण	पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अन्य धर्म के उत्तरदाता	
1.	अपना कैरियर	48	95	42	07	192
		(52.17)	(70.37)	(63.64)	(53.84)	(62.75)
2.	परिवार	32	34	20	04	90
		(34.78)	(25.19)	(30.30)	(30.77)	(29.41)
3.	समाज	12	06	04	02	24
		(13.05)	(04.44)	(06.06)	(15.39)	(07.84)
	योग	**92**	**135**	**66**	**13**	**306**
		(100.00)	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**

अपने कैरियर और भविष्य को अधिक महत्वपूर्ण मानने वाली 192 (62.75 प्रतिशत) उत्तरदाता हैं। इनमें 48 (52.17 प्रतिशत) सवर्ण वर्ग की, 95 (70.37 प्रतिशत) पिछड़े वर्ग की, 42 (63.64 प्रतिशत) अनुसूचित जातियों की और 07 (53.84 प्रतिशत) अन्य धर्मो को मानने वाली उत्तरदाता है। ये सभी अपने कैरियर को अधिक महत्वपूर्ण मानती है क्योंकि इनके 'कैरियर' से बच्चों का भविष्य जुड़ा है। कैरियर बनाने के लिए इन्हे आजादी (सामाजिक, आर्थिक रूप से) चाहिए जो पुरूष प्रधान समाज में इन्हें सरलता से नहीं मिल पा रही। ये महिलाएं पुरूष के समान आजादी चाहती है। अपने आप में यह एक बड़ा बेतुका प्रयास है।

90 (29.41 प्रतिशत) उत्तरदाता स्वयं से अधिक परिवार को प्राथमिकता देती है। इन्हें कार्य क्षेत्र में स्वतन्त्रता तो चाहिए किन्तु परिवार

को प्राथमिकता की शर्त पर क्योंकि अपने कैरियर से अधिक परिवार और बच्चों का भविष्य महत्वपूर्ण है। परिवार के प्रति आशक्त उत्तरदाताओं में 32 (34.78 प्रतिशत) सवर्ण, 34 (25.19 प्रतिशत) पिछड़े वर्ग, 20 (30.30 प्रतिशत) अनुसूचित जाति और 04 (30.77 प्रतिशत) अन्य धर्मो को मानने वाली उत्तरदाता है। उधार लिए हुए खोखले शब्दों और परिधानों के द्वारा अपने को आधुनिक प्रदर्शित करने में इनका विश्वास नहीं है।

भारतीय स्त्रियों की जड़ों को पहचान कर समाज के अनुरूप अपने भविष्य के प्रति सचेत 24 (07.84 प्रतिशत) उत्तरदाता हैं ये सामाजिक मान्यताओं और नैतिक मूल्यों को अपने कैरियर से अधिक महत्व देती हैं। इन्हें समाज में रहकर समाज की अवहेलना करना उचित नहीं लगता। इनमें 12 (13.05 प्रतिशत) सवर्ण, 06 (04.44 प्रतिशत) पिछड़े वर्ग, 04 (06.06 प्रतिशत) अनुसूचित जाति और 02 (15.39 प्रतिशत) अन्य धर्मो को मानने वाली उत्तरदाता हैं।

21वीं शताब्दी में महिलाओं की स्थिति में निरन्तर सुधार की प्रक्रिया चल रही है महिलाए स्वयं सांस्कृतिक मूल्यों को नये—नये आयाम दे कर अपने लिए नव संस्कृतिवाद की स्वयं रचना कर अपनी भूमिका को उन्होंने मिला दिया है। विवाह के लिए किसी आदर्श आयु का मानक उन्होंने निर्धारित नहीं कर रखा है। इस दिशा में चलचित्र जगत और छोटे पर्दे के कार्यक्रम उनके आदर्श हैं, यही कारण है कि औरतों के विरूद्ध अपराधों और उत्पीड़न की मात्रा दिन—प्रति—दिन बढ़ती जा रही है।

सारणी—50 में उत्तरदाताओं के अनुसार विवाह की आदर्श आयु का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि 74 (24.18 प्रतिशत) उत्तरदाता

अभी भी 18 वर्ष की आयु के पूर्व अपनी कन्यायाओं का विवाह करना उचित मानती है। इनमें 05 (05.43 प्रतिशत) सवर्ण, 38 (28.15 प्रतिशत) पिछड़े वर्ग, और सर्वाधिक 31 (46.97 प्रतिशत) अनुसूचित जाति की उत्तरदाता है। कम आयु में विवाह करने में अनुसूचित जाति की उत्तरदाताओं की संख्या सबसे अधिक है जब हमने अपने उत्तरदाताओं से इसका कारण पूछा कि कानून 18 वर्ष के पूर्व लड़कियों के विवाह की अनुमति नहीं देता फिर आप 18 वर्ष के पूर्व विवाह को क्यो उचित मानती हैं तो उनका उत्तर था – ''जमाने की हवा लगे और लड़की के कदम बहकने के पूर्व शादी कर देना चाहिए अन्यथा ज्यादा उमर होने में लड़कियां बहक जाती हैं।

सारणी सं0–50

उत्तरदाताओं के अनुसार लड़की के विवाह की आदर्श आयु

क्र. सं.	लड़की के विवाह की आदर्श आयु	जाति समूह				योग
		सवर्ण	पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अन्य धर्म के उत्तरदाता	
1.	18 वर्ष के पूर्व	05	38	31	00	74
		(05.43)	(28.15)	(46.97)	(0.00)	(24.18)
2.	18 वर्ष से 21 वर्ष तक	56	81	30	05	172
		(60.87)	(60.00)	(45.45)	(38.46)	(56.21)
3.	21 वर्ष की आयु के बाद	31	16	05	08	60
		(33.70)	(11.85)	(07.58)	(61.54)	(19.61)
	योग	**92**	**135**	**66**	**13**	**306**
		(100.00)	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**

18 वर्ष से 21 की आयु तक लड़कियों का विवाह करना आदर्श आयु मानने वाली उत्तरदाता 172 (56.21 प्रतिशत) है। इन उत्तरदाताओं का अपने पक्ष में यह तर्क था कि यदि हम संविधान/कानून से कुछ प्राप्त करना चाहते है तो हमें उसका सम्मान करना भी सीखना चाहिए। साथ ही साथ हम जहाँ कार्य करते हैं उस विभाग से लोन/अनुदान 18 वर्ष की आयु के

पूर्व विवाह करने पर सहायता नहीं मिलेगी। 18 वर्ष की आयु के बाद विवाह को आदर्श मानने वाली उत्तरदाताओं में 56 (60.87 प्रतिशत) सवर्ण, 81 (60.00 प्रतिशत) पिछड़े र्व, 30 (45.45 प्रतिशत) अनुसूचित जाति और 05 (38.46 प्रतिशत) अन्य धर्मो को मानने वाली हैं। इन उत्तरदाताओं में संवैधानिक जागरूकता और शिक्षा के प्रति आस्था है कम उम्र में विवाह करने पर होने वाली हानियों का इन्हें भली प्रकार से ज्ञान है।

21 वर्ष की आयु के बाद लड़कियों के विवाह को उचित और आदर्श मानने वाली उत्तरदाता 60 (19.61 प्रतिशत) है। इनमें जाति समूह के आधार पर 31 (33.70 प्रतिशत) सवर्ण उत्तरदाता, 16 (11.85 प्रतिशत) पिछड़े वर्ग, 05 (07.58 प्रतिशत) अनुसूचित जाति और 08 (61.54 प्रतिशत) अन्य धर्मो को मानने वाली उत्तरदाता है।

वस्तुतः अध्ययन क्षेत्र के उत्तरदाताओं की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विश्लेषण से यह तथ्य स्पष्ट होते है कि सूचना प्रौद्योगिकी के प्रचार–प्रसार और मीडिया विशेषकर टेलीवीजन के कार्यक्रमों ने महिलाओं के चारो ओर एक नये सांस्कृतिक परिवेष का सृजन किया है।

भारत में नगरीय मध्यम वर्गीय परिवारों में अभिभावकों ने यह समझ लिया है कि बेटियों और बहुओं के लिए स्वतन्त्र कैरियर होना आवश्यक है। इसलिए आज उन पर खर्च भी अधिक किया जा रहा है। इससे पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना का कमजोर होना और स्त्री श्रम और उसकी यौनिकता पर नियन्त्रण का घटना स्वाभाविक है। लेकिन परिवर्तन स्पष्ट रूप से स्त्री के व्यक्तित्व में मुख्य भूमिका की तरह नहीं घटता। सरकार, संविधान, प्रबन्धक, नौकरशाह, यूनियन के नेता, पार्टी के सदस्य पितृसत्ता को कोई भी चुनौती नहीं देना चाहते। सौ करोड़ की जनसंख्या

वाले देश में मेधा पाटेकर, वृदा करात या अरूंधती राय या फिर वंदना शिवा, प्रभा खेतान जैसे लोग यदि बोल भी रहे हैं तो मानवाधिकार ओर महिला अधिकारों की इस लड़ाई से राजनीति में कोई असर आने से रहा। महिलाओं के समर्थन या सांस्कृतिक परिदृश्य में ऐसा कुछ भी नहीं घटा कि लोक सभा, राज्य सभा या विधान सभा की सदस्याएं वह चाहे सोनिया गांधी हों या सुामा स्वश्राज या फिर रेणुका चौधरी, नजमा हेपतुल्ला, ममता बनर्जी, जयललिता, शीला दीक्षित, जया बच्चन, मायावती या फिर अंबिका सोनी, स्त्री के पक्ष में अलग से बोलने लगे। आखिर महिलाओं के हित में महिला राजनेता क्योंकर एक जुट नहीं, यह पुनः अपने में अध्ययन का विशय और इसे मैं समझ नहीं पाती।

यह भी नहीं है कि हमारे दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन आया ही नहीं है। प्रतिमान बदले है सांस्कृतिक परिवेश में परविर्तन आया है। दृष्टिकोण तो हम महिलाओं का आमूल रूप से बदलता जा रहा है। काम–काजी महिलाएं भी जानती है अनुभव करती हैं कि अतीत में जहाँ अपनी अज्ञानतावश और रूढ़िवादी सांस्कृतिक मूल्यों के कारण भूखो मरती थी, जिंदा जलाई जाती थी, आत्म हत्या करती थी वहीं आज वह अपने होने और जीने के नए–नए रास्ते खोजती जा रही है। यह तो उसने सिद्ध कर दिया कि अब गुलामी की जिन्दगी वह नहीं जिएगी और इस चुनौतीपूर्ण रवैये के सामने पितृसत्ता को आज नहीं तो कल भविष्य में सिर झुकाना होगा।

आज महिलाओं के लिए सबसे बड़ा खतरा है आयातित संस्कृति के हमले का है। इसने हमारी संस्कृति की सुरक्षा को खतरे में डाला है। उपगृह चैनलों, केबल टी0वी0 और इन्टरनेट आदि के विस्तार ने विदेशी मीडिया को हमारे लिए सर्वसुलभ बना दिया है। विदेशी मीडिया के प्रदर्शन ने भारतीय

जनमानस को आक्रान्त कर दिया है। पश्चिमी जीवन मूल्य की चकाचौंध ने महिलाओं को अभिभूत कर डाला है।

पश्चिमी जीवन मूल्य में व्याप्त भौतिकवाद, व्यक्तिवाद, स्वच्छदता का महिला मण्डन हो रहा है और भारतीय जन मानस अपने आपको इन मूल्यों के अनुकूल बदल डालने को आतुर है। महिलाओं के द्वारा पश्चिम के उपभोक्तावाद को आदर्श जीवन का मानक समझा जाने लगा।

इस तरह हमें यह अनुभव करना होगा कि सामाजिक बदलाव के मूल्यों की एक नई परिभाषा दूरदर्शन ने अपने प्रचार–प्रसार के माध्यमों द्वारा की है। सांस्कृतिक परिवर्तन या नव संस्कृतिवाद के परिप्रेक्ष्य में आज सूचना प्रौद्योगिकी महिलाओं की भूमिकाओं को एक नए समाज की परिकल्पना एवं संरचना में बदलने के लिए अग्रसर है।

यूनान की लोकोक्ति हैं–

"आँखो में किरकिरी हुई तो
बात, धरती आस्माँ हो गई।

अब धरती और असमाँ को नया जीवन देने वाली महिला के विषय में मीडिया की शोध रिपोर्ट क्या कहती है? यह प्रश्न महत्वपूर्ण है कि वास्तव में हम अपनी महिला शक्ति को किस नजरिए से देखते हैं और मीडिया को इस क्रान्ति की आंधी में किस भूमिका में स्वीकार करते है।

आज भारत में महिला और सूचना प्रौद्योगिकी के सरोकार बराबर बदल रहे हैं और पहले से ज्यादा बेहतर और गम्भीर तस्वीर प्रस्तुत कर रहे है।

सप्तम् अध्याय

सूचना क्रान्ति और महिलाओं की बदलती भूमिका

- सूचना क्रान्ति में महिलाओं की स्थिति
- महिलाओं की बदलती भूमिका
- संचार क्रान्ति और सांस्कृतिक प्रदूषण
- लोकतन्त्र में महिलाओं की भूमिका
- महिलाओं की सफलता का राज

सप्तम् अध्याय

सूचना क्रान्ति और महिलाओं की बदलती भूमिका

21वीं शताब्दी की सूचना प्रौद्योगिकी और संचार क्रान्ति के विभिन्न पहलुओं की चर्चा करने पर हम यह देखते हैं कि भारतीय परिदृश्य एवं वर्तमान स्थिति में विभिन्न धाराओं एवं आन्दोलनों की प्रमुखता रही हैं, परन्तु सामाजिक सरोकार, जन–जागृति के विषय एवं पश्चिमी सभ्यता का गहरा प्रभाव मीडिया की भूमिका में संचार क्रान्ति के इस सफर में दिखाई देता है।

समकालीन समय में सम्पूर्ण विश्व में सूचना एवं संचार प्रसारण माध्यमों द्वारा जो सामाजिक परिवर्तन की भूमिका की जमीन तैयार हो रही है, उससे भारतीय महिलाओं की भूमिका भी प्रभावित हुई है, वस्तुतः वह एक नए समाज की संरचना की नई धारणाओं को जन्म दे रही है। आज सम्पूर्ण विश्व परिदृश्य एक नई सामाजिक परिकल्पना की तलाश में दिखाई देता है। इसके इस तरह के परिदृश्य में सामाजिक संस्कृति के बदलाव में बढ़ रही उपभोक्ता संस्कृति तथा टूट रही नैतिक मूल्यों की वह श्रृंखला हैं, जो हमारे पूर्वजों ने कई पीढ़ियों से एक विरासत के रूप में हमें दी थी। इस परिवर्तन में संचार प्रसारण माध्यमों एवं सूचना प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका है।

नई सूचना क्रान्ति एक नए युग का सृजन है। नई शताब्दी मीडिया सूचना क्रान्ति की शताब्दी है। इस नई शताब्दी में मानवीय सरोकारों का

आधार वैज्ञानिक तथा तकनीक से होकर नवीनतम मान्यताओं को स्थापित कर रहा है।

आज पूरा विश्व एक ग्लोबल गांव का परिदृश्य धारण कर चुका है, हमारे देश में भी इसका प्रभाव व्यापक रूप से दिखाई दे रहा है। इस शताब्दी में रेडियो, टेलीवीजन, फिल्म, इन्टरनेट तथा मीडिया के नए–नए रूप हमारे सामने हैं, जिन्होंने हमारी दिनचर्या हमारा रहन–सहन और हमारे सारे रीति–रिवाजों और परम्पराओं को प्रभावित किया है। यहां तक कि हमारी दैनिक भाषा भी आज ग्लोबल स्वरूप धारण कर रही है। यही पाश्चात्य प्रभाव हमारी दैनिक जीवनचर्या में समाहित हो गया है।

विश्व की जनसंख्या का आधा भाग महिलाओं का वह भाग है जो मानव जीवन की विकास यात्रा को एक नया दिशा बोध तथा एक नए क्षितिज की ओर ले जाता है। हमारे देश में महिलाओं की स्थिति विरोधाभास में से गुजरती हुई दिखाई दे रही है। शहरों, नगरों और महानगरों में तो महिला को विकास, शिक्षा, रोजगार तथा अन्य संसाधन प्राप्त हो रहे हैं परन्तु सुदुर गांवों में रहने वाली महिलाओं तक अभी भी शिक्षा तथा रोजगार के अवसरों के अलावा कुपोषण से बचने के प्राथमिक संसाधन भी नहीं पहुँच पा रहे। क्या सूचना प्रौद्योगिकी और अभिनव संचार क्रान्ति की इन्टरनेट सेवा और विकास से हमारे गांव की उस आखरी महिला को भी विकास की उस मुख्य धारा कसे जोड़ा जा सकेगा जो अपने परिवार के भारण पोषण के लिए अभी काला हाण्डी का अभिशाप हैं।

पिछले दशकों में इनसेट इण्टरनेट ने आकश से जो आक्रमण हमारे घरो में किया है तथा जिसके कारण हमारे पूरे समाज का चेहरा ही बदल

गया है इस प्रसारण की आंधी तथा सूचना क्रान्ति के माध्यम से महिलाओं की स्थिति तथा उनकी समस्याओं के निदान को किस प्रकार से एक बेहतर, सहज जिन्दगी के लिए और अच्छा बना सकते हैं? यह एक ऐसा प्रश्न है जो समाजशास्त्रीय अनुसंधान के रूप में हमारे सामने उत्तर की अपेक्षा रखता है।

समाज विशेषज्ञ श्यामाचरण दुबे इस संदर्भ में मानते हैं कि सूचना तथा मनोरंजन आज सामान्य व्यक्ति के सामाजिक अधिकारों से जुड़ा हुआ एक अहम मुद्दा है। उनकी राय में जो स्पष्टतः नहीं कहा गया है, उसके विषय में अनुमान लगाना होगा। शिक्षा और संचार माध्यमों को अभिवृत्ति और मूल्यों में परिवर्तन लाने के लिए प्रभावी ढंग से उपयोग में लाना होगा। संरचनात्मक बदलाव के लिए जनमत का दबाव और उद्देश्य मूलक प्रशासनिक कार्य आवश्यक हैं। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में निहित विशिष्ट और प्रभेदित कार्यो के सम्पादन के लिए संस्था निर्माण की दिशा में कल्पनाशील और व्यवस्थित प्रयास होने चाहिए।

अमीर और गरीब, पूँजीपति और सर्वहारा दोनों प्रकार के समाजों में मूल्यों के मूलभूत परिवर्तन एक संस्थागत क्रान्ति के रूप में आवश्यक है। स्त्री और पुरूष दोनों को ही अपने–अपने सामाजिक लक्ष्यों को पुनः परिभाषित करना होगा और अपने को स्वयं सीमित करने वाले विकल्पों को चुनना होगा। जो उनके स्वभाव, पर्यावरण और सामाजिक आवश्यकताओं और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि द्वारा प्रतिपादित होंगे।

पिछले दो तीन दशकों में आधी दुनिया के अपेक्षाकृत अनुत्पादी विकास कार्यो के अनुभव से नियोजन के सामाजिक लक्ष्यों और कार्यान्वयन

की विधियों के विषय में गम्भीर रूप से पुनर्विचार करना आवश्यक हो गया है। आधुनिकीकरण की जटिल प्रक्रिया में एक–दूसरे को प्रभावित करने वाली और परस्पर निर्भर रहने वाली परिवर्तनों की जटिल श्रृंखला निहित होती है।

अपनी विश्लेषणात्मक टिप्पणी में डॉ0 श्यामाचरण दुबे ने यह समझाने का प्रयास किया है कि इस विश्व परिदृश्य में मानवीय अधिकार तथा सामाजिक सारोकारों की भूमिका में समाज विकास तथा संचार के विकास की भूमिका की जो दशा तथा दिशा निर्धारित की जा सकती है उसका असली योगदान समाज के प्रति क्या है? परन्तु महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि आज की बदलती हुई संचार की दुनिया का सही अर्थो में जिस जागरूकता का आवाहन किया है, उससे क्या समूचे विश्व में मानवीय अधिकारों के प्रति जन–जागृति तथा सूचना का विकास सामने आता है?

यह संसार सूचना क्रान्ति द्वारा इस जन–जागृति अभियान का नतीजा ही हे कि आज विश्व के सबसे गरीब देशों में भी आधुनिक सूचना संचार तथा प्रसारण मध्यमों की अपनी एक प्रौद्योगिकी है। सामाजिक आवश्यकताएं और महिलाओं की जागरूकता एंव मानवीय अधिकार उस समय तक दूर रहेंगे जब तक देश इस सामाजिक अभियान में प्रतिबद्धता के साथ हनीं जुड़ेगा। आज सूचना प्रौद्योगिकी और संचार क्रान्ति का सबसे बड़ा योगदान माना जा रहा है तो वह है महिलाओं का अपने अधिकारों और भूमिकाओं के प्रति जन–जागृति का माहौल पैदा करना।

संचार क्रान्ति वं सांस्कृति प्रदूषण

सूचना और संचार संसाधनों की क्रान्ति एक तरफ जहाँ सामाजिक सौन्दर्य बोध की नई परिकल्पना से गुजर रहा है, वहीं पर यह संचार क्रान्ति अपने प्रसारण तथा प्रसार माध्यमों द्वारा सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रदूषण भी पैदा कर रही है। आज पूरी विश्व स्थति का मूल्यांकन करें तो हम पाते है कि जितना मानवीय मूल्यों और आम जीवन की बातों का प्रचार–प्रसार इस संचार क्रान्ति के माध्यम से हुआ है उतना अन्य किसी संसाधन से नहीं हुआ। इसने जनमानस को महसूस करने का एक नया दिशा बोध भी उपलब्ध कराया है।

संचार क्रान्ति और सूचना प्रौद्योगिकी के सौन्दर्य बोध की इस विकास यात्रा में हमें इनके द्वारा सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनैतिक स्तर पर विकास की यात्रा को भी देखना होगा। आज तेजी से बदलते हुए संसाधन सांस्कृतिक संवेदनशीलता के प्रति कितने प्रतिबद्ध हैं। इस प्रतिबद्धता में ही संचार क्रान्ति का सामाजिक सौन्दर्य बोध छिपा हुआ है। मूलतः 'सोशल इंजीनियरिंग' के इस नये प्रतिमान ने स्त्री/पुरूष के नये–नये परिप्रेक्षों को जन्म दिया है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री डॉ0 श्यामाचरण दुबे इस पर टिप्पणी करते हुए लिखते हैं कि इनमें संचार सम्बन्ध प्रायः दुर्बल पाए जाते हैं तथा नियोजक कार्यान्वयन के अभिकरणों और जनता के मध्य काफी दूरी बनी हुई है। उच्चतम स्तर से नीचे तक जनता तक पहुँचने में संदेश बदल जाते हैं। फीड बैंक भी भली प्रकार से संगठित नहीं है, लेकिन जब यह मिलता है तो इसका प्रभाव न्यूनतम ही रहता है। संचार तन्त्र में संचार ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तक का पुर्नगठन आपेक्षित है।''

सामाजिक–सांस्कृतिक पर्यावरण के प्रबन्धन के लिए आवश्यक उपायों का एक पैकेज निश्चित करना होगा, जो अपने बढ़ते हुए खोखलेपन के कारण प्रशासन और विकास दोनों को कठिन बना रहे हैं। तात्कालिक समस्याओं को सुलझाने वाले उपयोगितावाद पर केन्द्रित अपरिपक्व राजनीति में असंतोष की आग में घी का काम करती है।

संचार क्रान्ति और सूचना प्रौद्योगिकी का एक दुःखद रूप यह भी है कि इसके द्वारा सांस्कृतिक प्रदूषण उल्लेखनीय रूप से फैल रहा है। यह एक वर्ग विशेष का उल्लेख नहीं बल्कि समूचे रूप में खण्डित तथा विकृत हो रही सामाजिक विरासत का अहम प्रश्न हैं, जो सांस्कृतिक मूल्यों के विघटन को एक नए स्वरूप में देख रहा है। प्रश्न यह है कि क्या इस तरह की प्रतिबद्धता सांस्कृतिक प्रदूषण को नए अर्थ तो नहीं दे रही और महिलाओं की भूमिका में नकारात्मक प्रभाव तो नहीं आ रहा?

सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न माध्यम जो आज हमारे सामाजिक सौन्दर्य बोध को बिगाड़ने का कार्य कर रहे हैं सकारात्मक कम और सामाजिक प्रदूषण से सामाजिक स्मिता को चोट अधिक पहुँचा रहे हैं।

आज छोटा पर्दा यानी टेलीवीजन भारतीय घरों में मनोरंजन का सबसे प्रभावशाली साधन बन गया है। पिछले कुछ वर्षो से केबल टी0वी0 अश्लील चित्रों और प्रसंगों का धड़ल्ले से प्रसारण कर रहे हैं। छोटे–छोटे बच्चे इन कार्यक्रमों को बटन दबाते ही देख सकते हैं। अभिभावक चाहकर भी इन कार्यक्रमों पर ताले नहीं लगा पाते वैसे तो छपाई के माध्यम से ही अनेक 'बोल्ड' विज्ञापन सामग्री देखने को मिल रही हैं किन्तु टेलीवीजन देखने वालों की मानसिकता पर अधिक गहरा प्रभाव डालते हैं। उसे सही तो

प्लगइन ड्रग (बटन दबाते ही नशीली दवा) कहा गया है। अनेक पश्चिमी देशों में गैर सरकारी स्तर ऐसी संस्थाएं सक्रीय हैं जो टेलीवीजन था। अन्य माध्यमों पर दिखाई देने वाली या छपने वाली सामग्री की जाँच करती हैं, किन्तु दुर्भाग्यवश भारत में सरकारी संस्थाएं भी इस दृष्टि से कुछ नहीं कर रहीं। एक समय था जब दूरदर्शन डर–डर कर कार्यक्रम निर्धारित करता था किन्तु आज सेटेलाइट प्रतिस्पर्धा ने दूरदर्शन को भी सस्ते मनोरंजन का केन्द्र बना दिया है। यह हमारी स्थिति को पश्चिमी देशों की तुलना में कहीं अधिक बदतर रूप से साबित कर रहे हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न प्रसारण माध्यमों के द्वारा जो कुछ महिलाओं के प्रति दिखाया जा रहा है वह छवि भारतीय और विशेष रूप से इस उप महाद्वीप में रहने वाली औरतों की स्थिति को किस तरह से दिखती है तथा उसका प्रभाव बदलते हुए सामाजिक परिवेशों का आज हमारे समाज की महिलाओं की भूमिका पर कितना पड़ रहा है यह चिन्ता का विषय है। प्रेस काउन्सिल एक्ट द्वारा जारी पोर्टेयल ऑफ वीमेन इन इण्डिया सन् 1996 में कहा गया है क़ि मीडिया में महिलाओं को तो हिंसा और लिप्सा का निरीह शिकार दिखाया जाता है या फिर सजी–धजी एक गुड़िया के रूप में। रिपोर्ट में कहा गया है कि आज का परिदृश्य यह है कि मीडिया में महिलाओं की भूमिका (परिदृश्य) का चित्रण मुख्यतः विज्ञापनों या छेड़–छाड़ तथा मानसिक प्रताड़ना पर केन्द्रित है। महिलाओं की उपलब्धियों पर जो रिपोर्ट दिखाई जाती है वह खास तरह के पूर्वाग्रह से ग्रस्त होती है। महिलाओं को या तो बुद्धिहीन दिग्भ्रमित और प्रभावहीन दिखाया जाता है या सत्ता की भूखी हिंसक। रिपोढ में एक महत्वपूर्ण बात कहीं गई है कि

मीडिया में महिलाओं का चित्रण ऐसा इसलिए है कि मीडिया के नीति निर्धारण में महिलाएं शामिल नहीं है।

इस संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र द्वारा कराया गया मार्गरेट गैलेथर का शोध महत्वपूर्ण है। वर्ष 1993–94 में यूरोप और लैटिन अमरीका के कुछ चुने हुए देशों में अध्ययन करने पर पता चला कि वहाँ मीडिया में महिलाओं की संख्या 50 प्रतिशत भी नहीं है। यूरोप के बाहर तो यह प्रतिशत 30 भी नहीं है। जहाँ तक मीडिया में उच्च पदों पर महिलाओं की नियुक्ति का प्रश्न है, लैटिन अमरीका में यह संख्या 16 प्रतिशत यूरोप में 15 प्रतिशत अफ्रीका में 12 प्रतिशत और हमारे देश भारतवर्ष में केवल 4 प्रतिशत है। भारत में मीडिया का ही कुप्रभाव है, यौन अपराधों में वृद्धि।

इसके और मुद्दों में विचार करें तो पता चलता है कि आज इस सूचना प्रौद्योगिकी और प्रसारण माध्यमों में पूरे समाज में बढ़ती और बदलती हुई प्रतिस्पर्धा में पूर्णरूप से सम्बन्धों को तिलांजलि दे दी हैं, तथा आज महिलाओं की भूमिका को जिस तरह भुनाया जा रहा है, वह अत्यन्त बेहूदा और उबाक हो चुका है। संजय कुन्दन की टिप्पणी इसकी और भी गम्भीर स्थिति की ओर संकेत करती है। उनके अनुसार आज स्त्री की भूमिका सुरक्षित नहीं है। आज इलेक्ट्रानिक मीडिया ने महिलाओं का एक खास प्रतिरूप गढ़ा है। एक ऐसा प्रतिरूप, जिसे हमारे देश ने पहले कभी नहीं देखा था। इसने एक बारगी सबको चौका दिया और समाज में एक हद तक उथल–पुथल भी मचाई है।

संसदीय लोकतन्त्र में महिलाओं की भूमिका

मीडिया और सूचना प्रौद्योगिकी की इतनी उथल–पुथल के बाद भी संसदीय लोकतन्त्र में महिलाओं की भूमिका नगण्य है। जबकि विश्व की समस्त जनसंख्या का लगभग आधा भाग महिलाओं का है, परन्तु जीवन के हर क्षेत्र में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। राजनीति तथा राजनीतिक सत्ता में महिलाओं तथा पुरूषों की हिस्सेदारी में बड़ा अन्तर है। दि हिन्दुस्तान टाइम्स 14 फरवरी, 1997 पृष्ठ–10 में प्रकाशित एक सर्वेक्षण के अनुसार विश्व के समस्त संसदीय स्थानों में महिलाओं का प्रतिशत 1988 में 14.6 प्रतिशत था जो 1998 में गिरकर 11.7 प्रतिशत हो गया। कफालतिया, आनन्द बल्लभ (2003) द्वारा उद्धत इण्टर पार्लियामेन्टरी यूनियन के नवीनतम आँकड़ों के अनुसार समस्त संसदीय व्यवस्थापिताकाओं के पीठासीन अधिकारियों में महिलाओं का प्रतिशत 7.10 है, जबकि राजनैतिक दलों के प्रमुखों में उनका प्रतिशत 11.0 है। अर्थात विश्व की राजनीति तथा संसदीय संस्थाओं में अपनी योग्यता एवं प्रतिभा के प्रदर्शन का उचित अवसर महिलाओं को नहीं मिल पा रहा है। इसलिए लोकतन्त्र के सम्यक विकास में बाधा पड़ रही है।

भारत का राजनीतिक पदिृश्य विश्व के अन्य लोकतांत्रिक देशों से भिन्न नहीं है। भारत में राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका का श्रीगणेश 20वीं शताब्दी से प्रारम्भ होता है। इस शताब्दी के प्रारम्भ में ही होने वाले स्वदेशी आन्दोलन में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और एक दशक बाद सीधे राजनीतिक क्षेत्र में उतर पड़ी। 1917 में ऐनी बेसेन्ट कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्ष बनी। वे कांग्रेस की पहली महिला

अध्यक्ष थी। उनकी अध्यक्षता में एक प्रस्ताव पारित कर मांग की गयी कि महिलाओं को भी पुरूषों के समान मताधिकार दिया जाय। 1917 में ही मद्रास में 'वूमेन्स इण्डिया एसोसिएशन' की स्थापना की गयी।

1917 में मांटेग्यू चेम्सफोर्ड संवैधानिक सुधार आयोग के समक्ष एक प्रतिनिधि माण्डल मार्गरेट काजिन्स के नेतृत्व में उपस्थित हुआ। इस प्रतिनिधि मण्डल ने महिला मताधिकार की मांग की। किन्तु कोई निर्णय न मिलने पर एक विशेष समिति ब्रिटेन गयी और भारत सरकार की संयुक्त समिति से साक्षात्कार किया। फलस्वरूप मान्टफोर्ड सुधार योजना के अनुसार यद्यपि ब्रिटिश संसद ने उस समय महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं प्रदान किया किन्तु प्रान्तीय विधान सभा को यह अधिकार दिया कि वे इस विषय में विचार कर सकती है। फलस्वरूप महिलाओं को चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त हुआ और सीमित रूप में मत देने का भी।

1920 में सर्वप्रथम मद्रास विधान परिषद्, 1921 में बम्बई विधान परिषद ने प्रस्ताव पारित कर महिलाओं को मताधिकार प्रदान कर दिया। 1927 में वुमेन्स इण्डिया एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित सूची के अनुसार विधान परिषदों में पाँच नामजद महिलाओं सहित 32 महिला नगर पार्षदों के नाम शामिल थे। 1935 के एक्ट में केन्द्रीय विधान मण्डल में महिलाओं के लिए 15 सीटें सुरक्षित कर दी गयी। राज्य सभा में कुल 260 सीटों में से महिलाओं को 06 एवं संघीय सभा में 375 सीटों में से केवल 09 सीटे दी गयी। प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओं में भी उनके लिए सीटें आरक्षित की गयी।

1937 के प्रान्तीय विधान सभाओं के चुनाव में आरक्षण व्यवस्था के कारण 80 महिलाएं विधान सभाओं में चुनकर आयी। कुछ महिलाएं मंत्री भी बनी। संयुक्त प्रान्त के मंत्री मण्डल में शामिल श्रीमती विजय लक्ष्मी पण्डित देश की पहली महिला मंत्री थी।

1946 में जब संविधान निर्मात्री सभा गठित हुई तो उसमें भी कई महिलाएं सदस्य बनी। सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, हंसा मेहता, दुर्गाबाई, सुचेता कृपलानी, रेणुका रे, लीला रे, कमला चौधरी, अम्मू स्वामी नाथन, श्रीमती मालती चौरी पूर्णिमा बनर्जी।

स्वतन्त्रता के पश्चात लागू भारतीय संविधान में समस्त वयस्क पुरूषों एवं महिलाओं को मत देने या चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 325 द्वारा स्पष्ट किया गया कि संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन हेतु एक ही समान निर्वाचन सूची होगी तथा इस सूची में किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग अथवा इनमें से किसी एक के आधार पर अलग नहीं किया जा सकेगा। पुनः अनुच्छेद 326 द्वारा स्पष्ट यिका गया कि निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा।

लोक सभा एवं विधान सभाओं में महिलाओं का प्रतिशत धीमी गति से आगे बढ़ा। 1952 में लोक सभा में महिलाओं का प्रतिशत 4.4 था जो 2004 की लोक सभा में बढ़कर मात्र 8.1 प्रतिशत हुआ है। राज्य विधान सभाओं की भी लगभग यही स्थिति है। यदि समस्त राज्यों की विधान सभाओं में महिलाओं की भागीदारी का यदि अंकलन किया जाये तो यह लगभग 05

प्रतिशत के आस–पस है। इस प्रकार संसाद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मामले में भारत का विश्व में 88वां स्थान है।

01 मार्च 2003 को यूनाईटेड नेशन्स डेवलेपमेण्ट फण्ड फार वूमेन ने प्रोग्रेस आफ दि वर्ल्ड वूमेन' रिपोर्ट प्रस्तुत की, इसके अनुसार उत्तरी अफ्रीका के 13 देशों की संसदों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अमेरिका, फ्रांस एवं जापान जैसे देशों से अधिक हैं।

महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग ने 1990 में सुझाव दिशा था कि निर्णय लेने वाली महिलाओं की भागेदारी कम से कम 30 प्रतिशत होना चाहिए। परन्तु विश्व के केवल 11 देशों में 30 प्रतिशत की सीमा रेखा को पार किया गया है। भारत की राजनीतिक संस्कृति पुरूष प्रधान रही है। महिलाओं से महत्वपूर्ण निर्णयों में राय नही ली जाती। राजनीति से जुड़ी महिलाए चरित्र हत्या का शिकार हो जाती है और समाज उन्हें शंका की दुष्टि से देखता है। परिणाम स्वरूप सामाजिक रूप से प्रतिबद्ध व राजनीतिक रूप से जागरूक महिलाए सामाजिक कार्यो या स्वयं सेवी संगठनों के माध्यम से जन आन्दोलन से जुड़ गयी हैं। राजनीति में अधिकतर वही महिलाए हैं जो किया जो राजीनतिक परिवारों से जुड़ी है या राजघरानों से हैं।

राजनीतिक दल भी महिला प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारने के लिए अनिच्छुक रहते हैं। अभी भी महिला प्रत्याशी अपने जन्म या राजनीतिक संरक्षण के कारण राजनीतिक दलों के प्रत्याशी के रूप में स्थान पाती है। यद्यपि मतदाताओं में महिलाओं की संख्या आधी है। परन्तु कुल प्रत्याशी में उनका प्रतिशत बहुत कम है।

ऐसी स्थिति में यदि संसद व विधान समाजों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना है तो उसका एक मात्र रास्ता स्थानीय स्वशासी संस्थाओं (नगर पंचायत, जिला पंचायत, नगरपालिका, महापालिका एवं ग्राम पंचायतों) की तरह उन्हें 33 प्रतिशत आरक्षण देना है। जब अध्ययन क्षेत्र की उत्तर दाताओं से हमने प्रश्न किया कि राजनैतिक पदों, संसद, विधानसभा, विधान परिषद पंचायत, महापालिका या अन्य व्यवस्थापिकाओं में आप महिलाओं के लिए स्थान। पदों को आरक्षित करना आवश्यक समझती है? तो हमारी उत्तरदाताओं में दो सो अठहत्तर (90.85 प्रतिशत) महिलाओं के लिए पदों का आरक्षण आवश्यक समझती है। केवल अठ्ठाइस (09.15 प्रतिशत) आवश्यक तो नहीं समझती किन्तु महिलाओं की राजनीति में भूमिका को गलत भी नहीं मानती।

सारणी सं0–51

उत्तरदाताओं के महिला–आरक्षण के पक्ष में तर्क

क्र. सं.	महिला आरक्षण के पक्ष में तर्क	जाति समूह				योग
		सवर्ण	पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अन्य धर्म के उत्तरदाता	
5.	महिलाए अपनी बात अच्छी तरह कह सकती हैं	20	43	22	04	89
		(21.74)	(31.85)	(33.33)	(30.77)	(29.00)
6.	पुरूषों के समान अधिकारियों के लिए	35	32	24	05	96
		(38.00)	(23.70)	(36.36)	(38.47)	(31.37)
7.	महिला सशक्तिकरण के लिए	08	30	07	02	47
		(08.70)	(22.23)	(10.61)	(15.38)	(15.37)
8.	शोषण रोकने के लिए	07	25	07	02	41
		(07.61)	(18.52)	(10.61)	(15.38)	(13.40)
9.	संवैधानिक अधिकारों के लिए	22	05	06	00	33
		(23.90)	(03.70)	(09.09)		(10.73)
	योग	**92**	**135**	**66**	**13**	**306**
		(100.00)	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**

नवासी (29.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का विचार है कि यदि वयवस्थापिकाओं में महिलाओं को आरक्षण मिलेगा तो वह अपनी बात अर्थात् महिलाओं का पक्ष अच्छी प्रकार से रख सकती हैं। इनमें बीस (21.74 प्रतिशत) सर्वण उत्तरदाता, तैतालिस (31.85 प्रतिशत) पिछड़े वर्ग की उत्तरदाता, और सर्वाधिक प्रतिशत 33.33 प्रतिशत (बाइस) अनुसूचित जाति की उत्तरदाता और चार (30.77 प्रतिशत) अन्य धर्मो की माननेवाली उत्तरदाता है।

छियानबे (31.37 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने पुरूषों के समान अधिकार प्राप्त करने के लिए महिला आरक्षण अनिवार्य बताया और 35 नहीं बल्कि 50 प्रतिशत आरक्षण की बात कही।

सैतालिस (15.37 प्रतिशत) महिलाएं महिला सशक्तीकरण की दृष्टि से आरक्षण अनिवार्य मानती है। इकतालिस (13.40 प्रतिशत) पुरूषों, सांस्कृतिक मूल्यों और परम्परागत शोषण से मुक्ति के लिए महिला आरक्षण की वकालत करती हैं । किन्तु तैतीस (10.78 प्रतिशत) ने इसे अपना सवैधानिक अधिकार मानते हुए विभिन्न संस्थाओं महिलाओं के लिए स्थान सुरक्षित रखने की बात कही।

लोक सभा और विधान सभाओं में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण देने के लिए संवधिान (81वां संशोधन) विधेयक 1998 में लोक सभा में प्रस्तुत करने का प्रयास हुआ, परन्तु इस आरक्षण के भीतर अन्य पिछड़ी जातियों एवं अनुसूचित जातियों जनजातियों के आरक्षण को लेकर हंगामों के कारण यह उचित ढंग से प्रस्तुत नहीं हो पाया यह आशा करना कि विभिन्न

राजजैतिक दल अपने दलीय प्रत्याशियों के चयन में महिलाओं की भूमिका उदाहरणार्थ एक तिहाई स्थान देंगे एक दिवा स्वप्न हैं।

देश के समस्त राजनीतिक दल सैद्धान्तिक रूप से महिला आरक्षण के पक्ष में हैं परन्तु वर्षों की मसक्कत के बाद भी महिला आरक्षण विधेयक अभी तक संसद द्वारा पारित नहीं हो सका। सच तो यह है कि ऊपर से दिखावे के बावजूद समस्त राजनीतिक दल संसद एवं विधान सभाओं में महिलाओं के 33 प्रतिशत आरक्षण से डरते है क्योंकि बहुत से सांसदो और विधायकों के अपनी सीट छोड़नी होगी और राजनीति में महिलाओं की सकारात्मक भूमिका पुरूषों के होश उड़ा देगी।

आरक्षण के अतिरिक्त अन्य अनेक सुझाव भी चर्चा में आए हैं जिससे संसद एवं विधान सभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ सकता है। चुनाव आयोग का सुझाव था कि राजनैतिक दलों के लिए अनिवार्य किया जाए कि वे उम्मीदवारों के चयन में एक निश्चित प्रतिशत टिकट महिलाओं को दे नही तो उनकी मान्यता समाप्त कर दी जाय तथा चुनाव चिन्ह जक्त कर लिया जाए। भारतीय जनता पार्टी के वियज कुमार मल्होत्रा का सुझाव था कि लोकसभा/विधान सभा कि एक तिहाई सीटे द्विसदस्यीय बना दी जाय, जिससे एक पुरूष और एक महिला चुनी जाये। इसमें पुरूषों की सदस्यता नहीं घटेगी और महिलाओं की संख्या बढ़ जायेगी। पूर्व प्रधानमंत्री और कूट नीतिज्ञ श्री इन्द्रकुमार गुजराल का सुझाव था कि चुनाव के बाद राजनीतिक दलों के लोक सभा तथा विधानसभा में अपने चुने सदस्यों की संख्या के 20 से 30 प्रतिशत तक महिलाओं को नामज़द करने का अधिकार होना चाहिए। इससे सदन की संख्या 20 से 30 प्रतिशत तक बढ़ जायेगी।

दस प्रतिशत महिलाए सीधे चुनकर आएंगी। इस प्रकार महिलाओं की संख्या 30 से 40 प्रतिशत हो जायेगी। इससे राजनीतिक दलों को पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों एवं अल्पसंख्यकों में से महिलाए नामजद करना सम्भव होगा।

जिस तरह महिलाओं में राजनीतिक चेतना बढ़ रही है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उन्हें उनके अधिकारों और कर्तव्यों से रू–ब–रू कर रही है, उससे राजनीति में उनकी भूमिका का निश्चित आरक्षण बहुत दिनो तक टालना संभव नही है। मजे की बात यह है कि देश की आधा दर्जन से अधिक राजनैतिक पार्टियों, भारतीय, राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, ए. डी.एम. के, पी.डी.पी., तृण मूल कांग्रेस जैसी महत्वपूर्ण पार्टियों का नेतृत्व महिलाओं के हाथ में हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश जैसे प्रान्तों में वे मुख्यमंत्री के पद पर आसीन है। ऐसी स्थिति में महिलाओं को राजनीति में समुचित भूमिका न सौंपना कोई औचितय पूर्ण नहीं है।

जिन उत्तरदाताओं ने महिलाओं के लिए राजनीति में उनकी भूमिका को अनिवार्य नहीं बतलाया था (सारणी–इक्यावन) जब उनसे इसका कारण पूछा गया तो चार प्रकार के उत्तर प्राप्त हुए।

I. महिलाओं को गृहणी के रूप में ही अपनी भूमिका का निर्वाह करना चहिए।

II. महिलाओं को राजनीति का अनुभव ही नहीं है।

III. राजनीति में महिलाए असुरक्षित हैं।

IV. पुरूष चुनी जाने के बाद भी महिलाओं को अपनी भूमिका का निर्वाह नहीं करने देते।

अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने महिलाओं की भूमिका का एक खास प्रतिरूप गढ़ा है। एक ऐसा प्रतिरूप, जिसे भारत ने कभी नहीं देखा था। अब महिलाओं की भूमिकाए एक बारगी सबको चौका रही है और समाज में एक हद तक उथल पुथल भी मची है। परम्परावादी इसे सांस्कृतिक आक्रमण कह सकते हैं किन्तु महिलाए इसे अपनी चेतना जागरूकता और अधिकार की संज्ञा देती है।

चिंतक तथा मीडिया के पक्षघर में मैत्रयी पुष्पा इसको इस मत के साथ देखती है। कि एक नई दृष्टि महिलाओं में उजागर हुई है। आजादी के बाद पचास साल में रो–पीटकर जो कुछ महिलाओं के समाने फेंका है वह है आरक्षण, जो केवल पंचायत स्तर तक है। सतियों को सत्ता में आरक्षण। कि मदारियों का तमाशा। कबीर की बानी में कहें ''मोय सुनि आवत हाँसी।''

हँसने की बात है, कि स्त्री आयोग, महिला समितियाँ, कल्याणकारी योजनाए, संविधान गंभीरता से इस दबे–कुचले महिला–वर्ग के लिए चिंतित हैं। महिलाओं पर किसी प्रकार का अत्याचार न होने पाए इसलिए महिला पुलिस तैनात है। फिर भी महिलाओं के विरूद्ध अत्याचार, उत्पीड़पन, अपराध आदि की घटनाए सब से अधिक हो रही है यह तथ्य जितना कटु सत्य है उतना ही यह भी कि अत्याचारों और उत्पीड़न के आग में तपकर महिलाए अपने अधिकारों और उससे बड़ी भूमिकाओं के प्रति उतनी ही अधिक संवेदन शील है। एक दशक्र पहले तक काम काजी महिलाओं की पगार पर पति, पिता या किसी न किसी पुरूष का अधिकार ही होता था, किन्तु अब वे अपने वेतन या पैसे की स्वयं मासिक हैं। जब हमने उनसे यह प्रश्न किया

कि आप अपने पैसे (वेतन आदि में प्राप्त) किस प्रकार और कहाँ खर्च करती है तो सत्तावन (18.63 प्रतिशत) का उत्तर था कि हम अपनी मर्जी से अपने ऊपर खर्च करते हैं। एक सौ चौबीस (40.52 प्रतिशत) का कहना था कि खर्च तो परिवार के ऊपर ही करते हैं किन्तु अपनी इच्छा के अनुसार बिना किसी प्रकार के दबाव या सलाह के उनतालिस (12.75 प्रतिशत) धन खर्च परिवार वालों की इच्छा और उनकी भावनाओं को ध्यान में रखकर करती हैं। पचास (16.34 प्रतिशत) अपने धन को बच्चों के कैरियर पर खर्च करती है इनके लिए बच्चों का भविष्य अधिक महत्वपूर्ण है। छत्तीस (11.76 प्रतिशत) उत्तदाता इस प्रकार की है जो अपने धन को जमा करती हैं और परिवारिक उत्सवों त्योहारों एवं शादी विवह में गिफ्ट आदि पर खर्च करती है। उपयुर्क्त सारणी –बावन के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि 85 प्रतिशत से महिलाए अपने धन का उपयोग अपनी इच्छा या मर्जी के करती हैं भले ही वह धन अपने परिवार के ऊपर ही क्यों न खर्च कर दें अब यह सम्भव नहीं कि मेहनत औरत करे और उसके मेहनताने पर परिवार को पुरूष सदस्यों का अधिकार रहे।

सारणी सं0–52

उत्तरदाताओं के द्वारा अपना पैसा (धन) खर्च करने की विधियाँ

क्र. सं.	विधियां	जाति समूह				योग
		सवर्ण	पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अन्य धर्म के उत्तरदाता	
1.	अपने ऊपर अपनी इच्छा से	15	26	12	04	57
		(16.30)	(19.26)	(18.18)	(30.77)	(18.63)
2.	परिवार के ऊपर अपनी इच्छा से	38	47	35	04	124
		(41.30)	(34.81)	(53.03)	(30.77)	(40.52)
3.	परिवार वालों की इच्छा से	12	15	09	03	39
		(13.04)	(11.11)	(13.64)	(23.07)	(12.75)
4.	बच्चों के कैरियर पर	18	22	08	02	50
		(19.57)	(16.30)	(12.12)	(15.39)	(16.34)
5.	जमा करते हैं उत्सवों में खर्च करते है	09	25	02	00	36
		(09.78)	(18.52)	(03.03)		(11.76)
	योग	**92**	**135**	**66**	**13**	**306**
		(100.00)	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**

महिलाए कड़ी मेहनत और पक्के इरादे के साथ भविष्य में निरन्तर आगे की ओर बढ़ रही है, सफलता उनके कदम चूम रही है। हमने अपने उत्तरदाताओं से प्रश्न किया कि सफलता प्राप्त करने के लिए आप किसे अधिक महत्व देती है, कड़ी मेहनत, भाग्य? दूसरों के सहयोग, शिक्षा या अधिकारियों और नेताओं की चमचागिरी को। तो एक सौ चौबीस (40.52 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने कड़ी मेहनत और पक्के इरादे को सफलता का मूल मंत्र बताया इनमें चवालिस (47.83 प्रतिशत) सवर्ण, उनचास (36.30 प्रतिशत) पिछड़े वर्ग की अठ्ठाइस (42.42 प्रतिशत) अनुसुचित जाति और तीन (23.08 प्रतिशत) अन्य धर्मो की उत्तरदाता हैं (सारणी– त्रेपन) इनका

कहना था कि जब महिलाओं के हौंसले हो बुलंद तो सफलता तो मिलनी ही मिलनी है अब सूचना तकनीक के माध्यम से हमारे लिए नये –नये अवसर हैं हम अपनी इच्छा से अपने जॉब को बदल सकते हैं या फिर नौकरी के साथ–साथ अर्थोपार्जन के अन्य कार्य भी कर सकते हैं। अतः सफलता और हमारा कैरियर मेहनत के साथ–साथ चलती है।

सफलता के भाग्य के साथ जोड़ने वाली उत्तरदाताओं की संख्या चौबीस (07.84 प्रतिशत) है इनमें आठ (8.70 प्रतिशत) सवर्ण बारह (8.89 प्रतिशत) पिछड़े वर्ग तीन (04.55) अनुसूचित जाति और एक (07.69 प्रतिशत) अन्य धर्म की उत्तरदाता है इनका कहना है कि सफलता समय और भाग्य दोनों से जुड़ी है, क्योंकि समय से पहले और भाग्य से अधिक कमी किसी को कुछ प्राप्त नही हो सकता।

जीवन में सफलता और उन्नति के लिए दूसरों का सहयोग अनिवार्य है, ऐसा मानने वाले छियासठ (21.57 प्रतिशत) उत्तरदाता हैं। इनका तर्क था कि परिवार के सदस्यों का सहयोग और सहमति, मित्रों का सहयोग और गुरूजनों का दिशा निर्देशन सफलता के लिए आवश्यक है। इस वर्ग में बीस (21.74 प्रतिशत) सवर्ण उत्तरदाता, बत्तीस (23.70 प्रतिशत) पिछड़े –वर्ग के उत्तरदाता, बारह (18.18 प्रतिशत) अनुसूचित जाति के और (15.38 प्रतिशत) अन्य धर्मों को मानने वाली उत्तर दाता हैं।

जितना आवश्यक कड़ी मेहनत और पक्का इरादा सफलता प्राप्त के लिए अनिवार्य है, उतना ही आवश्यक शिक्षा है। शैक्षिक प्रगति और प्रशिक्षण के द्वारा आप आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते है ऐसा कहना है चौसठ (20.92 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का। इन उत्तरदाताओं में पन्द्रह (16.30

प्रतिशत) सवर्ण, सत्ताइस (20.00 प्रतिशत) पिछड़े वर्ग, अठारह (27.27 प्रतिशत) अनुसूचित जाति और चार (30.77 प्रतिशत) अन्य धर्मो को मानने वाली सम्मलित है।

हाँस्यापद् और मनोरंजन तथ्य यह है कि हमारी उत्तरदाताओं में अठ्ठाइस (09.15 प्रतिशत) ऐसी भी हैं जो 'चमचागिरी' या अधिकारियों की चापलूसी अथवा खुशामद को ही सफलता की सीढ़ी मानते हैं। इनमें पांच (05.43 प्रतिशत) सवर्ण जाति समूह की उत्तरदाता, पन्द्रह (11.11 प्रतिशत) पिछड़े वर्ग की पांच (07.58 प्रतिशत) अनुसुचित जाति की और तीन (23.08 प्रतिशत) अन्य धर्मो को मानने वाली उत्तरदाता है।

सारणी सं0–53

उत्तरदाताओं के अनुसार उनकी सफलता का राज

क्र. सं.	सफलता का राज	जाति समूह				योग
		सवर्ण	पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अन्य धर्म के उत्तरदाता	
1.	कड़ी मेहनत / पक्का इरादा	44	49	28	03	124
		(47.83)	(36.30)	(42.42)	(23.08)	(40.52)
2.	भाग्य	08	12	03	01	24
		(08.70)	(08.89)	(4.55)	(07.69)	(07.84)
3.	दूसरों का सहयोग	20	32	12	02	66
		(21.74)	(23.70)	(18.18)	(15.38)	(21.57)
4.	शिक्षा / प्रशिक्षण	15	27	18	04	64
		(16.30)	(20.00)	(27.27)	(30.77)	(20.92)
5.	चमचागिरी	05	15	05	03	28
		(05.43)	(11.11)	(07.58)	(23.08)	(09.15)
	योग	**92**	**135**	**66**	**13**	**306**
		(100.00)	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**

पूरे विश्व में महिलाओं के प्रति पुरूषों का उत्पीड़न, महिलाओं के साथ होने वाले अपराध प्रतिवर्ष 20 प्रतिशत बढ़ते जा रहे हैं। झिझक, लाज, शर्म भय आदि के कारण महिला–उत्पीड़न की घटनाए सामने नही आती। महिला को झूठा और दोषी प्रमाणित करने की एक पक्षीय कार्यवाही के विरोध में महिला संगठनों का कहना है कि महिला न तो झूठी है और न ही दोषी है। पीड़ित महिला सबूत/ प्रमाण कहाँ से जुटाए? महिला संगठनों ने प्रश्न खड़ा किया कि पुलिस की 'समझाइस' के आधार पर महिलाओं को दबाने की प्रवृत्ति कहाँ तक उचित है।

व्यवहारगत औचित्य 'बोझ' से पुलिस प्रक्रिया नहीं चलती है, ऐसे में क्या उन्हें इस तरह की छूट दी जानी चाहिए? अनेक मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही करने की प्रवृत्ति नही के बराबर है। कई बार तो प्रार्थना पत्र को जी.डी. में चढ़ा कर ही टाल दिया जाता है। उनकी भूमिका 'बिचौलिये' जैसी होती है। सामान्यतः यह माना जाता है कि कम पढ़ी लिखी अनपढ़ महिलाएं ही शोषण का शिकार हो जाती है। ऐसी परिस्थितियों में महिलाओं के मन में कभी न कभी ऐसा भाव आना स्वभाविक है कि वे महिला क्यों हैं? जब हमने उत्तरदाताओं से प्रश्न किया कि क्या कमी आप के मन में ऐसा भाव (विचार) आता है कि आप महिला क्यों है तो केवल अन्ठानबे (32.03 प्रतिशत) महिलाओं ने कहा कि हाँ इस प्रकार के विचार मन में आते हैं। किन्तु दो सौ आइ (67.97 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का कहना था कि नहीं इस प्रकार का कोई विचार कभी भी मन में नहीं आता क्यों कि यह कोई प्रश्न नहीं हैं कि पुरूष या महिला एक दूसरे से बेहतर या क्रम है, हम जो भी हैं उस पर हमें गर्व हैं। महिला होने के कारण हमारे पेशागत जीवन में कोई अन्तर नहीं आया है। एक उत्तरदाता

का कहना था किसी काम को कर पाने की कसौटी आपकी हारमोन्स संरचना नहीं है। हमें मानसिकता बदलने की जरूरत है ताकि लोग महिलाओं के काम को सहज माखौल में न उड़ा कर गंभीरता से लेना शुरू करें।

पुरूष प्रधान समाज में महिलाओं के बारे में सर्वाधिक अखरने वाली टिप्पणी यह होती है कि काम काजी महिलाओं में पेशेवर दक्षता नहीं होती लिहाजा वे स्वभाव से प्रतिस्पर्धी नहीं होती किन्तु मेरा विचार है कि महिलाओं में एक साथ कई काम करने की क्षमता होती है और प्रौद्यिगिकी उन्हें उनकी भूमिका में संतुलन बिठाने में मदद करती है। महिलाओं में समय का अच्छा प्रबंधन और प्राथमिकताए तय करने की योग्यता होती है। वे फैसला कर सकती है कि समय विशेष में किस कार्य/वस्तु/चीज को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और उसी पर पूरा ध्यान केन्द्रित करती है।

महिलाओं के अन्दर संकल्प का सौंदर्य होता है। वे जुझारू अर्थकरता से लेकर प्रयोगशील डिजाइनर और कुशल प्रबंधक तक आज प्रत्येक भूमिका में वे दूसरों को राह दिखा रही है आजादी अब उनके लिए असंभव नहीं बल्कि एक जरूरी लक्ष्य है।

शहर की महिलाए अपने तरीके से अपनी जिन्दगी जीने को आतुर हैं। प्रभुचावला (2007) अर्थव्यवस्था के उफान में जब अवसरों की बयार किस्मत के दरवाजे पर दस्तक दे रही है तो पढ़ी लिखी महत्वाकांक्षी युवा महिलाएं अपने कैरिअर को केवल बच्चों को पढ़ाने या रिसेप्शनिस्ट की चौदद्दी तक ही सीमित नहीं कर देना चाहती वे व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों का रूख कर रही हैं।

हमारी उत्तरदाताओं में जिनके (अठ्ठानबे) मन में यह भाव आता है कि वे महिला क्यों है? इसका कारण पूछा गया तो उनसे तीन प्रकार के उत्तर प्राप्त हुए। बत्तीस (32.65 प्रतिशत) का कहना था कि जब पुरूषों के द्वारा हमें प्रताड़ित या उत्पीड़ित किया जाता है, तब ऐसा महशूश होता है कि औरत होना बेकार है। तैतालिस (43.88 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का कहना था कि पुरूषों के द्वारा महिलाओं के कार्यों को लेकर अक्सर हंसी (मजाक) उड़ाई जाती है जैसे–यह कार्य महिला के लिए नहीं है। ऐसा महिलाएं नहीं कर सकती। 'या' औरत हो तो अपनी सीमा (हद) में रहो उस समय अपना औरत होना अखरता है, कोफ्त होती है कि हम औरत क्यों है? तेइस (23.47 प्रतिशत) का कहना था कि पुरूष, महिलाओं से अपने को हमेशा उच्च मानते हैं और हम पर हमेशा अपना अधिकार जताने की कोशिश करते हैं हमारी सांस्कृतिक मान्यताए परम्पराए भी पुरूषों को अधिकार दिये हुए हैं। अर्थात् जब पुरूष अपने को महिलाओं से उच्च मानते हैं तब अपने को औरत/महिला/स्त्री शब्दों से सम्बोधित किया जाना अजीब सा लगता है।

हम इस तथ्य से इन्कार नहीं कर सकते कि भारतीय शहरी/नागरीय महिलाएं पहले के मुकाबले न सिर्फ अधिक समृद्ध हुई है बल्कि अधिक शिक्षित भी हुई हैं, यह बताने के लिए न तो समाचार– पत्रों में स्तंभो की कमी है और न मिसालों या आंकड़ो की। दमदार बिजनेश कार्ड और डबल एम.ए. की डिग्रियां तो महिलाओं की आधी अधूरी कहानी ही कहती है। भारत के महानगरों और नगरों में महत्वाकांक्षी युवा महिलाएं तो अपनी लड़ाई अब कंपनियों के बोर्ड रूम से बाहार ले जा रही हैं। और अपनी नई आजादी की सबसे कठिन परीक्षा समाज की आदिकालीन रूढ़ियों से विद्रोह

करने में रही है। नए–नए प्रयोग करने में अब उन्हें डर नहीं है हालत से सामंजस्य बढ़ाने की उनमें क्षमता है। अपने जीवन और भविष्य के लिए वह स्वयं ही जिम्मेदार हैं। और हमारी समझ में यह उनकी आजादी का असली प्रमाण है। अज जब वे स्वयं परिवार घर या नातेदारी की सुरक्षित छाया से बाहर आ रही है, तो विडंबना यही है कि उनके विशिष्ट भारतीय मूल्य अपनी पूर्ण अभिव्यक्ति पा रहे हैं। समाज का नज़रिया भी बदल रहा है। अब अकेले किराये के मकान में रहने वाली कामकाज़ी महिला को शंकालु मकान मालिक किराए पर देने इनकार नहीं करता। पड़ोसी भी मीन–भेख नहीं निकालते । माता–पिता भी अशंकाग्रस्त हो कर आज की आजाद ख्याल महिला के लिए कोई अड़चन नहीं है उसने अपनी राह और अपनी जगह बनाना सीख लिया है।

किन्तु फिर भी महिलाए परम्परागत कायदे, कानून मूल्य, विश्वास और सांस्कृतिक आदर्शों का उल्लंघन करने या उन्हें तोड़ने में विश्वास नहीं करती। जब उत्तरदाताओ से यह प्रश्न किया गया कि वे परम्परागत कायदे/कानून तोड़ने से क्या डरती है? तो एक सौ निन्यानबे (65.03 प्रतिशत) उत्तर घटाओं ने उत्तर हाँ में दिया ओर एक सौ सात (34.97 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का उत्तर नहीं था।

स्वतंत्र विचारों और तरक्की पसंद महिलाएँ अपनी बेटियों/लड़कियों को भी शिक्षित और प्रशिक्षित करके उनके उज्ज्वल भविष्य की परिकल्पना करती हैं। हमारी उत्तरदाताओं में (सारणी– चौवन) सत्तानबे (31.70 प्रतिशत) अपने बेटियों को अध्यापक और बैंक कर्मचारी/अधिकारी बनाना चाहते हैं। उनका मानना है लड़कियों और महिलाओं के लिए विद्यालयों और बैंको में

कार्य करना सरल है उनका भविष्य इसमें सुरक्षित रहता है अतः हम अपनी बेटियों को बैंक में अधिकारी या शिक्षा विभाग में कार्य करना चाहते हैं।

सारणी सं0–54

उत्तरदाताओं के द्वारा भविष्य में अपनी बेटियों / लड़कियों के लिए परिकल्पना

क्र. सं.	परिकल्पना	जाति समूह				योग
		सवर्ण	पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अन्य धर्म के उत्तरदाता	
1.	अध्यापक / बैंक अधिकारी	15	48	32	02	97
		(16.30)	(35.56)	(48.48)	(15.38)	(31.70)
2.	टी0वी0 कलाकार पत्रकार लेखक	08	06	01	03	18
		(08.70)	(04.44)	(01.56)	(23.08)	(05.88)
3.	व्यापार / कम्प्यूटर व्यवसाय	06	13	03	03	25
		(06.52)	(09.63)	(04.55)	(23.08)	(08.17)
4.	सेना / प्रशासनिक अधिकारी	38	42	15	04	99
		(41.30)	(31.11)	(22.73)	(30.77)	(32.35)
5.	विवाह करना ही संतुष्टि	05	08	04	00	17
		(05.43)	(05.93)	(06.06)		(05.56)
6.	इंजीनियर / डॉक्टर या एम.बी.ए.	20	18	11	01	50
		(21.75)	(13.33)	(16.67)	(07.69)	(16.34)
	योग	**92**	**135**	**66**	**13**	**306**
		(100.00)	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**

अठारह (05.88 प्रतिशत) उत्तरदाता ऐसी हैं जो अपनी बेटियों और लड़कियों में टी.वी. कलाकार, पत्रकार या लेखक, कहानीकार आदि की प्रतिमा महसूस करती है और उन्हें या उनके भविष्य की परिकल्पना इसी रूप में करती हैं। इनमें सवर्ण उत्तरदाता ज्यादा महत्वाकांक्षी हैं।

व्यापार, व्यवसाय और कम्प्यूटर प्रशिक्षण में अपनी बेटियों के भविष्य की परिकल्पना करने वाली पच्चीस उत्तरदाता (08.17 प्रतिशत) है। ये अपनी लड़कियो को कम्प्यूटर शिक्षा दे रही है। और कम्प्यूटर डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग और ई–लार्निग आदि के माध्यम से अपनी लड़कियों के भविष्य को बनाना चाहती हैं। कम्प्यूटर प्रशिक्षण का दूसरा लाभ इन्हें यह दिखाई देता ह कि यदि पति व्यापारी हुआ तो कम्प्यूटर के माध्यम से फाइलिंग, बिलिंग या पत्राचार में लड़की उनकी सहायता भी कर सकती है।

निन्यानबे (32.35 प्रतिशत) उत्तरदाता अत्यन्त महत्वाकाक्षी है और अपनी बेटियों/लड़कियों के लिए डिफेन्स या प्रशासनिक अधिकारी के पद की परिकल्पना करती हैं। इनका कहना है कि लड़कों की ही तरह ये लड़कियों को भी अच्छी कोंचिग कराकर पुलिस, सेना अथवा प्रशासन में अधिकारी बनाना चाहती हैं। इन उत्तरदाताओं में अड़तिस (41.30 प्रतिशत) सर्वण, बयालिस (31.11 प्रतिशत) पिछड़े–वर्ग, पन्द्रह (22.73 प्रतिशत) अनुसूचित जाति एवं चारा (30.77 प्रतिशत) अन्य धर्मो की उत्तरदाता है।

सत्रह (05.56 प्रतिशत) इस प्रकार की उत्तरदाता भी हैं जो अपनी लड़कियों का अच्छे 'वर' और 'घर' में विवहा करने को ही उनके सुखमय भविष्य का आधार मानती हैं। इनका यह कहना है कि लड़की को आप कुछ भी बना दीजिा यदि उसका विवाह अच्छे 'घर–वर' से नहीं हुआ तेा उसका जीवन सुखमय व्यतीत नहीं होगा।

लड़कों को, इंजीनियर, डॉक्टर अथवा एम.बी.ए., एम.सी.ए. की डिग्री दिलाकर उनके सुखमय भविष्य की परिकल्पना करने वाली पचास (16.34 प्रतिशत) उत्तरदाता हैं। ये प्रोफेशनल और टैथ्क्नकल शिक्षा को अधिक

महत्वपूर्ण मानती हैं। इनमें सवर्ण उत्तरदाताओं की संख्या बीस (21.75 प्रतिशत) पिछड़े वर्ग की अठारह (13.33 प्रतिशत) अनुसूचित जाति की ग्यारह (16.67 प्रतिशत) और एक (07.69 प्रतिशत) अन्य धर्मों को मानने वाली उत्तरदाता है।

सारणी चौवन के समग्र विश्लेषण से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि दो सौ नवासी (94.44 प्रतिशत) उत्तरदाता चाहे वे किसी भी जाति समूह को क्यों न हो अपनी लड़कियों के भविष्य को केवल अच्छे विवाह में सुरक्षित अनुभव नहीं करती वे अपनी लड़कियों को पढ़ा लिखाकर प्रशिक्षित कर के जॉब या व्यवसाय के योग्य बनाकर ही उसके विवाह या सुखमय भविष्य की परिकल्पना करती हैं। केवल सत्रह (05.56 प्रतिशत) उत्तरदाता ऐसी हैं जो परम्परागत वैवाहिक परिकल्पना में उज्ज्वल भविष्य देखती है।

हमारी उत्तरदाताओं में दो सौ इक्कीस (72.22 प्रतिशत) विवाह के बाद अपनी लड़कियों के काम करते रहने को उचित मानती हैं और पच्चासी (27.78 प्रतिशत) का उत्तर था कि विवाह के पश्चात ससुराल वालों की इच्छा और पति की मर्जी के अनुसार ही लड़की को जीना होगा।

सारणी सं0–55

उत्तरदाताओं के अनुसार विवाह के बाद उनकी लड़की को जीवन जीने के विकल्प

क्र. सं.	विकल्प	जाति समूह				योग
		सवर्ण	पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अन्य धर्म के उत्तरदाता	
1.	अपनी इच्छा और शर्तो पर	36	77	33	07	153
		(39.13)	(57.04)	(50.00)	(53.85)	(50.00)
2.	ससुरालवालों की इच्छानुसार	08	09	04	00	21
		(08.70)	(06.67)	(06.05)		(06.86)
3.	पति की इच्छानुसार	41	42	23	05	111
		(44.57)	(31.11)	(34.85)	(38.46)	(36.27)
4.	माता पिता की इच्छानुसार	02	03	03	01	09
		(02.17)	(02.22)	(04.55)	(07.69)	(02.94)
5.	परम्परागत रूप में	05	04	03	00	12
		(05.43)	(02.96)	(04.55)		(03.93)
	योग	**92**	**135**	**66**	**13**	**306**
		(100.00)	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**

उत्तरदाता अपनी लड़कियों को विवाह के बाद किस तरह के जीवन जीने की प्रमुखता देती हैं इस सम्बन्ध में हमने उनके सामने कुछ विकल्प रखे (सारणी–पचपन) जैसे : विवाह के बाद लड़की को अपनी इच्छा और शर्तों पर जीवन जीना चाहिए, ससुरालवालों की इच्छानुसार, अपने पति की इच्छानुसार माता–पिता (अभिभावक) की इच्छानुसार अथवा परम्परागत तरीके से।

हमारी उत्तरदाताओं में एक सौ तिरपन (50.00 प्रतिशत) का मानना है कि विवाह के बाद लड़की को अपनी इच्छानुसार जीवन जीने की आजादी होना चाहिए इक्कीस (06.86 प्रतिशत) का उत्तर था कि सुसराल वालों की

इच्छानुसार लड़की को रहना चाहिए। एक सौ ग्यारह (36.27 प्रतिशत) पति–पत्नी के मध्य सामंजस्य को धयान में रखते हुए पति की इच्छानुसार चलना लड़की (पत्नी) के लिए उचित मानती है। नौ (02.94 प्रतिशत) ऐसी उत्तरदाता भी हैं जो माता–पिता की इच्छानुसार विवाह के बाद लड़की को जीवन जीने का विकल्प बताती हैं, और बारह (03.93 प्रतिशत) परम्परागत रूप में जीवन जीने की सही मानती हैं।

आधुनिक परिदृश्य में महिलाओं के द्वारा, हीटर, ओवॅन, फ्रिज, वॉशिंग, मशीन, मिक्सी जैसे विद्युत उपकरणों का निरन्तर दैनिक जीवन के काम काज में प्रयोग किया जा रहा है। उनके अनुसार अब इन उपकरणों का उपयोग फैशन नहीं समय की आवश्यकता है, क्योंकि जमाने के साथ कदम मिलाकर चलने के लिए पति–पत्नी दो नौंका जॉब (नौकरी) में होना अनिवार्य है ऐसी दशा में यदि गृहणी के रूप में महिलाए इन सब विद्युत उपकरणों का प्रयोग नहीं करेंगी तो कार्यालय के साथ उनका समायोजन नहीं हो पायेगा। अतः एकागी परिवार में विद्युत उपकरण एक सम्भ 'नौकर' की तरह सेवा करते हैं, जिससे बहुत सा समय बचता है।

सारणी सं0–56

उत्तरदाताओं के द्वारा विद्युत उपकरणों के उपयोग से बचने वाला समय

क्र. सं.	बचने वाला समय (प्रतिदिन)	जाति समूह				योग
		सवर्ण	पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अन्य धर्म के उत्तरदाता	
1.	एक से तीन घण्टे	32 (34.78)	63 (46.67)	37 (56.06)	04 (30.77)	136 (44.44)
2.	तीन से छैः घण्टा	48 (52.17)	68 (50.37)	20 (30.30)	06 (46.15)	142 (46.41)
3.	छः घण्टे से अधिक	12 (13.05)	04 (02.96)	09 (13.64)	03 (23.08)	28 (9.15)
	योग	**92** **(100.00)**	**135** **(100.00)**	**66** **(100.00)**	**13** **(100.00)**	**306** **(100.00)**

एक सौ छत्तीस (44.44 प्रतिशत) उत्तरदाता प्रतिदिन एक से तीन घण्टे का समय विद्युत –उपकरणों के उपयोग से बचाती है, एक सौ बयालिस (46.41 प्रतिशत) उत्तरदाता प्रतिदिन तीन घण्टे से छैः घण्टे का समय और अठ्ठाइस (09.15 प्रतिशत) उत्तरदाता इस प्रकार की भी है जो छैः घण्टे से अधिक समय विद्युत उपकरणों के प्रयोग से बचाती हैं इनके पास कुफिंग रेंज, वाशिग मशीन, फ्रिज जैसे उन सभी उपकरणों की उपलब्धता है जो दैनिक जीवन में एक गृहणी के लिए उपयोगी है।

विद्युत उपकरणों के प्रयोग से बचे समय का सद्उपयोग महिलाएं विभिन्न प्रकार से करती हैं और अपने–अपने आर्थिक और सामाजिक स्तर के अनुसार बचे हुए समय का प्रयोग करती है। किटी–पार्टी, मनोरंजन, मौजमस्ती, सत्संगकीर्तिन हेल्थ क्लब जाने के समय से लेकर टी.वी. देखना, 2 FM रेडियो सुनना, बच्चों को होम, वर्क्र कराकर ट्यूटर के पैसे बचाना, कम्प्यूटर में काम करना, परिवार के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाना, सभी के लिए समय निकालती हैं, विशेषतः अवकाश के दिनों में परिवार के सदस्यों के साथ पिंकनिक या आउटिंग का भी समय निकल आता है।

तीन सौ छैः उत्तरदाताओ में एक सौ दस (35.95 प्रतिशत) तो अपने बचे हुए समय का उपयोग बच्चों के होम–वर्क को कराने में उपयोग करती हैं क्योंकि इस तरह बच्चों की प्रगति पर ध्यान रहता है और वे निरंकुश नहीं होते है। इन उत्तरदाताओं में बतीस (34.78 प्रतिशत) सवर्ण जातियों के चौवन (40.00 प्रतिशत) पिछड़े वर्ग के इक्कीस (31.82 प्रतिशत) अनुसूचित जातियों के और तीन (23.08 प्रतिशत) अन्य धर्मों को मानने वाली उत्तरदाता है।

उन्हत्तर (22.55 प्रतिशत) उत्तरदाता समय का सद्प्रयोग मूलतः मनोरंजन के रूप में टेलीविजन देखने, रेडियों सुनने आदि में करती है। अड़तालीस (15.69 प्रतिशत) परिवार के लिए अतिरिक्त आर्थिक संसाधन जैसेः खिलौने बनाना सिखाना, बुटिक का कार्य, सिलाई–कढ़ाई सिखाना या इसी प्रकार के अन्य कार्यों में करती हैं। कम्प्यूटर में कार्य करने वाली उत्तरदाताओं की संख्या सैतीस (12.09 प्रतिशत) है, जो विद्युत उपकरणों के दैनिक उपयोग में लाने से बचे समय का प्रयोग में लाने से बचे समय का प्रयोग करती हैं जिससे व्यावसायिक तथ्य सुरक्षित रहते है।

पच्चीस (08.17 प्रतिशत) उत्तरदाता इस समय का उपयोग सामाजिक और धार्मिक सम्बन्धों को अक्षुण्य बनाये रखने में करती है और सत्रह (05.56 प्रतिशत) मौज मस्ती मनोरंजन और किटी पार्टी में इस प्रकार बचे हुए समय को व्यय करती हैं। (सारणी–सत्तावन) इस प्रकार आधुनिक विद्युत उपकरण काम–काजी महिलाअें की भूमिका में जहाँ एक ओर रचानात्मक उत्पन्न कर उसे पुरूष के बराबर खड़ा करते हैं। वही उनका अपने बच्चों और परिवार के प्रति उत्तरदायित्व भी बढ़ रहा है जो पारिवारिक और सामाजिक नियंत्रण के लिए अनिवार्य है।

सारणी सं0–57

उत्तरदाताओं के द्वारा विद्युत–उपकरणों के उपयोग से बचने वाले समय का सद्उपयोग करने के प्रकार

क्र. सं.	समय के सद्उपयोग	जाति समूह				योग
		सवर्ण	पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अन्य धर्म के उत्तरदाता	
1.	मौज मस्ती किटी पार्टी	03	07	05	02	17
		(03.26)	(05.19)	(07.58)	(15.38)	(05.56)
2.	टी0वी0 प्रोग्राम रेडियो मनोरंजन	15	29	22	03	69
		(16.30)	(21.48)	(33.33)	(23.08)	(22.55)
3.	बच्चों के होम–वर्क में	32	54	21	03	110
		(34.78)	(40.00)	(31.82)	(23.08)	(35.95)
4.	कम्प्यूटर इन्टरनेट इ–लर्निगं	18	13	04	02	37
		(19.57)	(09.63)	(06.06)	(15.38)	(12.09)
5.	आर्थिक विकास	17	18	11	02	48
		(18.48)	(13.33)	(16.67)	(15.38)	(15.69)
6.	धार्मिक सामाजिक राजनैतिक दायित्व	07	14	03	01	25
		(07.61)	(10.37)	(04.55)	(07.70)	(08.17)
	योग	**92**	**135**	**66**	**13**	**306**
		(100.00)	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**

महिलाओं के जीवन और उनकी भूमिकाओं पर सूचना–प्रौद्योगिकी का सब से अहम प्रभाव उनकी मर्केटिंग टेक्नालॉजी और प्रक्रियाओं पर पड़ता है। वस्तुओं को वे कहाँ से क्रय करती है? वस्तुओं को क्रय करने की विधियाँ क्या हैं, मोलभाव, दुकान का स्टैण्डर्ड, सेल आदि छोटी –छोटी बातों पर पुरूषों की अपेक्षा महिलाएं अधिक ध्यान देती है क्योंकि दूरदर्शन के विज्ञापन, प्रचार के अन्य संसाधन उनके कार्य–व्यवहार की प्रत्यक्षतः प्रभावित करते हैं। इस प्रकार महिलाएं जब आपस में वार्तालाप करती हैं तो आदतन

एक दूसरे की नई वस्तुए उनके आकर्षण का केन्द्र होती है और उन वस्तुओं के गुण–दोष का मूल्यांकन परस्पर चर्चा का विषय होता है।

सारणी अठ्ठावन के द्वारा हमने उत्तरदाताअें के द्वारा वस्तुओं के क्रय करने की विधियों और प्रक्रियाओं का विश्लेषण किया है। हमारी उत्तरदाताओं में दो सौ आठ (67.97 प्रतिशत) उत्तरदाता वस्तुओं को स्वयं शापिंग के द्वारा क्रय करना अधिक पसंद करती हैं। इनमें इकसठ (66.30 प्रतिशत) सवर्ण, अठ्ठानवे (72.59 प्रतिशत) पिछड़े वर्ग इकतालीस (62.12 प्रतिशत) अनुसूचित जाति और आठ (61.54 प्रतिशत) अन्य धर्मो को मानने वाली उत्तरदाता हैं। सभी जाति समूहों की साठ प्रतिशत से अधिक उत्तर दाता स्वयं शापिंग के द्वारा वस्तुओं के क्रय करने में विश्वास क्यों करती था कि पुरूषों, बच्चो या नौकरों की अपेक्षा वस्तुओं की गुणवत्ता और परिमाणक अंकलन वे स्वयं अच्छी प्रकार कर सकती है। साथ ही साथ विज्ञापन/ प्रचार में जिस ब्राण्ड या कम्पनी की वस्तु पसंद आती है दुकानदार को स्वयं समझाना सरल होता है।

अठारह (05.88 प्रतिशत) उत्तरदाता ऐसी है जिन्हे समीपवर्ती बड़े नगरों इटावा, कानपुर आगरा आदि अक्सर जाना पड़ता है अतः वे अपनी गृह उपयोगी वस्तुए इन नगरों के मॉल से क्रय करना पसंद करती है, क्योंकि वहाँ कम कीमत पर अच्छी कम्पनी को अच्छी वस्तु उपलब्ध हो जाती है। चौकाने वाला तथ्य है कि मॉल क्रलचर के प्रति आकर्षण अपेक्षाकृत अनुसुचित जाति (21.21 प्रतिशत) के उत्तदाताओं के प्रति अधिक है।

छत्तीस (11.77 प्रतिशत) ऐसी उत्तरदाता भी हैं जो गृह उपयोगी वस्तुओं को क्रय करने स्वयं नहीं जाती बल्कि घर अथवा कार्यालय में काम

करने वाले नौकरों/चपरासियों या सहक्रमियों से क्रय कराती हैं। उत्तरदाताओं के इस वर्ग में उच्चपदस्थ, डाक्टर, अधिकारी भी सम्मलित हैं और शारीरिक रूप से असहाय उत्तरदाता भी हैं, इन उत्तरदाताओं का यह भी कहना है कि दूसरों पर विश्वास करके वस्तुओं को मंगाने से समय की बचत होती है जिसका सद्उपयोग हम अन्य बहुत से कार्यों में कर सकते हैं। महिलाओं के पुरूषों की अपेक्षा अधिक सामाजिक होना होता है। अतः अपने व्यस्त समय में से सामाजिक कार्यों और सामाजिक सम्बन्धों की भूमिकाओं का निर्वाह करना ज्यादा जरूरी है बाजार या मौल घूमने की अपेक्षा।

सारणी सं0—58

उत्तरदाताओं के द्वारा वस्तुओं के क्रय करने की विधियां

क्र. सं.	विधियां	जाति समूह				योग
		सवर्ण	पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अन्य धर्म के उत्तरदाता	
1.	स्वयं 'शपिगं करती है	61	98	41	08	208
		(66.30)	(72.59)	(62.12)	(61.54)	(67.97)
2.	'सेल' लगने की प्रतीक्षा करती है	05	08	03	02	18
		(05.43)	(05.93)	(04.55)	(15.39)	(05.88)
3.	बड़े—नगरों की माल से क्रय करती है	12	15	14	03	44
		(13.04)	(11.11)	(21.21)	(23.07)	(14.38)
4.	नौकरों/चपरासियों से वस्तुए मांगती है	14	14	08	00	36
		(15.23)	(10.37)	(12.12)		(11.77)
	योग	**92**	**135**	**66**	**13**	**306**
		(100.00)	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**

महिलाओं के अन्दर एक विशेष गुण होता है कि वे अपनी सम्पूर्ण व्यक्तित्व कला को वस्तुओं को पसंद करते समय प्रयोग में लाती हैं कभी पुरानी से पुरानी वस्तु उनके आकर्षण का केन्द्र होती है, कभी अभिनव वस्तुओं के प्रति आकर्षित हो जाती है और कभी–कभी तो विविधता पूर्ण वस्तुओं को 'रिमिक्स' कल्चर के रूप में प्रस्तुत करती है। हमारी उत्तरदाता भी नई–नई वस्तुओं, विविधता पूर्ण वस्तुओं पुरानी ओर मंहगी वस्तुओं जो गृह उपयोगी हो और विभिन्न संस्कृतियों के समिश्रण से बनी हुई वस्तुओं को पसंद करती हैं।

स्वायत्तता और स्वतंत्रता व्यवस्था भी है और जीवन मूल्य भी। जिस समय भारतीय संविधान पारित हुआ था, उस समय अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वाधीनता दी गई थी। परन्तु महिला के लिए आत्मनियंत्रण का सुझाव दिया गया था। दरअसल महिलाए यदि अपने काम में आत्मनियंत्रण रखे तो समजा और वे स्वयं दोनो ही सुरक्षित रहेंगे।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह अतिमहत्वपूर्ण तथ्य है कि आज सूचना क्रांति के इस महत्वपूर्ण दौर में स्वायत्तता के साथ–साथ एक जिम्मेदार सामाजिक प्रतिबद्धता की जबाब देही का फर्ज अदा करे। तभी सूचना प्रौद्योगिकी की सामाजिक प्रतिबद्धता, विशेषकर महिलाओं की भूमिकाओं और समस्याओं, महिलाओं के साथ–साथ युवक–युवतियों, एवं बच्चों माँ एवं घर परिवार की एक नई छवि संसार के सामने प्रस्तुत की जा सकती है, जिसके द्वारा एक नई दुनिया की परिकल्पना को साकार किया जा सकें।

21वीं सदी की आधुनिक जीवन शैली का पाश्चात्य प्रभाव इस तरह से महिलाओं को झकझोर रहा है। कि इसमें से भारतीयता का मर्म एवं

पहचान सामप्त होकर रह गई है। मीडिया एवं सूचना प्रौद्योगिकी ने विशेषकर भारतीय परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण घटना क्रम प्रस्तुत करना शुरू कर दिया है जो महिलाओं की भूमिका और अधिकारों को बदलती चली जा रही है। क्योंकि भारतीय सूचना तंत्र एंव टेलीविजन संचार तंत्र की सब से ज्यादा दर्शक मध्य वर्गीय बच्चे और घरेलू अथवा काम काजी महिलाएं ही हैं, जिनके लिए वह तंत्र–मंत्र से लेकर घरेलू नुस्खों, फैशन तथा सोप ऑपेराओं का लगातार प्रचार प्रसार एवं प्रसारण कर रहे हैं।

बदल रही फिजा

यह कलंक अपनी जगह है कि महिला विकास का रथ उत्तर प्रदेश में आकर अटक गया है (रोली खन्ना–दैनिक जागरण) यूपी में महिलाओं की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से करीब 11.5 प्रतिशत क्रम (केवल 42.2 प्रतिशत) है समस्त श्रम शक्ति में महिलाओं की सहभागिता की दर 08.6 प्रतिशत क्रम (केवल 6.1 प्रतिशत) है। यह विडम्बना ही है कि अधिकांश शिक्षित महिलाएं विकास की मुख्य धारा में उतरने की बजाय गृहणी के रूप में सीमित रहना चाहती हैं।

इन आंकड़ों से इतर व्यावहारिक धरातल पर महिलाये पूरे दमखम के साथ अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। छिटपुट विरोधों के बीच उन्हें मिल रही मान्यता साबित करती है कि अस्तित्व की जंग के लिए उनका संघर्ष रंग ला रहा हैं। महिलाओं ने उस धारणा को बदल दिया है कि यह औरत की नियति है कि वह पुरूषों की आधीनता में रहे। इसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता । महिला सशक्तीकरण और महिलाओं की ताकतवर भूमिकाओं के लिहाज से बीता वर्ष उत्तर प्रदेश के खाते में अनेकों

उपलब्धियां डाल गया है। एक ओर जहाँ युवतियों की नयी पौध में अपने अस्वीकार के अधिकार को पहचाना है। दर्जनों बरातों को वापस लौटाया है। वहीं दूसरी ओर महिला काजी डा0 सईदा ने निकाह की रस्म पूरी करके नया इतिहास रचा है ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड ने महिलाओं का निकाहनाम जारी किया प्रो0 सरोज चूड़ामणि गोपाल को चिकित्सा विश्वविद्यालय की प्रथम महिला कुलपति बनाया गया डाक सेवा की निदेशक आभा सिंह ने लीड इण्डिया कार्यक्रम में चौथा स्थान प्राप्त किया। देव्यागिरी को श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा ने पहली महिला सत चुना। आज भारत की महिला अपनी सशक्त भूमिका से समाज के अत्याचार के खिलाफ लड़ाई के दौरान स्त्री मुक्ति की परिभाषा खुद ही गढ़ रही है। वे उस मानसिकता को बदलना चाहती हैं जिसमें ओरत को दास समझना जाता है। पुरूष के प्रति महिला जिस पारंपरिक संबंध (दासता) को निभा रही है, उससे मुक्ति ही महिला स्वतंत्रता का सही मायने है। जिस दिन समाज इसे स्वीकार कर लेगा व्यवस्था का ढोंग समाप्त हो जाएगा।

वर्जनाए टूट रही हैं और कुछ समय पहले तक पुरूषों के पीछे चलने वाली अबला अब न केवल उनके कंधों से कंधा मिलाकर साथ–साथ चलने लगी है बल्कि कई क्षेत्रों में महिलाएं, पुरूषों को पीछे छोड़कर सफलता की नई इबारत लिख चुकी हैं।

अब उन्हें अबलामत कहिए, अपना हक और अधिकार, हिस्सा और वैधानिक भूमिका हासिल करने के लिए उनकी आंखों में पानी नहीं ज्वाला है। और इस बदलाव की गवाह है उनके हाथों में तनी लाठियां। बदलाव की बयार में समाज की ऐजी बुराइंया भी हवा हो गयी जिनसे पुरूषों का

समाज सदियों से चिपका था नारी सशक्तीकरण अब सूचना प्रौद्योगिकी, टी0वी0 सीरियल लेख, किताबों या मीडिया तक सीमित नहीं है, बल्कि हकीकत बन चुका है।

आधी दुनिया का इंकलाब (महिलाओं की बदलती भूमिका)

लाठी के दम पर बदलाव की बयार, मर्दो से पीड़ित महिलाओं का संगठन, आधी दुनिया के इंकलाब या पुरूषों के द्वारा महिलाओं के निरन्तर शोषण के विरूद्ध उनकी बदलती भूमिका की इबारत लिख रहे हैं।

बुन्देलखण्ड जैसे पिछड़े और साधनहीन क्षेत्र की संपत पाल के गुलाबी गैंग से प्रारम्भ हुई यह कहानी अब कई जिलों मूं अगड़ाई ले रही है। कानपुर के घाटमपुर की नीली सेना और फर्रूखाबाद की रेड आर्मी और मिसाइल सेना फिलहाल 'गुलाबी गैंग' के बनाये रास्ते पर कदम बढ़ा चुकी हैं।

घरेलू हिंसा, बाल विवाह, पुलसिया जुर्म, थाने में रिर्पोट न लिखी जाना, पति के द्वारा शराब पीना, जुआ खेलन आदि पुरूषों के जुल्मों के विरोध में गुलाबी गैंग सशक्त आवाज उठाती है।

मई 2008 में उत्तर प्रदेश की डीजीपी ने गुलाबी गैंग को नक्शली करार दिया, लेकिन हजारों महिलाओं के तकतबर विरोध के बार उन्हें अपना बयान वापस लेना पड़ा। इस दौरान अन्य जिलो में भी नारी सशक्तीकरण की प्रक्रिया अंगड़ाई लेने लगी है। एक ओर घूंघट धारी महिलाओं ने हाथ में लाठी थामकर शराब खोरी और जुए के खिलाफ अभियान शुरू किया है

दूसरी और कम्प्यूटर के माउस और लेपटाप के की–बोंड में ऊगलियों को घुमाकार पुरूषों को हैरत में डाल दिया है।

महिलाएं सफलता की नयी इबारत लिख रही हैं उनका संघर्ष नया रंग दिखा रहा है, बदलती फिजा में मुकम्मल तस्वीर बना रही हैं। बुन्देलखण्ड क्षेत्र के बाँदा जनपद में महिला सशक्तीकरण के नाम पर जिले से एक ही नाम के लोगों की जुबां पर है–वह है गुलाबी गैंग की कमाण्डर संपत पाल। उन्हें हाल में फ्रांस जाने पर फ्रांसीसी महिलाओं को भी गुलाबी गैंग का सदस्या बनाया। संपत को अमेरिका से भी निमंत्रण मिला है। प्रभा गुप्ता ने एक स्वैच्छिक संगठन के माध्यम से एड्स एवं भ्रूण हत्या रोकने के लिए काम किया। रायबरेली में कमी टूजून की रोटी के लिए संघर्ष करने वाली हिना परवीन आज स्वयं सहायता समूह की बछोलत ने केवल स्वयं अपने पैरों में खड़ी हैं बल्कि उनके निर्देशन में 70 हजार महिलाए स्वावलंबी बन चुकी हैं। राज्य स्तरीय पावर लिफ्टिंग में पूनमम तिवारी, राष्ट्रीय स्तर पर अल्पना पटेल, प्रज्ञाशुक्ला, और प्रजा शुक्ला, और मणिस्मिता ने रजज और कास्य पदक प्राप्त किए हैं। हमीरपुर में रानी बाथम का प्राणायाम शिविर, दिल्ली मैराथन दौड़ में छात्रा रंजना सिंह का अव्वल आना, सूखे के दौरान महोबा की 'चिगारी' संस्था की अध्यक्ष रेखारानी के नेतृत्व में महिलाओं के द्वारा 'नरेगा' के कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए अधिकारियों को बाध्य करना। गुलाबी गैंग के द्वारा गांवों में बैंक और कैटिल कैंप खोलने के लिए सरकार को बाध्य किया जाना महिलाओं की बदलती और क्रांतिकारी भूमिका के कुछ उदाहरण है जो उनके इंकलाब का पश्चम लहलहा रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र की सद्भावना राजूदत अभिनेत्री निकोल किंडमैन ने महिलाओं पर हो रही हिंसा को रोकने के लिए इंटरनेट पर एक मुहिम चलाई है। इस अभियान के माध्यम से उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे मानवधिकारों के हनन को रोकने के लिए आगे आएँ। किडमैन के अनुसार हर तीन में से दो महिलाओं को अपनी जीवन काल में अपमान जनक शब्दों और हिंसा का सामना करना पड़ता है। इस विषय के इतने व्यापक होने के बावजूद इसे असाध्य नही माना जाना चाहिए। समाज चाहे तो इस पर रोक लगा सकता है।

संयुक्त राष्ट्र महिला विकास कोष के कार्यवाहक निदेशक जोएन सैडलर लिखते है कि लगभग 90 देशों में घरेलू हिंसा के विरूद्ध कानून है किन्तु अधिकतर महिलाएँ इस बारे में बात करने से डरती हैं क्योंकि उन्हे पता है कि कुछ नही होगा।

किन्तु महिलाएं निरन्तर अपनी आवाज हर मंच से उठा रही है जमशेदपुर में कैथोलिक विशप्स कांफ्रेंस ऑफ इण्डिया की 28वीं महासभा से सात दिन तक महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर विचार मंथन हुआ काफी विचार विमर्श के बाद कैथोलिक चर्च में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने पर सहमति बनी और कैथोलिक विशप्स कांफ्रेन्स आफ इण्डिया ने लैंगिग समान्ता की नीति के विकास के लिए समयबद्ध कार्य योजना को मूल रूप दिया।

इतना ही नहीं विभिन्न राजनैतिक पार्टियों की महिलाएं अपनी पार्टी के संसदीय बोर्ड में अपने लिए आरक्षण चाहती हैं। उनका कहना है कि

किसी भी देश व समाज की सुदृढ़ता व समृद्धता में महिलाओं को शक्ति शामिल रहती है।

छोटे से लेकर बड़े शहरो तक संयुक्त परिवारों से लेकर शहर में रहते एकांगी परिवारो तक की युवा महिलाएं जीवको पार्जन और नए–नए कॉरिअर के लिए बाढ़–बाढ़ कर कार्य कर रही है। उनके अन्दर लोक से हटने की ललक है। महिलाए आज व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों जन पत्रकारिता, होटल मैनेजमेण्ट, बिजनिश मैनेजमेण्ट, स्कूल मैनेजमेण्ट, फैशन, डिजाइनिंग, बायोटैक्नालॉजी, माइक्रो बॉयलोजी और इंजीनियरिंग के चुनौती भरे कार्यों को पसंद करने लगी है। पुरूषों की तरक्की से बेफ्रिक हो कर नए–नए और आधुनिक रियेलटी कार्य क्रमों में अपनी गतिशीलता बढ़ा रही हैं। ''नारी–वाद 'सशक्तीकरण जैसे शब्द आधुनिक युवतियों के लिए ऐतिहास हैं वे साहसिक गति विधियों से, बेफ्रिक हो कर अपनी पहचान बनाना चाहती हैं। महिलाओं को पुरूषों की तुलना में अपने लिए ज्यादा संभावनाए दिखाई देती हैं। महिलाओं को पुरूषों की तुलना में अपने लिए ज्यादा संभावनाए दिखाई देती है। इस छोटे शहर औरैया से ताल्लुक रखने वाली एक युवती का कहना था ''अगर पुरूष बूते कुछ करना चाहते है तो उन्हें पारंपरिक कारोबार में ही उतरना होगा। दूसरी ओर हमारे समाने सेवा क्षेत्र के ढेरों विकल्पों में से ऐसे विकल्प चुनने का मौका है, जो अपने आप उभर रहे हैं।

इण्डिया टुडे के स्तम्भ कार रमेश विनायक लिखते हैं कि अब युवतियों में कामयाबी को ललक और भूख हैं'' उन्हें तालाश है 'ग्लोबल प्लेसमेण्ट की क्यों कि अनन्त आकाश में सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से

महिलाए अपनी भूमिका को तलाशने में लगी है। आधुनिकतम् कार्यवाही और पाठयक्रमों में हिस्सेदारी (प्रवेश) लेने वाली अधिकांश युवतियां निम्न और मध्यवर्गीये परिवारों से हैं जो अपने माता–पिता की इच्छा से दाखिला लिए हैं।

इसमें अब कोई शक की गुंजाइस नहीं रही कि सूचना क्रांति के दौर में सूचना प्रौद्योगिकी की महामार्ग अथवा इन्फॉर्मेशन टेक्नालॉजी हाईवे का बोल बाला है। इसके समुचित उपयोग द्वारा कृषि उत्पादन, ग्रामीण विकास के साथ–साथ नगर और ग्राम पूर्व और पश्चिम सभी क्षेत्रों की महिलाओं को भी गतिशील बनाया जा सकता हैं। एल्विन टॉफलर सामाजिक विकास की प्रक्रिया में सूचना प्रौद्योगिकी को महत्वपूर्ण चरण मानते हैं

महिलाओं के बदलते परिप्रेक्ष्य तथ्यों के आइने में–

– 86 प्रतिशत का कहना है कि महिलाओं के लिए आर्थिक आजादी जरूरी है।

– 77 प्रतिशत का कहना था कि वे विवाह के बाद भी अपने जॉब/नौकरी को करते रहना चाहेगी।

– 73 प्रतिशत महिलाएं शॉपिंग स्वयं करना पसंद करती है।

– 71 प्रतिशत महिलाएं वस्तुओं को क्रय करने के लिए सेल का पता लगती रहती है।

– 67 प्रतिशत महिलाएं नई–नई वस्तुओं के प्रति आकर्षित रहती है।

– 78 प्रतिशत महिलाओं का कहना था कि मंहगी वस्तुए आंख बन्द कर नहीं खरीदना चाहिए।

– 69 प्रतिशत महिलाएं अपने जीवन में काफी विविधत चाहती है।

– 32 प्रतिशत महिलाएं अब कायदे–कानून तोड़ने से डरती नहीं है।

– 44 प्रतिशत को जीवन में जोखिम उठाना पंसद है।

– 19 प्रतिशत महिलाएं हमेशा हर कार्य में अभिभावकों की सलाह नहीं लेना चाहती।

– 70 प्रतिशत महिलाएं अपनी शर्तों पर जीना चाहती हैं।

– 79 प्रतिशत अपने एक एक पैसे का हिसाब रखती है।

– 49 प्रतिशत अपने कैरिअर से ज्यादा परिवार को महत्व देती है।

– 82 प्रतिशत महिलाओं का मानना है कि विवाह के लिए उचित और आदर्श आयु 22 से 28 वर्ष होती है।

– 87 प्रतिशत महिलाएं यह मानती हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कारण उनके बच्चे उन से ज्यादा तेज है।

– 76 प्रतिशत महिलाए यह स्वीकार करती है कि उनके बच्चों को पढ़ाई में ज्यादा मेहनत करना पड़ती है।

– 40 प्रतिशत महिलाए फैशन उद्योग में अपना कैरियर तलाश करेंगी।

– 42 प्रतिशत डिजाइनिंग के क्षेत्र में जाना चाहती हैं।

– 27 प्रतिशत अध्यापक बनना चाहती है।

– 31 प्रतिशत कम्प्यूटर और मीडिया के क्षेत्र में बढ़ना चाहती है।

– 83 प्रतिशत महिलाओं का मानना है कि पुरूषों की अपेक्षा उनके पास काम का बोझ अधिक होता है।

– 69 प्रतिशत को स्वयं का महिला होना नहीं अखरता।

– 91 प्रतिशत विभिन्न राजनैतिक पदों के लिए महिलाओं का आरक्षण आवश्यक मानती हैं।

– 49 प्रतिशत महिलाओं को अपने संवैधानिक अधिकारों की जानकारी हैं।

– 72 प्रतिशत महिलाएं महिला सशक्तीकरण के लिए सभी प्रकार की स्वतंत्रता आवश्यक मानती है।

उपर्युक्त सभी तथ्यों को हमने अपनी अनुसूची–साक्षात्कार विधि से प्राप्त किया है।

सूचना प्रौद्योगिकी में महिलाओं की भूमिका
(एक समाजशास्त्रीय अध्ययन)

Role of Women in Information Technology
(A Sociological Study)

अष्टम् अध्याय

महिलाओं का भूमिका संघर्ष और घरेलू हिंसा

- भूमिका संघर्ष
- घरेलू हिंसा और कानून
- महिलाओं की असुरक्षा के कारण

अष्टम् अध्याय

महिलाओं का भूमिका संघर्ष और घरेलू हिंसा

भारत के इतिहास से महिलाओं के भूमिका संघर्ष, उत्पीड़न, अत्याचार और घरेलू हिंसा की कहानी जुड़ी हुई है। भारत के साथ–साथ विश्व में महिला के खिलाफ उत्पीड़न बढ़ रहा है लेकिन यह कोई नई बात नहीं है। दुनिया का कोई सा भी महाद्वीप या राष्ट्र हो, कोई भी राज्य या क्षेत्र हो, हर जगह महिलाओं को पुरूषमानसिकता द्वारा उत्पीड़न और भूमिकाओं के निर्वाहन में संघर्ष झेलना पड़ता है।

महिलाएं स्वभाव से अपेक्षाकृत कोमल होती हैं और वे ज्यादा प्रतिरोध नहीं कर पाती और शायद इसीलिए उन्हें विभिन्न प्रकार के अत्याचार उत्पीड़न, हिंसा और संघर्ष को सहना पड़ता है। यह उत्पीड़न या भूमिका के प्रति संघर्ष कई प्रकार का होता है। यौन उत्पीड़न, आर्थिक उत्पीड़न, घेरलू हिंसा, मजाक उड़ाना, अश्लीलता, दुष्कर्म, मानव अधिकारों का हनन और संवैधानिक अधिकारों से निरूद्ध करना किसी भी रूप में महिलाओं को अपनी, कामकाजी महिला और गृहणी के रूप में भूमिका निर्वाहन में आने वाले अवरोधों से संघर्ष के लिए तैयार रहना होता है।

विश्व में होने वाले कुल अपराधों का यदि अध्ययन किया जाए तो पता चलता है कि अपराधों में अधिकतम प्रतिशत महिलाओं के विरूद्ध होता है। महिलाओं के विरूद्ध अपराध अधिक क्यों होते है? उन्हें अपनी हर प्रकार की भूमिका के साथ संघर्ष क्यों करना पड़ता है? घरेलू हिंसा की शिकार

महिलाएं ही क्यों होती है, इस विषय में विद्वानों की काफी शोध किए और इन शोधों का सारांश यही है कि पुरूषों के मुकाबले शारीरिक रूप से कमजोर होने के कारण, स्वभाव से कोमल होने के कारण, अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति अनभिज्ञ होने के कारण और पुरूषों की निरंतर उपेक्षा ही दुनियाभर में महिलाओं के उत्पीड़न की घटनाए अधिक हो रही है।

उच्चतम न्यायालय की वरिष्ट अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह डोमेस्टिक वौयलेंस बिल को लेकर आधी अधूरी जानकारी के सम्बन्ध में लिखती है कि इसके सम्बन्ध में काफी हद तक लोगों की जानकारी नहीं है और उससे संबंधित अधिकारी भी अनभिज्ञ हैं। कानून का बनना एक अलग बात है और उसे लागू करना या करवाना एक अलग मसला है। इस कानून को लेकर अनेक गलतिंया हुई है, उससे राज्यों की सरकारें जिम्मेदार हैं।

आज की सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि विभिन्न राज्य सरकारों में अपने यहाँ इससे संबधित मसलों को सुलझाने के लिए आज तक अधिकारियों की स्थायी रूप से नियुक्ति नहीं की है। कुछ राज्यों को यदि छोड़ दिया जाए, तो सभी जगह हालत एक सी है। यही कारण है कि इसका जो लाभ महिलाओं को होना चाहिए वह अभी तक सही मायने में नहीं हो पाया है। हाल में प्रस्तुत रिपोर्ट से यह बात जाहिर होती है। कि आज के समय में महिलाओं को अपनी भूमिका निर्वाहन में कितना संघर्ष और उत्पीड़न झेलना पड़ता है। राजस्थान में सब से ज्यादा मामले इस सम्बन्ध में देखने को मिल रहे हैं।

इस कानून को यदि दूसरे तरीके से देखा जाए तो इस कानून के बनने के बाद महिलाएँ अपने उत्पीड़न के खिलाफ बड़ी संख्या में सामने

निकलकर आई हैं। अफसरों की नियुक्ति स्थाई रूप में न होने के कारण, महिलाओं को कानूनी पेचीदागियों से गुजरना पड़ता है। राज्यों की मनमानी के चलते कई राज्यों ने इस काननू को लागू नही भी किया, जहाँ पर लागू किया भी गया है, वहाँ सही तरीके से लागू नहीं किया जा सका लिहाजा कई राज्यों ने एक अच्छे कानून को मजाक बनाकर रख दिया है। यदि 'डोमोस्टिक वॉयलेंस बिल' को सही अर्थों में लागू किया जाए तो यह अपने आप में परिपूर्ण है और इसका फायदा भी महिलाओं के उत्पीड़न और संघर्ष के विरोध में दिखाई देगा।

शेलाफ डिलेनी (हिन्दुस्तान) लिखती है "मुझे बाहर के नहीं, अपने भीतर के अंधेरे से डर लगता है।" अर्थात् महिलाओं को अन्याय के विरूद्ध आवाज उठाना खुद भी सीखना होगा। जिस देश में चालीस प्रतिशत से अधिक महिलाएं किसी न किसी रूप में घरेलू हिंसा की शिकार हो, वहाँ एक वर्ष में केवल दस हजार मामले ही दर्ज होना सच से आंख मिचौली खेलने जैसा ही है। लगभग ढ़ाई वर्ष पहले घरेलू हिंसा निषेध कानून लागू होने के बाद आशा जगी थी कि इससे घर की चार दीवारी में औरतों पर हांथ उठाने वाले पुरूषों की जुबान और हांथ पर अंकुश लगेगाा। साथ ही हिंसा को अपनी नियति मानने वाली औरतों और पत्नी से मारपीट को ही मर्दानगी का सबूत समझने वाले मर्दों की सोंच में परिवर्तन आएगा– लेकिन यह आसान नहीं है निम्नवर्ग की अनपढ़ औरतें ही नहीं, मध्य और उच्च वर्ग की पढ़ी–लिखी तथा नौकरी पेशा संभ्रान्त महिलाएं भी सदियों से हमारे यहाँ घरेलू हिंसा की शिकार रही हैं। सदियों पुराने पुरूष के विचार स्त्री को बराबरी तो को दूर मानवधिकार पाने से भी रोकते हैं।

दुनिया के अधिकांश विकसित और विकासशील देशों में महिलाएँ घरेलू हिंसा का दंश झेलती रही हैं। कई सर्वेक्षणों से यह बात सामने आयी है कि प्रताड़ना की शिकार महिला चाहे किसी भी वर्ग की हो पति से पिटने और गालियां खाने के बावजूद शुरू में गहरी शर्म और हीन भावना के कारण मुंह नहीं खोल पाती। भारत में यूं भी पति के खिलाफ बोलना सामाजिक व पारिवारिक परवरिश के दायरों में शिष्टता के खिलाफ समझा जाता हैं। बचपन से ही लड़कियों को बोझ समझना पराया मानना तथा यह दिखाना कि जिस घर में डोली गई हैं, अर्थी भी वहीं से उठनी चाहिए, उन्हें दब्बू और डरपोक बना देता है। परिणामस्वरूप अधिकांशतः वे चाहकर भी अन्याय का विरोध नहीं कर पाती। घरेलू हिंसा के पाटो तले भले ही वे पिसती हो, मुंह नहीं खोल पाती। हिंसा को वे अपनी नियति मान लेती हैं और खुद को एक पिटने योग्य जीव।

अच्छी बात यह है कि कानून बनने के बाद घरेलू हिंसा की शिकार महिलाएं शिकायत करने लगी हैं। निश्चय ही ऐसी हिम्मती औरतों की संख्या अभी बहुत कम है। वैसे भी घरेलू हिंसा निषेध कानून को लागू करने के स्तर पर अनेक खामियां दिखती हैं। सामाजिक जागरूकता का अभाव और पुलिस का उदासीन व्यवहार भी औरतों की रक्षा में आड़े आता है। केवल कानून के जरिए घरेलू हिंसा पर एक सीमा तक ही अंकुश लग सकता है। सबसे आवश्यक तो परिवार समाज में लड़कियों को बोझ और महिलाओं को अपना गुलाम समझने की मानसिकता को बदलने की है।

आज की महिलाओं को अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, अपनी बात सही जगह तक पहुँचाना और अपने पक्ष में कानूनों संविधानों का

इस्तेमाल करना खुद सीखना और अपनी बेटियों को भी सिखाना होगा। तभी कानून भी कारगर हो पाएगा।

एसोचैम के एक सर्वे के अनुसार 'आधी से ज्यादा' "वर्किंग वूमेन" सुरक्षित महसूस नहीं करती। नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार पहले बी.पी.ओ. में काम करने वाली युवती के साथ बलात्कार और फिर हत्या, हाल ही में एक टी.वी. चैनल की पत्रकार की गोली मारकर हत्या। ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं, जो उस वातावरण को बताते हैं, जिसमें कामकाजी महिलाएं काम कर रही हैं। दरअसल देश के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत महिलाएं बहुत ही संघर्ष पूर्ण असामान्य मानसिक स्थिति से गुजर रही हैं।

आँकड़े तो यह बताते है कि आधी से ज्यादा 162 (53.00 प्रतिशत) महिलाएं अपनी सुरक्षा को लेकर हमेशा चिंतित रहती हैं। इनको दूर दराज़ के इलाकों और देहातों में नौकरी करने जाना होता है, बस, टैम्पो और सुनसान रास्तों से सफर करते समय अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करती। 144 (47.00 प्रतिशत) स्वयं को सुरक्षित इसलिए महसूस करती हैं क्योंकि उनके परिवार के सदस्य या पति उसी कार्यालय में कार्य करते हैं और कार्यालय के समय में समायोजन कर लेती हैं।

प्रमुख उद्योग चैबर एसोचैम के द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो सर्वेक्षण किया गया है उसका सारांश यह है कि कामकाजी महिलाओं की व्यापक सुरक्षा का अहसास न तो सरकारी कोई भी एजेन्सी दिला पा रही है और न ही नियोक्ता कम्पनियों की तरफ से ही उन्हें सुरक्षा उपलब्ध करायी जा रही हैं।

एसोचैम के सर्वेक्षण के अनुसार छोटी कम्पनियों में काम करने वाली 48 प्रतिशत महिलाएं अपने कार्यस्थल के आस–पास की गतिविधियों को लेकर बहुत ही भयभीत रहती है। देश के सेवा क्षेत्र की रीढ़ समझे जाने वाले बी.पी.ओ. और आई.टी. क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं में असुरक्षा की भावना सबसे ज्यादा प्रबल है। वास्तविकता यह है कि इन दोनों क्षेत्रों के कर्मचारियों में महिलाओं की संख्या अधिक है। उक्त दोनों उद्योग क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं का कहना था कि हमें शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना की स्थिति का सामना करना पड़ता है। इन महिलाओं के लिए काम करने के बाद के घण्टों में सुरक्षा का माहौल ज्यादा चिन्ताजनक हो जाता है।

प्रस्तुत अध्ययन के अनुसार रात्रि की पाली में काम करने वाली महिलाओं में से 81.34 प्रतिशत ने कहा कि उन्हें घर से कार्यालय तक आने–जाने की अच्छी सुविधा नहीं मिली हुई है। यहाँ तक कि महानगरों में कामकाजी महिलाएं मुमबई, पुणे और कोलकता जैसे स्थानों पर भी आवागमन में असुविधा होने की बात कहती है। नियोक्ताओं और आई.टी. क्षेत्र की कम्पनियों को चाहिए कि वे अपने प्रतिष्ठानों में कार्यरत महिलाओं को अधिक से अधिक सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराएं।

पूरे विश्व में महिलाओं के विरूद्ध हिंसा में बढ़ोत्तरी हो रही है। भारत में महिलाओं के साथ होने वाले अपराध प्रतिवर्ष 20 प्रतिशत तक बढ़ रहे हैं झीझक, लाज, शर्म, भय आदि के कारण महिलाओं के उत्पीड़न की कुछ घटनाएं पुलिस थाने में दर्ज नहीं की जाती। कुछ समझा बुझाकर या ले देकर रफा–दफा कर दी जाती हैं। आजकल नयी–नयी तकनीकों का भी

सहारा लिया जा रह है। राह चलती महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार, पार्को, ट्रेनों एवं बसों में बलात्कार, अपनी शिक्षिकाओं, छात्राओं के साथ बलात्कार।

गांव में महिला पंचो और सरपंचों को निर्वस्त्र करके सड़कों में घुमाना, नंगा कर जला डालना, आदि ऐसी दिल दहलाने वाली घटनाएं हैं जिन्हें पशुता के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। सच्चाई तो यह है कि देश में महिलाएं न घर में सुरक्षित है न घर के बाहर। बाहर दूसरे पुरूषों का डर और घर में अपने पुरूष का कहर, जाए किधर, यही देश में महिलाओं की सच्चाई है। भारतीय समाज में महिलाएं इतने लम्बे काल से अवमानना, यातना और शोषण का शिकार रही हैं, जितने हमारे पास सामाजिक संगठन और पारिवारिक जीवन के लिखित प्रमाण उपलब्ध है।

'अग्नि पुराण' लिखता है कि 'स्त्री हत्या' करने वाले को कुत्ते, उल्लू या कौवे की हत्या के बराबर पाप लगता है। 'मनु स्मृति' के अनुसार 'स्त्री के अपराध करने पर उसे बांस के डण्डे से मारना चाहिए। विचारधाराओं, संस्थागत रीति रिवाजों और समाज में प्रचलित प्रतिमानों ने महिलाओं के उत्पीड़न में काफी योगदान किया है।

वीरेन्द्र सिंह यादव (2008): राष्ट्रीय महिला आयोग ने हमारे देश में 1200 कामकाजी महिलाओं का सर्वेक्षण किया। 50 प्रतिशत से अधिक कामकामजी महिलाओं ने अपने ऑफिस में लैंगिक भेदभाव और शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न की शिकायत की। सेवा (स्वनियोजित महिला संगठन) द्वारा कराये गए एक सर्वेक्षण के अनुसार 47 प्रतिशत महिलाएं यौन उत्पीड़न व भेदभाव की शिकार है। 'क्राइम इन इण्डिया' की ताजा रिपोर्ट के अनुसार

एक दिन में 33 महिलाओं को भगाने का मामला होता है। इनमें से 80 प्रतिशत से अधिक के साथ भगाने के बाद लैंकिग आक्रमण होता है। सम्पूर्ण विश्व में असमानता, अशान्ति, शोषण के विरूद्ध लड़ने और मानव अधिकारों की वकालत करने वाले राष्ट्र अमेरिका में भी महिलाओं को बड़ी संख्या मे यौन शोषण का शिकार होना पड़ता है। वहाँ हर 09 सेकेण्ड में महिला का अंतरंग साथ ही उसका शारीरिक शोषण करता है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा–निर्देश के अनुसार बलपूर्वक शारीरिक सम्पर्क बनाना, शारीरिक सम्बन्ध स्थापित करने हेतु आग्रह या मांग, अपशब्दों का प्रयोग, अश्लील चित्र, फिल्म, सी.डी. आदि दिखाना, कैसी भी शारीरिक, शाब्दिक या अशाब्दिक अश्लील हरकतें करना, लैंगिक दुर्व्यवहार की श्रेणी में आएगा। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354 में महिलाओं के शील को अघात संज्ञेय अपराध माना गया हैं, तथा इसके लिए दो वर्ष के कारावास तथा आर्थिक दण्ड का प्रावधान किया गया है। इस सबके बावजूद ऐसी हरकतों को या तो दर्ज ही नहीं किया जाता या कराया ही नहीं जाता।

विश्व परिदृश्य में महिलाओं के विरूद्ध हिंसा की स्थिति निश्चय ही चिंताजनक है। एक सर्वेक्षण से यह ज्ञात हुआ है कि कनाडा, न्यूजीलैण्ड, नीदर लैण्ड, नार्वे और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विकसित देशों में एक–तिहाई किशोर और बच्चियों के साथ यौन दुर्व्यवहार किया जाता है। एशिया में अनुमानतः 10 लाख बालिकाओं को वेश्यावृत्ति के लिए प्रेरित किया जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार प्रयेक वर्ष 12.00 लाख लड़कियों की खरीद–फरोख्त होती हैं जिनमें 1.50 लाख दक्षिण एशिया की

होती हैं। सामन्यतः 200 लड़कियां प्रतिदिन वेश्यावृत्ति के धन्धे में उतरती हैं। इनमें 40 प्रतिशत अवयस्क होती हैं।

इन परिस्थितियों में काम–काजी महिलाओं का अपने को असुरक्षित समझना मनोवैज्ञानिक रूप से उचित माना जाना चाहिए। संवैधानिक रूप से सुरक्षित होना और सामाजिक रूप से अपने को सुरक्षित समझने की प्रक्रियाओं में अन्तर है। हमारी उत्तरदाता अपने को कार्यालयों, कार्यालय के बाहर और सबसे अधिक घर से कार्यालय आते–जाते समय सुरक्षित महसूस करती हैं (सारणी–59)।

सारणी सं0–59

उत्तरदाताओं के द्वारा स्वयं को असुरक्षित समझने के स्थान

क्र. सं.	असुरक्षित स्थान	जाति समूह				योग
		सवर्ण	पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अन्य धर्म के उत्तरदाता	
5.	कार्यालय में	02	09	07	02	20
		(02.17)	(06.67)	(10.61)	(15.38)	(06.54)
6.	कार्यालय के बाहर	14	16	13	03	46
		(15.22)	(11.85)	(19.70)	(23.08)	(15.03)
7.	घर से कार्यालय आते–जाते समय	46	67	22	04	139
		(50.00)	(49.63)	(33.33)	(30.77)	(45.42
8.	सुरक्षित हैं	30	43	24	04	101
		(32.61)	(31.85)	(36.36)	(30.77)	(33.00)
	योग	**92**	**135**	**66**	**13**	**306**
		(100.00)	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**

इसे महिला सशक्तीकरण के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में औरतों की भीरूता, संवैधानिक कमजोरी अथवा महिलाओं में जागरूकता का अभाव कुछ भी

कहा जा सकता है किन्तु सत्य यह है कि अध्ययन क्षेत्र की कामकाजी उत्तरदाताओं में 205 (66.99 प्रतिशत) अपने को कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में असुरक्षित अनुभव करती हैं। अपनी बढ़ती हुई असुरक्षा की भावना और परिस्थितियों के लिए उत्तरदाता मीडिया को कमोवेश दोषी मानती हैं। केवल 33 प्रतिशत कामकाजी उत्तरदाताओं के द्वारा अपने को सुरक्षित महसूस करना एक उल्लेखनीय तथ्य है।

20 (06.54 प्रतिशत) उत्तरदाता अपेन को जिन कार्यालयों में कार्यरत हैं वहीं अपने को असुरक्षित अनुभव करती हैं। 46 (15.03 प्रतिशत) कार्यालय के बाहर अर्थात् कैन्टीन, बस स्टैण्ड, रेलवे प्लेट फार्म आदि थानों में असुरक्षित हैं। सर्वाधिक 139 (45.42 प्रतिशत) घर से कार्यालय आते–जाते समय विभिन्न प्रकार की आशंकाओं और दुर्घटनाओं से अपने को असुरक्षित मानती है।

इन उत्तरदाताओं में शारीरिक शोषण या उत्पीड़न जेसा भय नहीं है बल्कि अधिक समय काम का बोझ, कार्य का प्रशिक्षण भली प्रकार से न होने के कारण गलतियों की आशंका, अधिकारियों की डांट–फटकार, कुण्ठा अवसाद या घर देर से पहुँचने की असुरक्षा अधिक है।

इनके अतिरिक्त महिलाओं के विरूद्ध उत्पीड़न, हिंसा उनकी भूमिका संघर्ष आदि के अन्य रूप भी हैं:–

1. काम वासना के उद्देश्य से किया गया उत्पीड़न।
2. आपराधिक मानसिकता।
3. परिवार की आर्थिक तंगहाली और तनावपूर्ण वातावरण।
4. सम्पत्ति को ध्यान में रखकर किया गया उत्पीड़न।
5. पुरूषों के झूठे अहम् का वहम्।

6. महिलाओं के द्वारा स्वयं के कार्य को शंका से देखना।
7. पुरूषों के द्वारा मजाक उड़ाने की प्रवृत्ति।
8. मीडिया के द्वारा महिलाओं का अभद्र प्रदर्शन।
9. इन्टरनेट, मोबाइल आदि के द्वारा उत्पीड़न।
10. नवीनतम तकनीकों के द्वारा उत्पीड़न।

इनके अतिरिक्त महिलाओं को घर और कार्यालय के कार्यो के बीच सर्वाधिक संघर्षपूर्ण भूमिका का सामना करना पड़ता है। एक और महत्वपूर्ण स्थिति का सामना आज 21वीं शताब्दी के वैश्विक परिदृश्य में महिलाओं के विरूद्ध देखी जा सकती है– सामान्य गृहणी की तुलना में कार्यरत महिला समाज के द्वारा शंका से देखी जाती है और उसे और अधिक मेहनत विपरीत परिस्थतियों का सामना करना पड़ता है।

महिलाओं पर शोध के एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन इन्टरनेशनल सेन्टर फॉर रिसर्च ऑन वीमेन (ICRW) की अध्यक्ष सुश्री गीता राव गुप्ता (2004) ने महिला सशक्तीकरण को अपने शब्दों में कुछ यूं बयान किया " महिला सशक्तीकरण का मतलब दरअसल इस प्रश्न में छुपा हुआ है कि समाज में किसी को भी शक्ति सामर्थ कैसे मिलता है। मैं समझती हूँ कि इस प्रश्न को छः मानदण्डों में देखा परखा जाना चाहिये। वे मानदण्ड हैं:–

1. सूचना और शिक्षा।
2. बाजार की कुशलता।
3. आर्थिक आधार पर आय।
4. सामाजिक सहारा।
5. राजनीतिक दखल।
6. सेवा सुविधाओं और प्रौद्योगिकी की सुलभता।

इन सभी मानदण्डों क्षेत्रों में महिलाओं की सहभागिता ही उसे सही अर्थो में भूमिका संघर्ष और घरेलू हिंसा से निजात दिला सकती है। स्पष्ट है कि बिना सूचना प्रौद्योगिकी के संयोग के महिलाओं की आधुनिकता, सशक्तीकरण और भूमिकाओं के सकुशल निर्वाहन का स्वप्न अधूरा है।

अर्धनगरीय क्षेत्र की कामकाजी महिलाएं अपने को अत्यधिक काम के बोझ से दबी मानती हैं अध्ययन क्षेत्र की 255 (83.33 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का कहना था कि वे काम के बोझ से लदी रहती हैं, क्योंकि घर और बाहर की दोहरी भूमिका के साथ उन्हें निरन्तर संघर्षरत रहना पड़ता है। एक अन्य धर्म को मानने वाली उत्तरदाता का कहना था कि घर और आफिस के अलग–अलग परिधान (वस्त्र) एक समस्या है क्योंकि परम्परागत पर्दा प्रथा दोहरी भूमिका का निर्वाहन करने के लिए मजबूर करती है। 51 (16.67 प्रतिशत) उत्तरदाता काम के बोझ से अपने को दबा हुआ तो नहीं मानती किन्तु पुरूषों से ज्यादा मेहनत करने की बात को 'बिन्दास' स्वीकार करती हैं।

यौन एवं शारीरिक आकर्षण या सुन्दरता का महिलाओं के श्रम और कार्यकुशलता के साथ कोई तर्क संगत सम्बन्ध नहीं है किन्तु फिर भी प्रबन्धकर्ताओं की ओर से यह एक ऐसा छुपा हुआ शर्तनामा है जो उन महिलाओं को प्रायः अखरता है जो कार्यकुशल मेहनती तो हैं किन्तु शारीरिक रूप से आकर्षक नहीं है। एयरलाइन, ट्रैवल सर्विस, आदि बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो महिलाओं और महिलाओं के बीच संघर्ष या द्वन्द की स्थिति पैदा करते हैं।

महिलाओं की भूमिका संघर्ष का एक प्रमुख और ताकतवर कारण यह भी है कि स्त्री श्रम की कीमत कम लगायी जाती है। यह कहा जाता है कि पुरूष को तो अपने परिवार का भरण–पोषण करना पड़ता है, जबकि महिलाएं केवल अतिरिक्त आय के लिए अर्थात् सौन्दर्य प्रसाधन, साज श्रृंगार, सिनेमा मनोरंजन के लिए ही श्रम करती हुई मानी जाती हैं। यथार्थ इसके विपरीत है। करोड़ों की संख्या में महिलाएं अपनी कमाई से परिवार का भरण पोषण कर रही हैं या उनकी आय को परिवार की समग्र उन्नति और बेहतरी पर ही खर्च किया जाता है। महिलाओं के श्रम एवं कार्यो का मूल्यांकन सरकार के द्वारा भी एक विशेष प्रकार के अनुग्रह, दया या एहसान के रूप में ही किया जाता है जैसे आय कर की सीमा में अतिरिक्त छूट इत्यादि, परिणाम स्वरूप वे पुरूषों के उपहास और मनोरंजन की पात्र बन जाती है।

स्त्री श्रम का मूल्यांकन पुरूष वर्चस्व को सुनिश्चित कर देता है। स्त्री के काम की स्त्रियोचित परिभाषा को मानक बनाकर वाह्य कार्य क्षेत्र में भी उसके पारम्परिक गुणों का दोहन किया जाता है। इसके कारण कार्य क्षेत्र में वह पुरूष से स्वतन्त्र होने के बदले उस पर और अधिक निर्भर हो जाती है। कार्यरत होते हुए भी महिला परिवार के अन्दर ऐसे समझौते करने को बाध्य होती है जो मानवीय गरिमा के विरूद्ध है। महिला श्रम के लैंगिकीकरण का अर्थ निकलता है कि महिला एक प्रकार के अलगाव से पीड़ित हो जाती है। श्रम अथवा कार्य के क्षेत्र में स्त्री और पुरूष के यौन विभाजन का अर्थ निकलता है कि जंगल, खदान, लौह उद्योग एवं उत्पादन के संसाधनों आदि पर पुरूषों का नियंत्रण और महिलाओं के हाथ में केवल सेवा व्यवस्था रह जाए।

महिलाओं के भूमिका संघर्ष और घरेलू हिंसा से बचाव के लिए श्रम की पुर्नसंरचना आवश्यक हो गयी है। श्रम को मानसिक तथा शारीरिक श्रम के रूप में विभाजित करना महिलाओं के प्रति अन्याय है। श्रम को पुर्नपरिभाषित करना इसलिए भी अनिवार्य है क्योंकि यौनवादी श्रम व्यवस्था शोषण का पर्याय है। समाकलीन पूँजीवादी सामाजिक व्यवस्था में ज्ञान का स्वरूप पुरूषोचित हैं और प्रत्येक प्रकार का काम निर्वैयक्तिक, संवेदनारहित और यौन आकर्षण को प्रभावित करता है। आवश्यकता है स्वतन्त्र उत्पादक श्रम, भावना, संवेदना तथा यौन चुनाव की स्वतन्त्रता महिलाओं को भी दी जाए।

हर तरह से शोषित होने के कारण आज महिलाओं की उत्पीड़ित चेतना और अधिक विकसित हो रही है। यही कारण है कि महिलाओं के द्वारा सत्ता के खिलाफ आवाज उठाए जाने पर उनकी मांग पुरूषों की मांगों से बिलकुल भिन्न होती है। सूचना प्रौद्योगिकी ने महिलाओं में जागरूकता का प्रादुर्भाव कर दिया है और अब वे व्यवस्था से न केवल सुविधा मांग रही हैं, बल्कि व्यवस्था को बदलने के लिए भी तत्पर है। पश्चिम में महिलाएं बच्चों के भरण–पोषण की भी कीमत मांग रही हैं। गृहस्थी के काम के विनिमय में अर्थ की मांग सर्वप्रथम 1970 में इटली में उठाई गई थी। इस मांग के मूल में यह भावना है कि गृह कार्य को महत्व दिया जाए तथा केवल घर में काम करने वाली स्त्रियों की भी एक कामकाजी महिला के रूप में पहचान बने।

हमारे सम्पूर्ण सामाजिक ढांचे को एक साथ न तो तोड़ा जा सकता है और न ही बदला जा सकता है क्योंकि महिलाएं इसी संरचना के भीतर

वस्तु से व्यक्ति बन रही है। पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना के भीतर ही वह कुछ बनना चाहती है। हिन्दू संस्कृति अपने दृष्टिकोण में पितृसत्तात्मक होते हुए भी महिलाओं और पुरूषों के आपसी संतुलन को बनाए रखने की पूरी चेष्टा करती हैं। हिन्दू दार्शनिक तर्क पद्धति पुरूष केन्द्रित होते हुए भी स्वीकारती है कि सृष्टि के विकास के लिए पुरूष और महिला (प्रवृत्ति) की पारस्परिक निर्भरता आवश्यक है।

काम के बोझ से अपने को दबा हुआ अनुभव करने वाली उत्तरदाताओं से जब हमने प्रश्न किया कि महिलाओं को काम के बोझ से कैसे बचाया जा सकता है? तो सारणी–60 के अनुक्रम में हमें निम्नांकित उत्तर प्राप्त हुए।

सारणी सं0–60

उत्तरदाताओं के अनुसार कार्य के बोझ से बचने के उपाय

क्र. सं.	कार्य के बोझ से बचने के उपाय	जाति समूह				योग
		सवर्ण	पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अन्य धर्म के उत्तरदाता	
1.	वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग	21	38	11	05	75
		(22.83)	(28.15)	(16.67)	(38.46)	(24.50)
2.	पुरूष सदस्यों को सहायता करनी चाहिए	36	42	38	04	120
		(39.13)	(31.10)	(57.58)	(30.78)	(39.22)
3.	काम को अधूरा छोड़ देना चाहिए	07	09	03	00	19
		(07.61)	(06.67)	(04.55)	(0.00)	(06.21)
4.	नौकरों की सहायता लेनी चाहिए	22	35	05	02	64
		(23.91)	(25.93)	(07.57)	(15.38)	(20.92)
5.	अन्य	06	11	09	02	28
		(06.52)	(08.15)	(13.63)	(15.38)	(09.15)
	योग	**92**	**135**	**66**	**13**	**306**
		(100.00)	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**

वैज्ञानिक उपकरणों जैसे वांशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, फ्रिज, मिक्सी आदि का प्रयोग करके काम के बोझ से बचा जा सकता है, यह 75 (24.50 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का विचार था। जबकि 120 (39.22 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का कहना था कि महिलाओं को काम के बोझ से बचाने के लिए पुरूष सदस्यों को छोटे–छोटे कार्यो में सहायता करनी चाहिए। पुरूष सदस्यों को सहायता करनी चाहिए इस उपाय के पक्ष में सर्वाधिक 57.58 प्रतिशत अनुसूचित जाति की उत्तरदाता है।

काम के बोझ और मेहनत से यदि महिला थक जाए तो काम को अधूरा छोड़ देना चाहिए यह उपाय बताया 19 (06.21 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने, यदि अपनी क्षमता के अनुसार कामकाजी महिलाएं कार्य करेगी तभी स्वास्थ्य ठीक रहेगा और कार्य में गलतियां भी नहीं होंगी। नौकरों की सहायता से काम के बोझ से बचा जा सकता है, यह 64 (20.92 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने कहा। रेडीमेड वस्तुओं को क्रय करके, या बच्चों की सहायता से कार्य सम्पादन करके काम को बोझ से बच सकती हैं 28 (09.15 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने उपाय सुझाया।

महिलाओं की स्वतन्त्रता, नारी की जागरूकता, चेतनना और आन्दोलनों के अनेक पूर्व पाश्चात्य अभियानों के बावजूद भी आज की महिलाएं स्तर की दृष्टि से दीन, हीन, अबला भोग्या या शोषित ही बनी हुई हैं। आज भ समूचे वैश्विक परिदृश्य में पुरूषों की तुलना में उसे दूसरा दर्जा ही प्राप्त है।

नारी स्वतन्त्रता का अभियान तभी सम्पूर्ण होगा जब नारी स्वयं जागेगी केवल अधिकार की मांग नहीं भूमिका का निर्वाहन भी अपने को

सशक्त मान कर करेगी। घर बाहर के कार्यो में 'दूसरों' की सहायता के बिना अब महिलाओं को आगे बढ़ना है। राजनीति में दखल देना है, बाजार की कुशलता को समझना है, आर्थिक आधार बनाना है, आय–व्यय का लेखा–जोखा रखना है। शिक्षा और सूचना के अधिकारों के प्रति सचेत होना है और उसके इन सभी कार्यो और भारत की आधुनिक नारी की दिशा निर्धारण में सूचना प्रौद्योगिकी बड़ी मददगार हो रही है।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह अतिमहत्वपूर्ण तथ्य है कि आज सूचना प्रौद्योगिकी के क्रान्तियुक्त महत्वपूर्ण दौर में स्वायत्तता के साथ–साथ महिलाएं भी एक जिम्मेदार सामाजिक प्रतिबद्धता की जवाबदेही का फर्ज अदा करें। तभी इन प्रसारण माध्यमों की सामाजिक प्रतिबद्धता, विशेष कर महिलाओं के भूमिका संघर्ष, समस्याओं एवं महिलाओं के साथ–साथ युवक, युवतियों, माँ एवं घर परिवार की नई छवि संसार के सामने प्रस्तुत की जा सकती है और नई दुनिया की परिकल्पना साकार की जा सके।

सूचना प्रौद्योगिकी में महिलाओं की भूमिका
(एक समाजशास्त्रीय अध्ययन)

Role of Women in Information Technology
(A Sociological Study)

नवम् अध्याय

महिलाओं की भूमिका : बदलते परिदृश्य

- भूमिकाओं के बदलते परिदृश्य
- सूचना क्रान्ति और चिकित्सा
- सूचना तकनीक और महिलाओं की भूमिका

नवम् अध्याय

महिलाओं की भूमिका: बदलते परिदृश्य

अपनी निजी जिन्दगी अपने तरीके से जीने की चाह ने महिलाओं और विशेषकर उच्च वेतन भोगी महिलाओं में 'प्राइवेसी' और 'स्पेस' की मांग बढ़ा दी है। क्या निजता की यह नई क्रान्ति पारिवारिक मूल्यों और नैतिक बन्धनों को ठेस पहुँचा रही हैं? क्या महिलाओं की भूमिका के प्रतिमान बदल रहे हैं? क्या आई.सी.टी. ने परम्परागत घूंघट के आवरण को उतार फेका है? महिलाओं की प्राइवेसी और 'स्पेस' के साइड इफेक्ट क्या हैं? यह सभी प्रश्न अनुत्तरित हैं क्योंकि महिलाएं अपनी भूमिका के बदलाव में उलझी हुई है और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर परिदृश्य बदलते जा रहे हैं।

जॉब, रोजगार, फैशन, मनोरंजन जगत का आकर्षण, आकर्षित करने वाली पार्टिया और हाई प्रोफाइल जीवन शैली के कारण महानगरों में अकेले रहने वाले युवा पुरूषों एवं महिलाओं की संख्या में काफी तेजी से वृद्धि हुई है। इनमें से अधिकांश महिलाएं इस भीड़ भरे वातावरण में व्यक्तिगत 'स्पेस' की तलाश में रहती है। अतः निःसंकोच महिलाओं का निरन्तर अपनी भूमिका को बदलना आदत बनती जा रही है। दरअसल आधुनिक युवाओं (स्त्री पुरूष दोनों) के लिए किसी मेट्रो सिटी में अकेले रहने का तात्पर्य है, मनपसन्द ढंग से जिन्दगी बीताने का रोमांच। युवाओं में एक विशेष शब्द 'बिन्दास' का आजकल बहुत प्रयोग किया जा रहा है जिसका सीधा–साधा अर्थ निकलता है बिना किसी रोक–टोक के जीवन जीने की स्वतन्त्रता। अब कोई युवक

या युवती अपनी 'बिन्दास' जिन्दगी में परिवार, समाज, कॉलेज, कार्यालय किसी का भी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करना चाहती।

'बिग बॉस' जैसे लोकप्रिय टी0वी0 कार्यक्रम का तो आधारबिन्दु ही यही था, जिसमें केवल धन के लिए एक अनाम घर में कुछ युवक युवतियां अपनी आलसी, बिगडैल व अनुशासनहीन जीवन शैली को टी0वी0 पर प्रदर्शित किया है। एक साधारण से आम व्यक्ति को एक करोड़ रुपये की बड़ी रकम जीतते देखकर स्वाभाविक रूप से बड़ी संख्या में युवा ऐसी जीवन शैली की ओर आकर्षित होते हैं।

कुछ युवतियों के घर से अलग–दूर रहने के कारण इससे अलग होते हैं। युवतियां, एम.बी.ए., एम.सी.ए., बी.टेक., एम.बी.बी.एस. या अन्य रोजगारपरक तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए अच्छे संस्थानों में दाखिला लेने के लिए घर से दूर नगरों और महानगरों में आती है। अपनी पढ़ाई के दौरान वे हॉस्टल का सहारा लेती है या पेइंग गेस्ट बनकर रहती हैं। अगर पढ़ाई पूरी होने के बाद अच्छी नौकरी मिल गई तो वह वहीं की होकर रह जाती हैं।

इन भोली–भाली महिलाओं को जब नई स्वतन्त्रता मिलती है तो वे इसका पूरा लाभ उठा लेना चाहती हैं और महानगरों की 'मस्ती संस्कृति' उनकी भूमिकाओं में बदलाव ला देती है। भारतीय परिवारों के सदस्य एक दूसरे के काफी करीब होते हैं और सभी एक दूसरे से स्नेह भी करते हैं किन्तु यह आवश्यकनहीं की सभी बातों में आपस में शेयर करें। युवतियां बड़ी होने के बाद अपनी भूमिकाओं के प्रति स्वयं अपने को उत्तरदायी मानने लगती हैं। अपने धन का उपयोग और कैरियर को सुधारने के रास्ते और

मेहनत वे स्वंय चुनती हैं। मित्रों को पार्टी देना, मनपसन्द लोगों को दोस्त बनाना, देर तक सोना आदि की आजादी महिलाएं चाहती हैं इतना ही नहीं सबसे मनपसन्द साथी के साथ डेट पर जाने की स्वतन्त्रता भी अब उन्हें चाहिए। हमारी उत्तरदाताओं से जब हमने प्रश्न किया कि क्या आपकी 'बिन्दास' भूमिका और कर्त्तव्य सही हैं? तो लगभग सभी जाति समूहों की 277 (90.52 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने अपनी भूमिका को सही माना है। केवल 19 (09.48 प्रतिशत) उत्तरदाता गलत मानती हैं, क्योंकि परिवार के लोग नाराज होते हैं किन्तु ये भी अपनी भूमिका की स्वतन्त्रता की बात करती हैं। उनका कहना है कि नई दुनिया युवतियों के लिए नए अवसर पेश कर रही है उनकी क्षमताओं और उद्यमशीलता को नए अवसर मिल रहे हैं और महिलाएं बाजार की अर्थव्यवस्था में अपना स्थान बना रही है।

इस विचारधारा के बहुत सारे लोग हैं जिनमें युवा महिलाओं की संख्या अधिक है, एक ही कमरे में साथ–साथ रहने को गलत नहीं मानते। नगरों में सस्ती सुविधाओं की कमी तो होती ही है इसी के साथ सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है। यही कारण है कि कामकाजी युवक युवतियां एक साथ फ्लैट यहां तक कि बेडरूम भी शेयर करते हैं। कभी–कभी यह परिस्थितियां यौन सम्बन्धों को भी जन्म दे देती हैं और युवा पीढ़ी इस सम्भावना को भी स्वीकार करती हैं। इन परिस्थितियों और भूमिकाओं में उत्तरदाता अपने को सफल मान रही हैं। 286 (93.46 प्रतिशत) अपने जीवन को सफल मानती है और अपनी सफलता का श्रेय अपनी शिक्षा, पारिवारिक सहयोग, सूचना प्रौद्योगिकी, मीडिया, महिला सशक्तीकरण और सबसे अधिक अपनी कड़ी मेहनत को देती है। 20 (06.54 प्रतिशत) उत्तरदाता जीवन साथी और पारिवारिक सहयोग के अभाव में अपने को असफल मानती है।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महिलाओं ने अपनी भूमिकाओं को संदर्भित करते हुए परिवार के अर्थ और परिभाषा को ही बदल दिया है। एक उच्च सूचना प्रौद्योगिक संस्थान में कार्य करने वाली उत्तरदाता का कहना था कि 'आज के दौर में परिवार का अर्थ एक छत के नीचे रहने वाले सदस्यों भर से नहीं है। ई–मेल व वेबकैम के माध्यम से हम रोज ही अपने परिजनों से बात कर सकते हैं, आवश्यकता होने पर उनकी देखभाल भी कर सकते हैं। दूर रहकर भी उनको खुश रख सकते हैं क्योंकि इस तरह हम अपनी जिन्दगी के साथ अपनी भूमिकाओं के साथ नए–नए प्रयोग करने व महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने की स्वतन्त्रता मिल जाती है।

युवतियां वह जिन्दगी जीना चाहती हैं जो उनके माता–पिता कभी नहीं दे सकते थे। इसी के साथ वह स्वतन्त्रता भी, जो लगातार अभिभावकों की नजरों के सामने रहने के कारण नहीं मिल पायी। अब युवतियां हमेशा अपने अभिभावकों या बड़ों के मूल्यों व आदर्शो के अनुसार नहीं चलना चाहती। वे कहती है कि सही–गलत का अंदाज उनको भी है और अपनी भूमिका या कार्यो का मूल्यांकन वे स्वयं करना चाहती हैं। इसका यह अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए कि वे आपराधिक गतिविधियों की तरफ आकर्षित हो रही है। कभी–कभी ड्रिंक या धूमपान को भी कामकाजी महिलाएं अनुचित नहीं मानती।

प्राइवेसी और स्पेस आज की पीढ़ी की युवतियों का मूल मंत्र है और अपनी इस मांग को वे ठीक मानती है। 291 (95.08 प्रतिशत) उत्तरदाता मानती है कि उनके बच्चे उनसे अधिक तेज हैं क्योंकि उनको आधुनिक शिक्षा, तकनीकी ज्ञान और उच्च स्तरीय संचार सुविधाएं एवं तरक्की के

अवसर उपलब्ध हैं। 15 (04.92 प्रतिशत) के बच्चे अभी छोटे हैं और उनका भविष्य अभी सामने आना है।

बच्चों की बुद्धिलब्धता (आई.क्यू.) सामान्य ज्ञान, बौद्धिक क्षमता उत्तरदाताओं से तेज क्यों हैं, इस प्रश्न के उत्तर से लगभग सभी उत्तरदाताओं ने इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी, संचार साधन और मीडिया की भूमिका को महत्व दिया।

सारणी–61 में उत्तरदाताओं से उनके बच्चों (संतानों) के तेज होने के कारणों का विश्लेषण हमने किया है। 69 (22.55 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का कहना था कि आज के बच्चे कम्प्यूटर एवं आधुनिक शिक्षा के कारण हमसे अधिक तेज हैं। इनमें 26 (28.26 प्रतिशत) उत्तरदाता सवर्ण, 31 (22.96 प्रतिशत) पिछड़े वर्ग, 08 (12.12 प्रतिशत) अनुसूचित जाति एवं 04 (30.77 प्रतिशत) अन्य धर्मो को मानने वाली उत्तरदाता हैं।

सारणी सं0–61

उत्तरदाताओं के बच्चों का उनसे तेज होने के कारण

क्र. सं.	कारण	जाति समूह				योग
		सवर्ण	पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अन्य धर्म के उत्तरदाता	
6.	कम्प्यूटर एवं आधुनिक शिक्षा	26 (28.26)	31 (22.96)	08 (12.12)	04 (30.77)	69 (22.55)
7.	तकनीकी ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	21 (22.83)	35 (25.93)	18 (27.27)	03 (23.08)	77 (25.16)
8.	मीडिया एवं संचार साधनों का विकास	32 (34.78)	42 (31.11)	28 (42.42)	02 (15.38)	104 (33.99)
9.	इनसेट / इन्टरनेट	13 (14.13)	18 (13.33)	09 (13.64)	03 (23.08)	43 (14.05)
10.	अन्य	00 (0.00)	09 (06.67)	03 (04.55)	01 (07.69)	13 (04.25)
	योग	**92** **(100.00)**	**135** **(100.00)**	**66** **(100.00)**	**13** **(100.00)**	**306** **(100.00)**

तकनीकी ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के कारण उनके बच्चे उनसे अधिक तेज हैं यह कहना था 77 (25.16 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का इनमें 21 (22.83 प्रतिशत) सवर्ण, 35 (25.93 प्रतिशत) पिछड़े वर्ग, 18 (27.27 प्रतिशत) अनुसूचित जाति एवं 03 (23.08 प्रतिशत) अन्य धर्मो को मानने वाली उत्तरदाता है। मीडिया, समाचार पत्र–पत्रिकाओं, संचार साधनों आदि को नई पीढ़ी (बच्चों) की तरक्की का कारण मानने वाली 104 (33.99 प्रतिशत) उत्तरदाता हैं इनमें 32 (34.78 प्रतिशत) सवर्ण, 42 (31.11 प्रतिशत) पिछड़े वर्ग, 28 (42.42 प्रतिशत) अनुसूचित जाति एवं 02 (15.38 प्रतिशत) अन्य धर्मो को मानने वाली उत्तरदाता है। इनका उत्तर था कि बच्चों के विकास एवं बौद्धिक उन्नति में मीडिया की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं, समाचार पत्र, कई टी0वी0 चैनल, प्रतियोगी परीक्षाओं से सम्बन्धित मैगजीन निरन्तर ज्ञान–विज्ञान के क्षेत्र में बच्चों को शिक्षित और प्रशिक्षित करते रहते हैं। विभिन्न प्रदेशों, राष्ट्रों और क्षेत्रों की भौगोलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक एवं धार्मिक संरचना का ज्ञान और व्यवस्था की जानकारी उन्हें मीडिया से ही होता है।

भावी पीढ़ी के शैक्षिक बौद्धिक उन्नयन में इनसेट और इण्टरनेट को प्रमुख उपयोगी कारण मानने वाले उत्तरदाताओं की संख्या तैंतालिस (14. 05:) है। इनका उत्तर था कि इण्टरनेट के कारण आज बच्चों के लिये कोई भी प्रश्न/समस्या ऐसी नहीं है जिसको वे स्वयं नं सुलझा लें, वेबसाइट के माध्यम से वे तुरन्त अपने प्रश्नों को लॉग ऑन करते है और उत्तर ढूंढ़ लेते है इन उत्तरदाताओं का कहना था कि बच्चों के विकास के लिये कम्प्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी अपरिहार्य है। इण्टरनेट और इनसेट को बच्चों को

उनसे तेज बनाने वाले कारक मानने वाले उत्तरदाताओं में 13 (14.13 प्रतिशत) सवर्ण, 18 (12.33 प्रतिशत) पिछड़े वर्ग, 9 (13.64 प्रतिशत) अनुसूचित जाति एवं 03 (23.08 प्रतिशत) अन्य धर्मों को मानने वाले उत्तरदाता शामिल हैं।

13 (04.25 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने अन्य कारणों जैसे संवैधानिक सुविधा, आरक्षण की व्यवस्था, परम्परागत मान्यताओं का बदलना या दलित विमर्श आदि कारणों को उनसे उनक बच्चों के तेज होने का उत्तरदायी माना है।

छोटे से से लेकर बड़े शहरों तक, संयुक्त परिवारों से लेकर शहर में अलग—थलग रहते परिवारों तक की युवा महिलाएं जीविकोपार्जन और नए कैरिअर की खातिर बढ़—चढ़कर काम कर रही हैं।

वास्तविकता हर किसी के सामने है, अर्थव्यवस्था वार्षिक 9 प्रतिशत से अधिक दर से बढ़ रही है। बी0पी0ओ0 और बायोटेक्नोलॉजी जैसे नए उद्योगों में 2010 तक 23 लाख लोगों और 2012 तक 10 करोड़ों लोगों को रोजगार पाने की उम्मीद है। एनिमेशन और मीडिया तेजी से कैरिअर के नए मूलमंत्र बन रहे हैं। अवसरों की बयार किस्मत के द्वार पर दस्तक दे रही हैं, और इन सब के बीच महत्वकांक्षी महिलाएं अब केवल बच्चों को पढ़ाने, बैंकों में कर्ल्की करने या दफ्तर की रिसेप्शनिस्ट तक ही अपने कैरिअर को सीमित रखने के लिए तैयार नहीं है। पुरूषों की तरक्की और भूमिकाओं से बेफ्रिक होकर महिलाएँ, आज व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थाओं—पत्रकारिता स्कूलों, मॉडलिंग पाठ्यक्रमों, यहाँ तक कि एअर होस्टेस अकादमियों – की ओर रुख कर रही हैं, क्योंकि देश में रोजगार की संभावना पहले कमी इती

नहीं थीं ये संस्थान युवा महिलाओं को कैरिअर में कामयाबी के लिए केवल किताबी ज्ञान ही नहीं देते बल्कि उनके अन्दर नए क्षेत्रों में आगे बढ़ने का आत्मविश्वास भी भरते हैं और इस अवधारणा की दूर करते हैं कि विवाह के पूर्व निर्धारित पथ पर कैरिअर एक छोटा सा भटकाव भर है।

आर्थिक क्षेत्र की ऊँचाईयों को निरन्त छूते चले जाने के कारण अब महिलाओं को महिला होना अखरता नहीं है उनका बिन्दास उत्तर होता है स्त्री या पुरूष यह तो जैवकीय संरचना का अन्तर है जो सृष्टि के निर्माण और निरन्तरता के लिए अनिवार्य है – इसमें सामाजिक बंधन या सामाजिक मान्यताओं का प्रश्न ही कहाँ उठता। इसलिए महिला होने का मलाल, दुःख या अखरना बीते समय की बाते हैं आज की महिला इतनी 'बोल्ड' और ताकतवर हो चुकी है कि उसे किसी भी प्रकार के विमर्श की जरूरत नहीं है। हमारी उत्तरदाताओं में 281 (91.83 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का कहना था कि महिला होना उन्हें नहीं अखरता केवल 25 (08.17 प्रतिशत) उत्तरदाताओं को महिला होना बुरा लगता है या अखर रहा है,क्योंकि इससे पारिवारिक बंधन लगते हैं और पुरूषों के उपहास का पात्र बनना पड़ता है।

महिलाओं को अपनी बदलती हुई भूमिकाओं के परिदृश्य में व्यक्तिगत जीवन में दूसरों के 'दखल' को सहना पड़ता है आज भी पुरूष प्रधान सामाजिक व्यवस्था 'स्त्री' को अपने बनाए 'दायरे' में ही रखना चाहता है अतः महिलाओं के व्यक्तिगत जीवन की प्रत्येक छोटी–बड़ी भूमिका, परिधान, भोजन, शिक्षा, आधुनिकता, फैशन सभी में 'दखल' देता है। हमारी उत्तरदाताओं में दो सौ पचपन (83.33 प्रतिशत) ने यह स्वीकार किया कि व्यक्तिगत जीवन में भी उन्हें आज भी पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है परिवार, समाज,

कार्यालय, पुरूष अथवा कोई न कोई रोकते–टोंकते रहते हैं, दखल देते रहते हैं, यह अलग बात है क वे उस पर ध्यान न देकर अपना जीवन अपने तरीके से व्यतीत करती हैं।

51 (16.67 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का कहना था कि उनके व्यक्तिगत जीवन में कोई दखल नहीं देता और उन्हें इसकी परवाह ही नहीं है। हम अपने ढंग से अपनी जिन्दगी जीवने के लिए स्वतंत्र है हमें भी अपनी जिन्दगी में 'स्पेस' चाहिए प्राइवेसी हमारा भी जन्म सिद्ध अधिकार है, इसमें किसी दूसरे का 'दखल' हम स्वीकार क्यों करे? आधुनिक सभ्यता और संस्कृति में पल बढ़ रही युवा महिलाएं अपनी वर्तमान भूमिका से नहीं अपनी जीवन शैली से भी संतुष्ट है।

जब उत्तरदाताओं से यह प्रश्न किया कि आप के व्यक्तिग जीवन में किन लोगों की दखलन्दाज़ी अधिक है? परिवार, समाज, कार्यालय अथवा अन्य महिलाओं की अथवा पुरूषों की? इस प्रश्न के उत्तर में (सारणी–बासठ) का महत्वपूर्ण रोचक तथ्य यह सामने आया कि पुरूषों की तुलना में महिलाएँ ही महिलाओं की व्यक्तिगत जिन्दगी में दखल देने वाली महिलाएं 212 (69.28 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने स्वीकार की जबकि पुरूषों के द्वारा दखलन्दाजी तैंतालिस (147.05 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के द्वारा स्वीकार की गयी।

सारणी सं0—62

उत्तरदाताओं के व्यक्तिगत जीवन में महिलाओं/पुरूषों की दखलन्दाज़ी

क्र. सं.	महिलाएं/पुरूष	जाति समूह				योग
		सवर्ण	पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अन्य धर्म के उत्तरदाता	
1.	महिलाएँ	59	100	45	08	212
		(64.13)	(74.07)	(68.18)	(61.53)	(69.28)
2.	पुरूष	09	13	18	03	43
		(09.78)	(09.63)	(27.27)	(23.07)	(14.05)
3.	कोई नहीं	25	22	03	02	51
		(26.09)	(16.30)	(04.55)	(15.38)	(16.67)
	योग	**92**	**135**	**66**	**13**	**306**
		(100.00)	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**

सारणी—62 का विश्लेषण जाति समूह के आधार पर करने पर यह स्पष्ट होता है कि सवर्ण उत्तरदाताओं की व्यक्तिगत जिन्दगी में 59 (64.13 प्रतिशत) परिवार, समाज या अन्य महिलाओं का हस्तक्षेप (दखलन्दाजी) दिखाई देती है जबकि पुरूषों का हस्तक्षेप केवल नौ (09.78 प्रतिशत) ही है। इसी प्रकार पिछड़े—वर्ग की उत्तरदाताओं में महिलाओं की दखलन्दाजी या हस्तक्षेप को स्वीकार करने वाली उत्तरदाताओं की संख्या सौ (74.07 प्रतिशत) है और पुरूषों के हस्तक्षेप को केवल 13 (09.63) उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया है। किन्तु अनुसूचित जाति और अन्य धर्मों की उत्तरदाताओं में पुरूषों की दखलन्दाजी का प्रतिशत सवर्ण और पिछड़े—वर्ग की उत्तरदाताओं की तुलना में अधिक दिखाई दे रहा है। अनुसूचित जाति 45 (68.18 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने कहा कि उनकी जिन्दगी में महिलाओ का हस्तक्षेप अधिक है और 18 (27.27 प्रतिशत) अनुसूचित जाति की

उत्तरदाताओं ने पुरूषों की दखन्दाजी को स्वीकार किया। इसी प्रकार अन्य धर्मावलम्बी उत्तरदाताओं में 08 (61.53 प्रतिशत) ने महिलाओं के हस्त्तक्षेप और 03 (23.07 प्रतिशत) ने पुरूषों का अधिक हस्ताक्षेप स्वीकार किया है। इस प्रकार सवर्ण और पिछड़े वर्ग की उत्तरदाताओं पुरूषों के हस्त्तक्षेप अथवा दखलन्दाजी को स्वीकार करने वाली उत्तरदाता क्रमशः 09.78 प्रतिशत और 09.63 प्रतिशत है जबकि अनुसूचित जाति और अन्य धर्मों को मानने वाली उत्तरदाताओं ने पुरूषों के हस्त्तक्षेप/दखलन्दाजी को क्रमशः 27.27 प्रतिशत 23.07 प्रतिशत स्वीकार किया है।

समग्र रूप से हम इस तथ्य को स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं कि महिलाओं की आधुनिकतम बदलती भूमिकाओं एवं जीवन शैली के परिदृश्यों को महिलाओं के द्वारा ही अस्वीकार किया जा रहा है जबकि पुरूष प्रधान समाज और पितृ सत्तात्मक व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका के बदलते प्रतिमानों से पुरूष को आपत्ति होना चाहिए। किन्तु तथ्य और वास्तविकता दूसरी ओर संकेत करती है। महिलाएं ही महिलाओं का शोषण और उत्पीड़न करती है इस वास्तविकता को नकारा नहीं जा सकता।

इसी प्रकार महिलाओं की भूमिका और बदलते परिदृश्यों में सर्वाधिक आपत्ति परिवार के लोगों को होती है, किन्तु यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि परिवार के लोगों की आपत्ति सामाजिक भय, लोक लाज या सांस्कृतिक मूल्यों के कारण होती है। इसलिये वे महिलाओं के व्यक्तिगत जीवन में दखल देना अपना दायित्व समझते है। सारणी–63 में उत्तरदाताओं के व्यक्तिगत जीवन में दखल देने वाले लोगों का विवरण प्रस्तुत किया है।

परिवार के लोगों विशेषकर माता–पिता, सास–ससुर और अन्य परिजनों के द्वारा उत्तरदाताओं के व्यक्तिगत जीवन में दखलन्दाजी निरन्तर दी जाती है ऐसे उत्तरदातओं की संख्या 123 (40.20 प्रतिशत) है। इन उत्तरदाताओं में 37 (40.22 प्रतिशत) सवर्ण, 58 (42.96 प्रतिशत) पिछड़े वर्ग, 24 (36.36 प्रतिशत) अनुसूचित जाति और 4, (30.72 प्रतिशत) अन्य धर्मावलम्बी उत्तरदाता है, जिनके व्यक्तिगत जीवन में परिवार के लोग हस्तक्षेप/दखल देते है।

सारणी सं0–63

उत्तरदाताओं के व्यक्तिगत जीवन में दखल (हस्तक्षेप) देने वाले लोग

क्र.सं.	दखल/हस्तक्षेप करने वाले लोग	जाति समूह				योग
		सवर्ण	पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अन्य धर्म के उत्तरदाता	
1.	परिवार के लोग	37	58	24	04	123
		(40.22)	(42.96)	(36.36)	(30.77)	(40.20)
2.	समाज और पड़ोसी	13	32	13	04	62
		(14.13)	(23.70)	(19.70)	(30.77)	(20.26)
3.	कार्यालय के सहकर्मी	09	13	18	03	43
		(09.78)	(09.63)	(27.27)	(23.08)	(14.05)
4.	अन्य	09	10	08	00	27
		(09.78)	(07.41)	(12.12)	(0.00)	(08.82)
5.	कोई नहीं	24	22	03	02	51
		(26.09)	(16.30)	(04.55)	(5.38)	(16.67)
6.	योग	**92**	**135**	**66**	**13**	**306**
		(100.00)	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**

62 (20.26 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का उत्तर था कि उनके व्यक्तिगत जीवन और कियाकलापों में समाज (जाति,बिरादरी एवं नातेदार) और पड़ोस

के लोगों की दखलन्दाजी अधिक रहती है, इन उत्तरदाताओं का कहना था कि हम कामकाजी महिलायें है, कब आती हैं, कब कहाँ जाती हैं इस से किसी दूसरे को आपत्ति नहीं होना चाहिये किन्तु हमारे प्रत्येक व्यक्तिगत जीवन से कियाकलापों में पड़ोसियों और रिश्तेदारों का दखल जरूरत से ज्यादा रहता है। 13, (14.13 प्रतिशत) सवर्ण, 32, (23.70 प्रतिशत) पिछड़े वर्ग, 13 (19.70 प्रतिशत) अनुसूचित जाति और 4, (30.77 प्रतिशत) अन्य धर्मावलम्बी उत्तरदाताओं ने उनकी व्यक्तिगत जिन्दगी में समाज और पड़ोसियों के हस्तक्षेप/दखलन्दाजी को स्वीकारा है।

43 (14.05 प्रतिशत) उत्तरदाता, जिनमें 9 (09.78 प्रतिशत) सवर्ण, 13 (09.63 प्रतिशत) पिछड़े वर्ग, 18 (27.27 प्रतिशत) अनुसूचित जाति और 03 (23.08 प्रतिशत) अन्य धर्मावलम्बी उत्तरदाता सम्मिलित है, ने स्वीकार किया कि उनेक व्यक्तिगत जीवन में साथ कार्य करने वाले कार्यालय के सहकर्मियों का हस्तक्षेप अधिक रहता है।

27 (08.82 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने अन्य लोगों जैसे अपरिचित राहगीर, धार्मिक लोगों के हस्तक्षेप/दखलन्दाजी को स्वीकारा है।

विमला पाटिल (2009) लिखती हैं कि ऐसा लगता है कि भारतीय किसी महिला की उन्मुक्त जीवन शैल को हज़म नहीं कर पाते। शायद इसका कारण यह है कि भारतीय सभ्यता में स्त्रियों की सुचिता को सामाजिक स्थिरता का स्तम्भ माना गया है। जो उनकी भूमिका में किसी भी प्रकार के बदलाव को स्वीकार करने में तत्पर नहीं है।

शत–प्रतिशत उत्तरदाताओं को अपनी जिन्दगी, रहन–सहन, और परिधान में किसी भी दूसरे का चाहे वह पति ही क्यों न हो दखल या हस्तक्षेप पसंद नहीं है आज की महिलाओं का मानना है कि ''हमारी शारीरिक संरचना ही कुछ अधिक हासिल करने के लिए हुई है न सिर्फ काम और परिवार में संतुलना बनाने बल्कि दोनों में निपुणता हासिल करने के लिए भी।''

उत्तरदाता अपनी व्यक्तिगत जीवन शैली में किसी के हस्तक्षेप या दखलन्दाजी को उचित क्यों नहीं मानती, जब ह प्रश्न उनसे किया कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अनुरूप रहन–सहन क्या उचित नहीं है? तो उनका उत्तर था कि वर्तमान परिप्रेक्ष में दकियानूसी जीवन शैली से हमारी परिवार की या राष्ट्र की उननति होने वाली नहीं है यदि परिवार ने हमें काम करने की छूट दी है। हम आर्थिक विकास में साझीदारी कर रहे हैं तो परिवार और समाज के लोगों को हमारे ऊपर विश्वास कर प्रत्येक स्थिति में काम काज़ी महिलाओं का साथ देना होगा। परिवार, समाज, पड़ोस, कार्यालय या अन्य लोगों को अपीन मानसिकता बदलने की जरूरत है ताकि लोग महिलाओं के काम को गम्भीरता से लेना शुरू कर दें। महिलाओं में एक साथ कई काम करने की क्षमता होती है, और प्रौद्योगिकी उन्हें कामकाज में पूर्ण संतुलन बिठाने में मदद करती है।

हमने अपनी उत्तरदाताओं से यह प्रश्न किया कि आप को अपने व्यक्तिगत जीवन में दूसरों का हस्तक्षेप या दखल देना क्यों पसंद नहीं है? तो उनका कहना था कि हमारे कार्य करने के आधुनिकतम तरीके हैं आज सूचना प्रौद्योगिकी ने महिलाओं की भूमिका में गति पैदा कर दी है नई–नई

तकनीकी सुविधायें हमारी भूमिकाओं को बहुआयामी बना रही है। इसके कारा हम घर और बाहर के कार्यों को एक ासथ सम्पादित करते हैं। 'मोबाइल' 'बाइक', साड़ी की जगह जीन्स या सलवार कुर्ता, अपने पुरूष सहकमियों से बातचीत, विचार–विमर्श अब अपरिहार्य है, ऐसी स्थिति में यदि कोई दखल देता है तो मानसिक तनाव, काम करने में मन न लगना, तरक्की का रूकना आर्थिक रूप से पिछड़ना या महिलाओं के अधिकारों का हनन है।

सारणी–64 में उत्तरदाताओं के इन्हीं विचारों का जाति समूह के आधार पर विश्लेषण किया है।

सारणी सं0–64

उत्तरदाताओं के व्यक्तिगत जीवन में दखल (हस्तक्षेप) उचित नहीं मानने के कारण

क्र.सं.	हस्तक्षेप को उचित नहीं मानने के कारण	जाति समूह				योग
		सवर्ण	पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अन्य धर्म के उत्तरदाता	
1.	हमें अपनी जिन्दगी अपने तरीके से जीने का अधिकार है।	31	45	18	05	99
		(33.70)	(33.33)	(27.27)	(38.46)	(32.35)
2.	मानसिक तनाव बढ़ता है।	22	27	22	02	73
		(23.91)	(20.00)	(33.33)	(15.39)	(23.86)
3.	तरक्की रूक जाती है।	15	28	09	01	53
		(16.30)	(20.74)	(13.64)	(07.69)	(17.32)
4.	काम करने में मन नहीं लगता	17	15	15	02	49
		(18.48)	(11.11)	(22.73)	(15.39)	(16.01)
5.	न हम किसी के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करते है और न कोई दूसरा हमारी जिन्दगी में करे।	07	20	02	03	32
		(07.61)	(14.82)	(03.03)	(23.07)	(10.46)
6.	**योग**	**92**	**135**	**66**	**13**	**306**
		(100.00)	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**

99 (32.35 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का कहना था कि हमें अपनी जिन्दगी अपने तरीके से जीने का संवैधानिक एवं नैतिक अधिकार है हमारी आजादी को गलत मान कर दूसरे लोग हमारी जिन्दगी में रोके—टोके यह उचित नहीं है। इन उत्तरदाताओं में 31 (33.70 प्रतिशत) सवर्ण, 45 (33.33 प्रतिशत) पिछड़े वर्ग, 18 (27.27 प्रतिशत) अनुसूचित जाति और पांच (38.46 प्रतिशत) अन्य धर्मों की उत्तरदाता सम्मिलित हैं।

व्यक्तिगत जीवन में दूसरो के रोकने—टोकने या हस्तक्षेप करने से 'मानसिक तनाव बढ़ता है' यह कारण बताया 73 (23.86 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने। इनका कहना था जब—दूसरे लोग हमारे उठने—बैठने काम करने में दखलन्दाजी करते हैं तो मानसिक तनाव, अवसाद की स्थिति पैदा हो जाती है और सही काम भी बिगड़ जाता है और तब ोंकने वाले लोग हंसी उड़ाते हैं अतः अपनी जिन्दगी में दूसरों का हस्तक्षेप बर्दास्त नहीं है। इस उत्तर की समर्थ 22 (23.91 प्रतिशत) सवर्ण, 27 (20.00 प्रतिशत) पिछड़े वर्ग, 22 (33.33 प्रतिशत) अनुसूचित जाति एवं 02 (15.39 प्रतिशत) अन्य धर्मों की उत्तरदाता है।

दूसरों के हस्तक्षेप, दखलन्दाजी या रोकने टोकने के कारण हमारी तरक्की रूक जाती है। यह उत्तर था 53 (17.32 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का इनका कहना था कि व्यक्तिगत जिन्दगी में हस्तक्षेप के कारण मानसिक उलझने पैदा हो जाती है, जिससे समय पर कार्य पूरा नहीं हो पाता या कार्यालय आने—जाने में स्वाभाविक रूप से देरी हो जाती है और दूसरों की अपेक्षा हम पिछड़ जाती है, जिसका प्रभाव हमारे विकास, तरक्की या प्रमोशन पर पड़ता है। तरक्की रूक जाती है। इस उत्तर को देने वाल 15

(16.30 प्रतिशत) सवर्ण, 28 (20.74 प्रतिशत) पिछड़े वर्ग, 09 (13.64 प्रतिशत) अनुसूचित जाति और 01 (07.69 प्रतिशत) अन्य धर्मावलम्बी उत्तरदाता है।

परिवार, समाज, कार्यालय सहकर्मियों या दूसरे लोगों के हस्तक्षेप से मन उचाट हो जाता है और किसी भी काम में 'मूड' नहीं बनता या काम करने में मन नहीं लगता यह कारण बताया 49 (16.01 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने। इनमें 17 (18.48 प्रतिशत) सवर्ण, 15 (11.11 प्रतिशत) पिछड़े वर्ग, 15 (22.3 प्रतिशत) अनुसूचित जाति एवं 02 (15.39 प्रतिशत) अन्य धर्मों की उत्तरदाता है।

32 (10.46 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का कहना था कि जब हम किसी की व्यक्तिगत जिन्दगी में दखल नहीं देते तो दूसरे लोग हमारी जिन्दगी में हस्तक्षेप करें या दखलन्दाजी रें यह हमें बर्दाश्त नहीं है, हम बिन्दास जिन्दगी जीना चाहत हैं, हम क्या खाते–पीते हैं, कहाँ आते–जाते हैं, क्या पहनते हैं, किसके साथ रहते हैं और क्या करने से हम आगे तरक्की कर सकते है यह दूसरों की अपेक्षा हम अच्दी तरह समझ सकते हैं। इस उत्तर वर्ग मे 07 (07.61 प्रतिशत) सवर्ण, 20 (14.02 प्रतिशत) पिछड़े वग्र, 02 (03. 03 प्रतिशत) अनुसूचित जाति एवं 03 (23.07 प्रतिशत) अन्य धर्मावलम्बी उत्तरदाता है।

वस्तुतः बदलते सामाजक परिवेश में जहाँ पुरूष प्रधान या समाज महिलाओं को समाज की आर्थिक संरचना से जोड़ना चाहता है और परिवार एवं राष्ट्र के परम्परावादी प्रतिमानों पर, जिसके अब आज की तरक्की पसंद स्वतंत्र विचारों वाली महिलाएं स्वीकार नहीं कर रहीं।

मीडिया और सूचना प्रौद्योगिकी भारतीय परिदृश्यों में महिलाओं की दोहरी भूमिका को प्रदर्शित करती है। एक तरफ उच्च शिक्षित आधुनिक शहरी महिलाएं हैं जो, कई सम्बन्ध रखने को अपनी नई स्वतंत्रता का प्रतीक मानती हैं। दूसरी ओर महिलाओं की भूमिका इस तरफ संकेत करती हैं कि हमें पश्चिमी देशों से सबक लेने की जरूरत हैं जहां बेलगाम यौन उन्मुक्तता के कारण लोग अपने परिवारों से टूट रहे हैं।

उत्तरदाताओं में 213 (69.61 प्रतिशत) को महिला होना अब नहीं अखरता क्योंकि उनकी भूमिका और पुरूषों की भूमिका में अब कोई अन्तर नहीं, वे घर बाहर पुरूषों से न तो डरती है और न ही उनसे पीछे रहने को तेयार हैं। 93 (30.39 प्रतिशत) उत्तरदाताओं को महिला होना अभी भी अखरता है, इसका कारण पूछने पर उनका कहना था कि ठीक है हमें पुरूषों के समान आजादी है लेकिन हमें समाज की मानसिकता बदलनी होगी, ताकि लोग महिलाओं के काम को गम्भीरता से लेना शुरू कर दे। अभी महिलाओं की भूमिका को गम्भीरता से नहीं लिया जाता। जबकि महिलाओं में एक साथ कई भूमिकाएं सम्पादित करने की क्षमता होती है, और प्रौद्योगिकी उन्हें कामकाज में संतुलन बिठाने में मदद करती है।

इसमें शक की कोई गुंजाईश नहीं कि इंटरनेट ने आज की हाई–टेक युवतियों क लिए युवाओं की तरह लगभग हर क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन किये हैं। आज के इंटरनेट के युग में जब सारी दुनिया सिमटकर एक 'ग्लोबल विलेज' के रूप में सिमट गई है तो ऐसे में सभी क्षेत्रों की जानकारियाँ भी लोगों के पास एक ही जगह पर वेबसाइट्स के रूप में उपलब्ध हो रही है। आज सूचना–प्रौद्योगिकी को बतौर कैरियर अपनाने की

इच्छुक युवतियों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। सरकारी क्षेत्र के भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, की इलाहाबाद, हैदराबाद, बैंगलोर आदि शहरों में स्थापना होने, देश के अधिकांश विश्वविद्यालयों में बैचलर ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी (बी0आई0टी0) पाठ्यक्रमों की शुरूआत होने तथा ई0टी0 एण्ड टी0, सी0एसम0सी0 जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिषनों में अल्पकालिक दीर्घकालीन पाठ्यक्रमों की उपलब्धता सुनिश्चित किय जाने से स्थिति में भारी परिवर्तन आया है।

आज आई0टी0 अध्ययन कर रही छात्राओं के लिए चिप लेबल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा पाठ्यक्रम करना बहुत बेहतर साबित हो रहा है। इस कोर्स को करने के बाद वे कम्प्यूटर निर्माण तथा एसेम्बलिंग करने वाली राष्ट्रीय एवं बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में सरलता से प्रवेश पा रही है।

सूचना प्रौद्योगिकी के आधुनिक दौरे में महिलाओं के लिए रोजगार के स्वर्णिम अवसर उपलब्ध है। इतना ही नहीं ई–कामर्स आधुनिक महिलाओं के जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। वर्तमान में प्रतिदिन हज़ारों महिलाएं और लाखों व्यक्ति कम्प्यूटर एवं इंटरनेट का उपयोग कर, ई–कामर्स व्यवस्था द्वारा दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे कपड़े, उपहार पुस्तकें, इलेक्ट्रानिक सामान, खाने की वस्तुएं आदि खरीदती हैं। सेवायें प्राप्त करते हैं तथा सेवा प्राप्त करने क बदले बिजली, टेलीफोन का बिल भुगतान करते हैं। रेलवे, हवाई यात्रा टिकट, आरक्षण आदि अब सभी कुछ ई–कामर्स व्यवस्था द्वारा सम्भव है जिसे महिलाएं सबसे अधिक उपभोग कर रही है, क्योंकि यह व्यवस्था उन्हें लम्बी–लम्बी लाइनों और भीड़ से छुटकारा दिलाती है।

सूचना-क्रांति और चिकित्सा

चिकित्सा सुविधाओं को सूचना व संचार तकनीकों से जोड़े कर 'टेली नर्सिंग' व 'टेली होम हैल्थ केयर सर्विसेज' जैसी लोकोपयोगी स्वास्थ्यप्रद सेवाओं का विकास किया गया है। इसका उद्देश्य गम्भीर रोगियों को समस्त चिकित्सा एव नर्सिंग सुविधाएं घर पर ही उपलब्ध करा कर अस्पतालों, प्रशासन व स्वयं रोगियों के चिकित्सा खर्चों में कमी लाना है। अब वैश्विक स्तर पर इन सुविधाओं का लाभ महिलाएं ले रही हैं उत्तरी कैरोलीना में इस प्रणाली का सर्व प्रथम परीक्षण किया गया। वहाँ की अधिकांश महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान रक्तचाप बढ़ जाने की समस्या अक्सर सामने आती रहती थी, नतीजतन महिलाओं को लम्बे समय तक चिकित्सकीय देख–रेख में अस्पतालों में भर्ती रहना पड़ता था। लेकिन टेली नर्सिंग एवं 'वर्चुअल विजिट' प्रणाली का उपयोग करते हुए गर्भावस्था के दौरान महिलाएं घर पर ही आराम करती है और सूचना तकनीकियों के द्वारा अस्पताल के परामर्शी चिकित्सकों से निरन्तर सम्पर्क बनाएं रखकर, उनके निदर्शन में अपने स्वास्थ्य के प्रत्येक पक्ष की मॉनीटरिंग स्वयं करती हैं। इससे उन महिलाओं को लम्बे समय तक अस्पताल में भर्ती नहीं रहना पड़ता दूसरे उन्हें बार–बार अस्पतालों के चक्कर काटने के झंझट से भी मुक्ति मिल गई है। इसके अतिरिक्त एकाकी जीवन व्यतीत करने वाली प्रौढ़ बूढ़ी महिलाओं के लिए भी यह प्रणाली उपयोगी है।

डॉ0 हेमेन्द्र सिंह तंवर (2004) लिखते हैं कि हेल्थ केयर के साथ–साथ नर्सिंग सुविधायें भी सूचना प्रौद्योगिकी अनुदानों के फलस्वरूप घर पर ही उपलब्ध होने लगी है और अब 'होम नर्सिंग' या 'टेली नर्सिंग' के

रूप में जानी जाती है। इस सेवा के अन्तर्गत मरीज न केवल चिकित्सा विशेषज्ञों के बल्कि अस्पतालों के नर्सिंग स्टॉफ से भी सीधे सम्पर्क में रहता है। नर्सिंग स्टॉफ के द्वारा ऐसे रोगियों की टेली मॉनीटरिंग की जाती है। एंकागी परिवारों की महिलाआं की दोहरी भूमिकाओं वादी जिन्दगी में यह सुविधा अत्यधिक महत्वूर्ण हैं क्योंकि स्वयं के लिए, बच्चों के लिए और कभी–कभी पति या परिवार के पुरूष सदस्यों के लिए भी नर्सिंग एवं चिकित्सा सुविधायें घर पर ही जुटाना अनविार्य हो जाता है। कामकाजी महिलाएं इंटरनेट/मोबाइल के जरिये नर्सिंग स्टॉफ से निरन्त चिकित्सा परामर्श लेती रहती है और अपनी देखभाल स्वयं भी कर लेती है। केवल आपात कालीन परिस्थिति में ही नर्सों की व्यक्तिगत सहायता ली जाती है।

यह टेली नर्सिंग सुविधा विशेषकर मानसिक रोगों, अवसाद, तनाव, मानसिक अशांति तथा मानसिक कमजोरी से ग्रस्त महिलाओं के साथ–साथ उच्च रक्तचाप, मधुमेह, गठिया, कैंसर और हृदय रोगों के मरीजों के लिए विशेष जीवनदायी हैं, जिन्हें अपने परिजनों के सहायोग, सम्बल और अपनत्व की सर्वाधिक आवश्यकता होती है और अस्पताल की बजाय घर का वातावरण उनके लिए सहज और अपनत्व से भरा होता है। इस प्रकार की नर्सिंग सुख सुविधाओं के फलस्वरूप अब चिकित्सा विशेषज्ञ और नर्सिंग स्टॉफ अस्पतालों के अपने वार्डों में बैठे–बैठे ही अपने स्पर्श संवेदनशील कम्प्यूटरों पर घरों पर आराम फरमा रहे अपने रोगियों का स्वास्थ्य रिकार्ड प्राप्त करते रहते हैं और जांच परिणामों को निरन्तर रोगियों तक पहुंचाते हैं।

सूचना एवं संचार क्रान्ति से जब महिलाओं का प्रत्येक पक्ष प्रभावित हुआ है तो चिकित्सा जगत इससे अछुता कैसे रह सकता है? सूचना क्रान्ति

ने रोग निदान, रोगी के परीक्षण, चिकित्सा परामर्श व शल्य चिकित्सा की पराम्परागत पद्धतियों व धारणाओं को पूर्णतया बदल दिया है। अब रोगी चिकित्सक के पारस्परिक सम्बन्धों तथा अस्पतालों की अवधारणा बदलने लगी है। सूचना प्रौद्योगिकी ने चिकित्सा–जगत को जो व्यापक अनुदान उपलब्ध कराएं हैं उसे देखते हुए सहज ये कल्पना की जा सकती है कि मातृ शक्ति जो स्वास्थ्य की दृष्टि से सब से अधिक असहाय थी, उसे पूर्ण निरोगी, स्वस्थ जीवन जीने की महिलाओं की नैसर्गिक इच्छा और पूर्ण स्वस्थ रोगरहित मानवता की अभिकल्पना शीघ्र साकार होने जा रही है।

महिलाओं की भूमिका के बदलते परिदृश्य में भारतीय समाज समानता पर आधारित न्यायोचित सामाजिक व्यवस्था कायम करने और तत्काल समाधान खोजने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने के नए और अभिनव तौर–तरीके ढूंढ़ने में हमें मदद मिलेगी।

मूलतः महिलाओं में भूमिका के बदलने से सामाजिक संरचना में कुछ अहम परिवर्तन दिख रहे हैं :–

- समाज में विकास के लिए शिक्षा और महिलाओं में सीखने की उत्सुकता।
- विश्व स्तर पर नेटवर्किंग के द्वारा सूचनाओं का आदान–प्रदान।
- नीतियां बनाने और उनके कार्यान्वयन में सरकार, उद्योग और शैक्षिक समुदाय के बीच घनिष्ठ तालमेल।

- सूचना तकनीकी, दूर संचार, बायोटेक्नोलॉजी, दवा निर्माण, वित्तीय सेवाओं और उपक्रमों के अनुसार प्रबन्धन में महिलाओं की भूमिका का लाभ उठाना।

- राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की क्षमताओं और अवसरों के आधार पर अहम आर्थिक और व्यापारिक गठबंधन।

महिलाओं के ज्ञान और क्षमता की एक उपयोगी परिभाषा है वे अपनी जानकारी अनुसंधान और अनुभव से प्राप्त करती हैं। इसमें तथ्यों की जानकारी, प्रकृति के नियमों और सिद्धान्तों की वैज्ञानिक जानकारी, किसी कार्य को कोमलता से करने का कौशल और क्षमता। यह जानकारी की कौन क्या जानता है तथा कौन सा कार्य कैसे किया जाए, शामिल है।

महिलाओं की भूमिका और समाज की वैज्ञानिक क्रान्ति के संदर्भ में औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ0 आर0ए0 माशेलकर ने, 87वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस में अपने अध्यक्षीय भाषण में बड़े सटीक शब्दों में कहा था कि देश में महिलाओं की क्रान्ति से अनुभविक ज्ञान पर आधारित व्यापार और उद्योग को बढ़ावा मिल रहा है। हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी नाटकीय बदलाव आया है। जहां एक जमाने में हम केवल लौह खनिज जैसे प्राथमिक उत्पादों का ही निर्यात करते थे वहां आज हमारे निर्यात में ज्ञान और हस्तशिल्प से निर्मित वस्तुओं की मात्रा अधिक है। किन्तु दुर्भाग्य की बात है कि विश्व में 300 करोड़ की जनसंख्या वाली महिलाएं जो सम्पूर्ण श्रम का दो तिहाई (66 प्रतिशत) हिस्सा है उनके इस श्रम के बदले उन्हें केवल 10 प्रतिशत मजदूरी मिलती है और यह महिलाएं विश्व सम्पत्ति की मात्र 100वें हिस्से की मालिक हैं।

अनैतिकतापूर्ण वातावरण, चारों तरफ व्याप्त भ्रष्टाचार, नैतिक मूल्यों का ह्रास, अच्छे तत्व की तुलना में 'बैड एलिमेंट' का समाज में हावी होना, सेटेलाइट, केबल, टी0वी0, सिनेमा और अन्य सूचना–संचार प्रौद्योगिकी के द्वारा परोसी गई सेक्स हिंसा, अश्लीलता भोगवाद की संस्कृति जैसे कारक आज महिलाओं के साथ होने वाले यौन शोषण हिंसा अपराध को तीव्र गति से बढ़ा रहे हैं। यौन–शोषण के कारण महिलाओं को पुरूष प्रधान समाज से घृणा होती जा रही है।

सारणी सं0–65

विश्व में महिला शोषण का शब्द चित्र

1.	विश्व में महिलाओं की कुल संख्या (लगभग)	300 करोड़
2.	विश्व में बच्चियों की संख्या (लगभग)	90 करोड़
3.	महिलाओं की संसार के कुल श्रम की हिस्सेदारी	दो तिहाई 66 प्रतिशत
4.	श्रम के बदले उन्हें मिलने वाली मजदूरी	10 प्रतिशत
5.	विश्व सम्पत्ति में महिलाओं का मालिकाना हक़	केवल 100वां भाग 01 प्रतिशत

स्त्रोत : अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिनेवा, 1979

मानव जाति के समक्ष सबसे बड़ी समस्या सम्मानपूर्वक महिलाओं के जीवन यापन की है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी प्रधान अंग – महासभा, सुरक्षा परिषद, न्याय धारिता परिषद, अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय तथा आर्थिक और सामाजिक परिषद एक साथ मिलकर मानवाधिकारों से सम्बन्धित कार्य करती हैं। इनका सम्बन्ध जाति संहार (नर संहार) मूलवंशीय भेदभाव, रंगभेद, शरणार्थी, राष्ट्रीयता विहीन व्यक्तियों और विशेष रूप से महिलाओं

के मूलभूत अधिकार, दासता, विवाह, बाल विवाह, उत्पीड़न, शोषण, विकास और सामाजिक प्रगति से है।

संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद–68 के अन्तर्गत आर्थिक और सामाजिक परिषद आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में महिलाओं के मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए आयोग का गठन करेगी इसके साथ ही यह ऐसे अन्य आयोगों का गठन करेगी जो उसके कार्यों को सम्पन्न करने के लिए अपेक्षित हो। इस अनुच्छेद के अनुसरण में मानवाधिकार आयोग की स्थापना आर्थिक और सामाजिक परिषद के एक कार्यकारी आयोग के रूप में 1946 में हुई। जिसके विचारणीय विषय थे –

- पुरूषों एवं महिलाओं के अधिकारों का एक अन्तर्राष्ट्रीय बिल।
- नागरिक स्वतंत्रताओं, महिलाओं की प्रस्थिति, उनकी सूचना की स्वतंत्रता और इसी तरह के मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय घोषणायें।
- अल्पसंख्यकें एवं महिलाओं का संरक्षण।
- मूलवंश, लिंग, भाषा या धर्म के आधार पर भेदभाव का निवारण।
- मानवाधिकार से सम्बन्धित कोई अन्य मामला जो अन्य विषयों के अन्तर्गत नहीं आता।
- संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था मानवाधिकार से सम्बन्धित क्रिया–कलापों के समन्वय के लिए आर्थिक और सामाजिक परिषद् की सहायता करना।

वैश्विक परिदृश्य में महिलाओं की बदलती भूमिकाओं और स्थिति पर आयोग की स्थापना आर्थिक और सामाजिक परिषद् के एक कार्यकारी

आयोग के रूप में हुई थी। महिलाओं के विकास से सम्बन्धित जो भी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन/संस्थाएं, क्षेत्रीय संस्थाएं या राष्ट्रीय संस्थाएं कार्य करती हैं, उनके बीच यह आयोग घनिष्ट समन्वय करता है।

महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय प्राविधान के क्रियान्वयन की देख–रेख का दायित्व आर्थिक और सामाजिक परिषद् में निहित है। महिलाओं के विरूद्ध भेदभाव के समापन की समिति स्थापना 1982 में महिलाओं के विरूद्ध सभी रूपों में भेदभाव के समापन सम्मेलन के कार्यान्वयन की देख–रेख के लिए हुई थी।

सर्वोच्च न्यायालय ने महिलाओं के अधिकारों और भूमिकाओं के आयाम को और अधिक बढ़ा दिया हैं। जैसे–सम्मान और गरिमा के साथ जीने का अधिकार, अमानवीय व्यवहार के विरूद्ध अधिकार, जीवकोपार्जन का अधिकार, आश्रय प्राप्त करने का अधिकार, निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार अवैध गिरफ्तार तथा निरोध, अभिरक्षा मृत्यु के विरूद्ध सुरक्षा आदि।

इसके अतिरिक्त दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग विमेंस फोरम, सहेली महिला अत्याचार विरोध जन आन्दोलन, राष्ट्रीय महिला आयोग आदि संस्थाएं निरन्तर वर्तमान परिस्थितियों में कामकाजी महिलाओं की बदलती भूमिकाओं को ध्यान में रखकर उनकी सुरक्षा के प्रति सजग हैं।

संतोष की बात यह है कि शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी निरन्तर बढ़ रही है। एक समाजशास्त्रीय सर्वेक्षण से प्राप्त रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले पांच दशकों में प्राथमिक, मिडिल, माध्यमिक स्तरों और उच्चतर शिक्षा स्तर पर यह भागीदारी बढ़कर क्रमशः 28.1 प्रतिशत से 43.7 प्रतिशत, 16.1

प्रतिशत से 40.9 प्रतिशत और 13.30 प्रतिशत से 38.6 प्रतिशत और 10 प्रतिशत से 36.89 प्रतिशत पर पहुंच गई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी अभी भी 50 प्रतिशत से कम है। चूंकि भारत एक परम्परागत समाज है और महिलाओं को अक्सर उनके जीवन के बारे में फैसलों का अधिकार नहीं होता, फिर भी इसे प्रगति समझा जा सकता है, भले ही 50 प्रतिशत का आंकड़ा महिलाओं ने शिक्षा के क्षेत्र में पार न किया हो, लेकिन स्कूल कालेजों में उनके प्रवेश का प्रतिशत बढ़ रहा है। महिलाओं को अपनी भूमिकाओं के द्वारा समाज की मुख्य धारा में एकीकृत होना होगा क्योंकि कुल मिलाकर भारत में उन्हें समानता प्राप्त नहीं है।, किन्तु सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उन्हें सामाजिक या आर्थिक विकास की भूमिकाएं निरन्तर प्राप्त हो रही हैं, ऐसी स्थिति में समानता के लिए उन्हें संघर्ष जारी रखना होगा।

सितम्बर, 1995 में चीन में बीजिंग (पेइचिंग) में चौथे विश्ववि महिला सम्मेलन में 'कार्रवाई के लिए एक मंच' तय किया गया था। इसमें यह सिफारिश की गई कि 'सरकारो, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निकायों, द्विपक्षीय और बहु–राष्ट्रीय दानकर्ताओं और गैर–सरकारी संगठनों द्वारा महिला निरक्षरता दर में 1990 के स्तर में कम से कम 50 प्रतिशत कमी लाने के लिए कार्रवाई करनी होगी और उसमें ग्रामीण महिलाओं और आंतरिक दृष्टि से विस्थापित महिलाओं और अपंग महिलाओं पर ध्यान केन्द्रित करना होगा ताकि वर्ष–2000 तक सभी लड़कियों की पहुंच प्राथमिक शिक्षा तक हो और उसमें लिंग की समानता सुनिश्चित की जा सके। महिलाओं की बुनियादी भूमिका और कामकाजी भूमिकाओं में लिंग की असमानता समाप्त हो सके....... महिलाओं के लिए विशेषतः युवा महिलाओं

और श्रम बाजार में पुनः प्रवेश करने वाली महिलाओं के शिक्षा प्रशिक्षण और पुनः प्रशिक्षण नीतियों का विकास और कार्यान्वयन किया जाए, श्रम बाजार के बदलते स्वरूप की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए महिलाओं को सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आपेक्षित कौशल प्रदान किया जाए। बदलते सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में आपेक्षित जरूरतों को पूरा करे लिए रोजगार के अवसरों में सुधार के वास्ते महिलाओं को कुशल बनाया जाना अनिवार्य है। शैक्षिक प्रणाली में लड़कियों और महिलाओं को अनौपचारिक शिक्षा के अवसरों की जानकारी देना और उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण, पाठ्यक्रमों और सतत् पाठ्यक्रमों की उपलब्धता और फायदे की जानकारी देने के लिए कदम उठाने होंगे।

सी0जयन्ती (2003) 'योजना' में कमला भसीन द्वारा लिखित पुस्तक 'हाट इज़ पेट्रिआकि?' का संदर्भ देते हुए लिखते हैं, 'गुलामों में अंतर्हित सहयोग के अभाव में दास प्रथा कभी समाप्त होने वाली नहीं थी। महिलाओं के बारे में भी यह सही है। वे व्यवस्था का अभिन्न अंग है, उन्होंने अपनी बदलती भूमिकाओं के परिदृश्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना महत्व प्रतिपादित किया है, वे पितृ सत्ता विचारा धारा से मुक्त नहीं है और जैसा कि हमने पहले कहा उन्हें इससे कुछ स्वाभाविक लाभ भी मिले हैं। सम्बन्ध सूत्रता का एक समान जटिल समूह उनके सहयोग अथवा सह–अपराधिता, जैसा कि महिलावादियों ने इसे नाम दिया है को सक्रिय रखता है। ग्रेडा लर्नर के अनुसार, 'यह सहयोग अनेक साधनों से हासिल किया जाता है; जैसे लिंग सम्बन्धी उपदेश देकर, शिक्षा से वंचित रखकर, महिलाओं को उनके इतिहास की जानकारी न प्रदान करके, महिलाओं की यौन गतिविधियों के अनुसार उन्हें 'सम्माननीय' और 'पथभ्रष्ट' परिभाषित करते

हुए एक दूसरे से अलग करके, नियंत्रण में रखकर या सीधे बलपूर्वक दबाकर, आर्थिक संसाधन और राजनीतिक अधिकारों तक पहुंच में भेदभाव करके, और सदृश महिलाओं को वर्ग विशेषाधिकार प्रदान करके.....' हालांकि इसे एक अतिवादी विचार कहा जा सकता है, किन्तु लड़के और लड़कियों की साक्षरता/शिक्षा बीच में ही छोड़ देने की दर में अन्तर को इससे काफी हद तक समझा जा सकता है। पितृ सत्तात्मक विचारधारा के कारण भारत को मादा भ्रूण की हत्या के अनर्थ का भी सामना करना पड़ा है, क्योंकि समाज हमेशा महिला से लड़का होने की ही उम्मीद अधिक रखता है।

शिक्षा–विशेषतः तकनीकी शिक्षा सूचना प्रौद्योगिकी संचार माध्यमों से महिलाओं की भूमिका में परिवर्तन लाया जा रहा हैं आंकड़े इस दृष्टि से उत्साह वर्धक हैं कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से उपेक्षित होने के बावजूद महिलाओं की साक्षरता दर और नौकरियों/श्रम बाजार में उनकी भागीदारी निरन्तर बढ़ रही है। इसका यह अर्थ भी है कि अनेक बाधाओं के बावजूद उनमें यह जज्बा और उन फैसलों में शिरकत करने का हौंसला पैदा हुआ है जो उनके जीवन को प्रभावित करते हैं। स्वाभाविक है कि अभी महिलाओं को लम्बी दूरी तय करनी हैं। अर्थव्यवसाा में स्त्री–पुरूष की पूरी तरह समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए समाज में महिलाओं और पुरूषों दोनों के कार्य, अनुभव, ज्ञान और मूल्यों के प्रभाव को समान रूप में मान्यता देने और उनका मूल्यांकन करने के लिए चक्रीय प्रयासों की आवश्यकता है।

शिक्षा और प्रौद्योगिकी महिलाओं की गरिमा बनाए रखते हुए बुनियादी मानवाधिकारों के प्रति वचनबद्धता और विश्वास को फिर से कायम करती

है। आजादी के साठ वर्ष पूरे करने के बाद आज हम एक शक्तिशाली राष्ट हैं किन्तु आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लाभ निर्धनतम तक पहुंचाने की आवश्यकता है।

भारत की महिलाओं ने अपनी कल्याण और प्रतिभा से एक अद्भूत संसार की रचना की है। उनके द्वारा निर्मित उत्कृष्ट कलात्मक वस्तुओं की विविधता और व्यापकता को देखकर आश्चर्य होता है। इन शिल्पियों ने मशीनों की कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद अभाव कठिनाइयां और परेशानियां सहते हुए अपनी कला परम्परा को जीवित रखा है। महिलाओं के द्वारा संचालित हस्तशिल्प क्षेत्र और कुटीर उद्योग लाखों महिलाओं को रोजगार देने के साथ–साथ आय की असमानता को दूर करता है और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित करता है।

सूचना प्रौद्योगिकी में भारतीय महिलाओं का भविष्य है। इस स्वप्न को साकार करने के लिए भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक विभाग ने अपने सामने अर्जुन लक्ष्य निर्धारित किए हैं। कई योजनाएं बनाई गई है ताकि इस वृहद् स्वप्न को साकार किया जा सके। महिलाओं की अभिरुचि को ध्यान में रखते हुए गांव, कस्बों और शहरों को भी महानगरों की तर्ज पर कम्प्यूटर इंटरनेट से जोड़ने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। अब यह देखना बड़ा रोचक होगा कि आने वाले समय में महिलाओं की भूमिका के परिदृश्य कितने प्रतिशत बदलते हैं या हमारे समाज की नीतियां वहीं होगी सिर्फ रूप (रैपर) बदलें होंगे।

महिलाओं की भूमिका के बदलते परिदृश्यों और सूचना तकनीकी, इंटरनेट के वैश्विक परिदृश्य पर नजर दौड़ाने के बाद एक बात दर्पण की

तरह साफ एवं स्पष्ट होती है कि महिलाओं की गढ़ने, संवारने में इंटरनेट, सूचना तकनीकी और शिक्षा का बहुत बड़ा हाथ हैं। इसी के बदौलत जहां महिलाओं के विरूद्ध अपराध, उत्पीड़न औश्र सूचनाओं का दुरूपयोग धड़ल्ले से हो रहा है, वहीं ज्ञान के द्वारा महिलाओं की भूमिका के नए—नए प्रतिमान भी स्थापित हो रहे हैं। क्या युवक क्या युवतियाँ और क्या प्रौढ़ नेट पर अश्लील चित्रों, संवादों से अपनी अतृप्त इच्छाओं की तुष्टि कर रहे हैं। उपलब्धि के चकाचौंध में सच एवं सामाजिक बुनावट पर भारी पड़ते इस नए तकनीकी को भुलाना भविष्य के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है।

सेंट फ्रांसिस्को में हाल ही में एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें पाया गया कि जो महिलाएं इंटरनेट पर ज्यादा से ज्यादा समय न्जूज पेपर, मैग्जीन किताब पढ़ने में बिताती है उनमें टी0वी0 देखने की रुचि समाप्त हो जाती है। कुछ सूचना प्रौद्योगिकीविदों का मानना है कि इंटरनेट बच्चों और महिलाओं में समुचित विकास करने में एक अच्छा टीचर, अभिभावक की भूमिका निभा सकता है और पाश्चात्य देशों में निभा भी रहा है। श्यू फिलिप्स का मानना है कि घर के कोने में एक वृहद लाइब्रेरी इंतजार कर रही है और अपने यूजर्स के आने का ताकि वो उन्हें नए से नए इन्फार्मेशन मुहैया करा सके। बी0बी0सी0 के शिक्षा निदेशक माइकल स्टेवेन्शन मानते हैं कि इंटरनेट एक आदर्श टीचर हो सकता है यदि आप उसे साथ तदात्म्य स्थापित कर पाते है — और महिलाएं इस भूमिका में पारंगत है।

बी0बी0सी0 कई तरह के शैक्षिक—कार्यक्रम, इन्फार्मेटिव पैकेज अपने यूजर्स जिनमें महिलाओं का प्रतिशत अधिक है को प्रदान करने में ऑन लाइन सेवायें निरन्तर देने में जुड़ा हुआ है। कैम्ब्रीज विश्वविद्यालय के

अंग्रेजी विभाग ने तो वर्चुअल क्लासेज भी खेल दी हैं। उबाऊ क्लास टाइम टेबल, बोर–पाठ्यक्रमों के समानान्तर यूजर्स (टीन एजर्स, प्रौढ़) को नई–नई एवं रोचक ज्ञान–विज्ञान को सिखाने की प्रक्रिया से जोड़ रही है। भारत में इन इन्फार्मेटिव पैकेज का प्रयोग कामकाजी एवं घरेलू महिलाओं के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहा है। समय के अभाव के कारण कक्षा पाठ्यक्रम उनके लिए अर्थहीन हो गये हैं। इग्नू, आईसेक्ट, राजर्षी पुरूषोत्तम दास टण्डन विश्वविद्यालय आदि नई–नई तकनीकों और पत्राचार पाठ्यक्रमों को इंटरनेट के माध्यम से महिलाओं के लिए उपलब्ध करा रहे हैं। अर्थात् हम इस इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी (आई0टी0) के उत्पाद एवं प्रसार निर्यात में अन्य देशों से पीछे नहीं है। भारत सूचना तकनीक के दौर में अमेरिका के बाद विश्व में दूसरा बड़ा देश है जो सॉफ्टवेयर निर्यात में 1990–99 की अवधि में 50 प्रतिशत वार्षिक से अधिक दर रिकार्ड की जो इसी अवधि में अमेरिका सॉफ्टवेयर कम्पनियों की वृद्धि दर से करीब दो गुना अधिक है।

महिलाओं की भूमिका और बदलते परिदृश्य में सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न आयाम उनकी दक्षता एवं रचनात्मकता का परिचय दे रही है। फैशन डिजाइनिंग इंटीरियर डेकोरेशन, आर्किटेक्चर, एनीमेशन और ग्राफिक डिजाइनिंग में फ्रीलांसर के तौर पर महिलाएं घर बैठे ही कार्य कर रही है। ओरेकल, एक्स.क्यू.एल. सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आदि सॉफ्टवेयर का प्रशिक्षण प्राप्त महिलाएं डेटा इन्ट्री आपरेटर, डेटा बेस डिजाइनर तथा डेटाबेस मैनेजर का कार्य कर रही है। सरकारी व गैर–सरकारी संस्थाओं और कार्यालयों बैंकों व इंश्योरेंस कम्पनियों के लिए महिलाएं डेटा इंट्री की अपनी सेवायें दे रही हैं।

21वीं शताब्दी के प्रथम दशक क आरम्भिक वर्षों में महिलाओं ने बहुत तेजी से सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपने कदम बढ़ाएं हैं। महिलाओं की भूमिकाओं में बदलते परिदृश्य 51 प्रतिशत भारतीय महिलाओं को इंटरनेट और ऑन लाइन कार्य करने की प्रणाली से जोड़ चुके हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी में महिलाओं की भूमिका
(एक समाजशास्त्रीय अध्ययन)

Role of Women in Information Technology
(A Sociological Study)

दशम् अध्याय

निष्कर्ष एवं सुझाव

दसम् अध्याय

निष्कर्ष एवं सारांश

प्रस्तुत अध्ययन में हमने सूचना प्रौद्योगिकी में महिलाओं की भूमिका का अध्ययन समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में किया है। महिलाएँ और पुरूष दोनों ही सामाजिक संरचना अैर व्यवस्था के अभिन्न अंग है। प्रत्येक समान समानता के सिद्धान्त पर आधारित होते हुए भी अनेकों समूहों में विभाजित होता है अथवा सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक स्थिति के अनुसार होता है। स्त्री और पुरूष का विभाजन केवल लैंगिक विभाजन नहीं है, इस विभाजन में ऊँच–नींच का भी संस्तरण पाया जाता है। प्राचीन समय में महिलाओं को अधिकार, धन, सम्पत्ति, सुविधायें, सम्मान एवं शक्ति नगण्य या प्राप्त ही नहीं है वहीं पुरूषों को समस्त सुविधायें धन सम्पत्ति के अधिकार, सम्मान और शक्ति के साथ–साथ अपने निरंकुश शासन के द्वारा महिलाओं की स्वतंत्रता के हनन उत्पीड़न और उन पर हर तरह के अंकुश लगाने का अधिकार भी है। इस प्रकार समाज निरन्तर स्त्री और पुरूष के असमानता और सामाजिक स्तरीकरण में विभाजित होता रहा है। हमने अपने प्रस्तुत अध्ययन में सूचना प्रौद्योगिकी, संचार साधन, मीडिया आदि के परिप्रेक्ष में महिलाओं की बदलती हुई भूमिका, प्रस्थिति अधिकारों एवं कर्त्तव्यों की श्रृंखला का अध्ययन किया है।

डॉ0 राम मनोहर लोहिया (1993) लिखते हैं कि 'देश की सारी राजनीति में चाहे जानबूझ कर अथवा परम्परा के द्वारा राष्ट्रीय सहमति का

एक बहुत बड़ा दोष है और वह यह कि औरत को जो कि पूरी आबादी का एक बटा दो भाग है – दाबकर और राजनीति से अलग रखो।' ऊपरी तौर पर महिलाओं का स्थान भारत में छोटा नहीं है कहीं किसी आधुनिक देश में महिला प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हमारे देश के पहले नहीं हुई। कई मंत्री और राजदूत भी हैं। लेकिन उससे आधी आबादी होने वाली महिलाओं की भारतीय समाज की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हैं। ये ऊपरी तर्क और बातें असलियत को छिपाती आ रही हैं। असलियत यह है कि भारत की नारी घर में देवी और बाहर नगण्य है। पुरूष की दृष्टि में महिलाएं व्यक्ति नहीं वस्तु हैं।

पुरूष चाहता है कि महिलाएं अच्छी भी हो, बुद्धिमान हो, चतुर हों, तेज हों, और उसकी हों उसके कब्जे में हों। ये दोनों भावनाएं परस्पर विरोधी हैं। क्योंकि जिसकी सजीवता सम्पूर्ण है, उसको अपने अधीनस्त बना देना चाहते हैं तो फिर वह चपल, चतुर, सचेत, सजीव–सजीव उस अर्थ में जीव वाले अर्थ में नहीं। नर और नारी का स्नेहमय सम्बन्ध बराबरी की नींव पर ही हो सकता है। जब किसी भी देश, राष्ट्र या राज्य में महिलाएं और पुरूष समान रूप से वहां की सामाजिक, आर्थिक संरचना और व्यवस्था में हिस्सेदार नहीं होंगे तब तक विकास हो पाना असम्भव है। हम अपने प्रस्तुत अध्ययन के द्वारा इस अध्याय में प्रस्तावित उपकल्पनाओं, अध्ययन के सारांश और प्राप्त निष्कर्षों की विवेचना करेंगे। सारांशतः सूचना प्रौद्योगिकी प्राथमिक एवं प्रमुख रूप से महिलाओं की पारिवारिक, सामाजिक, व्यक्तिगत और राजनीतिक भूमिकाओं को निरन्तर प्रभावित कर रही है। विशेष रूप से महिलाओं की आर्थिक भूमिकाओं में आने वाले परिवर्तन उसके मूलभूत आधार का निर्माण करते हैं। महिलाओं की भूमिकायें एवं प्रस्थिति ही उसे

उत्पादन के सम्बन्धों से जोड़ती है और उत्पादन के संसाधन और सम्बन्ध ही उसके स्तरीकरण के मूलभूत आधार का निर्माण करते हैं।

भारत में भूमि/जमीन ही एकमात्र आर्थिक संरचना का मूलभूत आधार रहा है और प्रत्येक उत्पादन भूमि के ऊपर परम्परागत रूप से आश्रित है, अतः जमीनी हकीकत से जुड़कर खेतों में काम करने वाले पुरूषों ने सामाजिक प्रतिष्ठाक्रम में अपना स्थान ऊपर रखा क्योंकि उत्पादन के संसाधनों से वे प्रत्यक्षतः जुड़े थे और उनके कार्य शारीरिक श्रम पर आधारित होते थे अतः बिना किसी भेद–भाव के शारीरिक रूप से कोमल और कमजोर महिलाओं को श्रम साध्य कार्यों से दूर रखा गया और उत्पादन कार्य पुरूषों के लिए व्यवस्थापन (प्रबन्धन) कार्य महिलाओं के लिए निर्धारित हो गया जो प्रकारान्तर से समाज की परम्परा और कानून बनता गया जो यवन शासकों के उत्पीड़न के कारण या शिक्षा की समुचित व्यवस्था न होने के कारण दिन–प्रतिदिन बढ़ती हुई रूढ़ धारणाओं के कारण स्त्री पुरूष के कार्यों, सम्मान, स्तर आदि की विभाजन रेखा बना और चूंकि पुरूष–वर्ग उत्पादन करता था। अतः उसने अपने को उच्च प्रतिष्ठा क्रम में प्रतिष्ठित किया और महिलाओं को निम्न स्थान पर रखा।

हमारा मानना है कि महिलाओं के ऊपर थोपे गये शुचिता, शुद्धता, पवित्रता के बड़े–बड़े आदर्श और मूल्य बे माने हो जाते हैं यदि वे उत्पादन के संसाधनों और अर्थ व्यवस्था से प्रत्यक्ष रूप में जुड़ जाती है। क्योंकि जिस प्रकार नाली में गिरा हुआ सोने का सिक्का अपने आर्थिक महत्व के कारण ही हमेशा पवित्र माना जाता है, उसी प्रकार अर्थोपार्जन से जुड़ा

प्रत्येक सदस्य उच्च स्थिति में माना जाता है, उसके ऊपर सामाजिक, धार्मिक प्रतिबन्ध के कोई भी आयाम अंकुश नहीं लगाते हैं।

जनसंख्या के भारी दबाव, मंहगाई तथा निजी स्वामित्व की परिस्थितियों के परिणामस्वरूप विज्ञान, तकनीकी और सूचना प्रौद्योगिकी में रोजगार और उत्पादन के ऐसे अवसर सृजित किये हैं, जो व्यक्ति को भूमि के अतिरिक्त उत्पादन प्रक्रिया से जोड़ रहे हैं और इस परिवर्तन से महिलाओं और पुरूषों दोनों की भूमिकाओं मे बदलाव आया है विशेषकर महिलाओं की भूमिका और सूचना प्रौद्योगिकी आम आदमी के जीवन को निरन्तर प्रभावित कर रहे हैं।

अध्ययन का सारांश

भारतीय सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं और उनकी प्रतिष्ठा का निर्धारण किन आधारों पर होता है उनकी जीवन शैली, गुणवत्ता और प्रकृति पर सूचना प्रौद्योगिकी, दूरदर्शन, प्रसारण माध्यमों का कितना और क्या प्रभाव पड़ रहा है? इसको समझने के लिए हमने इस अध्ययन में निम्नलिखित प्रश्नों का परीक्षण किया है –

1. सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभाव किन–किन क्षेत्रों (ग्रामीण, नगरीय, महानगरीय) की महिलाओं पर पड़ा है?

2. सूचना प्रौद्योगिकी ने महिलाओं की भूमिका को किन क्षेत्रों (पारिवारिक, सामजिक राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक) प्रभावित किया है?

3. महिलाओं के लिए उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार क्या है? पुरूषों के समकक्ष अधिकार, समानता और स्वतंत्रता अथवा राजनैतिक सत्त एवं आर्थिक शक्ति?

4. मीडिया क्रान्ति और महिला सशक्तीकरण पर भारतीय महिलाओं की भागीदारी क्या और किस रूप में हैं?

5. समाज के विभिन्न वर्गों की महिलाओं की स्थिति व्यवस्था के निर्धारण में कौन–कौन से तत्व निर्णायक भूमिका अदा करते हैं और किस क्षेत्र में वे निर्णायक तत्व अधिक प्रभावशाली है।

6. सूचना प्रौद्योगिकी, पितृ सत्तात्मक भारतीय सामाजिक व्यवस्था एवं संरचना को कितना प्रभावित कर रही है?

7. क्या पितृ सत्तात्मक परिवारों में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभाव से पुरूषों का वर्चस्व कम हो रहा है (शिथिल पड़ रहा है)?

8. क्या महिला सशक्तिकरण का आधार महिलाओं का उत्पादन प्रक्रिया में सक्रीय भूमिका का निर्वाहन बनता जा रहा है।

9. क्या राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाये के लिए महिलाओं की परम्परागत भूमिकाओं में परिवर्तन अनिवार्य है?

10. वैज्ञानिक शिक्षा, तकनीकी ज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, संचार क्रान्ति, मीडिया आदि ने महिलाओं की भूमिका में क्या–क्या परिवर्तन किए हैं?

सैद्धान्तिक आधार के इन प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए उत्तर प्रदेश के एक नवनिर्मित किन्तु ऐतिहासिक महत्व और आर्थिक गरिमासे

सम्पन्न जनपद औरैय्या (Auraiya) को चुना और सूचना प्रौद्योगिकी में महिलाओं की भूमिका का परीक्षण किया। यह जनपद औद्योगिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण, आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक राजस्व प्रदान करने वाला और भौगोलिक दृष्टि से गंगा और यमुना के मध्य स्थित रबी, खरीफ और अन्य फसलों से सम्पन्न होने के कारण पिछड़ा हुआ नहीं कहा जा सकता स्त्री और पुरूष दोनों ही श्रम व्यवस्था से भी जुड़े हुए हैं।

एन0टी0पी0सी0, ओ0एन0जी0सी0 एवं पैट्रोकैमिकल्स जैसे नवरत्न प्रतिष्ठानों ने यहाँ 1985 के बाद सम्पूर्ण औद्योगिक एवं तकनीकी की परिदृश्य को बदल दिया है जिसमें महिलाओं और पुरूषों की समान रूप से भागीदारी है। इन प्रतिष्ठानों का प्रभाव यहाँ की आर्थिक सामाजिक संरचना के ऊपर स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है, क्योंकि स्वतंत्रता के पूर्व से ही दस्यु प्रभावित यह क्षेत्र अब बड़े–बड़े अपराधों से मुक्त है और यहां के निवासी राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं।

भारतीय सामाजिक संगठन की भौतिक एवं अभौतिक संरचना स्त्री–पुरूष के परम्परागत, वर्तमान और उत्तर आधुनिक सम्बन्धों से सम्बन्धित प्रत्येक मूल्य एवं अभिवृत्तियों को जानने का प्रयत्न प्रस्तुत अध्ययन में किया है। शिक्षा व्यवस्था, खानपान, आर्थिक स्तर, परिवार का आकार आधिुनिकता का प्रतीक, महिलाओं और पुरूषों के व्यवसाय पारस्परिक मूल्य व्यवहार, राजनैतिक संरचना, राजनीति में महिलाओं की भूमिका, महिला सशक्तिकरण के आयाम, घरेलू हिंसा, महिलाओं की भूमिका के बदलते परिदृश्य, आधुनिकता और महिला उत्पीड़न यौन शोषण और मीडिया, संवैधानिक क्रिया कलाप हमारे अध्ययन के केन्द्र बिन्दु हैं।

महिलाओं और पुरूषों के संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक दोनों सिद्धान्तों और वे सभी सिद्धान्त जो प्रकार्यात्मक रूप से या धार्मिक दृष्टि से महिलाओं की भूमिकाओं को संघर्ष सिद्धान्तों से समन्वित करने का प्रयास करते हैं भ्रम पूर्ण है। हमारी स्थिति जिसमें कि हम आर्थिक उत्पादन, आर्थिक साधनों एवं राजनैतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए पुरूषों के वर्चस्व और उत्कृष्टता को स्वीकार करते हैं, उसमें हम पितृ सत्तात्मक परम्परागत मूल्यों और सत्ता के पुरूष केन्द्रित होने को आधारभूत मानते हैं। औरैय्या के संदर्भ में स्त्री एवं पुरूषों के वर्तमान परिदृश्य में हमें महिलाओं की भूमिका संघर्ष सिद्धान्त अधिक यथार्थवादी प्रतीत हुआ, क्योंकि प्रत्येक कालखण्ड में पुरूषों की तुलना में, महिलाएं अपनी श्रेष्ठता और उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए संघर्ष करती आ रही हैं, किन्तु मनुवादी दकियानूसी, पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना सामाजिक संरचना महिलाओं की अवहेलना करती रही। वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में सूचना प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा ने पुरूषों की तुलना में महिलाओं की उत्कृष्टता और बौद्धिक क्षमता को उच्च स्तरीय स्वीकार किया है।

हमारा यह अध्ययन अभी तक के परम्परावादी उन सभी एक पक्षीय अध्ययनों को चुनौती देता है, जिन्होंने पुरूषों की उच्च सामाजिक स्थिति का आधार केवल 'जन्म' या 'लिंग' माना है। महिलाओं की भूमिका संघर्ष और समानता के सम्बन्ध में हमारी प्राकल्पनाएं यह है कि –

1. पितृ सत्तात्मक परम्परागत व्यवस्था और सामाजिक संरचना को सूचना प्रौद्योगिकी में महिलाओं की निरन्तर बढ़ती हुई सक्रीय भूमिका न केवल चुनौती दे रही है अपितु अपने वर्चस्व को बढ़ा रही है।

2. सूचना प्रौद्योगिकी, संचार प्रौद्योगिकी और इनसे जुड़े हुए विभिन्न कार्य क्षेत्र महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक प्रगति को विकसित कर रही है।

3. विज्ञान और प्रौद्योगिकी के द्वारा महिलाओं को उनेक घरेलू कार्यों में न केवल सहायता मिली है वरन् उनके ज्ञान का विकास, उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि, भूमिका उन्नयन तथा इन कार्यों में लगने वाले शारीरिक श्रम की बचत संभव है।

4. अन्य नौकरियों की अपेक्षा सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बद्ध नौकरियाँ महिलाएं अपने लिए अधिक महत्वपूर्ण और सुरक्षित मानती हैं।

5. महिलाओं का अपनी स्वयं की भूमिका के प्रति निरन्तर सजग होना और आत्मबोध ने उनको सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नयी–नयी भूमिकाओं को तलाशने के लिए बाध्य किया है।

6. वैज्ञानिक उपकरणों और इलैक्ट्रानिक वस्तुओं के उपयोग के कारण महिलाएं अपने घरेलू कार्यों से जो समय बचा रही हैं उसका सदुपयोग अब वे अपनी राजनैतिक और आर्थिक भूमिकाओं को बदलने में कर रही हैं और लाभान्वित हैं।

7. महिलाओं की अर्जित दक्षता, बौद्धिकता और रचनात्मक को बेकार होने से बचाने के लिए उनकी भूमिकाओं को सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न आयामों से जुड़ना आवश्यक है।

8. पुरूषों के वर्चस्व और उत्कृष्टता का आधार आर्थिक सत्ता और राजनैतिक शक्ति है पवित्रता और अपवित्रता नहीं।

9. हमारी प्रमुख प्राकल्पना यह है कि उत्पादन के विभिन्न साधन और परम्परागत आर्थिक व्यवस्था महिलाओं और पुरूषों के मध्य जिन सम्बन्धों का निर्माण करते हैं वह सम्बन्ध समाज में महिलाओं की भूमिका एवं अधिकारों का निर्धारण करते हैं। महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति और प्रतिष्ठा का आधार पारिवारिक सत्ता, राजनैतिक वर्चस्व और आर्थिक शक्ति है जो सम्पत्ति और धन के स्वामित्व और भूमिका निर्वाह के आधार पर ही निर्धारित होती है और इस पराम्परागत संरचनात्मक व्यवस्था की सूचना प्रौद्योगिकी महिलाओं की भूमिका की स्थिति प्रतिमानात्मक बदलाव ला रही है।

इस अध्ययन में मुख्य रूप से अन्वेषणात्मक शोध परीक्षण के द्वारा औरैय्या जनपद में विभिन्न विभागों और पदों में कार्यरत तथा स्वरोजगार को संचालित करने वाली कामकाजी महिलाओं की सामाजिक अंतः क्रियाओं, सामाजिक आदान–प्रदान, विवाह, शिक्षा परिवार, आर्थिक स्थिति आदि का अध्ययन महिलाओं की भूमिका को केन्द्र में रखकर किया गया है।

अध्ययन के सूक्ष्म परीक्षण एवं निरीक्षण के उद्देश्य से औरैया जनपद के सात विकास खण्डों के सूक्ष्म सर्वेक्षण एवं निरीक्षण के पश्चात् कार्यरत कामकाजी सम्पूर्ण महिलाओं का लगभग 25 प्रतिशत निदर्शन जाति समूहों को आधार मानकर लिया है जिनमें 293 हिन्दू धर्मावलम्बी उत्तरदाता महिलाएं और 13 अन्य धर्मों को मानने वाली उत्तरदाता है। विभागीय कामकाज़ एवं पदानुक्रम में यह निदर्शन गैर अनुपातित स्तरित माध्यम से चयन किया है। जनपद के काम काजी महिलाएं विभिन्न दस विभागों में कार्यरत हैं।

प्राप्त आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर प्राकल्पनाओं के क्रमबद्ध परीक्षण और विश्लेषण के पूर्व औरैय्या जनपद की सामाजिक पृष्ठभूमि का सार संक्षेप प्रस्तुत करना सार्थक एवं समीचीन प्रतीत होता है।

अध्ययन क्षेत्र की सामाजिक पृष्ठभूमि का संक्षिप्त शब्द-चित्र

औरैय्या को उत्तर प्रदेश का नव सृजित जनपद होने का गौरव प्राप्त हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार 1010658 जनसंख्या वाले इस जनपद में सभी धर्मों और जातियों के लोग निवास करते हैं। जनपद में 545972 पुरूष और 464686 महिलाओं की जनसंख्या है। लिंगानुपात 1000:851.11 है। जनपद औरैय्या की साक्षरता 58.76 प्रतिशत है। जो ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में अलग–अलग है स्वाभाविक रूप से नगरीय साक्षरता, ग्रामीण साक्षरता से अधिक है। नगरीय क्षेत्र में साक्षरता का प्रतिशत 70.16 प्रतिशत है और ग्रामीण क्षेत्रों में 56.85 प्रतिशत है। जनपद में 67.03 प्रतिशत पुरूष और 49.08 प्रतिशत महिलाएं शिक्षित हैं। महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत समीपस्थ जालौन, कन्नौज, कानपुर देहात और इटावा जनपद की महिलाओं से अधिक है। संख्यात्मक दृष्टि से जनपद में सवर्ण, पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति की जनसंख्या क्रमशः 34.05, 41.34 और 24.61 प्रतिशत है। अधिकांश उत्तरदाता (91.29 प्रतिशत) औरैय्या जनपद में जन्म से रह रहा है। उत्तरदाताओं में अधिकतर उत्तरदाताओं की आयु 25 से 35 वर्ष के मध्य है। हमारे उत्तरदाताओं 58.17 प्रतिशत विवाहित और 25.49 प्रतिशत अविवाहित है। विवाहित उत्तरदाताओं में पिछड़े वर्ग के उत्तरदाताओं की संख्या अधिक है जबकि अविवाहित में सवर्ण उत्तरदाताओं की संख्या अधिक

है किन्तु विधवा और परित्यागता/तलाकशुदा उत्तरदाताओं में अनुसूचित जाति की महिला उत्तरदाता अधिक (सारणी–11)।

अध्ययन क्षेत्र की शत प्रतिशत कामकाजी अर्थात् किसी न किसी जॉब या नौकरी में लगी महिलाएं शिक्षित हैं जिनके पास उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा भी है। निदर्शन में चयनित उत्तरदाताओं में 35.30 प्रतिशत उत्तरदाता स्नातक हैं किन्तु तकनीकी शिक्षा का स्तर 24.24 प्रतिशत अनुसूचित जाति की उत्तरदाताओं का अन्य की अपेक्षा अधिक है। सवर्ण वर्ग की उत्तरदाताओं में अपेक्षाकृत एकांगी परिवार के सदस्य अधिक है, जबकि पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति की उत्तरदाताओं में संयुक्त परिवार के सदस्यों की संख्या अधिक हैं अधिकतर उत्तरदाताओं के परिवारों की सदस्य संख्या 02 से 06 तक है। यहाँ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि अधिकांश उत्तरदाता अपने सास–ससुर, माता–पिता के साथ रहना ज्यादा सुरक्षित और सुविधापूर्ण मानती हैं।

जनपद के सामाजिक एवं सांस्कृतिक संरचना के आंकड़े हिन्दू सभ्यता और संस्कारों की ओर संकेत करते हैं। 1224 कामकाजी महिलाओं में 1171 हिन्दू महिलाएं और 53 अन्य धर्मावलम्बी महिलाएं हैं। समग्र में 30.14 प्रतिशत सवर्ण, 44.12 प्रतिशत पिछड़े वर्ग की और 21.41 प्रतिशत अनुसूचित जाति की महिलाएं हैं। जबकि अन्य धर्मो को मानने वाली कामकाजी महिलाएं मात्र 04.33 प्रतिशत ही हैं। प्रत्येक वर्ग से 25 प्रतिशत उत्तरदाताओं का चयन अध्ययन में किया है। हमारी उत्तरदाताओं में कार्यालय कर्मी, शिक्षक, कम्प्यूटर शिक्षक, बैंक कर्मी, स्वरोजगार करने वाली गृहणी, पुलिस कर्मी, अधिकारी वर्ग, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर और मीडिया

या राजनीति से जुड़ी सभी वर्गों की महिलाएं सम्मिलित हैं किन्तु इनमें सर्वाधिक संख्या शिक्षक/कम्प्यूटर शिक्षक की है। उत्तरदाताओं के जॉब (नौकरी) की प्रकृति अधिकांशतः सरकार या अर्द्धसरकारी और वे व्यक्तिग प्रतिष्ठानों या कम्पनी में कार्य करना असुरक्षित महसूस करती हैं। सरकार नौकरी में मान सम्मान और प्रतिष्ठा अधिक है।

आर्थिक पृष्ठभूमि

आर्थिक संरचना या उत्तरदाताओं की आर्थिक पृष्ठभूमि विशेषकर भारतीय संदर्भ में सामाजिक व्यवस्था की रीढ़ है। यह समाज की सम्पूर्ण जीवन शैली को प्रभावित ही नहीं करती बल्कि उसका निर्धारण भी करती है।

हमारे प्रस्तुत अध्ययन में कम से कम पांच हजार और अधिक से अधिक 25000 रुपये प्रतिमाह से अधिक आय वाली उत्तरदाता सम्मिलित है। तीनों जाति समूहों और अन्य धर्मावलम्बी उत्तरदाताओं की नौकरी (जॉब) आय, गतिशीलता एवं अन्य आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन सूचना प्रौद्योगिकी और महिला उत्तरदाताओं की भूमिका को ध्यान में रखते हुए हमने किया है।

सामान्यतः औरैय्या जनपद की अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि है किन्तु आगरा–कानपुर जैसे औद्योगिक महानगरों से जुड़े होने के कारण तथा ओ.एन.जी.सी., पैट्रोकैमिकल और एन.टी.पी.सी. जैसे महाप्रतिष्ठानों के जनपद में स्थित होने के कारण कृषि के समानान्तर कृषिएत्तर व्यवसाय और व्यापार भी फल–फूल रहे हैं। अधिकांशतः युवा पीढ़ी किसी न किसी

व्यवसाय या आर्थिक कार्य ठेकेदारी आदि में लगा है अतः अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा यहां अपराध का ग्राफ काफी नीचे है।

हमारे समाज में आर्थिक पृष्ठभूमि का विशेष महत्व है खास तौर पर समाज में महिलाओं और पुरूषों को ध्यान में रखते हुए अध्ययन करने के लिए तीनों जाति समूहों– सवर्ण, पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति की उत्तरदाताओं के व्यवसाय, उनकी मासिक आय, परिवार में कुल कमाने वाले सदस्यों की संख्या, अपने जॉब/व्यवसाय से संतुष्टि, आय को व्यय करने की प्रकृति आदि का अध्ययन हमने किया है।

श्रम, बुद्धि या क्षमता से जुड़ा शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र हो जहां महिलाएं काम नहीं करती। श्रमिक वर्ग में कानूनी रूप से पूरे समता मूलक अधिकारों के साथ शामिल होने के बावजूद महिला समान हैसियत की श्रमिक कभी नहीं बन पाई। हर जगह उसका वेतन कम हैं समकालीन समाज का यह एक कड़वा सत्य है। महिलाओं को विभिन्न सामाजिक संस्थाओं में इसलिए स्त्रियोचित गुणों के कारण ही महिलाएं व्यवस्था के प्रति समर्पित मानी जाती है। जन संपर्क के क्षेत्र में वह लोगों के प्रति ममता होने के कारण ज्यादा कुशल मानी जाती है। वह देख–रेख करने में पटु होती हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि दफ्तर, फैक्ट्री हो या कोई व्यावसायिक, राजनीतिक या सामाजिक प्रतिष्ठान महिलाओं की उपस्थिति पुरूषों के द्वारा विशेष रूप से नोटिस की जाती है। कभी घर तक की सीमित रही महिलाएं सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से बाहरी दुनिया से जुड़ती जा रही हैं। काम का क्षेत्र बदलने पर भी उनके आर्थिक शोषण में परिवर्तन नहीं हुआ। पुरूष चाहते हैं कि महिलाएं अपनी आमदनी उन्हें सौंप दें।

महिलाएं विनय, धीरज, आत्म त्याग की भावना, सफाई पसंद होना, समय पर कार्य करना, दयालुता, कोमलता, ईमानदारी तथा हसमुख होती हैं। इन गुणों के कारण शुरूआत में नर्स और माँ की भूमिका को एक माना गया और नर्स के रूप में महिलाओं की भूमिका की सराहना की जाने लगी। शिक्षा के क्षेत्र में भी हम वेतनभोगी श्रम की यह लिंगवादी संरचना पाते हैं। महिलाएं बहुत छोटे बच्चों की शिक्षा और देखभाल आदि का प्रबन्ध करती है अधिकतर पुरूष उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं। उनका सम्बन्ध अमूर्त विचारों से है। क्लर्की का उबाऊ काम भी धीरे–धीरे स्त्री के हाथों में केन्द्रित होने लगा है। एक अच्छी सेक्रेटरी भी महिला होती है क्योंकि यह माना जाता है कि उसमें व्यावसायिक बुद्धि की अपेक्षा विनय, रख–रखाव के काम में पटुता अधिक होती है।

श्रम के मूल्य की लिंगवादी परिभाषा की एक मांग यह भी है कि महिला शारीरिक रूप से आकर्षक हो। मनोरंजन के क्षेत्र में एयरलाइन, ट्रैवल्स सर्विस, मॉडलिंग, विज्ञापन, सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ सभी कार्य महिलाएं ही संभाले हुए हैं। आज कोई भी विज्ञापन महिलाओं के अंग प्रदर्शन के बिना पूरा नहीं हो रहा। यहाँ तक कि राजनैतिक दलों ने भी कुछ फिल्म जगत के सुन्दर चेहरे (महिलाएं) अपनी पार्टी में भीड़ को आकर्षित करने के लिए सजा रखे हैं।

अध्ययनक्षेत्र का औद्योगिक विकास तीव्रता से हो रहा है किन्तु कुटीर उद्योग धन्धों के समाप्त होने या अल्प विकसित होने के कारण ग्रामीणों का आकर्षण नगर बनते जा रहे हैं। दिबियापुर, फफूंद, ककोर आदि नगरों में जनसंख्या का घनत्व बढ़ रहा है और आवासीय भूमि की कीमत महानगरों

से भी अधिक है। कानपुर आगरा और दिल्ली जैसे महानगरों के लिए निरन्तर रेल एवं बस सेवा उपलब्ध होने के कारण यहाँ के व्यवसायी प्रतिदिन इन नगरों से सामान क्रय करके उपभोक्ताओं को बहुत कम लाभ में उपलब्ध करा देते हैं।

उत्तरदाताओं में 45.76 प्रतिशत महिलाएं ऐसी हैं जिनके परिवार में पति–पत्नी दोनों कमा रहे हैं 25.49 प्रतिशत परिवार में पति–पत्नी के अतिरिक्त बेटा/बेटी/सास अथवा ससुर भी कमाते हैं इनकी आर्थिक स्थिति अपेक्षाकृत मजबूत है। किन्तु 28.76 प्रतिशत ऐसे परिवार है जहाँ उत्तरदता के अतिरिक्त कमाने वाला कोई नहीं है।

64.71 प्रतिशत उत्तरदाता अपने जॉब से संतुष्ट हैं वेतन कम मिलने के करण असंतुष्ट उत्तरदाता के वल 13.73 प्रतिशत है। शेष अन्य कारणों से असंतुष्ट है। उत्तरदाताओं की आर्थिक संतुष्टि इस तथ्य से प्रमाणित होती है कि 94.77 प्रतिशत के घरों में रंगीन टी0वी0 और डिस टी0वी0 कनेक्शन या केबल कनेक्शन है जो निरन्तर उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी से भी जोड़े हैं।

महिला सशक्तिकरण के आधुनिक प्रतिमान

महिलाओं के आत्मनिर्भर तथा सशक्त बनाने में हमारे अनेक संविधन, आन्दोलन, महिलाओं की शिक्षा, तकनीकी ज्ञान, आर्थिक स्वंत्रता, राजनैतिक अधिकार, मीडिया की भूमिका एवं सूचना प्रौद्योगिकी का विशेष महत्व है। आज भारतीय नारी आर्थिक क्षेत्र की प्रत्येक विद्या, राजनीतिक के प्रत्येक पद, धर्म से जुड़े प्रत्येक क्रिया कलाप में अपनी उपस्थिति दर्जकर चुकी है।

हमारी उत्तरदाताओं में 56.86 प्रतिशत को महिला सशक्तिकरण की परिकल्पना का ज्ञान है इनमें सर्वाधिक संख्या सवर्ण उत्तरदाताओं की है और क्रमशः सबसे कम अनुसूचित जाति की उत्तरदाताओं की है। हमने अपने अध्ययन में उत्तरदाताओं के संवैधानिक/कानूनी ज्ञान के आंकलन के लिए बाहर प्रश्न (सारणी–23) पूछे जिनमें से 'घरेलू हिंसा निषेध कानून' का अभिज्ञान सबसे कम, केवल 17.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं को है जबकि आर्थिक सुविधा से युक्त 'अनुच्छेद–16 मातृत्व लाभ सुविधा' का अभिज्ञान शत्–प्रतिशत् उत्तरदाता रखती है। आज सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा सूचना संचार क्रान्ति ने भारतीय महिलाओं को उस मुकाम पर पहुंचा दिया है, जहाँ वे पुरूषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर निरन्तर न केवल प्रगति कर रही हैं बल्कि कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, किरन बेदी आदि के रूप में महिला सशक्तिकरण के नए प्रतिमान बना रही है।

वैज्ञानिक उपकरणों और सूचना तकनीकी ने एक ओर तो महिलाओं के घरेलू और साधारण गृहकार्यों को सहज और आसान तो बनाया है किन्तु इन उपकरणों ने उन्हें समाज के साथ जोड़ने के बदले कहीं अधिक एक दूसरे से अलग करने का काम किया है। महिलाएं न केवल टी0वी0, फ्रिज को जिन्दगी की अनिवार्य शर्त मानने लगी है बल्कि वाशिंग मशीन, ए0सी0, कम्प्यूटर, इनवर्टर, मिक्सी जैसी गृह उपयोगी वस्तुएं महिलाओं के लिए समय और धन दोनों की बचत करने कि दृष्टि से आवश्यक है। 66.49 प्रतिशत उत्तरदाता केबल कनेक्शन या डिश टी0वी0 का कनेक्शन उपभोग करके अपनी वेशभूषा, खान–पान, रीति–रिवाज, भाषा शैली को परिमार्जित कर रही हैं। अधिकांश उत्तरदाताओं का या विश्वास है कि सूचना प्रौद्योगिकी के सम्यक सहयोग के बिना न तो महिला सशक्तिकरण की

परिकल्पना की जा सकती है और न ही महिलाओं के ज्ञानार्जन के द्वारा खुल सकते हैं। क्योंकि दृश्य–श्रव्य कार्यक्रम, कम्प्यूटर इण्टरनेट, ई–मेल आदि के द्वारा प्रत्येक आयु–वर्ग की महिलाएं अपने को अपनी भूमिकाओं की आधुनिकतम बनाए रह सकती है।

सामान्यतः उत्तरदाता अपने खाली समय में टी0वी0 या कम्प्यूटर के द्वारा मनोरंजन के अतिरिक्त ज्ञान वर्धक कार्यक्रम देखती हैं, क्योंकि आज समूचा प्रसारण तंत्र अपनी सूचना प्रौद्योगिकी ताकत को महिलाओं एवं दलितों की भूमिका और सामाजिक तस्वीर को बदलने में लगा रहा है। अधिकांश उत्तरदाता टेलीवीज़न या केबल कार्यक्रम अकेले नहीं देखती बच्चों के साथ देखती हैं, अतः हमें अपने ड्राईंग रूम की सामाजिक पृष्ठभूमि को बदलना होगा क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी और टेलीवीजन कार्यक्रमों की विकृतियों ने नकरात्मक भूमिकाओं को भी प्रसारित करना शुरू कर दिया है। महिला सशक्तिकरण के आधुनिक प्रतिमानों में हमने अपने अध्ययन में कम्प्यूटर और नेटवर्क को भी जोड़ा है क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय दशा और दिशा को समझने और महिलाओं की शक्ति के आधुनिक प्रतिमानों को समझने के लिए उनके कम्प्यूटर और इण्टरनेट के ज्ञान को आवश्यक माना है। शिक्षा के बदलते प्रारूपों में यह अपरिहार्य तत्व है।

हमारे उत्तरदाताओं में लगभग आधे उत्तरदाताओं (49.02 प्रतिशत) के पास कम्प्यूटर/लैपटॉप है जिनसे वे अपने ज्ञान को परिमार्जित ही नहीं करती, अपितु अपनी और बच्चों की शंकाओं का समाधान भी करती हैं। सवर्ण जाति की उत्तरदाताओं में 59.78 प्रतिशत के पास लैपटॉप/कम्प्यूटर है जबकि अनुसूचित जाति की केवल 33.33 प्रतिशत के पास ये उपकरण

है। यहां डॉ0 एन0एन0 श्रीनिवास की आधुनिकीकरण और संस्कृतिकरण की अवधारणा का सत्यापन हो रहा है।

हमने अपने अध्ययन में उत्तरदाताओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक चेतना के आधार पर यह अनुभव किया कि महिलाओं से सम्बन्धित बहुत से स्टीरियों टाइप आज टूट रहे है क्योंकि कल तक 'दासी' समझी जाने वाली आज समाज या राष्ट्र चलाने वाली शक्तिशाली महिला बन चुकी है। प्रौद्योगिकी और नई–नई तकनीकियों से मिलने वाली चुनौतियों का सामना महिलाएं बखूबी कर रही हैं प्रकृति प्रदत्त रचनात्मकता और कोमलता को अब वे केवल पुरूषों के लिए खर्च नहीं करना चाहती।

70 प्रतिशत आधुनिक भारतीय महिलाएं अब अपनी शर्तों में जीना चाहती हैं अपने ऊपर अनावश्यक प्रतिबन्धों को वे स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है। 69 प्रतिशत महिलाएं मानती है कि अपने पैरों में खड़ा होना न केवल आत्मविश्वास बढ़ाता है बेहतर इंसान भी बनता है।

88 प्रतिशत महिलाओं का विश्वास है कि भारत में उनका भविष्य बहुत उज्ज्वल है क्योंकि उनके बच्चे उनके मुकाबले तेज और आधुनिक है। 42 प्रतिशत अच्छी तरक्की के लिए इंटरनेट और सूचना प्रौद्योगिकी से महिलाओं का जुड़ना अनिवार्य मानती हैं। ऐसी युवतियों की कमी नहीं हैं जिन्हें राष्ट्र के बतौर खुद पर गर्व है, किन्तु बहुत सी ऐसी भी सिरफिरी महिलाएं है जो भारतीय संस्कारों और भारतीयता को दकियानूसी मानती है और देश की बढ़ती आबादी को आर्थिक विकास की राह में बाधक मानती है।

नई जीवन शैली और बदलती पारिवारिक संरचना महिलाओं में धर्म के प्रति आस्था बढ़ा रही है। 92 प्रतिशत को महिला होने का गौरव है। आज महिलाएं पुरूषों के बराबर हर क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि आज देश की महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति सचेत हुई हैं, लेकिन उनके साथ-साथ पुरूष जागृत नहीं हुआ समाज जागृत नहीं हुआ।

समाज के पुनर्निर्माण में महिलाओं की भूमिका

समाज के पुनर्निर्माण में महिलाओं की क्या भूमिका है? या सामाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में उलटकर देखने में कि आधुनिक महिलाओं के निर्माण में समाज की भूमिका का क्या अभिप्राय है? इस दृष्टि से जब हमने समाज के पुनर्निमाण में महिलाओं की भूमिका विवेचना की तो कुछ जमीनी हकीकत सामने आए, हमने लिखित रूप में तो संविधान को मान लिया है किन्तु व्यावहारिक रूप में दूर है। हमारे जितना प्रगतिशील, उदारवादी दुनिया में कहीं नहीं और सामाज में महिलाओं, दलितों एवं पिछड़ों को सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। किन्तु हमारी यह उदारता और नारी मुक्ति या लैंगिक समानता नगर प्रशासन और गांव तक आते समाप्त हो जाती हैं।

हमने अपने अध्ययन में प्रगति और विकास के चार मुख्य आधारभूत तथ्यों को स्वीकारा है – शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आत्मछवि! शिक्षा के स्तर पर हमारे समाज और महिलाओं की प्रगति को हम संतोषप्रद मान सकते हैं यह इण्डीकेटर हमारे राष्ट्रीय अस्तित्व और हमारी पहचान बनता जा रहा है। किन्तु दिन-प्रतिदिन महिलाओं की घटती आयु दर, कन्या शिशुओं की मृत्यु और भ्रूण हत्या हमारे देश और महिलाओं की प्रगति का

जो आइना दिखा रहा है वह सच्ची प्रगति या समाज का पुनर्निर्माण नहीं है। रोजगार के क्षेत्र में महिलाएं आगे आ रही है किन्तु अधिकांशतः जॉब या नौकरी तक सीमित हैं व्यापार, उद्योग या स्वरोजगार की परिकल्पना अभी महिलाओं की भूमिका से दूर दिखाई देती है। अतः आजादी के 60 वर्ष बाद रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति को बहुत संतोषप्रद नहीं माना जा सकता। मानवीय श्रम के मशीनीकरण का सबसे प्रतिकूल प्रभाव महिलाओं के रोजगार पर पड़ा हैं। प्रगति का चौथा इण्डीकेटर 'आत्मछवि' ऊपर के तीनों तथ्यों शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ा है। वास्तविकता यह है कि भारतीय महिलाओं के मन से अभी भी ए प्रकार का दब्बूपन, डर या अपनी बात न कह पाने की आदत बनी हुई है। यही कारण है कि आधुनिक भारतीय समाज के पुनर्निमाण में महिलाओं की भूमिका रेखांकित करने योग्य नहीं बन पायी।

पुरूषों के द्वारा महिलाओं के नाम जमीन, जायदाद, मकान या अन्य धन आदि करने के पीछे उनकी कुटिल मानसिकता परिलक्षित होती है किन्तु महिलाओं में अपने हक और हिस्से के लिए अब आंखों में पानी नहीं ज्वाला है और इस बदलाव की गवाह है उनके अपने अधिकारों के प्रति बढ़ती चेतना उत्तरदाताओं में से 62.41 प्रतिशत ने अपने अर्जित धन, या लोन लेकर अपने मकानों को बनवाया है और मकान या सम्पत्ति अपने नाम अर्जित की है। अधिसंख्यक उत्तरदाता अपने आवास को मुख्य मार्ग के किनारे चाहती है इनमें 31.70 प्रतिशत ने अपना आवास सड़क के किनारे इसलिए बनवाए है ताकि उनका व्यावसायिक प्रयोग कर सकें। सामाजिक पुनर्निर्माण में महिलाओं की भूमिका और अधिकारों को लेकर अनेक प्रस्ताव और समझौते, प्रादेशिक, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए है और हो

रहे हैं किन्तु यह ध्रुव सत्य है कि लिंगानुपात में तेजी से गिरावट आई है। विश्व के निर्धनों में 70 प्रतिशत महिलाएं हैं, महिलाओं के विरूद्ध अपराध की घटनाएं निरन्तर बढ़ रही हैं, अधिकांश 'वर्किंग वुमेन' अपने को असुरक्षित महसूस करती है और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य महिलाओं में अधिकारिता के अभाव का लाभ पुरूष उठा रहे हैं। ऐसे में आधुनिक भारतीय समाज के पुनर्निमार्ण में अपनी भूमिका का निर्वाह महिलाएं चाह कर भी नहीं कर पाती। किन्तु इस सत्य को निर्विवाद रूप से हमें स्वीकारना होगा कि आधुनिक भारतीय समाज में महिलाओं की सामाजिक एवं राजनैतिक स्थिति और भूमिका में क्रान्तिकारी परिवर्तन आए हैं जिनके परिणामस्वरूप उनके अन्दर एक नया अंदाज और अपने अधिकारों के प्रति चेतना जागृत हुई है।

आधुनिक भारत में सामाजिक पुनर्निर्माण और महिलाओं की शैक्षिक तकनीकी और वैज्ञानिक गुणवत्ता के आशातीत परिणामों को देखकर प्रसिद्ध समाज वैज्ञानिक के0एम0 पणिक्कर ने लिखा कि ''स्त्री शिक्षा ने विद्रोह की उस कुल्हाड़ी की धार को तेज कर दिया है जिससे सामाजिक जीवन की तमाम जंगली झाड़ियों को साफ करना संभव हो गया है।'' वास्तविकता भी यह है कि 'सोशल इंजीनियरिंग' महिलाओं की सक्रिय भूमिका के बिना असंभव है।

नव-संकृतिवाद और महिलाओं की भूमिका

महिलाओं के सांस्कृतिक प्रतिमान बदल रहे हैं। संस्कृति की शक्ति को आधुनिक महिलाएं समझ रही हैं और उत्पादन सम्बन्धों का विशिष्ट रूप समाज के सामने ला रही हैं। उन्होंने सांस्कृतिक मूल्यों के सातत्व को

शाश्वत मानने से न केवल इनकार कर दिया है बल्कि बदल डाला है। महिलाएं विभेद की राजनीति के विरूद्ध अपना संघर्ष शुरू कर चुकी है।

नव–संस्कृतिवाद की यह त्रासदी है कि महिलाएं ही महिलाओं के विरूद्ध मोर्चा खोल रही हैं। महिलाओं का उन्हीं के साथ आत्मबोध समाप्त हो चुका है। अब किसी भी आयु–वर्ग की महिला अपने को फैशन और सौन्दर्य प्रसाधनों से दूर नहीं रखना चाहती। समाचार–पत्र पत्रिकाओं को नियमित रूप से पढ़ना, सूचनाओं का संकलन विश्लेषण, सूचना प्रौद्योगिकी के विविध आयामों का मनोरंजन क साथ–साथ अन्य सम्यक् उपयोग उनकी आधुनिक अभिरुचि को प्रदर्शित करता है।

हमारे अध्ययन क्षेत्र में 96.08 प्रतिशत महिला उत्तरदाता प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ती है और लगभग सभी प्रकार के समाचारों को पढ़ती है। दैनिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वे सूचना प्रौद्योगिकी से प्रभावित होकर अपनी भूमिका का निर्धारण करती है। नारीवाद, नारी–विमर्श आदि शब्दों का सांस्कृतिक महत्व बढ़ता जा रहा है। नारी की भूमिका अब 'क्रान्ति–चेतना' के रूप में दिखाई देती है। नारीवाद शब्द का भू–मण्डलीकरण हो चुका है। महिलाओं की आजादी उनकी जागरुकता अपने अधिकारों के प्रति 'हक' की लड़ाई उसकी सांस्कृतिक पहचान बनती जा रही है। महिलाओं की दैनिक मनोवृत्तियों में परिवर्तन आ रहा है अब वे पुरूषों की मुखापेक्षी नहीं है। गृह उपयोगी वस्तुओं के क्रय करने में उनकी मनोवृत्ति बदल चुकी है। ISI एगमार्क और होलोग्राम युक्त स्टैण्डर्ड कम्पनियों की वस्तुओं को खरीदना, वस्तुओं के चयन में भी इलेक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया ने महिलाओं की भूमिका को प्रभावित किया है। 94.77 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने यह स्वीकारा

है कि सूचना प्रौद्योगिकी की ने हमारी सांस्कृतिक मूल्यों को बदल दिया है। विज्ञापनों का प्रभाव उने जीवन के सभी क्षेत्रों में पड़ रहा है।

महिलाएं भारतीय सभ्यता और संस्कृति के संवाहक के रूप में धर्म को निरन्तर स्वीकार करती है, किन्तु अंध विश्वास, धर्म के नाम पर कुरीतियाँ उन्हें पसन्द नहीं है। दूरदर्शन के धार्मिक और अध्यात्मिक चैनल उनके प्रातः काली कार्यक्रम के अभिन्न अंग है। धार्मिक संस्कार सम्पन्न करने या कराने के लिए अब केवल पुरूषों पर आश्रित नहीं है। प्रवचन, उपदेश, भागवत पाठ यहां तक कि मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार भी करती कराती हैं।

नव सांस्कृतिक मूल्यों ने महिलाओं को केवल अपने अधिकारों के प्रति सचेत और जागृत नहीं किया अपितु उपभोक्ता मूल्यों के प्रति भी आगह किया है। 66.01 प्रतिशत उत्तरदाता 'जागो ग्राहक जागो' विज्ञापन के अन्तर्वस्तु से परिचित है और पारिवारिक वस्तुएं नौकरों या पुरूशों से मंगाने के स्थान पर स्वयं लाना पसंद करती हैं। 95.42 प्रतिशत उत्तरदाता महिला अधिकारों के प्रति जागरुक है। अपने अधिकारों और स्वाभिमान के प्रति स्वतंत्र अस्तित्व रखती है।

महिलाओं की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठ–भूमि में निरन्तर अभिनव एवं क्रान्तिकारी बदलाव का यह प्रत्यक्ष संकेत है कि अब वे विवाह पूर्व या विवाह पश्चात जॉब या नौकरी कर रही हैं और पति, पिता, या ससुर उनकी आर्थिक आजादी को स्वीकार कर रहें हैं।

किन्तु भारत की महिलाओं को अपनी आत्मभिव्यक्ति को तराशने की जरूरत है, क्योंकि पुरूष उनकी आजादी के नाम पर उनका अश्लील प्रदर्शन कर रहा है।

सूचना-क्रान्ति और महिलाएँ

समकालीन समाज में सम्पूर्ण विश्व में सूचना एवं संचार प्रसारण माध्यमों द्वारा जो सामाजिक परिवर्तन की जो जमीन तैयार हो रही है उससे भारतीय महिलाओं की भूमिका प्रभावित हुई है। वस्तुतः यह एक नए समाज की संरचना को जन्म दे रही है। आज पूरा विश्व एक ग्लोबल गांव की परिदृश्य धारण कर चुका है। इनसेट, इंटरनेट, ई–मेल आदि की सुविधाओं ने दूरियाँ मिटा दी है। 'आधी–दुनिया' ने अपने अपेक्षाकृत अनुत्पादी कार्यों को छोड़ना शुरू कर दिया है और उत्पादन के उच्च शिखर को छू रही है।

बीना महाराना (2009) महिला सशक्तिकरण मंत्री लिखती है कि 'महिलाओं की जागरुकता कारगर हथियार साबित हो रहा है।' जिस देश में 77 प्रतिशत लोगों की दैनिक आमदनी 20 रुपये से भी कम है और तीन करोड़ लोग गरीबी की सरकारी रेखा से नीचे बसर करते हैं वहां अब राजनीति का धंधा महिलाओं को भी काफी चोखा नज़र आता है। आर्थिक क्षेत्र में Women on Top में राजनैतिक करोड़पति महिलाओं में जया बच्चा (214.3 करोड़ रु0), प्रीणीत कौर (37.01 करोड़ रु0), रेणुका चौधरी (14.2 करोड़ रु0), पी0 जयप्रदा (8.4 करोड़ रु0), प्रतिमा सिंह (22.6 करोड़ रु0) और देश के सबसे गरीब प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती देश के 30 मुख्य मंत्रियों में सबसे धनी है। (यह सभी आंकड़े इण्डिया टूडे 25 फरवरी, 2009 से उद्धृत हैं)। महिलाओं में यह राजनैतिक एवं आर्थिक संचेतना का आधार बिन्दु सूचना क्रान्ति और प्रौद्योगिकी को ही माना जाना चाहिए क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी निरन्तर महिलाओं के विचारों और संस्कारों को बदल रही है। वह यह भली–भांति समझ चुकी हैं कि सार्वजनिक जीवन में प्रवेश अब

समय और मेहनत का ऐसा निवेश है, जिसकी फसल राजनीतिक उद्यमिता के द्वारा काटी जा सकती है।

अपनी विश्लेषणात्मक टिप्पणी में श्यामाचरण दुबे ने यह समझाने का प्रयास किया कि इस विश्व परिदृश्य में मानवीय अधिकार तथा सामाजिक सारोकारें की भूमिका में समाज विकास तथा संचार के विकास की भूमिका की जो दशा और दिशा निर्धारित की जा सकती है उसका असली योगदान महिलाओं के प्रति क्या है? परन्तु महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि बदलती संचार की दुनिया में सूचना क्रान्ति एवं प्रौद्योगिकी ने मानवीय अधिकारों विशेषतः महिला अधिकारों के प्रति जन–जागृति तथा सूचना का विकास किस प्रकार किया है।

तेजी से बदलते हुए संसाधनों, से सांस्कृतिक संवेदनशीलता की प्रतिबद्धता प्रभावित हुई हैं इस प्रतिबद्धता में छिपे संचार क्रान्ति के सामाजिक सौंदर्य बोध ने सांस्कृतिक प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न कर दी है। स्त्री/पुरूष के नये–नये परिप्रेक्षों को जन्म दिया है। प्रश्न यह है कि क्या इस तरह की प्रतिबद्धता सांस्कृतिक प्रदूषण को नए अर्थ तो नहीं दे रहीं? क्या महिलाओं की भूमिका में नकारात्मक प्रभाव तो नहीं आ रहा?

हमारी उत्तरदाता अपनी सफलता का राज शिक्षा, प्रशिक्षण और कड़ी मेहनत मानती है। 61.44 प्रतिशत का विश्वास सफलता के लिए कड़ी मेहनत करने पर है। वे अपनी बच्चिययों को प्रशासनिक अधिकारी बनाना चाहती है, डॉक्टर या इंजीनियर बनाने वालों की संख्या कम हो रही है। 50.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना था कि विवाह के बाद उनकी लड़की को अपनी इच्छा और शर्तों पर जीवन जीने का अधिकार मिलना

चाहिए। लगभग 90 प्रतिशत महिलाएं अब 3 से 6 घण्टे का समय विद्युत उपकरणों के प्रयोग से बवाती है। जिसका सदुपयोग वे बच्चों को होमवर्क, ई–लर्निंग या इंटरनेट के द्वार विभिन्न प्रकार के ज्ञानार्जन में कर रही हैं।

महिलाओं के जीवन और उनकी भूमिकाओं पर सूचना प्रौद्योगिकी का सबसे अहम प्रभाव उनकी मार्केटिंग टेक्नोलॉजी पर पड़ रहा है। महिलाएं सफलता की नई दबारत लिख रही है। विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं ने शौर्य और अधिकारों के क्षेत्र में नगर और महानगरों की महिलाओं को पीछे छोड़ दिया है क्योंकि वे फैशन से दूर आधुनिकता और संस्कारों के समिश्रण से अपने मूल–भूत अधिकारों को पाना चाहती है।

भूमिका संघर्ष एवं घरेलू हिंसा

महिलाओं के वर्तमान इतिहास में पग–पग पर भूमिका संघर्ष एवं घरेलू हिसां के सामाजिक प्रतिमान जुड़े हैं। आज भी महिलाएं घर के अन्दर संघर्ष अधिक कर रही है क्योंकि उनके बदलते परिवेश को पितृसत्तात्मक परिवार सहन नहीं कर रहे। विश्व में होने वाले अपराधों का यदि अध्ययन करें तो अपराधों का अधिकतम प्रतिशत महिलाओं के विरूद्ध होता है। पुरूषों की निरन्तर उपेक्षा दुनियाभर में महिलाओं के उत्पीड़न को जन्म देती है।

डोमेस्टिक वॉयलेंस बिल पारित होने के बाद आधी अधूरी सूचनाएं, परिवार में महिलाओं और पुरूषों के बीच एक नई विभाजन रेखा खींच रही है, महिलाओं को हिंसा के साथ–साथ उपहास का भी दंश झेलना पड़ रहा है। घर में रह कर परिवार के पुरूष सदस्यों के विरूद्ध आवाज उठाना एक मजाक सा लगता है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष गिरजा व्यास

लिखती है कि 'इस कानून के तहत महिलाएं अपने को सुरक्षित महसूस करती हैं।....... लोगों को महिलाओं क हकों को जानने का मौका मिला है। महिलाओं के प्रति लोगों की सोंच में बदलाव भी आया है।'' किन्तु उच्चतम न्यायालय की वरिष्ठ अधिवक्ता इन्दिरा जय सिंह कहती हैं कि इस कानपून के तहत महिलाओं को कानून पेंचीदगियों से गुजरना पड़ता है।

केवल कानून के जरिए घरेलू हिंसा पर एक सीमा तक ही अंकुश लग सकता है। सबसे आवश्यक है परिवार–समाज में लड़कियों को बोझ या महिलाओं को दासी–गुलाम समझने की मानसिकता को बदलने की है। सदियों पुरानी सोंच स्त्री को बराबरी ही नहीं मानवाधिकार पाने से भी रोकती है।

तेजी से विकसित होते सभ्य समाज में ऐसी खूंखार असभ्यता को दर्शाने वाली हजारों वारदातें महिलाओं को निरंतर असुरक्षित बना रही हैं। महिला आयोग की सचिव शारदा शर्मा (इण्डिया टू डे, 25.02.09) बताती हैं कि इस साल दहेज उत्पीड़न और मानसिक उत्पीड़न के मामले कुछ ज्यादा हुए हैं। और अत तो महिला आयोग के पास ऐसे मामले भी आने लगे हैं जहाँ दो–तीन साल साथ रहने के बाद लड़का–लड़की को छोड़ देता है। लगातार बढ़ रही है असुरक्षा। सूचना प्रौद्योगिकी और नई–नई तकनीकों के द्वारा निरन्तर महिलाओं का शारीरिक शोषण भी हो रहा है। अश्लील सीडी, ई–मेल, एसएमएस, ट्रिक फोटोग्राफी वह नवीनतमक विधियां है जो महिलाओं के भूमिका संघर्ष को बढ़ा रही हैं। शर्मनाक बात यह है कि कानून और संविधान की इबारत दूसरों को सिखाने वाले आई.पी.एस., आई.ए.एस., एस.डी.एम. एवं न्यायाधीशों के पादो पर बैठे लोग मंत्री और विधायक इस

प्रकार के अपराधों में अधिक संलिप्त हैं और आम आदमी मूक दर्शक बना हुआ है।

शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में पिछड़ेपन का ही नतीजा है कि केवल 40 प्रतिशत महिलाओं को गांव के बाज़ार या अस्पताल तक जाने की छूट मिलती है जब कि सिर्फ 25 फीसदी महिला एक गांव या समुदाय के बाहर जाती की। वैसे ऐसी भाग्यशाली महिलाओं की संख्या केवल 23 प्रतिशत है जो इन स्थानों पर अकेले जा सकती हैं। हमारे सर्वेक्षण का यह निष्कर्ष महिला प्रगति को शक के दायरे में ला देता है कि 42 प्रतिशत महिलाएं कभी न कभी शारीरिक या यौन हिंसा की शिकार बनती है और इसमें संचार सूचना प्रौद्योगिकी की अहम भूमिका होती है। विवाहित महिलाओं में यह दर 45 प्रतिशत से भी अधिक है। 41 प्रतिशत महिलाएं पति के जरिए शारीरिक हिंसा का दर्द झेलती हैं। महिलाएं भी पति या पुरूष के खिलाफ हिंसक होती हैं किन्तु उनके हिंसक होने का प्रतिशत केवल 02.00 हैं।

बदलते परिदृश्य में महिलाओं की भूमिका

राज्य, देश और विश्व में महिला उत्पीड़न के मामले निरंतर बढ़ रहे हैं। विडंबना यह है कि महानगरों, देश और राज्यों की राजधानियों में महिलाओं को विरूद्ध अपराधों की घटनाए अधिक हो रही है ग्रामीण और अर्ध–ग्रामीण क्षेत्रों में कम। क्या नगरीय सभ्यता और संस्कृति महिलाओं के प्रति अधिक बर्बर है? या नगरों में महिलाओं की भूमिका हो इसके प्रति उत्तरदायी हैं? एसो चैम का एक सर्वे बताता है कि वर्किंग वूमेन अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करती। दरअसल महानगरों के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत महिलाएं बहुत ही असामान्य मानसिक स्थिति से गुजर रही हैं।

आवश्यकता है कि होटल, पर्यटन एविएशन, आईटी आदि के क्षेत्रों की कंपनियों को अपनी महिला कर्मचारियों को ज्यादा सुरक्षित माहौल देना चाहिए।

आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रौद्योगिकी ने महिलाओं का एक खास प्रतिरूप गढ़ा है। एक ऐसा प्रतिरूप जिसे हमारे देश ने पहले कभी नहीं देखा था। इसने एक बारगी सबको चौका दिया है। और समाज में एक हद तक उथल–पुथल भी मचाई है। सच पूछा जाए तो सूचना प्रौद्योगिकी और मीडिया ने महिलाओं को भूमिकाओं में भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है। महिलाओं को ऐसा लगने लगा कि वर्षों से जिस मुक्ति की उन्हें तालाश थी वह मिल गयी। पर इलेक्ट्रानिक मीडिया पर गढ़े गए प्रतिरूप की असलियत कुछ दूसरी है। क्या यह छवि महिलाओं की वास्तविक सामाजिक छवि को प्रतिबिंबित करती है या फिर यह वह छवि है, जो अपनी अश्लील चका चौंध के साथ समाज पर आरोपित की जा रही है?

जनसंचार में और विशेषकर इण्टरनेट, ई–मेल, ई–लर्निंग ओर उपग्रह टेलीविजन के तेज विकास ने हमारी पहचान को खंडित किया है। अपने संचार माध्यमों के लिए अपने भाषाई और सांस्कृतिक यथार्थ पर आधारित प्रसांगिक संचार नीति बनाने के बजाए हम लगातार नई प्रौद्योगिकी के दबाव में आते रहे है।

बदलते परिदृश्यों में टी0वी0 संस्कृति जीवन का अंग बन गयी है इसे महिलाओं ने अपनी रिक्तता को भरने का उपकरण बना लिया है। स्त्री पुरूष जुड़ने के बदले कहीं न कहीं एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं दोनो क मूल्य और आदर्श बदल गये है। समग्र रूप से हम इस तथ्य को स्वीकार

करने के लिए बाध्य है कि महिलाओं की आधुनिकतम बदली भूमिकाओं और जीवन शैली के परिदृश्यों को महिलाओं के द्वारा ही अस्वीकार किया जा रहा है। जब कि पुरूषों को आपत्ति होनी चाहिए।

उत्तरदाताओं के व्यक्तिगत जीवन और बदलती भूमिकाओं पर सर्वाधिक हस्तक्षेप या ऐतराज परिवार के सदस्यों को ही है। 40.20 प्रतिशत उत्तरदाता पारिवारिक हस्तक्षेप को स्वीकारती हैं । उत्तरदाता मानती है कि यह हस्तक्षेप गलत और अनुचित है क्यों कि उन्हे भी अपनी जिन्दगी अपने तरीके से जीने का अधिकार है। विश्व में महिलाओं की कुल जनसंख्या 300 करोड़ है और श्रम में उनकी भागीदारी 66 प्रतिशत है किन्तु श्रम के बदले उनको मिलने वाली मजदूरी केवल 10 प्रतिशत है ओर विश्व सम्पत्ति ने महिलाओं को केवल एक प्रतिशत मलिकाना हक प्राप्त है। ऐसी स्थिति में केवल विज्ञापनों या मीडिया में अश्लीलता की सीमाये पार कर छा जाना महिलाओं के संतोष का बिन्दु नही होंना चाहिए अतः जागो महिला जागो तुम्हारा श्रम तुम्हारी भुमिका तुम्हें अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए उठा रहा है, संघर्ष से नहीं बुद्धि से टकरा कर नही प्रेम से तुम्हे अपनी अधिकार की लड़ाई जीतनी है।

मुख्य उपलिब्धयां

भू–मण्डलीयकरण की प्रक्रिया और सूचना प्रौद्योगिकी की संरचना ने सामाजिक व्यवस्था में क्रांतिकारी परिर्वतनों को प्रकार्यात्मक आयाम दिए है, जिससे भारतीय सामाजिक सम्बन्धों में नवीनतम परिदृश्य सामने आ रहे हैं। सेवा क्षेत्र के विस्तार ने महिलाओं की भूमिका को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया है। ऐसा 'टेली–वर्क' के कारण संभव हो सका है।

सूचना तकनीकी और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं की सक्रीय भूमिका ने न केवल मानव समाज को अपने अस्तित्व से परचित कराया है वरन् महिलाओं को सशक्त भी बनाया है। हमने यह अनुभव किया कि परिवार और परिवार का कल्याण आज भी महिलाओं के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। परिवार वह जमीनी हकीकत है जो औरत की सीधे पुरूष से जोड़ती है। अपनी इस जमीन पर वह अपनी पकड़, सत्ता और शक्ति और अधिक मजबूत कर रही है।

तकनीकी शिक्षा के विस्तार और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं की सक्रीय भूमिका ने अब यह प्रमाणित कर दिया है कि परिवार को संगठित और सुरक्षित रखने में पुरूषों की अपेक्षा महिलाए अधिक सफल हैं किन्तु सद्‌गुरू शरण (दैनिक जागरण 24 फरवरी 09) लिखते है कि नारी सशक्तीकरण के दिवा स्वप्नों में मुग्ध रहने वालों के लिए 'नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे–3 की रिपोर्ट आइना है इसका निष्कर्श है कि उत्तर प्रदेश में 40 फीसदी महिलाओं के पास खुद खर्च करने को पैसा नहीं होता। केवल 45 फीसदी कामकाजी महिलाओं को पारिश्रविक के तौर पर धन मिलता है। बाकी या बेगार करती है या परिश्रमिक के स्थान पर पैसे की बजाय कोई 'झुनझुना' थमा कर टरका दी जाती है।

नीति नियोजक मानते है कि सिर्फ रोजगारी ही महिलाओं को स्वाबलम्बी बना सकता है, लेकिन यू.पी. में यह अवसर केवल 34 फीसदी महिलाओं को है। दरअसल एनएफएस की रिर्पोट खुलास करती है कि 20 फीसदी काम करने वाली महिलाओं को उनके श्रम के बदले कोई परिश्रमिक नहीं मिलता जब कि एक तिहाई कामगर महिलाओं को कैश के बजाय

कांइड। स्पष्ट है कि पसीना बहाने के बावजूद 55 प्रतिशत महिलाओं को परिश्रमिक के रूप में पैसा नहीं मिलता । महिलाओं के आर्थिक शोषण का सिलसिला घर की दहलीज के भीतर भी जारी रहता है क्योंकि 70 प्रतिशत कामगर महिलाओं को अपना वेतन या कमाई खर्च करने का स्वतंत्र अधिकार नहीं मिलता। इसके अतिरिक्त वेतन कम देन, बेगार कराना, शारीरिक मानसिक शोषण, काम अधिक लेना या शोषण के अन्य रास्ते कामवार महिलाओं को उनके कार्यक्षेत्र में रूबरू कराते हैं हमारे अध्ययन क्षेत्र में 35.29 प्रतिशत उत्तरदाता अपने जॉब या कार्य से विभिन्न कारणों से संतुष्ठ नहीं है।

कर्ता स्त्री बने या पुरूष ही रहे पारिवारिक संरचना अधिनायकवादी हो या जनतांत्रिक पर हमारे अपने कुछ विशेष मूल्य और आदर्श हैं जिनकी स्वीकृति के बिना भारतीय महिलाओं का विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ना संभव नहीं है। अध्ययन में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण तथ्य सामनें आया कि महिलाएं जॉब या नौकरी के जहाज में चढ़ने के साथ–साथ अपना खुद को व्यवसाय का जहाज अर्थतंत्र के समंदर में उतारना चाहती हैं वे एंटर प्रेन्योर बन कर खुद अपना कारोबार करना चाहती हैं। उनमें जुनून है बेहतरीन प्लानिंग है उनका हार्ड वर्किंग नेचर सीखने का जज्बा और विश्वास उन्हें सफल बना रहा है। बुटिक, कम्प्यूटर डिजाइनिंग, खिलौने बनाने, कम्प्यूटर प्रशिक्षण आदि के कार्यों के लगी महिलाएं 25 हजार रूपये प्रतिमाह तक कमा रही है। संख्या इनकी भले ही कम हो लेकिन दूसरों के लिए प्रेरणा श्रोत हैं।

अत्याधुनिक प्रौद्योगिक पर आधारित कार्य में सफलता के साथ–साथ महिलाएं अपने परिवार का कल्याण अवश्य चाहती हैं उनकी यही कमी उन्हे झुका देती है। इसमें संदेह नही कि नए प्रतिमानों की खोज में महिलाओं की भूमिका का सम्बन्ध स्त्री–जीवन के निजी और सार्वजनिक स्पेस से है उनको लिए किसी भी तरह का अमूर्त सारत्ववादी रूझाना अवैज्ञानिक और निरर्थक हैं।

प्रौद्योगिकी को स्वीकार करने की क्षमता अलग–अलग देशों की महिलाओं में अलग–अलग है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए 'घर–बाहर' की मांग को समझना और निजी अनुभवों के परिप्रेक्ष्य में सार्वजनिक क्षेत्रों में अपनी भूमिका को समझना महिलाओं के लिए अनिवार्य है। विश्वस्तर पर आर्थिक मंदी, सार्वजनिक क्षेत्रों के संकुचन ने महिलाओं को और अधिक असुरक्षित किया है। समाज जब खुद अन्दर से टूट रहा हो बेरोजगारी और पुरूषों की नौकरी खतरे में तब महिलाओं के जॉब की चिन्ता कौन करेगा। किन्तु यह सत्य है कि ऐसे समय पर महिलाओं ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सक्रीय भूमिका और तकनीकी ज्ञान आर्जित कर के पारिवारिक संरचना को सबल बनाया है।

वर्तमान प्रगतिशील परिवर्तनीय बाज़ार में उपेक्षित और प्रौद्योगिक ज्ञान से रहित स्त्रीओं के श्रम की दुर्दशा का अनुमान सहज लगाया जा सकता है आर्थिक मंदी की चुनौती ने महिलाओं को मजबूत बना दिया है वे काम भी करती है फुरसत में ट्रेनिंग भी लेती है दूसरों को सिखाती भी है और सब से अधिक महत्वपूर्ण पारिवारिक प्रबंधन और सोसल इंजीनियरिंग के माध्यम से एकांगी परिवारों का संयुक्त परिवारों में परिवर्तित कर रही हैं। यही कारण

है कि अमेरिका, ब्रिटेन, जापान जैसे विकसित देशों की तुलना में हम आर्थिक मंदी के अभिशाप से कम प्रभावित हुए हैं।

नगरीय मध्यवर्गीय परिवारों के अभिभावक यह समझने लगे हैं कि महिलाओं के लिए स्वतंत्र कैरियर होना अब अनिवार्य है, अतः वे बेटियों की शिक्षा–दीक्षा में बेटों की भंति पर्याप्त ध्यान दे रहे हैं। इससे पितृ सत्रात्मक भाव–भूमि कमजोर पढ़ रही है और स्त्री–श्रम और उसकी यौनिकता पर पुरूषों का नियंत्रण घट रहा है। यदि प्रकार्यात्मक दृष्टि से मूल्यांकन करें तो पुरूषों की तुलना में महिलाओं की भूमिका में विशेष परिवर्तन दिखाई देते हैं।

औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया और बदलते श्रम सम्बन्धों ने औरैय्या की महिलाओं को सीधे–सीधे सूचना प्रौद्योगिकी, मीडिया और बाज़ार से जोड़ दिया है। जिससे श्रमशील अतकनीकी अशिक्षित महिलाओं की आर्थिक स्थिति और सामाजिक व्यवस्था में और अधिक दयनीय परिवर्तन हुए हैं। सामाजिक व्यवस्था में महिलाएँ अब पूर्णतः पुरूषों के आधीन नहीं है, यह मिथक भी टूट रहा है कि पति ही उनका 'स्वामी' या 'परमेश्वर' है। अर्थात् अब स्त्री–पुरूष के मध्य सम्बन्ध पूर्णतः उभय पक्षीय हैं और आर्थिक प्रक्रिया पर आधारित है व्यक्तिगत स्वाभित्व, मुद्रा, अर्थतंत्र औद्योगिक उत्पादन और श्रम बाजारों के प्रवर्तन से महिलाओं की सामाजिक स्थिति और भूमिका में परिवर्तन आया हैं। किन्तु सम्पूर्णरूप से पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना और व्यवस्था समाप्त नहीं हुई क्यों कि उत्पादन सम्बन्धों को पुरूषों ने अभी पूर्णतः विमुक्त नहीं किया है।

वर्तमान भारतीय समाज में महिलाओं का क्या अस्तित्व है? स्त्री पुरूष के मध्य सामाजिक विषमता या स्तरीकरण का मुख्य आधार क्या है? इन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए सामान्य आर्थिक परिस्थितियों के सापेक्ष महिलाओं एवं पुरूषों के मध्य सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा उत्पन्न हुए सामाजिक राजनैतिक या आर्थिक स्तर पर भूमिकाओं का निरीक्षण और भूमिकाओं के बदलते प्रारूप का निरीक्षण करना ही इस अध्ययन का लक्ष्य था। हमारी मान्यता यह है कि जब तक विभिन्न जाति समूह की महिलाए राजनैतिक सत्ता और आर्थिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न नहीं करेगी तब तक वे समाज में अपने सामाजिक स्तर को सुधारने में सफल नहीं हो सकती। वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिी महिलाओं को राजनैतिक सत्ता और अधिकार प्राप्त कराने में प्रकार्यात्मक भूमिका अदा कर रही है। अतः हमने निम्नांकित सैद्धान्तिक दिशा में अपने अध्ययन में प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया है:–

- समाज में महिलाओं और पुरूषों की स्थिति और भूमिका का निर्धारण उनकी आर्थिक शक्ति और सत्ता के अनुसार किया जा सकता है।

- मानव श्रम के मशीनीकरण और पुरूष श्रमिकों के स्थानान्तरण के फलस्वरूप सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान और तकनीकी सुविधाओं के विकास ने महिलाओं की भूमिका से सम्बन्धित आधारभूत मान्यताओं को परिवर्तित कर दिया है।

- विभिन्न स्तरों पर सामाजिक अतः क्रियात्मक सम्बन्धों का आधार सूचना प्रौद्योनिकी एवं मीडिया से प्रभावित हो रहा है। महिलाओं की राजनैतिक एवं आर्थिक भूमिका भी।

- धार्मिक प्रतिबन्ध, लैंगिक आधार पर कर्मकाण्ड, छुआछूत, पवित्रता और अपवित्रता की भावना अब महिलाओं के लिए अर्थहीन हो गए हैं और वे विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और प्रशिक्षण से अपनी भूमिकाए बदल रही है।

- उत्पादन के साधनो और उत्पादन सम्बन्धों पर प्रत्यक्ष स्वामित्व और अधिकार प्राप्त होने के कारण महिलाए अपनी आर्थिक स्थिति के प्रति सजग है और निरन्तर अपनी सामाजिक स्थिति को ऊँचा उठा रही हैं।

- महिलाओं के द्वारा निरन्तर अपनी भूमिका परिवर्तन का प्रभाव पुरूषों पर पड़ रहा है और वे महिला–उत्पीडन के नये–नये तरीके ढूढ़ रहे हैं।

- कम्प्यूटर, इण्टरनेट, ई–मेल, ई–लर्निग, वीडीओ, मोबाइल फोन आदि का प्रभाव महिलाओं पर या उनकी भूमिका पर सकारात्मक की अपेक्षा उत्पीड़नात्मक अधिक दिखाई देता है।

अब हम उन सैद्धान्तिक प्रश्नों एवं प्राकल्पनाओं का परीक्षण करेंगे जो हमने अपने अध्ययन के प्रारम्भ में निर्धारित की थी।

अपने अध्ययन के प्रारम्भ में भूमिका के अर्न्तगत हमने इस प्राकल्पना का निरूपण किया था कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था और सामाजिक संरचना को सूचना प्रौद्योगिकी में महिलाओं की सक्रीय भूमिका चुनौती दे रही है। (प्रथम प्राकल्पना) इस उद्देश्य से हमने एक ऐसे नव निर्मित किन्तु पूर्ण विकसित औरैया जनपद का अध्ययन किया जहाँ औद्योगिक विकास की

गति ने महिलाओं को कार्य के पूर्ण अवसर और नवीनतम प्रौद्योगिकी के द्वारा वे तमाम साधन उपलब्ध कराए है जो पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था को तोड़ते हैं।

प्रत्येक जाति–समूह की सताधिक महिलाओं का परम्परागत मान्यताओं और पुरूष–प्रधान सामाजिक व्यवस्था को तोड़कर लगभग सभी कार्यालयों और प्रतिष्ठानों में कार्य करना और साथ एंकर प्रेन्योर बन स्वयं अपना कारोबार करना (सारणी–2) हमारी इस प्राकल्पना को प्रमाणित करता है कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था को महिलाओं की सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सक्रीय भूमिका चुनौती दे रही है। क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न श्रोत महिलाओं को शिक्षित प्रशिक्षित कर के अपने अधिकारों और कर्त्तव्यों के प्रति सचेत करते है, जो उन्हे सशक्त बनाते हैं। अधिकारी से लेकर अध्यापक तक, बैंक से लेकर सेना और पुलिस तक में महिलाएँ अपनी सेवाए दे रही हैं और इन्टरनेट, ई–मेल, ई–लार्निंग और पत्राचार पाठ्यक्रम उन्हें सुविधाए उपलबध करा रहे हैं। समाचार पत्र, पत्रिकाओं और इलेक्ट्रानिक मीडिया के उपकरण उन्हें निरन्तर सचेत करते रहते है। जिससे प्रत्येक जाति समूह के परिवारों में पितृसत्तात्मक व्यवस्थाा के समानान्तर मातृसत्तात्मक व्यवस्था सामजिक संरचना देखी जा सकती है। जो प्रकार्यत्मक दृष्टि से अधिक मजबूत और परिवार के सदस्यों की स्वीकार्य है। धार्मिक प्रतिबन्ध, लैंगिक आधार पर कर्मकाण्ड छुआ छूत पवित्रता–अपवित्रता की भावना अब महिलाओं के लिए अर्थहीन हो गई और वे तमाम महिलाए जो तरक्की पसंद हैं पुरूषों के द्वारा स्थापित मनुस्मृति महाभारत आदि के द्वारा रोपित व्यवस्था को तोड़कर अपने लिए स्वतंन्त्र भूमिकाओं का चयन कर रही हैं।

इस अध्ययन के माध्यम से हम निष्कर्ष पर पहुंचे है कि सूचना प्रौद्योगिकी महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक प्रगति को निरन्तर विकसित कर रही है। (द्वितीय प्राकल्पना) क्योंकि अब सार्वजनिक उपभोक्ता के सामाजिक जीवन में उत्पादन के सम्बन्धों का मूल आधार तकनीकी व्यवस्था और प्रौद्योगिकी है जो सामान्य उपभोक्ता के स्थान पर महिलाओं को अधिक प्रभावित करती हैं। हमारी उत्तरदाताओं में शत–प्रतिशत उत्तदाता विद्युत उपकरणों का प्रयोग करती है विशेष रूप से टी0वी0 फ्रिज आदि का और अपने सामाजिक जीवन को समसमायिक बनाने के लिए 66.99 प्रतिशत उत्तरदाताओं के द्वारा केबल कनेक्शन, डिश टी0वी0 या टाटा स्काई जैसे उपकरणों से जोड़ रखा गया है जो राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेष सभ्यता और संस्कारो की क्षेत्रीयता की परिधि से बाहर ले जाते है और इसी प्रकार आर्थिक प्रगति के गृहकार्यों के माध्यम से–फैशन डिजाइनिंग, बुटिक, इंटीरियर डेकोरेटर ब्यूटीशियन आदि के द्वारा आधार प्रदान करने में सहायक है। अर्थात् हमारी द्वितीय प्राकल्पना का औचित्य प्रमाणित हो जाता है कि महिलाओं के सार्वजनिक एवं परिवारिक जीवन के प्ररिप्रेक्ष्य में उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा और समान के निर्धारण में या उनकी सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाने में आर्थिक स्वावलम्बन प्रदान करने में सूचना प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका हैं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के द्वारा महिलाओं के घरेलू कार्यों आदि ज्ञान का विकास हो सकता हैं ओर उनकी कार्य–क्षमता और भूमिका उन्नयन संभव है। (तृतीय प्राकल्पना) अध्ययन क्षेत्र औरैय्या जनपद में महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत 64.33 है। (सारणी–8) यहाँ यह तथ्य हमारी प्राकल्पना का

समर्थन करता है कि अध्ययन क्षेत्र में विभिन्न कार्यों में कार्यरत महिलाओं में प्राथमिक शिक्षा (21.90 प्रतिशत) की तुलना में कॉलेज स्तर की शिक्षा (43.63 प्रतिशत) दो गुने से भी अधिक है इसी प्रकार निदर्शन में चुनी गयी महिलाओं का ज्ञान (शिक्षा) का स्तर स्नातक, परास्नातक एवं अधिक तथा तकनीकी स्तर पर 73.20 प्रतिशत (सारणी–15) है जो उनके कार्य–क्षमता और विकास का स्पष्ट प्रमाण हैं। 52.94 प्रतिशत उत्तरदाताओं के परिवारों के सभी सदस्यों का शिक्षित होना, परिवार का छोटा आकार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से सम्बन्ध उपकरणों एवं सामग्री का प्रयोग कर के अपने समय, धन और श्रम की बचत करना और इस बचे हुए धन और समय का सद्उपयोग बच्चों की शिक्षा उनके उच्च स्तर के ज्ञानार्जन के लिए इन्टर नेट आदि की सुविधाये उपलब्ध कराना। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से कदम बढ़ाना, फैशन के क्षेत्र में महिलाओं निरन्तर आगे बढ़ते जाना/ऑनलाइन कार्य करने वाले लोगों में 51.00 प्रतिशत महिलाओं का होना। रसोई घर और गृहणी के कार्यों के साथ–साथ अन्य पैसा या सम्मान प्रदान करने वाले कार्यों में संलग्न होना हमारी इस प्राकल्पना को पुष्ट करता है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के द्वारा महिलाओं के घरेलू कार्यों और ज्ञान का विकास हो रहा है और उनकी कार्य–क्षमता और अनेकानेक भूमिकाओं का बहुमुखी विकास हो रहा है।

विषम परिस्थितियों में भी सम्पूर्ण समाज और महिलाओं के लिए आई सीटी और इंटरनेट काफी लाभप्रद माध्यम साबित हो रहे हैं क्योंकि महिलाओं के अन्दर से हीनता बोध का खात्मा हो रहा है। इस अवधारणा का सीधा अर्थ यह है कि महिलाओं की कार्य क्षमता, परेशानियों और विचारों को ध्यान में रखते हुए आईसीटी प्रोफेशन उनके लिए अनूकूल

परिस्थितियों की सुविधाएँ दिला रहा है, जो निश्चित ही अन्य जॉब कार्य या प्रोफेशन की बजाय सूचना प्रौद्योगिकी में निरन्तर उनकी बेहतर भागीदारी बढ़ा रही है। हमारी चतुर्थ प्राकल्पना यह है कि अन्य नौकरियों की अपेक्षा सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बद्ध जॉब/नौकरिया महिलाओं के लिए अधिक महत्वपूर्ण और सुरक्षित है हमारा यह मानना है कि पुरूषों की अपेक्षा महिलाए अधिक एकाग्र और ध्यानस्थ होकर कार्य करती है और इन्टरनेट, कम्प्यूटर या प्रौधोगिक से सम्बद्ध किसी भी कार्य में एकाग्रता अनिवार्य है अतः इन कार्यों के लिए महिलाए अधिक उपयुक्त होती है। अध्ययन में उपलब्ध तथ्यों से स्पष्ट है कि आईसीटी उपयोगिता की जानकारी महिलाओं को अधिक है और वे इससे काफी लाभान्वित हो रही हैं इस टेक्नोलॉजी में उनकी दक्षताओं का उत्तरोत्तर विकास हो रहा हैं। महिलाओं में स्वारोजगार और यह रोजगार चुनने का प्रकृति प्रदत्त गुण होता है, केवल उस स्थिति को छोड़कर जब वे घर के परिवेश से दूर रहना चाहें। अब महिलाएं सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पुरूषों से आगे निकलने की होड़ में हैं क्योंकि अन्य जॉब/नौकरी की तुलना में महिलाए सूचना कम्प्यूटर टैक्नालॉजी के क्षेत्र में अपने को अधिक सुरक्षित मानती है। जिन दक्ष और कार्यकुशल महिलाओं ने पारिवारिक कारणों से अपनी जमी जमाई नौकरियां छोड़ी थी, उनकों अब कंपनिया अनेक आग्रह कर अपने घर से ही टेलीवाकिंग के लिए प्रेरित कर रही हैं । इसके साथ वे अपनी वर्तमान महिला कर्मियों की दक्षता की और उन्नत करने में लगी हैं। महिलाओं को सुरक्षित रोजगार संभावनाओं के साथ जोड़ पाने में इंटरनेट की अहम् भूमिका बनी हुई हैं। इसके जरिए हाई वेल्यू एडेड वर्क को पाने की संभावनाएं बढ़ती है, जिनको घरेलू भलाई के साथ जोड़ा जा सकता है ताकि महिलाओं की अर्जित दक्षताएं यूं ही बेकार न

चली जाएं। महिलाओं के लिए इंटरनेट काफी सुरक्षित है क्योंकि उसका अपना खुद का कोई स्वरूप नहीं होता।

कम्प्यूटर तथा आई.टी. प्रशिक्षित महिलाओं द्वारा सम्मान जनक नौकरी करनके के कारण उनमें आत्मविश्वास अधिक आया है। भारतीय महिलाओं में स्वयं अपनी निर्णय ले सकने की क्षमता भी बढ़ती जा रही है। महिलाओं की उनकी स्वयं की भूमिका के प्रति निरन्तर सजगता और आत्म बोध ने उनको सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नयी–नयी भूमिकायें तलाशने के लिए बाध्य कर दिया है। (पंचम प्राकल्पना) अभी तक देश में महिलाओं को केवल 'यह' या'वह' करना सिखाया जाता था किन्तु क्यों किया जाना है यह नहीं बताया जाता था किन्तु सूचना प्रौद्योगिकी के संसाधनों ने उनके अन्दर अपनी भूमिका के प्रति ने केवल सजगता बढ़ाई है अपितु आत्मबोघ भी उत्पन्न किया है। हमारी उत्तरदाताओं में 67.97 प्रतिशत स्वयं शॉपिग करती है और वस्तुओं को क्रय करते समय उनकी गुणवत्ता, मूल्य आदि पर ध्यान देती हैं। अपने ऊपर पड़ने वाले कार्य के बोझ से बचने के लिए वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग करती हैं और पुरूष सदस्यों को भी सहायता करने के लिए उत्प्रेरित करती हैं। अपने स्वास्थ्य, सौदर्य बोध के प्रति सजग रहने के साथ–साथ अपनी भूमिका के प्रति कि कब कौन सा कार्य प्राथमिकता के साथ करना है यह आत्मबोध भी उनके अन्दर उत्पन्न हुआ हैं। 32.35 प्रतिशत उत्तदाता अपनी बेटियों को प्रशासनिक अधिकारी बनाना चाहती है ओर 31.70 प्रतिशत बैंक अधिकारी (सारणी–54) इसी प्रकार उत्तरदाता विवाह के बाद अपनी बेटियों को अपनी इच्छा और शर्तो के साथ जीवन जीने की स्वतंत्रता देने की पक्षधर है। (50.00 प्रतिशत) और 36.27 प्रतिशत पति –पत्नी को अपनी इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत (जीने) करने को

ठीक मानती है। यह सभी तथ्य हमारी इस प्राकल्पना को भी प्रमाणित करते है कि महिलाओं को उनकी स्वयं की भूमिका के प्रति निरन्तर सजगता और आत्मबोध ने उनकी सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नयी–नयी भूमिकायें तलाशने के लिए बाध्य कर दिया है।

विभिन्न अध्ययनों से यह तथ्य खुलकर सामने आ रहे हैं कि इंटरनेट दूर संचार, सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बद्ध भूमिकाओ में पुरूषों की अपेक्षा महिलाओं का अनुपात अधिक है। टेलीफोन ऑपेरटर, कम्प्यूटर या रेलवे की कम्प्यूटाराइज टिकट विण्डो में 90 प्रतिशत महिलाएं ही कार्य करती दिखाई देती हैं। उन्हे एक्सेस की सुविधाएँ अधिकाधिक मिल पा रही हैं। औसतन मध्यम वर्गीय परिवारों की गृहणियों के पास इसका विकल्प तो होता ही है कि वे अपने घरेलू काम काजो में से समय बचाकर उसे अपने ज्ञानार्जन के निमित कम्प्यूटर और इंटरनेट सुविधाओं में लगाएं। हमारे अध्ययन की प्रबद्ध उत्तरदाताओं में 90 प्रतिशत उपकरणों के दैनिक उपयोग से छैः घण्टे तक का समय बचाती हैं और इसका उपयोग रचनात्मक कार्यो, अर्थोपार्जन और मनोरंजन के लिए करती है वैसे भी महिलाओं को अपने जॉब और पारिवारिक जीवन के बीच एक संतुलन और सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है। इस विश्लेषण से हमारी षष्ट्म प्राकल्पना कि वैज्ञानिक उपकरणों और इलेक्ट्रानिक वस्तुओं के प्रयोग के कारण महिलाएं अपने घरेलू कार्यों से समय बचा रही हैं और इसका सद्उपयोग वे अपनी राजनैतिक और आर्थिक भूमिकाओं को बदलने में कर रही हैं। 95.42 प्रतिशत उत्तरदाता अपने अधिकारों के प्रति सजग और जागरूक हैं। 66.01 प्रतिशत अपनी इच्छानुसार अपना जीवन जी रही हैं अपने द्वारा अर्जित धन का उपयोग अपनी मर्जी से करती हैं और शत प्रतिशत के बैंको में खाते हैं। स्वैच्छिक

संगठनों, यूनीयन कर्मचारी संगठनों में सक्रीय भूमिका, आन्दोलनों रैलियों में उनकी भागीदरी अब पुरूषों से कम नहीं है।

महिलाओं की अर्जित दक्षता को बेकार होने से बचाने के लिए उनका सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ना आवश्यक है (सप्तम् प्राकल्पना) यह तथ्य स्वयं प्रमाणित है कि महिलाएं प्रत्येक कार्य को एकाग्रता और निपुणता के साथ करती है। उनकी स्मरण शक्ति, समय पर कार्य करना आदि कुछ विशेषगुण है। एक और विशेषगुण होता है अत्यधिक कोमलता या सॉफ्ट नेश अतः सॉफ्टवेयर टैक्नालाजी में जितनी दक्ष और प्रवीण महिलाएं होती है उतना पुरुष नहीं। मृदुभाषी, अच्छी श्रोता तथा दुनियाभर के लोगों के बोल चाल में रूचि रखने वाली महिलाएं दूरसंचार के क्षेत्र में भी अपना व्यवसाय चुन रही हैं। अपनी योग्यताओं के आधार पर दूर संचार के क्षेत्र में कैरियर को ढूढ़ना उन्हें अच्छा लगता है। यदि महिलाओं की अर्जित दक्षता का वैज्ञानिक सद्उपयोग नहीं किया गया तो निश्चय ही पुरूषों के उत्पीड़न, बंधुआ के रूप में घर के अन्दर कार्य करने का दंश उन्हें पुनः झेलना पड़ेगा। महिला और पुरूष के बीच की दूरी अब परम्परागत पवित्रता अपवित्रता के दुदियानूसी तर्कों से नहीं आंकी जा सकती क्योंकि अब महिला को महिला होने का कोई दुःख नहीं। अपनी शिक्षा, दीक्षा प्रशिक्षण कार्य कौशल ने उसे स्वामिभानी और सजग बना दिया है।

हमारी प्रमुख प्राकल्पना यह थी कि उत्पादन के विभिन्न साधन महिलाओं और पुरूषों के मध्य जिन सम्बन्धों का निर्माण करते हैं। महिलाओं की सामाजिक स्थिति और प्रतिष्ठा का वास्तविक आधार पारिवारिक सत्ता और आर्थिक शक्ति है जो सम्पत्ति धन के स्वामित्व और स्वतंत्र भूमिका के आधार पर ही निर्धारित होती है। सूचना प्रौद्योकिगी महिलाओं की भूमिका

और स्थिति में अपूर्व प्रतिमानात्मक बदलाव ला रही हैं। आज की उच्च्व शिक्षित महिलाएं बिन्दास जिन्दगी जीने में विश्वास करती हैं। 25 हजार रूपये प्रतिमाह वेतन अर्जित कर अपने नाम या पति के साथ मकान और सम्पत्ति की स्वामित्व बन हमारी उत्तरदाताओं ने अपनी आर्थिक भूमिका की स्वतंत्र इबारत लिखी है। 48.04 प्रतिशत सरकारी ओर 31.05 प्रतिशत अर्ध सरकारी नौकरियों में अपने को सुरक्षित मानती है क्योंकि उनकी सामाजिक प्रतिष्ठाा और आर्थिक अधिकार इन सेवाओं मे अधिक स्वतंत्र है। इन नौकरियों में कार्यरत् महिलाएं सशक्तीकरण की अवधारणा से तो परचित हैं ही अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति भी सचेत है। (69.00प्रतिशत) ओर उनकी इस चेतना ओर जागरूकता को 49.02 प्रतिशत उत्तरदाताओं को लेपटॉप कम्प्यूटर का स्वामी होना प्रमाणित करता है। 56.87 प्रतिशत उत्तरदाता कम्प्यूटर लेपटाप का ज्ञान रखती हैं। इन्होंने कम्प्यूटर से सम्बन्धित कोई न कोई कोर्स किया हुआ है। (सारणी –21) यह उत्तरदाता बच्चों की पढ़ाई, सूचना संग्रह कार्यालय या अन्य कार्यों में कम्प्यूटर का प्रयोग करती है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष या तो धनर्जित करती हैं या धन बचाती है। आज भारत की महिलाए उत्पादन के विभिन्न साधनों पर अधिकार कर रही है अतः महिलाओं और पुरूषों के बीच लैंगिक सम्बन्धों के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के सामाजिक सम्बन्धों के विभेद या स्तरीकरण को रोपित नहीं किया जा सकता। उन्हें (महिलाओं की) सामाजिक प्रतिष्ठा, राजनैतिक ताकत आर्थिक शक्ति भी कुछ मिल चुकी है जो केवल पुरूषों के अधिकार में थी। यहाँ तक कि बच्चों के परीक्षा–प्रवेश आदि के आवेदन पत्रों, प्रमाण–पत्रों और अन्य आवश्यक दस्तावेजों में माता का नाम लिखना अनिवार्य है। इतना ही नहीं आमंत्रण पत्रो में पति पत्नी

दोनों के ही नाम मुद्रित करने का फैशन हो गया है। सम्पत्ति में पति–पत्नी या बेटे–बेटियों का समान अधिकार उत्पादन में महिलाओं के स्वामित्व को स्पष्ट करता है अतः यह प्राकल्पना स्पष्टतः प्रमाणित और स्वीकार्य परिप्रेक्ष हैं।

भारतीय महिलाओं में नया जज़्बा और जोश है। युवा भारतीय स्त्रियां ऊंचे सपने बुन रहीं है। वे अभिनव कैरिअर चुन रही है। और उन्मुक्त जिंदगी जी रही हैं । दूरिया घटी है, स्त्री ने अपनी मोजूदगी फिर से हर क्षेत्र यहाँ तक कि मर्दो के लिए आरक्षित मान लिए गए क्षेत्रो तक में दर्ज की हैं। महिलाओं को मौके मिले हैं। अपने सपनो को पूरे करने के नई दुनिया युवतियों के लिए पेश कर रही है नए अवसर जिनकी क्षमताओं और उद्यमशीलता को नए मौके मिल रहे हैं बाजार की अर्थव्यवस्था में।

उपर्युक्त सभी प्रकार के परिवर्तनों को प्रगति नहीं कहा जा सकता। भारत में साठ वर्षों में बहुत से परिवर्तन और बदलाव आए है और आज भी हो रहे परन्तु परिवर्तन की दिशा क्या है? परिवर्तन कितने तर्क संगत है? इन परिवर्तनों से कौन लाभान्वित है यह हो हरे है? कृत संकल्प घोषणाओं के बावजूद महिलाओं के विरूद्ध हिंसा अक्षुण्ण है, उत्पीडन जारी है, शोषण उमड़ रहा है, गरीबी, बेरोजगारी, बाल अपराध, साम्प्रदायिकता और महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। राजनीति का अपराधीकरण हो गया है पिछले एक दशक से अधिक समय से लोकसभा विधानसभाओं में महिलाओं के आरक्षण का बिल लटका हुआ है। चौदहवीं लोकसभा में महिलाओं का प्रतिशत केवल 8.2 है। सामाजिक मूल्यों का तेजी से पतन हो रहा है। उत्पीड़न की शिकार महिलाएं मानसिक रोगों से ग्रसित हैं।

अब समय आ गया कि हम सामाजिक समस्याओं की प्रकृति और आकार का विश्लेषण करें और इन्हें समझे समस्या का निदान प्राप्त करने का लिए विमर्श की आवश्यकता है किन्तु स्त्री विमर्श की जगह पुरूष विमर्श पर काम हो । प्रसिद्ध हिन्दी लेखिका ममता कालिया लिखती है– ''फामूर्लाबद्ध न होकर समग्र समाज के बारे में सोचना चाहिए। स्त्री विमर्श के नाम पर जो कुछ हो रहा है वह कहीं से सही नहीं है । कुछ विद्वान इसको बढ़ावा देने में वर्षो से लगे हैं यदि ऐसा होता रहा तो समाज में स्त्री–पुरूष की असमानता फिर से शुरू हो जायेगी कुछ हद तक शुरू भी हो गयी है। जरूरत स्त्री–विमर्श की बजाय पुरूष विमर्श पर कार्य करने की है।''

महिला सशक्तीकरण, महिला आन्दलनों एवं जागरूकता अभियानों के बावजूद आधी आबादी के स्वास्थ्य की हकीकत कुछ और हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा भारत में महिला स्वास्थ्य पर जारी रिपोर्ट का सारांश है कि देश में महिला स्वास्थ्य बेहद गम्भीर है। रिपोर्ट के अनुसार समाज में महिलाओं के लिए पर्याप्त पोषक आहार किसी भी सरकारी ऐजेन्डे में नहीं है। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने सितम्बर 2000 में आठ सहस्त्राब्दी लक्ष्य तय किए थे, जिनमें से एक महत्वपूर्ण महिलाओं के स्वास्थ्य सें सम्बन्धित है। 189 देशों के इस समूह ने सन् 2015 तक महिलाओं के लिए समता और स्वास्थ्य की बहेत्तरी के लिए लक्ष्य तय किया है। रिपोर्ट कहती है कि भारत में प्रत्येक पांच में से एक गर्भवती महिला खून की कमी (एनीमिया) से जूझ रही है। अपने देश में औरतों की नाजुक सेहत की वजह जानने के लिए उनकी जिन्दगी पर जन्म के बाद से ही नज़र दौड़ानी होगी। जानी मानी फ्रेंच लेखिका सीमोन द

बोडवार कहती हैं "औरत की सेहत इसलिए खराब है क्योंकि यह स्त्री है। "औरत की कमजोर सेहत की वजहों में कुपोषण खासा महत्वपूर्ण हैं। पंजाब जैसे समृद्ध प्रदेश में लड़कियों में कुपोषण का प्रतिशत लड़को से ज्यादा हैं। आंकड़े बताते है कि गर्भ में लड़का होने पर माताएं 90 प्रतिशत पोषण प्राप्त करती है, जबकि लड़कियों के मामले मे माताओं का प्रतिशत सिर्फ 72.7 है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् की रिपोर्ट के अनुसार 27 प्रतिशत ग्रामीण लड़को की तुलना में 52 प्रतिशत ग्रामीण लड़किया कुपोषित हैं। शहरी मध्यम वर्ग में यह प्रतिशत 9.8 की तुलना में 15 हैं। जाहिर है कि देश की आधी आबादी महिलाओं की है। बालिकाओं के विकास स्त्रियों में प्रजनन और बाल स्वास्थ्य सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यापक पैंकेज की जरूरत हैं। चिकित्सकों की मदद से महिलाओं की सेहत सुरक्षा का कार्यक्रम चलाया जाना अनिवार्य है, जिससे महिलाओं की सेहत में बदलाव लाया जा सकता है। लेकिन ज्यादा जरूरी है। स्त्रियों के प्रति पुरूष सत्ता की मानसिकता मे बदलाव ।

मेरी समझ से प्राथमिकता न्याय को मिलनी चाहिए रोजगार पाकर एक महिला सशक्त होती है, तो पति के पास रोजगार न होने से दूसरी महिला अशक्त हो जाती है। महिलाओं का काम करना मुख्यतः मध्यम वर्गीय महिलाओं का सशक्तीकरण एवं उनकी गरीब बहनों का अबलीकरण है। हमारे देश में 95 प्रतिशत दंपत्तियों आजीवन वैवाहिक सम्बन्ध निभाते हैं। जिन पश्चिमी सभ्यताओं में विवाह स्थिर नहीं उनके लिए यह गणित लागू नहीं होता।

प्रसिद्ध अर्थशास्त्री भरत झुन झुन वाला (अमर उजाला) लिखते हैं कि हर परिवार को कम से कम एक रोजगार अवश्य उपलब्ध कराया जाए। पति

आपस में तय कर लें कि दोनों में कौन बाहरी कार्य करेगा और कौन गृह कार्य करेगा। अर्थ व्यवस्था में उपलब्ध रोजगारों का परिवारों के बीच न्यायपूर्ण वितरण हो। तर्क यह नही की कानून बना कर ऐसी व्यवस्था की जाए, परन्तु सामाजिक मान्यता ऐसी बनाई जा सकती है। एक परिवार में पति–पत्नी दोनों का काम करना दूसरे परिवार के अधिकारों का हनन है। लेकिन इस व्यवस्था में पढ़ी लिखी महिलाओं के घरेलू कार्यों तक ही सीमित रह जाने की समस्या हैं । इस प्रकार वर्तमन परिस्थिति में सामाजिक न्याय और महिला सशक्तिकरण में अन्तविरोध पैदा हो जाता है। अतः समाज को तय करना होगा कि प्राथमिकता महिला सशक्तीकरण को दी जानी चाहिए अथवा सामाजिक न्याय को। कुशल महिलाओं का सशक्तीकरण आवश्यक हैं या गरीब महिलाओं का जीवन यापन।

महिलाओं के सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य, शिक्षा और अधिकारों का तस्वीर अभी भी निराशाजनक हैं। केवल आंकड़ों को समृद्ध करने से उद्देश्य की पूर्ति नही होती। हमें अपने राष्ट्रीय न्याय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य और शिक्षा की गुणवत्ता का स्तर जो बहुत ही गया बीता हैं उसमे सुधार लाना होगा ओर इन कार्यो के लिए संविधान बनाने या कानून पारित करने की आवश्यकता नही जनचेतना, राष्ट्रीय जागरूकता, कर्तव्य बोध और सामाजिक विषमताओं के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है ओर इस जन चेतना आन्दोलन की सूचना प्रौद्योगिकी में महिलाओं की भूमिका चरितार्थ कर सकती है।

सूचना प्रौद्योगिकी में महिलाओं की भूमिका
(एक समाजशास्त्रीय अध्ययन)

Role of Women in Information Technology
(A Sociological Study)

परिशिष्ट

- संदर्भ ग्रन्थ सूची
- साक्षात्कार अनुसूची

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. Ahuja Ram : Right of women: A feminist perspective, Rawat publication, Jaipur, 1992
2. Agarwal, Beena : A fild of ones owrr, women and land Right in south Asia, New Delhi Cambridge, university Press .1994
3. Altekar, A.S. : The position women in Hindu civilization, Hotel Banarasidas, Varanasi . 1938
4. Ambedkar, B.R. : Who were the sudras? Thacker and co Bombey 1946
5. Bowle, John : A new outline of world history, London George Allen and unwin Ltd. 1962
6. Beteille, Andre : The Harijans in India, in caste old and new, Acia publishing House, Bombay. 1969
7. Basu Aparna : The role of women in India struggle for freedom" in B.R. Nanda ed. Indian women from past to modernity, Radaient publications P-16-40 1946
8. Basu, Aparna & Bharati Ray : Women's struggle: A history of all India women's conference 1990
9. Beauvo de simore : The second sex, Hind pocket books new Delhi 1944

10.	Beanerjee Nirmala	:	Working women in colonial Bengal", in samgari and vaid ed. PP. 274-293
11.	Basu, Amrita	:	Women's Movement in global perspective New Delhi. 1967
12.	Chakravarty Renuka	:	Communists in Indian women's movement people's publishing House. New Delhi 1963
13.	Corroll Foster. Theodore	:	Women Religion Development in the third world, Newyork . 1983
14.	Cliff. Tony	:	Class struggle and women's liberation 1984.
15.	Chakravarty, Uma	:	Rewriting History, the life and time of fandita Rama Bai.
16.	Chatterjee. Partha	:	The nationalist resolution of the women Question " PP- 234-253
17.	Das, T.K. & others	:	Women & work in Indian society Discovery publication house, Dehlhi; 1988
18.	Dolas, Avinash	:	Dalit women and the women's movement in India in P.G. Jogdand ed. Op cit. P- 115
19.	Feinstein, Karen	:	Working women and families, sare publication baverly Hills, 1979
20.	Ganohi, M.K.	:	The removal of untouchability, Navfivan publishing House, Ahemdabad, 1954
21.	Gupta, Amit Kumar	:	"Women and society" criterian publication, new Delhi. 1982

22. Huttorv, J.H. : Cencus of India P. 485-1931

23. Jahav, A.S. : Dalit among dalits : seheduled castes and scheduled tribe women . 1961

24. Jain P.C. & other : Scheduled caste women Rawat Prakashan Jaipur. 1978

25. Jogdand, P.G. : Dalit women in India, Issues and Perspectives Gyan publishing house, New Delhi. 1976

26. Kamat A.K. : Women's education and social change in India" social scientist vol. 5 No.1 P.P. 2-27, 1976

27. Kabra, G.B. : Development of weaker sections, India Publication . New Delhi, 1984

28. Kumar Rooha : Family and factory; women in Bombey textile industry in Krishnamurti ed. Op. it PP. 133.162

29. Kumar Kapil : Rural women in Avaoh, PP 337-369

30. Myrdal and Kloin : Women's Two roles London 1968

31. Mathur, Deepa : women Family and work, Rawat Publication Jaipur 1992

32. Mies, Maria : Women the last colony, Zed Books, London 1995

33. Mukherjee, Mukul : Impacts of Modernization on women's occupation PP- 180-198

34. Oomer, T.K. : Strategy for social change, A study of untouchability, economic & political weekly, Jine. 1968

35.	Prabhavats M.	:	Issues of Dalit women in contemporary Indian siltation PP 81-92
36.	Savur, Manorama	:	Women Lib and productive activity Social scientist, Vol 4, P-9 1975
37.	Saffioti I.B.	:	Women in class cociety" New york monthly review press, 1978
38.	Sooza de, Alfred	:	women in contemporary India and south Asia, Delhi- 1980
39.	Sharma, Arbind	:	"The women in world Religions" satguru Prakashan, Delphi, 1987
40.	Shardamani, K.	:	Progressive land Legislation and subordination of women criterian publication New Delhi, P 163.
41.	Sarkar, Tanika	:	Politics and women in Bengal PP-231245
42.	Siddiqui Hasam Muzibul	:	Women education : A research Approach ashish Publication, New Delhi .- 1989
43.	Thapar, Romesh	:	Trible caste and Religion in India Mac Millan, India New Delhi -1977
44.	Yurlova, E.S.	:	Scheduled castes in India Patriot Publishers, New Delhi, 1990
45.	अय्यपन, ए0	:	सोशल रिवोल्यूशन इन ए केरल विलेज एशिया पब्लिशिंग हाउस, बम्बई 1965
46.	आर्य, अलका	:	औरतों के हिस्से की आपदा जन सत्ता 2001

47. अग्रवाल, जे0सी0 : भारत में नारी शिक्षा : विद्याविहार नई दिल्ली 2001

48. उपाध्याय,बी0एस0 : वीमेन इन ऋग्वेद पृ0 12, 2001

49. श्रीदेवी, एस0 : ए सेन्चुरी ऑफ इण्डिन वीमेन हुड

50. श्रीनिवास, एम0 ए0, : आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन, राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली 1976

51. कपूर, प्रमिला : कामाकाजी भारतीय नारी, बदलते जीवन मूल्य और समाजिक स्थिति राजपाल एण्ड सस दिल्ली 1976

52. कपूर, प्रमिला : भारत में विवाह और काम काजी महिलायें, राजकमल प्रकाशन दिल्ली, 1976

53. काल टाड्स : औपीनियन कोटेड इन वीमेन इन मार्डन इण्डिया पृ0 3

54. खन्ना, रोली : रंग दिखा रहा है संघर्ष, दैनिक जागरण, कानपुर 07.01.09

55. खेतान प्रभा : उपनिवेश में स्त्री, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली 2004

56. गोस्वामी कृष्ण : संत काव्य में नारी, शांति प्रकाशन, रोहतक 1989

57. गौर, रतनलाल : महिलाओं के मौलिक अधिकार, राधा कोविन्द पब्लिशर्स जयपुर 2006

58. कुलश्रेष्ट रामप्रकाशन : संस्कृति समाज और सहित्य सम्पादित–पाण्डेभृणल, रावत पब्लिकेशन्स –जयपुर

59. कौशलेन्द्र प्रपन्न : इण्टरनेट संदर्भ और प्रासांगिकता, योजना फरवरी 2004

60. चटोपाध्याय, कमला देवी : वीमेन इन मार्डन इण्डिया, समाज कल्याण, सितम्बर 1974 पृ0 490

61. जयन्ती घोष, : वू मेन इन इण्डिया, रावत पब्लिकेशन्स जयपुर 1997

62. जयन्ती घोष, : वाउलेन्स अगेन्सड् वूमेन, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली

63. जयन्ती घोष, : डोमोस्टिक वाउलेन्स एक्ट राजकमल प्रकाशन , नई दिल्ली

64. जयन्ती सी0 : शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन की भूमिका योजना, फरवरी 2003 पृ0 26

65. जैन, अरविंद : औरत होने की सजा, राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली 2001

66. देश मुख, दुर्गावाई : विकासोन्मुख समाज में महिलाओं की भूमिका समाजकल्याण फरवरी, 1975 पृ0 34

67. दुबे, एस0सी0 : भारतीय ग्राम राउट लेट्स एण्ड केगन पॉल, लन्दन 1961

68. दुबे, एस0सी0 : भारतीय ग्राम राउट लेट्स एण्ड केगन पॉल, लन्दन 1961

69. दुबे एल0एवं0 पटरीवाला आर0 : स्ट्रक्चरल एण्ड स्टेटजीज, वूमेन वर्क एण्ड फैमिली सेज, पब्लीकेशन, नई दिल्ली–1990

70. नारायणी, प्रकाशन नारायण : महिलाओ और बालिकाओं के अधिकार विनायक प्रकाशन जयपुर : 2006

71. निरूपमा : नारी शिक्षा साधन और स्वास्थ्य, अनुपम प्रकाशन नई दिल्ली 2006

72. पपोला, टी0एस0 : वीमेन वर्क्स एन अर्चन लेवर मार्केट, एस्टडी ऑफ सैगरेशन एण्ड डिसक्रिमिनेशन इन एम्पलायमेण्टइन लखनऊ 1982

73. पाण्डे, वृजकुमार : मार्क्सवाद और लोकतंत्र की समस्या, भारतीय प्रिन्टर्स नई दिल्ली 1981

74. पार्सन्स टेलकाट : एजेस इन सोसियोलाजिकथ्योरी, दि फ्री प्रसे, ग्लान्सको 1954

75. बूर्रा, एन0 : आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइण्ड वर्किंग गर्ल्स इन इण्डिया, इण्टरनेशनल लेबर रिव्यू, वाल्यूम 128 नं0 1989

76. भट्ट ई0 : गाउंड आफ वर्क, सेल्फ इम्लायड वीमेन्स एसोसियेशन्स अहमदाबाद 1989

77. भट्टाचार्य सुकुमारी : प्राचीन भारत समाज और नारी कम्यूनिकेशन एण्ड महिला पब्लिकेशन, कलकत्ता 1992

78. मध्यानन्द स्वामी एण्ड मजूमदार : ग्रेट वूमेन ऑफ इण्डियाज 1953

79. मजूमदार ए0के : रेसेज एण्ड इण्डियन 1972

80. मजूमदार डी0एन0 : रेसेज एण्ड कल्चर ऑफ इण्डिया, बाम्बे 1958

81. रन्तू कमला : मीडिया क्राति और महिलाए, नेशनल पब्लिशिंग हाउस जयपुर, 2006

82. लखनपाल : स्त्रियों की स्थिति 2001

83. लोहिया राम मनोहर : भारत माता धरती माता, लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद 1993

84. वरदप्पन, सरोजनी : भारतीय महिलायें कल और आज समाज कल्याण जून–जुलाई 1976

85. श्यामला, पी0 : बर्लिन में अन्तर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन समाज कल्याण दिसम्वर 1985

86. शर्मा, पवित्र कुमार : बलात्कार और यौन शोषण, लक्ष्य भारतीय प्रकाशन दिल्ली : 2007

87. शर्मा, के0एल0 : शूद्रो का प्राचीन इतिहास, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली 1997

88. शर्मा, के0एल0 : भारतीय समाज, स्त्रियों की प्रस्थिति एवं समता की खोज

89. शर्मा के0एन0 : भारतीय समाज और संस्कृति

90. सारादामिनी, के0 : वुमेन वर्क एण्ड सोसाइटी, प्रोसीडिंग ऑफ द आई0 एस0 आई सिम्पोजियम, इडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता 1985

91. सिंह मीनाक्षी निशांत : आधुनिकता और महिला उत्पीड़न

ओमेगा पब्लिकेशन्स, दिल्ली 2008

92. त्रिपाठी शंभूरत्न : हिन्दु नारी का अतीत, वर्तमान और भविष्य 1963

93. मुकर्जी आर0एन0 : सामाजिक मानव शास्त्र विवेक प्रकाशनः दिल्ली 2001

94. सिंह योगेन्द्र : दि चेन्जिग पावर स्ट्राक्चर ऑफ विलेज कम्यूनिटी 1969

95. पियूस, लाड : महिला स्वास्थ्य के सामाजिक आयाम योजना मार्च 2004

96. उ0प्र0 सरकार : जिला जनगणना पुस्तिका 2001, 1991

97. उ0प्र0 सरकार : विकेन्द्रित नियोजन वार्षिक योजना 2001

समाचार-पत्र एवं पत्रिकाएँ

दैनिक –जागरण, कानपुर

98. डॉ0 ए.के. अरूण : आधी आबादी के स्वास्थ्य की हकीकत, नवम्बर 2008

99. संदीपरिछारिया एवं अन्य : आधी दुनिया का इंकलाब, अक्टूबर 2008

100. निकोल फिडमैन : महिलाओं पर हिंसा रोकने को संयुक्त राष्ट्र की मुहिम

101. सुभाषनी अली : पंचायतो के न्याय में महिलाए, 21 अक्टूबर 2004

102. डॉ0 ऋतु सारस्वत : नरक्रीय प्रथा कब तक,

31 अक्टूबर 2007

103. विमला पाटिल : तीन तलाक का उलझा सवाल, 17 जुलाई 2004

104. खुशवंत सिंह : सार्वजनिक जीवन में महिलाएं, 20 नवम्बर 2004

105. डॉ0 ऋतु सारस्वत : समाज विरोधी कृत्य, 11 जनवरी 2008

106. एन.आर.सक्सेना : सच जो आंखे खोल दे, 07 जुलाई 2007

107. जागरण सखी : नयी डगर पर नया सफर, 07 मार्च 2004

108. संगनी : महिला विशेषांक

दैनिक –हिन्दुस्तान

109. शेलाफ डिलेनी : घरेलू हिंसा का नासूर, 29 अक्टूबर 2007

110. ममता कालिया : स्त्री विमर्श की जगह पुरूष विमर्श पर काम हो, 22 दिसम्बर 2008

111. अलका आर्य : प्रवासी घेरलू महिला का मगार या दासी, 6 जुलाई 2008

112. परवेज अहमद : तब लग जायेगा तेजाब पर अंकुश 28 नवम्बर 2007

113. आशा नारायण राय : लैटिन अमेरिका में महिलाओं का जमाना, 17 नवम्बर 2007

सहारा समय

114. परिचर्चा : महिलाओं ने उठाई आवाज, 21 जनवरी 2004

115. जोसेफ गाथिया : पंचायत से गुजरता रास्ता, 07 मार्च 2004

116. मैत्रेयी पुष्पा : स्त्री के पक्ष में स्त्री, 08 मार्च 2006

अमर–उजाला

117. भरत झुनझुनवाला : महिला सशक्तीकरण से जरूरी सामाजिक न्याय (अग्रलेख) महिला

118. इण्डिया टुडे : विशेषांक 18 अप्रैल 2007

119. डॉ० दिनेश कुमार सिंह : ग्रामीण महिलाओं को अर्थिक सहभागिताः राधाकमल मुकर्जी चिंतन परम्परा (हिन्दी जनरल) जुंलाई दिसम्बर 2002

120. सुमेधा नीरज : हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम और महिला सशक्तिकरण राधा कमल मुकर्जी चिंतन परम्पर (हिन्दी जनरल) जनवरी जून 2004

इलेक्ट्राँनिकी –आपके लिए (विज्ञान एवं तकनीकी पत्रिका)

121. संजय वर्मा : घटी दूरिया, मई 2004

122. डॉ० दिनेश मणि : घूंघट तक पहुंची आई०टी०, मई 2004

123. मनमोहन बाला : उच्च टकनालॉजी और भारतीय जन मानस , जनवरी 03

124. मनमोहन बाला : लांघी लक्ष्मण रेखा, मई 04

125. कमलेश मुखर्जी : और भी हैं राहे, मई 04

126. अशिमा गोयल : सशक्त बने आई.टी. के जरिय, मई 04

127. डॉ0 अरबिन्द मिश्रा : बदली समय की मांग, मई 04

128. सचिन कटरिया : और अब ई–स्कूल, अक्टूबर 2004

कुरूक्षेत्र– ग्रामीण विभाग मंत्रालय की पत्रिका

129. सुबोध अग्रवाल : महिला स्वयं सहायता समूहों की भूमिका, मार्च 2004

130. डॉ कु0 के केलकर : स्त्रियों के सामाजिक आर्थिक विकास में, जनवरी 2002

131. सुनीता प्रसाद : महिलाएँ भी कमा सकती हैं। मार्च, 2004

132. अनन्त मित्तल : महिलाओं और बच्चों की विकास मदों की वरीयता। अप्रैल 2003

133. अभिनय शर्मा : महिला कल्याण हेतु राज्यों द्वारा किए गये प्रयास, सितम्बर 2004

134. डॉ0 मुकेश कुमार शर्मा : भारत में महिला साक्षरता, सितम्बर 2004

सूचना प्रौद्योगिकी में महिलाओं की भूमिका

(एक समाजशास्त्रीय अध्ययन)

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी में पी-एच०डी० उपधि हेतु

(साक्षात्कार-अनुसूची)

शोध निदेशक

डॉ जे०पी० नाग

रीडर एवं अध्यक्ष समाजशास्त्र
पं० जे०एन० कॉलेज, बांदा

शोधकर्ता

श्रीमती विनीता तायल

व्यक्तिगत प्रश्न–

1. सूचनादाता का नाम : श्रीमती / कु0..टेलीफोन / मो0 / दोनों।
2. सूचनादाता की आयु : (i) 18–25 वर्ष (ii) 25–35 वर्ष, (iii) 35 वर्ष से अधिक।
3. वैवाहिक स्थिति : विवाहित / अविवाहित / परित्याक्ता / विधवा।
4. सूचनादाता की जाति : (i) सवर्ण, (ii) पिछड़ा वर्ग, (iii) अनुसूचित जाति / जनजति (vi) अन्य।
5. सूचनादाता का धर्म : (i) हिन्दू (ii) मुस्लिम (iii) सिख, (iv) ईसाई (v) अन्य।
6. सूचनादाता की शिक्षा : (i) प्राथमिक, (ii) इण्टर, (iii) स्नातक, (iv) परास्नातक, (v) तकनीकी।
7. व्यवसायिक स्थिति : गृहणी / शिक्षक बैंककर्मी / व्यवसायरत / कम्प्यूटर शिक्षक / अन्य।
8. सूचनादाता की मासिक आय : (i) 5 हजार तक, (ii) 10 हजार तक, (iii) 20 हजार तक, (iv) 20 हजार से अधिक।
9. आप किस प्रतिष्ठान / संस्था में कार्य करती हैं?..
10. प्रतिष्ठान / संस्थाः सरकारी / अर्धसरकारी / निगम / व्यक्तिगत है।
11. क्या आप अपने कार्य से संतुष्ठ है?: हाँ / नहीं

12. यदि नहीं तो क्यों? (i) वेतन कम मिलता है, (ii) बेगार कराते हैं, (iii) शोषण करते हैं, (iv) काम बहुत लेते हैं।

13. परिवार में कितने सदस्य है? (i) चार तक, (ii) आठ तक, (iii) आठ से अधिक।

14. परिवार का प्रकारः एकाकी / संयुक्त / विस्तृत।

15. पारिवारिक स्थिति :

मुखिया का सम्बन्ध	आयु	शिक्षा	व्यवसाय	वैवाहिक स्थिति	अन्य

16. आपके अतिरिक्त परिवार में कितने सदस्य कमाने वाले हैं? (i) कोई नहीं, (ii) एक, (iii) एक से अधिक ।

17. परिवार के सभी सदस्यों की कुल आय :..।

18. क्या आप के नाम किसी बैंक में खाता है? : हाँ / नहीं

19. आप किन–किन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग करती है?

i. फ्रिज, टी0वी0, वॉशिंग मशीन, ए0सी0।

ii. फ्रिज, टी0वी0 गीजर।

iii. फ्रिज, टी0वी0 कम्प्यूटर, सीडी / डीवीडी प्लेयर।

iv. फ्रिज, टी0वी0 टेप रिकॉर्डर, FM रेडियो।

20. क्या आप के घर में केबल कनैक्शन हैं?: हाँ / नहीं।

21. टेलीविजन केबल कनेक्शन का प्रयोग आप किस रूप में करती हैं? (i) केवल मनोरंजन के लिए, (ii) मनोरंजन एवं ज्ञानवर्धन के लिए, (iii) समाचार एवं मनोरंजन के लिए, (iv) मनोरंजन एवं मैच देखने के लिए।

22. आप कितने घण्टे टेलीविजन देखती है?.. ।

23. आप टेलीविजन : (i) अकेले देखते हैं, (ii) बच्चों के साथ देखती हैं, (iii) परिवार के साथ देखती हैं, (iv) पड़ोसियों एवं मित्रों के साथ।

24. टेलीविजन आप के लिए किस प्रकार उपयोगी है?..

25. क्या आप के पास व्यक्तिगत मोबाइल फोन है? : हाँ नहीं

26. यदि हाँ तो आप इसका प्रयोग किस रूप में करती हैं? (i) केवल बात करने के लिए, (ii) बात करने और मनोरंजन के लिए, (iii) सूचना प्राप्त करने के लिए, (iv) अन्य।

27. क्या आप का मकान निजी है?: हाँ/नहीं।

28. आपने अपना मकान कब बनवाया? : (i) पैतृक है, (ii) नौकरी में आने के बाद, (iii) नौकरी के पहले, (i) अन्य।

29. मकान का निर्माण आपने किस प्रकार करवाया ? (i) अर्जित धन से, (ii) लोन लेकर, (iii) अन्य।

30. मकान कहाँ है?: (i) मुख्य मार्ग के किनारे, (ii) गली में, (iii) कॉलोनी में।

31. मकान का आकार कैसा है? : (i) दो कमरे शौचालय, स्नान घर, रसोई, (ii) तीन कमरे शौचालय, स्नान घर, रसोई, (iii) चार कमरे शौचालय, स्नान घर, रसोई, (iv) बड़ा दो मंजिला।

32. क्या मकान में किरायेदार रखते है?: हाँ/नहीं।

33. यदि हाँ तो क्यों?: (i) धनार्जन के लिए, (i) ऐसे ही, (iii) बोरियत दूर करने के लिए।

34. आपके और आपके किरायदार के सम्बन्ध कैसे हैं? : (i) मधुर (ii) सामान्य, (iii) पारिवारिक, (iv) कटु, (v) अन्य।

35. क्या आप कम्प्यूटर चलाना जानती हैं? हाँ/ नहीं।

36. क्या आपके पास कम्प्यूटर/लैपटॉप है? : हाँ/नहीं।

37. यदि हाँ तो आप इसका प्रयोग किस प्रकार करते हैं?: (i) बच्चों की पढ़ाई के लिए (ii) सूचनायें प्राप्त करने के लिए, (iii) अन्य कार्यों के लिए, (iv) गेम खेलने के लिए।

38. कम्प्यूटर/लैपटॉप का मॉडल कौन सा है? :...

39. क्या आप ने इण्टरनेट कनैक्शन ले रखा है? : हाँ/नहीं।

40. क्या आपकी व्यक्तिगत ई-मेल आईडी है?: हाँ/नहीं।

41. क्या कम्प्यूटर का उपयोग आप व्यवसायिक रूप से करती हैं? : हाँ/नहीं।

42. यदि हाँ तो किस रूप में?: (i) बच्चों को सिखाती हैं, (ii) टाइप करती हैं, (iii) व्यापारिक सूचनाओं के आदान प्रदान में, (iv) अन्य।

43. क्या आप कम्प्यूटर शिक्षा को आवश्यक मानती हैं?: हाँ/नहीं।

44. यदी हाँ तो क्यों आवश्यक है? (i) बच्चों की आधुनिक शिक्षा के लिए, (ii) समय की मांग है, (iii) पाठ्यक्रम में अनिवार्य है, (iv) अन्य।

45. क्या आप अपने कार्यालय/प्रतिष्ठान का काम इण्टरनेट/कम्प्यूटर से करती है?: हाँ/नहीं।

46. यदि नहीं तो क्यों? (i) स्वास्थ्य पर बुरा असर, (ii) पड़ाता हैं, (iii) बच्चे बिगड़ जाते हैं, (iv) अन्य।

47. क्या कम्प्यूटर का प्रयोग व्यवसायिक रूप से व्यापार को चलाने में किया जा सकता? : हाँ/नहीं।

48. यदि हाँ तो किस रूप में : (i) व्यापार बढ़ाने के लिए, (ii) व्यापार के हिसाब किताब रखने में, (iii) व्यापार की गोपनीयता बनाये रखने के लिए।

49. कम्प्यूटर/इण्टरनेट से आप को क्या लाभ है? : (i) व्यापारिक, (ii) स्वास्थ सम्बन्धी, (iii) शिक्षा सम्बन्धी सूचना सम्बन्धी, (iv) अन्य।

50. क्या आप के बच्चे कम्प्यूटर शिक्षा ले रहें है? : हाँ/नहीं।

51. आप ने कम्प्यूटर का कौन सा कोर्स (पाठ्यक्रम) किया हैं।

52. क्या आप का व्यक्तिगत बैंक खाता है? : हाँ/ नहीं।

53. आपने बैंक में खाता किस उद्देश्य से खुलवाया है? : (i) बचते के रूपये जमाकरने के लिए, (ii) स्कॉलरशिप जमा करने के लिए, (iii) वेतन जमा होता है, (iv) अन्य कारण।

54. आप समाचार पत्र पढ़ती हैं? : हाँ / नहीं।

55. आपके घर में कौन–कौन समाचार पत्र आते हैं? :...

56. क्या आप मासिक / पाक्षिक / साप्ताहिक पत्रिकायें पढ़ती हैं? हाँ / नहीं।

57. यदि हाँ तो कौन सी? : इण्डिया टुडे / आउटलुक / सहेली / ग्रहशोभा / अन्य।

58. समाचार पत्रों में आप क्या–क्या ध्यान के पढ़ती है? (i) केवल खास–खास खबरें, (ii) केवल आर्थिक खबरें, (iii) केवल खेल समाचार, (iv) समय पास करने के लिए पूरा समाचार पत्र।

59. समाचार पत्रों से आप को किस प्रकार की सूचनायें मिलती हैं?: (i) देश–विदेश और आस पड़ोस के समाचार (ii) नौकरी और व्यापार सम्बन्धी सूचनायें, (iii) शिक्षा और प्रतियोगिता की सूचनायें, (iv) खेल और फिल्मी सूचनायें।

60. वस्तुओं को क्रय करते समय आप किन–किन बतों पर ध्यान देती हैं? (i) वस्तु ISI एगमार्क, और स्टैण्डर्ड कम्पनी की हों, (ii) वस्तु अच्छी और सस्ती हो, (iii) जो मिल गयी वही खरीद ली।

61. आप अपना ग्रह उपयोगी सामान बाजार से किस प्रकार खरीदती हैं? (i) टी0वी0 एवं समाचार पत्रों के विज्ञापनों से प्रभावित होकर, (ii) हमेशा उच्च गुणवत्तावाला समान, (iii) अच्छी और बड़ी कम्पनियों का सामान, (iv) सबसे सस्ता सामान, (v) जिस समान में कमीशन और गिफ्ट मिलता है वह, (vi) अन्य।

62. क्या आप टेलीविजन / समाचार पत्र पत्रिकाओं से गृहउपयोगी वस्तुओं को बनाना सीखती हैं? हाँ / नहीं।

63. यदि हाँ तो किस प्रकार की वस्तुयें? : (i) भोजन एवं पकवान, (ii) सिलाई बुनाई, (iii) बागवानी / गृह वाटिका लगाना, (iv) अन्य।

64. क्या टेलीविजन / समाचार पत्रों के प्रचार / विज्ञापन आप को आर्थिक रूप से प्रभावित करते हैं? : हाँ / नहीं।

65. समाचार माध्यमों (टी0वी0 / समाचार) से आप किन–किन क्षेत्रों में प्रभावित होती हैं? : (i) राजनैतिक क्षेत्रों में, (ii) आर्थिक क्षेत्रों में, (iii) धार्मिक क्षेत्रों में,

(iv) व्यापार/व्यवसाय/नौकरी के क्षेत्र में, (v) सामाजिक और पारिवारिक क्षेत्र में, (vi) सांस्कृतिक और फैशन के क्षेत्र में, (vii) सामाजिक और सूचना के क्षेत्र में, (viii) सभी क्षेत्र में।

66. क्या आप किसी धार्मिक संगठन की सदस्य हैं? : हाँ/नहीं।

67. आप कौन–कौन से धार्मिक चैनल देखती है? श्रद्धा/आस्था/संस्कार/योग के कार्यक्रम।

68. 'जागो ग्राहक जगो' का विज्ञापन टी0वी0 में आपने देखा है?: हाँ/नहीं।

69. यदि हाँ तो यह विज्ञापन किससे सम्बद्ध है? : (i) महिलाओं के हितों से, (ii) उपभोक्ताओं के अधिकारों से, (iii) नागरिक अधिकारों से, (vi) पता नहीं।

70. क्या आप महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूक हैं? : हाँ/नहीं

71. यदि हाँ तो यह जागरूकता आप के अन्दर कैसे आई? : (i) टी0वी0 के माध्यम से, (ii) समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के माध्यम से, (iii) महिला आन्दोलन से, (iv) अन्य।

72. क्या राजनैतिक पदों, संसद/विधानसभा/पंचायत आदि में आप महिलाओं के लिए आरक्षण आवश्यक समझती है? : हाँ/नहीं।

73. यदि हाँ तो क्यों?: (i) महिलाए अपनी बात अच्छी तरह रखती हैं, (ii) पुरूषों के समान अधिकार प्राप्त करने के लिए, (iii) महिलाओं को शक्तिशाली बनाने के लिए, (iv) महिलाओं का शोषण रोकने के लिए, (v) अन्य।

74. यदि नहीं तो क्यों नहीं? : (i) महिलाओं को गृहणी के रूप में कार्यकरना चाहिए, (ii) महिलाओं को गृहणी के रूप में कार्यकरना चाहिए, (iii) महिलायें असुरक्षित हैं, (iv) पुरूष महिलाओं को कार्य नहीं करने देते, (v) अन्य।

75. क्या महिलाओं के लिए आर्थक स्वतंत्रता आवश्यक है? : हाँ/नहीं।

76. क्या आप कोई व्यवसाय कर रही है? : हाँ/नहीं।

77. यदि हाँ तो कब से?: (i) शादी के पहले से, (ii) शादी के बाद से, (iii) पिछले तीन वर्ष से, (iv) पिछले पांच वर्ष से, (v) अन्य।

78. आप किस प्रकार की वस्तुयें क्रय करती है?: (i) नई–नई वस्तुयें, (ii) महंगी वस्तुयें, (iii) सस्ती वस्तुयें।

79. आप परम्परागत सभ्यता–संस्कृति को कैसा मानती हैं?: उचित/अनुचित/बकवास/महिलाओं का शोषण करने वाली।

80. आप अपना जीवन किस प्रकार से जीना चाहती है?: (i) माता–पिता और बुजुर्गों के अनुसार, (ii) अपनी इच्छा के अनुसार, (iii) पति और बच्चों की इच्दा के अनुसार, (iv) सामाजिक मान्यताओं के अनुसार।

81. आप किसे ज्यादा तरजीह देती हैं?: (i) अपने कैरिअर को, (ii) परिवार को।

82. आप महिलाओं के विवाह की आदर्श आयु क्या मानती है?: (i) 18 वर्ष के पहले विवाह करना, (ii) 18 से 22 वर्ष, (iii) 22 से 28 वर्ष।

83. सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? : (i) कड़ी मेहनत, (ii) भाग्य, (iii) दूसरों का सहयोग, (iv) अधिकारियों की चमचागिरी।

84. अपना पैसा आप कहाँ खर्च करती हैं? : (i) अपने ऊपर अपने मन से, (ii) परिवार के ऊपर परिवार वालों की इच्छा से, (iii) बच्चों का कैरियर बनाने पर, (iv) अन्य प्रकार से।

85. क्या आप के मन में कभी यह भाव आता है कि आप महिला क्यों हैं? : हाँ/नहीं।

86. ऐसे भाव कब आते हैं? : (i) जब पुरूष उत्पीड़ित करते हैं, (ii) जब पुरूष हंसी उड़ाते हैं, (iii) जब पुरूष अपने को महिलाओं से उच्च मानते हैं।

87. आप भविष्य में क्या बनना चाहेंगी या नई पीढी की लड़कियों को क्या बनाना चाहेंगी? : (i) अध्यापक, (ii) बैंक कर्मचारी, (iii) टी0वी0 कलाकार, (iv) लेखक, (v) व्यापार/व्यवसाय, (vi) सेना, (vii) प्रशासनिक अधिकारी, (viii) विवाह कर के संतुष्ट होंगी, (ix) इंजीनियर/डॉक्टर।

88. विद्युत उपकरणों के उपयोग से आप रोज कितना समय बचाती है?: 1 से 3 घण्टे / 3 से 6 घण्टे/अधिक।

89. विद्युत उपकरणों के उपयोग से जो समय आप बचाती हैं उसका सदउपयोग आप किस प्रकार करती हैं? (i) मौज–मस्ती करने में, (ii) टी0वी0 रेडियो आदि मनोरंजन में, (iii) बच्चों के होमवर्क कराने में, (iv) कम्प्यूटर में काम करने में, (v) आर्थिक समाधान जुटाने में, (vi) अन्य।

90. क्या आप यह मानती हैं कि महिलाओं के लिए आर्थिक आजादी जरूरी है?: हाँ/नहीं।

91. विवाह के बाद आप क्या अपनी लड़की को काम करते रहना पसंद करेंगी: हाँ/नहीं।

92. आप वस्तुओं को किस प्रकार क्रय करती हैं?: (i) शापिंग के द्वारा, (ii) सेल लगने का इंतजार (iii) बड़े शहरो की माल से (iv) नौकरी से सामान मगाती है।

93. क्या आप परम्परागत कायदे तोड़ने से डरती हैं? : हाँ/नहीं।

94. आपकी लड़की/पुत्रवधू को अपना जीवन किस प्रकार जीना चाहिए? (i) अपनी शर्तों पर (ii) अभिभावकों की इच्छा पर, (iii) परम्परागत कायदों के अनुसार, (iv) परिवार की इच्छा के अनुसार।

95. क्या आप हमेशा अपने अभिभावकों और दोस्तों की सलाह के काम करती है?: हाँ/नहीं।

96. यदि हाँ तो किस सलाह को अधिक महत्व देती है?: (i) अभिभावकों की, (ii) दोस्तों की, (iii) परिवार के लोगों की, (iv) अन्य।

97. आप किस प्रकार की वस्तुयें पसंद करती हैं? : नई–नई वस्तुयें, (ii) विविधतपूर्ण वस्तुयें, (iii) महंगी वस्तुयें, (iv) उपयोगी वस्तुयें।

98. क्या आप यह स्वीकार करती हैं कि अधिकांश महिलायें काम के बोझ से लदी रहती है?: हाँ/नहीं।

99. यदि हाँ तो महिलाओं को काम करने के बोझ से कैसे बचाया जा सकता है? : (i) वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग करके, (ii) परिवार के पुरूष सदस्यों को सहायता करनी चाहिये, (iii) काम को अधूरा छोड़ देना चाहिये, (iv) अन्य।

100. क्या काम पर जाते समय आप अपने को असुरक्षित महसूस करती हैं? हाँ/नहीं।

101. यदि हाँ तो कहाँ..

102. क्या महिलाओं को अर्थिक रूप से अपने पैरों में खड़ा होने को आप उचित मानती हैं? : हाँ / नहीं।

103. यदि हाँ तो क्यों? : (i) उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है, (ii) परिवार की आर्थिक मदद होती है, (iii) महिलाओं को आर्थिक आजादी मिलती हैं, (iv) जीवनसाथी के उपर नियंत्रण रहता है।

104. आप किसे अधिक महत्व देती हैं? (i) अपने कैरिअर को, (ii) परिवार को, (iii) समाजा को, (iv) अन्य।

105. क्या आप अपनी भूमिकाओं और कर्त्तव्यों को सही मानती हैं? हाँ / नहीं।

106. आप अपनी सफलता का श्रय किसे देती हैं?: (i) अपनी कड़ी मेहनत को, (ii) अपने भाग्य को, (iii) अपनी शिक्षा और पारिवारिक सहयोग को।

107. क्या आप अपने जीवन में सफल हैं? हाँ / नहीं।

108. क्या आप मानती हैं कि आपके बच्चे आप से ज्यादा तेज हैं? : हाँ / नहीं।

109. यदि हाँ तो क्यों...

110. क्या महिला होना आपको अखरता है? : हाँ / नहीं।

111. यदि हाँ तो क्यों अखरता है?:...

112. यदि आप पुरूष होतीं तो क्या करतीं? :...

113. महिला सशक्तीकरण के लिए आप क्या आवश्यक मानती हैं?: (i) स्वावलम्बन, (ii) आर्थिक स्वतंत्रता, (iii) आर्थिक सामाजिक अधिकार, (iv) सभी प्रकार की स्वतंत्रता, (v) अन्य।

114. क्या महिलाओं को मिले संवैधानिक अधिकार की जानकारी आपकों है? : हाँ / नहीं।

115. यदि हाँ तो यह जानकारी आप को कैसे हुई? : (i) समाचार पत्र पत्रिकाओं से, (ii) टेलीविजन / रेडियों से, (iii) मित्रों एवं सहकर्मियें से, (iv) परिवार के सदस्यों से, स्पष्ट करें.................................

116. क्या आप के व्यक्तिगत जीवन में दखल दिया जाता है? हाँ / नहीं।

117. यदि हाँ तो दखल कौन देता है? परिवार के लोग/समाज के लोग/कार्यालय के लोग/अन्य।

118. क्या आपकों किसी के व्यक्तिगत जीवन में दखलन्दाजी उचित लगता है? हाँ/नहीं।

119. यदि नहीं तो क्यों?..

120.